द्वादश माला, खंड 7, अंक 13

बुधवार, 16 दिसम्बर, 1998
25 अग्रहायण, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 7 में अंक 11 से 18 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

बुधवार, 16 दिसम्बर, 1998/25 अग्रहायण, 1920 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
18	9	जसवन्त सिंह	श्री जसवन्त सिंह
111-112	9	श्री शांतिलाल पुषोतदास पटेल	श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तमदास पटेल
111-112	10	श्री पटेल शांतिलाल पुषोतमदास	श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तमदास पटेल
113-114	15	डा॰ वल्लभभाई आर॰ काठिरिया	डा॰ वल्लभभाई आर॰ कथीरिया
113-114	16	श्री डा॰ काठिरिया वल्लभभाई रामजीभाई	डा॰ वल्लभभाई आर॰ कथीरिया
385	23	भूमिगत	भूमिगत जल
441	1	विवरण ।	विवरण ।।
488	नीचे से 8	पड़कर	पढ़कर
565	17	श्री एम॰ तम्बी दुरई	डा॰ एम॰ तम्बी दुरई

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे.एस. वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 7, तीसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 13, बुधवार, 16 दिसम्बर, 1998/25 अग्रहायण, 1920 (शक)

विषय	कालम
पुर्तगाल के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत.....	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 241 से 243	2–28
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 1	29–31
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 244 से 260	31–76
अतारांकित प्रश्न संख्या 2713 से 2942	76–462
सभा पटल पर रखे गए पत्र.....	462–473, 603–606
राज्य सभा से सन्देश.....	473
रेल अभिसमय समिति	
पहला प्रतिवेदन - *प्रस्तुत*	474
नियम 377 के अधीन मामले.....	533–538
(एक) गुजरात के जामनगर जिले में टेलीफोन का उचित ढंग से कार्य करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रेश पटेल	533
(दो) वाराणसी में गंगा कार्य योजना चरण-दो के लिए संबंधित संगठनों की पूर्ण सहमति प्राप्त हो जाने तक धनराशि जारी किए जाने को स्थगित किए जाने की आवश्यकता	
श्री आनन्द रत्न मौर्य	533
(तीन) चंबल सिंचाई क्षेत्र की नहरों का उचित रखरखाव और आधुनिकीकरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम नारायण मीणा	534
(चार) हिन्दू समुदाय की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समान व्यवसायों से जुड़े हुए मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
डा. शकील अहमद	535

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कालम
(पांच)	पश्चिम बंगाल में राना घाट-गेडे और राना घाट-बोंगांव सेक्शनों के रेल मार्गों के विद्युतीकरण के कार्य को तेज किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अजय मुखोपाध्याय	535
(छह)	महाराष्ट्र सरकार को रायगढ़ जिले में तूफान से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामशंठ ठाकुर	536
(सात)	बिहार के समस्तीपुर जिले में विद्यापति नगर रेलवे स्टेशन के नाम को बदल कर ''विद्यापति धाम'' किए जाने की आवश्यकता	
	प्रो. अजित कुमार मेहता	536
(आठ)	मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में मैसाझर और आरपा सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने और इस प्रयोजनार्थ समुचित धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पुन्नू लाल मोहले	537
(नौ)	बिहार में बेगूसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को तेजी से लागू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजो सिंह	537
(दस)	उड़ीसा मे पुरी को बी-2 श्रेणी का शहर घोषित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी	538
कॉफी (संशोधन) विधेयक		538–565
विचार करने के लिए प्रस्ताव		564
	श्री सोमपाल	538
	श्री वारकला राधाकृष्णन	540
	श्री वी. धनंजय कुमार	544
	श्री पी.सी. चाक्को	548
	श्री बिक्रम केशरी देव	554
	श्री मोहन सिंह	556
	श्री वी.वी. राघवन	557
खंड 2 से 25 और 1		564
पारित करने के लिए प्रस्ताव		565

विषय	कालम
नियम 193 के अधीन चर्चा	
देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार.....	571
प्रो. पी.जे. कुरियन	571
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	573
उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक.....	565–571, 596–603, 606–638
विचार करने के लिए प्रस्ताव	565
डा. एम. तम्बी दुरई	565
श्री मोतीलाल वोरा	567
वैद्य विष्णु दत्त	596
श्री अजय चक्रवर्ती	599
श्री प्रभुनाथ सिंह	606
श्री हीरा लाल राय	608
श्री चन्द्रशेखर साहू	610
प्रो. पी.जे. कुरियन	615
प्रो. जोगेन्द्र कवाडे	619
श्री थावरचन्द गेहलोत	622
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	624
श्री कोनिजेटी रोसैया	627
श्री सत्यपाल जैन	629
श्री टी.आर. बालू	631
श्री बी.एम. मेनसिंकाई	635

लोक सभा

बुधवार, 16 दिसम्बर, 1998/25 अग्रहायण, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

पुर्तगाल के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, सबसे पहले मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे अपनी ओर से और सभा के सदस्यों की ओर से पुर्तगाल की संसद की नेशनल असेम्बली के अध्यक्ष महामहिम डा. अन्तोनियो दे अलमेइदा सान्तोस और श्रीमती मार्गरिदा डी अलमेइदा सान्तोस तथा पुर्तगाली संसदीय शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्य है:

1. डा. आर्टर रोड्रीग्स पेरेइरा दोष पेनेदोस,

2. डा. सर्जियो पालो मेन्डेस डीसूजा पिंटो,

3. डा. पेड्रो जोस डा विन्हा रोड्रीग्स कोस्टा,

4. डा. लीनो अन्तोनिया मार्क्वीस डे कारवाल्हो,

5. डा. लुई अफोन्सो कोर्टेज रोड्रीग्स क्वेरो।

यह शिष्टमंडल 15 दिसम्बर, 1998 को दिल्ली पहुंचा। इस समय वे विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और लाभ-प्रद हो। हम उनके माध्यम से पुर्तगाली गणतंत्र के राष्ट्रपति, वहां की संसद तथा मित्र जनता को अपनी बधाई और शुभकामनाएं भेजते हैं।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण

***241. श्री शकुनी चौधरी:**
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर):

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल की बाढ़ तथा भीषण वर्षा से देश के अनेकों किसान प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो हाल में आई बाढ़ से कौन-कौन से राज्य प्रभावित हुए;

(ग) प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या तटबंधों में लगातार दरार पड़ने से निरंतर बाढ़ का प्रकोप बना रहता है;

(ङ) यदि हां, तो प्रभावित राज्यों द्वारा तटबंधों के निर्माण तथा मरम्मत कार्य के लिए कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक प्रभावित राज्य को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई?

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1998 के मानसून के दौरान भीषण वर्षा और बाढ़ों से उन्नीस राज्य प्रभावित हुए थे। प्रभावित राज्य की सूची संलग्न अनुबंध में दी गई है।

(ग) बाढ़ प्रबंधन कार्यों की आयोजना और कार्यान्वयन का मुख्य उत्तरदायित्व राज्यों का है। राज्य सरकारों द्वारा उत्तरवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न बाढ़ प्रबन्धन उपायों को प्रतिपादित और कार्यान्वित किया गया है। अब तक 16,200 कि.मी. तटबंधों, 32003 कि.मी. जल निकास चैनलों, 906 नगर सुरक्षा कार्यों को कार्यान्वित किया गया है जिससे 40 मिलियन हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र में से 14.374 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की गई है।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के केन्द्रीय संगठनों ने गंगा और ब्रह्मपुत्र के गंभीर बाढ़ प्रवण बेसिनों के बाढ़ प्रबन्धन के लिए विस्तृत मास्टर योजनाएं तैयार की हैं। इन्हें विस्तृत योजनाएं तैयार करने और इनका कार्यान्वयन करने के लिए राज्य सरकारों को भेजा गया है। भारत सरकार ने भी समय-समय पर बाढ़ की समस्याओं का अध्ययन करने और उनके समाधान के वास्ते सिफारिश करने के लिए विभिन्न समितियां गठित की हैं। इन सिफारिशों को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संबंधित राज्यों को भेजा गया है। इसके साथ ही केन्द्र सरकार बाढ़ से होने वाली क्षति को कम करने के लिए राज्य सरकारों को समय पर बाढ़ पूर्वानुमान सेवाएं मुहैया कराने के वास्ते विभिन्न अंतर्राज्यीय नदियों पर 157 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों का प्रचालन भी कर रही है। केन्द्र सरकार असम और उत्तरी तथा पूर्वोत्तर भारत के सीमावर्ती राज्यों में प्रमुख बाढ़ प्रबन्धन कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता भी मुहैया करा रही है। बिहार राज्य को बाढ़ रोधी कार्य करने तथा उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों को नेपाल में उनकी सीमा के समीप गंडक और कोसी नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्य करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) नदियों में बाढ़ों के दौरान तीव्र और अप्रत्याशित प्रवाह से नाजुक पहुंचों में कभी-कभी दरार आ जाती है जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ आती है।

(ङ) विशेष रूप से क्षतिग्रस्त तटबंधों के निर्माण और मरम्मत कार्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) केन्द्र सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में बाढ़ प्रबन्धन कार्यों के लिए विभिन्न राज्यों को मुहैया कराई गई सहायता इस प्रकार है:-

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	1995-96	1996-97	1997-98
असम	25.00	10.09	18.00
बिहार	11.00	2.36	3.26
पंजाब	1.90	20.00	4.56
पश्चिम बंगाल	0.50	–	0.95

अनुबंध

वर्ष 1998 के मानसून के दौरान भीषण वर्षा और बाढ़ों से प्रभावित राज्य

1. आन्ध्र प्रदेश
2. अरूणाचल प्रदेश
3. असम
4. बिहार
5. गुजरात
6. हरियाणा
7. हिमाचल प्रदेश
8. कर्नाटक
9. केरल
10. मध्य प्रदेश

11. महाराष्ट्र

12. मेघालय

13. उड़ीसा

14. पंजाब

15. राजस्थान

16. सिक्किम

17. त्रिपुरा

18. उत्तर प्रदेश

19. पश्चिम बंगाल

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए मैं कई माननीय सदस्यों को बोलने का मौका देना चाहता हूं। कृपया मुझे अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का मौका देने दीजिए। मैं हर एक को देख रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री शकुनी चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी को यह पता है कि इस बार बिहार में भीषण बाढ़ आई जिसमें 1,58,000 घर बह गए, 14 लाख हैक्टेयर भूमि में जो खड़ी फसल थी, वह पूरी तरह बरबाद हो गई लेकिन इनका विवरण में देखता हूं तो पिछली बार 1995-96 में जब इनकी सरकार नहीं थी, 11 करोड़ रुपये बाढ़ नियंत्रण के लिए दिये गये थे और फिर 1996-97 में 2 करोड़ 36 लाख रुपये आबंटित हुए थे। पिछले वर्ष और उससे पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 20-25 गुना ज्यादा बाढ़ आई और इनके द्वारा आबंटित राशि 3 करोड़ 26 लाख रुपये है। लगता है कि बिहार के साथ अन्याय और सौतेला व्यवहार इस सरकार द्वारा हुआ है।

जबकि बिहार सरकार से 700 करोड़ रुपये की डिमांड हुई है, क्या केन्द्र सरकार इस क्षति की पूर्ति करने के लिये अधिक राशि देकर बिहार को बाढ़ से राहत दिलाना चाहती है?

श्री सोमपाल: अध्यक्ष महोदय, पिछले दो वर्षों में बिहार में बाढ़ का प्रबंधन करने के लिए जितनी राशि उपलब्ध कराई गई थी, उसमें से वह पूरी को पूरी उपयोग में नहीं लाई गई है। अभी तक एक करोड़ रुपये के लगभग राशि उनके पास शेष है जिसका उपयोग नहीं किया गया है। यह बात सही है कि जितनी इस वर्ष बाढ़ की विभीषिका विशेष रूप से भयावह रही है उतनी अतीत में वर्ष 1988 को छोड़कर निकट भूतकाल में कभी नहीं रही है। राज्य सरकार की आवश्यकता और केन्द्र सरकार के पास जितने संसाधन उपलब्ध होते हैं, योजना आयोग तथा राज्य सरकार के बीच संसाधनों के आबंटन के संबंध में जो चर्चा होती है, उन सब को देखते हुए राहत राशि दी जाती है। इस संबंध में जितनी राशि दी गई है, उसका पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया है। यह बात ठीक है कि इस बार बिहार में बहुत क्षति हुई है जिसके लिये प्रधानमंत्री महोदय ने घोषणा करके 75 करोड़ रुपये योजना व्यय में से उपयोग करने की अनुमति दी है। हमने वहां जो टीम भेजी थी, उसने जो संस्तुति की है, एन.सी.आर.सी. कमेटी की बैठक बुलाने के बाद उनको जो सहायता पिछले दो वर्षों में दी गई, उसमें पिछले वर्ष 1.7 करोड़ रुपया और 1997-98 में 0.87 करोड़ रुपया दिया गया था, जिसमें से 1.57 करोड़ रुपया उपयोग किया गया है और इस प्रकार एक करोड़ रुपया उनके पास शेष है।

श्री शकुनी चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर की विवरणिका में कहा है हम गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। शायद मंत्री महोदय का बिहार का अनुभव नहीं है कि नेपाल से निकलकर बिहार से गुजरने वाली नदियां तेज धारा से बहती हैं। चूंकि वे ऊंचाई से आती हैं और बिहार एक समतल भूमि है, इसलिये बिहार में आकर पूर्ण बर्बादी का कारण बनती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक और कराई जैसी नदियों का मास्टर प्लान तैयार है या नहीं और क्या वह सरकार मास्टर प्लान बनाने की कोई योजना रखती है या नहीं। ये सारी नदियां नेपाल की तराई से निकलती हैं, क्या सरकार नेपाल और भारत की सीमा पर तटबंध बनाकर इनको रोकना चाहती है या रोकने के लिये आपने क्या कारगर उपाय किये हैं?

श्री सोमपाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह बात सही है कि बिहार, विशेषकर उत्तरी बिहार में आने वाली नदियां ज्यादातर नेपाल से आती है जो हिमालय से निकलती हैं। जब तक नेपाल की सीमा के अंदर इन नदियों का प्रबंधन नहीं किया जाता,

बाढ़ की विभीषिका को रोकने का बिलकुल पक्का इंतजाम नहीं किया जा सकता। इसके लिये नेपाल सरकार से बात की गई है। नेपाल सरकार से इन परियोजनाओं की जांच के लिये न केवल निरंतर बातचीत चल रही है बल्कि सप्तकोषी बहुद्देशीय योजना, जिसमें कमला और बागमती नदियों के भंडारण के संबंध में भी बात की गई है लेकिन अभी तक नेपाल सरकार की ओर से कोई समुचित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। केन्द्रीय सरकार विदेश मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय के माध्यम से नेपाल सरकार से इस बात के लिये रजामंदी का सतत् प्रयास कर रही है ताकि इन योजनाओं को तैयार किया जा सके।

श्री शकुनी चौधरी: अध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र का क्वैश्चन है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र खगड़िया से 9 नदियां गुजरती हैं जो सारे लोक सभा क्षेत्र को बर्बाद कर देती हैं। इन नदियों के कारण सारे तटबंध बह गये हैं, रोड्स बर्बाद हो गई हैं और हमारी सरकार के रहते हुये अभी तक सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही न होने से सिर शर्म से झुका जाता है। क्या हमारी सरकार के पास कोई योजना नहीं है जो हमारे क्षेत्र को बाढ़ से राहत दिला सके? सरकार इस बारे में क्या जवाब देना चाहती है?

श्री सोमपाल: अध्यक्ष महोदय, जहां तक बाढ़ प्रबंधन का प्रश्न है, यह मूलत: राज्यों का उत्तरदायित्व है और केन्द्र सरकार केवल उन योजनाओं के लिए सहायता देती है जो राज्य सरकारें केन्द्र सरकार को भेजती हैं। मूलत: प्रबंध करने का काम राज्य सरकार का है और उससे संबंधित यदि वित्तीय सहायता, तकनीकी जानकारी या तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है, वह केन्द्रीय सरकार उपलब्ध कराने का काम करती है। मूलत: यह काम राज्यों का है। इसलिए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में राज्य सरकार से बात करें और यदि कोई विशेष योजना आती है तो केन्द्र सरकार उस पर अवश्य ध्यान देती है।

श्री शकुनी चौधरी: अध्यक्ष महोदय, अगर बिहार को बचाना है तो भारत सरकार को पूरी योजना के तहत सहायता देनी होगी, तभी बिहार बच सकता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक और नाम भी है।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि बाढ़ की विभीषिका से बिहार राज्य में खासकर उत्तरी बिहार में भारी नुकसान हुआ है। किसानों की फसल मारी गई, लोगों के घर गिर गये, यातायात अवरूद्ध हो गया और सड़कों की हालत बहुत खराब हो गई, लेकिन भारत सरकार द्वारा कोई राशि नहीं दी गई। माननीय मंत्री जी द्वारा जो उत्तर दिया गया है वह सत्य से परे है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने बिहार की बाढ़ को रोकने के लिए कौन सी योजना का सुझाव दिया है और उस मास्टर योजना का प्रारूप क्या है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए कोसी, कमला, बागमती, गंडक एवं अधवारा समूह की अंतर्राष्ट्रीय नदियों से प्रतिवर्ष होने वाली बाढ़ को रोकने के लिए इन नदियों का जो उद्गम स्थल बैराज क्षेत्र, नूनथर, सीसमपाली पर सरकार कब तक हाई डैम बनाना चाहती है। जब तक सरकार इन पर हाई डैम नहीं बनायेगी तब तक बिहार राज्य में कमला नदी का प्रकोप जारी रहेगा। मैं जानना चाहता हूं कि कमला नदी के पूर्वी और पश्चिमी तटबंध, उदीपलान के पूर्वी और पश्चिम तटबंध तथा बागमती नदी के तटबंधों को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार कब तक राशि आबंटित करना चाहती है, ताकि लोगों के जानमाल की सुरक्षा हो सके?

श्री सोमपाल: अध्यक्ष महोदय, गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड और उसके अंतर्गत गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का गठन 1972 में किया गया था। इस आयोग ने गंगा की सभी 23 नदी प्रणालियों के वर्ष 1990 तक बाढ़ प्रबंधन की विस्तृत योजनाएं तैयार की थी। अब उन सब योजनाओं को अमेन्ड किया जा रहा है और अपडेशन या अद्यतनीकरण किया जा रहा है। ये विस्तृत योजनाएं सभी गंगा बेसिन राज्यों को, जिसमें बिहार भी शामिल है, भेज दी गई हैं और वे इनके तहत विस्तृत योजनाएं तैयार कर रहे हैं। जब वे योजनाएं प्राप्त हो जाएंगी, तब इन पर केन्द्र सरकार विचार करेगी। ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, लोग बेघरबार हो गये हैं, रास्ते अवरूद्ध हो गये हैं, लेकिन इस सवाल को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया गया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आपको पता होना चाहिए कि हम इस सत्र के दौरान राष्ट्रीय आपदाओं पर भी चर्चा करने वाले हैं।

श्री पी. शिवशंकर: आंध्र प्रदेश में हाल ही में हुई बारिश से कम से कम लगभग दर्जनों जिले तबाह हो गए हैं। कृष्णा नदी में आई बाढ़ से नदी के साथ लगे लंकाओं में रहने वाले लाखों लोग पूरी तरह तबाह हो बह गए हैं। विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र तेनाली में गुंटूर जिले के 22 लंकाए पूरी तरह तबाह हो गई हैं; इसी प्रकार कृष्णा जिले में आने वाले अवानीगड्डा और निदुमोलु विधान सभा क्षेत्र में नौ लंकाएं तबाह हो गई हैं। स्थिति यह है।

भारत सरकार ने 200 करोड़ रुपये की सहायता देने के लिए कहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं - मैंने उन्हें एक ज्ञापन दिया था - कि इन 200 करोड़ रुपयों को अनुदान के रूप में जारी करे अग्रिम राशि के रूप में नहीं। यह मेरा पहला अनुरोध है। मैंने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर एक पत्र लिखकर अनुरोध किया था क्योंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। दूसरे, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक लंका में कम से कम 50 घरों का निर्माण किया जाए। प्रधानमंत्री ने एक दल भेजा था। अब यहां मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद इस दल की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई है जो वहां गया था; क्या पर्याप्त क्षतिपूर्ति राशि दी गई है; और क्या यह अनुदान के रूप में होगी? मेरे प्रश्न का अगला भाग 200 करोड़ रुपये की अनुदान राशि के संदर्भ में है - मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस समय यह घोषणा करें कि इस प्रलय को देखने के बाद माननीय प्रधानमंत्री ने जो 200 करोड़ रुपये दिए हैं वह अनुदान राशि के रूप में है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी यहां उपस्थित हैं - खर्च की गई राशि की क्या जांच की गई है? प्रभावित किसानों और अपना नाम खो देने वाले मजदूरों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने के संबंध में केन्द्र ने क्या सलाह दी है? इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास दिए जाने के संबंध में क्या किया जा रहा है? मैंने यह काम माननीय प्रधानमंत्री जी को एक अभ्यावेदन देकर किया है। मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। क्या मैं माननीय प्रधानमंत्री से उस ज्ञापन पर कुछ कहने का अनुरोध कर सकता हूं जो मैंने स्वयं उन्हें प्रस्तुत किया था?

[हिन्दी]

श्री सोमपाल: अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि इस बार कृष्णा नदी में भयंकर बाढ़ आई थी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. शिव शंकर: मैं केवल अंग्रेजी में ही उत्तर चाहता हूं क्योंकि मेरे लोग केवल अंग्रेजी ही समझते है हिन्दी नहीं। इसलिए कृपया अंग्रेजों में ही उत्तर दें।

श्री सोमपाल: अध्यक्ष महोदय, इस बार कृष्णा नदी में आने वाली बाढ़ सचमुच ही काफी प्रलयकारी थी। इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री तथा माननीय सदस्य श्री शिव शंकर द्वारा जानकारी मिलने के बाद हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने इस क्षेत्र का दौरा किया था। मैं भी उनके साथ था। संभवत: 23 अक्तूबर को हमने उन क्षेत्रों का व्यापक रूप से हवाई सर्वेक्षण किया था। हमने देखा कि गुंटूर और डूबे हुए अन्य जिलों में कृष्णा नदी के दोनों ओर के घर और फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। माननीय प्रधानमंत्री ने वहीं पर 200 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की।

जहां तक इस सहायता को अनुदान में बदलने का संबंध है, इस पर विचार किया जा रहा है। जहां तक घरों, मजदूरों और फसल जैसे क्षेत्रों में नुकसान के लिए दी जाने वाली सहायता का संबंध है हमने एक दल भेजा था और उस दल ने वापस आकर मंत्रालय को रिपोर्ट दे दी है। इसे अंतर-मंत्रालयी समूह को संदर्भित कर दिया था। यह पद्धति दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपनाई जाती है जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद ने स्वीकार कर लिया है। एन.एफ.सी.आर. और दसवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। जैसे ही राहत संबंधी राष्ट्रीय समिति की बैठक होगी - जिसे बहुत शीघ्र बुलाए जाने का प्रस्ताव है - राज्यों को जारी की जाने वाली संभावित अनुदान राशि के संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा। यह काम दसवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाता है। इसमें हमें कोई अधिक छूट नहीं होगी। ये मानदंड अपनाए जाने चाहिए। अंतर-मंत्रालयी समूह ने इसे पहले ही निर्धारित कर दिया है। इसे पहले एन.सी.आर.सी. के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद ही हम आपको यह बता सकेंगे कि कितनी राशि जारी की जा रही है।

श्री पी. शिव शंकर: गरीबों के लिए इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत घर बनाए जाने के संबंध में आपकी क्या राय है जिसके संबंध में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था। आप कृपया इसे स्वीकृत करें। मैंने गरीब लोगों के लिए हर लंका में 150 घर दिए जाने का अनुरोध किया था।

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): एक सुझाव दिया गया है कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे घरों को उन लोगों के उपयोग के लिए दिया जाए जो बेघर हो चुके हैं और जो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

हां, श्री शिवशंकर जी मुझसे मिले थे; उन्होंने मुझे पत्र भी लिखा था; और अगर वे कुछ कहते हैं तो हम इस पर गंभीरता से विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: श्री सुरेन्द्र सिंह।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश से आपने लिया ...*(व्यवधान)* परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, बिहार में बाढ़ आई ...*(व्यवधान)* जिससे काफी बर्बादी हुई। ...*(व्यवधान)* उसकी एक सूची आई हुई है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, हम लोगों को पूछने दीजिए। ...*(व्यवधान)* हमारी भी बात सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में पूछ रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधान मंत्री जी बोल रहे हैं। कृपया आप बैठ जाइए। आप वह भी नहीं जानते।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष जी, एक-एक राज्य को लेना और उसकी अलग-अलग चर्चा करना, यह कठिन काम है। मुझे पता लगा है कि आपने पहले से ही इस संबंध में एक चर्चा स्वीकार कर ली है। उस विस्तृत चर्चा में ही सारे मामले उठ सकते हैं और सरकार भी संतोषजनक जवाब दे सकती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब प्रश्न संख्या 242, श्री शंकर प्रसाद जायसवाल।

...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र सिंह: महोदय, आपने मेरा नाम बुलाया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.23 बजे

इस समय श्री राजो सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र सिंह: महोदय, आपने मुझे बुलाया था।

अध्यक्ष महोदय: हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 242

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाइए। आप हर समय सभा में हस्तक्षेप करते हैं। कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। हम इस मामले पर चर्चा भी करने वाले हैं।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.24 बजे

इस समय श्री राजो सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि वे अपने-अपने स्थानों पर चले जाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है और हम इस मुद्दे पर चर्चा भी करने वाले हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी वहां दो बार पहुंचे। ...*(व्यवधान)* लेकिन आज तक कोई सहायता राशि नहीं दी गई। ...*(व्यवधान)* यह सरकार का दुर्भाग्य है। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, बिहार में भयंकर बाढ़ आई और बाढ़ से प्रभावित लोगों की सरकार ने कोई मदद नहीं की। ...*(व्यवधान)* उत्तर भी संतोषजनक नहीं है। ...*(व्यवधान)* इसके विरोध में हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

पूर्वाह्न 11.25 बजे

इस समय श्री रघुवंश प्रसाद सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि वे अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमने कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया था कि हम राष्ट्रीय आपदाओं पर चर्चा करेंगे। आपको यह बात पता होनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको यह बात पता होनी चाहिए। कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइये। मैं आप सभी से अपील कर रहा हूं कि कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य जी कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू: तमिलनाडु में खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं। पुल भी प्रभावित हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: पश्चिम बंगाल में भी प्रलयकारी बाढ़ आई थी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने अगले प्रश्न की संख्या बोल दी है। कृपया बैठ जाइए। मैडम सूर्यकांता पाटिल, आप हमेशा सभा में बाधा डालती हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य जी कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप: महोदय यह ठीक नहीं है। आपको प्रभावित राज्यों के माननीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देनी होगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। कृपया बैठ जाइए। आप हमेशा सभा में बाधा डालते हैं। यह ठीक नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब आप अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए। यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

श्री एन. एन. कृष्णदास: महोदय, आपको हमें अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू: लाखों झोंपड़ियां पानी में बह गई हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। यह क्या हो रहा है?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: जो माननीय सदस्य बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों से आते हैं, मैं उनकी उत्तेजना समझ सकता हूं और सरकार सीमित साधनों से जो कुछ कर सकी है, उससे हम भी संतुष्ट नहीं हैं। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं, यह सदन की इच्छा है कि एक-एक राज्य पर अलग से चर्चा हो, वे सवाल पूछें और हम उत्तर दें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह: अजीब हालत है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राजो सिंह जी, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू: तमिलनाडु में 141 से अधिक लोग मारे गए हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बालू जी भी तमिलनाडु की स्थिति के बारे में जानने के इच्छुक हैं।

...*(व्यवधान)*

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी: परंतु तमिलनाडु में राज्य सरकार विफल हो गई है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रधानमंत्री जी ने उन सभी राज्यों के बारे में उल्लेख किया है जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

...*(व्यवधान)*

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी: महोदय, तमिलनाडु में राज्य सरकार विफल हो गई है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए। यह ठीक नहीं है। यह प्रश्न काल है। आपको यह पता होना चाहिए। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जब मैं खड़ा हूं तो क्या ये आपका कर्त्तव्य नहीं है कि आप बैठ जायें?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सबसे पहले आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। यह सब क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब आप अपने स्थानों पर बैठ जाइए। यह सही तरीका नहीं है।

..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, मैं आपसे अपने स्थान पर बैठ जाने की अपील करता हूं। पहले आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि हम यहां पर लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए आते हैं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, मैं एक बार फिर आपसे अपने स्थान पर बैठ जाने की अपील करता हूं।

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, केरल राज्य बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित हुआ था।

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री सुरेश कुरूप: आपने हमें अनुपूरक प्रश्नों को पूछने की अनुमति नहीं दी है। मैं नहीं बैठूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। यह सब क्या है?

श्री सुरेश कुरूप: हमें प्रश्न पूछने की अनुमति मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: नहीं। आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री सुरेश कुरूप: केवल आंध्र प्रदेश ही ऐसा राज्य नहीं है जो बाढ़ से प्रभावित हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: आप अनावश्यक रूप से व्यवधान डाल रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। माननीय प्रधान मंत्री ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्यों सहित सभी राज्यों का उल्लेख किया है। माननीय प्रधान मंत्री ने प्रत्येक राज्य का उल्लेख किया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। यह सब क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हाल ही में आयी बाढ़ों से सभी राज्य प्रभावित हुए थे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं कह चुका हूं कि हाल ही में आयी बाढ़ से प्रभावित सभी राज्यों के बारे में सभा में चर्चा होगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं डा. असीम बाला से अपील कर रहा हूं कि हाल ही में आयी बाढ़ों से प्रभावित सभी राज्यों के बारे में चर्चा की जाएगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री आर. एल. जालप्पा: महोदय, कर्नाटक राज्य को 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसीलिए इस विषय पर कृपया आधे घण्टे की चर्चा करायी जाये *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री जालप्पा, कृपया बैठ जायें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री जालप्पा, कर्नाटक सहित सभी राज्यों के बारे में, जोकि हाल ही में आयी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, चर्चा की जाएगी।

...(व्यवधान)

पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना

***242. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो भारत में सीमा-पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक आतंकवादी राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए प्रयासों का क्या परिणाम निकला है?

विदेश मंत्री श्री (जसवन्त सिंह): (क) से (ग) पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर तथा भारत के अन्य भागों में राज्य समर्थित आतंकवाद के प्रायोजन में सक्रिय रूप से लगा रहा है। अनेक वर्षों से पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भर्ती, प्रशिक्षित, वित्त-पोषित और सशस्त्र किए गए आतंकवादियों को गैर-कानूनी ढंग से भारत में प्रवेश कराया जा रहा है। पाकिस्तान ने सुपरिचित भारत-विरोधी तत्वों और भारत में कानूनन घोषित भगोड़ों को आश्रय भी प्रदान किया है। पाकिस्तान को विस्तृत दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं जो भारत में उसके आतंकवाद के प्रायोजन के अकाट्य और अखण्ड्य तथ्यों की पुष्टि करते हैं। हमने पाकिस्तान से निरन्तर यह मांग की है कि वह इन गतिविधियों को तुरन्त बन्द करे और इस संबंध में अपनी गंभीरता प्रदर्शित करने के लिए व्यावहारिक आधार पर कदम उठाए। पाकिस्तान से यह भी कहा गया है कि वह पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में अपने प्रशिक्षण शिविर बन्द करे और आतंकवादियों और ऐसे भगोड़ों को हमारे हवाले कर दे जिन्हें पाकिस्तान में शरण दी गई है। अक्तूबर, 1998 में भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों और नवम्बर, 1998 में भारत और पाकिस्तान के गृह सचिवों के बीच हुई चर्चा के दौरान भी यह मांग दोहराई गई थी। खेद की बात है कि जम्मू और कश्मीर में तथा भारत के अन्य भागों में कार्यरत आतंकवादियों और संगठनों को पाकिस्तान का आधिकारिक समर्थन जारी है। सरकार देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखण्डता की पूर्ण रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के दृढ़ संकल्प है।

सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित अधिकारिक आतंकवाद से अवगत करा दिया है। हमारे प्रयासों के फलस्वरूप पूरा विश्व इस बात को जान गया है कि पाकिस्तान ऐसी गतिविधियों को चला रहा है।

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय विदेश मंत्री जी यह बताएंगे कि उन्होंने मेरे प्रश्न के उत्तर

में जो बताया है कि पाकिस्तान को विस्तृत दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराये गये हैं, जो भारत में उसके आतंकवाद के प्रायोजन के अकाट्य और अखण्ड तथ्यों की पुष्टि करते हैं।

क्या सरकार इन तथ्यों को बताने की कृपा करेगी और क्या सरकार उन तथ्यों को एक पुस्तिका के रूप में सभा पटल पर रखेगी?

श्री जसवंत सिंह: अध्यक्ष जी, यह दस्तावेज 'स्टेट स्पांसरशिप आफ टैरोरिज्म बाई पाकिस्तान' पर है। 12 नवम्बर को हमारे गृह मंत्री जी की पाकिस्तान के आंतरिक सुरक्षा सचिव के साथ बातचीत हुई थी और वहां उनको यह दस्तावेज दिया जा चुका है। गृह मंत्री जी पाकिस्तान की गतिविधियों के बारे में दस्तावेज तैयार करने में लगे हैं। माननीय सदस्य को जानकारी है कि गृह मंत्री जी की ओर से यह बयान भी जारी हुआ है कि जब दस्तावेज तैयार हो जाएगा तो सदन में लाया जाएगा।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े आदर और नम्रता के साथ आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने जो योग्य विदेश मंत्री हैं, वे प्रश्नों का उत्तर आपके माध्यम से ठीक से दें। मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या विस्तृत दस्तावेजी साक्ष्य जो पाकिस्तान को उपलब्ध कराए गए हैं जो भारत में उनके आतंकवाद के प्रयोजन के अकाट्य और अखंड तथ्यों की पुष्टि करते हैं, क्या वे तथ्य एक पुस्तिका के रूप में सभा पटल पर रखे जाएंगे? मैं पहले अपने इस अनुपूरक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं।

श्री जसवंत सिंह: मैं उत्तर दे चुका हूं कि इन सारी बातों की जानकारी एकत्रित करके गृह मंत्री जी दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, उसको सदन में लाया जाएगा। मैंने प्रश्न को टालने का प्रयत्न नहीं किया है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: माननीय विदेश मंत्री ने अपने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि पाकिस्तान उन आतंकवादियों और भगोड़ों को हमारे हवाले कर दे जिन्हें पाकिस्तान में शरण दी गई है। अभी तक पाकिस्तान ने कितने ऐसे लोगों को हमारे हवाले किया है, यदि नहीं, तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है? इसी के साथ मैं चाणक्य की बुद्धि रखने वाले विदेश मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे 'ख' प्रश्न के उत्तर में कहा है कि कदम उठाए गए हैं। मैं उस प्रश्न को यहां पढ़ना चाहता हूं। प्रश्न है कि यदि हां, तो भारत में सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक आतंकवादी राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है? क्या कदम उठाए गए हैं, यह विदेश मंत्री जी ने बताया है, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में यह नहीं बताया कि आगे क्या कदम उठाए जाएंगे?

श्री जसवंत सिंह: अध्यक्ष जी, क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी जानकारी माननीय सदस्य को दी जा चुकी है। हमारा निरंतर प्रयत्न रहता है कि जो कदम हम उठा रहे हैं, पाकिस्तान को उसकी सूझबूझ हो और वह सही तरीके का रुख अपनाए। यह तरीका हम आगे भी अपनाएंगे। जहां तक अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात का सवाल है दो उसकी जानकारी माननीय सदस्य को है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: कितने आतंकवादियों और भगोड़ों को पाकिस्तान ने हमें सौंपा है, उसकी संख्या उन्होंने नहीं बताई। अगर नहीं सौंपा है तो बताएं?

अध्यक्ष महोदय: हो गया, अब आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, अमरीका के हेनरी किसिंगर के समान भारत के प्रधानमंत्री ने वर्तमान विदेश मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष को वार्ता करने का कार्य सौंपा है। उन्होंने मि. स्ट्रोब टालबॉट के साथ चार बार वार्ता की थी।

कुछ माननीय सदस्य: उन्होंने मि. स्ट्रोब टालबॉट के साथ छः बार वार्ता की थी।

श्री सुशील कुमार शिंदे: प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार चार बार वार्ता हुई है।

इस चर्चा से क्या निष्कर्ष निकला था? हम जानना चाहते है क्या उन्होंने अमरीकियों के साथ जो चार बार वार्ताएं की है उसमें माननीय मंत्री महोदय ने आतंकवाद के मुद्दे को उठाया है।

उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? क्या माननीय मंत्री महोदय इतने सुदृढ़ ढंग से संयुक्त राज्य अमेरिका के समक्ष भारत सरकार का दृष्टिकोण रखेंगे?

श्री जसवंत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरे बारे में की गई टिप्पणियों के लिए मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। जैसाकि वे जानते हैं संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हो रही वार्ता में क्षेत्रीय या द्विपक्षीय मुद्दे शामिल नहीं हैं। हम हमारी वार्ता को याचिकाकर्त्ता के रूप में नहीं देखते हैं। फिर भी, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुद्दा अन्तर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में केवल भारत का ही चिन्ता का

विषय नहीं अपितु अमेरिका का भी चिन्ता का विषय है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी माना गया है। सितम्बर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए अपने भाषण में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का उल्लेख प्रमुख मुद्दे के रूप में किया था। इसीलिए, व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में अवश्य ही पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवाद का प्रायोजन, सहायता और प्रोत्साहन का मुद्दा चर्चा में उठा था लेकिन द्विपक्षीय या क्षेत्रीय मुद्दे के रूप में नहीं क्योंकि हमने क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों को पूरी तरह चर्चा से अलग रखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता प्रदान करने के उपाय के रूप में यह देखा जा सकता है कि उन्होंने पाकिस्तान में एक आतंकवादी समूह, हरकत-उल-अंसार को मान्यता दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिक्रिया या गतिविधि के दूसरे पहलू के रूप में अमेरिका ने तालिबान के विरुद्ध जो किया उसे सभी जानते हैं। यह अमेरिका में पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों जिन्हें भारत में प्रायोजित किया जा रहा है, के बारे में बढ़ती जागरूकता का परिचायक है।

श्री मधुकर सरपोतदार: अध्यक्ष महोदय, सदस्य द्वारा एक स्पष्ट प्रश्न पूछा गया था कि ऐसे कितने आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है और इस वार्त्ता और आपसी समझदारी के आधार पर कितने आतंकवादियों को भारत को सौंपा गया है और इस संबंध में अब आगे क्या कार्रवाई की गई। काफी लम्बे समय से वार्त्ताएं चल रही हैं, परन्तु हर दिन ऐसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या निवारक कदम उठाए गए है?

श्री जसवंत सिंह: महोदय, कई प्रश्नों को मिला दिया गया है। जहां तक रोकथाम की कार्यवाही का संबंध है, जोकि प्रश्न का अन्तिम भाग है, यह एक ऐसा पहलू है जो वास्तव में रक्षा और गृह मंत्रालयों से सम्बन्ध रखता है। इसका संबंध विदेश मंत्रालय से नहीं है। जहां तक चर्चा की प्रक्रिया का संबंध है मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वार्त्ता की प्रक्रिया, राजनयिक संबंधों में सुधार लाना मात्र है। यह कोई विशिष्टता प्रदान करने वाली चीज नहीं है। ऐसे मामलों को हम केवल वार्त्ता के माध्यम से ही सुलझा सकते हैं। गिरफ्तार किए जा चुके आतंकवादियों की संख्या या पाकिस्तान द्वारा सौंपे गए आतंकवादियों की संख्या, जैसाकि मैं पहले सूचित कर चुका हूं, जब केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा ब्यौरा प्रदान किया जाएगा, उसे सभा को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा: अध्यक्ष महादय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि भारत के जो प्रयास हुए हैं उन्हें पाकिस्तान के भी ध्यान में लाया गया है, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सबके ध्यान में लाया गया है तथा हमारे विचार को रिकॉगनिशन भी मिली है लेकिन उसका हमारे सामने जो संकेत मिला है कि यू.एस. ने पाकिस्तान को वॉच लिस्ट से भी निकाल दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर हमारे प्रयासों से कोई परिणाम नहीं निकलता तो क्या सरकार इंटरनेशनली एक्सेपटेड हॉट पर्सूट पॉलिसी अपनाने के बारे में विचार करेगी? क्या सरकार ऐसा सोचती है?

श्री जसवंत सिंह: अभी ऐसा विचार नहीं है।

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां: महोदय, प्रश्न एकदम स्पष्ट है। प्रश्न के भाग (क) में पूछा गया है, ''क्या सरकार पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने पर विचार कर रही है।'' माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर वास्तविक स्थिति का पुनर्बखान मात्र है जोकि भारत सरकार और दुनिया को पिछले कई वर्षों से पता है। देश के विभिन्न भागों में पाकिस्तान द्वारा चलायी जा रही गतिविधियों के मद्देनजर यह प्रश्न पूछा गया था कि सरकार के विचाराधीन पाकिस्तान को आतंकवादी राज्य घोषित किए जाने का प्रस्ताव है। मैं जानना चाहता हूं क्या मई, 1998 के बाद इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है या इस प्रकार की घटनाएं उसी प्रकार से जारी हैं जैसे कि कई वर्षों से हो रही हैं।

श्री जसवंत सिंह: अध्यक्ष महोदय, भाग (क) का जहां तक संबंध है, उत्तर कुल मिलाकर वही है जो मैं सभा को पहले ही बता चुका हूं। भारत इस बात से पूरी तरह अवगत है कि पाकिस्तान आतंकवाद या आतंकवाद से प्रेरित घटनाओं को समर्थन, प्रोत्साहन और सहयोग प्रदान करता है।

मई, 1998 के बाद की आतंकवाद की घटनाओं के संबंध में, सभा में मैंने पहले जो कहा उसके विपरीत, कश्मीर में या देश के विभिन्न हिस्सों में हम आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में सफल रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सरकार इस समस्या से निपटने में पूरी तरह सक्षम है।

श्री के. विजयभास्कर रेड्डी: क्या मैं प्रधान मंत्री से जान सकता हूं कि अमरीकियों द्वारा हमारे साथ किया जाने वाला व्यवहार उन्हें स्वीकार्य है? एक मंत्रिमण्डल स्तर का मंत्री अर्थात् विदेश मंत्री, डिप्टी सेक्रेटरी आफ स्टेट से वार्त्ता करने के लिए बाध्य है। क्या आप इसे स्वीकार कर रहे हैं? क्या आप इन वार्त्ताओं से परिणाम की आशा करते हैं?

श्री जसवंत सिंह: महोदय, यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री के. विजयभास्कर रेड्डी: क्यों नहीं उठता? श्री शिन्दे ने यह प्रश्न पूछा और मैं उससे संबंधित प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री जसवंत सिंह: माननीय सदस्य ने पहले जो पूछा था वह आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित था।

श्री के. विजयभास्कर रेड्डी: परन्तु आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए था।

श्री सुशील कुमार शिंदे: यह मि. हेनरी किसिंगर के संदर्भ में था। उस समय ये उपाध्यक्ष थे और उस पद पर होने के कारण वे वार्ता कर रहे थे। अब आपकी वार्ता में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। अब विदेश मंत्री के रूप में अब कुछ दृढ़ता होनी चाहिए।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सभा के नियमों के अनुसार पूछा गया प्रश्न भारत-अमरीकी वार्ता की प्रक्रिया के बारे में था। प्रश्न संख्या 242 पाक-प्रायोजित आतंकवाद के बारे में था।

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, प्रधानमंत्री कुछ कहना चाहते है। वे खड़े हो रहे हैं।

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी: महोदय, मैं प्रधानमंत्री को सुनना चाहता हूं।

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): नयाचार का प्रश्न उठाया गया है। हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा के मार्ग में नयाचार को आने नहीं देंगे।

श्री मुरासोली मारन: महोदय, वे महिलाओं के मामलों में काफी सफल रहे हैं। वे मिस. मैडलिन अलब्राइट से बात कर सकते हैं।

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी: महादय, मंत्री जी अपने उत्तर में पाकिस्तान को आतंकवादी देश नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि यह भारत में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है।

महोदय, पूरी दुनिया में यह परम्परा है कि जब एक देश आतंकवाद में संलिप्त होता है तो आप उससे बातचीत जारी नहीं रखते हैं। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं करता है। परन्तु जब पाकिस्तानी आतंकवादी, कश्मीरी हिन्दुओं को मार रहे थे उस समय कोलम्बो में हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहे थे। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार को पाकिस्तान के साथ इस मेल-मिलाप में कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता है। *...(व्यवधान)* कृपया मुझे प्रश्न पूछने दीजिए। आप उत्तर मत दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए। आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

...(व्यवधान)

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी: उनकी सरकार किसी अन्य संगठन द्वारा 'रिमोट कंट्रोल' से नियंत्रित की जाती है, शायद वे इस रिमोट कंट्रोल का कार्य कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम रिमोट कंट्रोल के बारे में चर्चा नहीं कर रहे है। डा. स्वामी, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह रिमोट कंट्रोल की बात करते हैं। *...(व्यवधान)* आज इस बात का फैसला हो जाना चाहिए कि इनका रिमोट कंट्रोल क्या है, यह हमारे रिमोट कंट्रोल की बात करते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी: कुमारी जयललिता के बिना वे एक दिन भी सत्ता में नहीं रह सकते हैं, उनकी सरकार गिर जाएगी *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री वीरेन्द्र सिंह, कृपया बीच में न बोलिए।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह: अगर इनको बोलने की छूट दी गई तो मुझे भी बोलने की छूट दी जानी चाहिए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री वीरेन्द्र सिंह, कृपया बैठ जाइये।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी: मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह इसमें किसी तरह के विरोधाभास नहीं देखते हैं कि वे एक ओर आतंकवादी गतिविधियों वाले देश को दोषी ठहरा रहे हैं और दूसरी ओर वे उनसे इस तरह से वार्ताएं कर रहे हैं जैसे कि वे कोई साधारण पड़ोसी देश है जबकि हमारे अपने देश में प्रतिदिन लोग मारे जा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वे इसमें कुछ अन्तर देखते है अथवा वे इस तरह का विरोधाभास रखना चाहते हैं।

श्री जसवंत सिंह: नहीं महोदय, हम इसमें कोई विरोधाभास नहीं देखते हैं।

[हिन्दी]

दालों की बिक्री

*243. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल :**
श्री प्रदीप कुमार यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दालें अपने समर्थन मूल्य से तिगुने भाव पर बेची जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) किसानों को कम समर्थन मूल्य देने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) मुख्यतया मांग और आपूर्ति में अंतर के कारण दालों का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से सामान्यतया अधिक है।

(ग) सरकार प्रत्येक मौसम में दालों (अरहर, मूंग, उड़द और चना) सहित प्रमुख कृषि जिंसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग की रिपोर्ट, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों की राय तथा अन्य संगत कारकों जो सरकार की राय में मूल्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण हैं, के आधार पर निर्धारित करती है।

मूल्य नीति पर अपनी सिफारिश करते समय कृषि लागत और मूल्य आयोग सभी महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है, यथा: – उत्पादन की लागत आदानों के मूल्यों में परिवर्तन, आदान/उत्पादन मूल्य में समानता, बाजार मूल्यों की प्रवृत्ति, मांग और पूर्ति की स्थिति, अंत: फसल मूल्य साम्यता, औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, जीवन निर्वाह व्यय पर प्रभाव, अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य की स्थिति और व्यापार की शर्तें। इस प्रकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय बाजार मूल्यों की प्रवृत्ति पर विचार किया जाता है।

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न दालों से संबंधित है। मैंने प्रश्न पूछा है कि किसानों को दालों की कीमत कम मिल रही है और बाजार में इसके भाव काफी बढ़े हुए हैं। मंत्री जी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि दालों की मांग और आपूर्ति में काफी अंतर है। सरकार को इस बारे में जानकारी थी कि मांग और आपूर्ति में काफी अंतर है और यहां जमाखोरों के द्वारा दाल छिपाई गई, दिल्ली में कांग्रेस के एक विधायक के यहां छापामारी में 250 करोड़ की दालें निकली हैं। क्या सरकार को इस बारे में जानकारी है कि 250 करोड़ की दालें दिल्ली में बरामद हुई? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि किसानों को अधिक मूल्य देने के लिए आप क्या कर रहे हैं? ऐसे छापमारों द्वारा जो इतनी बड़ी कमाई की जा रही है, क्या सरकार इसकी सी.बी.आई. से जांच कराएगी ताकि जमाखोरी को रोका जा सके।

श्री सोमपाल: अध्यक्ष महोदय, वर्तमान वर्ष में दालों के दाम अनावश्यक रूप से बढ़ने की बात सही है, मैंने उत्तर में यह बात मानी है। आम तौर पर 30.4 प्रतिशत दालों के मूल्यों में वृद्धि हुई है और सबसे अधिक वृद्धि अरहर के मूल्य में 85 प्रतिशत, मसूर में 42.7 प्रतिशत, उड़द में 26.2 प्रतिशत और मूंग में 22.2 प्रतिशत हुई है। यह बात सही है कि ऐसा प्राय: मांग और आपूर्ति के असंतुलन के कारण होता है। माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न है कि किसानों को कम दाम मिलता है। जहां तक किसानों को दाम मिलने का सवाल है, भारत सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुतियों के अनुसार चार प्रकार की दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, जिसमें अरहर, मूंग, उड़द, मसूर और चना आते हैं। उनकी कितनी लागत आती है, उसमें कितना खर्च आता है, उसके आधार पर और बाजार में दूसरी वस्तुओं के मूल्य क्या हैं, अंतरराष्ट्रीय मूल्य क्या हैं? कितने मूल्य उपभोक्ता के लिए ठीक रहेंगे? इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए न्यूनतम समर्थन

मूल्य घोषित किया जाता है। अगर उससे नीचे मूल्य जाएंगे तो सरकार हस्तक्षेप करके, समर्थन मूल्य देकर किसानों की सहायता करेगी। ...*(व्यवधान)* जहां तक छापे की बात है, छापे के बारे में समाचार पत्रों में हमने भी पढ़ा है।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: मंत्री जी, आप जरा दिल्ली सरकार से रिपोर्ट तो मंगवाइये। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्लीज बैठिये।

श्री अजीत जोगी: आप जमाखोरों, कालाबाजारियों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। आप इन तीनों को संरक्षण दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल: आप अपने लोगों को बचाना चाहते हैं। कांग्रेस का विधायक जो पकड़ा गया है उसके खिलाफ आप नहीं बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया: आप जमाखोरों, कालाबाजारियों, सब के ऊपर कार्रवाई करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री भूरिया, कृपया मंत्री महोदय को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी: आप जमाखोरों, कालाबाजारियों और मुनाफाखोरों को बचा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बात समझिए। अब मंत्री महोदय अपना उत्तर पूरा करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल: महोदय, मुझे अभी अपना उत्तर पूरा करना है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: कांग्रेस के विधायक पर छापा पड़ा है। देखिये, कितने बड़े-बड़े शब्दों में अखबार में आया है। मंत्री जी, आप दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मंगवाइये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री विजय गोयल, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: देखिये 68 करोड़ रुपये का दाल एक जगह से पकड़ा गया है। जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ...*(व्यवधान)*

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री अजीत जोगी: आपने जमाखोरों, मुनाफाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? ...*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल: अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री अजीत जोगी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह क्या है? श्री भूरिया आप भी अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री सोमपाल: अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूं यदि माननीय सदस्य सुनने के मूड में हों। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01 बजे

अल्प सूचना प्रश्न

[अनुवाद]

सोयाबीन की फसल

अ.सू.प्र. 1*. श्री रामानन्द सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "रस्ट" नामक बीमारी के कारण इस वर्ष मध्य प्रदेश में सोयाबीन की 80 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादकों को इसके कारण भारी नुकसान हुआ है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के सोयाबीन का उत्पादन करने वाले किसानों को कितना मुआवजा अथवा वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश में अगले वर्ष किसानों को उचित मूल्य पर सोयाबीन का बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश में खरीफ, 1998 के दौरान सोयाबीन को कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है। इसका अनुमोदन राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, इन्दौर ने भी किया है। "रस्ट" नामक बीमारी केवल बेतूल एवं छिन्दवाड़ा जिलों तक ही सीमित रही। मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, इन्दौर एवं समेकित कृमि प्रबन्ध केन्द्र के साथ समय पर "रस्ट" के खिलाफ जागरण अभियान चलाया। किसानों द्वारा कवकनाशी छिड़काव द्वारा रोग को नियंत्रित कर लिया गया। फसल पकने के समय "रस्ट" का पुन: प्रकोप हुआ लेकिन उत्पादकता पर इसका कोई खास प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

(घ) किसानों को प्रमाणित/सत्यतापूर्वक अंकित बीजों का वितरण कार्य राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वह किसानों को खरीफ, 1999 के लिए बीज उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त उपाय कर रही है। केन्द्र सरकार तिलहन उत्पादन कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत प्रमाणित बीजों के वितरण के लिए 300 रु. प्रति क्विंटल एवं बीजों के उत्पादन के लिए 200 रु. प्रति क्विंटल की राजसहायता दे रही है।

श्री रामानन्द सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा किसानों से संबंधित अल्प सूचना प्रश्न मंजूर किया, मैं आपका आभारी हूं। देश में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है, यानी सोयाबीन के उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश अग्रणी है लेकिन पिछले कई वर्ष अत्यधिक वर्षा से किसानों की सोयाबीन की फसल खेत और खलिहान में ही सड़ गई। इस वर्ष सरकार ने किसानों को बहुत महंगी कीमत पर सोयाबीन का बीज उपलब्ध कराया। इस वर्ष विशेष कर मध्य प्रदेश के सतना और रीवा जिलों में किसानों की सोयाबीन की फसल में रस्ट की बीमारी लगने से वह बड़ी मात्रा में बरबाद हो गई जबकि मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि फसल को बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। यह उत्तर बिल्कुल असत्य है। मैं कृषि मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल में रस्ट की बीमारी लगने से जो नुकसान हुआ, क्या वह उसकी जांच अपने एजेंसी से स्वयं कराने का कष्ट करेंगे?

श्री सोमपाल: अध्यक्ष महोदय, यह बात उत्तर में कही जा चुकी है कि मध्य प्रदेश में इस बार सोयाबीन की फसल को कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं हुई है। रस्ट की बीमारी लगने से कुछ क्षति बेतूल और छिंदवाड़ा इलाकों में जरूर हुई। जब फसल के प्रारम्भिक चरण में यह बीमारी आई, उसी समय कीटनाशक दवाओं के छिड़काव से, इंटीग्रेटिड पैस्ट मैनेजमैंट से और कुछ कवकनाशी दवाओं के छिड़काव से नियंत्रण पा लिया गया था। फसल के अंतिम चरण मे भी यह रस्ट की बीमारी आई। केन्द्र और राज्य सरकार ने अपने-अपने स्तर से राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, इंदौर से इसकी जांच करवाई। वहां के विश्वविद्यालय ने बताया कि उसमें कुछ क्षति हुई है लेकिन वह बहुत बड़ी नहीं है। उसके लिए जो प्रबन्ध किए जाने वाले थे, वे किए गए। मूलत: यह राज्य का विषय है। यदि राज्य सरकार केन्द्र से वित्तीय और तकनीकी सहायता मांगती है तो केन्द्र सरकार देने को प्रस्तुत है।

श्री रामानन्द सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा यही कहना है कि जो जानकारी मध्य प्रदेश सरकार से आई है, वह असत्य है। क्या भारत सरकार अपनी एजेंसी से इसकी जांच कराएगी? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध महत्वपूर्ण है। किसानों से इस वर्ष सोयाबीन एक हजार रुपए क्विंटल में खरीदा गया था लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बोने के लिए 1823 रुपए प्रति क्विंटल में उपलब्ध कराया। मध्य प्रदेश सरकार किसानों से सोयाबीन की खरीद और बिक्री में जो फर्क कर रही है, क्या भारत सरकार भविष्य में इसे रोकेगी? क्या आप 1999 की अगली फसल के लिए उचित कीमत पर किसानों को बीज उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे?

श्री सोमपाल: अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में बाजार में सोयाबीन का भाव उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी ऊपर है। जहां तक किसानों को रियायत दर पर बीज उपलब्ध कराने का सवाल है, केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में एक योजना चालू कर रखी है। इस वर्ष सर्टिफाइड बीज 1800 रुपये प्रति कुंतल और साधारण बीज 1500 रुपये प्रति कुंतल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को राहत के रूप में 200 रुपये प्रति कुंतल की और राहत पर बीज उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। इस संदर्भ में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार को पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली दुग्ध योजना

*244. **श्री नरेश पुगलीया :**
श्री वी.वी. राघवन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा राजधानी की कुछ कालोनियों में मिलावटी दूध की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वितरण से पूर्व समय-समय पर दूध/दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता की जांच की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा उत्तम गुणवत्ता वाले दूध एवं दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) आम लोगों को सरकारी दर पर दूध की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दूध की निरन्तर जांच खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम, 1954 के मानकों के तहत निर्धारित मानकों के साथ-साथ सभी गुणवत्ता पैरामीटरों के लिए की जाती है।

(ङ) उत्तम गुणवत्ता वाले दूध की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

1. दिल्ली दुग्ध योजना राज्य डेयरी संघों और स्थानीय सहकारी समितियों से सभी संयोजकों (अपमिश्रकों तथा परिरक्षकों) से रहित उत्तम गुणवत्ता वाले दूध को ही स्वीकार करती है।

2. दूध का प्रसंस्करण आधुनिक प्रसंस्करण परिस्थितियों के अधीन किया जाता है।

3. दूध को स्वास्थ्यवर्द्धक स्थितियों के अंतर्गत स्वचालित फिलिंग मशीनों द्वारा फूड ग्रेड पॉलीथीन थैलियों में पैक किया जाता है।

4. गुणवत्ता मानदंड को बनाए रखने के लिए 40 मिनट के नियमित अन्तराल पर प्रसंस्करण, फिलिंग तथा भंडारण के दौरान दूध की जांच की जाती है।

5. दूध को भेजने से पूर्व दुग्ध थैनों से यादृच्छिक नमूने पुन: लिए जाते हैं और गुणवत्ता मानदंड के लिए जांच किए जाते हैं।

(च) उपभोक्ताओं को दिल्ली दुग्ध योजना के टोंड दूध की बिक्री 7 रुपए लीटर तथा डबल टोंड दूध की बिक्री 6 रुपए प्रति

लीटर की दर से पॉलिपैकों में की जाती है जो कि बाजार में सभी अन्य ब्रांडों की दर से बहुत ही कम है। अत: दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की भारी मांग है। सरकारी दरों पर दूध के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

(1) दूध की बिक्री समूची दिल्ली में स्थित 1270 बिक्री केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से की जाती है।

(2) दुग्ध बूथों से दूध की बिक्री पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाती है।

(3) आवास कल्याण संघों को शामिल किया जा रहा है।

(4) फील्ड स्टाफ बूथों के निरीक्षण के माध्यम से दुग्ध वितरण की निगरानी करते हैं।

(5) जनता की शिकायतों को निपटाने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना के पास एक लोक शिकायत सुधार कक्ष है।

(6) दिल्ली दुग्ध योजना के पास एक शिकायत कक्ष है जहां उपभोक्ता टेलीफोन पर अपनी शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं तथा ऐसी शिकायतों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है।

अवैध अन्तर्राष्ट्रीय ''काल बैक'' फोन कालस

*245. **श्री आर.एस. गवई :**
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2 सितम्बर, 1998 के ''इंडियन एक्सप्रेस'' में प्रकाशित समाचार के अनुसार जांच प्राधिकारियों ने तीन राज्यों में एक साथ छापे मारे थे जिससे अवैध अन्तर्राष्ट्रीय ''काल बैक'' टेलीफोन कालों के सबसे बड़े नेटवर्क को समाप्त किया जा सके;

(ख) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड के अनुसार ऐसे अवैध ''काल बैक'' टेलीफोन काल प्रतिवर्ष लगभग 800 करोड़ रुपये मूल्य के बराबर होते हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त छापों के क्या परिणाम निकले तथा इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तिबों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) भारत में चल रही अवैध ''काल बैंक'' सेवाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

संचार मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो को प्रामाणिक सूचना प्राप्त होने पर राजस्व आसूचना निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय, महानगर टेलीफोन निगम लि./दूरसंचार विभाग तथा विदेश संचार निगम लि. के पदाधिकारियों के एक दल ने दिल्ली, चेन्नई (तमिलनाडु) तथा मुम्बई (महाराष्ट्र) में एक साथ छापे मारे।

(ख) यह मामला पट्टाशुदा लाइनों की अवैध पुनर्बिक्री से सम्बन्धित था न कि अवैध काल बैक टेलीफोन कालों से विदेश संचार निगम लि. के लिए पट्टाशुदा लाइनों की उक्त अवैध पुनर्बिक्री के मूल्य का सही अनुमान लगा पाना संभव नहीं है।

(ग) राजस्व आसूचना निदेशालय ने यह पाया कि परिसर में संस्थापित उपस्कर, सीमा शुल्क अधिनियम का उल्लंघन है, अत: उन्होंने उसे जब्त कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय मामले के वित्तीय पहलुओं की भी जांच कर रहा है। यह मामला केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भी भेजा जा चुका है।

(घ) अवैध कॉल-बैक/पुनर्बिक्री के कार्यों को रोकने के लिए किये जा रहे उपाय निम्नानुसार है:-

(1) आकस्मिक जांच तथा निरीक्षण कार्य तेज कर दिये गये हैं;

(2) अपराधियों को पकड़ने के लिए सेवा प्रदाताओं तथा सी.बी.आई., डी.आर.आई., सी.ई.आई.बी. जैसी जांच एजेन्सियों के बीच सतत् समन्वय तथा मानीटरिंग का काम किया जा रहा है;

(3) विदेश संचार निगम लि. तथा इन्टरनेशनल प्राइवेट लीज लाइन सर्किट आपरेटरों के बीच करार शर्तों को कड़ा बनाना;

(4) इन्टरनेशनल लीज्ड सर्किटों के लाइसेंस प्रदान करने से पहले सम्बन्धित पार्टी की सदाश्यता की और अधिक प्रभावी जांच;

(5) पट्टाशुदा लाइनों के दुरूपयोग का पता लगाने के लिए तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारियों वाले कार्यदल का गठन;

(6) संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल कम्यूनिकेशन कमीशन, जिसके साथ सरकार ने पहले भी इस मामले में बात की है, को काल बैक प्रचालनों को रोकने में सहायता करने का अनुरोध किया जा रहा है।

डाक सामग्री की चोरी

***246. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चैक, डिमांड ड्राफ्ट, शेयर सर्टिफिकेट इत्यादि की चोरी के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उपभोक्ताओं को मुआवजा देने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) पिछले कुछ वर्षों के दौरान डाक विभाग को यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया, इंडिया टोबेको कम्पनी, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ इंडिया आदि जैसी संस्थाओं से इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि ये संस्थायें अपने सदस्यों/शेयरधारकों को पंजीकृत पत्रों द्वारा जो चैक, डिविडेंड वारंट, रिफंड आर्डर, शेयर सर्टिफिकेट आदि भेजती हैं, वे चोरी हो जाते हैं और बाद में देश के विभिन्न भागों में डाकघर बचत बैंक खातों तथा अन्य बैंकों में खातों के माध्यम से इन्हें भुना लिया जाता है।

गत तीन वर्षों में विभाग को जो ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनका ब्यौरा तथा मुआवजे के बतौर अदा की गई धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	क्षतिपूर्ति के रूप में अदा की गई धनराशि
1995-96	179	8835.00 रु.
1996-97	658	15942.00 रु.
1997-98	736	39494.00 रु.

विभाग ने पारेषण के दौरान डाक वस्तुओं की सुरक्षा तथा पंजीकृत वस्तुओं की चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए एक व्यापक कार्रवाई योजना निर्धारित की है। यह कार्रवाई योजना, जिसे कार्यान्वयन के लिए सभी सर्किलों के अध्यक्षों को परिचालित कर दिया गया है, निम्नलिखित अन्य उपायों के साथ-साथ प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर जांच का निर्धारण करती है:-

(1) प्रत्येक डाक सर्किल में जांच दस्ते गठित किए गए हैं जिनमें एक राजपत्रित अधिकारी तथा दो सहायक अधीक्षक/डाकघर निरीक्षक होंगे, ताकि विभाग की विभिन्न प्रचालन इकाइयों में अत्यंत गोपनीय ढंग से आकस्मिक दौरे किए जा सकें तथा डाक वस्तुओं के समुचित लेखा-जोखा, सुरक्षित पारेषण और प्राप्तकर्त्ता को पंजीकृत वस्तुओं के वितरण का निरीक्षण किया जा सके।

(2) डाक वस्तुओं की चोरी के लिए दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी/निवारक कार्रवाई करने का निदेश डाक सर्किलों के अध्यक्षों को दे दिया गया है। उन्हें ऐसे मामलों की सूचना, विस्तृत छान-बीन के लिए, पुलिस/सी.बी.आई., को देने के निदेश भी दिए गए हैं। कलकत्ता और दिल्ली में सी.बी.आई. को कुछ मामलों की सूचना दी गई है और विस्तृत छानबीन के लिए सी.बी.आई. ने कुछ कर्मचारियों को हिरासत में भी लिया है।

(3) सर्किलों के अध्यक्षों को संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमित रोटेशन को सुनिश्चित करने के लिए तथा ऐसे पदों पर संदेहास्पद निष्ठा वाले कर्मचारियों की नियुक्ति न करने का भी निदेश दिया गया है।

(4) जो ग्राहक डाकघरों में बचत बैंक खाता खोलने के इच्छुक हैं, उनकी समुचित पहचान के लिए कड़े पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं ताकि जाली खाते खोलने की संभावना न रहे।

(5) डाकघर बचत बैंक के भावी खाताधारकों द्वारा अपनी फोटो देने के लिए संबंधित नियमों में उपयुक्त प्रावधान शामिल करने पर विचार करने के लिए वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे गए हैं।

(6) विभाग ने वित्तीय संस्थाओं और सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया से भी यह अनुरोध किया है कि वे चैक/डिविडेंड वारंट, रिफंड आर्डर आदि भेजने के

लिए पारदर्शी स्लिप वाले लिफाफों का प्रयोग न करें क्योंकि इन लिफाफों से उन में रखी गई मूल्यवान वस्तुओं की पहचान करने में सुविधा होती है। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे वारंट/चैक/रिफंड आर्डर के धारकों के खाता नम्बर भी समाविष्ट करें ताकि अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा ऐसे प्रपत्रों को भुनाने की संभावना न बनी रहे।

(7) वित्तीय संस्थाओं आदि से भी यह अनुरोध किया गया है कि वे केवल प्रमाणित तथा वास्तविक निष्ठा वाले व्यक्तियों की ही सेवाओं का, डाकघर में पंजीकृत डाक वस्तुओं की बुकिंग संबंधी कार्यों के लिए उपयोग करें ताकि सांठ-गांठ आदि के माध्यम से डाक वस्तुओं की अंतर्वस्तु की चोरी की यदि कोई संभावना शेष हो भी तो उसे भी समाप्त किया जा सके।

[हिन्दी]

बीज विकास कार्यक्रम

***247. श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान सरकारी कृषि फार्मों में बीज विकास कार्यक्रम के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को कितनी धनराशि प्रदान की है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें वर्ष 1998-99 के लिए कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) राज्य-वार कुल कितने कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार दो स्कीमें कार्यान्वित कर रही थी, जिनके अधीन राज्यों को सहायता उपलब्ध करायी जा रही थी जिसका एक हिस्सा कृषि फार्मों में बीज विकास पर खर्च किया जाना था। ये स्कीमें हैं:- (1) सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए समेकित बीज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.) तथा (2) राष्ट्रीय किस्म विकास कार्यक्रम (एन.पी.वी.डी.) समेकित बीज विकास कार्यक्रम स्कीम के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान 246.49 लाख रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई। वर्ष 1997-98 से यह स्कीम बन्द कर दी गई है। राष्ट्रीय किस्म विकास कार्यक्रम स्कीम के लिए वर्ष 1996-97 तथा वर्ष 1997-98 के दौरान निर्मुक्त की गई धनराशि क्रमश: 170.00 लाख रुपये और 220.00 लाख रुपए है। वर्ष 1998-99 से इन दोनों स्कीमों के लिए कोई भी निधि निर्मुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि समेकित बीज विकास कार्यक्रम स्कीम को वर्ष 1997-98 से बंद कर दिया गया है तथा राष्ट्रीय किस्म विकास स्कीम में संशोधन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार के 220, गुजरात के 65 तथा महाराष्ट्र के 50 कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं। घाटे में चल रहे कृषि फार्मों तथा अन्य राज्यों द्वारा किए जा रहे सुधारात्मक उपायों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

दुधारू पशु

***248. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान ने अधिक मात्रा में दूध देने वाले दुधारू पशुओं की नस्लें विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन पशुओं से प्राप्त दूध की लागत का आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय किसानों को ये पशु उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां। दो अधिक दूध देने वाली नस्लों - यथा - करनस्वीस और करन-फ्राइज भारतीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल द्वारा विकसित की गई हैं।

(ख) करनस्वीस को देशी गायों - (साहीवाल/रेड सिंधी) का ब्राउनस्वीस सांड से तथा करन-फ्राइज को देशी गाय थारपारकर तथा होलस्टीन - फ्राइजियन सांडों से संकरित कराकर तैयार किया गया है। कुल दुग्ध काल में करनस्वीस और करन-फ्राइज से क्रमश: 3666 किलो. तथा 3779 किलो. औसत

दूध प्राप्त होता है और इनका दुग्धकाल क्रमश: 325 और 321 दिन होता है। पहली ब्यांत और ब्यांत के बीच अन्तर करनस्वीस के मामले में क्रमश: 34.6 माह और 404 दिन होता है जबकि करन-फ्राइज के मामले में यह क्रमश: 32.6 माह और 402 दिन होता है। ऐसा वर्ष 1981-95 की अवधि के दौरान किए गए परीक्षणों में पाया गया। इसके अलावा करनस्वीस से सर्वोच्च दूध का उत्पादन 44 किलो. और करन-फ्राइज से 42.5 किलो. प्राप्त किया गया। करनस्वीस के दूध में औसत वसा की मात्रा और एस.एन.एफ. प्रतिशत क्रमश: 4.01 से 4.19 प्रतिशत तथा 8.68 से 8.95 प्रतिशत रिकार्ड किया गया जबकि करन-फ्राइज के दूध के मामले में औसत वसा तथा एस.एन.एफ. का प्रतिशत क्रमश: 3.93 से 4.09 प्रतिशत तथा 8.61 से 8.93 प्रतिशत रिकार्ड किया गया।

(ग) डेरी प्रदर्शन एकक पर इन नस्लों से प्राप्त उत्पादन लागत के मूल्यांकन से यह पता चला कि वर्ष 1997-98 के दौरान दुध उत्पादन की लागत 7.34 रु. प्रति लीटर थी।

(घ) राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल किसानों तथा पशु पालन एवं डेरी कार्य में लगी विकसित एजेंसियों को अतिरिक्त जीवित पशुओं (प्रजननशील सांड, बछड़े तथा गाय) को वर्ष में दो बार (मार्च और सितम्बर के महीने में) जन सामान्य में नीलामी द्वारा उपलब्ध कराता है और साथ ही, उच्च आनुवंशिक स्तर का प्रशीतित/द्रव सांड का वीर्य उपलब्ध कराता है।

आप्टिकल फाइबर्स की आपूर्ति

*249. **श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैर-उत्पादक आपूर्तिकर्ताओं के पास आपूर्ति-आदेश भेजकर आयात द्वारा आप्टिकल फाइबर्स प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आप्टिकल टेलीकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड के पास पूरी मांग के अनुरूप आपूर्ति कर सकने की क्षमता होने के बावजूद इसे केवल पचास प्रतिशत के लिए आदेश दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दूरसंचार विभाग का विचार आप्टिकल फाइबर्स की आपूर्ति के लिए नीति-निर्देश जारी करने का है; और

(च) इस संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (च) दूरसंचार विभाग, आप्टिकल फाइबर का प्रापण नहीं करता है अपितु यह, आप्टिकल फाइबर तथा अन्य अवयवों से बनी आप्टिकल फाइबर केबल का प्रापण करता है। विभाग, केवल स्वदेशी विनिर्माताओं से ही आप्टिकल फाइबर केबल का प्रापण करता है।

आप्टिकल फाइबर केबल बनाने वाले अनेक भारतीय विनिर्माताओं में आप्टिकल टेलीकम्यूनिकेशन्स लि. भी एक विनिर्माता है। चूंकि देश में अनेक विक्रेता पर्याप्त क्षमता में उक्त केबल बना रहे हैं, अत: विभाग एक साथ कई विक्रेताओं को आप्टिकल फाइबर केबल के आर्डर देता है। विभिन्न विक्रेताओं को कुल कितनी मात्रा के आर्डर दिए जाने है, इसका उल्लेख निविदा दस्तावेजों में कर दिया जाता है। विभाग, आमंत्रित निविदाओं में आप्टिकल टेलीकम्यूनिकेशन्स लि. की पात्रता के अनुसार ही उसे आर्डर देता रहा है।

विभाग केवल तैयार आप्टिकल फाइबर केबल का प्रापण करता है। मौजूदा नीति में कच्चे माल तथा तैयार माल की अलग-अलग ड्यूटी निर्धारित की गई है और इस प्रकार देश में विनिर्माताओं को क्षमता में और अधिक वृद्धि करने का प्रोत्साहन मिलता है। आप्टिकल फाइबर केबल के कुछ विनिर्माता कच्चे माल से ही आप्टिकल फाइबर बनाते हैं जबकि कुछेक विनिर्माता अध-कच्चे माल से इसका विनिर्माण करते हैं।

प्रापण प्रक्रिया में, विभाग, दूरसंचार क्षेत्र में उदारीकरण की समग्र नीति के अनुरूप, विनिर्माताओं को यह विनिर्दिष्ट नहीं करता कि वे अपेक्षित सामग्री कहां से प्राप्त करेंगे। विभाग का, उक्त नीति में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं है।

अनुसंधान और विकास

*250. **प्रो. सैफुद्दीन सोज : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभाग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और संस्थान-वार अनुसंधान (रिस्पाण्ड) कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रायोजित

अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित अनुसंधान और विकास गतिविधियों के आयोजन हेतु कितनी सहायता प्रदान की है;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठों की मुख्य उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की विशेष रूप से कश्मीर घाटी में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के विस्तार हेतु भावी योजना क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभाग द्वारा राज्यवार और संस्थानवार अनुसंधान (रिस्पॉण्ड) कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रायोजित अन्तरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित अनुसंधान और विकास गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के चुने हुए उन्नत क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान (आई.आई.एस.सी.), बेंगलूर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई तथा हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में चार अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठों (एस.टी.सी.) की स्थापना की है। भारतीय विज्ञान संस्थान-एस.टी.सी. ने उपग्रह मौसम विज्ञान, नेनो-पार्टिकलों के विकास, अन्तरिक्षयानों में विकिरणी ताप-अभिवाह, ताप-रोधी बहुलकों इत्यादि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आई.आई.टी., चेन्नई-एस.टी.सी. ने प्रमोचक राकेटों की ध्वानिकी अनुक्रिया और इससे सम्बद्ध पक्षों तथा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग तकनीकों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आई.आई.टी., मुम्बई-एस.टी.सी. ने एस.ए.आर. व्यक्तिकरणमिति, उपग्रह प्रतिबिम्बकियों के अंकीय सम्पीड़न, क्रायो-शीतलक, यौगिक पदार्थ और विकिरण कठोर युक्तियों के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। एस.टी.सी. परियोजनाओं की उपलब्धियों का इसरो की परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए सीधे उपयोग किया जाता है।

(ग) सरकार ने एक पर्यावरण और सुदूर संवेदन केन्द्र की स्थापना के लिए जम्मू और काश्मीर की राज्य सरकार को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस केन्द्र को तकनीकी और कार्यक्रम संबंधी सहायता जारी रहेगी ताकि यह केन्द्र प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध संबंधी क्रियाकलापों में जम्मू और काश्मीर सरकार की सहायता कर सके।

विवरण

प्रायोजित अनुसंधान (रिस्पॉण्ड) कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार और संस्थानवार अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों के लिए 1995-96 से 1997-98 तक तीन वर्षों के लिए अन्तरिक्ष विभाग द्वारा प्रदत्त सहायता

	अनुदान (लाख रुपये)	कुल अनुदान (लाख रुपये)
	1	2
आन्ध्र प्रदेश		
आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम	5.01	
आई.आई.सी.टी., हैदराबाद	6.39	
एन.बी.के.आर. संस्थान, विद्यानगर	4.25	
श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, अनन्तपुर	25.17	
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति	25.00	
विश्वोदय कालेज, नेल्लूर	1.33	
ओसमानिया विश्वविद्याय, हैदराबाद	1.25	
शैक्षिक क्रियाकलाप	5.26	73.66
आसाम		
प्लाज्मा भौतिकी केन्द्र, गुवाहाटी	1.56	
डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़	1.66	
शैक्षिक क्रियाकलाप	1.00	4.22

1	2	
बिहार		
बी.आई.टी., रांची	3.26	
आई.एफ.आर.आई., धनबाद	6.70	
शैक्षिक क्रियाकलाप	1.00	10.96
गुजरात		
नेहरू विज्ञान प्रतिष्ठान, अहमदाबाद	5.00	
एम.एस. विश्वविद्यालय, वड़ोदरा	1.93	
सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट	0.80	
शैक्षिक क्रियाकलाप	9.75	17.48
हरियाणा		
रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, कुरूक्षेत्र	3.25	3.25
कर्नाटक		
आर.वी. कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, बेंगलूर	3.02.	
एन.ए.एल., बेंगलूर	3.35	
नेशनल लॉ स्कूल, बेंगलूर	0.62	
मेंगलूर विश्वविद्यालय, मेंगलूर	12.91	
मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	5.30	
शैक्षिक क्रियाकलाप	38.57	63.77

1	2	
केरल		
कोचिन विश्वविद्यालय कोचि	2.82	
कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, तिरूवनन्तपुरम	5.44	
केरल विश्वविद्यालय, तिरूवनन्तपुरम	4.66	
एस. एंड टी. कोचिन विश्वविद्यालय, कोचि	1.19	
शैक्षिक क्रियाकलाप	6.00	20.11
महाराष्ट्र		
एन.सी.एल. पुणे	1.31	
प्राकृतिक इतिहास केन्द्र, मुम्बई	0.50	
प्रणाली अनुसंधान संस्थान, पुणे	4.75	
पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	27.66	
शैक्षिक क्रियाकलाप	0.30	34.52
नई दिल्ली		
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	15.91	
एन.पी.एल., नई दिल्ली	9.08	
श्री वेंकटेश्वरा कालेज, नई दिल्ली	3.60	
शैक्षिक क्रियाकलाप	3.60	32.19

	1	2
उड़ीसा		
बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर	3.70	
शैक्षिक क्रियाकलाप	0.35	4.05
पंजाब		
पंजाब विश्वविद्यालय, लुधियाना	3.38	
शैक्षिक क्रियाकलाप	3.20	6.58
राजस्थान		
एम.आर. इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर	3.46	
शैक्षिक क्रियाकलाप	0.50	3.96
तमिलनाडु		
एस.ई.आर.सी., चेन्नई	9.50	
मद्रास विश्वविद्यालय	4.84	
भारतीयार विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर	3.22	
पी.एस.जी. कालेज, कोयम्बतूर	5.78	
अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	6.16	
सी.सी.आर.आई., कराईकुड्डी	4.47	
शैक्षिक क्रियाकलाप	8.80	42.77
उत्तर प्रदेश		
गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	1.00	
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	4.57	
शैक्षिक क्रियाकलाप	1.90	7.47
पश्चिमी बंगाल		
बंगाल इंजीनियरिंग कालेज, हावड़ा	4.05	
सी.जी.सी.आर.आई., कलकत्ता	4.96	
जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता	12.24	
एस.एन. बोस विज्ञान संस्थान, कलकत्ता	12.30	
भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता	6.26	
शैक्षिक क्रियाकलाप	7.60	47.41
उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संस्थानों में अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ		
भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूर (एस.टी.सी. तथा उपग्रह प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग कार्यक्रम)	292.05	
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई (एस.टी.सी.)	120.86	
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई (एस.टी.सी.)	100.00	
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर (एस.टी.सी.)	63.69	576.60
प्रायोजित अनुसंधान (रिसॉण्ड) के अंतर्गत 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान प्रदत्त कुल अनुदान		949.00

ब्लैक हेड वर्म

*251. श्री ए. सिदराजू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नारियल पैदा करने वाले राज्यों में नारियल के पेड़ों को कौन-सी बीमारी क्षति पहुंचा रही है;

(ख) क्या अब तक इस बीमारी का कोई उपचार निकाला गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक के चामराजनगर तालुक में नारियल के पेड़ों में "ब्लेक हेड वर्म" लगने शुरू हो गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इन बीमारियों का अध्ययन करने तथा उपाय सुझाने हेतु कोई विशेषज्ञ दल भेजा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) नारियल के पेड़ कई तरह के रोगों से प्रभावित होते हैं। नारियल में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग और उनके उपचारात्मक उपाय इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	रोग का नाम	उपचारात्मक उपाय
1	2	3
1.	जड़ मुर्झान	(1) एक वर्ष में दस से कम फल देने वाले सभी नारियल के पेड़ों को हटाना।
		(2) नारियल के पेड़ों की स्थिति तथा प्राकृतिक प्रतिरोध को सुधारने के लिए उचित रूप से खाद देना तथा उनका प्रबंध करना।
		(3) नारियल के पेड़ों की उपज और सामान्य दशा सुधारने के लिए मिश्रित कृषि।
2.	कली विगलन	शीर्ष के प्रभावित टिशू को हटाना तथा कटे हुए सिरे पर बोरडोक्स पेस्ट का प्रयोग तथा सामान्य टहनी आने तक रक्षात्मक कवर डालना।
3.	पत्ती विगलन	(1) नारियल पाम की सामान्य दशा में सुधार लाने के लिए उचित रूप से खाद डालना तथा प्रबंध करना।
		(2) संस्तुत खुराकों में बोरडोक्स मिश्रण अथवा मैकोजेब से शीर्ष पर छिड़काव।
4.	तना से रस निकलना (स्टेम ब्लीडिंग)	(1) प्रभावित टिशू को हटाना तथा तप्त कोलतार अथवा बोरडोक्स पेस्ट से ड्रैसिंग करना।
		(2) तना को यांत्रिक चोट से बचाना।
		(3) सीमेंट अथवा मिट्टी से छिद्रों को बंद करना।
5.	एनाबिरोग (जड़ विगलन)	(1) संस्तुत दूरियों पर आईसोलेशन ट्रेंचेज के जरिए रोग को फैलने से रोकना।
		(2) बीमार पेड़ों को हटाना और उन्हें जला देना।

(घ) जी हां।

(ङ) से (च) सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कासरगोड, केरल में एक पूर्ण विकसित केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है ताकि नारियल में रोगों की हालत में उपचार के विषय में विशेषज्ञों से लगातार राय ली जा सके। इसके अलावा, कृषि मंत्रालय के अधीन नारियल विकास बोर्ड ने वर्ष 1996-97 के दौरान विशेषज्ञों द्वारा एक सर्वेक्षण करने के लिए केरल राज्य को वित्तीय सहायता दी है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चला है कि केरल में 160.50 लाख नारियल पाम जड़ मुर्झान रोग से प्रभावित हैं जिनमें से लगभग 80.00 लाख नारियल के पेड़ों में रोग बुरी तरह से फैल चुका था।

मछुआरों का उत्थान

*252. **श्री रंजीब बिस्वाल :**
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) ने गरीब मछुआरों और छोटे पैमाने पर मछली पालने वाले व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान के लिए कुछ योजनाएं प्रायोजित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) किन-किन राज्यों में ये योजनाएं शुरू की गई हैं और प्रत्येक राज्य में उनके संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या उड़ीसा में ऐसी कोई योजना शुरू की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आठवीं योजना के दौरान प्रति वर्ष इस राज्य में मछली फार्मों/मछुआरों को क्या लाभ हुआ है;

(च) क्या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को उक्त योजना के अंतर्गत समुद्रतट पर मछुआरों के लिए छोटे घर बनाए जाने के मामलों में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति अपेक्षित होती है; और

(छ) यदि हां, तो क्या ऐसे मामलों में समयबद्ध स्वीकृति देने हेतु केन्द्र सरकार के पास कोई योजना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ मात्स्यिकी विकास के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित 6 योजनाएं प्रायोजित की गई हैं जिसके परिणामस्वरूप गरीब मछुआरों तथा छोटे मछली पालकों के आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है:

(1) समेकित तटवर्ती जलकृषि

(2) परंपरागत नौकाओं में मोटरीकरण के माध्यम से तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी का विकास

(3) छोटे मत्स्यन बंदरगाह सुविधाएं तथा मछली उतारने के केन्द्र उपलब्ध कराना

(4) ताजे जल में जलकृषि का विकास

(5) अंतर्देशीय मत्स्य विपणन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

(6) मछुआरों का राष्ट्रीय कल्याण

इसके अलावा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन आदि से संबंधित क्रियाकलापों के लिए मात्स्यिकी सहकारिताओं को सहायता प्रदान कर रहा है। विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के तहत जारी की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) उन राज्यों के नाम जहां ये योजनाएं लागू की गई हैं तथा आठवीं योजना के दौरान की गई प्रगति संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

(घ) उपरोक्त सभी योजनाएं उड़ीसा राज्य में भी क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ङ) योजनाओं के ब्यौरे तथा उड़ीसा में मछुआरों तथा मछली पालकों द्वारा उठाए गए लाभों के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(च) और (छ) मात्र कुछ मामलों में 1996 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की स्वीकृति अपेक्षित है। कुछ परिस्थितियों में 200 से 500 मीटर के हाई टाइड लाइन के भीतर छोटे घरों के निर्माण की अनुमति दी जाती है। यदि पूंजी निवेश की राशि 5 करोड़ रुपए से अधिक होती है तो इस परिस्थिति में पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की स्वीकृति अपेक्षित होती है अन्यथा इसकी स्वीकृति राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तर पर ही दी जाती है। सम्पूर्ण ब्यौरों के साथ पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर मंत्रालय 90 दिनों के भीतर निर्णय ले लेता है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के दौरान मात्स्यिकी विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के तहत जारी निधियां

	योजना	के दौरान जारी निधियां (लाख रुपए में)		
		1995-96	1996-97	1997-98
1.	समेकित तटवर्ती जलकृषि	292.86	222.69	74.07
2.	परंपरागत नौकाओं के मोटरीकरण के माध्यम से तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी का विकास	488.74	101.24	77.65
3.	छोटे मत्स्यन बंदरगाह सुविधाएं तथा मछली उतारने के केन्द्र उपलब्ध कराना	1,167.02	1,350.07	1,698.00
4.	ताजे जल में जलकृषि का विकास	1,020.00	1,095.00	1,494.25
5.	अंतर्देशीय मत्स्य विपणन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण	329.00	531.25	208.32
6.	मछुआरों का राष्ट्रीय कल्याण	1,241.83	1,589.84	1,454.68
7.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रायोजित योजनाएं।	2,687.27	3,181.90	3,861.17

विवरण-II

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत की गई राज्यवार प्रगति का विवरण

समेकित तटवर्ती जलकृषि, परंपरागत नौकाओं का मोटरीकरण तथा छोटे मत्स्यन बंदरगाह और मछली उतारने के केन्द्र उपलब्ध कराने संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

राज्य/संघ शासित प्रदेश		समेकित तटवर्ती जलकृषि			परंपरागत नौकाओं का मोटरीकरण (संख्या)	मत्स्यन बंदरगाह तथा मछली उतारने के केन्द्र (एफ.एल.सी.)	
		शामिल जल क्षेत्र (हैक्टेयर)	लाभार्थी (संख्या)	प्रशिक्षित किसान (संख्या)		मत्स्यन बंदरगाह (संख्या)	एफ.एल.सी. (संख्या)
1.	आंध्र प्रदेश	622	676	1,656	1,600	3	1
2.	गुजरात	674	394	197	120	3	20
3.	गोवा	116	32	32	460	–	1
4.	कर्नाटक	203	370	1,576	377	5	9
5.	केरल	814	819	1,717	2,700	5	20
6.	महाराष्ट्र	481	117	1,326	204	1	29
7.	उड़ीसा	3,963	2,788	1,176	2,300	3	15
8.	तमिलनाडु	1,619	548	90	8,500	6	11
9.	पश्चिम बंगाल	1,505	1,575	3,482	140	2	10
10.	पांडिचेरी	–	–	–	75	–	1
11.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	3
12.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	1	–
	कुल	9,997	7,319	11,252	16,476	29	120

ताजे जल में जलकृषि विकास, मछुआरों के राष्ट्रीय कल्याण तथा अंतर्देशीय मत्स्य विपणन के लिए बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

राज्य/संघ शासित प्रदेश	ताजे जल में जलकृषि का विकास		मछुआरों का राष्ट्रीय कल्याण		अंतर्देशीय मत्स्य विपणन के लिए बुनियादी सुविधाएं स्वीकृत विपणन एककें (संख्या)
	शामिल जल क्षेत्र (है.)	प्रशिक्षित मछली पालक (संख्या)	स्वीकृत घर (संख्या)	बीमाकृत मछुआरे (संख्या)	
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	6,035	5,126	9340	130,000	1
2. अरूणाचल प्रदेश	278	1,145	–	–	–
3. असम	2,263	8,246	171	–	–
4. बिहार	2,953	2,701	198	33,333	1
5. गोवा	–	–	–	489	–
6. गुजरात	22,100	7,648	408	39,710	3
7. हरियाणा	9,314	4,666	–	–	2
8. हिमाचल प्रदेश	100	1,011	–	4,647	1
9. जम्मू एवं कश्मीर	2,185	1,125	200	6,000	3
10. कर्नाटक	15,004	4,361	2,199	60,000	3
11. केरल	2,217	4,488	820	200,000	4

1		2	3	4	5	6
12.	मध्य प्रदेश	25,779	9,583	100	57,212	3
13.	महाराष्ट्र	10,582	5,843	271	–	2
14.	मणिपुर	688	1,467	155	2,329	1
15.	मेघालय	275	560	–	–	–
16.	मिजोरम	219	535	–	–	1
17.	नागालैंड	671	1,752	–	–	1
18.	उड़ीसा	9,977	11,884	564	83,333	2
19.	पंजाब	3,915	6,376	–	–	2
20.	राजस्थान	1,872	4,000	20	954	2
21.	सिक्किम	51	579	–	–	–
22.	तमिलनाडु	7,983	1,531	2,050	291,697	1
23.	त्रिपुरा	785	25,433	360	5,000	–
24.	उत्तर प्रदेश	25,586	32,429	1,233	34,000	6
25.	पश्चिम बंगाल	19,580	22,359	300	152,380	2
26.	अंड. व नि. द्वीपसमूह	–	–	–	3,228	–

1	2	3	4	5	6
27. दमन एवं दीव	–	–	150	14,500	–
28. लक्षद्वीप	–	–	–	854	–
29. पांडिचेरी	63	351	270	18,000	–
कुल	173,475	165,199	18,809	1,137,666	41

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रायोजित योजनाएं

31 मार्च, 1998 तक प्रदत्त संचयी सहायता

राज्य/संघ शासित प्रदेश	सहायता (लाख रुपए में)	
	संस्वीकृत	जारी की गई राशि
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	2,549.66	1,787.66
2. गुजरात	3,362.79	2,374.55
3. हरियाणा	0.80	0.80
4. कर्नाटक	2,543.00	538.24
5. केरल	7,907.78	5,507.25
6. मध्य प्रदेश	7.96	1.26
7. महाराष्ट्र	9,096.02	5,727.95

1		2	3
8.	तमिलनाडु	6,044.65	1,380.07
9.	उत्तर प्रदेश	4.03	–
10.	असम	34.79	17.46
11.	बिहार	2.30	1.95
12.	हिमाचल प्रदेश	28.29	21.04
13.	मणिपुर	386.90	154.70
14.	मिजोरम	9.82	9.82
15.	नागालैंड	285.18	175.05
16.	उड़ीसा	561.52	159.52
17.	राजस्थान	21.07	14.89
18.	त्रिपुरा	114.84	19.24
19.	पश्चिम बंगाल	7,103.04	4,203.88
20.	दमन एवं दीव	10.34	10.34
21.	पांडिचेरी	3.27	3.27
	कुल	40,078.05	22,108.94

विवरण III

आठवीं योजना के दौरान उड़ीसा में मछुआरों तथा मछली पालकों द्वारा उठाए गए लाभ

परम्परागत नौकाओं के मोटरीकरण के माध्यम से समेकित तटवर्ती जलकृषि तथा तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी का विकास

वर्ष	समेकित तटवर्ती जलकृषि			परम्परागत नौकाओं का मोटरीकरण
	शामिल जल क्षेत्र (है.)	लाभार्थी (संख्या)	प्रशिक्षित मछली पालक (संख्या)	मोटरीकरण के लिए स्वीकृत नौकाएं (संख्या)
1992-93	1,140	472	202	600
1993-94	760	664	307	800
1994-95	1,121	1,094	264	400
1995-96	737	521	251	20
1996-97	205	37	152	80
आठवीं योजना के दौरान कुल	3,963	2,788	1,176	1900

छोटे मत्स्यन बंदरगाह सुविधाएं/मछली उतारने वाले केन्द्र उपलब्ध कराना

वर्ष	निर्मित छोटे मत्स्यन बंदरगाह	निर्मित मछली उतारने के केन्द्र
1992-93	-	-
1993-94	गोपालपुर	पंचुबिसा, नैरी स्टेट-2
1994-95	-	-
1995-96	-	पालॉर खरनासी जम्बू
1996-97	-	चन्द्रभगा सोरन रुसिकुल्या कांसबांसा

ताजे जल में जलकृषि का विकास

वर्ष	शामिल जल क्षेत्र (है.)	प्रशिक्षित मछली पालक (संख्या)
1992-93	1866	2830
1993-94	1751	2102
1994-95	2174	2291
1995-96	1699	2657
1996-97	2487	2004
आठवीं योजना के दौरान कुल	9977	11884

मछुआरों का राष्ट्रीय कल्याण

वर्ष	"सामूहिक दुर्घटना बीमा" घटक के तहत बीमाकृत मछुआरे (संख्या)	"आदर्श मछुआरा गांव का विकास" घटक के तहत स्वीकृत घर तथा ट्यूबवैल (संख्या)	"बचत एवं राहत" घटक के तहत शामिल मछुआरे (संख्या)
1992-93	66,400	214 घर तथा 10 ट्यूबवैल	1,000
1993-94	80,000	-	2,000
1994-95	86,755	350 घर तथा 18 ट्यूबवैल	4,500
1995-96	100,100	-	4,785
1996-97	100,000	-	-
आठवीं योजना के दौरान कुल	433,255	564 घर तथा 28 ट्यूबवैल	12,285

अंतर्देशीय मत्स्य विपणन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

वर्ष	राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा जारी धनराशि (लाख रुपए में)
1992-93	44.50
1993-94	55.00
1994-95	19.50
1995-96	40.00
1996-97	16.25
आठवीं योजना के दौरान कुल	175.25

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से प्रदान की गई सहायता

मत्स्यन नौकाओं और जाल के लिए तथा चिल्का झील में समेकित मात्स्यिकी विकास के लिए उड़ीसा राज्य की मछुआरा सहकारिताओं को प्रदान की गई सहायता राशि नीचे दी गई है:-

(लाख रुपए में)

वर्ष	स्वीकृत	जारी*
1992-93	शून्य	8.622
1993-94	शून्य	33.410
1994-95	शून्य	19.102
1995-96	119.83	4.725
1996-97	शून्य	2.059
आठवीं योजना के दौरान कुल	119.83	67.918

*इसमें पिछले वर्षों की स्वीकृति से संबंधित जारी धनराशि भी शामिल है।

फसलों की तस्करी

***253. श्री अनंत कुमार हेगड़े:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय प्रजातियों की विभिन्न फसलों को तस्करी द्वारा देश से बाहर भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने ऐसी गतिविधियों को रोकने और साथ ही विभिन्न फसलों की देशी किस्मों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) विभिन्न फसलों की भारतीय किस्मों को देश से तस्करी द्वारा बाहर ले जाने की किसी भी घटना की सूचना नहीं मिली है।

(ग) वर्तमान आयात-निर्यात नीति (1997-2002) के अधीन, बीजों एवं पौध रोपण सामग्री की कुछ किस्मों को निर्यात की प्रतिबंधित सूची में रखा गया है। इन बीजों के निर्यात की अनुमति कृषि एवं सहकारिता विभाग की आयात निर्यात समिति (एक्जिम समिति) की अनुशंसाओं पर मामले दर मामले के आधार पर दी जाती है। संबद्ध अधिकारियों द्वारा इन अनुशंसाओं के आधार पर निर्यात लाईसेंस जारी किए जाते हैं। इन उपायों से विभिन्न फसलों की स्वदेशी किस्मों के परिरक्षण में मदद मिलती है।

परियोजनाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा व लागत में वृद्धि

***254. डा. विजय सोनकर शास्त्री:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र की निर्माणाधीन सभी वृहत् परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा व लागत में वृद्धि होने के मामले में जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए योजना आयोग के तत्वावधान में विशेष समितियां गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये समितियां कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी; और

(घ) विगत में कितनी बार इस तरह के प्रयास किए गये हैं तथा इसके क्या परिणाम निकले?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) अधिसंरचनात्मक क्षेत्रों से संबंधित 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं में समय और लागत में वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व नियत करने के वास्ते प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में अपर सचिव/संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में योजना आयोग, व्यय विभाग तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के प्रतिनिधियों को बतौर सदस्य नियुक्त करते हुए एक स्थायी समिति गठित की गई है। योजना आयोग द्वारा उपर्युक्त के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत दिनांक 19 अगस्त, 1998 तथा 18 नवंबर, 1998 को जारी किए जा चुके हैं। 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के संबंध में संशोधित लागत अनुमानों के सभी प्रस्ताव आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति को अनुमोदन हेतु भेजने से पहले इन समितियों द्वारा जांची जाएगी, चाहे संबद्ध परियोजनाओं में लागत और समय वृद्धि का प्रतिशत कुछ भी क्यों न हो। इनमें वे प्रस्ताव शामिल नहीं हैं, जिनके संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग लागत में वृद्धि हेतु स्वीकृति प्रदान करने में स्वयं ही सक्षम हों। 200 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के संबंध में जो सार्वजनिक निवेश बोर्ड/व्यय वित्त समिति के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, संबद्ध मंत्रालय/विभाग वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति को अपनी सिफारिशें भेजेगा और उसके बाद सिफारिशों और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट समेत संशोधित लागत अनुमानों के लिए वह प्रस्ताव आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) सार्वजनिक निवेश बोर्ड/व्यय वित्त समिति द्वारा संशोधित लागत अनुमानों के लिए प्रस्तावों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाने पर स्थायी समिति उन प्रस्तावों की जांच करेगी। किसी रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने के लिए समय सीमा सार्वजनिक निवेश बोर्ड/व्यय वित्त समिति की प्रक्रियाओं के अनुरूप होगी।

(घ) ये समितियां योजना आयोग द्वारा अगस्त, 1998 और नवंबर, 1998 में मार्गदर्शी सिद्धांतों के जारी किए जाने के उपरांत गठित की गई है। उपर्युक्त के परिणाम कुछ समय बाद ही सामने आएंगे।

[हिन्दी]

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और फलों का निर्यात

*255. **श्री रामपाल उपाध्याय :**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपलब्धियां रही हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) प्रसंस्कृत खाद्यों तथा फलों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तार के वास्ते, अनुसंधान एवं विकास के वास्ते और प्रचार, बाजार संवर्धन, विदेशी बाजार अध्ययन, महत्वपूर्ण व्यापार मेलों आदि में भागीदारी इत्यादि जैसे संवर्धनात्मक कार्यकलापों के वास्ते वित्तीय सहायता दे रही है। इसके अतिरिक्त, निर्यात संवर्धन संबंधी सरकार की सामान्य नीति के अनुसार 100% निर्यातोन्मुखी खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें तथा मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थित यूनिटें मौजूदा निर्यात-आयात नीति के अनुसार आयातित पूंजीगत सामान, अन्तर्वर्तियों, संघटकों तथा कच्चे माल पर सीमा-शुल्कों से पूरी छूट पाते हैं। ऐसी यूनिटों को अपने उत्पादन का 50% तक घरेलू बाजार में बेचने की भी अनुमति है।

प्रसंस्कृत खाद्यों और फलों का निर्यात पिछले 3 वर्षों में बढ़ा है। 1995-96 के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात का मूल्य 10,415 करोड़ रुपये था जो 1997-98 में बढ़कर 11,000 करोड़ रुपये (अनन्तिम) हो गया। ताजे फलों का निर्यात 1995-96 के 147 करोड़ रुपये से बढ़कर 1997-98 में 211 करोड़ रुपये हो गया।

नैफेड

*256. **श्री विजय गोयल :**
डा. संजय सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नैफेड ने पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान बाजार में प्याज का स्टाक जारी नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा बाजार में प्याज भेजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या नैफेड के पास पड़ा कई करोड़ रुपये मूल्य का प्याज बर्बाद हो गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्याज के आयात से संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) जी नहीं। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देश पर नेफेड दिनांक 14.7.1998 से सुपर बाजार, केन्द्रीय भण्डार, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, दिल्ली थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, एन.सी.सी.एफ. जैसे सार्वजनिक वितरण अभिकरणों और अपने निजी बिक्री केन्द्रों के माध्यम से प्याज की लगातार आपूर्ति कर रहा है।

(ग) से (ङ) जी नहीं। नैफेड से प्राप्त सूचना के अनुसार असामयिक वर्षा, समय पूर्व खुदाई, किसानों द्वारा उचित उपचार का अभाव, जिसके कारण समुचित रख रखाव के स्तर में कमी आई, के कारण अब तक 250 मी. टन प्याज खराब हो गया। क्षति नैफेड के कर्मचारियों द्वारा अकुशल रख रखाव के कारण नहीं हुई। ये हानियां असामान्य स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत मानकों के अधीन हैं।

[अनुवाद]

बहु-आयामी रणनीति

*257. **श्री लक्ष्मण सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ने सन् 2020 तक 500 मिलियन टन खाद्य पदार्थों के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र के लिए उदारतापूर्वक संस्थागत ऋण प्रदान किए जाने सहित एक बहु-आयामी रणनीति बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या मंडल ने भूमि को पट्टे पर दिए जाने संबंधी मानदंडों में संशोधन मात्रा संबंधी नियंत्रण हटाने तथा बोलियों के माध्यम से सिंचाई प्रबंध संबंधी ठेके निजी क्षेत्र को देने के भी सुझाव दिए हैं;

(ग) क्या मंडल के अनुसार भारत आगामी 22 वर्षों में विश्व निर्यात बाजार में 6.7 प्रतिशत का योगदान कर सकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंडल द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ङ) एसोसियेटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने अपने "स्ट्रैटजिक प्लान फार इण्डियन एग्रीकल्चर सेक्टर, जुलाई, 1998" नामक दस्तावेज में भारतीय कृषि से संबंधित विभिन्न विषयों का विश्लेषण किया है जिसमें सन् 2020 तक 500 मिलियन मी. टन खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करना भी शामिल है। इन सुझावों में भूमि पट्टे संबंधी मानकों में संशोधन, भू-जल संसाधनों का उपयोग करने, लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए बैंकों से सहायता उपलब्ध कराने, निजी क्षेत्र की और अधिक भागीदारी तथा आनुबन्धिक कृषि आदि को शामिल किया गया है। देश में कृषि के विकास के लिए रणनीति तैयार करते समय चैम्बर द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार किया जायेगा।

[हिन्दी]

टेलीफोन एक्सचेंजों का उन्नयन

*258. **श्री चिन्मयानंद स्वामी :**
डा. रामविलास वेदान्ती :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में वर्ष 1998-99 के दौरान वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1998-99 तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

संचार मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी हां।

(ख) 1998-99 के दौरान, देश में टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में 49.3 लाख लाइनें जोड़ने का प्रस्ताव है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 1998-99 के दौरान, एम.टी.एन.एल. सहित स्थानीय टेलीफोन प्रणालियों के लिए 8525.47 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

9वीं पंचवर्षीय योजना में, स्थानीय टेलीफोन प्रणालियों के लिए 59099.03 करोड़ रुपये का अनुमानित वित्तीय आबंटन किया गया है जिसमें एम.टी.एन.एल. भी शामिल है।

विवरण

उन राज्यों के नाम जहां 1998-99 के दौरान क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है

क्र.सं.	राज्य	क्षमता
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	351250
2.	अंडमान निकोबार	7700
3.	अरूणाचल प्रदेश	5200
4.	असम	68000
5.	बिहार	185000
6.	दिल्ली	260000
7.	गोवा	37000
8.	गुजरात (दमन, दीव, दादर नगर हवेली सहित)	351250
9.	हरियाणा	125400
10.	हिमाचल प्रदेश	93000
11.	जम्मू व कश्मीर	41600
12.	कर्नाटक	266000
13.	केरल (लक्षद्वीप सहित)	453100
14.	मध्य प्रदेश	156000
15.	महाराष्ट्र	641100
16.	मणिपुर	5000
17.	मेघालय	5500
18.	मिजोरम	7500
19.	नागालैंड	10000
20.	उड़ीसा	82300
21.	पंजाब (चण्डीगढ़ सहित)	288600
22.	राजस्थान	235500
23.	सिक्किम	5000
24.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	549000
25.	त्रिपुरा	12000
26.	उत्तर प्रदेश	381000
27.	पश्चिम बंगाल	307000
		4930000

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन सेवा

*259. **श्री सुशील कुमार शिंदे:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''फन लाइन'' गर्ल-काल ''ब्यायज काल'' तथा ''डेटलाइन'' जैसे परिवर्णो शब्द वाली टेलीफोन सेक्स सेवाएं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय नंम्बरों से जोड़ा गया है, से सामाजिक ताने-बाने तथा सामाजिक जीवन की शांति की क्षति पहुंच रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की क्षति को रोकने हेतु ऐसी अंतर्राष्ट्रीय फोन सेवाओं को बाधित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी हां। अन्य देशों में इस तरह की सेवाएं एजेन्सियों द्वारा प्रदान की जा रही हैं और कभी-कभी इनमें खुले रूप से अश्लील तथा नापसन्द बातें की जाती हैं। जब कभी सरकार को ऐसी कॉलों का पता चलता है तो उन्हें रोकने के अनुदेश जारी किए जाते हैं।

शैक्षणिक पाठ्यक्रम

*260. **श्री सुरेश वरपुडकर:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने शैक्षणिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन शैक्षणिक पाठ्यक्रमों से कितने छात्र लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय छात्रों को दिए गए प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र से सम्बद्ध एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में अन्तरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा केन्द्र (सी.एस.एस.टी.ई.-ए.पी.) की स्थापना के लिए भारत सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

यह केन्द्र अन्तरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उपयोग के क्षेत्रों में शिक्षा के लिए एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के देशों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र की पहल पर भारत में स्थापित किया गया है। इस समय यह केन्द्र सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली (आर.एस. एण्ड जी.आई.एस.), उपग्रह संचार; उपग्रह मौसम विज्ञान और अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्रदान कर रहा है।

(ग) अभी तक, इस केन्द्र ने 5 शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरे किये हैं तथा इस केन्द्र के शैक्षिक पाठ्यक्रमों से एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में 23 विभिन्न देशों से कुल 110 विद्यार्थियों ने लाभ प्राप्त किया है।

(घ) जी, हां। भारतीय विद्यार्थियों को दिये गये प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार में प्रयोक्ता एजेंसियां और अकादमियां प्रत्याशियों को नामित करती हैं। इससे भारतीय विद्यार्थियों द्वारा अर्जित व्यवसायिक ज्ञान का इष्टतमी उपयोग सुनिश्चित होता है।

(ङ) और (च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत पदों को समाप्त करना

2713. डा. जयन्त रंगपी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कई पदों को समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को पुन: बहाल करने की मांग के जवाब में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) और (ख) सरकार के 1.1.92 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध 10% स्वीकृत पदों की कटौती करने सम्बन्धी निर्देशों के अनुसरण में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उत्तर-पूर्व के 748 पदों सहित 5544 पदों को समाप्त किया है।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दवे समिति

2714. श्री मदन पाटील: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि बागान उद्योग की जांच हेतु गठित दवे समिति ने गारंटी कृषि योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय से मिली सूचना के अनुसार, रोपण स्कीमों जैसे सामूहिक निवेश स्कीमों के लिए विनियम बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा गठित दवे समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

(ग) रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के पास शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

2715. श्री ए.सी. जोस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम 135189 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु फील्ड चैनल्स का निर्माण करने में सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रति हेक्टेयर फील्ड चैनल्स का निर्माण विशेष रूप से केरल में किए जाने हेतु वर्तमान सीमा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य की भौगोलिक विशेषताओं के कारण वर्तमान सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) केरल सरकार द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत निर्मित फील्ड चैनलों का परियोजनावार विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	परियोजना	फील्ड चैनल (हैक्टे.)
1.	मालमपुझा	21732
2.	वालयार	4122
3.	पोथुंडी	5466
4.	गायाथ्री	5466
5.	मंगलम	3639
6.	पीची	18623
7.	वझानी	5182
8.	चीराकुझी	579
9.	चलकुड़ी	19696
10.	नैयार	11655
11.	चित्तुरपुझा	15700
12.	पेरियार घाटी	32800
13.	पम्बा	5685
14.	कुट्टियाडी	7828
	कुल योग	1,58,173

(ग) फील्ड चैनल के निर्माण लागत की वर्तमान सीमा 6,000 रु. प्रति हैक्टे. है जिसे राज्य (केरल) तथा केन्द्र सरकार द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार ने फील्ड चैनल की वर्तमान निर्माण लागत को 6,000 प्रति हैक्टे. से बढ़ाकर 10,000 प्रति हैक्टे. करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में राज्य सरकार से कुछ सूचना और स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया गया है।

कृषि उत्पादन

2716. श्री कृष्ण लाल शर्मा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अधिकांश फसलों का उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की अपेक्षा अत्यधिक कम है;

(ख) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान भारतीय कृषि उपेक्षित रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में कृषि फसलों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) खाद्य एवं कृषि संगठन की उत्पादन पुस्तिका, वर्ष 1997 के अनुसार, मुख्य फसलों के उत्पादन में विश्व में भारत की स्थिति निम्नवत है:-

फसल	भारत की स्थिति
गेहूं	द्वितीय
चावल	द्वितीय
मोटे अनाज	पंचम
कुल दलहन	प्रथम
कपास की फाहा	तृतीय
गन्ना	द्वितीय
पटसन व सम्बद्ध रेशे	प्रथम

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार गेहूं, चावल, मोटे अनाज, तिलहन, दलहन, कपास, पटसन, गन्ना फसल एवं सब्जियों आदि से संबंधित विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की फसल विशिष्ट स्कीमें/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है ताकि देश में फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन में सुधार किया जा सके।

[हिन्दी]

गुजरात में एस.टी.डी. सुविधा

2717. श्री हरिभाई चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में गुजरात के कितने तालुकों और तहसीलों में एस.टी.डी. सुविधायुक्त टेलीफोन केन्द्र हैं;

(ख) कितने तालुकों में यह सुविधा अब तक उपलब्ध नहीं है; और

(ग) कब तक इन तालुकों में एस.टी.डी. सुविधा प्रदान कर दी जाएगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कपीन्द्र पुरकायस्थ): (क) गुजरात में 184 तालुका मुख्यालय हैं और इन सभी तालुका मुख्यालयों में एस.टी.डी. सुविधा सहित टेलीफोन केन्द्र (एक्सचेंज) हैं। शब्द "तहसील" का प्रयोग गुजरात में नहीं किया जाता है।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

बिहार में एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ.

2718. श्री राजो सिंह:
श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय बिहार में जिला-वार कितने एस.टी.डी./आई.एस.डी./सार्वजनिक टेलीफोन बूथ काम कर रहे हैं;

(ख) सरकार के पास राज्य के नए टेलीफोन बूथों/एस.टी.डी./आई.एस.डी. और टेलेक्स सुविधा के आबंटन के लिए कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) बिहार में कार्यरत एस.टी.डी./आई.एस.डी./स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) बिहार सर्किल में एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. के कनेक्शन हेतु लम्बित पड़े आवेदनों की संख्या 9770 है तथा टेलेक्स कनेक्शनों के लिए यह संख्या शून्य है।

(ग) यथासंभव एस.टी.डी., पी.सी.ओ. के आबंटन हेतु एस.टी.डी. आबंटन समितियों का गठन किया गया है तथा नियमित रूप से इसकी बैठकें की जा रही हैं।

विवरण

क्र.सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	कार्यरत एस.टी.डी./आई.एस.डी./सार्वजनिक टेलीफोन बूथ
1	2	3
1.	भागलपुर	307
2.	हजारीबाग	406
3.	छपरा	1227
4.	दुमका	413
5.	मोतीहारी	1328
6.	आरा	222
7.	सासाराम	264
8.	डाल्टेनगंज	137
9.	मुजफ्फरपुर	1532
10.	कटीहार	444
11.	सहरसा	184
12.	गया	565
13.	मुंगेर	170
14.	दरभंगा	1099
15.	रांची	579
16.	धनबाद	542
17.	जमशेदपुर	936
18.	पटना	2352
	जोड़	12707

[अनुवाद]

"ब्रह्मपुत्र बोर्ड"

2719. श्री समर चौधरी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) घाटी में वैज्ञानिक जल प्रबंधन के लिये ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा बनाये गये "मास्टर प्लान" के अंतर्गत बोर्ड द्वारा कराये गये सर्वेक्षण और जांच का ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में शामिल राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना के कार्यान्वयन हेतु संसाधन जुटाने के लिये सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रहमपुत्र एवं बराक घाटी में बाढ़ आधुनिकीकरण, जल निकास संकुलता को दूर करने, कटाव रोकने, जल विद्युत उत्पादन करने एवं नौवहन के लिए जल संसाधनों के एकीकृत विकास के उद्देश्य से मास्टर योजनाएं तैयार करने के संबंध में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण का कार्य किया है।

(ख) इन मास्टर योजनाओं के अंतर्गत असम, अरूणाचल प्रदेश एवं मेघालय राज्य पूरी तरह से कवर होते हैं। इसके अंतर्गत त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर एवं नागालैंड राज्य आंशिक रूप से आते हैं जो कि ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिनों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हैं।

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में जल प्रबंधन एवं बाढ़ नियंत्रण संबंधी उपाय मास्टर योजनाओं में शामिल है जिसकी आयोजना, अन्वेषण एवं कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार द्वारा योजना आयोग द्वारा राज्य बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत आबंटित निधियों से किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वयन के लिए मास्टर योजनाएं भेज दी गई हैं।

सूखा और हरा चारा

2720. श्री रूपचंद मुर्मू: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में दुधारू पशुओं के लिए सूखा और हरा चारा कितनी मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) सरकार द्वारा मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) एक दुधारू पशु को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है और उसे कितनी कैलोरी दी जाती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) दुधारू पशुओं के लिए सूखा तथा हरे चारे की उपलब्धता का आकलन अलग-अलग नहीं किया जाता है। तथापि, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (1993) के नीति सलाहकार समूह द्वारा किए गए आकलन के अनुसार देश में सभी पशुओं के लिए सूखे तथा हरे चारे की उपलब्धता क्रमश: 583.62 तथा 744.73 मिलियन टन की आवश्यकता की तुलना में 398.68 तथा 573.50 मिलियन टन थी।

(ख) चारे की मांग तथा आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) केन्द्रीय आहार तथा चारा विकास संगठन योजना जिसमें तीन घटक शामिल हैं अर्थात् (1) क्षेत्रीय चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन केन्द्र (2) केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म तथा (3) चारा फसलों के लिए केन्द्रीय मिनिकिट परीक्षण कार्यक्रम।

(2) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता जिसमें निम्नलिखित सात घटक शामिल हैं:-

(1) चारा बीज उत्पादन फार्म का सुदृढ़ीकरण (75 : 25)

(2) चारा बैंक की स्थापना (75 : 25)

(3) पंजीकृत उत्पादकों के माध्यम से बीज उत्पादन (25 : 75)

(4) सिल्वीपाश्चर प्रणाली की स्थापना (100 प्रतिशत)

(5) ग्रास रिजर्व सहित चराई भूमि का विकास (100 प्रतिशत)

(6) चारा फसलों के क्षेत्र, आवश्यकता तथा उत्पादन के लिए नमूना सर्वेक्षण (100 प्रतिशत)

(7) भूसों तथा सेल्युलोसिक अपशिष्टों का संवर्द्धन (100 प्रतिशत)

योजनाओं के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

(1) उच्च पैदावार किस्मों वाले चारा फसलों तथा पाश्चर घासों/लेग्युम्सों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन तथा प्रसार।

(2) चारा बीजों की उच्च पैदावार वाली किस्मों तथा व्यवसायों की उन्नत चारा शस्य पैकेज पर क्षेत्रीय प्रदर्शनों का आयोजन।

(3) राज्यों में चारा बीज फार्मों का सुदृढ़ीकरण।

(ग) 500 किलोग्राम शारीरिक वजन वाली दुधारू गाय/भैंस की प्रतिदिन की कैलोरी आवश्यकता, उनके रख-रखाव के लिए 16.21 किलो कैलोरी तथा प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन के लिए 1.62 किलो कैलोरी है। पाचन ऊर्जा की आपूर्ति लगभग 61.3 प्रतिशत है।

स्थानीय कॉल-सुविधा

2721. श्री महबूब जहेदी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दुर्गापुर और आसनसोल के बीच सीधे स्थानीय कॉल की सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) से (ग) नीति के अनुसार, 180 सैकंड की पल्स-दर (अर्थात् एस.टी.डी. कोर्ड के बिना इंटरडायलिंग) की सीधी स्थानीय कॉल की सुविधा आसनसोल व दुर्गापुर के मध्य पहले ही उपलब्ध करा दी गई है।

[हिन्दी]

बिहार में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

2722. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के कुछ और जिलों में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन से कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक इस काम के शुरू होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बीज अधिनियम में संशोधन

2723. श्री के.पी. नायडू: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भूतपूर्व महानिदेशक श्री एम.वी. राव की अध्यक्षता वाली समिति ने बीज अधिनियम में संशोधन करने के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) बीज अधिनियम में कब तक संशोधन किया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक डा. एम.वी. राव ने अप्रैल, 1997 में बीज नीति समीक्षा दल की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस दल से पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन की दृष्टि से बीज नीति 1988 में जरूरी परिवर्तन की जांच करने और देश में बीज क्षेत्र के संवर्द्धन और विकास के लिये सुझाव देने की अपेक्षा की गई थी। इस दल ने निम्नलिखित के बारे में कुछ प्रमुख सिफारिशें की थी।

1. पादप प्रजनक अधिकार
2. बीज उत्पादन एवं वितरण
3. बीज उत्पादन में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भूमिका
4. बीज और पौधरोपण सामग्रियों का आयात और निर्यात
5. बीजों की अच्छी किस्मों की निर्मुक्ति
6. गुणवत्ता नियंत्रण और बीज विधायन
7. बीज क्षेत्र में विदेशी निवेश
8. बीज और पादप रोपण सामग्री आयात के लिए पादप संगरोधन उपाय

विधापन से संबंधित भाग में, बीज अधिनियम 1966 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने के लिए सिफारिश की गयी है ताकि इसे और सख्त बनाया जा सके।

(ग) और (घ) इस दल की अधिकांश सिफारिशें देश में प्रजनकों को अधिकारों, संरक्षण और जर्म प्लाज्मों से संबंधित हैं। प्रस्तावित पादप किस्म संरक्षक और कृषक अधिकार संरक्षण विधायन में इन मुद्दों पर विचार किया जायेगा।

सीधे स्थानीय कॉल की सुविधा

2724. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरीदाबाद को नोएडा और गाजियाबाद से जोड़ दिया गया है जबकि गुड़गांव को छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार गुड़गांव को गाजियाबाद, नोएडा और बहादुरगढ़ के साथ जोड़ने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक कर लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ): (क) और (ख) फरीदाबाद से नोएडा तथा गाजियाबाद के लिए 180 सेकण्ड पल्स-दर पर (अर्थात् एस.टी.डी. कोड के बिना इंटर डायलिंग) स्थानीय कॉल-सुविधा उपलब्ध है। तथापि, केवल गुड़गांव एस.टी.डी. से जुड़ा हुआ है।

नीति के अनुसार, स्थानीय कॉल-सुविधा कम दूरी के प्रभारण-क्षेत्र (एस.डी.सी.ए.) के भीतर प्रदान की जाती है, जो सामान्यत: तहसील के बराबर होते हैं। तथापि, 180 सेकण्ड पल्स-दर (अर्थात् एस.टी.डी. कोड के बिना इंटर डायलिंग) निम्नलिखित स्थानों पर प्रदान की जाती है:

(1) निकटवर्ती एस.डी.सी.ए. के बीच।

(2) जब दो कम दूरी के प्रभारण क्षेत्रों (एस.डी.सी.ए.) की कम दूरी के प्रभारण-केंद्रों (एस.डी.सी.सी.) के बीच की अरीय दूरी 20 कि.मी. तक हो।

इसलिए, यह सुविधा फरीदाबाद-एस.डी.सी.ए. तथा गाजियाबाद (नोएडा सहित) एस.डी.सी.ए. के बीच उपलब्ध करा दी गई है, जो एक-दूसरे के नजदीक हैं। गुड़गांव-एस.डी.सी.ए. तथा गाजियाबाद (नोएडा सहित) के बीच सुविधा प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि दोनों ही एस.डी.सी.ए. एक-दूसरे के करीब नहीं है तथा उनके एस.डी.सी.सी. के बीच की अरीय दूरी 20 कि.मी. से अधिक है।

(ग) जी नहीं, गुड़गांव-गाजियाबाद (नोएडा सहित) अथवा गुड़गांव-बहादुरगढ़ के बीच 180 सेकण्ड पल्स-दर (अर्थात् एस.टी.डी. के बिना इंटर डायलिंग) पर स्थानीय कॉल-सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

(ङ) भाग (क) और (ख) के उत्तर के अनुसार।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत बिहार को राशि

2725. श्री सौम मरांडी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1996-97, 1997-98 के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत बिहार में योजनाओं के चयन में निर्धारित दिशा-निर्देशों का उचित अनुपालन किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन खामियों के लिए दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) जिला कलेक्टरों को मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित निर्देशों के अंदर संबद्ध संसद सदस्यों द्वारा चयनित योजनाओं को कार्यान्वित करवाना होता है। तथापि, अनुचित कार्यान्वयन के कुछ मामले सरकार के सामने आए हैं। जब कभी इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उस मामले को उचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेज दिया जाता है।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऋण

2726. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अमरीकी सरकार के इस निर्णय की पुष्टि कर दी है कि प्रतिबंधों से कृषि क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऋणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो अमरीका ने पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कृषि विकास के लिए कुल कितना ऋण प्रदान किया है;

(ग) क्या प्रतिबंधों के बाद अमरीकी सरकार द्वारा भारत को कृषि ऋण प्रदान करने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) विगत दो वर्षों से भारत में कृषि क्षेत्र की किसी भी परियोजना के लिए अमेरिकी सरकार से कोई भी ऋण नहीं मिला है।

(ग) और (घ) इस समय भारत में कृषि क्षेत्र के लिए अमेरिकी सरकार से कृषि ऋण की मांग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सीधी स्थानीय टेलीफोन सुविधा

2727. श्री अशोक प्रधान: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से खुरजा को सीधी स्थानीय टेलीफोन-सुविधा के साथ जोड़ने के बारे में संसद सदस्यों और दूसरे लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) जी हां। "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड" (एन.सी.आर.), प्रधान मंत्री कार्यालय तथा सांसदों से "एन.सी.आर." के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों, विशेषकर खुर्जा को दिल्ली से सीधा जोड़ने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) निर्धारित नीति के अनुसार, स्थानीय कॉल सुविधा सामान्यत: किसी तहसील की "कम दूरी के प्रभारण-क्षेत्र" (एस.डी.सी.ए.) के भीतर ही उपलब्ध कराई जाती है। तथापि, 180 सेकण्ड की पल्स-दर (अर्थात् बिना एस.टी.डी. कोड की इंटर डायलिंग) की स्थानीय कॉल सुविधा निम्न आधार पर उपलब्ध कराई जाती है:-

(1) दो सन्निकट "एस.डी.सी.ए." के बीच,

(2) जब दो "एस.डी.सी.ए." के "कम दूरी के प्रभारण-केंद्रों (एस.डी.सी.सी.) की अरीय दूरी 20 कि.मी. तक हो।

यही मानदण्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के संबंध में भी लागू है। चूंकि खुर्जा व दिल्ली के "पृथक एस.डी.सी.ए." आपस में सटे नहीं है तथा उनके "एस.डी.सी.सी." के बीच की दूरी भी 20 कि.मी. से अधिक है, अत: खुर्जा व दिल्ली के बीच 180 सेकण्ड की पल्स-दर (अर्थात् बिना एस.टी.डी. कोड की इंटर डायलिंग) की स्थानीय कॉल-सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

गुजरात के लिए योजना

2728. श्री जयसिंहजी चौहान: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु किसी योजना का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान गुजरात को कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(घ) गुजरात सरकार द्वारा वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तुत अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) किसी क्षेत्र की आयोजना और विकास तथा इस प्रयोजनार्थ निधियों का आवंटन मूलत: संबंधित राज्य सरकार का दायित्व होता है। योजना आयोग ने स्वत: किसी क्षेत्र की पिछड़े क्षेत्र के रूप में पहचान नहीं की है। तथापि, केन्द्र सरकार, राज्यों के बीच सामान्य केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले फार्मूले में पिछड़ेपन को उपयुक्त महत्व देते हुए पिछड़े क्षेत्रों के विकास में योगदान देती है। इसके अलावा, विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों, जैसे सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजातीय, उप-योजना आदि, के लिए गुजरात सहित, विभिन्न राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता आवंटित की जाती है।

(घ) और (ङ) योजना आयोग के पास कोई भी प्रस्ताव अनुमोदनार्थ लम्बित नहीं है।

[अनुवाद]

ड्रॉट एनिमल केन्द्र

2729. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में पशु ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है;

(ग) क्या सहायता और नीति के अभाव में ड्रॉट एनिमल पावर (डी.ए.पी.) के प्रयोग का ह्रास हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डी.ए.पी. के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कार्यक्रम बनाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) सातवीं योजना में पशु ऊर्जा केन्द्र की स्थापना के लिए एक योजना थी। तथापि, वित्तीय अड़चनों के कारण इस केन्द्र की स्थापना नहीं हो पाई।

(ग) और (घ) भारवाही पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती रही है। वर्ष 1987 की पशु गणना के अनुसार, लगभग 68 मिलियन भारवाही पशु थे जिनकी संख्या वर्ष 1992 की पशु गणना के अनुसार बढ़कर लगभग 73.5 मिलियन हो गई। देश में भारवाही पशु क्षमता के उपयोग में सुधार लाने के लिए विभिन्न राज्यों में उन्नत पशु ऊर्जा युक्तियों के प्रदर्शन के लिए पशु ऊर्जा कार्यक्रमों की सहायता की जा रही है।

[हिन्दी]

आम की पैदावार में गिरावट

2730. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष महाराष्ट्र में आम की पैदावार में भारी गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या आम की पैदावार बढ़ाने हेतु सरकार ने कोई योजना तैयार की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) सरकार को इस वर्ष महाराष्ट्र में आम की फसल में भारी गिरावट के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। देश के विभिन्न भागों में आम का कम उत्पादन हुआ है, जिसका मुख्य कारण इस प्रकार है:- विस्तारित वर्षा ऋतु जैसी मौसम की प्रतिकूल स्थितियां, तापक्रम में उतार-चढ़ाव जिसके कारण कम पुंष्पण और बाद में परागण तथा पराग अंकुरण की विफलता तथा कृमियों और रोगों का आक्रमण।

(ग) सरकार "उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और शुष्क क्षेत्रीय फलों के विकास, पर एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम क्रियान्वित कर रही है, जिसके अधीन क्वालिटी पौधरोपण सामग्री की आपूर्ति, जराग्रस्त बागानों का सुधार, कृषक प्रशिक्षण और क्षेत्र विस्तार जैसे विभिन्न उपायों के जरिए फलों, जिसमें आम शामिल है, के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता दी जाती है।

झंझारपुर में टी.वी. ट्रांसमीटर

2731. श्री सुशील कुमार सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के झंझारपुर जिले में एक टी.वी. ट्रांसमीटर लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लगाया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) और (ख) झंझारपुर, बिहार में टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए इस समय कोई स्वीकृत स्कीम नहीं है।

राजदूतों की नियुक्ति

2732. प्रो. जोगेन्द्र कवाडे: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने देशों में भारत सरकार द्वारा राजदूत/उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं;

(ख) विदेशों में राजदूतों/उच्चायुक्तों की नियुक्ति के संबंध में क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ग) इनमें से कितने राजदूत/उच्चायुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जिन देशों में आवासी राजदूत/हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, उनकी संख्या 110 है। इनमें से कई साथ-साथ दूसरे देशों के कार्य को भी देखते हैं।

(ख) राजदूतों/हाई कमिश्नरों की नियुक्ति अन्य बातों के साथ-साथ पद के लिए वरिष्ठता, सेवा वृत्तान्त, पृष्ठ भूमि, प्रासंगिक अनुभव, उपयुक्तता जैसी बातों को ध्यान में रख कर की जाती है।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के राजदूतों/हाई कमिश्नरों की संख्या 22 है।

उत्तर प्रदेश में तारघर

2733. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में डाकघरों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 1998-99 के दौरान राज्य में और अधिक तारघर खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) टेलीग्राफ ट्रैफिक की मात्रा पर ध्यान दिए बिना प्रत्येक जिला मुख्यालय में तार घर प्रदान करने की विभाग की नीति को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1998-99 के दौरान 10 जिला मुख्यालयों नामत: चंदौली, महोबा, कन्नौज, औरैया, संत कबीरदास नगर, बलरामपुर, छत्रपति शाहुजी महाराजनगर, सरस्वती, कौशाम्बी और चंपावत में तार सुविधा का उन्नयन करने का प्रस्ताव है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अपराधियों का प्रत्यर्पण

2734. श्री आर. साम्बासिवा राव: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपराधियों के सरगना दाउद इब्राहिम उसके भाइयों और अन्य निकट सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) क्या सरकार की संयुक्त अरब अमीरात के साथ कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है;

(ग) यदि हां, तो सरकार उक्त का प्रत्यर्पण किस प्रकार से कराएगी;

(घ) क्या सरकार ने पहले ही दुबई से इस मामले पर बातचीत आरम्भ कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) सरकार को दाउद इब्राहीम और उसके संबंधियों अथवा निकट सहयोगियों को गिरफ्तार किए जाने के बारे में कोई पक्की खबर नहीं मिली है।

(ख) संयुक्त अरब अमीरात के साथ प्रत्यर्पण संधि की बातचीत चल रही है और आशा है कि दोनों देशों द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् यह संधि औपचारिक रूप से सम्पन्न हो जाएगी।

(ग) से (ङ) सरकार ने यह मामला संयुक्त अरब अमीरात के साथ उठाया है। सरकार तथाकथित भगोड़े अपराधियों को भारत में कार्यवाही करने के उद्देश्य से वापस लाने के हर संभव कानूनी और राजनयिक उपाय कर रही है।

केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म

2735. श्री जुआल उराम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के कोरापुट जिले के केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म सुनोबेदा के निदेशक कार्यालय में हुए कदाचार के खिलाफ कर्मचारियों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

उड़ीसा के कोरापुट जिले के केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, सूनाबेडा के निदेशक के कार्यालय में हुए कदाचार के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) ये शिकायतें अन्य बातों के अलावा फार्म के निदेशक और कुछ अधिकारियों की कथित तानाशाही और अभद्र व्यवहार तथा संसाधनों का दुरुपयोग और अन्य प्रशासनिक मामलों से भी संबंधित है।

(ग) मंत्रालय के अधिकारियों को फार्म के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करने के लिए निरन्तर फार्म का दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

कपास का उत्पादन

2736. श्री संदीपान थोरात: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं योजना के दौरान वर्षवार और राज्यवार देश में कपास की खेती के अंतर्गत क्षेत्र, इसके उत्पादन और प्रति हैक्टेयर इसकी उपज का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष और नौवीं योजना अवधि के दौरान देश में कपास की मांग तथा पूर्ति तथा कपास के आयात/निर्यात की अनुमानित मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कपास की उपज बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी निगम की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में कपास के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाएं कौन-कौन सी हैं; और

(च) हाल ही में किए गए कपास संबंधी अनुसंधान और विकास कार्यक्रम की समीक्षा और नौवीं योजनावधि के दौरान प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) 8वीं योजना के दौरान देश में कपास के क्षेत्र, उत्पादन और प्रति है. उपज का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) चालू वर्ष (1998-99) के दौरान कपास की मांग और उत्पादन क्रमश: 165.50 लाख गांठें और 146.70 लाख गांठें (प्रत्येक 70 कि.ग्रा.) होने का अनुमान है। नौवीं योजना (2001-02) में कपास उत्पादन का प्रक्षेपण 193 लाख गांठें हैं।

इस समय कच्चे कपास का आयात ओ.जी.एल. के अंतर्गत किया जा रहा है और इस पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगायी जा रही है। आयात के लिए सरकार सुसंगत तथ्यों पर विचार करके देश में कपास की मांग और आपूर्ति की स्थिति का आकलन करने के बाद ही निर्यात के लिए कोटा जारी करती है। साधारणतया कपास के निर्यात के लिए किसी लक्ष्य का अनुमान नहीं लगाया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) कृषि मंत्रालय ने कपड़ा मंत्रालय के सहयोग से एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इस मिशन के चार लघु मिशन होंगे। लघु मिशन-I भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चलाया जायेगा और इससे उत्पादन बढ़ाने हेतु कपास प्रौद्योगिकी का विकास होगा जब कि कृषि एवं सहकारिता विभाग लघु मिशन-II के माध्यम से कपास उत्पादन के विस्तार और विकास से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों जैसे कि रेशा रहित बीजों का उत्पादन, प्रशिक्षण,

समेकित कीट प्रबंध का प्रचार-प्रसार करना, स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई प्रणाली के द्वारा सिंचाई के अंतर्गत और अधिक क्षेत्र लाकर जल के उपयोग की क्षमता में वृद्धि करना आदि में तेजी लायेगा। लघु मिशन-III और IV के क्रियान्वयन में कपड़ा मंत्रालय एक नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा जिनका उद्देश्य क्रमश: कपास विपणन की बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाना और गिनिंग/प्रेसिंग कारखानों का आधुनिकीकरण करना है।

(ङ) गहन कपास विकास कार्यक्रम नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 11 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों यथा-आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार और क्रियान्वयनकारी राज्य 72:25 के आधार पर वित्तपोषण करते हैं। इस स्कीम में पौध संरक्षण उपकरणों स्प्रिंकलर सेटों की आपूर्ति, बीजों की आपूर्ति आई.पी.एम. प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण, कृषक प्रशिक्षण आदि घटक हैं।

(च) अखिल भारतीय समन्वित कपास अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत उड़ीसा राज्य में नौवीं योजना में एक नये केन्द्र का प्रस्ताव किया गया है। नौवीं योजना के दौरान प्रस्तावित कपास प्रौद्योगिकी मिशन के लघु मिशन-I के अंतर्गत, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उच्च उत्पादन तथा कम समय में तैयार होने वाली संकर/किस्में जो विभिन्न कृषि जलवायुवीय परिस्थितियों का सामना कर सकें, के विकास पर ध्यान देगा। नर वंध्याकरण प्रणाली और समेकित कीट प्रबंध के माध्यम से ट्रांसजोनिक्स और संकर किस्मों के विकास पर उचित ध्यान दिया जायेगा।

विवरण

कपास का राज्यवार क्षेत्र, उत्पादन और उपज

क्षे. - क्षेत्र लाख हैक्टेयर
उ. - उत्पादन प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की लाख गांठ
उप. - लिण्ट की उत्पादकता, कि.ग्रा. प्रति है. में

राज्य		1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1		2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	क्षे.	8.05	7.28	8.44	10.59	10.07
	उ.	11.47	13.49	14.26	16.10	18.49
	उप.	242	315	287	259	312
गुजरात	क्षे.	11.51	11.26	12.05	14.10	14.84
	उ.	19.88	16.23	22.69	20.02	26.57
	उप.	294	245	320	265	304

1		2	3	4	5	6
हरियाणा	क्षे.	5.31	5.63	5.57	6.46	6.49
	उ.	14.06	11.24	13.73	12.83	15.04
	उप.	450	339	419	338	394
कर्नाटक	क्षे.	6.30	5.70	6.36	6.74	6.68
	उ.	8.65	7.73	8.22	8.49	9.32
	उप.	234	230	220	214	237
मध्य प्रदेश	क्षे.	4.68	4.89	4.77	5.14	5.27
	उ.	3.53	4.20	3.46	4.23	4.37
	उप.	128	146	123	140	141
महाराष्ट्र	क्षे.	24.80	24.79	27.60	30.65	30.85
	उ.	18.08	26.25	25.00	27.96	31.43
	उप.	124	180	154	155	173
उड़ीसा	क्षे.	0.05	0.03	0.07	0.11	0.14
	उ.	0.04	0.03	0.10	0.22	0.28
	उप.	136	170	250	340	340

1		2	3	4	5	6
पंजाब	क्षे.	6.90	5.77	6.06	7.50	7.42
	उ.	23.14	15.14	17.79	19.50	19.25
	उप.	570	446	499	442	441
राजस्थान	क्षे.	4.76	5.18	4.86	6.06	6.54
	उ.	10.16	8.39	8.75	13.38	13.63
	उप.	363	275	306	375	354
तमिलनाडु	क्षे.	2.67	2.29	2.55	2.61	2.59
	उ.	4.54	4.26	4.40	3.39	3.73
	उप.	289	316	293	221	245
उत्तर प्रदेश	क्षे.	0.12	0.11	0.10	0.14	0.08
	उ.	0.13	0.12	0.12	0.15	0.07
	उप.	184	185	188	177	159
अखिल भारत	क्षे.	75.42	73.20	78.71	90.35	91.22
	उ.	114.02	107.41	118.88	128.61	142.52
	उप.	257	249	257	242	266

कृषि क्षेत्र में निवेश

2737. श्री देवेन्द्र बहादुर राय: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान कृषि क्षेत्र की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कृषि तथा इसके अनुषंगी क्षेत्रों में किए पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात तथा इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु इस पर लगाए गए घरेलू प्रतिबंधों को हटाने पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) वर्ष 1996-97 के लिए नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में वर्तमान कीमतों पर किया गया कुल पूंजी निवेश 31,930 करोड़ रु. है।

(ख) और (ग) कृषि उत्पादों के संचलन एवं घरेलू व्यापार पर आमतौर पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। अपनी स्थानीय आवश्यकताओं में उपयोगी विनिर्दिष्ट जिंसों पर से कुछ राज्यों को छोड़कर लगभग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने बेरोक-टोक संचलन तथा व्यापार के सभी सांविधिक प्रतिबंधों को हटा लिया है।

जम्मू और कश्मीर में दूरसंचार क्षेत्र संबंधी विकास योजना

2738. श्री चमन लाल गुप्त: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99 के लिए जम्मू और कश्मीर में दूरसंचार क्षेत्र संबंधी विकास योजना का ब्यौरा क्या है और इस योजना में शामिल करने के लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ख) सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर के उधमपुर, डोडा जिला (ओड्डर, मरवाह टचन आदि) और कठुआ जिला (बसोहली, बनी आदि) में संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) वर्ष 1998-99 के दौरान 41,600 लाइनों की अतिरिक्त स्विचन क्षमता के साथ 30000 नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये जाने की योजना बनायी गयी है। इस योजना में जिन स्थानों को कवर किये जाने की संभावना है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) ऊधमपुर गौण स्विचन क्षेत्र जिसमें डोडा जिला भी शामिल है, में 2000 लाइनों की अतिरिक्त स्विचन क्षमता के साथ 1000 नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये जाने की योजना बनायी गयी है। तथापि डोडा जिले के ओड्डर, मरवाह, डायन में सड़क तथा बिजली जैसी मौलिक अवस्थापना नहीं है। इन स्थानों में कोई पंजीकृत मांग भी नहीं है। पर्याप्त पंजीकृत मांग प्राप्त हो जाने के पश्चात् इन स्थानों के लिए टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना बनायी जाएगी। काटी जिले में बसोहली तथा बानी को टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गयी है।

विवरण

वर्ष 1998-99 के दौरान विस्तार कार्यक्रम और खोले जाने वाले नए टेलीफोन एक्सचेंज

उपस्कर तथा अवसंरचना की उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित एक्सचेंजों का विस्तार/उन्नयन करने का प्रस्ताव है।

1. श्रीनगर
2. जम्मू
3. राजौरी
4. ऊधमपुर
5. बाड़ीब्राम्हण
6. अनंतनाग
7. बांदीपुर
8. नरवाल
9. टांगदर
10. मीरनसाहब

11. बसोहली

12. बरवाल

13. जाख

14. सीधरा-

15. अधकुवांरी

16. वैष्णोदेवी

17. गंदेरवाल

18. चदूरा

19. कृपवाड़ा

20. पुलवामा

21. गढ़ी

22. शोपियन

नए टेलीफोन एक्सचेंज

1. सुखेखचन

2. खून

3. बामला

4. सोनमर्ग

5. सुचानी

6. बीरपुर

फरीदाबाद में डाक और तारघर

2739. डा. रवि मल्लू : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फरीदाबाद जिले में कितने डाक और तारघर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या जिले में डाक और तारघरों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्ष 1998-99 के दौरान नए डाक और तारघर खोलने और जिले में विद्यमान उक्त कार्यालयों के उन्नयन के लिए कोई कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ): (क) फरीदाबाद जिले में 126 डाकघर (जिनमें 6 संयुक्त डाक-तार घर भी शामिल हैं) तथा एक स्वतंत्र तारघर कार्य रहा है।

(ख) से (ङ) जिले में डाक व तारघरों की कमी नहीं है।

डाक : एन.आई.एफ.एम. फरीदाबाद में दिनांक 12.06.98 को एक विभागीय उप डाकघर खोला गया था। वर्ष 1998-99 में फरीदाबाद में एक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

तार : वर्ष 1998-99 के दौरान मौजूदा संयुक्त डाक-तारघरों का तारघर के बतौर दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधि

2740. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत गुजरात के प्रत्येक संसद सदस्य को इस योजना के आरंभ से आज तक प्रतिवर्ष कुल कितनी धनराशि स्वीकृत, आबंटित तथा जारी की गई;

(ख) धनराशि के जारी किए जाने में विलम्ब, यदि कोई हों, के क्या कारण हैं;

(ग) गुजरात के संसद सदस्यों द्वारा संस्तुत किए गए उन कार्यों का ब्यौरा क्या है जिन पर विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में विचार किया गया तथा पूरा कर लिया गया; और

(घ) गुजरात में ऐसे कार्य कब तक पूरे हो जाएंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) 5 लाख रुपए की राशि वर्ष 1993-94 के लिए प्रत्येक संसद सदस्य को अवमुक्त की गई थी। वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के लिए अवमोचित राशि प्रति वर्ष प्रत्येक संसद सदस्य के लिए 1 करोड़ रुपए थी। वर्ष 1997-98 से पिछली प्रगति के आधार पर निधियां 50 लाख रुपए की दो बराबर किस्तों में अवमुक्त की जा रही हैं। वर्ष 1997-98 और 1998-99 के लिए अवमुक्त निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों में किए गए उल्लेख के अनुसार इस योजना के अंतर्गत निधियों का अवमोचन निर्माण कार्यों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति को ध्यान में रखते हुए दो किस्तों में किया जाता है। वर्ष 1997-98 से यह निर्णय किया गया कि उन संसद सदस्यों को निधियां अवमुक्त की जाएं जिनके खाते में अस्वीकृत अधिशेष राशि 50 लाख रुपए से कम हों। तदनुसार संबद्ध जिला कलेक्टरों से व्यय विवरण के मिल जाने पर निधियां अवमुक्त की जा रही हैं। उन मामलों में जहां या तो अस्वीकृत अधिशेष राशि 50 लाख से अधिक हो या संबद्ध कलेक्टर से सूचना नहीं मिली हो, निधियां अवमुक्त नहीं की जा रही हैं।

(ग) और (घ) संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित निर्माण कार्यों का योजनावार ब्यौरा कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा नहीं रखा जाता है। यहां केवल अवमुक्त राशि, स्वीकृत राशि और किए गए व्यय को दर्शाने वाली एक समग्र तस्वीर जो कि जिला कलेक्टरों से प्राप्त होने वाली रिपोर्ट के आधार पर बनाई जाती है, उपलब्ध होती है। कलेक्टरों से प्राप्त सूचना के अनुसार, योजना के आरंभ होने से लेकर 30.11.1998 तक गुजरात राज्य को कुल मिलाकर 154.85 करोड़ रुपए की राशि अवमुक्त की जा चुकी है जिसमें से 131.01 करोड़ रुपए की लागत वाले निर्माण कार्यों को स्वीकृत किया जा चुका है जब कि वास्तविक व्यय 84.13 करोड़ रुपए तक ही हुआ है।

विवरण

11.12.98 की स्थिति के अनुसार वर्ष 1997-98 की पहली एवं दूसरी किस्तों एवं वर्ष 1998-99 की पहली एवं दूसरी किस्तों के लिए जारी धनराशि का विवरण

गुजरात

क्र.सं.	निर्वाचन क्षेत्र	लोक सभा संसद सदस्य का नाम	(1997-98) किस्त		(1998-99) किस्त	
			पहली	दूसरी	पहली	दूसरी
1	2	3	4	5	6	7
1.	अहमदाबाद	श्री हरिन पाठक	20/06/97	04/12/97		
		श्री हरिन पाठक	–	–	03/07/98	10/11/98

1	2	3	4	5	6	7
2.	अमरेली	श्री दिलीप संघानी	11/08/97	-		
		श्री दिलीप संघानी	-	03/07/98	28/08/98	-
3.	आनन्द	श्री ईश्वरभाई कोडाभाई चावड़ा	04/09/97	-		
		श्री चावडा ईश्वरभाई कोडाभाई	-	10/07/98	18/05/98	26/11/98
4.	बनासकांठा	श्री बी.के. गढ़वी	06/08/97	-		
		श्री चौधरी हरीबहल पार्थीभाई	-	24/03/98	16/06/98	-
5.	बड़ौदा	श्री सत्याजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़	11/08/97	04/12/97		
		श्री ठक्कर जयाबेन भरतकुमार	-	-	16/06/98	-
6.	भावनगर	श्री आर.जी. राणा भाई	04/09/97	-		
		श्री राणा राजेन्द्रासी एन.एच. धनश्यामसिंह	-	03/07/98	28/08/98	-
7.	भड़ोच	श्री चन्दूभाई देशमुख	20/06/97	-		
		श्री चन्दूभाई साना भाई देशमुख	-	-	-	-
8.	बलसार (अ.जन.जा.)	श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी	28/10/97	-		
		श्री चौधरी मणिभाई रामजीभाई	-	10/07/98	03/08/98	-

1	2	3	4	5	6	7
9.	छोटा उदयपुर (अ.जन.जाति)	श्री एन.जे. रथवा	11/08/97	04/12/97		
		श्री नरनभाई जेमलभाई रथवा	–	–	16/06/98	–
10.	धधुंका (अ.जा.)	श्री रतीलाल कालीदास वर्मा	04/12/97	–		
		श्री वर्मा रतीलाल कालीदास	–	03/07/98	28/08/98	–
11.	दोहाद (अ.जन.जा.)	श्री सोमजीभाई पी. डमोर	–	–		
		श्री डमोर सोमजीभाई पंजाभाई	03/07/98	02/12/98	–	–
12.	गांधीनगर	श्री विजय पटेल	04/12/97	–		
		श्री आडवाणी लालकृष्ण	–	21/07/98		–
13.	गोधरा	श्री शांतिलाल प्रघोतदास पटेल	20/06/97	–		
		श्री पटेल शांतिलाल प्रघोतमदास	–	03/07/98	02/12/98	–
14.	जामनगर	श्री के.वी.सी पटेल (चन्द्रेश)	20/06/97	04/12/97		
		श्री कोराडिया चन्द्रेशभाई वल्जी	–	–	21/07/98	–
15.	जूनागढ़	श्रीमती भावनाबेन डी. चिखलिया	13/08/97	–		
		श्रीमती चिखलिया भावनाबेन देवराजभाई	–	24/03/98	03/07/98	–

1	2	3	4	5	6	7
16.	केरा	श्री दिनशा पटेल	04/09/97	–		
		श्री दिनशा पटेल	–	24/03/98	18/09/98	–
17.	कपाडवंज	श्री जयसिंहजी एम. चौहान	28/10/97	–		
		श्री चौहान जयसिंह जी	–	03/07/98		–
18.	कच्छ	श्री पी.एस. गढ़वी	–	–		
		श्री गढ़वी पुष्पादन संभुदन	24/03/98	03/07/98	02/12/98	–
19.	मांडवी (अ.जन.जा.)	श्री छिटूभाई डी. गामीत	20/06/97	–		
		श्री गामित छिटूभाई देवजीभाई	–	03/08/98	18/05/98	02/12/98
20.	मेहसाना	डा. ए.के. पटेल	24/11/97	–		
		डा. ए.के. पटेल	–	27/03/98	10/07/98	–
21.	पाटन (अ.जा.)	श्री महेश कुमार एम. कनौडिया	24/11/97	–		
		श्री कनौडिया महेश कुमार मिठाभाई	–	27/03/98	10/07/98	–
22.	पोरबंदर	श्री गोरधनभाई जे. जेविया	20/06/97	–		
		श्री जेविया गोरधनभाई जादवभाई	–	03/07/98	28/08/98	–
23.	राजकोट	डा. बल्लभभाई आर. काठिरिया	16/07/97	–		
		श्री डा. काठिरिया बल्लभभाई रामजीभाई	–	03/07/98		–

1	2	3	4	5	6	7
24.	साबरकांठा	श्रीमती निशा ए. चौधरी	16/07/97	–		
		श्री निशाबेन अमरसिंहभाई चौधरी		03/07/98	02/12/98	–
25.	सूरत	श्री कांशीराम राणा	30/09/97	–		
		श्री कांशीराम राणा	–	03/08/98	–	–
26.	सुरेन्द्रनगर	श्री सनत मेहता	10/10/97	–		
		श्री दवे भावनाबेन कर्दमकुमार	–	02/12/98	–	–

टिप्पणी :

पहला नाम 11वीं लोक सभा के संसद सदस्य का है।

दूसरा नाम 12वीं लोक सभा के संसद सदस्य का है।

11.12.98 की स्थिति के अनुसार वर्ष 1997-98 की पहली एवं दूसरी किस्तों एवं वर्ष 1998-99 की पहली एवं दूसरी किस्तों के लिए जारी धनराशि का विवरण

राज्य : गुजरात — राज्य सभा

क्र.सं.	चुना गया जिला	राज्य सभा सांसद का नाम	(1997-98) किस्त		(1998-99) किस्त	
			पहली	दूसरी	पहली	दूसरी
1	2	3	4	5	6	7
राज्य सभा के वर्तमान संसद सदस्य						
1.	बड़ोदरा	श्रीमती ढर्मिलाबेन चिमनभाई पटेल	24/11/97		–	–
2.	अहमदाबाद	श्री राजूभाई ए. परमार	23/07/98	10/11/98	–	–
3	राजकोट	श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ला	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
4.	भड़ोच	श्री अहमद पटेल	24/11/97	10/09/98	18/09/98	-
5.	खेड़ा	श्री माधवसिंह सोलंकी	04/09/97	19/03/98	18/09/98	-
6.	बड़ोदरा	श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ	-	-	-	-
7.	अहमदाबाद	श्री ब्रह्म कुमार भट्ट	04/12/97	10/11/98	-	-
8.	कछ	श्री अनंतराय देवशंकर दवे	06/08/97	18/03/98	03/07/98	02/12/98
9.	सुरेन्द्रनगर	श्री बंगारू लक्ष्मणजी बी. नरसिम्हा		-	18/05/98	-
10.	पंचमहल	श्री गोपालसिंह जी. सोलंकी	-	-	-	-
11.		श्री प्रफुल्ल गोंडिया	-	-	-	-
राज्य सभा के निवर्तमान संसद सदस्य						
12.	अहमदाबाद	श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल	20/06/97	04/12/97	-	-
13.	भड़ोच	श्री कनकसिंह एम. मंग्रोला	-	-	-	-

[हिन्दी]

नृत्य, नाटक और संगीत मंडलियों को सहायता

2741. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विदेश में कार्यक्रम प्रस्तुत कर देश की अच्छी छवि प्रस्तुत करने के लिए नृत्य, नाटक और संगीत मंडलियों, जिन्हें सहायता दी जा सके, की सूची तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सूचीबद्ध मंडिलयों को केन्द्र सरकार ने भारतीय राजदूतों के माध्यम से प्रकाशन और कार्यक्रमों के निर्माण के लिए कोई सहायता उपलब्ध कराई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) से (ग) विदेश मंत्रालय के अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्था भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद विदेशों में कार्यक्रम देने के लिए उनके द्वारा तैयार किए गए सन्दर्भ चैनल के अनुसार नृत्य/संगीत/लोक-नृत्य तथा रंगमंच के क्षेत्र के कलाकारों/ग्रुपों को भारतीय दूतावासों के साथ समन्वय करते हुए मेजबान देशों की मांग के अनुसार प्रायोजित करती है/सहायता करती है। कलाकारों/ग्रुपों के खान-पान, आवास, स्थानीय परिवहन साधनों, अन्त:शहर भ्रमण, कार्यक्रमों के प्रस्तुतिकरण तथा प्रचार आदि में संबंधित दूतावास सहायता करते हैं।

[अनुवाद]

परमाणु परीक्षण

2742. श्री प्रणब मुखर्जी :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 नवम्बर, 1998 के ''स्टेट्समैन'' में प्रकाशित ''विक्टिमाइज्ड फॉर अपोजिंग न्यूक्लियर टेस्ट'' शीर्षक से समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक वैज्ञानिकों ने उनमें से एक को भारत के परमाणु परीक्षणों के विरूद्ध बोलने के लिए दंडित करने के प्रयास का विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में वैज्ञानिकों को परेशान किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ''गणित विज्ञान संस्थान'' (आई.एम.एस.) में काम कर रहे सैद्धांतिक भौतिकज्ञ, डा टी. जयरामन ने एक लेख लिखा था जो अगस्त, 1998 में ''वॉयसेज अगेंस्ट न्यूक्लियर वैपन्स'' प्रकाशन में प्रकाशित हुआ था। इस लेख का शीर्षक था ''इंडियन साइन्स आफ्टर पोखरण-II''। लेख में विशेष रूप से परमाणु परीक्षण के संबंध में वर्तमान सरकार की नीति की आलोचना की गई है। लेख में तीव्र राजनैतिक झुकाव का संकेत मिलता है और इस प्रकार गणित विज्ञान संस्थान के आचरण नियम के प्रावधान का उल्लंघन किया गया है। प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

नियम 5

(2) कोई कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना, या अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन यथार्थ रूप में करते हुए, रेडियो के किसी प्रसारण में भाग नहीं लेगा अथवा किसी समाचार-पत्र या आवधिक पत्रिका में गुमनाम रूप से या अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से कोई लेख नहीं देगा अथवा कोई पत्र नहीं लिखेगा।

नियम 6

कोई कर्मचारी किसी रेडियो प्रसारण में अथवा गुमनाम रूप से या उसके अपने नाम से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी दस्तावेज में अथवा किसी प्रैस सूचना में अथवा किसी सार्वजनिक वक्तव्य में, कोई ऐसा तथ्यात्मक विवरण अथवा मत नहीं देगा:-

(i) जिसका प्रभाव सरकार/संस्थान की किसी मौजूदा अथवा हाल की किसी नीति अथवा कार्रवाई की प्रतिकूल आलोचना के रूप में हो; अथवा

(ii) जो संस्थान के, तथा केन्द्रीय सरकार के अथवा किसी अन्य राज्य सरकार या किसी अन्य संस्थान या संगठन या जनता के लोगों के बीच संबंधों को खराब करने की क्षमता रखता हो।

चूंकि डा. टी. जयरामन द्वारा लिखा लेख गणित विज्ञान संस्थान के आचरण नियमों के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन कर रहा था, अत: परमाणु ऊर्जा विभाग ने सितम्बर, 1998 में संस्थान के निदेशक से डा. जयरामन के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा। संस्थान के निदेशक ने नवम्बर, 1998 में रिपोर्ट दी कि उन्होंने इस संबंध में डा. जयरामन को एक औपचारिक चेतावनी दे दी है।

यह सच है कि कुछ वैज्ञानिकों ने, गलतफहमी में यह सोचकर कि डा. जयरामन के विरुद्ध कार्रवाई इस वजह से की जा रही है कि उन्होंने भारत के परमाणु परीक्षणों के खिलाफ लिखा है, गणित विज्ञान संस्थान के निदेशक को पत्र लिखा था जिसमें डा. जयरामन के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का विरोध किया गया था। वैज्ञानिकों द्वारा लिखे पत्र के भाव में यह सुझाया जाना प्रतीत होता है कि ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई ''जांच की भावना'' के खिलाफ जाएगी, ''जोकि वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए जरूरी है।'' सच यह है कि डा. जयरामन के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव केवल इस वजह से दिया गया था कि उनका लेख एक वैज्ञानिक लेख होने से ज्यादा एक राजनैतिक वक्तव्य के रूप में था जोकि संस्थान के आचरण नियमों के अनुसार अनुमेय नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पिछड़े जिलों के विकास संबंधी योजना

2743. श्री अरविंद काम्बले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के पिछड़े जिलों के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में जिलावार प्रदान की गयी राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान इन राज्यों के ऐसे जिलों के विकास हेतु सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा और क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) इन राज्यों के ऐसे कितने जिले हैं जिन्हें सरकार द्वारा सबसे पिछड़ा हुआ जिला घोषित करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) किसी क्षेत्र की आयोजना और विकास तथा इस प्रयोजनार्थ निधियों का आवंटन मूलत: संबंधित राज्य सरकार का दायित्व होता है। योजना आयोग ने स्वत: किसी क्षेत्र की पिछड़े क्षेत्र के रूप में पहचान नहीं की है। तथापि, केन्द्र सरकार, सामान्य केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले फार्मूले में पिछड़ेपन को उपयुक्त महत्व देते हुए पिछड़े जिलों के विकास में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित, राज्य सरकारों के प्रयासों को पूर्णता प्रदान करती हैं। इसके अलावा, विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों तथा विभिन्न गरीबी उन्मूलन स्कीमों के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता आवंटित की जाती है।

पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश

2744. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के सहायक और अनुभाग अधिकारी कैडेर को केन्द्रीयकृत करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सिफारिशों का आधार क्या है; और

(ग) उक्त सेवाओं में वरिष्ठता, पदोन्नतियों इत्यादि में समरूपता लाने के लिए पांचवें वेतन आयोग की उक्त सिफारिशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है।

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) पांचवें वेतन-आयोग ने केवल केन्द्रीय सचिवालय-सेवा ही प्राथमिकत:, इस आधार पर केन्द्रीकृत किए जाने की सिफारिश की है कि अनुभाग अधिकारी-ग्रेड में भर्ती, केन्द्रीकृत आधार पर की जाती है।

(ग) व्यावहारिक दृष्टि से, सभी केन्द्रीय सचिवालय-सेवाओं को पूर्ण रूप से केन्द्रीकृत करना संभव नहीं है। फिर भी, क्षेत्र-निर्धारण संबंधी योजना के माध्यम से, पदोन्नति के संबंध में अंत: संवर्गीय असमानता, कम से कम होने दी जाती है तथा एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में स्थानांतरित अधिकारियों की वरिष्ठता बरकरार रखे जाने के संबंध में विनियम हैं।

मुम्बई दूरदर्शन में धोखाधड़ी

2745. डा. शकील अहमद: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "टाइम एंड स्पेस मीडिया इंटर प्रोमोशन्स लि." मुम्बई के मालिक तथा अधिकारी दूरदर्शन के कई लाख रुपये हड़प गए;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य तथा ब्यौरा क्या है और इस धोखाधड़ी में लिप्त दूरदर्शन के अधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) ऐसी रिपोर्ट है कि दूरदर्शन की कतिपय प्रत्यायित विज्ञापन एजेन्सियों ने मैसर्स टाइम एण्ड स्पेस मीडिया इन्टर प्रमोशन्स लिमिटेड पर कई अनाचारों में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। तथापि, दूरदर्शन हैदराबाद जहां ऐसा होने की सूचना मिली है, ने मैसर्स टाइम एण्ड स्पेस मीडिया इन्टर प्रमोशन्स लिमिटेड के साथ कोई अनुबन्ध नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सिंचाई परियोजना

2746. **श्री अजमोहन राम:** क्या प्रधान-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार से संबंधित सभी स्वीकृत सिंचाई परियोजनाओं का सम्पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) बिहार के मुख्यमंत्री तथा योजना आयोग के बीच इस वर्ष हुई बैठक के समय बिहार सरकार द्वारा रखे गये प्रस्तावों का विवरण क्या है; और

(ग) इन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है तथा आयोग द्वारा इनके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) योजना आयोग द्वारा जुलाई, 1998 में सोन नहर आधुनिकीकरण चरण-I नामक एक परियोजना को 235.93 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के साथ निवेश स्वीकृति दी गई है।

(ख) और (ग) योजना आयोग के उपाध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री के बीच राज्य की वार्षिक योजना 1998-99 को अंतिम रूप देने के लिए 9.10.1998 को हुई बैठक में, बिहार की वार्षिक योजना 1998-99 के लिए 3768.74 करोड़ रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। वार्षिक योजना के वित्तपोषण की स्कीम में, राज्य के स्वयं के संसाधनों से 1749.39 करोड़ रु. तथा केन्द्रीय सहायता के रूप में 2019.35 करोड़ रु. शामिल हैं। केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत उदिदष्ट की गई निधियों में 383.32 करोड़ रु. न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के लिए, 24.25 करोड़ रु. गंदी बस्ती-विकास के लिए, 48.8 करोड़ रु. जनजातीय उप-योजना तथा 60 करोड़ रु. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए शामिल हैं। इसमें बाढ़ से प्रभावित आधार संरचना के पुनर्निर्माण के लिए 75 करोड़ रु. भी शामिल हैं, जिसमें से 35 करोड़ रु. मुकामा ताल में पानी-जमाव की समस्या दूर करने के लिए हैं।

[अनुवाद]

दीर्घावधि कार्य योजना

2747. **श्री भर्तृहरि मेहताब:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार और उड़ीसा सरकार के बीच कालाहांडी, बोलंगीर और कोरापुट की दीर्घावधि कार्य योजना के लिए धनराशि प्रदान करने के बारे में कोई विवाद है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के 5527.41 करोड़ रुपये से 6251.07 करोड़ रुपये का प्राक्कलन में संशोधन करने के बावजूद भी विशेष अनुदान की स्वीकृति नहीं देने के कारण उक्त कार्यक्रम स्वत: ही असफल हो रहा है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा सरकार से परियोजना लागत की 50 प्रतिशत के बराबर राशि देने को कहा है तथा एल.टी.ए.पी. के लिए अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति देने के अपने वायदे से मुकर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो 31 अक्तूबर, 1998 तक जारी राशि का ब्यौरा क्या है;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) उच्च प्राथमिकता वाली स्कीमों, जो कोरापुट, बोलंगीर और कालाहांडी (केबीके) के अविभाजित जिलों की बुनियादी समस्याओं का समाधान करेगी, पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से उड़ीसा सरकार को एक संशोधित, दीर्घावधि कार्य योजना (1998-99 से 2006-07) तैयार करने के लिए कहा गया था। इस योजना में केन्द्रीय योजना और विभिन्न क्षेत्रकों अर्थात् कृषि, बागवानी, जलसंभर विकास, वानिकीकरण, ग्रामीण रोजगार, सिंचाई, स्वास्थ्य, पेयजल और ग्रामीण सम्बद्धता, की केन्द्र प्रायोजित स्कीमें शामिल हैं।

चूंकि इनमें से कुछ स्कीमें मांग संचालित हैं और कुछ के लिए मानकों में छूट दिया जाना शामिल है, निधियों का वास्तविक प्रवाह स्कीमों की प्रगति आदि जैसे कारकों पर निर्भर होगा।

(घ) कुछ केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत वित्तपोषण पैटर्न में राज्य सरकारों के भी अंशदान अपेक्षित हैं।

(ङ) इन जिलों के लिए निधियों का एक निश्चित स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें रोजगार आश्वासन स्कीम (ई.ए.एस.) के अन्तर्गत निधियों की पहली किस्त को दो गुना करना और केबीके जिलों के लिए उड़ीसा की वार्षिक योजना 1998-99 में 37 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि का प्रावधान शामिल है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के लिए उपलब्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता में से इन जिलों में 7 करोड़ रुपये आपात भरण-पोषण के लिए तथा 2 करोड़ रुपये चल-स्वास्थ्य यूनिटों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

नैफेड

2748. **श्री जयराम आई.एम. शेट्टी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नैफेड के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने सरकार के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसकी जांच का कार्य सी.बी.आई. को सौंपने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसमें शामिल व्यक्तियों के खिलाफ आगे और क्या कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) नैफेड के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध सेना खरीद संगठन की दलहन आपूर्ति चीनी के आयात, लाल मिर्च के निर्यात आदि के संबंध में वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई है। नैफेड ने सेना खरीद संगठन के साथ सौदे में शामिल 6 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा, मै. दिल्ली राज्य सहकारी विपणन संघ लि. के साथ सौदे में हुई क्षति को पूरा करने के लिए नैफेड ने कानूनी कार्रवाई भी आरम्भ कर दी है।

सेना खरीद संगठन को दालों की आपूर्ति से संबंधित शिकायत को आगे जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है। इस संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। नैफेड के उचित कार्य एवं प्रबंधन के लिए यह मंत्रालय समय-समय पर उसे दिशा-निर्देश एवं निर्देश जारी करता है।

नागालैंड में 'नार्थ-ईस्ट मिरर' कार्यक्रम

2749. **श्री के.ए. सांगतम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा प्रायोजित 'नार्थ-ईस्ट मिरर' कार्यक्रम के तहत नागालैंड को न्यूनतम स्थान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के लिए कुल कितना समय नियत किया गया है और राज्यवार इसमें पूर्वोत्तर राज्यों में प्रत्येक का कितना भाग है;

(ग) क्या सरकार का नागालैंड राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले पृथक कार्यक्रम दिखलाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो यह परियोजना कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) जी, नहीं।

(ख) "नार्थ ईस्ट मिरर" 30 मिनट की अवधि का एक पाक्षिक पत्रिका कार्यक्रम है। इसमें निम्नलिखित पांच खण्ड हैं:-

(1) समूचे उत्तर-पूर्व में गत सप्ताह की समाचार घटनाएं,

(2) उत्तर-पूर्व के सामयिक मुद्दे,

(3) उत्तर-पूर्व की विकासात्मक घटनाएं,

(4) उत्तर-पूर्व की हस्तियां/सफल व्यक्ति, तथा

(5) उत्तर-पूर्व की विरासत/संस्कृति।

नागालैण्ड सहित उत्तर-पूर्व के संबंधित राज्य से संबंधित प्रत्येक एपिसोड में प्रचार एवं जागरूकता संबंधी घटनाओं/मुद्दों को शामिल किया जाता है। इसलिए प्रत्येक उत्तर-पूर्वी राज्य को अलग से समय आबंटित करना व्यवहार्य नहीं है।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, नागाओं के जीवन एवं उत्सवों पर 7 एपिसोड का एक विरासत कार्यक्रम पहले ही प्रसारित किया जा चुका है। इसके अलावा कोन्यकों पर 83 मिनट की एक फिल्म भी बनाई गई है। इसके साथ-साथ, चालू वित्तीय वर्ष में नागालैण्ड के विभिन्न विकासात्मक पहलुओं पर 30-30 मिनट की अवधि के 24 एपिसोड चालू किए गए हैं।

(घ) उपर्युक्त परियोजनाओं को भावी प्रसारण के लिए फरवरी, 1999 के अन्त तक पूरा किए जाने की संभावना है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विरोधाभासी आर्थिक आंकड़े

2750. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 अगस्त, 1998 के "राष्ट्रीय सहारा" में प्रकाशित "अर्थव्यवस्था संबंधी आंकड़े अधिकांशतया विरोधाभासी" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो समाचार से संबंधित तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार ने अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़ों को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी, हां। भारत सरकार ने पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली (पी.एच.डी.) वाणिज्य-मंडल के दिनांक 26 अगस्त, 1998 की प्रेस-रिलीज (मूल अंग्रेजी में) पर आधारित समाचार को देख लिया है, जिसकी एक प्रति विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) तथ्यों संबंधी विषय-वस्तु को संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) सांख्यिकीय आंकड़ों की समय पर उपलब्धता, विश्वसनीयता एवं सुसंगता को सुनिश्चित करने हेतु, सांविधिक समर्थन के साथ, एक प्रस्ताव परिचर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया है। भारतीय सांख्यिकीय पद्धति का संभव बाह्य सहायता से आधुनिकीकरण करने का एक प्रस्ताव भी है।

विवरण-I

(प्रेस रिलीज)

पीएचडी चैम्बर ऑफ
कामर्स एंड इण्डस्ट्री
पीएचडी हाऊस, एशियाई खेल गांव के सामने,
नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 6863801-04, फैक्स : 68631335 : 668392

संख्या पीआर-128
26 अगस्त, 1998

अन्तर्राज्यीय व्यापार तथा लघु उद्योगों के बारे में नियमित आधार पर निर्णायक आंकड़ों की अनुलब्धता के कारण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की सच्ची तस्वीर प्राप्त करने में एक मुख्य बाधा है।

असंगठित औद्योगिक क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) तथा अन्य सरकारी एजेन्सियों द्वारा संचालित किए गए सर्वेक्षण विश्वसनीय आंकड़े नहीं जुटाते हैं बल्कि उनके आंकड़े विरोधाभासी होते हैं। इसे पीएचडी वाणिज्य तथा उद्योग मंडल (पीएचडीसीसीआई) ने एक विश्लेषण में इंगित किया है।

उदाहरण के तौर पर, लघु उद्योग विभाग द्वारा दिए गए मौजूदा अद्यतन के अनुसार भारत में 60 लाख लघु पैमाने की इकाईयां हैं जबकि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) की आर्थिक गणना के अनुसार 140 लाख इकाईयों का अनुमान है। जबकि, उत्पाद शुल्क अभिलेख 30 लाख रुपये से अधिक की कारोबार वाली 32 लाख इकाईयां बताते हैं, विश्लेषण में ऐसा कहा गया है।

कुछ क्षेत्रों में आंकड़ों की उपलब्धता में भी अधिक समय की देरी है। उदाहरण के तौर पर वर्ष 1993-94 हेतु वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (संगठित क्षेत्र) संबंधी सार परिणाम केवल जनवरी, 1997 में प्राप्त हुए थे। ऐसा कहा गया है कि अगस्त, 1997 के अंत में केवल वर्ष 1983-84 हेतु विस्तृत परिणाम उपलब्ध हुए।

इस संदर्भ में, पीएचडीसीसीआई ने सुझाव दिया है कि देश की विकेन्द्रीकृत सांख्यिकीय पद्धति को नियमित तथा एकीकृत करने के लिए एक भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्राधिकरण होना चाहिए। प्राधिकरण को परिभाषाओं तथा संगत कोडों का मानकीकरण के लिए विभिन्न विभागों का मार्गदर्शन करना चाहिए।

विश्लेषण में ऐसा इंगित किया है कि संरचनात्मक सुधार तथा आर्थिक खुलापन के आगमन और औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र संरचनात्मक परिवर्तनों की स्थिति से उपलब्ध आंकड़े केवल ऐतिहासिक महत्व के ही हैं तथा भावी आयोजना के लिए नहीं है।

कृषि में स्थिति और भी खराब है। कृषि मंत्रालय का फसल कैलेण्डर 32 वर्ष पुराना है तथा मुर्गीपालन, विभिन्न

डेरी उत्पादों, समुद्रीय उत्पादों का एक बड़ा भाग, सब्जियों, खुम्बी तथा फूल जैसे मद जीडीपी की गणना में सम्मिलित नहीं है।

इसके अलावा, सेवा क्षेत्र हेतु सर्वेक्षण केवल 5 वर्षों में एक बार किया जाता है जबकि अन्य देश इसे प्रत्येक तिमाही करते हैं। तेजी से बढ़ने वाले सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र इसमें पर्याप्त रूप से शामिल नहीं हैं। एनएसएसओ 1985-86 के अनुसार कुछ राज्यों में एक व्यापारी हेतु प्रति कामगार सकल वर्धित मूल्य नेगेटिव है। इससे इन राज्यों में एक व्यापारी के व्यापार में टिकने के लिए अपनी जेब से भुगतान करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त, अनेक विकसित देशों में आय तथा व्यय सर्वेक्षण संचालित किए जाते हैं। जबकि भारत में उत्पादन को आंशिक रूप से परिकलित किया जाता है तथा आय का आकलन कुछ क्षेत्रों के लिए किया जाता है। मंडल के विश्लेषण में ऐसा कहा गया है कि इन कारकों के कारण जीडीपी को कम बताया जाता है क्योंकि अधिकांश आंकड़े या तो परस्पर-विरोधी होते हैं या उन्हें परिकलित नहीं किया जाता है।

ह.
(गिरीश चन्द्र)
सलाहकार (पीआर)

विवरण-II

अर्थ-व्यवस्था के असंगठित क्षेत्र/लघु उद्योगों के संबंध में लघु उद्योग विकास आयुक्त (डीसीएसएसआई), केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क मण्डल द्वारा अनुपालन की गई परिभाषाओं, अवधारणाओं तथा कवरेज में भिन्नताओं के कारण इन एजेंसियों द्वारा बताई गई इकाईयों की संख्या के आकलन में भिन्नताएं हैं।

2. वास्तव में यह सही है कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन केवल वर्ष 1993-94 हेतु वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के सार परिणामों को जनवरी, 1997 में प्रकाशित कर सका।

3. यह भी सत्य है कि अगस्त, 1997 तक, प्रयोक्ताओं को केवल वर्ष 1983-84 हेतु वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के विस्तृत परिणाम प्राप्त हुए थे। तथापि, आगामी वर्ष 1989-90 हेतु वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के विस्तृत परिणाम जुलाई, 1997 में मुद्रित हो गए थे तथा इसके बाद वितरित कर दिए गए थे। विस्तृत औद्योगिक आंकड़ों की उपलब्धता में समय-अंतराल प्रणाली में ही है।

4. यह सच है कि कृषि मंत्रालय का फसल कैलेण्डर 32 वर्ष पुराना है। यद्यपि, यह सच नहीं है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गणना में मुर्गीपालन, विभिन्न डेयरी उत्पाद, सामुद्रिक उत्पादों की प्रचूर मात्रा, सब्जियों, खुम्बी तथा फूलों जैसी मदों को शामिल नहीं किया गया है। अत: यह संभव है कि इन मदों के सूचित सिस्टम से बाहर होने के कारण, इन मदों के उत्पादन का कुछ भाग जीडीपी की गणना में शामिल नहीं है।

5. यह भी सही है कि सेवा क्षेत्र तीव्र बढ़ोत्तरी वाला है। केवल वैयक्तिक सेवाएं लगभग 5 वर्ष (या इससे भी अधिक) में केवल एक बार सर्वेक्षित की गई हैं। यह भी सच है कि अधिकांशतया विकसित देशों तथा कुछ विकाशशील देशों जैसे इंडोनेशिया तथा फिलीपींस, में ऐसे सर्वेक्षण वर्ष में प्रत्येक तिमाही में एक बार किए जाते हैं। यह भी सही है कि सूचना प्रौद्योगिकी के तीव्रता से बढ़ने वाले क्षेत्रों को पर्याप्त रूप में पकड़ में नहीं रखा गया है।

6. यह भी सही है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के अनुसार, 1985-86 में, व्यापार क्षेत्र में प्रति कामगार सकल वर्धित मूल्य कुछ राज्यों में नेगेटिव आकलित किया गया है।

7. वास्तव में यह सही है कि आय तथा व्यय सर्वेक्षण बहुत से विकसित देशों में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन भारत में आयोजित नहीं किए जाते हैं।

8. इन सभी कारकों के कारण, जीडीपी का आकलन सही नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग

2751. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उद्योग समूहों में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग तेजी से बढ़ते समूहों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या उपर्युक्त तथ्य के बावजूद विश्व बाजार में भारतीय सॉफ्टवेयर निर्यात उद्योग का शेयर एक प्रतिशत से भी कम है;

(घ) यदि हां, तो क्या विश्व बाजार में इस प्रकार के कम शेयर के लिए मुख्य कारणों में से एक अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का विचार इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाने का है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1997-98 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की विकास दर लगभग 33% रही है।

(ग) से (ङ) यह एक उदीयमान उद्योग है। लगभग प्रारम्भिक अवस्था से शुरू करके भारत पिछले दशक में 2.5 बिलियन डॉलर के निर्यात के स्तर तक पहुंच गया है। इसका सीएजीआर निरन्तर 50% से अधिक रहा है। भावी नीतियों का उद्देश्य न केवल इसके आधार का विस्तार करना है, अपितु मूल्य श्रृंखला को भी बढ़ाना है। सरकार ने एक सॉफ्टवेयर सक्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम तैयार किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ डेटा संचार सुविधा, विपणन, अनुसंधान एवं विकास को सुदृढ़ करना तथा देश में आवश्यक संख्या में बढ़िया क्वालिटी के सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों का सृजन करना शामिल है। सरकार ने सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों और इंटरनेट में निजी पूंजी निवेश की भी अनुमति दी है।

बंगलादेश से व्यापार

2752. श्री अमर राय प्रधान: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हल्दीबारी-चिलाहाटी सड़क मार्ग द्वारा बंगलादेश के साथ व्यापार की अनुमति देने से संबंधित प्रस्ताव के गुण-दोषो पर विचार कर रही है, यदि हां, तो कब से;

(ख) इसका परिणाम क्या रहा; और

(ग) भारतीय वस्तुओं के बंगलादेश को निर्यात के हित में इस मार्ग को कब से चालू कराए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) बंगलादेश के साथ व्यापार करने के लिए भारत और बंगलादेश की सरकारें हल्दीबाड़ी-चिलाहाटी होकर सड़क मार्ग चालू करने पर सहमत हुई हैं। 8-9 दिसम्बर, 1998 को ढाका में हुई भारत-बंगलादेश व्यापार समीक्षा वार्ता में इस बात पर ध्यान दिया गया था कि अन्य स्थानों के साथ-साथ हल्दीबाड़ी चिलाहाटी में भी भू-सीमा शुल्क केन्द्र प्रचालन का कार्य चल रहा है। इस मार्ग को खोलने के लिए फिलहाल कोई समय-सीमा तय करना संभव नहीं है।

कम्प्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी

2753. डा. रामचन्द्र डोम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कम्प्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) जी, हां। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अंतर्गत उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक) नामक एक स्वायत्त संस्था ने हाल ही में सामान्य प्रयोजन के परम 10000 उच्च कार्यनिष्पादन कम्प्यूटर का निर्माण किया है, जिसकी उच्चतम अभिकलन क्षमता 100 बिलियन गणितीय प्रचालन प्रति सेकेण्ड है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन और राष्ट्रीय वांतारिक्ष प्रयोगशाला ने भी इस क्षेत्र में अनुप्रयोग विशिष्ट प्रणाली का विकास किया है।

[हिन्दी]

गोमूत्र/गोबर से विद्युत उत्पादन

2754. श्री जगतवीर सिंह द्रोण: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में श्रीमुनि विद्यालय, गोविन्द नगर कानपुर (उ.प्र.) में आयोजित 'गो रक्षा आन्दोलन समिति' के राज्य सम्मेलन में गोमूत्र/गोबर से छोटे मोटे घरेलू विद्युत उपकरणों जैसे टेलीविजन, रेडियो, दीवार घड़ी इत्यादि को चलाने का प्रदर्शन किया गया था;

(ख) क्या गोमूत्र का प्रयोग 12 वाल्ट की बैटरी की जगह किया जा सकता है और यह 15 दिनों तक कार्य कर सकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) भारतीय गोवंश रक्षण संवर्धन परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका में उल्लिखित सूचना के अनुसार श्रीकृष्ण प्रयोगशाला, श्रीमुनि विद्यालय परिसर, गोविन्द नगर, कानपुर (उ.प्र.) में यह प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया गया कि 12 वोल्ट की नई बैट्री में भरे गए गाय के मूत्र या गोबर के उपयोग से उत्पन्न बिजली से घड़ी, निम्न वोल्टेज वाले बिजली के बल्ब, ट्रांजिस्टर, टेप-रिकार्डर, छोटे टेलीविजन चलाए जा सकते हैं। तथापि, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय बायोगैस के उत्पादन के लिए गाय के गोबर के प्रयोग को बढ़ावा दे रहा है। इस बायोगैस का उपयोग मुख्य रूप से खाना पकाने और रोशनी के लिए किया जाता है।

[अनुवाद]

मानसरोवर तीर्थयात्रा दुर्घटना के शिकार

2755. श्री सुनील खां :
श्री वसुदेव आचार्य :
श्री अजय मुखोपाध्याय :
श्री विकास चौधरी :
डा. असीम बाला :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री कृष्णलाल शर्मा :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री विठ्ठल तुपे:
श्री माधवराव पाटील :
श्री डी.एस. अहिरे :
श्री अभयसिंह भोंसले :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 अगस्त, 1998 के "दैनिक जागरण" में "पूर्व चेतावनी की अनदेखी का नतीजा है पहाड़ की तबाही" शीर्षक से प्रकाशित समाचार और दिनांक 7 सितम्बर, 1998 साप्ताहिक पत्रिका "इंडिया टुडे" में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित समाचार से संबंधित तथ्य क्या हैं और देश के पहाड़ी क्षेत्र में हाल ही में भारी वर्षा और भूस्खलन द्वारा हुई जान-माल और पशुधन की हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन भूस्खलनों में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि भू-वैज्ञानिकों ने कैलाश मानसरोवर के रास्ते पर पड़ी कमजोर और भुरभुरी चट्टानों के विषय में संबद्ध अधिकारियों को पूर्व चेतावनी दे दी थी;

(ङ) क्या मालपा दुर्घटना की जांच करने के लिए कोई जांच समिति गठित की गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और भविष्य में ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कौन से उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मिली है कि 17/18 अगस्त, 1998 को हुई अप्रत्याशित तथा भारी वर्षा से पिथौरागढ़ जिले में मालपा गांव के नजदीक भू-स्खलन की घटना हुई थी जिसमें राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के 202 लोगों की जानें गयी थी और लगभग 1000 घर बरबाद हो गये थे। इसके अलावा, 200 करोड़ रुपये की सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान हुआ था।

(ग) पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य के पहाड़ी जिलों के लिए आवंटित किये गये 5.54 करोड़ रुपये में से 1.22 करोड़ रुपये पिथौरागढ़ जिले में शोक संतप्त परिवारों को अनुग्रह स्वरूप बांटे गये थे।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) और (च) प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करायी। गायब हुए व्यक्तियों या उन व्यक्तियों को, जिनकी लाश नहीं मिली है, इस जांच में मृत मान लिया गया है। राज्य सरकार के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया है।

हज यात्रियों को राज-सहायता

2756. श्री अभयसिंह एस. भोंसले : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हज यात्रियों की राज-सहायता में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) सहायता की सही राशि के बारे में शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

मछुआरों को हिरासत में रखना

2757. श्री एन. डेनिस: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में मछली पकड़ रहे भारतीय मछुआरों की बार-बार गिरफ्तारी तथा उन्हें हिरासत में रखने की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): श्रीलंका के जल-क्षेत्र में भारतीय मछुआरों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में दोनों सरकारों के बीच नियमित रूप से चर्चा होती रही है। हाल ही में प्रधान मंत्री द्वारा जुलाई, 1998 में की गई कोलम्बो यात्रा के दौरान इन मामलों को श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ उठाया गया था। दोनों देश इन मामलों को अनुकम्पा और उदार भावना से निपटाने की आवश्यकता पर सहमत हुए हैं। निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी जैसे विशिष्ट आरोपों के अधीन बन्दी बनाए लोगों को छोड़कर श्रीलंका सरकार ने अपनी हिरासत में रखे गए सभी भारतीय मछुआरों को मुक्त कर दिया है।

केशों और पांच खेरो जलाशय

2758. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहर के कोडरमा जिले में केशो और पांच खेरो जलाशय परियोजनाओं का निर्माण कार्य आरम्भ होने के पांच वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है और इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराये गए अपर्याप्त परिव्ययों के

कारण अब तक बिहार की केशो और पंचखेरो जलाशय परियोजनाएं पूरी नहीं हुई है। अब तक इन दो परियोजनाओं की वित्तीय प्रगति इस प्रकार है:-

(रु. करोड़ में)

	केशो जलाशय	पंचखेरो जलाशय परियोजना
1. अनुमोदित लागत (वर्ष)	16.14 (1992)	9.55 (1992)
2. नवीनतम अनुमानित लागत	19.75	31.28
3. 3/97 तक परिव्यय	6.63	4.43
4. वर्ष 1997-98 के दौरान प्रत्याशित परिव्यय	0.82	शून्य

(घ) इन परियोजनाओं का पूरा किया जाना राज्य सरकारों द्वारा उनको दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

भारत-अमरीका वार्ता

2759. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री के विशेष दूत और अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी आफ स्टेट के बीच 19 नवम्बर, 1998 को रोम में हुई भारत-अमरीका वार्ता से बहुत पहले अमरीकी मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अमरीका की "इस आशय पर न तो सहमति है और न ही रहेगी" कि भारत और पाकिस्तान परमाणु अप्रसार संधि के अंतर्गत स्वयं को परमाणु शक्ति सम्पन्न राज्यों के रूप में स्थापित करे तथा वह उनकी समस्त परमाणु गतिविधियों पर सुरक्षोपाय अपनाएगा और उन्हें परमाणु अप्रसार संधि के विश्वसनीय सदस्य देशों को मिलने वाली सभी मान्यताओं और लाभों से वंचित रखना जारी रखेगा; और

(ख) यदि हां, तो रोम में हुई बातचीत के स्पष्ट उद्देश्य क्या थे तथा वह कहां तक पारित हो पाई?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, श्री स्ट्रोब टालबोट ने 12 नवम्बर, 1998 को वाशिंगटन स्थित ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में "दक्षिण एशिया में अमरीकी राजनय : एक प्रगति रिपोर्ट" विषय पर भाषण दिया था। जून 1998 से भारत-अमरीकी संवाद का मूल्यांकन करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ उन्होंने उल्लेख किया कि "हम नाभिकीय अप्रसार संधि के विशेष रूप से दीर्घावधिक सार्वभौमिक अनुपालन के लक्ष्य सहित पी-5, जी-8 और दक्षिण एशिया कार्यबल के साझे दृष्टिकोण के प्रति वचनबद्ध रहे हैं।" तथापि, यह टिप्पणी करते समय कि सार्वभौमिक नाभिकीय अप्रसार संधि का अनुपालन अमरीका का एक दीर्घावधि लक्ष्य रहेगा उन्होंने कहा "हम मानते हैं कि किसी स्थायी समाधान की दिशा में कोई प्रगति भारत और पाकिस्तान के अपने-अपने स्वयं के राष्ट्रीय हितों की संकल्पनाओं पर आधारित होनी चाहिए। हमें इस संबंध में कोई भ्रांति नहीं है कि दोनों में से कोई देश दबाव अथवा हमारे कहने मात्र से अपने रक्षा कार्यक्रमों को बदलेगा या रोकेगा। इसीलिए हमने अल्पावधिक उपायों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, हमारा मानना है, जो पूर्णरूप से उन सुरक्षा अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, जो मेरे भारतीय और पाकिस्तानी समकक्षों ने इन चर्चाओं के आरम्भ में व्यक्त की थी।"

(ख) रोम में सम्पन्न चर्चाएं जून, 1998 से अमरीका के साथ चल रहे संवाद का हिस्सा थी। ये वार्ताएं उन विस्तृत प्रस्तावों के आधार पर संचालित की जा रही हैं जो भारत ने विस्फोटक नाभिकीय परीक्षणों पर अपनी ओर से स्थगन, इस स्थगन को एक विधिक दायित्व में परिवर्तित करने पर चर्चा करने के लिए अपनी तत्परता, विखण्डनीय सामग्री कटौती संधि संबंधी रचनात्मक वार्ताएं करने के अपने प्रस्ताव और संवेदनशील प्रौद्योगिकियों के निर्यात संबंधी कठोर नियंत्रण की अपनी नीति की पुनः पुष्टि सहित निरस्त्रीकरण और अप्रसार मसलों के संबंध में प्रस्तुत किए हैं।

इस संवाद में कुछ प्रगति हुई है। भारत ने अपनी सुरक्षा चिन्ताओं और भारत द्वारा एक न्यूनतम विश्वसनीय नाभिकीय निवारक बनाए रखने की अपनी आवश्यकता से अवगत करा दिया है। अमरीका ने भारत की हित-चिन्ताओं और अपेक्षाओं के संबंध में आंशिक रूप से सहमति दिखाई है।

यह बातचीत अभी जारी है। दोनों पक्ष जनवरी, 1999 में आगामी दौर की चर्चा करने के लिए पुनः बैठक करने के लिए सहमत हुए हैं।

[हिन्दी]

मंजूरी हेतु फिल्में

2760. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान

मंजूरी हेतु केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा कितनी फिल्में प्राप्त की गई?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की मंजूरी हेतु प्राप्त फीचर फिल्मों की कुल संख्या नीचे दिए अनुसार है:-

वर्ष	सेलुलायड फीचर फिल्म		वीडियो फीचर फिल्म	
	भारतीय	आयातित	भारतीय	आयातित
1995	842	223	194	191
1996	703	171	201	88
1997	721	215	198	80

हिमाचल प्रदेश स्थित कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर/बहुत कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर

2761. श्री महेश्वर सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में किन स्थानों पर कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर और बहुत कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) किन स्थानों पर इन्हें लगा दिया गया है;

(ग) शेष स्थानों पर इन्हें कब तक लगा दिया जाएगा;

(घ) क्या सरकार को यह विश्वास है कि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) से (ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में सुन्दरनगर और सुजानपुर में 2 अल्पशक्ति ट्रांसमीटरों और बंजर, उदयपुर, फिरभयानू, निचार, चौपाल, कारसोग, परवानू, बिजली महादेव, काजा और चौरी खास में 10 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने की परियोजनाएं पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। बिजली महादेव, काजा और चौरी खास स्थित अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों जो कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं और जिनके पर्याप्त संसाधन, अन्य आधार-भूत सुविधाएं, अपेक्षित जन शक्ति की उपलब्धता और संगत प्राथमिकताओं के अधीन चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है, के अलावा उपरोक्त सभी परियोजनाओं को चालू कर दिया गया है।

[अनुवाद]

सकरोल सिंचाई परियोजना

2762. श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तमदास पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बकरोल सिंचाई परियोजना केन्द्र सरकार के पास तकनीकी स्वीकृति हेतु लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) 23.86 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना में गुजरात के साबरकांठा जिले में 4500 हैक्टेयर वार्षिक सिंचाई करने की योजना है। इस परियोजना की स्वीकृति जल उपलब्धता, जल उपयोग तथा लाभ लागत अनुपात से संबंधित केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए प्रेक्षणों की राज्य सरकार द्वारा अनुपालना करने पर निर्भर करती है।

भारत अमरीका वार्ता

2763. श्री रंजीब बिस्वाल :
श्री आर. साम्बासिवा राव :
श्री माधवराव सिंधिया :
प्रो. पी.जे. कुरियन :
श्री फ्रांसिस्को सारदीना :
श्री के.एस. राव :
श्री बलराम सिंह यादव :
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी :
श्री तथागत सत्पथी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पोखरन परमाणु परीक्षण के पश्चात् किन-किन विभिन्न मुद्दों पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बातचीत की गई और इन वार्ताओं के क्या परिणाम निकले;

(ख) इन मुद्दो पर आगे क्या आगामी कार्यवाही करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार बेहतर भारत-अमरीका संबंध स्थापित करने के लिए और वार्ताएं करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) जून, 1998 से ही हम संयुक्त राज्य के साथ वार्ता करते रहे हैं। ये वार्ताएं निरस्त्रीकरण और अप्रसार से संबंधित भारत द्वारा रखे गये व्यापक प्रस्तावों के आधार पर आयोजित की जा रही है, जिनमें विस्फोटक नाभिकीय परीक्षणों पर हमारा एकतरफा स्थगन, इस स्थगन को एक कानूनी दायित्व में परिवर्तित करने के लिए वार्ता करने की हमारी इच्छा, विखण्डनीय सामग्री नियंत्रण संधि पर वार्ता में शामिल होने तथा संवेदनशील प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर कठोर नियंत्रण की हमारी नीति की पुष्टि का हमारा प्रस्ताव शामिल हैं।

वार्ता में कुछ प्रगति हुई है। भारत ने उन्हें अपनी सुरक्षा चिंताओं से और साथ ही एक न्यूनतम नाभिकीय निवारक बनाए रखने की भारत की आवश्यकता से अवगत करा दिया है। संयुक्त राज्य ने भारत की चिन्ताओं और आवश्यकताओं के प्रति कुछ समझबूझ दिखायी है।

ये वार्ताएं चार मसलों तक सिट कर रह गयी है, जिन्हें आरंभ में हमने रखा था। ये मसले है: व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, विखंडणीय सामग्री नियंत्रण संधि, निर्यात नियंत्रण एवं प्रतिरक्षा स्थिति।

(ग) और (घ) अब तक वार्ता के छह दौर आयोजित हुए है। इसके अतिरिक्त, इन वार्ताओं के एक भाग के रूप में, 9-10 नवम्बर, 1998 तक दोनों देशों की नई दिल्ली में निर्यात नियंत्रण मसलों पर विशेषज्ञ स्तर की एक बैठक हुई। इस क्षेत्र में सहयोग जारी रखने के लिए इस बैठक को दोनों पक्षों द्वारा सहायक माना गया।

इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए दोनों पक्ष जनवरी, 1999 में एक बैठक करने के लिए सहमत हो गए है।

बिसालपुर बांध

2764. श्री द्वारका प्रसाद धैरवा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में बिसालपुर बांध के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई और उस पर आज तक कितना व्यय किया गया;

(ख) उन किसानों को अदा किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है जिनकी भूमि बांध के निर्माण के लिए अधिग्रहीत की गई है;

(ग) कितने किसानों को अब तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है;

(घ) सरकार द्वारा शेष किसानों को शीघ्र मुआवजा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) शेष सभी किसानों को मुआवजे का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) अक्तूबर, 1998 तक इस परियोजना पर 281.85 करोड़ रुपये का व्यय किया गया जिसमें से 56.20 करोड़ रुपये परिव्यय की तुलना में चालू वर्ष अर्थात् 1998-99 में 19.54 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे।

(ख) से (ङ) बीसलपुर बांध की जल मग्नता के अंतर्गत आने वाली भूमि और संपत्तियों का अधिग्रहण चार चरणों में करने की योजना है वह बांध की ऊंचाई पर निर्भर करेगा। 304.50 मीटर के जलमग्नता स्तर तक चरण-I के तहत संपूर्ण मुआवजा दे दिया गया है।

निजी टी.वी. चैनलों के साथ अपलिंकिंग

2765. श्री बलराम सिंह यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रसारण कंपनियों को देश से निजी टी.वी. चैनलों के साथ अपलिंकिंग किए जाने संबंधी सरकार की नीति के अनुसरण में कोई अपलिंकिंग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उन निजी विदेशी टी.वी. चैनलों के नाम क्या हैं जिन्हें इस तरह की अपलिंकिंग की अनुमति दी गई है, इसके लिए कौन-कौन सी शर्तें निर्धारित की गई हैं तथा इस प्रयोजन हेतु कौन-कौन से मार्ग निर्देश अपनाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) जी, हां।

(ख) किसी विदेशी टेलीविजन चैनल को भारत से अपलिंक करने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि विद्यमान नीति के अनुसार निजी विदेशी टेलीविजन चैनलों द्वारा अपलिंकिंग की अनुमति नहीं है। इस समय यह केवल पूर्णतया भारतीय स्वामित्व वाले निजी टेलीविजन चैनलों तक ही सीमित हैं।

दूरसंचार सुविधाओं में सुधार

2766. श्री श्रीराम चौहान :
श्री जुआल उराम :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में तथा विशेषकर राउरकेला जिले के सुन्दरगढ़ में दूरसंचार सुविधाओं में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में दूरसंचार सुविधाओं में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा जिन उपायों का प्रस्ताव है, वे निम्नलिखित हैं:-

(1) स्विचिंग और प्रसारण नेटवर्क का डिजिटलीकरण करना।

(2) विश्वसनीय माध्यम पर एसटीडी/आईएसडी उपलब्ध कराना।

(3) बाह्य: संयंत्र नेटवर्क का उन्नयन और पुनर्वास करना।

(4) डायरेक्टरी पूछताछ, दोष सुधार, बिलिंग सेवाओं आदि का कम्प्यूटरीकरण करना।

(5) टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय लूप प्रौद्योगिकी में बेतार शुरू करना।

राउरकेला में, सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का प्रस्ताव है:-

(1) 5 के सी-डॉट मैक्स (नई प्रौद्योगिकी) एक्सचेंज का आदेश दिया गया है।

(2) टाउनशिप में आवश्यकतानुसार भूमिगत केबिल बिछाया गया है।

(3) सभी एक्सचेंजों/आरएलयू में आप्टिकल फाइबर कनेक्टीविटी उपलब्ध कराई गई है।

सरदार सरोवर बांध

2767. श्री हरिन पाठक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जानकारी है कि सरदार सरोवर बांध की लागत के हिस्से का प्रतिभागी राज्यों, अर्थात् मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान द्वारा गुजरात की राज्य सरकार को भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं; और

(घ) गुजरात को राज्य सरकार को बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, हां। जुलाई, 1998 तक अन्य सहभागी राज्यों द्वारा

गुजरात को भुगतान की जाने वाली परियोजना की अंशलागत का ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रु. में)

राज्य	देय राशि	भुगतान की गई राशि	बकाया देय (विवादित हिस्सों सहित)	बकाया देय (विवादित हिस्सों को छोड़कर)
मध्य प्रदेश	1079.34	583.77	495.57	278.49
महाराष्ट्र	511.27	384.20	127.07	24.23
राजस्थान	317.64	73.95	243.69	205.40
कुल	1908.25	1041.92	866.33	508.12

(ग) और (घ) अन्य पक्षकार राज्यों द्वारा गुजरात सरकार को सरदार सरोवर परियोजना की अंशलागत के भुगतान संबंधी मुद्दे पर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण और सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति की अनेक बैठकों में विचार-विमर्श किया गया है और राज्यों को गुजरात सरकार को देय बकाया के तत्काल भुगतान की आवश्यकता से अवगत कराया गया है। इन मुद्दों पर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरीक्षा समिति की 13.11.96 को हुई सातवीं बैठक में भी विचार किया गया था जिसमें राज्यों ने तत्काल भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी। पक्षकार राज्य भी अपनी-अपनी वार्षिक योजना/बजट में इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त प्रावधान करने के लिए सहमत हो गये हैं। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय संबंधित राज्यों को अपनी अंशलागत का गुजरात को शीघ्र भुगतान करने के लिए लगातार अनुरोध करता रहा है। इस मुद्दे पर 8 जून, 1998 और 13 अक्टूबर, 1998 को हुई सचिवों की समिति की बैठकों में भी विचार-विमर्श किया गया था और राज्यों को उनके अंशलागत के नियमित भुगतान तथा बकाया के शीघ्र भुगतान के प्रयास करने के लिए उपयुक्त निदेश दिए गये थे।

[हिन्दी]

राई अनुसंधान केन्द्र

2768. श्री अजीत जोगी :
डा: लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने 1998 में राज्य में राई अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा था;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया; और

(ग) केन्द्र सरकार उक्त प्रस्ताव पर कब तक निर्णय कर लेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी नहीं। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वर्ष 1989 के दौरान राई-अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

उड़ीसा में एल.पी.टी./बी.एल.बी.टी.

2769. श्री विक्रम देव केशरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा के कालाहांडी, बोलंगीर और कोरापुट जिलों में किन-किन स्थानों पर कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर और अत्यधिक कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या नुआपाडा जिले में खेरियार और कालाहांडी जिले में जयापटना में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्टेशन स्थापित किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों से प्रसारण कब तक शुरू होने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। हालांकि अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, खेरियार में प्रतिष्ठापना कार्य वर्ष 1999 के दौरान पूरा किए जाने का कार्यक्रम है तथापि इसे चालू करना, स्टॉफ संबंधी स्वीकृति की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। जया-पटना में अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की प्रतिष्ठापना के मामले में उड़ीसा सरकार से एक उपयुक्त स्थल उपलब्ध कराने हेतु औपचारिक अनुरोध किया गया है।

विवरण

	स्थल जहां टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने हैं	
जिला	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
कालाहांडी	खेरियार	जया-पटना
		लंबीगढ़
बोलांगीर	तशारा	
	सेंतला	
कोरापुट	सियोलीगुडा	कासीपुर
		मचकुंड

पड़ौसी देशों के साथ संबंध

2770. श्री सत्य पाल जैन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, भूटान आदि जैसे हमारे कई पड़ोसी देश भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं और इन आतंकवादियों को अपने ही देशों में आश्रय और प्रशिक्षण दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राजनयिक स्तर पर इस मामले को इन देशों के साथ उठाया गया है; और

(ग) इन देशों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर तथा भारत के अन्य भागों में राज्य समर्थित आतंकवाद के प्रायोजन में सक्रिय रूप से लगा रहा है। अनेक वर्षों से पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भर्ती, प्रशिक्षित, वित्त-पोषित और सशस्त्र किए गए आतंकवादियों को गैर-कानूनी ढंग से भारत में प्रवेश कराया जाता रहा है। पाकिस्तान ने सुपरिचित भारत-विरोधी तत्वों और भारत में कानूनन घोषित भगोड़ों को आश्रय भी प्रदान किया है। पाकिस्तान को विस्तृत दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं जो भारत में उसके आतंकवाद के प्रायोजन के अकाट्य और अखण्ड्य तथ्यों की पुष्टि करते हैं। हमने पाकिस्तान से निरन्तर यह मांग की है कि वह इन गतिविधियों को तुरन्त बन्द करे और इस संबंध में अपनी गंभीरता प्रदर्शित करने के लिए व्यावहारिक आधार पर कदम उठाए। पाकिस्तान से यह भी कहा गया है कि वह पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में अपने प्रशिक्षण शिविर बन्द करे और आतंकवादियों और ऐसे भगोड़ों को हमारे हवाले कर दे जिन्हें पाकिस्तान में शरण दी गई है। अक्तूबर, 1998 में भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों और नवम्बर, 1998 में भारत और पाकिस्तान के गृह सचिवों के बीच हुई चर्चा के दौरान भी यह मांग दोहराई गई थी। खेद की बात है कि जम्मू और कश्मीर में तथा भारत के अन्य भागों में कार्यरत आतंकवादियों और संगठनों को पाकिस्तान का आधिकारिक समर्थन जारी है। सरकार देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखण्डता की पूर्ण रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के दृढ़ संकल्प है।

इस बात का प्रमाण है कि भारत विरोधी एजेन्सियों/संगठनों ने भारत में आतंकवादी गतिविधियों को उकसाने के अन्य पड़ौसी देशों के क्षेत्रों का दुरूपयोग किया है। संबंधित सरकारों को अपनी चिन्ताएं स्पष्ट रूप से बता दी गई हैं और उन्हें भारत सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर संवेदी

बनाया गया है। इन देशों की सरकारों ने यह पुष्टि की है कि वे अपने क्षेत्र का इस तरह से दुरूपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। वे ऐसी गतिविधियों को नियंत्रण में रखने के लिए सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने भारत के सुरक्षात्मक हितों के प्रतिकूल कार्यवाहियों के लिए अपने क्षेत्रों का दुरूपयोग करने के लिए अवांछनीय तत्वों को अनुमति न देने के अपने संकल्प को दोहराया है।

[हिन्दी]

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी मिशन

2771. **श्री मगन्ती बाबू :**
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को विश्व में अग्रणी देश बनाने संबंधी प्रधान मंत्री के मिशन को प्राप्त करने के लिए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी मिशन नामक कार्य योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त होने की संभावना है; और

(घ) इस कार्य योजना के कब तक शुरू होने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) प्रधानमंत्री के मिशन संबंधी लक्ष्य के अनुसरण में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने 'भारत सूचना प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण 2010: कार्य योजना' नामक एक दस्तावेज तैयार किया है, जिसमें भारत को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्वस्तरीय देश बनाने के उद्देश्य से विस्तृत रेंज के कार्यकलाप शामिल किए गए हैं। इस दस्तावेज के अंतर्गत मूल संरचनात्मक सुविधाएं, मानव संसाधन विकास, अनुसंधान एवं विकास, नीतिगत सहायता तथा स्थानीय विनिर्माता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं। यह एक व्यापक रेंज की योजना है तथा कुल धनराशि की मात्रा निर्धारित करना कठिन है।

इसके परिणामस्वरूप, सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर विकास पर एक राष्ट्रीय कार्यदल का गठन किया है। इस कार्यदल ने अड़चनों को दूर करने के संबंध में अपनी रिपोर्ट जुलाई, 1998 में प्रस्तुत कर दी, जिसमें 108 सिफारिशें की गई हैं तथा इसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इस पहल से सॉफ्टवेयर उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिला है।

महाराष्ट्र में टेलीफोन कनैक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची

2772. **श्री डी.एस. अहिरे :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर :
श्री माधवराव पाटील :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अक्तूबर, 1998 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में जिले-वार कितने लोग हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जिले-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन आबंटित किए गए;

(ग) क्या सरकार का बकाया कार्य पूरा करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कचीन्द्र पुरकायस्थ): (क) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) 31 अक्तूबर 1998 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में 2.89 लाख की प्रतीक्षा सूची में से लगभग 1.90 लाख का चालू वित्त वर्ष के दौरान निपटान कर दिए जाने की आशा है।

शेष प्रतीक्षा सूची का निपटान आगामी वित्त वर्ष के दौरान किए जाने की आशा है।

विवरण-I

31.10.98 तक की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में टेलीफोनों की प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	दूरसंचार जिले	राजस्व जिले	प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4
1.	अहमदनगर	अहमदनगर	19470
2.	अकोला	अकोला एवं वाशिम	4916
3.	अमरावती	अमरावती	5450
4.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	10083
5.	बीड	बीड	4054
6.	भंडार	भंडार	2327
7.	बुल्दाना	बुल्दाना	2877
8.	चन्द्रापुर	चन्द्रपुर तथा गढ़चीरोली	5180
9.	धुले	धुले तथा नंदूरबार	9201
10.	जलगांव	जलगांव	14858
11.	जालना	जालना	1550
12.	कल्याण	कल्याण	52586
13.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	8322
14.	लत्तूर	लत्तूर	5472

1	2	3	4
15.	नागपुर	नागपुर	7953
16.	नंदेड़	नंदेड़	5812
17.	नासिक	नासिक	23727
18.	उसमानाबाद	उसमानाबाद	1613
19.	परभानी	परभानी	2354
20.	पुणे	पुणे	55355
21.	रायगढ़	रायगढ़	1877
22.	रतनागिरी	रत्नागिरी	5459
23.	सांगली	सांगली	11894
24.	सतारा	सतारा	6607
25.	सिंधु दुर्ग	सिंधु दुर्ग	2652
26.	शोलापुर	शोलापुर	9450
27.	वारधा	वारधा	3304
28.	येअतमाल	येअतमाल	4308
29.	एमटीएनएल मुंबई	मुंबई, थाणे तथा रायगढ़ का भाग	शून्य

विवरण-II

महाराष्ट्र राज्य

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन

क्र.सं.	दूरसंचार जिले	राजस्व जिले	सीधी एक्स. लाइनें 1995-96	सीधी एक्स. लाइनें 1996-97	सीधी एक्सचेंज लाइनें 1997-98
1	2	3	4	5	6
1.	अहमदनगर	अहमदनगर	9200	10101	9509
2.	अकोला	अकोला एवं वाशिम	5319	5231	5349
3.	अमरावती	अमरावती	4655	5909	5192
4.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	8110	10288	9473
5.	बीड	बीड	2567	2678	1972
6.	भंडारा	भंडारा	2407	2555	2844
7.	बुल्दाना	बुल्दाना	2223	1685	2331
8.	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर एवं गढ़चीरोली	2268	2453	6100
9.	धुले	धुले एवं नंदूरबाद	2302	2500	9005
10.	जलगांव	जलगांव	8620	7450	10040

1	2	3	4	5	6
11.	जालना	जालना	1517	1504	1763
12.	कल्याण	कल्याण	12990	24014	40200
13.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	20553	14015	12721
14.	लातूर	लातूर	5139	4991	2084
15.	नागपुर	नागपुर	22050	17526	16107
16.	नंदेड	नंदेड	3405	4416	4578
17.	नासिक	नासिक	12638	19120	19129
18.	उसमानाबाद	उसमानाबाद	1960	1501	4293
19.	परभानी	परभानी	3526	2037	2616
20.	पुणे	पुणे	33677	50113	55684
21.	रायगढ़	रायगढ़	7488	12010	13704
22.	रतनागिरी	रतनागिरी	2969	2716	6418
23.	सांगली	सांगली	8493	10584	13509
24.	सतारा	सतारा	4732	5205	7257
25.	सिंधु दुर्ग	सिंधु दुर्ग	1697	2407	3061

1	2	3	4	5	6
26.	शोलापुर	शोलापुर	6371	11015	5841
27.	वर्धा	वर्धा	1754	2719	1631
28.	येअतमाल	येअतमाल	1680	2648	2861
29.	एमटीएनएल मुम्बई	मुम्बई, थाणे तथा रायगढ़ का भाग	200367	201369	213475

[हिन्दी]

भारत और अमरीका के बीच समझौता

2773. श्री अमर पाल सिंह:
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:
श्री पंकज चौधरी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और अमरीका ने किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते को कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार तथा संयुक्त राज्य कृषि विभाग के बीच दिनांक 27 जनवरी, 1996 को कृषि विज्ञान में सहयोग के लिए एक समझौता हुआ था। समझौते में महत्वपूर्ण आपसी हितों तथा कृषि से संबंधित लाभ के क्षेत्र में भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए जोर दिया गया है। आपसी हित के क्षेत्र ये हैं:- जनित्रद्रव्य का संग्रह; मूल्यांकन तथा आदान प्रदान; कृषि वानिकी: पशु/पौध रोगों का पता लगाना तथा नियंत्रण; बारानी/स्थिर कृषि उत्पादन प्रणालियां; जैव प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान तथा कृषि व्यापार विकास।

(ग) इस समझौते के तहत दिनांक 26 अगस्त, 1996 को यह कार्य योजना संयुक्त राज्य कृषि विकास को भेजी गई थी। उनके उत्तर का इन्तजार है। कार्य योजना पर सहमति और हस्ताक्षर होते ही इस समझौते के तहत सहयोग शुरू हो जायेगा।

[अनुवाद]

धान की खेती

2774. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि केरल के धान किसान इस वर्ष धान की खेती करने में असमर्थ हैं क्योंकि हाल की भारी वर्षा से उनके उत्तम किस्म के बीज बर्बाद हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केरल के किसानों को राष्ट्रीय बीज निगम के माध्यम से 9100 मीट्रिक टन धान के बीज मुफ्त प्रदान करने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार केरल को धान की फसल के लिए एफ.ए.सी.टी. के माध्यम से 30,000 टन पोटाश आवंटित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) केरल सरकार ने सूचना दी है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान भारी वर्षा के कारण धान की खेती के तहत कुल 1,12,513 हैक्टेयर क्षेत्र नष्ट हो गया।

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम ने राज्य में 1,200 रु. प्रति क्विंटल की दर पर 11,878 क्विंटल धान के बीजों का विपणन किया।

(ग) और (घ) अगस्त, 1992 से फास्फेट (पी) और पोटाश (के) उर्वरकों को विनियंत्रित कर दिया गया है तथा उनके वितरण अथवा संचलन पर सरकार नियंत्रण नहीं रखती। "पी" और "के" उर्वरकों के संबंध में सरकार द्वारा फिलहाल कोई आबंटन नहीं किया जा रहा है।

सूरजमुखी का उत्पादन

2775. श्रीमती जयन्ती पटनायक: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार सूरजमुखी के वार्षिक उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में सूरजमुखी की मांग और उत्पादन में व्यापक अंतर है; और

(ग) यदि हां, तो सूरजमुखी की मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) देश में वर्ष 1996-97 व वर्ष 1997-98 के दौरान सूरजमुखी का राज्यवार उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सूरजमुखी की मांग के बारे में कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है। देश में सूरजमुखी समेत तिलहन के उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार एक केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत बीजों का उत्पादन व वितरण, बीज मिनिकिटों, स्प्रिंकलर सैटों, उन्नत फार्म उपकरणों, जिप्सम/पाइराइट, सूक्ष्म पोषक तत्वों तथा रिजोबियम कल्चर आदि जैसे महत्वपूर्ण आदानों के वितरण के लिए वित्तीय सहायता मुहैया की जाती है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रचार के लिए किसानों के खेतों पर अग्रणी व सामान्य प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते हैं।

विवरण

सूरजमुखी का उत्पादन

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य	उत्पादन	
		1996-97	1997-98
1.	आन्ध्र प्रदेश	214.4	224.0
2.	बिहार	5.0	5.0
3.	गुजरात	0.0	9.0
4.	हरियाणा	108.3	150.0
5.	कर्नाटक	368.0	323.0
6.	मध्य प्रदेश	3.3	3.0
7.	महाराष्ट्र	335.2	187.0
8.	नागालैण्ड	3.0	–
9.	उड़ीसा	1.0	3.0
10.	पंजाब	185.0	152.0
11.	राजस्थान	0.7	1.0
12.	तमिलनाडु	44.5	49.0
13.	उत्तर प्रदेश	45.9	46.0
14.	पश्चिम बंगाल	0.7	1.0
15.	अन्य	0.0	3.0
	कुल	1315.0	1156.0

[हिन्दी]

बिहार में आकाशवाणी समाचार एककों की स्थापना

2776. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के भागलपुर जिले में आकाशवाणी समाचार एकक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या आकाशवाणी निदेशालय, बिहार द्वारा 1992-93 के दौरान ऐसा कोई प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था तथा केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था, अभी भी लंबित है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा स्टूडियो में पुराने उपकरणों के कारण प्रसारण प्रभावित हुआ है;

(घ) क्या भागलपुर में 3 किलो वाट एफएम ट्रांसमीटर को स्थापित करने के भी प्रस्ताव हैं ताकि विविध भारती के कार्यक्रमों को भी प्रसारित किया जा सकें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अंतर्गत महानगरों के टेलीफोन

2777. श्री टी.आर. बालू: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मेट्रोपोलिटन सिटीस-टेलीफोन्स को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कपीन्द्र घुरकायस्थ): (क) सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात में दूरदर्शन केन्द्रों का कार्य निष्पादन

2778. श्री पी.एस. गढ़वी:
डा. वल्लभभाई कथीरिया:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर गुजरात में कार्यरत दूरदर्शन केन्द्रों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 के दौरान लक्ष्यों के मुकाबले राजकोट दूरदर्शन केन्द्र का कार्य निष्पादन एवं खामियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस केन्द्र से क्षेत्रीय प्रसारण के कार्य निष्पादन स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) दूरदर्शन केन्द्र के कार्यकरण से सम्बन्धित मामला पूरी तरह से प्रसार भारती के कार्य क्षेत्र में आता है और सरकार द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। तथापि, प्रसार भारती समय-समय पर दूरदर्शन केन्द्रों की समीक्षा करता है।

(ख) प्रसार भारती ने 1996-97 के दौरान दूरदर्शन केन्द्र, राजकोट के कार्य-निष्पादन के सम्बन्ध में ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी दूर करने की योजनाएं

2779. **श्री मोहनुल हसन अहमद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय चालू विभिन्न गरीबी उन्मूलन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान उक्त योजनाओं पर खर्च की गई और वर्ष 1998-99 के दौरान खर्च की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन योजनाओं के अन्तर्गत निवेश के प्रभाव का सरकार द्वारा आकलन किया जाता है और इसकी निगरानी की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य-वार इन कार्यक्रमों का गरीबी उन्मूलन पर वास्तविक प्रभाव क्या रहा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) देश में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख गरीबी-रोधी स्कीमें है (1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.); (2) जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.); (3) रोजगार आश्वासन योजना (ई.ए.एस.) तथा (4) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.)। जहां पहले तीन कार्यक्रम देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किये जा रहे हैं, वहीं अंतिम कार्यक्रम शहरी गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम है। इन कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित है:

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) आई.आर.डी.पी. 1980 से देश के सभी ब्लॉकों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उत्पादक परिसम्पत्तियों तथा इनपुटों के अधिग्रहण के जरिए पहचान किए गए ग्रामीण गरीबों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराना है, जिनसे सतत आधार पर अतिरिक्त आय प्रदान करते हैं और उन्हें गरीबी-रेखा से ऊपर आने में सहायता मिल सकती है। सरकार द्वारा अंश सब्सिडी के रूप में सहायता दी जाती है तथा शेष को वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवधिक ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। इस स्कीम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को देश के कुल ग्रामीण गरीबों और किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर केन्द्रीय निधियां आवंटित की जाती हैं।

(2) जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) जे.आर.वाई., देशभर में चलाया जा रहा है पूरक मजदूरी-रोजगार कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प-रोजगार प्राप्त लोगों के लिए लोक निर्माण कार्यों में अतिरिक्त आयदायक रोजगार का सृजन करना है, जिससे ग्रामीण आर्थिक आधार संरचना, सामुदायिक तथा सामाजिक परिसम्पत्तियों के सृजन में मदद मिल सके। इस स्कीम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को देश के कुल ग्रामीण गरीबों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर केन्द्रीय निधियां आवंटित की जाती हैं। राज्यों से जिलों को, पिछड़ेपन के सूचकांक के आधार पर निधियों का आवंटन किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत, ग्राम पंचायतों, माध्यमिक पंचायतों और जिला-स्तरीय पंचायतों को 70:15:15 के अनुपात में निधियां आवंटित की जाती हैं।

(3) रोजगार आश्वासन योजना (ई.ए.एस.): ई.ए.एस. को 2 अक्तूबर, 1993 को पहचान किए गए पिछड़े ब्लॉकों में शुरू किया गया था। इसके बाद इस योजना का देश में सभी ग्रामीण ब्लॉकों को कवर करने के लिए 1.4.1997 से सार्वभौमिकरण किया गया है। ई.ए.एस. का प्राथमिक उद्देश्य, ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक रूप से सक्षम सभी व्यस्कों को जिन्हें काम की तलाश है और जो काम करने के इच्छुक हैं परन्तु काम मिल नहीं पाता, क्षीण कृषि के मौसम में शारीरिक श्रम संबंधी आयदायक रोजगार उपलब्ध कराना है। इसका दूसरा उद्देश्य सतत् रोजगार और विकास के वास्ते आर्थिक आधार संरचना और सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन करना है। उक्त योजना मांग-संचालित है जिसमें किसी भी जिले या ब्लॉक के लिए वार्षिक निधियां उद्दिष्ट नहीं की जातीं इसके बदले, जिलों को प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में शुरूआती सांकेतिक आवंटन कर दिए जाते हैं तथा इसके बाद पूरक रोजगार की मांग तथा निधियों के वास्तविक उपयोग के आधार पर जिलों द्वारा अतिरिक्त निधियों के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

(4) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.): एस.जे.एस.आर.आई., 1 दिसम्बर, 1997 से चालू की गई है। इस कार्यक्रम की दो स्कीमें हैं अर्थात्

(1) शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम और (2) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम। पूर्ववर्ती नेहरू रोजगार योजना (एन.आर.वाई.) तथा प्रधानमंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एन.आर.वाई.) तथा प्रधानमंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एम.आई.यू.पी.ई.पी.) के स्व-रोजगार तथा मजदूरी-रोजगार घटकों को इस एक कार्यक्रम के अंतर्गत पुन: संघटित किया गया है। इसके अतिरिक्त एन.आर.वाई. और पी.एम.आई.यू.पी.ई.पी. दोनों के आवास स्तरोन्नन घटकों को राष्ट्रीय गन्दी बस्ती-विकास कार्यक्रम के साथ मिला दिया गया है। इस स्कीम में गरीब महिलाओं को अधिकार प्रदान करने तथा उनकी उन्नति पर विशेष बल दिया गया है तथा एक विशेष कार्यक्रम; यानि शहरी क्षेत्र में महिला व बाल विकास शुरू किया गया है जिसके तहत स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने वाली शहरी गरीब महिलाओं के समूह, परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक सब्सिडी पाने के पात्र हैं।

(ख) इन स्कीमों के अंतर्गत वर्ष 1997-98 में व्यय की गई तथा वर्ष 1998-99 के दौरान व्यय-हेतु प्रस्तावित राशि नीचे दी गई है:

(करोड़ रु. में)

स्कीम का नाम	1997-98 के दौरान व्यय की गई राशि (अनंतिम)	1998-99 के दौरान व्यय हेतु प्रस्तावित राशि (आवंटन)
आईआरडीपी	1109.54	1456.17
जेआरवाई	2438.09	2597.02
ईएएस	2904.95	1741.13*
एसजेएसआरवाई	98.63	183.20

*अक्तूबर, 1998 तक जारी कुल राशि, क्योंकि ई.ए.एस. के अंतर्गत कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया गया।

(ग) और (घ) विभिन्न गरीबी-रोधी स्कीमों के निवेश के प्रभाव का आकलन करने के लिए, नियमित पुनरीक्षा तथा मानीटरिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय, समय-समय पर प्रतिष्ठित तथा स्वतंत्र अनुसंधान संस्थाओं की सहायता से गरीबी-उन्मूलन योजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन करता है। अब तक, आई.आर.डी.पी. के समवर्ती मूल्यांकनों के पांच दौर तथा जे.आर.वाई. के दो दौर पूरे किए जा चुके हैं। जे.आर.वाई. के पहले और दूसरे दौर तथा आई.आर.डी.पी. के प्रथम चार दौर की रिपोर्ट पहले ही जारी की जा चुकी है।

(ङ) सरकार ने गरीबी को कम करने के लिए एक त्रिविध कार्यनीति अपनाई है : (1) रोजगार-सघन क्षेत्रकों पर ध्यान केन्द्रित कर आर्थिक विकास को तेज करना, (2) न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के माध्यम से मानव और सामाजिक विकास तथा, (3) लक्ष्यबद्ध गरीबी-रोधी कार्यक्रम। गरीबी कम करने में गरीबी-रोधी योजनाओं के योगदान द्वारा मूल्यांकन करने के लिए अब तक कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है।

कोको का उत्पादन

2780. श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सितम्बर, 1998 तक प्रतिवर्ष देश में राज्य-वार कोको का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से गुजरात राज्य में कोको का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अध्ययन/अनुसंधान किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) देश में कोको का राज्यवार कुल उत्पादन पिछले 3 वर्षों के दौरान (सितम्बर, 1998 तक) निम्नलिखित अनुसार है:

राज्य	1995-96 मी. टन में मात्रा	1996-97 मी. टन में मात्रा	1997-98 मी. टन में मात्रा (अनंतिम)
केरल	5000	5750	6300
कर्नाटक	770	770	850
तमिलनाडु	20	20	37
आन्ध्र प्रदेश	420	420	650
कुल	6210	6960	7837

(ख) और (ग) केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिसूर के केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, कसरगोडू ने कुछ उन्नत अधिक पैदावार देने वाली किस्मों, सफल वाणिज्यिक रूप से ग्रहण करने योग्य कायिक प्रवर्धन पद्धतियों, नारियल और सुपारी की अन्तराल फसलों के रूप में विशेषत फसल प्रबन्धन तकनीक का आविष्कार किया है।

कोको की भारत में वाणिज्यिक खेती हाल में शुरू हुई है और यह केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में की जा रही है। गुजरात में कोको की खेती अब तक शुरू नहीं हुई है।

कर्नाटक में टेलीफोन कनेक्शन

2781. श्री बासवराज पाटील सेडाम: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक के गुलबर्गा, बीडर और रायपुर जिलों के कितने गांवों में, धनराशि जमा करने और सभी अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के पश्चात् भी टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिए गए हैं;

(ख) लम्बे समय से लंबित आवेदन पत्रों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कनेक्शन कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ): (क) ऐसे गांवों का जिलावार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

गुलबर्गा	55
रायचूर	26
बिदार	40

(ख) और (ग) ये सभी लम्बी दूरी के कनेक्शन हैं और इसीलिए इन्हें उपलब्ध प्रौद्योगिकी के साथ मौजूदा एक्सचेंजों से सेवा प्रदान नहीं की जा सकती। तथापि, कार्यनीतिपरक रूप से मार्च, 2000 तक अतिरिक्त एक्सचेंज खोलकर ये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

येल्तिसन की भारत यात्रा

2782. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस के राष्ट्रपति श्री बोरिस येल्तिसन ने दिसम्बर, 1998 में अपनी निर्धारित भारत यात्रा रद्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रूस ने भारत से सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) जी नहीं। हालांकि महामान्य राष्ट्रपति श्री बोरिस येल्तिसन की भारत यात्रा दिसम्बर, 1998 में नहीं होगी, फिर भी रूसी प्राधिकारियों ने हमें सूचित किया है कि 'यह यात्रा अभी होनी है' और यह निरस्त नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार कई मसलों पर प्रमुख वार्ताकरों के साथ विचार-विमर्श कर रही है जिसमें व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि भी शामिल है। हम इन विचार-विमर्शों को एक सफल निष्कर्ष तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि का प्रवर्तन सितम्बर, 1999 के बाद न टले। भारत आशा करता है कि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुच्छेद XII में उल्लिखित अन्य देश इस संधि का बिना शर्त अनुपालन करेंगे।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम

2783. श्री कल्लाप्पा आवाड़े : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने देश में कताई मिलों और चीनी मिलों के कोई अंशदान और कार्यशील पूंजी हेतु कोई प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की गई है और उन मिलों के नाम क्या हैं जिन्हें अब तक धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अब तक इस धनराशि को जारी करने की मंजूरी नहीं दी है यद्यपि राष्ट्रीय सहकारिता विकास विभाग ने धनराशि पहले ही आबंटित कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने राशि का निर्गम सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाइं की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) जी, हां। कताई मिलों एवं चीनी कारखानों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में क्रमश: 1.00 लाख रु. एवं 9894.00 लाख रु. का बजट प्रावधान किया गया है। इन निर्गमों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण I और II संलग्न है।

(ग) महाराष्ट्र में स्वीकृति एवं निर्मुक्तियों का ब्यौरा भी संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(घ) महाराष्ट्र सरकार को सलाह दी गई है कि वह संबद्ध सहकारी चीनी मिलों को स्वीकृत धन शीघ्र जारी करे एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्रतिपूर्ति दावा करे।

विवरण-I

वर्ष 1998-99 के दौरान सहकारी चीनी मिलों को स्वीकृत सहायता और निर्मुक्ति का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

राज्य/मिलों के नाम	अंशपूंजी भागीदारी			आधुनिकीकरण सह. विस्तार			चीनी उप उत्पाद ईकाइयां		
	1.4.98 तक अवितरित स्वीकृति	1998-99 के दौरान स्वीकृति	निर्मुक्ति 1998-99	1.4.98 तक अवितरित स्वीकृति	1998-99 तक के दौरान स्वीकृति	निर्मुक्ति 1998-99	1.4.98 तक अवितरित स्वीकृति	1998-99 के दौरान स्वीकृति	निर्मुक्ति 1998-99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
तमिलनाडु									
1. माडिप्पिसई के.आर. रामास्वामी सहकारी चीनी मिल लि., जिला-नागई कायड-ई-मलाह	-	-	-	-	-	-	131.30	-	-
2. मल्लाकुरूची चीनी मिल लि., जिला, पडयाचियार	-	-	-	-	-	-	120.25	-	-

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	अमरावती सहकारी चीनी मिल लि., जिला-कोयम्बटूर	-	-	-	-	-	-	82.39	-	-
4.	सलेम सहकारी चीनी मिल लि., जिला-सलेम	-	-	-	-	-	-	82.39	-	-
	उप-योग	-	-	-	-	-	-	416.33	-	-
महाराष्ट्र										
1.	श्री सतपुड़ा ताप्ती परिसर सहकारी कारखाना लि., जिला धुले	-	-	-	-	-	-	212.08	-	-
2.	डा. वी.वी. पाटिल सहकारी साखर कारखाना लि., बीड	663.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	इन्दिरा सहकारी साखर कारखाना लि., जिला-परभणी	510.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	चन्द्रप्रभा सहकारी कारखाना लि., जिला-सोलापुर	-	-	-	528.38	235.59	-	-	-	-
5.	वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना लि., जिला-बीड़	422.50	-	422.50	-	-	-	-	-	-
6.	बाराशिव-हनुमान सहकारी साखर कारखाना लि., जिला परभणी	422.50	-	422.50	-	-	-	-	-	-
7.	जै अम्बिका सहकारी साखर कारखाना लि., जिला-नान्देड	-	117.00	-	-	-	-	-	-	-
8.	हुतात्माजैवन्तराव सहकारी साखर कारखाना लि., लातूर	-	117.00	-	-	-	-	-	-	-

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	शिवाजी राव पाटिल नीलांगेलर सहकारी साखर कारखाना लि., जिला-लातूर	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-
10.	श्री दत्ता सहकारी साखर कारखाना लि., जिला-कोल्हापुर	-	-	-	-	198.15	198.15	-	-	-
11.	श्री दत्ता सहकारी साखर कारखाना लि., जिला-कोल्हापुर	-	-	-	-	670.00	-	-	-	-
12.	श्री कोण्डेस्वर सहकारी साखर कारखाना लि., जिला-अमरावती	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-
	उप-योग	2018.00	414.00	845.00	528.38	868.15	433.74	212.08	-	-
पंजाब										
1.	नाकोदर सहकारी चीनी मिल लि., जिला-जालन्धर	-	-	-	-	-	-	18.20	-	-
कर्नाटक										
1.	श्री पाण्डवपुरा सहकारी साखर कारखाना, जिला-माण्डया	-	-	-	396.04	-	396.04	-	-	-
2.	वानीविलास सहकारी चीनी कारखाना लि., जिला-चित्रदुर्ग	-	-	-	15.38	-	3.97	-	-	-
3.	रयातर सहकारी साखर कारखाना लि., जिला-बागलकेट	-	892.13	892.13	-	-	-	-	-	
	उप-योग	-	892.13	892.13	411.42	-	400.01	-	-	-

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
केरल										
1.	सहकारी चीनी मिल लि., जिला पालाक्कड़	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-
मध्य प्रदेश										
1.	जवाहर लाल कृषि उत्पाद एवं प्रसंस्करण समिति लि., जिला खरगन	-	892.13	-	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश										
1.	किसान सहकारी चीनी मिल लि., जिला सहारनपुर	-	-	-	1950.00	-	-	-	-	-
2.	किसान सहकारी चीनी मिल लि., जिला लखीमपुर खीरी	-	-	-	1721.25	-	550.69	-	-	-
3.	सरजू सहकारी चीनी मिल लि., जिला लखीमपुर खीरी	-	-	-	1950.00	-	650.00	-	-	-
	उपयोग	-	-	-	5621.25	-	1200.69	-	-	-
गुजरात										
1.	श्री मराली विभाग खांड उद्योग मण्डली लि., जिला मावासारी	-	-	-	-	1110.00	-	-	-	-
	सकल योग	**2018.00**	**2198.25**	**1737.13**	**6561.05**	**2002.15**	**2034.44**	**646.69**	**-**	**-**

एस. ऑवर : बकाया

विवरण-II

वर्ष 1998-99 के दौरान सहकारी कताई कार्यक्रमों के लिए स्वीकृत/निर्गत स्कीमवार सहायता का ब्यौरा

(लाख रु. में)

	1.4.98 के अनुसार अपरिव्ययित स्वीकृत धन	धनराशि (1998-99)	
		स्वीकृत	निर्गत
	1	2	3
I. केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम			
(बुनकर सहकारी कताई मिल)			
1. उत्तर प्रदेश			
कताई मिलों का आधुनिकीकरण			
(क) एस.के.एम. अमरोहा, जिला मुरादाबाद	837.00	0.00	465.00
(ख) एस.के.एम. माउ ऐमा, इलाहाबाद	846.00	0.00	470.00
(ग) एस.के.एम. बाहेरी, बरेली	846.00	0.00	470.00
2. केरल			
कताई मिलों का आधुनिकीकरण			
(क) मालापुरम सी.एस.एम.	0.00	253.80	0.00
(ख) कन्नानोर सी.एस.एम.	0.00	225.00	0.00
II. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम			
(उत्पादक सहकारी कताई मिल)			
1. पंजाब			
कताई मिलों का आधुनिकीकरण			
(क) अबोहर सी.एस.एम., अबोहर	630.35	0.00	0.00

	1	2	3
2. कर्नाटक			
(ख) गडग सहकारी कपड़ा मिल	805.00	0.00	0.00
III. निगम प्रायोजित स्कीम (विपणन संघों को मार्जिन धन)			
1. गुजरात			
गुजकॉट	500.00	0.00	500.00

[अनुवाद]

बडानाला और कोलाब सिंचाई परियोजनाएं

2784. श्री गिरिधर गमांग: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के कोलाब और बडानाला सिंचाई परियोजनाओं के मुख्य बांध का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो बांध की मुख्य नहरों और शाखा नहरों का निर्माण कार्य अब तक पूरा न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) बडानाला सिंचाई परियोजना के चेक बांध के निर्माण हेतु कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है और कितनी धनराशि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) अब तक अपर कोलाब की मुख्य नहर एवं इसकी शाखा नहरों का सम्पूर्ण कार्य तथा बडानाला सिंचाई परियोजना का 92% कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ग) बडानाला सिंचाई परियोजना के अंतर्गत "चेक बांध" नामक कोई घटक नहीं है।

[हिन्दी]

परियोजनाओं को मंजूरी

2785. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत पशुपालन संबंधी कितने प्रस्ताव 1995 से अब तक केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) इन प्रस्तावों पर निर्णय लेने में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा कब तक इन प्रस्तावों पर निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय पशुपालन और डेयरी विभाग को वर्ष 1995 से मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग से चार प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया गया और इनकी जांच की गई। इन चारों प्रस्तावों को दिनांक 25.9.97, 3.10.98 और 21.10.98 के आदेशों द्वारा मंजूरी प्रदान की जा चुकी है।

[अनुवाद]

बाजार समर्थन मूल्य

2786. श्री अर्जुन सेठी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को जानकारी है कि सरकार द्वारा किसानों को उपलब्ध कराए जाने वाले बाजार समर्थन मूल्य किसानों, विशेषकर सीमान्त और मध्यम दर्जे के किसानों, तक नहीं पहुंचते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) सरकार प्रत्येक मौसम में मुख्य कृषि जिंसो के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है एवं राज्य सरकारों द्वारा अभिज्ञात अन्य अधिकरणों के अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम, भारतीय जूट निगम, भारतीय कपास निगम, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ एवं तम्बाकू बोर्ड जैसे सार्वजनिक एवं सहकारी अभिकरणों के माध्यम से खरीद कार्य करती है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीमान्त छोटे एवं मध्यम किसानों द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत की गई जिंसों को पूरी मात्रा में खरीद लेती है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन केंद्रों में अनियमितताएं

2787. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने मध्य प्रदेश के रीवा शहर में छापा मारकर कुछ सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों में अनियमितताएं पाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन अनियमितताओं को रोकने हेतु कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी, हां। शिकायतें प्राप्त हो जाने पर दिनांक 16.9.98 को एसटीडी/पीसीओ टेलीफोनों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) (1) पीसीओ आवंटिती दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित किये मार्ग निर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं अथवा नहीं, यह देखने के लिए आवधिक आकस्मिक निरीक्षण किये जाते हैं।

(2) यदि मार्ग निर्देशों के उल्लंघन के बारे में पता चलता है तो नियमों के अन्तर्गत फोन डिस्कनेक्ट करने के लिए कार्रवाई की जाती है। विद्यमान मामले में अनियमितताओं को टेलीफोन नं. 41918, 41318 तथा 41299 के पीसीओ धारक द्वारा ठीक कर दिया गया था। मार्ग निर्देशों का अनुपालन न किये जाने के कारण पीसीओ टेलीफोन नं. 41293 को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	पीसीओ धारक का नाम	एसटीडी पीसीओ नं.	पायी गयी अनियमितताएं
1	2	3	4
1.	श्री आनन्द दूसज	41918	(1) फैक्स मशीन का प्रयोग
			(2) एसटीडी पीसीओ वाले कालिंग नम्बर को जारी रसीदों पर नहीं दर्शाया जाता है।

1	2	3	4
	(2) श्री श्यामलाल	41318	एसटीडी पीसीओ वाले कालिंग नं. रसीद पर नहीं दर्शाया जाता है।
	(3) श्री मोहम्मद मोइजुद्दीन खान	41299	-वही-
	(4) श्री राकेश अग्रवाल	41293	(1) इस्तेमाल में फैक्स मशीन (2) एसटीडी पीसीओ वाले कालिंग नम्बर रसीद पर नहीं दर्शाया जाता है। (3) 180 सेकेण्ड पल्स लोकल कालों पर आयी।

[अनुवाद]

राज्य सरकारों को प्रसारण समयावधि का आबंटन

2788. श्री एम. राजैया: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राज्य सरकारों द्वारा अपनी नीतियों और कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी देने हेतु उन्हें सप्ताह में एक निश्चित प्रसारण समयावधि आबंटित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे जन संचार कार्यक्रमों हेतु क्या कार्रवाई प्रस्तावित है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) प्रसार भारती द्वारा सूचित किया गया है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकारों के कल्याण कार्यक्रमों सहित नीतियों और कार्यकलापों को दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों द्वारा प्रसारित क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों में दिखाया जाता है।

डाक सुविधाएं

2789. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष और अगले चार वर्षों के लिए डाक विभाग की सेवाओं के विकास, विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु एक व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस हेतु अनुमानित वित्तीय आबंटन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कितने स्पीड पोस्ट केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) निजी कूरियर सेवा देने वालों की गतिविधियों हेतु वर्तमान/प्रस्तावित नियामक व्यवस्था का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) और (ख) डाक सेवाओं के विकास, विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कार्यकलाप और कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं जिन्हें बाद में क्रमिक वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता है। चालू वित्त वर्ष (1998-99) की वार्षिक योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण-। में तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के अंतर्गत प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-॥ में दिया गया है।

(ग) नए स्पीड पोस्ट केन्द्रों की स्थापना एक अनवरत प्रक्रिया है तथा यह किसी स्थान विशेष की प्रचालन संबंधी व्यवहार्यता व परियात/राजस्व जुटाने की संभावना पर निर्भर करती है। अत: इसके लिए कोई वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। प्रत्येक मामले की जांच उसके गुणावगुण के आधार पर की जाती है।

(घ) जब कभी भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 की धारा 4 के उपबंधों के उल्लंघन के मामले का पता चलता है, प्रभावी कार्रवाई की जाती है।

विवरण-I

वार्षिक योजना, 1998-99

प्रमुख कार्यकलाप	वित्त परिव्यय (करोड़ रु. में)
1	2
डाक नेटवर्क का विस्तार	4.66
प्रौद्योगिकी का उन्नयन	23.47
सामग्री प्रबंध	0.1
मानव संसाधन विकास	3.2
मेल प्रोसेसिंग का आधुनिकीकरण	10.03
व्यवसाय विकास और विपणन	5.15
डाक जीवन बीमा	4.1
फिलैटली का आधुनिकीकरण और विकास	0.76
डाक भवन और स्टाफ क्वार्टर	28
प्रशासनिक और वित्त प्रबंध को सरल व कारगर बनाना	3.5
जन शिकायत	1.04
कुल	84.01
केन्द्रीय पूल को अभ्यर्थित	0.99
सकल योग	85*

*यह संख्या अनंतिम है तथा इसमें परिवर्तन संभव है।

विवरण-II

नौवीं पंचवर्षीय योजना, 1997-2002

प्रमुख कार्यकलाप	वित्त परिव्यय (करोड़ रु. में)
1	2
डाक नेटवर्क का विस्तार	34.27
प्रौद्योगिकी का उन्नयन	141.7
मानव संसाधन विकास	13.3
मेल प्रोसेसिंग का आधुनिकीकरण	180
व्यवसाय विकास और विपणन	30.7
डाकघरों में बचत कार्य का कम्प्यूटरीकरण	5.95
डाक जीवन बीमा	16.71
फिलैटली का आधुनिकीकरण व विकास	5.12

1	2
डाक भवन एवं स्टाफ क्वार्टर	130
प्रशासनिक एवं वित्त प्रबंध को सरल व कारगर बनाना	22.25
कुल	580*

*यह परिव्यय अनंतिम है तथा इसमें परिवर्तन संभव है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पुनः प्रयोज्य ऊर्जा संस्थान

2790. प्रो. रीता वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय पुनः प्रयोज्य ऊर्जा संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संस्थान को आबंटित 7.5 करोड़ रुपये का व्यय वाणिज्यिक दरों पर जमीन की खरीद के लिए किया गया जो नियमों का सरासर उल्लंघन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ङ) क्या संबंधित राज्य सरकारों को राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के निर्माण हेतु जमीन निःशुल्क उपलब्ध करानी होती है;

(च) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(छ) ऐसे संस्थानों की स्थापना में केन्द्र और राज्य सरकारों की क्या भूमिका है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी हां। सोसाइटिज पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक सोसाइटी को पंजीकृत किया गया है तथा राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संस्थान की स्थापना करने के लिए एक शासकीय परिषद् की संस्थापना की गई है।

(ग) और (घ) जी नहीं। पंजाब सरकार को 75.00 लाख रु. की धनराशि भूमि के लागत के रूप में भुगतान की गई है।

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा संस्थापित राष्ट्रीय संस्थान के लिए राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का कोई दायित्व नहीं है।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रस्तावित संस्थान केन्द्र सरकार का एक स्वायत्त संस्था है और, इसलिए इसकी स्थापना में राज्य सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। तथापि, इसकी अवस्थिति के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार की सहायता की आवश्यकता होगी।

निःशुल्क टेलीफोन सेवा

2791. श्री सी.डी. गामीत :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निःशुल्क टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर अनुमानतः कितना व्यय किया जाएगा;

(घ) इसके परिणामस्वरूप दूरसंचार विभाग को कितने राजस्व की हानि होगी; और

(ङ) सरकार का संभावित राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ): (क) और (ख) सरकार ने दूरसंचार विभाग के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को रियायती टेलीफोन सुविधा अर्थात् निशुल्क

टेलीफोन व निशुल्क कालों में निम्नानुसार रियायत देने का निर्णय किया है।

श्रेणी	नि:शुल्क द्विमासिक रियायत
समूह 'क'	1000 काल
समूह 'ख'	500 काल
समूह 'ग'	300 काल
समूह 'घ'	200 काल

(ग) इस पर होने वाला अनुमानित व्यय 12.12 करोड़ रु. प्रति वर्ष तक है।

(घ) और (ङ) कर्मचारियों को नि:शुल्क टेलीफोन सेवा प्रदान करने से समूह 'क', 'ख', 'ग' तथा 'घ' के कर्मचारियों पर होने वाला वित्तीय व्यय क्रमश: 8085 रु., 4860 रु., 2976 रु. तथा 1944 रु. होगा। तथापि इस सुविधा से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। इस से विभाग के कर्मचारी अन्य प्रचालकों से प्रतियोगिता की चुनौती का सामना करने में और अधिक मानसिक रूप से तैयार हो सकेंगे। इस प्रकार कुशलता तथा उत्पादकता के बढ़ने से, उक्त स्कीम लागू करने में होने वाले व्यय की भरपाई हो सकेगी।

[अनुवाद]

विलंबित बड़ी परियोजनाएं

2792. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :
श्री मोती लाल वोरा :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कुल कितनी बड़ी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ख) उनमें से कितनी परियोजनाएं अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(ग) इन परियोजनाओं के निर्धारित समय के अंतर्गत पूरा न होने के कारण हुई लागत वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का निर्धारित समय से पीछे चल रही परियोजनाओं के शीघ्र पूरा कराने हेतु कोई व्यवस्था करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) सितंबर, 1998 तक 1000 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत वाली केन्द्रीय 40 मेगा परियोजनाएं देश में निर्माणाधीन थीं।

(ख) और (ग) 40 परियोजनाओं में से 23 परियोजनाएं अपने अद्यतन अनुमोदित समय सीमा के संदर्भ में पीछे चल रही हैं। इन परियोजनाओं की लागत 34386.8 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत से बढ़ाकर 58755.2 करोड़ रुपए अर्थात् पहले की अपेक्षा 70.8 प्रतिशत कर दी गई है। समय में वृद्धि के साथ-साथ लागत में इस बढ़ोत्तरी से अन्य पहलुओं जैसे कि सामान्य मूल्यवृद्धि, करों में बढ़ोत्तरी, विदेशी मुद्रा विनिमय में उतार-चढ़ाव तथा क्षेत्र संबंधी परिवर्तन पर असर पड़ेगा।

(घ) और (ङ) मेगा परियोजनाओं को ऊंची प्राथमिकता दी जाती है, समुचित निधियां मुहैया कराई जाती हैं और हर महीने सरकार द्वारा उसकी गहन समीक्षा करवाई जाती है जिससे कि उन्हें पूरा करने में विलंब न होने दिया जाए।

गुजरात में टी.वी. नेटवर्क का विस्तार और उन्नयन

2793. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में नये टी.वी. ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) इस समय गुजरात राज्य में किन-किन स्थानों पर टी.वी. ट्रांसमीटर कार्यशील हैं तथा किन-किन स्थानों पर नये टी.वी. ट्रांसमीटर लगाए जाने है; और

(घ) राज्य में आगामी कुछ वर्षों में टी.वी. ट्रांसमीटरों के विस्तार तथा कार्यक्रमों के उन्नयन का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) और (ख) गुजरात में टेलीविजन सेवा के विस्तार/उन्नयन के लिए गुजरात सरकार सहित विभिन्न मंचों के समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। टेलीविजन परियोजनाओं से संबंध में अंतिम निर्णय लेते समय स्थल की उपयुक्तता, परिणामी कवरेज, वित्तीय संसाधनों एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं जैसे अन्य पहलुओं सहित ऐसे अनुरोध को ध्यान में रखा जाता है जो कि एक सतत प्रक्रिया है और कार्यान्वयन कार्य चरणबद्ध रूप से किया जाता है।

(ग) विद्यमान टेलीविजन ट्रांसमीटरों तथा कार्यान्वयनाधीन ट्रांसमीटरों को दर्शाने वाले विवरण संलग्न है।

(घ) कार्यान्वयनाधीन टेलीविजन ट्रांसमीटर परियोजनाओं के अलावा, राज्य में 9वीं योजना के दौरान कुछ अल्प शक्ति और अति अल्प शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित करने हेतु प्रस्तावित हैं जिनके संबंध में स्थलों का चयन अभी किया जाना है।

विवरण

गुजरात में टेलीविजन ट्रांसमीटर (30.11.98 की स्थिति के अनुसार)

विद्यमान	कार्यान्वयनाधीन
1	2
उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	
अहमदाबाद	भुज (स्थायी रूप से स्थापित)
भुज (अंतरिम)	बड़ोदरा
द्वारका	सूरत
राजकोट	
अहमदाबाद (डी.डी.-2)	

1	2
अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	
आवा	राजुला
अम्बाजी	खंभालिया
अमोद	उमरगांव
अमरेली	मोदासा
बांतवा	लुनावाडा
भन्भर	जमजोधपुर
भड़ूच	राजपिपला
भावनगर	व्यारा
बोताद	
छोटा उदयपुर	
डांडी	
दी-दियापारा	
दीसा	
देवगढ़-बारिया	
धन्धुका	
धर्मपुर	
धरंगाधरा	
धारी	
धोरजी	

1	2
दोहाड	
गोधारा	
इदर	
जामनगर	
झगडिया	
जूनागढ़	
केवड़िया कालोनी	
खंबात	
कोसाम्बा	
लिम्बदी	
महुआ	
मंगरोल (जूनागढ़)	
मंगरोल (सूरत)	
मेहसाना	
मोरवी	
नवासरी	
पालनपुर	
पालिताना	
पाटन	

1	2
पोरबन्दर	
राधांपुर	
रापर	
संजेली	
शामलाजी	
सोनगढ़	
सूरत	
सुरेन्द्र नगर	
थाराड़	
उना	
वडोदरा	
वालसाद	
वेरावल	
गांधीनगर (डी.डी.-2)	
अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	
काकरापाड़	
नेतरांग	
सागवांरा	

[हिन्दी]

सोन नहर

2794. श्री एच.पी. सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक दशक से देहरी आरा सोन नहर योजना के रख-रखाव पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस नहर का आधुनिकीकरण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आधुनिकीकरण कार्य के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) "देहरी क्षेत्र सोन नहर स्कीम" नामक कोई स्कीम नहीं है। तथापि, योजना आयोग ने जुलाई, 1998 में सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना चरण-I को निवेश स्वीकृति प्रदान की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

टेलीफोन पर देशभक्ति धुन

2795. प्रो. अजित कुमार मेहता :
श्री राजवंशी महतो :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अगस्त, 1998 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "फोन्स स्कवायर पैट्रियोटिक टोन, कर्टसी सुषमा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित रिपोर्ट के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या देश में सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को इस समय प्रयोग किए जाने वाले "नमस्कार" को देश भक्ति धुन में परिवर्तन करने के लिए कोई निर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या टेलीफोन एक्सचेंजों की उस स्थान विशेष की भाषाओं में देशभक्ति धुन के प्रयोग की अनुमति दी जाएगी; और

(च) यदि नहीं, तो क्षेत्रीय टेलीफोन एक्सचेंजों द्वारा कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ): (क) और (ख) जी, हां। भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर तकनीकी रूप से व्यवहार्य एक्सचेंजों में 10.8.98 से 15.8.98 के मध्य रात्रि तक डायल टोन के साथ "वन्दे मातरम" फीड करने की अनुदेश जारी किए गए थे।

(ग) जी, नहीं। ऊपर बताए गए अनुसार "वन्देमातरम" केवल 15.8.98 तक के लिए ही फीड किया गया था।

(घ) से (च) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

रोम की यात्रा

2796. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री डी.एस. अहिरे :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री के विशेष दूत, श्री जसवंत सिंह नवम्बर, 1998 के दौरान रोम की यात्रा पर गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यात्रा के दौरान उन्होंने किन-किन गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात की;

(घ) उनके साथ किस प्रकार की बातचीत की गई; और

(ङ) बातचीत के क्या परिणाम रहे?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) रोम की यात्रा, जो जून, 1998 से चल रही बातचीत का एक हिस्सा थी, अमरीका के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, श्री स्ट्राब तालबोट के साथ विचार-विमर्श को जारी रखने के लिए की गई थी। यह बातचीत उन व्यापक प्रस्तावों के आधार पर

की जा रही ह जो भारत ने निरस्त्रीकरण और अप्रसार मामलों के संबंध में अपना पक्ष रखा है जिनमें विस्फोटक नाभिकीय परीक्षणों पर हमारे एक पक्षीय स्वैच्छिक रोक सिद्धांत, इस स्वैच्छिक रोक को अधिकारत: बाध्यताओं में परिवर्तित करते हुए विचार-विमर्श करने की हमारी इच्छा, एक एम.सी.टी. पर रचनात्मक बातचीत करने का हमारा प्रस्ताव, और संवेदनशील प्रौद्योगिकियों में निर्यात पर कड़े नियंत्रण की हमारी नीति की पुन: पुष्टि शामिल है।

(ङ) इस बातचीत के कुछ परिणाम निकले हैं। भारत ने अपनी सुरक्षा चिन्ताओं तथा भारत के लिए न्यूनतम विश्वसनीय नाभिकीय निवारक शस्त्रों को बनाए रखने की आवश्यकता से अवगत करा दिया है। अमरीका ने भारत की चिन्ताओं और अपेक्षाओं के प्रति अपनी समझ-बूझ का परिचय दिया है।

बातचीत अभी जारी है। दोनों पक्ष जनवरी, 1999 में नई दिल्ली में पुन: बैठक करने पर सहमत हुए हैं।

सुपारियों में बीमारी

2797. **श्री पी.सी. थामस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने सुपारियों में लगी बीमारी के उन्मूलन के लिए केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) ऐसी बीमारियों को रोकने और इनका इलाज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) सुपारी में बीमारी को रोकने तथा उसके उपचार के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

(1) किसानों को विशिष्ट सलाह के लिए बीमारी की सीमा के मूल्यांकन के लिए सर्वेक्षण;

(2) सुपारी पाम को स्वस्थ रखने के लिए संस्तुत कृषि विधियों का प्रेक्षण;

(3) बीमारी को फैलने से रोकने के लिए बुरी तरह से रोग से प्रभावित सुपारी के बागानों को समाप्त करना।

टेलीफोन अदालतें

2798. **श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में गठित टेलीफोन अदालतें उपभोक्ताओं की समस्याओं को निपटाने के लिए भली-भांति कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रत्येक नगर और जिला मुख्यालय में अदालतें लगाने तथा ऐसी अदालतें लगाने की बारम्बारता बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सभी दूरसंचार सर्किलों/जिलों में अदालतें प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जानी अपेक्षित होती हैं। अब तक इस प्रकार की अदालतों को आयोजित करने की आवृत्तियों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति

2799. **डा. अशोक पटेल** :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री रामपाल सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति बनाने हेतु अंतर मंत्रालयी सहमति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ): (क) से (ग) भारत सरकार ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में पहले से ही दूरसंचार पर एक दल गठित किया है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सदस्य शामिल किए गए हैं।

[अनुवाद]

हरित क्रांति

2800. **श्री विजय हान्दिक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान उन कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया गया है जिन्होंने हरित क्रांति के लम्बे प्रभावों के बारे में चेतावनी दी है जिसमें कुछ समय तक अच्छी फसल के बाद प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का एक वैकल्पिक कार्यक्रम तैयार करने और किसानो को मोनोकल्चर अर्थात् दो मुख्य फसलों चावल और गेहूं पर पूर्ण रूप से निर्भरता के दुष्प्रभाव की जानकारी देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय प्रोफेसर डा. एस.के. सिन्हा की अध्यक्षता में एक तथ्य खोजी समिति का गठन किया था जिसने पंजाब और हरियाणा में कृषि के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है और संचालन समिति के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ताकि इन राज्यों में फसल के उत्पादन को बनाए रखने और इसमें वृद्धि करने के बारे में जरूरी सुधारात्मक उपाय किये जा सके।

(ख) और (ग) पंजाब और हरियाणा को वे चावल और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के बारे में सलाह देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अपर महानिदेशक (मृदा एवं फसल), पंजाब और हरियाणा के कृषि निदेशक और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक को मिलाकर एक संचालन समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने फसल विविधीकरण के लिए अनुसंधानपरक प्रयासों की ओर एक बार फिर ध्यान देकर उसे गहन बनाया है। विश्वविद्यालय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ कृषि विस्तार के माध्यम से किसानों के लिए शिक्षण कार्यक्रमों का लगातार आयोजन किया जा रहा है ताकि किसानों को नवीनतम उत्पादन प्रौद्योगिकी का अंतरण किया जा सके।

इराक पर प्रतिबंध

2801. **श्री सुधीर गिरि** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इराक पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण वहां की जनता को होने वाले कष्ट की तरफ विश्व जनमत का ध्यान आकर्षित करने में भारत सरकार की क्या भूमिका रही है; और

(ख) इराक की जनता के कष्टों को कम करने के लिए भारत ने किन देशों के साथ संपर्क किया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) इराक से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी संबद्ध संकल्पों के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए अनुरोध करते हुए भारत ने विश्व समुदाय का ध्यान इराकी लोगों के कष्टों की ओर निरंतर आकृष्ट किया है और इन मसलों के शान्तिपूर्ण और राजनयिक समाधान का समर्थन किया है।

सैल्यूलर कम्पनियां

2802. **श्री ए. गणेशमूर्ति** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महानगरों में, महानगर-वार कितनी सेल्यूलर कंपनियां काम कर रही है, और

(ख) ये कम्पनियां किस वर्ष से कार्य कर रही है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ): (क) दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई चार महानगरों में प्रत्येक में दो-दो सैल्यूलर कम्पनियां हैं।

(ख) 1995 से सभी आठ कम्पनियां प्रचालन में है।

[हिन्दी]

प्रसारण न्यायाधिकरण की स्थापना

2803. **श्री मोहन रावले**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विदेशी टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों में अशिष्टता के प्रदर्शन को रोकने और इनसे उठे

विवादों को निपटाने हेतु एक प्रसारण न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त न्यायाधिकरण कब तक स्थापित कर दिया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, सरकार ने विदेशी उपग्रह चैनलों की कार्यक्रम की विषय-वस्तु सहित उन्हें विनियमित करने तथा इन्हें भारतीय कानून की परिधि में लाने के लिए नया प्रसारण कानून बनाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

बार्गी बांध

2804. श्री रामानन्द सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बार्गी बांध के दाहिने किनारे पर प्रस्तावित नहर का निर्माण पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस कार्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है और नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) बार्गी बांध के दायां तट पर प्रस्तावित नहर बार्गी डाइवर्जन परियोजना का एक भाग है इसका निर्माण कार्य, 2014 तक करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) नौवीं योजना के दौरान बार्गी डाइवर्जन परियोजना को 6.81 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं जिसमें से वर्ष 1998-99 के लिए 1.20 करोड़ रुपए राज्य बजट में रखे गए हैं।

[अनुवाद]

पासपोर्ट जारी करना

2805. श्री पी. शंकरन : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रीमियम पर पासपोर्ट जारी करने की कोई नीति शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है और इससे कितना राजस्व प्राप्त होगा;

(ग) क्या पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया का वाणिज्यीकरण करने की चुनौती से निपटने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों को चुस्तदुरस्त कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) सरकार ने किसी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान करने पर पासपोर्ट जारी करने की किसी योजना से संबद्ध किसी फैसले की घोषणा नहीं की है। प्रत्येक श्रेणी के यात्रा दस्तावेजों के लिए आवेदन-पत्र के साथ देय शुल्क समय-समय पर यथा संशोधित पासपोर्ट नियमावली 1980 की अनुसूची IV में निर्दिष्ट है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की वार्षिक वृद्धि

2806. श्री के.पी. मोहन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की 25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि बनाये रखने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिये आधारभूत संरचना निधि स्थापित करने पर भी विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग की वृद्धि, विकास और संवर्धन के लिए यद्यपि कोई विशिष्ट वृद्धि लक्ष्य निर्धारित नहीं की गई है, मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विस्तार, अनुसंधान एवं विकास, मानव संसाधन विकास, गुणवत्ता नियंत्रण तथा अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलापों के लिए अपनी योजना स्कीमों के तहत आसान शर्तों पर ऋण या सहायता-अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के लिए अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने और उत्पाद शुल्कों एवं सीमा-शुल्कों में वित्तीय राहतें देने समेत विभिन्न नीतिगत उपाय कर रही है।

(ख) और (ग) वित्तीय संस्थानों के सहयोग से एक प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र विकास फंड की स्थापना की संभावनाओं की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। अभी तक केवल प्रारम्भिक उपाय ही किए गए हैं अत: ब्यौरे तैयार नहीं किए गए हैं।

प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान

2807. श्री एस.एस. ओवेसी :
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'शेयर' नामक कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित तथा विकासशील देशों के साथ मिलकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा इसके उपयोग के संबंध में अनुभव के आदान-प्रदान का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन देशों के साथ ऐसे आदान-प्रदान चल रहे हैं;

(घ) किन-किन क्षेत्रों में इन अनुभवों का आदान-प्रदान चल रहा है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान देशवार कितने व्यक्तियों को आई.आई.आर.एस. तथा एन.आर.एस.ए. तथा स्पेस अप्लिकेशन सेन्टर्स में प्रशिक्षण दिया गया; और

(च) इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा क्या भावी योजनाएं तैयार की गई हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) विकासशील देशों के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने की दृष्टि से तथा उनके देशों में विकास संबंधी क्रियाकलापों के आयोजन के लिए, सरकार ने शेयर्स (अन्तरिक्ष में अनुभव की भागीदारी) नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अन्तर्गत अन्तरिक्ष उपयोग के क्षेत्र में विकासशील देशों के साथ भारत के कुछ अनुभवों की भागीदारी की जाती है। शेयर्स कार्यक्रम के अन्तर्गत विकासशील देशों के कार्मिकों को वित्तीय सहायता सहित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी (एन.आर.एस.ए.), हैदराबाद और अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (सैक), अहमदाबाद में आयोजित किए जाते हैं।

जबकि शेयर्स कार्यक्रम सभी विकासशील देशों के कार्मिकों के लिए खुला है, पिछले तीन वर्षों में कुल 11 प्रत्याशी प्रशिक्षित किए गए हैं, जिनमें से सुडान से तीन नाइजरिया से दो और ईरान, सीरिया, रूस, कजाखस्तान, नेपाल और मयनमार से एक-एक प्रत्याशी है।

(च) शेयर्स कार्यक्रम को जारी रखने के अलावा, एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में अन्तरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के केन्द्र (सी.एस.एस.टी.ई.-ए.पी.), जो भारत में स्थापित किया गया है, द्वारा आयोजित शैक्षिक पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए एशिया प्रशान्त क्षेत्र के देशों के चुने गए कुछ विद्यार्थियों को शेयर्स कार्यक्रम के अन्तर्गत फैलोशिप प्रदान करने की योजना है।

[हिन्दी]

भारत चीन संबंध

2808. श्री मोहन सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1996 में चीन के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के बाद, दोनों देशों के बीच चल रहे विवादों के समाधान के लिए संयुक्त कार्यदल का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस वर्ष संयुक्त कार्यदल की कोई बैठक बुलाई गई थी; और

(ग) इस बैठक का क्या परिणाम निकला?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी नहीं। दिसम्बर, 1988 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की चीन यात्रा के पश्चात सीमा प्रश्न पर संयुक्त कार्यदल जे.डब्ल्यू.जी. का गठन किया गया जिसका उद्देश्य सीमा प्रश्न का एक उचित, युक्तसंगत और परस्पर स्वीकार्य हल निकालना है।

(ख) जी नहीं। इस संयुक्त कार्यदल की अब तक दस बैठकें हो चुकी है। इसकी अंतिम बैठक 4-5 अगस्त, 1997 को नई दिल्ली में हुई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

किसानों की स्थिति

2809. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों की स्थिति को सुधारने के लिये उनकी आर्थिक दशा का अध्ययन करने हेत एक आयोग स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) किसानों की वास्तविक वित्तीय स्थिति का पता लगाने एवं उसमें सुधार लाने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है। आयोग की संस्थापना एवं इसकी शर्तों एवं कार्य क्षेत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

नई विदेश नीति

2810. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किस वर्ष वर्तमान विदेश नीति तैयार की गई तथा इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे;

(ख) क्या विदेश नीति अपेक्षित उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एक नई विदेश नीति तैयार करने का है; और

(घ) कब तक उक्त नीति तैयार कर ली जाएगी?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) हमारी विदेश नीति के बुनियादी सिद्धांत और उद्देश्य न्याय तथा समानता के साथ, सभी लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करते हुए एक बहुवादी, लोकतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष समाज के रूप में, देश की क्षेत्रीय अखण्डता, सुरक्षा तथा राष्ट्रीय पहचान को संरक्षित रखना है। स्वाधीनता से लेकर अब तक, हमारी विदेश नीति उन सिद्धांतों और उद्देश्यों पर आधारित रही है जो हमारे स्वतंत्र कार्यों और गुट-निरपेक्षता में हमारे अटल विश्वास को परिलक्षित करते हैं। हालांकि विदेश नीति का स्वरूप विश्व में हो रहे विभिन्न परिवर्तनों तथा घटनाओं के प्रतिक्रियास्वरूप स्वभावत: निरन्तर परिवर्तनीय होता है, जिसका हमारी नीति पर प्रभाव पड़ता है, फिर भी इस प्रकार के नीति निरूपण हमारी विदेश नीति के इन सुविख्यात सिद्धांतों पर सदा आधारित होते हैं। विदेश नीति के हमारे उद्देश्य और सिद्धांत हमारे वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति में उपयोगी रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

2811. **कर्नल सोनाराम चौधरी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित कार्य के क्रियान्वयन हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिलों में उक्त योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब होता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन योजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार निर्माण कार्यों के लिए सभी प्रकार की स्वीकृति यथासंभव संबंधित संसद सदस्य से प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के भीतर प्रदान कर दी जानी चाहिए।

(ग) और (घ) संसद सदस्य स्थानाय क्षेत्र विकास योजना संबंधी निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन में देरी के कुछ मामले सामने आए हैं। ऐसे मामलों को संबंधित जिला कलेक्टरों/राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श हेतु उठाया जाता है।

(ङ) और (च) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे संसद सदस्यों के साथ जिला स्तर के अधिकारियों की आवधिक बैठकें आयोजित करने हेतु सामान्य अनुदेश जारी करें एवं राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने हेतु कारगर तंत्र विकसित करें।

टेलीफोन एक्सचेंज

2812. श्री गिरगी एन. रामचन्द्रन:
श्री वैको:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) थिरूवल्लूर तथा श्रीपेरम्बूदूर जिलों में एसटीडी/आईएसडी सुविधायुक्त कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार 1998-99 के दौरान उक्त जिलों में उक्त सुविधायुक्त कुछ नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जबकि थिरूवल्लूर एक जिला है, श्रीपेराम्बूदूर कांचीपुरम जिले में आने वाला एक ताल्लुका है।

थिरूवल्लूर तथा कांचीपुरम जिले में एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधायुक्त कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंज की सं. निम्नानुसार है:-

	कांचीपुरम	थिरूवल्लूर
एसटीडी/आईएसडी सुविधायुक्त एक्सचेंजों की संख्या	42	43

(ख) और (ग) जी, हां। थिरूवल्लूर जिले में एसटीडी सुविधायुक्त कडापक्कम एक्सचेंज 29.4.98 को पहले ही खोला जा चुका है।

कांचीपुरम जिले में अमाईपक्कम तथा चुनाम्पट्ट एक्सचेंजों को 31.3.99 तक एसटीडी सुविधायुक्त बनाए जाने की संभावना है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फील्ड स्टाफ की नियुक्ति

2813. श्री [illegible]पपाल सिंह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान संचार नेटवर्क का विस्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त वर्षों के दौरान नव नियुक्त किए गए महा-प्रबंधक/मंडलीय प्रबंधकों/इंजीनियरों (टेलीफोन) की संख्या क्या है;

(ग) क्या टेलीफोन लाइनों की देख-रेख के लिए फील्ड स्टाफ में भी इसी अनुपात में वृद्धि की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) वर्ष 1995-96 से 1997-98 के तीन वर्षों के दौरान देश में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 9.8 मिलियन से बढ़कर 17.8 मिलियन तथा स्विचन क्षमता 12 मिलियन लाइनों से 21.3 मिलियन हो गई है।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाप्रबन्धक, निदेशक और डिविजनल इंजीनियरों के सृजित पद इस प्रकार हैं:

वर्ष	महाप्रबंधक	निदेशक/जेएजी	डी.ई./एसटीएस
1995-96	16	79	305
1996-97	33	50	95
1997-98	40	76	513

प्रौद्योगिकी में भारी परिवर्तन हुआ है और अनुरक्षण के लिए फील्ड कर्मचारी नए प्रौद्योगिकी उपस्करों की आवश्यकता के अनुरूप हैं।

गाय की नस्लों का लुप्त होना

2814. श्री आदित्य नाथ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लगातार गौ-वध के कारण भारतीय नस्लों की गायों की कुल प्रजातियां लुप्त हो रही है अथवा लुप्त हो चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो गौ-हत्या को रोकने के लिए उठाए जा रहे कारगर उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं। यह ज्ञात है कि मूल प्रजनन क्षेत्रों में किसानों के बीच नस्लों की लोकप्रियता में गिरावट आने तथा कृषि प्रणालियों में परिवर्तन होने के कारण केरल की वेचूर नस्ल तथा आंध्र प्रदेश की पंगानूर नस्ल लुप्त होने के कगार पर हैं।

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने द्वारा क्रियान्वित की गई योजनाओं के अंतर्गत इन नस्लों की न्यूक्लियस पशुयूथों की स्थापना की है तथा उसकी राष्ट्रीय पशु आणुवंशिक संसाधन ब्यूरो के माध्यम से संकटग्रस्त गोपशु नस्लों के वीर्य तथा भ्रूणों को क्रायोप्रीजर्व करने की भी योजनाएं बनाई हैं।

19 राज्यों तथा 6 संघ शासित प्रदेशों ने, संविधान के प्रावधानों के आलोक में गाय तथा इसकी संतति के वध पर रोक/प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाए हैं। जिन सात राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने अपने से संबंधित विशेष कारणों की वजह से गो-वध पर रोक नहीं लगाई है उनके पास स्वदेशी गो-पशु नस्ल के कोई प्रजनन क्षेत्र नहीं हैं।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत, स्वदेशी नस्लों के फार्मों की स्थापना सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

2815. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अनेक राष्ट्रीयकृत बैंकों में केन्द्र सरकार के स्पष्ट निदेश नहीं होने के कारण संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की राशि की बड़ी ब्याज राशि अप्रयुक्त पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गई राशि के ऊपर कार्यान्वयन की धीमी गति के कारण ब्याज मिल जाता है। सभी जिला कलेक्टरों को सलाह दी गई है कि जब तक सरकार द्वारा अर्जित ब्याज के उपयोग के तरीकों के संबंध में निर्णय नहीं ले लिया जाता है, वे संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि का उपयोग न करें।

[अनुवाद]

अपर कृष्णा प्रोजेक्ट

2816. श्री एच.जी. रामुलू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने रायचूर जिले के लिंगसुगुर तालुका में वन क्षेत्र से गुजरने वाली "अपर कृष्णा परियोजना" की "नारायणपुर राइट बैंक कैनाल" के चार किलोमीटर क्षेत्र हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो स्वीकृति कब तक दे दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नारायणपुर दायां तट नहर के निर्माण के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति को अपर कृष्णा परियोजना चरण-II की स्वीकृति के साथ जोड़ा गया है।

डाक सेवाओं का निजीकरण

2817. डा. सुगुण कुमारी चलामेला : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में डाक सेवाओं का आंशिक रूप से निजीकरण किया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) डाक सेवाओं में निजी क्षेत्रों की भागीदारी न्यूनतम हो रही है और यह भागीदारी भी जरूरतमंद क्षेत्रों में बुनियादी डाक सुविधाएं प्रदान करने के विभाग के प्रयासों को बढ़ाने में भूमिका तक ही है। प्राइवेट एजेंसियां डाक-कार्य के आइडेन्टीफाइड क्षेत्र जैसे डाक-टिकटों एवं डाक लेखा-सामग्री की बिक्री, डाक की ढुलाई में तथा कुछेक स्थानों पर पोस्ट-शॉप जैसी अतिरिक्त जन-सुविधाएं प्रदान करने में लगी हैं।

[हिन्दी]

• प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

2818. श्री मित्रसेन यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान और विस्तार कार्यक्रमों के लिए नरेन्द्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद (यू.पी.) को कितनी धनराशि आवंटित की है;

(ख) उक्त कार्यक्रम की प्रगति तथा उपलब्धियां क्या रही हैं; और

(ग) ऐसे कार्यक्रमों के निष्पादन पर सरकार का नियंत्रण किस तरह से है तथा तत्संबंधी समीक्षा प्रतिवेदन क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) महोदय, पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग द्वारा आचार्य नरेन्द्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नरेन्द्रनगर (कुमारगंज) फैजाबाद, उत्तर प्रदेश को 783.05 लाख रुपये की निधि का आवंटन किया गया।

(ख) और (ग) विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही प्रायोजना/ योजनाओं की प्रगति तथा उपलब्धियां तथा इन प्रायोजनाओं/योजनाओं पर कृ.अ.शि.वि./ भा.कृ.अ.प. का नियंत्रण

मुख्य उपलब्धियां

* कुशल स्रोत के उपयोग तथा अधिक पैदावार के लिए विकसित संघटक फसल हेतु प्रौद्योगिकी।

* पता लगायी गई विभिन्न फसल क्रमों के लिए अनुकूल किस्म संयोग।

* विभिन्न फसल प्रणालियों के तहत जुताई मांग।

* पता लगाये गए किसानों के खेतों पर जिन तथ्यों से फसल की पैदावार सीमित हो जाती है।

* नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिन्क तथा सल्फर के प्रति फसल अनुक्रिया का पता लगाना।

* विभिन्न फसलों तथा मृदा टाइम्स के लिए पता लगायी गई उर्वरकों का कुशल स्रोत।

* पोषण उपयोग संबंधी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन कार्बनिक खादें।

* विभिन्न फसल प्रणालियों में आई.एन.एम.।

* फसल पैदावार तथा मृदा उर्वरता अध्ययन पर दीर्घवधि रासायनिक उर्वरक के प्रयोग का प्रभाव।

* फली अनाज फसल प्रणालियों को प्रारंभ करने के लिए राय का पता लगाना।

* औषधीय पौधों में अधिक उपज वाले नीम्बू घास क्लोन एन.एल.जी.-84 (आर) का पता लगाया गया। आहार के साथ नीम्बू घास में अन्त: फसल भी विकसित की गई। एक अफीम किस्म कीर्तिमान (आर) जारी की गई थी।

* मेथी में विस्तार सर्वेक्षण किया तथा एच एम 114 का पता लगाया गया एवं यू एम 304, एच एम 19, यू एम 391 तथा एन डी एम 3 के बाद अधिक अनाज की पैदावार हुई। अक्तूबर के तीसरे सप्ताह के दौरान मेथी के बोने से 1944 कि.ग्रा./है. की अधिक पैदावार दी।

* हल्दी में एन.डी.एच. 6 तथा एन.डी.एच. 2 की प्रविष्टि की गई जिसने अधिकतम रिजोम का उत्पादन दिया।

* सौंफ में 26 प्रविष्टियों में एच 126 ने अच्छा प्रदर्शन किया तथा 15.53 क्विंटल प्रति हैक्टर पैदावार दी।

* पूर्व तथा बाद के फसल कटाई के परिचालन दोनों के लिए विभिन्न कृषि औजारों तथा उपकरणों के बड़ी संख्या में प्रारुप विकसित किये गये है तथा राज्य में इन्हें लोकप्रिय बनाया गया। धान की कटाई के बाद गेहूं के सीधी बुआई के लिए जीरो बुआई विकसित की गई है तथा बड़े पैमाने पर परीक्षणों तथा उसे अपनाने के लिए शुरू की गई है।

* धान की कटाई के बाद गेहूं की सीधी बिजाई के लिए एन.डी.यू.ए.टी. ने ऊर्जा जुताई चालित टिल-प्लांटिंग मशीन का विकास किया है। इसकी फील्ड क्षमता 0.07 है./घं. तुलना में 38% व्यय की बचत होती है।

* फसल और पशुधन उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में खेतिहर महिलाओं, किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

* किसान गोष्ठिगों, फील्ड दिवसों, किसान मेलों का आयोजन तथा किसान साहित्य का वितरण।

* प्रसार क्रिया-कलापों के अन्तर्गत विभिन्न फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान किया गया तथा कार्यरत किसानों की दक्षता में सुधार लाया गया जिनमें से अनेक किसानों को किसान से किसान तक कार्यक्रम में प्रदर्शन दिया गया।

* इस क्षेत्र में बोए जाने के लिए सिफारिश की गई किस्मों की सूची:

अरहर - नरेन्द्र अरहर-1; धान-नरेन्द्र धान 97, नरेन्द्र धान 118, नरेन्द्र यूजर-2; गेहूं-एन.डब्लू. 1014

* दालों और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए 20-25 कि.ग्रा. सल्फर/है. की सिफारिश की गई जिसके परिणामस्वरूप 1995-96 में 14.7 लाख टन तिलहन उत्पादन की तुलना में 1997-98 में उत्पादन 16.68 टन हो गया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में दलहन उत्पादन वर्ष 1995-96 में 22.5 लाख टन की तुलना में वर्ष 1997-98 में 24.15 लाख टन हो गया।

* खाद्यान्न फसलों की उच्च उपजशील किस्मों के परिणामस्वरूप वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रमुख खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में जैसे धान उत्पादन में 10.35 मिलियन टनसे 12.16 मिलियन टन, भक्का उत्पादन में 1.49 मिलियन टन से 1.65 मिलियन टन, गेहूं उत्पादन में 21.81 मिलियन टन से 23.05 मिलियन टन तथा बाजरे के उत्पादन में 1.06 मिलियन टन से 2.26 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई।

विश्वविद्यालय के प्रबंध पहलुओं पर प्रबंध मंडल की बैठक में सांवधिक समीक्षा की जाती है जिसमें भा.कृ.अ.प. के प्रतिनिधि भी अपना योगदान देते है। विश्वविद्यालय में चलाई जा रही अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के परियोजना समन्वयकों द्वारा वार्षिक कार्यशालाएं चलाई जाती हैं। विश्वविद्यालय में चलाई की जा रही परियोजनाओं/योजनाओं की प्रगति पर पंचवार्षिक समीक्षा दल द्वारा निगरानी रखी जाती है। व्यय और प्रगति की समय-समय पर समीक्षा भी की जाती है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में सचल डाकघर

2819. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में सचल डाकघर कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में सचल डाकघर शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी नहीं।

(ख) चूंकि रात्रिकालीन डाकघर कार्य कर रहे हैं। अत: चल डाकघरों की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक में चल डाकघर शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय पनधारा विकास योजना

2820. श्री दिलीप संघाणी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गुजरात के कच्छ, राजकोट, भावनगर, बनसकंठा जिलों जैसे वर्षा सिंचित क्षेत्रों में "राष्ट्रीय पनधारा विकास योजना" शुरू की गई है;

(ख) क्या योजना को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि व्यवसाय संघ

2821. श्री दिनशा पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एस.एफ.ए.सी.) की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या प्रस्तावित संघ कृषि व्यवसाय में सरकारी तथा गैर-सरकारी निवेश के संवर्द्धन के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच एक समन्वय स्थापित करने वाला निकाय होगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) लघु किसान कृषि व्यापार संघ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत 18.1.94 को पंजीकृत किया गया। समिति द्वारा की गई गतिविधियों में केरल में राज्य स्तरीय लघु किसान कृषि व्यापार संघ को प्रोत्साहन, पंजाब कृषि उद्योग निगम के सहयोग से चंडीगढ़ में कृषि व्यापार सूचना केन्द्र की स्थापना एवं लघु किसान कृषि व्यापार संघ एवं इसकी गतिविधियों के बारे में जागरूकता लाने के लिए जिला स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित करना शामिल हैं।

(ग) जी, हां।

इंटरनेट प्रणाली

2822. श्री चैको: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरनेट सेवाओं के प्रयोक्ताओं के द्वारा संकुलन का सामना किया जा रहा है;

(ख) कितने शहरों में रिमोट एक्सेस सर्वर्स स्थापित किए जा रहे हैं;

(ग) यह संकुलन कब तक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा; और

(घ) इस दिशा में सरकार द्वारा किन कदमों को उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी हां, कुछ इंटरनेट नोडो में संकुलन का सामना किया जा रहा है।

(ख) 1999-2000 के दौरान नेशनल इंटरनेट बैक बोन (एनआईबी) के अंतर्गत दूरसंचार विभाग द्वारा 43 स्थानों पर रिमोट एक्सैस सर्वर्स संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) मुम्बई, चेन्नई, बैंगलोर और कलकत्ता में संकुलन समाप्त हो गया है। एनआईबी के कार्यान्वयन के बाद सभी नोडों में संकुलन समाप्त हो जाने की आशा है।

(घ) एनआईबी की योजना पहले ही बना ली गई है और एनआईबी उपस्कर प्राप्त करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय

2823. श्री रवि सीताराम नायक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 1 दिसम्बर, 1998 तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय के क्षेत्राधिकार में कौन-कौन से जिले/राज्य आते हैं और प्रत्येक के क्षेत्राधिकार में कितनी जनसंख्या सम्मिलित हैं; और

(ग) प्रत्येक कार्यालय को गत तीन वर्षों के दौरान औसतन कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे): (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	पासपोर्ट कार्यालय का स्थान	क्षेत्राधिकार का क्षेत्र	क्षेत्राधिकार के पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्र की जन-प्राप्त आवेदन-पत्रों की औसतन संख्या (लगभग संख्या लाखों में)	
1	2	3	4	
1.	अहमदाबाद	गुजरात राज्य और द्वीव संघ शासित क्षेत्र	414	1,57,084
2.	बंगलौर	कर्नाटक राज्य	450	1,33,269
3.	बरेली	उ.प्र. के 31 जिले	447	48,934
4.	भोपाल	मध्य प्रदेश राज्य	662	28,437
5.	भुवनेश्वर	उड़ीसा राज्य	317	10,005
6.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य	716	82,092
7.	चंडीगढ़	पंजाब के 11 जिले, हरियाणा के 14 जिले, हिमाचल प्रदेश राज्य और चंडीगढ़ का संघ शासित क्षेत्र	290	11,55,40

1	2	3	4	
8.	चेन्नई	तमिलनाडु के 14 जिले और पाण्डिचेरी संघ शासित क्षेत्र	321	16,9061
9.	कोचिन	केरल के 5 जिले और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र	104	1,19,084
10.	दिल्ली	दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और हरियाणा के 5 जिले	182	1,88,513
11.	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश के 4 जिले	65	16056
12.	गुवाहाटी	असम, मेघालय, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश नागालैंड और मणिपुर के राज्य	359	10,849
13.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश के 18 जिले	507	2,28,916
14.	जयपुर	राजस्थान राज्य	441	66,927
15.	जालंधर	पंजाब के 6 जिले	93	1,09,460
16.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर के 6 जिले	35	15,414
17.	कोजीकोड	केरल के 6 जिले	115	1,78,958
18.	लखनऊ	उ.प्र. के 36 जिले	882	1,19,734
19.	मुम्बई	महाराष्ट्र के 6 जिले और दमन और दादर एवं नागर हवेली के संघ शासित क्षेत्र	218	3,16,775
20.	नागपुर	महाराष्ट्र के 14 जिले	261	14,118
21.	पणजी	गोवा राज्य	13	26,201

1	2	3	4	
22.	पटना	बिहार राज्य	904	56,106
23.	पुणे	महाराष्ट्र के 6 जिले	198	(16.7.98 से कार्य करना आरंभ किया)
24.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर के 8 जिले	42	8,493
25.	थाणे	महाराष्ट्र के 5 जिले	166	9,762
26.	त्रिची	तमिलनाडु के 15 जिले	240	2,30,301
27.	त्रिवेन्द्रम	केरल के 3 जिले	65	11,370
28.	विशाखापत्तनम	आन्ध्र प्रदेश के 5 जिले	155	54048

प्याज

2824. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्याज का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन-कौन से हैं; और

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान देश में राज्यवार प्याज का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि प्याज के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं।

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान प्याज के उत्पादन का राज्यवार अग्रिम अनुमान संलग्न विवरण में दिया है।

विवरण

वर्ष 1997-98 के दौरान प्याज का राज्यवार अनुमानित उत्पादन

(उत्पादन, लाख मी. टन में)

राज्य	उत्पादन
आन्ध्र प्रदेश	1.84
बिहार	0.82
गुजरात	5.13
हरियाणा	0.45

राज्य	उत्पादन
कर्नाटक	2.80
मध्य प्रदेश	2.07
महाराष्ट्र	10.37
उड़ीसा	3.09
राजस्थान	2.00
तमिलनाडु	2.96
उत्तर प्रदेश	4.49
अन्य	0.78
कुल	36.80

मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ संबंध

2825. श्री ई. अहमद: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को घनिष्ठ बनाने के लिये मध्य एशियाई गणराज्यों की ओर विशेष ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी हां।

(ख) मध्य एशियाई देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये है: आर्थिक वाणिज्यिक, तकनीकी तथा वैज्ञानिक सहयोग के लिए संयुक्त आयोग तथा संयुक्त वाणिज्यिक परिषदों की स्थापना की गयी है, ताशकन्द में वाणिज्य मंत्रालय तथा भारतीय वाणिज्य परिसंघ (सी.आई.आई.) द्वारा संयुक्त रूप से एक भारतीय वाणिज्य केन्द्र चलाया जा रहा है, भारतीय स्टेट बैंक ने ताशकंद में तथा पंजाब नेशनल बैंक ने अल्माटी में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोला हैं इन सभी देशों को ऋण उपलब्ध कराए गए हैं; मध्य एशियाई बाजारों तक एक भूतल मार्ग का विकास करने के लिए फरवरी 1997 में ईरान और तुर्कमेनिस्तान के साथ वस्तुओं के पारगमन पर एक त्रिपक्षीय करार संपन्न किया गया, कई व्यापार शिष्टमंडलों ने इन देशों की यात्रा की है।

हमारे वर्तमान घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा बनाने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने ताशकंद और अल्माटी में दो भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों (आई.सी.सी.) की स्थापना की है। ताशकंद स्थित विश्व अर्थव्यवस्था एवं राजनय विश्वविद्यालय में एक भारत पीठ तथा किर्गिजस्तान के ओश में स्थित ओश विश्वविद्यालय में एक भारत अध्ययन केन्द्र की स्थापना की गयी है। ताशकंद और किर्गिजस्तान में भारतीय सांस्कृतिक दिवसों का आयोजन किया गया तथा इन देशों द्वारा भारत में आयोजित किये गये ऐसे ही समारोहों के लिए सहायता प्रदान की गयी। मध्य एशियाई राज्यों की विभिन्न संस्थाओं को सहायतानुदान दिये जाते हैं। कई सांस्कृतिक दलों ने मध्य एशिया का दौरा किया है। सन् 2000 में बैरम खान तुर्कमान का 500वां जन्म दिवस मनाने के लिए एक भारत-तुर्कमेन संयुक्त आयोग का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में एस.टी.डी. सुविधा

2826. श्री रामदास आठवले: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के सभी दूरभाष केन्द्रों में एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध करा दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो कितने केन्द्रों में अभी यह सुविधा उपलब्ध करायी जानी है; और

(ग) महाराष्ट्र में उन दूरभाष केन्द्रों की संख्या कितनी है जहां वर्ष 1998-99 के दौरान एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधा उपलब्ध करायी जानी है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी, नहीं।

(ख) महाराष्ट्र में अभी 1110 एक्सचेंजों में एसटीडी सुविधा उपलब्ध कराई जानी है।

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान महाराष्ट्र में 250 एक्सचेंजों में एसटीडी/आईएसडी सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रानिकी मीडिया हेतु बुनियादी ढांचा नेटवर्क का विस्तार

2827. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर उड़ीसा में इलेक्ट्रानिक संचार माध्यमों के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्र सरकार के पास कितने प्रस्ताव लम्बित हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) आकाशवाणी/दूरदर्शन के नेटवर्क कवरेज जोन में आने वाले शहरी क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए, केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए कोई पृथक स्कीम नहीं है। उड़ीसा राज्य में आकाशवाणी की सोरो और रायरंगपुर में एक-एक अर्थात् दो स्कीमें कार्यान्वयनाधीन हैं तथा इससे ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्र लाभान्वित होंगे। जहां तक दूरदर्शन का सम्बन्ध है, उड़ीसा में 2 स्टूडियो परियोजनाएं तथा 25 ट्रांसमीटर परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उपरोक्त परियोजनाओं के अलावा उड़ीसा में आकाशवाणी/टी.वी. परियोजनाएं स्थापित करने का फिलहाल और कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत-विरोधी प्रचार का मुकाबला करने के लिए टी.वी. धारावाहिक

2828. श्री राम कृष्ण बाबा पाटील :
श्रीमती रानी नरह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सीमापार से भारत-विरोधी प्रचार का मुकाबला करने के लिए धारावाहिकों के निर्माण हेतु निर्माताओं पर लगे प्रतिबंध हटा लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रसारण के लिए कुछ कार्यक्रमों को मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) प्रसार भारती द्वारा सूचित किया गया है कि ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारत विरोधी प्रचार का मुकाबला करने के लिए पिछले एक वर्ष के दौरान प्रसारण के लिए स्वीकृत कार्यक्रमों की सूची

1. आप की आवाज
2. इन्सानी रिश्ते
3. दहशत का सफरनामा
4. कसक
5. पम्पोश
6. अनकहा दर्द
7. रिश्ते
8. कश्मीर—शायर की नजर से

9. दास्ताने कश्मीर

10. गुर्लास्तान-ए-हिन्दुस्तान

11. मजहब नहीं सिखाता

12. वादियां प्यार की

13. लाल मण्डी म्यूजियम

14. उम्मीद

15. खबर

16. साहित्य एकादमी अवार्ड विनर्स इन कश्मीर

17. चिनार की सरगोशियां

18. जंग अभी जारी है

19. वूमैन हेयर एंड देयर

20. इकोनोमिक पिल्लर्स ऑफ कश्मीर

21. अमन

22. हकीकत

23. आशा

24. पीपुल्स पार्टीसिपेशन इन डिवलेपमेंट प्रोसेस इन जे एंड के

25. एक किरण रोशनी

26. रिशिया वेरा

27. जहन्नुम से वापसी

28. कश्मीर की कहानी

29. कश्मीर तरक्की की राह पर

30. जिन्दगी-जिन्दगी

31. रोशनी

32. तलाश

33. जजबात

34. आज का कश्मीर

35. कश्मीर-ए ट्रेक्कर्स पैराडाइज

36. नकाब के पीछे का चेहरा

37. ट्रैवलर्स टेल्स

38. किरनून के गांव में

39. चिनार के साये में

40. कश्मीर की लोक कथाएं

41. आबरू

42. चिनारों के साये

43. दहशत

44. एडोलसीन-टूडेज चिल्ड्रन इन जे. एंड के.

45. सरहद के पार

46. वजूद

47. लेटैस्ट डिवलेपमेंट इन जे एंड के

48. रोशन उफाव

49. दारा शिकोह एंड कश्मीर

50. जनता जनार्दन

51. छाई

52. एक नई सुबह

53. बुल बुल बाग

54. फिर जगा कश्मीर

55. हकीकत

56. इल्म नूर है

57. दास्तान-ए-कश्मीर

58. दुघ

59. कश्मीरी हसीना

60. जिनेसिस एंड हिस्ट्री ऑफ टेरोरिज्म इन कश्मीर

61. गाफिल

62. कश्मीर-ए-ट्रीलाजी

63. टूरिज्म इन कश्मीर

64. कश्मीर—फिल्मों के आयने में

65. सबरंग

66. कश्मीर—अगर्जिंग फ्रोम दी शैडो ऑफ गुन

67. सर जमीन

68. वापसी

69. इमेजिस ऑफ कश्मीर—दि कल्चर एंड हेरिटेज

70. आयना

71. नेशनल पार्क ऑफ जे. एंड के.

72. हमसाया

73. एक दुनिया सरहद की

74. जम्मू एंड कश्मीर टु लद्दाख

75. आरजू-ए-अमन

76. जे. एंड के. इन दि ईयर 1998-99

77. कश्मीर—क्वेस्ट फॉर पीस

78. आहुति

79. हम होंगे कामयाब

80. और हत्याओं के बाद डोडा में (डोडा मासेकर)

81. केसर भूमि—कश्मीर

82. पुंछ

83. बारह-बराल बाद

84. तबदीलियां

85. जे. एंड के. : न्यू इन्डस्ट्रियल पोलिसी

86. कश्मीर आजकल

87. स्पोर्टस ऑन जे. एंड के.

88. लेटस्ट कश्मीर सिनेरियो

89. मुहाफिज

90. सिसक उठी मिंजार भी

91. प्रोमोशनल सूट्स ऑन जे. एंड के.

92. वूमैन कन्ट्रीब्यूशन इन पालिटिकल, सोशल एंड इक्नोमिक अपलिफ्टमेंट

93. दि सेलियेंट टीयर्स

94. आज का कश्मीर : फिर सुबह तो आएगी

95. दि पैकेज

96. ठिकाना

97. कश्मीर पायम्स थ्रू क्लासिकल डांसिस

98. वादी-ए-कश्मीर

99. कश्मीर समाचार (पिछले हफ्ते)

100. वादी की आवाज

101. दूसरा रुख

102. सेहर

103. दर-ओ-दीवार

104. निशांत

105. सरहर के मुहाजीफ

106. जागते रहे

107. अपने लोग

108. वतन परस्त

109. लोककथा कश्मीर की

110. कौसर

111. कश्मीर

112. लेटेस्ट डिवलेपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर

113. प्रगति की ओर

114. रूइन्स ऑफ मार्टण्ड

115. चेंजिंग फेस ऑफ कश्मीर

116. इन्टर सिक्यूरिटि प्राब्लम्स फ़ेस्ड बाई दि कन्ट्री ओवर फ्यू ईयर्स

117. दिस इज जम्मू

118. विरासत

119. सहारा

120. पीस रिटर्निंग टू पैराडाईज

121. कश्मीर—मिथ्स एंड रिपौलटिज

122. असी बूर विजी विजी लूल हयातस

123. कश्मीर इरिया

124. इम्रोज़

125. मूज कशीर

126. मृग तृषणा

127. हीरो ऑफ जे. एंड के.

128. कश्मीर इन कश्मीरल लिट्रेचर।

ताइपेमुख बांध

2829. श्री था. चौबा सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार असम में विद्युत का उत्पादन करने तथा बाढ़ नियंत्रित करने हेतु मणिपुर तथा मिजोरम सीमा पर ताइपेमुख बांध का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है;

(ग) इसकी अनुमानित लागत कितनी है तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) इस बांध के कब तक पूरा होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) मणिपुर-मिजोरम सीमा पर बराक नदी पर तिपाईमुख बहुद्देशीय परियोजना के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने अन्वेषण पूरे कर लिए हैं तथा इस बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है।

(ख) से (घ) कुछ निश्चित शर्तों के साथ तिपाईमुख बहुद्देश्यीय परियोजना को अगस्त, 1995 में तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दी जा चुकी है जिसकी, 1995 के मूल्य स्तर पर, लागत, 2,899 करोड़ रुपये है। संबद्ध राज्यों अर्थात् मणिपुर, मिजोरम तथा असम के बीच समझौता न होने के कारण इसमें आगे प्रगति नहीं हो सकी।

[हिन्दी]

देश में एफ.एम. सेवाएं

2830. श्री हीरा लाल राय :
श्री राजो सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के कुछ और नए स्थानों पर एम.एम. सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार विशेषरूप से बिहार का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिहार के छपरा जिले में एफ.एम. सेवा कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, हां।

(ख) बिहार राज्य में कुछ नए स्थानों पर एफ एम सेवा शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) पटना स्थित मौजूदा 3 कि.वा. एफ एम ट्रांसमीटर की क्षमता को बढ़ाकर 2×3 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर किया जा रहा

है। इस स्कीम को वर्ष 1999-2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इससे छपरा जिले के कुछ भाग को एफ एम कवरेज उपलब्ध होगी।

उत्तर प्रदेश में फैक्स मशीनें

2831. श्री कीर्ति वर्धन सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कितनी फैक्स मशीनें चल रही थी;

(ख) क्या इन मशीनों को चलाने हेतु लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ग) क्या गोंडा जिले के मनकापुर क्षेत्र में स्थित डाकघर को कोई फैक्स मशीन उपलब्ध नहीं कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त क्षेत्र में यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जाएगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के गोण्डा जिले में कार्यरत फैक्स मशीनों की संख्या इस प्रकार है:

1996-97	05	
1997-98	31	
1998-99	41	(30.11.1998 की स्थिति के अनुसार)

(ख) जी हां। जहां कहीं भी लागू है।

(ग) जी हां। गोण्डा जिले के डाक-घरों में कोई फैक्स प्रदान नहीं किया गया है।

(घ) विभाग की नीति के अनुसार, ब्यूरोफैक्स सेवाएं स्वतंत्र तार-घरों और दूरसंचार केन्द्रों में ही प्रदान की जाती हैं।

(ङ) ब्यूरोफैक्स सुविधा तभी प्रदान की जाएगी जब तार सुविधा का उन्नयन मानदंडों के आधार पर स्वतंत्र तार-घर के स्तर तक कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

कृषि भूमि

2832. श्री वेंकटरामी अनन्त रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में कृषि भूमि के एक बड़े क्षेत्र का अभी भी विकास किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 के दौरान कृषि भूमि के विकास हेतु उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा विकास के लिए वर्ष 1997-98 के दौरान कुल कितने भू-क्षेत्रफल के लिए सहायता मंजूर की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि मंत्रालय आंध्र प्रदेश राज्य में दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें यथा:- नदी घाटी परियोजनाओं के ग्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण और वर्षासिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना चला रहा है। इन स्कीमों का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए पनधारा आधार पर भूमि का विकास करना है उपर्युक्त उद्देश्य के लिए इस राज्य को वर्ष 1996-97 के दौरान 10.93 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गयी थी।

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान इस राज्य में 0.42 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से उपर्युक्त स्कीमों के तहत 15.16 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

दूरसंचार विभाग में रोटेशनल स्थानान्तरण

2833. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार विभाग में रोटेशनल स्थानान्तरण के लिए कोई दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों का, जब तक वे स्थानान्तरण हेतु अनुरोध न करें, स्थानान्तरण न करने का कोई प्रावधान है;

(घ) क्या सरकार सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को उनकी रुचि के स्टेशन पर स्थानान्तरित करने के अनुरोध पर भी विचार करती है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) बारी-बारी से स्थानांतरण संबंधी नीति, वर्ष 1981 में तत्कालीन संयुक्त डाक व तार विभाग के दिनांक 12.11.81 के पत्र सं. 69/4/79-एसपीबी-1 के तहत जारी की गई थी और तदनुसार इसे क्रियान्वित किया गया है। तथापि, आर्थिक कारणों के मद्देनजर दिनांक 26.10.89 के पत्र सं. 249-23/89-एसटीएन के तहत जारी अनुदेशों के अनुसार, फिलहाल बारी-बारी से ऐसे स्थानांतरण नहीं किए जा रहे हैं, जिनसे विभिन्न संवर्गों में कर्मचारियों की संख्या का एक महत्वपूर्ण भाग प्रभावित होता हो।

(ग) जी हां। तथापि, जनहित को ध्यान में रखा जाता है।

(घ) जी हां। प्रशासनिक दृष्टि से व्यवहार्य होने पर।

(ङ) प्रशासनिक दृष्टि से व्यवहार्य होने पर अनुरोध पर अनुग्रहपूर्वक विचार किया जाता है।

(च) लागू नहीं होता।

डाक टिकट जारी करना

2834. श्री के. कृष्णमूर्ति : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीकी सहयोगी तमिलनाडु के प्रसिद्ध उपन्यासकार थिलाइडी वल्लीयामोनाई और कल्ला कृष्णमूर्ति के शताब्दी समारोह के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी नहीं।

(ख) विभाग को थिलाइडी वल्लीयामोनाई पर स्मारक डाक-टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। कालकी कृष्णमूर्ति पर डाक-टिकट जारी करने के प्रस्ताव को फिलैटलिक सलाहकार समिति के समक्ष उसकी आगामी बैठक में रखा जा रहा है।

बीजों की किस्में

2835. श्रीमती शीला गौतम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनाज, दालों, खाद्य तेलों, सब्जियों और फलों के संकर, अधिक उपज वाली किस्मों के, प्रमाणित/बढ़िया बीजों की मांग और पूर्ति के अन्तराल को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) विभिन्न बीजों की अधिक उपज वाली किस्मों के विपणन/वितरण का कार्य कर रहे केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान और प्रायोजित संस्थाओं सहित केन्द्रीय सरकार की बीज का उत्पादन और आयात करने वाली एजेंसियों संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रमाणित/बढ़िया बीजों की अधिक उपज वाली किस्मों के वितरण/विपणन के लिए भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत उपरोक्त बीजों की अधिक उपज वाली किस्मों के आयात के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है और ऐसे आयात किन देशों से किए जाने की अनुमति दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) प्रमाणीकृत/गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में होता है निजी क्षेत्र में बीजों के उत्पादन और उनका किसानों में वितरण जिसमें अनाज, दलहन, खाद्य तिलहन, सब्जियों और फलों के संकर उच्च उत्पादक किस्म, प्रमाणीकृत/गुणवत्ता वाले बीज शामिल हैं, का कार्य राज्य सरकार अपने निजी संगठनों यथा कृषि विभाग के कृषि फार्मों, राज्य बीज निगमों, सहकारी संस्थानों आदि के माध्यम से करती है। राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम बीजों के उत्पादन और वितरण में संलग्न हैं ताकि बीजों

की मांग को पूरा करने में राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा किया जा सके। राज्यों की बीजों की जरूरतों में आयी कमी को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने जोनल बीज समीक्षा बैठकें बुलायी हैं ताकि प्रत्येक बुआई मौसम यथा-खरीफ और रबी पहले बीजों की जरूरत और राज्य सरकारों के पास उनकी उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की जा सके। कम आपूर्ति वाले राज्यों की मांगों को पूरा करने के लिए प्रचुरता वाले क्षेत्रों के बीज उत्पादक एजेन्सियों से आपूर्ति कराया जा रहा है।

(ख) एजेन्सियां जिनको बीजा का आयात करने की अनुमति दी गयी है निम्नलिखित हैं:-

(1) राज्य सरकारों के कृषि/बागवानी विभाग, राज्य कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद

(2) राष्ट्रीय बीज निगम में पंजीकरण कराने के बाद बीज उत्पादक कंपनियां/फर्म

3) राष्ट्रीय बीज निगम

(4) राज्य बीज निगम

(5) सब्जियों और पुष्पों के वे उत्पादक जो राज्य सरकारों के कृषि/बागवानी निदेशक द्वारा पंजीकृत हों।

(ग) भारतीय राज्य फार्म निगम मुख्य रूप से राज्य बीज निगमों, राज्यों के कृषि विभागों और कुछ हद तक अपने द्वारा नियुक्त डीलरों के माध्यम से बीजों की आपूर्ति करता है। विभिन्न राज्य बीज निगमों और कृषि विभागों से मांग पत्र प्राप्त किये जा रहे हैं और किस्म और उपलब्ध मात्रा के आधार पर संबंधित संगठनों को इनकी आपूर्ति की जा रही है। बिक्री या तो खेत के पास या एफ.ओ.आर. डेस्टिनेशन पर की जाती है। भारतीय राज्य फार्म निगम खुदरा बिक्री केन्द्रों से भी बिक्री करता है जिसके लिए एक अलग मूल्य दर निर्धारित की जाती है जो विक्रेता बिक्री दर, डीलरों और राज्य विभागों पर लागू होती है, के अलावा होती है। राज्यों के कृपि विभागों और राज्य बीज निगमों की मांग को प्राथमिकता देते हुए डीलरों को बीजों की आपूर्ति की जाती है ताकि वे किसानों को आगे वितरण कर सकें।

(घ) पादप, फल और बीज आदेश, 1989 के शर्तों के अधीन सब्जी बीजों का आयात केवल उन्हीं देशों से करने की अनुमति है जो खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत बीज उपलब्ध कराते हैं।

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

2836. श्री यू.वी. कृष्णमराजु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश के विशेष रूप से काकीनाडा टेलीफोन एक्सचेंज में इस समय नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए जिला-वार कितने आवेदन-पत्र लम्बित हैं; और

(ख) प्रतीक्षा-सूची में शामिल आवेदकों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जाएंगे?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) 30.11.98 की स्थिति के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में नए टेलीफोन कनेक्शन हेतु लम्बित आवेदनों की संख्या 201127 है। इसके जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। 30.11.98 की स्थिति के अनुसार काकीनाडा एक्सचेंज को प्रतीक्षा सूची में 968 आवेदन दर्ज हैं।

(ख) नए एक्सचेंज खोलने के अलावा मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है तथा उक्त 201127 की प्रतीक्षा सूची में से चालू वित्त वर्ष के दौरान 1.05 लाख आवेदकों को कनेक्शन दे दिए जाने की संभावना है। आगामी वित्त वर्ष के दौरान शेष प्रतीक्षा सूची को उत्तरोत्तर रूप से निपटा दिए जाने की संभावना है।

विवरण

30.11.98 की स्थिति के अनुसार राजस्व जिलेवार प्रतीक्षा-सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	30.11.98 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदक
1	2	3
1.	आदिलाबाद	3075
2.	अनंतपुर	5737
3.	चित्तूर	12657

1	2	3
4.	कुड्डापाह	5185
5.	पूर्वी गोदावरी	16982
		*यनम संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर
6.	गुण्टूर	18878
7.	हैदराबाद	21835
8.	करीमनगर	13606
9.	खम्माम	7956
10.	कृष्णा	13917
11.	कुरनूल	2433
12.	महबूबनगर	3187
13.	मेडक	3737
14.	नालगौण्डा	8237
15.	नेल्लौर	7839
16.	निजामाबाद	3785
17.	प्रकाशम	7341
18.	रंगारेड्डी	6386
19.	श्रीकाकुलम	2292
20.	विशाखापट्टनम	10104
21.	विजयनगरम	1864
22.	वारंगल	5589
23.	पश्चिमी गोदावरी	18178
	कुल	200800
	यनम संघ राज्य क्षेत्र	327
	कुल (आन्ध्र प्रदेश)	201127

[हिन्दी]

छोटे और सीमान्त किसान

2837. डा. सुशील इन्दौरा :
श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया :
श्री राजो सिंह :
डा. चिन्ता मोहन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छोटे और सीमान्त किसानों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पहली और आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं में छोटे और सीमान्त किसानों की राज्यवार औसत संख्या क्या थी;

(ग) सरकार द्वारा इन किसानों की पहचान के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गये हैं;

(घ) क्या सरकार ने कृषि को लाभप्रद उद्योग बनाने के लिए कोई विशेष योजना बनाई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में प्रचालित जोतों की कृषि संगणना वर्ष 1970-71 से प्रत्येक पांच वर्षों में आयोजित की जा रही है। प्रथम (1970-71) एवं अद्यतन (1990-91) कृषि संगणना के अनुसार देश में छोटी एवं सीमान्त जोतों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) भारत सरकार द्वारा इन किसानों की पहचान के लिए अपनाए गए मानदंड नीचे दिए गए हैं:-

आकार-वर्ग	प्रचालित क्षेत्र
1. सीमान्त जोतें	1.0 है. से कम
2. छोटी जोतें	1.0 है. एवं 2.0 है. से कम

(घ) और (ङ) देश में विभिन्न फसलों के उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि के लिए सरकार फसल विशिष्ट विकास कार्यक्रम/स्कीम क्रियान्वित कर रही है जिसमें किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों एवं स्थान विशिष्ट संकर किस्मों, समेकित कृमि प्रबन्धन के उपयोग, लघु सिंचाई सहित वैज्ञानिक जल प्रबंध का विस्तार एवं उन्नत फार्म उपकरणों के उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी के प्रभावी अंतरण के लिए कृषकों एवं कृषक मजदूरों के प्रशिक्षण सहित किसानों की जोतों पर क्षेत्र प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने तथा नोडल अभिकरणों के माध्यम से खरीद द्वारा किसानों को मूल्य एवं मण्डी समर्थन भी दे रही है। उर्वरकों की राजसहायता प्राप्त आपूर्ति से कृषि उत्पादन की वृद्धि को बनाए रखने के लिए इसके उपभोग में सहायता करती है। इन स्कीमों के अंतर्गत विशिष्ट घटकों के अंतर्गत छोटे एवं सीमान्त कृषकों को विशेष रियायतें/राजसहायता दी जा रही है।

विवरण

छोटी एवं सीमान्त जोतों की संख्या

('000 में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1970-71		1990-91	
		छोटी	सीमान्त	छोटी	सीमान्त
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1065	2492	1972	5211
2.	असम	467	1120	560	1521
3.	बिहार	1109	4874	1438	10193
4.	गुजरात	464	579	915	924

1	2	3	4	5	6
5.	हरियाणा	173	250	304	622
6.	हिमाचल प्रदेश	123	355	166	532
7.	जम्मू एवं कश्मीर	154	713	197	902
8.	कर्नाटक	840	1081	1586	2262
9.	केरल	268	1880	280	5016
10.	मध्य प्रदेश	891	1683	1917	3136
11.	महाराष्ट्र	878	1242	2728	3275
12.	मणिपुर	34	33	49	69
13.	मेघालय	52	55	51	59
14.	नागालैण्ड	16	9	21	13
15.	उड़ीसा	1121	1476	1035	2118
16.	पंजाब	260	518	204	296
17.	राजस्थान	691	940	1019	1517
18.	सिक्किम	–	–	11	26
19.	तमिलनाडु	1109	3125	1275	5848

1	2	3	4	5	6
20.	त्रिपुरा	47	174	69	217
21.	उत्तर प्रदेश	2689	10453	3118	14819
22.	पश्चिम बंगाल	942	2528	1107	4639
23.	अण्डमान व नि. द्वीप स.	1	एन.जी.	2	2
24.	अरूणाचल प्रदेश	9	6	17	16
25.	चंडीगढ़	1	2	एन.जी.	1
26.	दादर व नागर हवेली	3	6	4	6
27.	दिल्ली	6	14	8	26
28.	गोवा	15	48	8	58
29.	लक्षद्वीप	एन.जी.	4	एन.जी.	6
30.	मिजोरम	–	–	23	29
31.	पाण्डिचेरी	4	22	5	26
32.	दमण एवं दीव	–	–	एन.जी.	3
	कुल	13432	35682	20089	63388

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधि का उपयोग

2838. श्री अनूप लाल यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत बिहार को केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित कुल राशि से कितनी राशि खर्च की जा चुकी है तथा इसमें कितनी शेष अप्रयुक्त पड़ी है;

(ख) क्या सरकार का विचार केन्द्र सरकार को धनराशि वापस नहीं करने वाले या इसे समुचित रूप से खर्च नहीं करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अवमोचित निधियां अव्यपगत होती हैं। किसी एक वर्ष की उपयोग न की गई निधियों का उपयोग बाद के वर्षों में किया जा सकता है। अत: इस योजना के अंतर्गत व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण नहीं रखा जाता है। संबद्ध कलेक्टर से प्राप्त सूचना के अनुसार 30.11.98 तक 321.10 करोड़ रुपए की कुल राशि इस योजना के तहत बिहार राज्य को अवमुक्त की गई थी जिसमें से 269.22 करोड़ रुपए की राशि के स्वीकृत किए जा चुकने की रिपोर्ट है जबकि वास्तविक व्यय 230.23 करोड़ रुपए है।

(ख) से (घ) चूंकि इस योजना के अंतर्गत अवमोचित निधियां अव्यपगत होती हैं, अत: उपयोग न की गई निधियां केन्द्र सरकार को लौटाई नहीं जाती। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों के अनुचित उपयोग के बारे में जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो वह मामला उचित कार्रवाई के वास्ते संबद्ध राज्य सरकार के साथ उठाया जाता है।

[अनुवाद]

चावल की किस्में

2839. श्री सी.पी. राधाकृष्णन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा पैदावार बढ़ाने के लिए जारी की गई चावल की नई किस्मों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या छोटे किसानों के लिए सस्ते दर पर बीज उपलब्ध किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उपयुक्त दर से समय पर आसानी से बीज की उपलब्धता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1991 से अब तक विभिन्न परिस्थितिक स्थितियों में उगाने के लिए लगभग 155 किस्में विकसित और जारी की हैं। (वर्ष 1966 से अब तक कुल मिलाकर 530 किस्में जारी की गई)। उन्नत किस्मों में अधिक पैदावार देने की क्षमता, दबावों के प्रति आमतौर पर बेहतर प्रतिरोधिता/सहिष्णुता अथवा कृषि परिस्थितियों में उगाने के लिए अधिक उपयुक्त हैं। जो किस्में लोकप्रिय हुई वे संलग्न विवरण में दी गई हैं:-

उन्नत किस्मों ने चावल उत्पादन और उत्पादकता में क्रान्ति लाने और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता लाने में मुख्य भूमिका निभाई है।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम के तहत चावल की किस्मों के प्रमाणित बीजों पर 200 रु./ क्विंटल की दर से प्रोत्साहन दिया गया है। (पिछले 10 वर्षों में अधिसूचित की गई किस्मों तक सीमित)। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को वरीयता दी जाती है।

(ग) शून्य।

विवरण

विभिन्न कृषि परिस्थितियों के लिए जारी की गई चावल की लोकप्रिय किस्में

राज्य	परिस्थितिक पद्धति	किस्मों के नाम
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	सिंचित	तेल्ला हंसा, सुरेखा, एरामल्लेलू कृष्णा हंसा, त्रिगुणा।
	बारानी उपरांऊ	तुलसी*, आदित्य*
	बारानी उथली	फाल्गुन, स्वर्ण, साम्बा महसुरी, कृष्णावेनी, चैतन्य
2. असम	सिंचित	रासी*
	बारानी उथली	लक्ष्मी, बहादुर, कुशल, रणजीत, मनोहरशाली, महसूरी।
	बाढ़ के बाद	कलिंगा-III
3. बिहार	सिंचित	गौतम, राजेन्द्र धान-201, राजेन्द्र धान-202
	बारानी उपरांऊ	वंदना, हीरा*
	बारानी उथला जल	महसुरी, जयश्री, जानकी
	बारानी अर्ध-गहरा जल	सुधा, जोगेन
	बारानी गहरा जल	वैदेही, जलमग्न
4. गोवा	सिंचित	सुरक्षा*, रासी*, कारजट-2
	बारानी उपराऊं	गोआ-1, आनन्द
5. गुजरात	सिंचित	गौड़-10, अम्बिका, नर्मदा, जया*
	बारानी उपराऊं	जी.आर. 3

1	2	3
6. हरियाणा	सिंचित	हरियाणा बासमती, वरौरी बासमती, बासमती 370, पूसा बासमती-1, पी.आर. 108
7. हिमाचल प्रदेश	बारानी उपराऊं	वी एल धान-221, आरपी 2421, हिमालय-741
8. जम्मू और कश्मीर	सिंचित	पूसा बासमती-1*, कस्तूरी* रत्ना
9. कर्नाटक	सिंचित	प्रकाश, लाल अन्नपूर्णा, माण्डया वाणी
	बारानी उपराऊं	आई ई टी 7564, तुलसी*
10. केरल	सिंचित	पविझाम, माता त्रिवेणी, कैराली, रंजनी*
	क्षारीय	व्यतिल्ला-2
11. मध्य प्रदेश	सिंचित	महामाया
	बारानी उपराऊं	तुलसी, आदित्य, जवाहर धान-3-43*, फाल्गुन, महसूरी, क्रांति।
बारानी उथला जल		
12. महाराष्ट्र	सिंचित	पूसा बासमती, करजात-2
	बारानी उपराऊं	रत्नगिरि 73-1-41, तेनी
	क्षारीय	पनवेल-1, पनवेल-2, सी एस टी-7-1*
13. मणिपुर	सिंचित	पुंशी, मणिफोविबी-I
14. मेघालय	बारानी उथला जल	एन ई एच मेघा राइस-1, एन ई एच मेघा राइस-2

1	2	3
15. उड़ीसा	बारानी उथला	राजेश्वरी, उर्वशी, समलेह,
	जल/सिंचित	महालक्ष्मी, सोनामणि
	बारानी अर्ध-गहरा जल	उत्कल प्रभा, कंचन
16. पंजाब	सिंचित	आई आर 8*, जया*, पीआर 106, पी आर 108, बासमती-370, बासमती-385, पूसा-44-33*, पूसा बासमती-1*, पी आर 111
17. पांडिचेरी	सिंचित	बारानी दसन, अरविन्द, सावित्री*
	उथला जल	सावित्री*
18. राजस्थान	सिंचित	बी.के. 79, बासमती-370*
19. तमिलनाडु	सिंचित	कुरुवई, थालदिलेट, सांबा
	अगेती	आई आर 64*, आई आर-50*
	मध्यम	को 43, ए डी टी 39, व्हाइट पुन्नी
	उथला जल	सावित्री*, पुन्नी टी पी एस-3, एस डी टी-40
20. उत्तर प्रदेश	सिंचित	गोविन्द
	उपराऊं	नरेन्द्रधान-118
	उथला जल	महसूरी
	अर्ध-गहरा/गहरा जल	जल, लहरी, जलनिधि, जल प्रिया, जितेन्द्र*, चकिया-39
	पहाड़ी क्षेत्र	पंतधान-11

1	2	3
21. पश्चिमी बंगाल	सिंचित	रत्ना*
	उपराऊं	रासी*
	उथला जल	स्वर्णधान*, विराज, आई आर-42
	अर्ध-गहरा	जोगन, पूर्णेन्दु, जलप्रिया
	गहरा	जलधि-1, जलधि-2
	क्षारीय	सी एस आर 10*

* चिन्हित किस्में केन्द्रीय किस्म रिलीज समिति द्वारा जारी की गई किस्में हैं।

[हिन्दी]

वीडियो चोरी

2840. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**
श्री माधवराव सिन्धिया :
श्री सुशील कुमार शिन्दे :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिल्म उद्योग में संगीत और वीडियो चोरी रोकने में सरकार की विफलता के विरोध में 18 अगस्त, 1998 को हड़ताल रही थी;

(ख) यदि हां, तो तथाकथित वीडियो चोरी किये जाने के कारण क्या हैं, इसका स्वरूप क्या है तथा यह किस पैमाने पर की जा रही है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) वीडियो चोरी के बारे में कितनी शिकायतें मिली हैं और इसमें लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) सरकार द्वारा वीडियो चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) भारतीय फिल्म परिसंघ से यह सुनिश्चित किया गया है कि मुम्बई में फिल्म उद्योग ने अनियंत्रित केबल तथा अन्य चोरी के विरुद्ध विरोध करने के लिए दिनांक 18.8.98 को एक दिन की हड़ताल की थी। यह बताया गया है कि केबल/टी.वी. नेटवर्क की अनियंत्रित वृद्धि एवं विस्तार के परिणामस्वरूप काफी संख्या में थियेटर बन्द हो गए हैं। सामान्यत: केबल अधिकार, थियेटर में प्रदर्शन के छ: माह के बाद प्रयोग में लाये जा सकते हैं परन्तु इनका अवैध रूप से थियेटर में प्रदर्शन के साथ-साथ प्रयोग किया जा रहा है।

प्रकाशनाधिकार अधिनियम, 1957 के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी, राज्य सरकारों की पुलिस एवं गृह विभागों की है जिनके पास इस अधिनियम की धारा-64 के तहत विशेष शक्तियां हैं। ऐसे मामलों से निपटने के लिए अधिकांश राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में प्रकाशनाधिकार प्रवर्तन एकक स्थापित किए गए हैं।

(ग) और (घ) चूंकि प्रकाशनाधिकार अधिनियम के प्रावधानों का प्रवर्तन राज्य सरकारों को सौंपा गया है इसलिए केन्द्रीय सरकार को कोई ज्यादा शिकायतें प्राप्त नहीं होती हैं। केन्द्रीय स्तर पर, प्रकाशनाधिकार अधिनियम, 1957 जिसका संचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, में आधुनिक तकनीक में हुई

प्रगति के अनुसार सामंजस्य बैठाने के लिए पहले ही संशोधन कर दिया गया है तथा दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम के प्रवर्तन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय में एक प्रकाशनाधिकार प्रवर्तन सलाहकार परिषद् गठित की गई है।

प्रकाशनाधिकार कानूनों के संबंध में प्रवर्तन कार्मिकों तथा जन-सामान्य में जागृति लाने के लिए सेमिनार तथा कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

विदेशी कंपनियों को अनुमति

2841. श्री राम टहल चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय किन-किन विदेशी कंपनियों को कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) देश में दूरदर्शन प्रसारण हेतु इनमें से प्रत्येक कंपनी के लिए क्या-क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ग) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्हें भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में प्रसारण की अनुमति दी गई है;

(घ) ऐसे चैनलों का ब्यौरा क्या है तथा प्रतिदिन कितने घंटों का प्रसारण किया जाता है; और

(ङ) क्या सरकार ने इन कंपनियों द्वारा रायल्टी के रूप में देय राशि निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) सरकार ने किसी विदेशी कम्पनी को देश से प्रसारण करने की अनुमति नहीं दी है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

परमाणु परीक्षण पर संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव

2842. श्री माधवराव सिंधिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें भारत के परमाणु परीक्षण की निन्दा की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में परमाणु परीक्षण पर व्यक्त चिन्ता को मनमाने ढंग से परिभाषित भारत और पाकिस्तान तक सीमित भौगोलिक उप-भूभाग तक ही सीमित रखा है और उन्हें परमाणु अप्रसार संधि (एनपीए) और व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि (सीटीबीटी) पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने 6 जून, 1998 को एक सरकारी वक्तव्य के माध्यम से संकल्प का उत्तर दिया था। इस विषय में 8 जून, 1998 को राज्य सभा में प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य भी दिया था जो कि विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

8 जून, 1998 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के संबंध में प्रधान मंत्री का राज्य सभा में वक्तव्य

महोदय,

6 जून, 1998 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव की जानकारी माननीय सदस्यों को होगी इस मामले में अपनी स्थिति पर मैं इस सदन को विश्वास में लेना चाहूंगा।

हमें खेद है कि सुरक्षा परिषद ने एक ऐसे तरीके से कार्य किया है जिसमें इसने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो इसके उद्देश्यों की पूर्ति करने में पूर्णत: सहायक नहीं है। प्रस्ताव में नाभिकीय अप्रसार का कई बार जिक्र किया गया है। जैसा कि मैंने इस सदन में अपने पूर्व वक्तव्य में कहा था कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक जिम्मेदार और प्रतिबद्ध सदस्य हैं। प्रस्ताव में हमसे कोई भी नाभिकीय शस्त्र परीक्षण विस्फोट न करने के लिए कहा गया है। भारत के लिए इस प्रकार का आग्रह करने का कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि हम इस कार्यक्रम को स्थगित रखने की स्वैच्छिक घोषणा पहले ही कर चुके हैं। हमने इस प्रतिज्ञा को विधिवत बाध्यता के रूप में परिणत करने के उपाय खोजने की अपनी इच्छा का भी संकेत दिया है। इसके अलावा हमने जेनेवा में निरस्त्रीकरण

सम्मेलन में विखण्डनीय पदार्थों में कटौती से संबद्ध संधि पर बहुपक्षीय बातचीत में शामिल होने के लिए अपनी तत्परता के बारे में स्पष्ट संकेत दिया है। तथापि, हम विखण्डनीय सामग्रियों के उत्पादन पर एकतरफा रोक लगाने के लिए इन बातचीतों के प्रति अपने आप को पहले से ही प्रतिबद्ध नहीं कर सकते हैं। अप्रसार के प्रति अपनी वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए हम नाभिकीय सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर शक्ति से नियंत्रण रखते हैं। इस संबंध में हमारा रिकार्ड दोषरहित रहा है और उन कुछ देशों से बेहतर रहा है जो नाभिकीय अप्रसार संधि के पक्षकार हैं अथवा नाभिकीय आपूर्तिकर्ता दल के सदस्य हैं अथवा यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य हैं।

तथापि, संकल्प में यह आह्वान किया गया है कि हमें अपने नाभिकीय कार्यक्रम बन्द कर देने चाहिए अथवा हमारे प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम स्वीकार्य नहीं हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा निर्णय अपने स्वयं के आंकलनों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर युक्तियुक्त तथा उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से लिए जाएंगे। यह अधिकार जिसका दावा हम अपने लिए करते आए हैं, कोई नया दावा नहीं है, अपितु यह प्रत्येक संप्रभुता संपन्न देश का अधिकार है और यह एक ऐसा अधिकार है जिसका पिछले पचास वर्षों से इस देश की हर सरकार ने जोरदार शब्दों में समर्थन किया है।

इस संकल्प में एक सुस्पष्ट खामी है जिसमें ऐसी मान्यता का पूर्ण अभाव है कि अप्रसार का मसला एक क्षेत्रीय मसला नहीं है बल्कि जिसे एक भेदभाव रहित सार्वभौमिक परिप्रेक्ष्य में किया जाना होगा। हम इस बात को दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इस संकल्प में सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकाय, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय परिलक्षित नहीं होता है जिसमें नाभिकीय हथियारों की वैधानिकता पर प्रश्न चिह्न लगाया गया है और इनकी समाप्ति के लिए तत्काल वार्ता का आह्वान किया गया है।

इस सदन के सभा पटल पर रखे गए भारत की नाभिकीय नीति के विकास के संबद्ध दस्तावेज में हमने नाभिकीय निरस्त्रीकरण के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया है। मुझे यह बात स्पष्ट रूप से कहनी है कि अन्य नाभिकीय हथियार सम्पन्न राज्यों से भिन्न, जो अपने नाभिकीय जखीरों को अपना-अपना अनन्य अधिकार रखने के इच्छुक हैं, भारत की ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है।

सरकार ऐसे कदम उठाने के लिए वचनबद्ध है जिनसे सभी नाभिकीय हथियारों की समाप्ति के लिए किसी सार्वभौमिक अभिसमय के संबंध में खुली वार्ताएं हो सके। भारत द्वारा किए गए हाल के परीक्षणों को शांति और सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में पेश करने का प्रयास पूर्णरूपेण दिगभ्रमित करने वाला है और अप्रसांगिक है। हमारी नीति को इस प्रकार से प्रस्तुत करने से सरकार द्वारा घोषित सकारात्मक उपायों को नजरअन्दाज करता है जिनके बारे में सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण रूपरेखा और क्षेत्रीय संदर्भ दोनों रूपों में, मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। हमारे परीक्षण इसलिए आवश्यक थे क्योंकि एक विकलांग अप्रसार व्यवस्था नाकाम रही और अत: हमने इस विचार को स्पष्ट रूप से नकार दिया कि इनसे क्षेत्रीय और सार्वभौमिक सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

सरकार ने नाभिकीय निरस्त्रीकरण तथा अप्रसार की संपूर्ण श्रेणियों पर प्रमुख वार्ताकारों के साथ अर्थपूर्ण वार्ता में शामिल होने की इच्छा का संकेत दिया है। पिछले सताह विशेष दूत श्री ब्रजेश मिश्र ने इस संबंध में पेरिस तथा लन्दन की यात्रा की। उन्होंने दोनों राजधानियों में वरिष्ठतम अधिकारी स्तर पर बैठकें की थीं। अन्य देशों के साथ भी इसी प्रकार की वार्ता करने की योजना है। इन वार्ताओं को एक ऐसी प्रक्रिया के भाग के रूप में देखा जाना चाहिए जिससे भारत की स्थिति को बेहतर समझबूझ के साथ स्थापित किया जा सकेगा।

माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ विश्वास तथा एक दूसरे के हितों के प्रति सम्मान पर आधारित एक शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण एवम् आपसी लाभकारी संबंध की इच्छा सदा व्यक्त करता रहा है। मैंने दोनों सदनों में पहले भी कहा है तथा इसे मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि एक सुरक्षित और संपन्न पाकिस्तान, भारत के हित में है। द्विपक्षीय संबंधों के प्रति हमारा दृष्टिकोण केवल बकाया मसलों के निपटारे तक ही सीमित नहीं है अपितु सहयोग के एक स्थायी ढांचे के निर्माण की कामना द्वारा भविष्य की ओर भी निर्दिष्ट है जो दोनों देशों के लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जैसा कि मैंने हाल ही में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को लिखा है कि हमें इतिहास के गर्त में पुराने विवादों में ही नहीं फंसा रहना चाहिए और मैं आज भी उन्हें कहता हूं कि हमें अपने इतिहास को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए तथा अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी के कल्याण के बारे में विचार करना चाहिए।

हम पाकिस्तान के साथ सीधी बातचीत के लिए वचनबद्ध रहे हैं। यह राष्ट्र की दृढ़ धारणा और विश्वास को परिलक्षित करता है कि स्थाई और सकारात्मक रूप में सीधी बातचीत ही वह रास्ता है जिस पर हमारे द्विपक्षीय संबंध आगे बढ़ सकते हैं। मैं पाकिस्तान के साथ आधिकारिक स्तर की वार्ता शीघ्र आरम्भ करने की इच्छा को फिर से दोहराता हूं। इस बातचीत के लिए शांति और सुरक्षा (विश्वासोत्पादक उपायों के साथ-साथ) जम्मू और कश्मीर, आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग

तथा सीमा पार के आतंकवाद जैसे विषयों की पहचान कर ली गई है। इन बातचीतों के तौर-तरीकों पर हमने पाकिस्तान के समक्ष यह प्रस्ताव इस वर्ष जनवरी में रखे थे। हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत की प्रक्रिया चाहे कैसी भी क्यों न हो परन्तु इसमें बाहरी हस्तक्षेप को कोई स्थान नहीं दिया जाएगा।

माननीय सदस्यों ने कश्मीर मसले को अंतर्राष्ट्रीय रूप दिए जाने के प्रयासों पर अपनी तीव्र प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। समस्या के इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीयकरण के किसी प्रस्ताव पर भारत की सहमति का कोई प्रश्न नहीं उठता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपने संकल्प में कश्मीर का उल्लेख किया है। यह अस्वीकार्य है तथा इससे इस वास्तविकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का एक अभिन्न अंग है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उन शब्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां संकल्प में कश्मीर का जिक्र किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यह माना है कि भारत-पाक संबंधों का आधार द्विपक्षीय बातचीत होना चाहिए तथा कश्मीर सहित सभी अनसुलझे मसलों का परस्पर स्वीकार्य हल निकाला जाना चाहिए। यह हमारी स्थिति को ध्यान में रखकर किया गया है।

जिन्सों का आयात-निर्यात

2843. श्री रामशकल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जिन्सों के आयात-निर्यात के लिए उनके मंत्रालय में कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समिति द्वारा वर्ष 1997-98 के दौरान प्रस्तुत रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

फिल्मों में अश्लीलता का प्रभाव

2844. डा. उल्हास वासुदेव पाटील : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भद्दे और हिंसक दृश्यों वाली फिल्मों को क्षेत्रीय फिल्म सेंसर बोर्डों द्वारा फिल्म प्रमाणन बोर्ड के निर्धारित मापदण्ड लागू किए बिना ही प्रदर्शन हेतु अनुमति दे दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि फिल्मों में भद्दे और हिंसक दृश्य न हों?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) फिल्मों की चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जांच की जाती है तथा उनको प्रमाणित किया जाता है।

(ख) सरकार ने फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अंतर्गत बोर्ड को वैधानिक मार्गदर्शी सिद्धान्त पहले ही जारी कर दिए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की गई है कि फिल्मों के माध्यम को कलात्मक अभिव्यक्ति एवं सृजनात्मक स्वतंत्रता का अनावश्यक अतिक्रमण किए बिना समाज के मूल्यों तथा मानकों के प्रति जवाबदेह एवं संवेदनशील रहना चाहिए। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-2, खण्ड-3, उप-खण्ड (2) में प्रकाशित सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 805/1/90-एफ.(सी.) दिनांक 6.12.91 का सार

सा.का. केन्द्रीय सरकार चलचित्र अधिनियम, 1952(1952 का 37) की धारा 5ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 9(अ) तारीख 7 जनवरी, 1978 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निदेश देती है कि फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन की

मंजूरी देने के लिए फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्त होंगे:-

1. फिल्म प्रमाणीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि:

(क) फिल्म माध्यम समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बना रहे;

(ख) कलात्मक अभिव्यक्ति और सृजनात्मक स्वतंत्रता पर असम्यक रूप से रोक न लगाई जाए;

(ग) प्रमाणन-व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी हों;

(घ) फिल्म माध्यम स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करें; और

(ङ) यथासंभव फिल्म सौंदर्य की दृष्टि के महत्वपूर्ण और चलचित्र की दृष्टि से अच्छे स्तर की हो।

2. उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुसरण में फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि:-

(1) हिंसा जैसी समाज विरोधी क्रियाएं उत्कृष्ट या न्यायोचित न ठहराई जाएं;

(2) अपराधियों को कार्यप्रणाली, अन्य दृश्य या शब्द जिनसे कोई अपराध का करना उदीप्त होने की संभावना हो, चित्रित न की जाए;

(3) ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं जिनमें:-

(क) बच्चों को हिंसा का शिकार या अपराधकर्ता के रूप में अथवा हिंसा के बलात दर्शक के रूप में शरीक होते दिखाया गया हो या बच्चों का किसी प्रकार दुरूपयोग किया गया हो;

(ख) शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया हो अथवा उनका मजाक उड़ाया गया हो; और

(ग) पशुओं के प्रति क्रूरता या उनके दुरूपयोग के दृश्य अनावश्यक रूप से न दिखाए जाएं।

(4) मूलत: मनोरंजन प्रदान करने के लिए हिंसा, क्रूरता और आतंक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य और ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं जिनसे लोग संवेदनहीन या अमानवीय हो सकते हों;

(5) वे दृश्य न दिखाए जाएं जिनमें मद्यपान को उचित ठहराया गया हो या उसका गुणगान किया गया हो;

(6) नशीली दवाओं के सेवन को उचित ठहराने वाले या उनका गुणगान करने वाले दृश्य न दिखाए जाएं;

(6क) तम्बाकू के सेवन या धूम्रपान को बढ़ावा देने वाले उचित ठहराने वाले या महिमा-मंडित करने वाले दृश्यों को नहीं दिखाया जाता है। (15 सितम्बर, 1997 को जोड़ा गया)।

(7) अशिष्टता, अश्लीलता और दुराचारिता द्वारा मानवीय संवेदनाओं को चोट न पहुंचाई जाए;

(8) दो अर्थों वाले शब्द न रखे जाएं जिनसे नीच प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता हो;

(9) महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार के तिरस्कारपूर्ण या उन्हें बदनाम करने वाले दृश्य न दिखाए जाएं;

(10) महिलाओं के साथ लैंगिक हिंसा जैसे बलात्संग की कोशिश, बलात्संग अथवा किसी अन्य प्रकार का उत्पीड़न या इसी किस्म के दृश्यों से बचा जाना चाहिए तथा यदि कोई ऐसी घटना विषय के लिए प्रासंगिक हो तो ऐसे दृश्यों को कम से कम रखा जाना चाहिए और उन्हें विस्तार से नहीं दिखाना चाहिए;

(11) काम-विकृतियां दिखाने वाले दृश्यों से बचा जाना चाहिए। यदि विषयवस्तु के लिए ऐसे दृश्य दिखाना संगत हो तो इन्हें कम से कम रखा जाना चाहिए और इन्हें विस्तार से नहीं दिखाया जाना चाहिए;

(12) जातिगत, धार्मिक या अन्य समूहों के लिए अवमाननापूर्ण दृश्य प्रदर्शित या शब्द प्रयुक्त नहीं किए जाने चाहिए;

(13) साम्प्रदायिक, रूढ़िवादी, अवैज्ञानिक या राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तियों को दिखाने वाले दृश्यों या शब्दों को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए;

(14) भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता पर संदेह व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए;

(15) ऐसे दृश्य प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए जिनसे देश की सुरक्षा जोखिम या खतरे में पड़ सकती हो;

(16) विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों में मनोमालिन्य नहीं आना चाहिए;

(17) कानून व्यवस्था खतरे में नहीं पड़नी चाहिए;

(18) ऐसे दृश्य या शब्द नहीं प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिससे किसी व्यष्टि या व्यष्टि निकाय या न्यायालय की मानहानि या अवमानना होती हो;

व्याख्या : ऐसे दृश्य जिनसे नियमों के प्रति घृणा, अपमान या उपेक्षा पैदा हो या जो न्यायालय की प्रतिष्ठा पर आघात करें न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत आएंगे।

(19) संप्रतीक और नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का 12) के उपबंधों के अनुरूप से अन्यथा राष्ट्रीय चिह्न और प्रतीक न दिखाए जाएं।

3. फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि:-

(1) फिल्म का मूल्यांकन उसके समग्र प्रभाव को दृष्टि में रखकर किया गया है; और

(2) उस फिल्म पर उस काल, देश की तत्कालीन मर्यादाओं और फिल्म से संबंधित लोगों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है परन्तु फिल्म दर्शकों की नैतिकता को भ्रष्ट न करती हो।

4. ऐसी फिल्में जो उपर्युक्त मानदण्डों पर खरी उतरती हों, किन्तु अवयस्कों को दिखाए जाने के लिए अनायुक्त हों केवल वयस्क दर्शकों को प्रदर्शित करने के लिए प्रमाणित की जाएंगी।

5. (1) निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करते समय बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्म परिवार के साथ देखने योग्य है अर्थात् फिल्म ऐसी होनी चाहिए जिसे परिवार के सभी सदस्य जिसमें बालक हैं, के साथ बैठकर देखा जा सकता हो।

(2) फिल्म के स्वरूप, विषयवस्तु और उद्देश्य को देखते हुए यदि बोर्ड का यह मत हो कि माता-पिता/अभिभावकों को सावधान करना जरूरी है कि क्या बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे को यह फिल्म दिखाई जाए तो निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणीकरण करते समय इस आशय का पृष्ठांकन किया जाएगा।

(3) यदि फिल्म के स्वरूप, विषय-वस्तु और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड का यह मत हो कि फिल्म का प्रदर्शन किसी व्यवसाय विशेष के सदस्यों या किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों तक सीमित रखा जाना चाहिए तो फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्ट दर्शकों तक सीमित रखने के लिए प्रमाणित की जाएगी।

6. बोर्ड फिल्मों के शीर्षकों को बड़े ध्यान से जांच करके सुनिश्चित करेगा कि ये शीर्षक उत्तेजक, अश्लील, आक्रामक अथवा उपर्युक्त मापदण्डों में से किसी मापदण्ड या उल्लंघन न करते हों।

टेलीफोन एक्सचेंज

2845. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में विशेषकर कन्नानोर जिले में सेकन्डरी स्विचिंग एरिया के अंतर्गत विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में टेलीफोन कनैक्शनों के लिए जिला-वार कितने आवेदन-पत्र प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) राज्य में पिछले बकाया कनैक्शनों की सूची को निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में, विशष रूप से कन्नानोर जिले में कोई नया सेकंडरी स्विचिंग-एरिया टेलीफोन-एक्सचेंज खोलने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे टेलीफोन-एक्सचेंज कब तक खोल दिये जायेंगे?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) गौण स्विचन क्षेत्रवार और जिलावार प्रतीक्षासूची के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं और कन्नानोर जिले में एक्सचेंजों की स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान 31-10-98 की स्थिति के अनुसार 7.2 लाख आवेदकों की प्रतीक्षा-सूची में से लगभग 2.37 लाख मामलों को निपटाए जाने की आशा है। शेष प्रतीक्षासूची की पश्चात्वर्ती वर्षों में उत्तरोत्तर रूप से निपटाए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ) कन्नानोर जिले सहित राज्य में नये गौण स्विचन क्षेत्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

केरल-सर्किल में प्रतीक्षासूची में दर्ज आवेदकों की संख्या

गौण स्विचन क्षेत्र	जिला	31.10.98 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा-सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या
1	2	3
कन्नानोर	कसारागोड	35567
कन्नानोर	कन्नानोर	70753
कन्नानोर	माहे संघ राज्य क्षेत्र	2800
कालीकट	व्यनाड	17410
कालीकट	कालीकट	63422
कालीकट	मालापुरम	75455
पालघाट	पालघाट	41608
त्रिचूर	त्रिचूर	81052
एर्नाकुलम	एर्नाकुलम	69622
एर्नाकुलम	इडुक्की	27236
एर्नाकुलम	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	523
कोट्टायम	कोट्टायम	47666
अल्लेप्पी	अल्लेप्पी	43629
पथनामथिट्टा	पथनामथिट्टा	33796
क्वीलोन	क्वीलोन	56127
त्रिवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम	54097
केरल सर्किल के लिए जोड़		720763

विवरण-II

एक्सचेंजों की स्थिति (31.10.98 की स्थिति के अनुसार) (कन्नानोर-गौण स्विचन-क्षेत्र)

एक्सचेंज का नाम	क्षमता	चालू कनैक्शन	कुल प्रतीक्षा-सूची
1	2	3	4
अचिंकानम्	184	154	454
अलाकोंड	1400	1154	1004
अम्बालाथारा	184	159	316
अंजाराकेंडी	3000	2193	1673
अरालम	368	343	673
अट्टेंगनाम	520	342	526
बलाल	368	342	196
बलियापट्टाम-1	1632	1539	2454
बलियापट्टाम-2	4000	3237	0
वनडाडका	184	169	345
वेडाडका	184	159	542
वीमानडी	368	366	587
कन्नानोर-1	6000	4168	5233
कन्नानोर-2	12000	11154	0

1	2	3	4
चपारापडावू	1000	285	632
चंदानाकामपरा	184	168	268
चीमेणी	520	437	551
चेमपेरी	384	374	833
चेंगला	1000	965	1300
चेरूकुन्नू	3000	2120	658
चेरुपुजहा	436	429	1144
चेरूवनचेरी	368	176	351
चेरूवथूर	1400	1318	1638
चिट्टारीक्कल	752	729	640
चिट्टारीपरम्पा	520	393	481
डेलमपडी	152	90	134
इडाक्काड	2000	1512	984
इट्टीकुलम	184	173	140
इचलनगोडे	184	180	461
इरिक्कुर	384	378	976

1	2	3	4
इरिट्टी	1000	634	1572
कडाचिरा	1688	1439	1263
काडीरूर	1000	537	1242
कालनाड	1000	564	1004
कालीचंडुकम	184	181	278
काहनगाड	7000	5952	1806
कनीयाला	184	139	119
करीवेल्लूर	1120	551	1277
कासारागोड	7000	4600	3723
कट्टाथडका	420	386	767
केलाकम	416	386	831
किलीयांथारा	572	560	738
कोलास्सेरी	1000	974	1912
कोलयाड	336	291	383
कोलोलम	368	371	1042
कोठीयूर	152	122	263
कुडीयानमाला	520	355	379

	2	3	4
कुम्बाला	2000	892	1298
कंथीमंगलम	604	587	791
कुथुपरम्पा	3000	3156	2800
कुट्टीकोले	368	367	336
माहे	6000	3156	2800
माईपडी	368	364	439
मलोय	368	314	349
मलूर	368	327	592
मामवराम्	1400	1252	1228
मानक्काडावू	520	477	585
मनगट्टूपरम्परा	816	734	1423
मंजेश्वर	1000	985	1636
यथामंगलम्	1000	907	877
माथिल	368	357	899
मट्टान्नूर	3000	2238	1559
मट्टोल	138	1329	527

1	2	3	4
मय्यील	704	678	733
मुलीयार	520	375	723
मुल्लेरिया	420	418	729
मंडेरी	1000	734	809
नडुविल	520	485	391
नकराजे	336	252	223
नीलेस्वर	4000	2829	1423
पाईवालीका	1000	704	502
पालकोडे	184	160	234
पाल्लीकाडि	1000	980	1000
पानथाडी	184	169	455
पनथूर	184	167	207
पानूर	3000	1799	2448
परप्पा	520	410	275
पय्यानगडी	1448	1430	2339
पय्यान्नूर	5628	3583	3285

1	2	3	4
पय्यावूर	520	466	634
पेरावूर	416	390	1281
पेरडला	420	419	960
पेरिंगथूर	3000	1654	1209
पेरिंगोमे	368	320	483
पेरिया	604	428	821
पेरिला	384	373	570
पेरूमबट्टा	368	354	255
पेरूमपडावू	184	154	333
पेरूवम्बा	352	263	365
पिलथारा	1000	935	922
पुलिंगोमे	568	485	644
पुथुकुन्नु	88	86	403
राजगिरि	152	81	153
राजापुरम्	752	743	840
रामनथाली	752	706	431
श्रीकांडापुरम	1000	935	1198

एक्सचेंजों की स्थिति (31.10.98 की स्थिति के अनुसार) (कन्नानोर गौण स्विचन-सेवा)

एक्सचेंज का नाम	क्षमता	चालू कनैक्शन	कुल प्रतीक्षा-सूची
1	2	3	4
तालीपरम्पा	5000	4033	2828
टेल्लीचेरी-1	5000	4542	5168
टेल्लीचेरी-2	6000	2923	0
थेरथाल्ली	336	173	421
थिलानकेरी	368	300	359
थिरूमेनी	368	221	285
यूवाक्कुन्नू	720	720	1893
त्रिकारपुर	2400	2332	1320
उड्मा	3000	768	2076
उलीक्काल	368	361	688
उप्पाला	1696	1579	1465
उरडूर	420	383	266
वलाक्काई	336	207	812
वलीयापरम्पा	184	182	325

1	2	3	4
वाणीनगर	184	75	187
वाणीयप्पारा	184	174	236
वेंगड	368	310	448
वोरकडी	368	343	620
वराम्	1000	761	344
येथाडका	152	93	213
जोड़	149412	114383	109120

इण्डियन न्यूजपेपर सोसाइटी का अनुरोध और मांगें

2846. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 27 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5716 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इण्डियन न्यूजपेपर सोसाइटी के अनुरोध और मांगों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) सरकार ने इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी के अभ्यावेदन तथा उनकी मांगों के बारे में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. विद्यमान दर ढांचे की पुनरीक्षा करने और यदि आवश्यक हो, नया दर ढांचा फार्मूला सुझाने के लिए एक दर ढांचा समिति गठित की गई है;

2. 9.25 करोड़ रुपए की राशि के विज्ञापन बिलों का भुगतान कर दिया गया है तथा 3.35 करोड़ रुपए के बिलों को भुगतान हेतु पास कर दिया गया है; और

3. चालू वर्ष के बजट में अखबारी कागज के आयात पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

[हिन्दी]

टोन्स ठत्थित सिंचाई परियोजना

2847. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार की सहमति के बिना ही टोन्स ठत्थित सिंचाई परियोजना का निर्माण किया है जिसके कारण मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अनेक गांव जलमग्न हो गए हैं और इस परियोजना के निर्माण के कारण जान-माल और फसलों को भारी क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने अवैध निर्माण को हटाने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को अनुदेश दिए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा इन गांवों को जलमग्न होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने टोंस नदी पर वीयर का निर्माण किया है जिसके कारण मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र जलमग्न हो गया है। इस मामले का समाधान करने के लिए दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक केन्द्रीय जल आयोग में 10.8.98 की आयोजित की गई थी। उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया है कि मध्य प्रदेश में जलमग्नता न हो इसके लिए सभी प्रयास किए जाएंगे तथा दोनों राज्यों ने संयुक्त बाढ़ समिति का गठन करने पर सहमति व्यक्त की।

दूरदर्शन और संचार टावर की स्थापना

2848. श्री सुरेश चंदेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनता की सुविधा के लिए दूरदर्शन और संचार टावर एक साथ/संयुक्त रूप से स्थापित रखने का विगत में निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस नीति को जारी रख रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) जी, हां। दूरसंचार विभाग के साथ उभयनिष्ठ टावरों के उपयोग के लिए निर्णय, दूरदर्शन और दूरसंचार विभाग दोनों के लिए अनुकूलता के आधार पर लिया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में एसटीडी सुविधा वाले इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज

2849. श्रीमती कमल रानी :
श्री अशोक प्रधान :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सभी प्रभागीय मुख्यालयों में एस.टी.डी. सुविधा वाले इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए ऐसे एक्सचेंजों की संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान स्थल-वार ऐसे एक्सचेंजों की संख्या कितनी है;

(घ) कितने स्थलों पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) शेष प्रभागीय मुख्यालयों में कब तक यह सुविधा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कपीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) उत्तर प्रदेश के सभी डिविजनल मुख्यालयों में एस टी डी सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज प्रदान किए गए हैं।

(ख) 256

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) उक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

वर्ष 1998-99 के दौरान स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंजों का स्थान-वार ब्यौरा

क्र.सं.	डिविजनल मुख्यालय का नाम	स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	आगरा	4
2.	अलीगढ़	1
3.	अमरोहा	1
4.	इलाहाबाद	6

1	2	3
5.	अकबरपुर	1
6.	औरिया	1
7.	बरेली	2
8.	बांदा	1
9.	बलरामपुर	1
10.	चमोली	1
11.	देहरादून	1
12.	इटावा	1
13.	गाजियाबाद	2
14.	गौतमबुद्ध नगर	4
15.	गोरखपुर	3
16.	हमीरपुर	1
17.	झांसी	1
18.	कानपुर	8
19.	करवी	1
20.	कोशाम्बी	1
21.	लखनऊ	6
22.	मेरठ	1
23.	मुरादाबाद	3
24.	मऊ	1
25.	महोबा	1
26.	महाराजगंज	1
27.	मेनपुरी	1
28.	उरई	1
29.	पीलीभीत	1
30.	पडरौना	1
31.	रोबर्टगंज	1
32.	सहारनपुर	1
33.	उधमसिंह नगर	1
34.	उन्नाव	1
35.	वाराणसी	2

विश्व बैंक सहायता

2850. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने विश्व बैंक सहायता योजना के अंतर्गत राज्य में जल निकास और सिंचाई कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की सराहना की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए विश्व बैंक द्वारा राज्य सरकार को कुल कितना ऋण प्रदान किया गया है;

(ग) उसमें से कितनी राशि का उपयोग किया गया है तथा अब तक पूरा हुए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विश्व बैंक राज्य सरकार को इस प्रयोजन हेतु और धन देने के लिए सहमत हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विश्व बैंक के ऋण की राशि (करोड़ रुपए में)	उपयोग की गई राशि	पूरे किए गए कार्यों का ब्यौरा
1.	आन्ध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना-III	1300	203	I-सिरीसेलम जलाशय शाखा नहर उप परियोजना मुख्य नहर का 74 के-एम और दो डिस्ट्रीब्यूट्रीस पूर्ण II-सिरी राम सागर उप परियोजना 1. 20.93 किलो मीटर से 35.37 किलो मीटर तक डिस्ट्रीब्यूट्री डी-83 2. डिस्ट्रीब्यूट्री डी.बी.एम.-7बी. से डी.बी.एम.-30 3. 0 से 24 किलोमीटर तक डिस्ट्रीब्यूटरी डी.बी.एम.-31 4. डिस्ट्रीब्यूटरी डी.बी.एम.-22
2.	आन्ध्र प्रदेश आपदा शमन और आपात चक्रवात रिकवरी परियोजना	79.19	15.92	दो मध्यम नालियों और 817 लघु नालियों का सुधार पूरा हो गया है।

(घ) और (ङ) आन्ध्र प्रदेश आर्थिक पुन: संरचना परियोजना के तहत सिंचाई घटक के लिए 568 करोड़ रु. की विश्व बैंक ऋण सहायता के समझौते को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर सामाजिक संवाद

2851. श्री के. येरननायडू : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से दूरदर्शन और आकाशवाणी पर अधिक सामाजिक संवाद हेतु अधिक समय उपलब्ध कराने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से सामाजिक महत्व के संदेशों को प्रसारित करने के लिए दूरदर्शन पर प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रमों में 30 सैकेण्ड से 2 मिनटों के स्लाट्स के रूप में 15 मिनट का समय तथा आकाशवाणी पर 30 मिनट का समय प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। कार्यक्रम संबंधी मामलों को इस समय स्वायत्त निगम के रूप में प्रसार भारती द्वारा निपटाया जा रहा है जिसने सूचित किया है कि मुख्य मंत्री आन्ध्र प्रदेश के अनुरोध के फलस्वरूप दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद आन्ध्र प्रदेश क्षेत्रीय सेवा (डीडी 1) तथा क्षेत्रीय भाषा उपग्रह सेवा (डीडी 8) दोनों पर आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किए गए तथा उपलब्ध कराए गए स्पाट्स तथा लघु कार्यक्रमों के रूप में सामाजिक सन्देशों को प्रसारित करता है। इसी प्रकार, आकाशवाणी प्रतिदिन इसी विषय पर 1 मिनट का स्पाट तथा 10 मिनट का प्रायोजित साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित करता है। उपरोक्त कार्यक्रम प्रति सप्ताह प्रसारित किए जाने वाले मुख्यमंत्री के फोन-इन-कार्यक्रम के अतिरिक्त हैं।

विनिवेश आयोग के सुझाव

2852. प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विनिवेश आयोग ने इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज को निजी पार्टियों को बेचने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां। विनिवेश आयोग ने सरकार के शेयरों की बिक्री नीतिपरक भागीदार को करने की अनुशंसा की है।

(ख) विनिवेश आयोग ने एक करार के अन्तर्गत आई.टी.आई. लि. के 50% शेयरों को नीतिपरक भागीदार को बिक्री करने तथा 26% तक की सरकार की इक्विटी जनता को पेशकश के जरिए भारतीय संस्थानों, लघु निवेशकों तथा कर्मचारियों को बेचने की सिफारिश की है।

(ग) इस प्रस्ताव की जांच सचिवों के कोर ग्रुप द्वारा की जा रही है।

तमिलनाडु के मदुरै में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर की स्थापना

2853. डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मदुरै, तमिलनाडु में एल.पी.टी. की स्थापना करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितने एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है और किस तारीख से वह भूमि खाली पड़ी है; और

(ग) सरकार का मदुरै, तमिलनाडु में एल.पी.टी. की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

दिल्ली में आई.एस.डी./एस.टी.डी./पी.सी.ओ. बूथ

2854. श्री राजवीर सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय दिल्ली में कितने एस.टी.डी./पी.सी.ओ. बूथ कार्य कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनसे कितनी आय प्राप्त हुई है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार को कर चोरी की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) क्या इन एस.टी.डी./पी.सी.ओ. बूथ मालिकों द्वारा अधिक प्रभार वसूलने की कोई सूचना प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) 31.10.1998 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली में 9302 एस.टी.डी./पी.सी.ओ. बूथ कार्य कर रहे हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन पी.सी.ओ. से अर्जित राजस्व इस प्रकार है:

1995-96	107.58 करोड़ रु.
1996-97	140.42 करोड़ रु.
1997-98	164.67 करोड़ रु.

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) एस.टी.डी./पी.सी.ओ. फ्रेंचाइजियों द्वारा अधिक प्रभार वसूल करने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों की जांच की जाती है तथा यदि किसी फ्रेंचाइजी को अधिक प्रभार वसूल करते पाया जाता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

सी.एस.एस. अधिकारियों का पैनल

2855. श्री आर.एस. गवई : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता विवाद के कारण सरकार द्वारा अवर सचिव पदों के लिये केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों के नियमित पैनल को रोक लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में उच्चतम न्यायालय का अंतिम निर्णय प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(घ) कब तक सरकार द्वारा उस आदेश को लागू किये जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) सीधे भर्ती हुए अनुभाग अधिकारियों तथा पदोन्नत अनुभाग अधिकारियों के बीच आपसी वरिष्ठता के बारे में लम्बे अरसे तक चली मुकदमेबाजी के कारण, 1986 के बाद, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) का कोई भी पैनल तैयार नहीं किया जा सका। वर्ष 1984 से 1986 तक की अवधि सम्बन्धी पैनल भी केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा अपास्त (रद्द) कर दिए गए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 09.05.1997 के आदेश द्वारा यह निदेश दिया कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 15.05.1996 को तैयार की गई सांझी वरिष्ठता-सूची (सी.एस.एल.) उसके द्वारा घोषित कानून के अनुसार, नये सिरे से तैयार की जानी अपेक्षित थी। तद्नुसार, सांझी वरिष्ठता-सूची (सी.एस.एल.) संशोधित करके दिनांक 03.12.1997 को जारी कर दी गई।

दुग्ध का समर्थन मूल्य

2856. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश डेयरी विकास निगम ने केन्द्र सरकार से दुग्ध का समर्थन मूल्य निर्धारित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा कोई अंतिम निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अद्यतन प्रौद्योगिकी

2857. श्री हरिभाई चौधरी :
श्री प्रदीप कुमार यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत और विदेश के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित अद्यतन प्रौद्योगिकी का किसानों को हस्तांतरण करने का है जिससे कि वे कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु अधिक उपज वाली प्रौद्योगिकी को अपना सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार और कृषि विश्वविद्यालय किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं तथा राज्यों में फील्ड परीक्षण कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्यों में खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन-कौन से अतिरिक्त उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में 261 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की है। कृषि विज्ञान केन्द्रों की गतिविधियों में ये शामिल हैं - किसानों को निपुणता पर आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण, विस्तार कार्मिकों को उनकी जानकारी को अद्यतन बनाने के लिए सेवा अवधि के दौरान प्रशिक्षण, विभिन्न कृषि प्रौद्योगिकियों पर प्रथम स्तर का प्रदर्शन तथा खेतों पर जांच। इसके अतिरिक्त, स्थान विशेष के आधार पर नई विकसित प्रौद्योगिकियों को कारगर स्थानान्तरण के लिए संस्थान-ग्राम सम्पर्क कार्यक्रम के द्वारा टेक्नोलाजी के मूल्यांकन तथा उसमें सुधार के लिए 42 केन्द्र एवं टेक्नोलाजी के मूल्यांकन और उसके प्रभाव की जांच के लिए 60 केन्द्र चलाए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्ष 1997-98 के दौरान कुल 11365 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिससे बारानी और सिंचित स्थितियों के अन्तर्गत उत्पादन, फलों और सब्जियों की खेती तथा कृषि मशीनों एवं उपकरणों के इस्तेमाल के विभिन्न क्षेत्रों में 2.57 लाख किसानों को लाभ पहुंचा। इसी तरह महत्वपूर्ण तिलहनी और दलहनी फसलों की उत्पादन क्षमता के प्रदर्शन के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों ने 4530 हैक्टेयर क्षेत्रों में क्षेत्र प्रदर्शनों का आयोजन किया।

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्तमान प्रायोजनाएं कार्य करती रहेंगी। इसके अलावा, किसानों और अन्य उपभोक्ताओं के लिए एक ही स्थान से प्रौद्योगिकी समर्थन प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए कृषि टेक्नोलाजी सूचना केन्द्र की स्थापना तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों के अतिरिक्त कार्य को सम्पादित करने के लिए चुनिंदे वर्तमान क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों को सुदृढ़ करने के साथ ही परिषद ने नई प्रायोजनाओं का भी प्रस्ताव किया है।

पटना दूरदर्शन केन्द्र की क्षमता

2858. श्री राजो सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पटना दूरदर्शन केन्द्र की प्रसारण क्षमता बढ़ाने का है ताकि दूरदर्शन चैनल-2 और चैनल-4 के कार्यक्रमों को दूरदर्शन की वर्तमान प्रसारित क्षमता वाले क्षेत्रों से बाहर के क्षेत्रों में भी देखा जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) दूरदर्शन केन्द्र, पटना में स्टूडियो सैट, एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर तथा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (डीडी 2) हैं। हालांकि विद्यमान उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (डीडी 1) जो राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं बिहार क्षेत्रीय सेवा कार्यक्रमों को रिले करता है, के विस्तार की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, पटना में विद्यमान अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (डीडी-2) के स्थान पर एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (डीडी-2) की स्थापना संबंधी स्कीम कार्यान्वयनाधीन है। उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (डीडी-2) के चालू होने से मैट्रो कार्यक्रम (डीडी-2) अधिक क्षेत्र को उपलब्ध होंगे। बिहार क्षेत्रीय सेवा (डीडी-17), उपग्रह के माध्यम से उपयुक्त डिश एन्टेना प्रणाली का उपयोग करके

प्राप्त की जा सकती है। पटना में कोई चैनल-4 कार्यरत नहीं है।

[अनुवाद]

संवर्ग समीक्षा

2859. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना के समय से आज तक कोई संवर्ग-समीक्षा नहीं हुई है;

(ख) क्या उस संगठन में संवर्ग समीक्षा शुरू करने के संबंध में कर्मचारियों द्वारा कोई मांग की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस मांग की वर्तमान स्थिति क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) जी हां, अब तक कोई संवर्ग समीक्षा नहीं हुई है।

(ख) जी हां।

(ग) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन संवर्ग की व्यापक समीक्षा का एक विस्तृत प्रस्ताव हाल में सरकार के विचाराधीन है।

खाद्यान्न उत्पादन

2860. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक नवम्बर 11, 1998 के "हिन्दुस्तान टाईम्स" में "फूडग्रेन आऊटपुट टू बी लोवर इन 1998-99 सी.एम.आई.ई." शीर्षक की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें दिये गये तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सामान्य मानसून के बावजूद खाद्यान्न उत्पादन में कमी के कारणों का पता लगाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) उक्त समाचार 11.11.98 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में नहीं छपा है। तथापि, सरकार को "भारतीय अर्थव्यवस्था के मासिक पुनरीक्षण सी.एम.आई.ई. के अक्तूबर, 1998 के संस्करण" की जानकारी है। इसके अनुसार, वर्ष 1998-99 में खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 193 मिलियन मी. टन तक सीमित रहेगा तथा खरीफ एवं रबी दोनों के उत्पादन पिछले वर्ष के अनुसार होंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रायद्वीपीय वर्षा को अक्टूबर के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाना चाहिए था। तथापि, उस महीने के पहले पखवाड़े में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में असामान्य रूप से भारी वर्षा हुई है और हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में भी वर्षा हुई है। देश के कुछ भागों में चावल, बाजरा, कपास, मूंगफली एवं सूरजमुखी की कटाई पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इस वर्षा से होने वाली कुल क्षति से सी.एम.आई.ई. द्वारा लगाये गये 1998-99 में होने वाले खाद्यान्न उत्पादन में 1.2% वृद्धि के अनुमान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) देश के कुछ भागों में बाढ़ एवं असमय वर्षा से 1998-99 के लिए खरीफ उत्पादन पर थोड़ा प्रभाव पड़ा है। तथापि, अनुकूल मौसम, बेहतर जलाशय स्थिति, बुआई की अच्छी रफ्तार, एवं आदानों की पर्याप्त उपलब्धता आदि के कारण रबी फसल अच्छी होने की संभावना है अत: वर्ष 1998-99 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन की संभावना काफी अच्छी है।

एन.एफ.डी.सी. द्वारा वित्तीय सहायता

2861. श्री ए.सी. जोस : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा अलग-अलग कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) ऐसी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कारपोरेशन द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने क्षेत्रीय भाषा की फिल्में बनाने के लिए वर्ष 1995-96 के दौरान 276.68 लाख

रुपए, वर्ष 1996-97 के दौरान 176.72 लाख रुपए तथा वर्ष 1997-98 के दौरान 394.47 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है।

(ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य विभिन्न भाषाओं में कम लागत वाली, उच्च गुणवत्ता की फिल्मों का निर्माण वित्त पोषण करके अच्छे सिनेमा को प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा फिल्मों के वित्त-पोषण के सभी प्रस्तावों पर सिनेमा जगत के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की स्क्रिप्ट समिति द्वारा पहले विचार किया जाता है।

स्क्रिप्ट समिति की सिफारिशों तथा अन्य तकनीकी/वित्तीय विवरणों के आधार पर राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का बोर्ड गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेता है।

बूचड़खाना

2862. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों में बूचड़खाने स्थापित करने/उनमें सुधार करने के लिए राजसहायता दे रही है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने अपनी 23 मई, 1996 की "गे रिपोर्ट" के रूप में जानी जाने वाली रिपोर्ट के पैरा 6.12 में विशेषरूप से उल्लेख किया है कि निजी रूप से चलाए जाने वाले बूचड़खानों को राजसहायता देने का कोई औचित्य नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक पार्टी/राज्य को कितनी राजसहायता दी गई और प्रत्येक बूचड़खाना, जिसे राजसहायता दी गई है, की क्षमता कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में बूचड़खाने स्थापित करने/उनमें सुधार लाने के लिए अधिकांशतया नगर पालिकाओं और निगमों जैसे स्थानीय निकायों को अनुदान दे रही है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण निजी स्वामित्व वाले बूचड़खाना प्रसंस्करण संयंत्रों को लागत की 25 प्रतिशत सीमा तक वित्त प्रदान करने के लिए प्रत्येक संयंत्र के लिए प्रति लाभार्थी 25 लाख रुपए की राशि और न्यूनतम निर्यात दायित्व की सीमा के अधीन एक योजना क्रियान्वित कर रहा है।

(ख) और (ग) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी बूचड़खाने की स्थापना के लिए किसी निजी पार्टी को कोई राजसहायता नहीं दी गई थी। तथापि, निम्नलिखित दो संयुक्त उद्यम परियोजनाओं को अनुदान राशि प्रदान की गई थी:-

1. पंजाब कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के साथ पंजाब मीट लिमिटेड के एक संयुक्त उद्यम परियोजना को 19.52 लाख रुपए की अनुदान राशि दी गई जिसकी क्षमता प्रतिवर्ष 10000 मीट्रिक टन है। यह पंजाब राज्य में डेराबस्सी में स्थित है।

2. उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम (उत्तर प्रदेश प्रादेशीय औद्योगिक और निवेश निगम लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड) के साथ हिन्द एग्रो उद्योग लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम परियोजना को 447.17 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान की गई थी और इसकी क्षमता 33510 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। यह उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के पास स्थित है। जिस योजना के अंतर्गत ये अनुदान राशियां प्रदान की गई थीं, उसे नौवीं पंचवर्षीय योजना में समाप्त कर दिया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम

2863. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों में राष्ट्रीय दुग्ध विकास निगम द्वारा डेरियों की स्थापना के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम के द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में निगम द्वारा कोई विशेष सहायता कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम नामक कोई संस्थान नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने विवरण-I में दिए गए ब्यौरे के अनुसार कुछ राज्यों में परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

(ग) और (घ) विभिन्न परियोजनाओं को वित्त पोषित करने में, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इस आधार पर भेदभाव नहीं करता कि वे औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में स्थित हैं।

विवरण

आपरेशन फ्लड-III परियोजना को बंद करने के बाद राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे

	मूल क्षमता (ह.ली. प्रतिदिन)	अंतिम क्षमता (ह.ली. प्र.दि.)	बढ़ी हुई क्षमता (ह.ली.प्र. दि.)	कुल (लाख रु. में)
	1	2	3	4
गुजरात				
*सुगम डेयरी बड़ोदा आईसक्रीम संयंत्र विस्तार	6	12	6	450.00
**बनासकांथा डेयरी विस्तार 40 एम.टी.डी. मक्खन तथा 60 एम.टी.डी. सुखानेवाली सुविधाओं के साथ नई डेयरी	–	650	650	12547.74
नए प्रशीतन केन्द्र	–	100	100	327.04
–गोपशु आहार संयंत्र विस्तार (एम.टी.डी.)	100	200	100	320.42
*वल्साद डेयरी विस्तार	100	200	100	128.48
**वल्साद आईसक्रीम संयंत्र	–	25	25	1030.00
**बड़ोदा दुग्ध संघ ई.टी.पी. विस्तार	–	–	–	80.00
**साबरकांथा गोपशु आहार संयंत्र विस्तार (एम.टी.डी.)	100	200	100	260.00
महाराष्ट्र				
*कोल्हापुर डेयरी विस्तार (आपरेशन फ्लड-III की स्मिलओवर)	200	700	500	585.00

	1	2	3	4
-चंदगद सीसी	-	100	100	45.00
-गोगवे सी.सी.	-	50	50	93.66
-गांधीगंज सी.सी.	75	125	50	4.60
-बिद्री सी.सी.	50	100	50	19.35
*वर्धा डेयरी (आपरेशन फ्लड-III की स्पिलओवर)	-	30	30	33.10
दिल्ली				
*मदर डेयरी, दिल्ली (आपरेशन फ्लड-III की स्पिलओवर)				86.19
*मदर डेयरी दिल्ली आईसक्रीम संयंत्र विस्तार	10	20	10	1280.00
*मदर डेयरी दिल्ली अतिरिक्त थोक बिक्री केन्द्र (सं.)	500 (सं.)	575 (सं.)	75 (सं.)	633.00
*मदर डेयरी दिल्ली रेफ्रिजरेशन संयंत्र का आधुनिकीकरण				1125.00
*नोएडा डेयरी (आपरेशन फ्लड-III की स्पिलओवर)				550.00
हरियाणा				
*आदर्श डेयरी करनाल (आपरेशन फ्लड-III की स्पिलओवर)				85.16

	1	2	3	4
पंजाब				
**गुरदासपुर दुग्ध संघ घी पैकिंग मशीन				7.25
बिहार				
*मिथिला दुग्ध संघ बिहार रोसेरा सी.सी. (आपरेशन फ्लड-III की स्पिलओवर)	–	20	20	21.00
कर्नाटक				
*डेम्पो डेयरी का सुदृढ़ीकरण	–	–	–	46.00
*सी.एफ.पी. हसन (एम.टी.डी.)	–	100	100	435.00
**बंगलौर मेघा डायरी				4315.00
-नई डेयरी	–	600	600	
-हौसकोट सी.सी.	–	150	150	
**कोलार डेयरी विस्तार	100	200	100	995.25
गौरी विदनौर सी.सी. विस्तार	60	100	40	
सदली सी.सी. विस्तार	60	100	40	
आन्ध्र प्रदेश				
*बालाजी डेयरी का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण				246.00

	1	2	3	4
केरल				
*मालाबार दुग्ध संघ (उत्तरी केरल डेयरी परियोजना)				
-खोजीखोड डेयरी विस्तार	60	150	90	142.35
-पालाक्कड डेयरी विस्तार	40	100	60	162.91
-पातांबी नई सी.सी.	-	20	20	129.12
-अट्टापाडी नई सी.सी.	-	20	20	121.22
सी.सी.एस. का सुदृढ़ीकरण				52.80
रोड मिल्क टैंकर्स				33.00

*एन.डी.डी.बी. से 100 प्रतिशत ऋण।

**परियोजना लागत का 90 प्रतिशत एन.डी.डी.बी. द्वारा 100 प्रतिशत ऋण के रूप में वित्त पोषित किया जाएगा और शेष 10 प्रतिशत संबंधित संघों द्वारा उनके अपने संसाधनों से वहन किया जाएगा।

[अनुवाद]

मात्स्यिकी और बागवानी का विकास

2864. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और 31 अक्तूबर, 1998 तक प्रत्येक राज्य को मात्स्यिकी और बागवानी विकास हेतु कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ख) सरकार ने आबंटित धनराशि के समुचित उपयोग हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(ग) मैरीन फिशरीज, इनलैंड फ्रेश वाटर फिशरीज और ब्रैकिश वाटर फिशरीज के विकास हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) उनकी उपलब्धि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत क्षेत्र-वार और राज्य-वार कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा निधियों की उपयोगिता पर निगरानी अन्य बातों के साथ-साथ, आवधिक प्रगति रिपोर्टों, वार्षिक सम्मेलनों, समीक्षा बैठकों तथा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के निरीक्षणों के माध्यम से रखी जाती है।

(ग) निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ समुद्री मात्स्यिकी, अंतर्देशीय ताजा जल मात्स्यिकी तथा खारा जल मात्स्यिकी का विकास होगा:-

(i) तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी का विकास

(ii) बड़े तथा छोटे पत्तनों और मछली उतारने वाले केन्द्रों पर मात्स्यिकी बंदरगाह प्रदान करना

(iii) ताजा जल जलकृषि का विकास

(iv) समेकित तटवर्ती जलकृषि।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है। इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण-I

मात्स्यिकी तथा बागवानी विकास के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान तथा 31 अक्टूबर, 1998 तक प्रत्येक राज्य को जारी निधियां

(लाख रुपये में)

	राज्य	मात्स्यिकी	बागवानी
	1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,268.09	5,668.04
2.	अरूणाचल प्रदेश	52.00	511.86
3.	असम	126.88	142.32
4.	बिहार	348.34	455.52
5.	गोवा	165.47	443.64
6.	गुजरात	2,150.75	482.48
7.	हरियाणा	143.63	733.89
8.	हिमाचल प्रदेश	52.90	234.62
9.	जम्मू एवं कश्मीर	166.69	2,421.57

1		2	3
10.	कर्नाटक	1,159.89	8,784.31
11.	केरल	3,645.06	7,229.72
12.	मध्य प्रदेश	832.70	1,048.14
13.	महाराष्ट्र	2,858.20	10,508.06
14.	मणिपुर	99.14	754.26
15.	मेघालय	89.60	284.23
16.	मिजोरम	29.00	397.27
17.	नागालैंड	179.12	494.63
18.	उड़ीसा	2,468.00	1,975.23
19.	पंजाब	159.01	699.96
20.	राजस्थान	85.99	1,125.18
21.	सिक्किम	12.00	449.89
22.	तमिलनाडु	3,525.03	4,478.49
23.	त्रिपुरा	557.27	205.58
24.	उत्तर प्रदेश	1,261.34	256.60
25.	पश्चिम बंगाल	4,670.73	208.38

1		2	3
26.	अंड. व निको. द्वीपसमूह	9.74	85.48
27.	चण्डीगढ़	–	19.50
28.	दादर एवं नगर हवेली	–	27.88
29.	दमन एवं दीव	151.64	33.63
30.	दिल्ली	–	188.89
31.	लक्षद्वीप	1.71	49.24
32.	पाण्डिचेरी	461.39	52.05
	कुल	26,731.31	50,450.54

विवरण-II

आठवीं योजना के दौरान समुद्री मात्स्यिकी, अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा खारा जल मात्स्यिकी के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्धियां

योजना		1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1		2	3	4	5	6
1.	तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी का विकास—परम्परागत नौकाओं का मोटरीकरण (सं.)	2875	1600	4405	8360	2041
2.	बड़े तथा छोटे पतनों और मछली उतारने के केन्द्रों पर मत्स्यन बंदरगाह की सुविधा उपलब्ध करना					
	(क) बड़े मत्स्यन बंदरगाह	–	–	1	–	1

1	2	3	4	5	6
(ख) छोटे बंदरगाह	3	2	2	1	1
(ग) मछली उतारने के केन्द्र	5	5	9	5	6
3. ताजा जल, जलकृषि का विकास					
(क) शामिल जल क्षेत्र (हे.)	33849	35567	30327	38943	34789
(ख) प्रशिक्षित मछली पालक (सं.)	28778	30582	33136	39240	33463
4. समेकित तटवर्ती जलकृषि					
(क) शामिल जल क्षेत्र (हे.)	1958	1890	2799	2033	1317
(ख) प्रशिक्षित मछली पालक (सं.)	2214	2564	2595	1145	2734

भ्रष्टाचार पर नियंत्रण

2865. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ऐसे मामलों की जांच करने के लिए, जो व्यवस्था में भ्रष्टाचार फैलाते हैं, स्वच्छ सेवा रिकार्ड वाले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं लेने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 1987 में इस आशय के अनुदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं कि मंत्रालय/विभाग, अनुशासनिक कार्यवाही के पृथक-पृथक मामलों में जांच हेतु, असंदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को जांच-अधिकारी के रूप में रख सकते हैं/नियुक्त कर सकते हैं। इस संबंध में निर्णय का अधिकार, अनुशासनिक प्राधिकारी को ही होता है। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं लिए जाने का कोई विशेष अभियान नहीं चलाया जा रहा है।

पशुधन एवं पशु उत्पादनों का निर्यात

2866. श्री मेहबूब जाहेदी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुग्ध, अंडों एवं मांस के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान पशुधन एवं पशु उत्पादनों के निर्यात में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में क्षमताओं के दोहन के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस क्षेत्र को दिए जाने वाले मुख्य प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोयपाल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, दूध, अंडा और मीट के उत्पादन में सतत् वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

	अनुमानित उत्पादन (अनन्तिम)		
मद	1995-96	1996-97	1997-98
दूध (मिलियन टन)	66.3	68.3	70.6
अंडा (बिलियन संख्या)	27.3	27.5	28.4
मीट (000 टन)	1743	1789	1942

(ख) और (ग) पशुधन और पशु उत्पादों के निर्यात में उत्साहवर्धक वृद्धि हुई है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। पिछले तीन वर्षों में हुए अनुमानित निर्यात को नीचे दर्शाया गया है:

पशुधन और पशु उत्पादों का निर्यात (करोड़ रुपए में)

मद	1995-96	1996-97	1997-98
कुक्कुट और डेयरी उत्पाद	58.76	123.77	107.33
मीट तथा मीट उत्पाद	627.00	708.88	808.40
कुल	685.76	832.65	915.73

(घ) और (ङ) पशुधन क्षेत्र की क्षमता का उपयोग करने के लिए कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) ने विभिन्न योजनाएं प्रतिपादित की हैं जिसके अंतर्गत निर्धारित पशु उत्पादों के निर्यातकों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा, अपेडा ने बाजार विकास, ब्रांड प्रचार, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग विकास और मीट प्रसंस्करण सुविधाओं के उन्नयन आदि के लिए संवर्धन तथा विकास संबंधी क्रियाकलाप शुरू किए हैं।

प्रसार भारती बोर्ड में हेराफेरी

2867. श्री सुशील कुमार शिंदे :
प्रो. अजित कुमार मेहता :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री माधवराव पाटील :
श्री डी.एस. अहिरे :
श्री अभय सिंह एस. भोंसले :
श्री ब्रजमोहन राम :
श्री अजय मुखोपाध्याय :
श्री तारिक अनवर :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वायत्तशासी निगम प्रसार भारती निगम पर सरकारी नियंत्रण न होने के कारण उपकरणों की खरीद और टी.वी. स्लाट आवंटन में गड़बड़ी और इसके कार्यकरण में वित्तीय अनियमितताओं की कुछ घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को प्रसार भारती बोर्ड में हेराफेरी की जांच करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो जांच का क्या निष्कर्ष निकला और सरकार उसमें शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने पर विचार कर रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) यह सत्य है कि कुछ वित्तीय अनियमितता देखने में आई हैं। तथ्यों का पता लगाने संबंधी प्रारंभिक जांच कार्य प्रगति पर है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पुराने कानूनों की समीक्षा

2868. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पुराने कानूनों की समीक्षा के लिए कोई आयोग गठित किया है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को उनके राज्यों में पुराने कानूनों की समीक्षा करने के लिए आयोग गठित करने की सलाह दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा के लिए सरकार ने मई, 1998 में एक आयोग का गठन किया था। आयोग ने 30 सितम्बर, 1998 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) से (घ) सरकार ने राज्य सरकारों को अपने राज्यों में पुराने कानूनों की समीक्षा करने के लिए आयोग गठित करने की सलाह नहीं दी है। परन्तु प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा करने संबंधी आयोग की रिपोर्ट की प्रतियां सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्र सरकारों के मुख्य सचिवों को माह नवम्बर, 1998 में इस अनुरोध के साथ भेजी गई हैं कि वे इन रिपोर्टों की जांच करें और उनमें निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित सूचना भेजें।

[हिन्दी]

भागीरथ पत्रिका

2869. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भागीरथ पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्यों का ब्यौरा क्या है और पत्रिकाओं के प्रकाशन में उन्हें कितना अनुभव प्राप्त है;

(ख) भागीरथ पत्रिका के मौजूदा संपादक मंडल में प्रसिद्ध लेखकों और पत्रकारों को सम्मिलित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस पत्रिका में सुधार और विकास हेतु संपादक मंडल में अभियंताओं के स्थान पर लेखकों और पत्रकारों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) भगीरथ (हिन्दी) और भगीरथ (अंग्रेजी) पत्रिकाओं के सम्पादकीय मण्डल के सदस्यों का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है। ये पत्रिकाएं केन्द्रीय जल आयोग द्वारा देश में जल संसाधनों के विकास की योजनाओं, प्रगति और उपलब्धियों के संबंध में सूचना का प्रसार करने के लिए तकनीकी विषयों पर प्रकाशित की जाती है। दोनों पत्रिकाओं के वर्तमान सम्पादक 15 वर्ष से अधिक समय से व्यवसायिक अनुभव प्राप्त योग्य पत्रकार हैं। सम्पादकीय मण्डल के अन्य सदस्य इन्जीनियर हैं और उनका कार्य इनके तकनीकी विषयों पर आधारित तकनीकी लेख चुनना है। इसे देखते हुए, भगीरथ पत्रिकाओं के सम्पादकीय मण्डलों में प्रसिद्ध लेखकों और पत्रकारों को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

भगीरथ (हिन्दी) के सम्पादकीय मण्डल के सदस्यों का ब्यौरा

सर्वश्री/श्रीमती

1.	एम.एल. गोयल, मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग	अध्यक्ष
2.	के.एस. भाटिया निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
3.	आर.के. खन्ना, निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
4.	ललित कुमार, निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
5.	जी.सी. व्यास, निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
6.	संजीव अग्रवाल, निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
7.	एस.एन. चौधरी, निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
8.	एम.के. गर्ग, निदेशक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	सदस्य
9.	मंजू सक्सेना, सम्पादक, केन्द्रीय जल आयोग	सम्पादक

विवरण-II

भगीरथ (अंग्रेजी) के सम्पादकीय मण्डल के सदस्यों का ब्यौरा

सर्वश्री/कुमारी

1. एम.एल. गोयल, मुख्य इन्जीनियर, केन्द्रीय जल आयोग — अध्यक्ष
2. के.एस. भाटिया, निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग — सदस्य
3. आर.सी. झा, निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग — सदस्य
4. एस.के. चौधरी, निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग — सदस्य
5. एस.सी. गुप्ता, निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग — सदस्य
6. एम.के. गर्ग, निदेशक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) — सदस्य
7. प्रोमिला सेठ, सम्पादक, केन्द्रीय जल आयोग। — सम्पादक

[अनुवाद]

सरस्वती नदी की खोज

2870. श्री अनंत कुमार हेगड़े : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरस्वती नदी की खोज के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसकी अनुमानित लागत कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी की खोज करने के लिए एक योजना चलाई है। पहले चरण में, जी.टी. रोड पर पिपली से ज्योतिसर तक लगभग 16 किलोमीटर की लंबाई में सरस्वती नदी के जल-मार्ग की खोज की गई है। राज्य सरकार जी टी रोड पर पिपली से पेहोवा तक लगभग 41 किलोमीटर लम्बी इस नदी की खोज के लिए एक विस्तृत मास्टर योजना तैयार कर रही है।

(ख) इस योजना के कार्यान्वयन पर अब तक 20.22 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है। विस्तृत मास्टर योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही कुल अनुमानित व्यय का पता चल पायेगा।

आरक्षण का निर्णय

2871. प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा 17 मार्च, 1997 को दिए गए निर्णय की यदि आरक्षण रोस्टर एक पद के मामले में भी लागू है और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार की यदि पदोन्नति की गई है तो वह वैध है, के परिप्रेक्ष्य में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कार्यालय ज्ञापन जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) पहले आरक्षण किसी एकल रिक्ति के मामले में दिया जा रहा था। जब 02.07.1997 से पद आधारित रोस्टर लागू किए गए, उस समय उपर्युक्त एकल पद-संवर्ग के संबंध में आरक्षण दिया जाना जारी था, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा 17.03.1997 को दिए गए निर्णय के अनुरूप भी था। फिर भी, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 17.04.1998 को (पी.जी.आई. बनाम संकाय—संघ के मामले में) दिए गए अनुवर्ती निर्णय द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध व्यवस्था दी गई है।

जम्मू और कश्मीर में दूरसंचार सुविधाएं

2872. श्री चमन लाल गुप्त : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय जम्मू और कश्मीर में जिलेवार कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1998-99 के दौरान राज्य में कतिपय नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है तथा उस पर अनुमानत: कितना व्यय होगा;

(घ) राज्य में जिले-वार टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में शामिल हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तारीख तक राज्य में जिला-वार कितने टेलीफोन-कनैक्शन आबंटित किए गए हैं;

(च) सरकार द्वारा प्रतीक्षा-सूची को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(छ) क्या राज्य में टेलीफोन एक्सचेंज संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) सरकार द्वारा इन कमियों को दूर करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) इस समय जम्मू और कश्मीर में 255 टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं। इनके जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) 1998-99 के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर 6 नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(1) सुखेरबचन, (2) खून, (3) बामला, (4) सोनमर्ग, (5) सूचानी, (6) बीरपुर

इस पर अनंतिम रूप से 80 लाख रु. व्यय होने का अनुमान है।

(घ) 30.11.98 की स्थिति के अनुसार 39110 आवेदक प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं। इसके जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) गत तीन वर्षों में राज्य में आज तक 53336 टेलीफोन कनेक्शन आबंटित किए गए हैं। इसके जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(च) 1998-99 के दौरान 20,000 टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने का प्रस्ताव है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक मांग पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की भी योजना है।

(छ) से (झ) कश्मीर क्षेत्र में उग्रवाद के कारण डांगरपोडा, चाडीपोडा, कोकरांग, लिट्टर वूयान तथा रोहामा नामक केवल छह स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज कार्य नहीं कर रहे हैं। ये एक्सचेंज उग्रवादी गतिविधियों के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए थे। इन एक्सचेंजों को फिर से चालू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण-I

जम्मू और कश्मीर में कार्यरत एक्सचेंजों की जिलेवार सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	अनंतनाग	13
2.	बारामुला	13

1	2	3
3.	बडगाम	08
4.	पुलवामा	12
5.	कुपवाड़ा	05
6.	श्रीनगर	09
7.	जम्मू	48
8.	कथुआ	22
9.	लेह	14
10.	कारगिल	07
11.	ऊधमपुर	35
12.	डोडा	26
13.	राजौरी	26
14.	पुंछ	17
	जोड़	255

विवरण-II

टेलीफोन-कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा-सूची में दर्ज व्यक्तियों की जम्मू और कश्मीर राज्य में जिला-वार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रतीक्षा-सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या
1.	अनंतनाग	1410
2.	बारामुला	2173
3.	बडगाम	1101
4.	पुलवामा	1815
5.	कुपवाड़ा	745
6.	श्रीनगर	11749
7.	जम्मू	13824
8.	कथुआ	2055
9.	लेह	937
10.	कारगिल	305
11.	ऊधमपुर	1784
12.	डोडा	414
13.	राजौरी	432
14.	पुंछ	366
	जोड़	39110

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान, आज की तारीख तक, जम्मू और कश्मीर राज्य में आबंटित किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की जिलेवार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक आबंटित किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या
1.	अनंतनाग	1204
2.	बारामुला	2131
3.	बडगाम	417
4.	पुलवामा	1082
5.	कुपवाडा	121
6.	श्रीनगर	18628
7.	जम्मू	19722
8.	कथुआ	1714
9.	लेह	1376
10.	कारगिल	512
11.	ऊधमपुर	3471
12.	डोडा	1009
13.	राजौरी	1173
14.	पुंछ	776
	जोड़	53336

टेलीफोन कनेक्शनों के हस्तांतरण संबंधी नियम

2873. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीफोन हस्तांतरण करने, टेलीफोन काटने और पुन: लगाने के संबंध में सरकार द्वारा कोई नियम अथवा मानदण्ड निर्धारित किए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्राहकों द्वारा शुल्क के रूप में दी जाने वाली राशि कितनी होती है;

(ग) क्या उक्त नियमों का हर स्थान पर पालन किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन नियमों को सरल बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) टेलीफोन का हस्तान्तरण निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को किये जा सकते हैं:

(1) उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसके विधिसम्मत वारिस/उत्तराधिकारी को। प्रत्येक बार प्रत्येक टेलीफोन कनैक्शन का हस्तान्तरण शुल्क 100/- रु. लगता है।

(2) उपभोक्ता के जीवन काल के दौरान केवल एक बार उसके खानदान के व्यक्ति/घनिष्ठ संबंधी को। हस्तान्तरण शुल्क प्रति कनैक्शन 100/- रु. लगता है।

(3) टेलीफोन की स्थापना के एक वर्ष बाद थर्ड पार्टी अर्थात् किसी भी व्यक्ति को। हस्तान्तरण शुल्क 500/- रु. लगता है।

टेलीफोन कनैक्शन काटना:- टेलीफोनों का अनधिकृत उपयोग करने अथवा जिलों का भुगतान न करने के कारण, उपभोक्ता को नोटिस देकर टेलीफोनों के कनैक्शन काट दिये जाते हैं।

टेलीफोन कनैक्शन पुन: जोड़ना : व्यवधान अवधि के किराया प्रभारों को शामिल करते हुए लम्बित टेलीफोन बिलों की बेबाकी/अदायगी करने पर टेलीफोन रीकनेक्ट कर दिये जाते हैं। रीकनेक्शन प्रभार प्रत्येक बार 100/- रु. लगता है।

(ग) जी, हां।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) मौजूदा नियम दूरसंचार के हित में तो हैं ही, साथ ही साथ ये बिल्कुल सरल हैं और ग्राहक हित में हैं।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में अत्यंत कम शक्ति/कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर

2874. श्री महेश्वर सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश में स्थान-वार अनुमोदित, निर्माणाधीन कम शक्ति वाले और अत्यंत कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के नाम क्या हैं; और

(ख) उन कम शक्ति वाले/अत्यंत कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों का ब्यौरा क्या है जिनमें मंजूरी के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों पर 11 टी.वी. ट्रांसमीटर (अल्प शक्ति ट्रांसमीटर-1, अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर-10) स्थापित करने की स्कीमों को मंजूरी दे दी गयी है:-

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

मण्डी (डी.डी. 2)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

बिजली महादेव	आवा देवी
डलहौजी	चुनघई
तिस्सा	नेहरी
चौरीखास	आशापुरी
झांटीन्गरी	काजा

इन अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के लिए स्थल/उपस्कर को प्राप्त करने के बारे में अंतिम निर्णय लेने संबंधी कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी गई है। स्थल लेने की तारीख से इन परियोजनाओं के पूरा होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा।

[अनुवाद]

बुनियादी ढांचा संबंधी कोष

2875. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील :
डा. उल्हास वासुदेव पाटील :
श्री के. येरननायडू :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सहायतार्थ बुनियादी ढांचा संबंधी कोष गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में उपलब्ध फलों और सब्जियों का प्रयोग न किए जाने के कारण फल और सब्जी क्षेत्र में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) वित्तीय संस्थानों के सहयोग से प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र विकास निधि की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चूंकि मामले की छानबीन की जा रही है इसलिए अभी तक केवल प्रारम्भिक उपाय ही किए गए हैं और कोई विस्तृत ब्यौरे तैयार नहीं किए गए हैं।

(ग) और (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा फल एवं सब्जियों को होने वाले नुकसान का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान है कि फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं की कमी और उत्पाद के खराब हो जाने के कारण गुणवत्ता और मूल्य में होने वाली कमी की मात्रा कुल फल और सब्जियों के लगभग 25 से 30% तक होती है।

[हिन्दी]

विशेष आर्थिक पैकेज

2876. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में छपरा-महाराजपुर में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करने का है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को विशेष आर्थिक पैकेज जारी करने के संबंध में बिहार राज्य से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि की मांग की गई है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

दलहनों हेतु नई योजना

2877. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में दालों के उत्पादन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय लिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश सरकार ने बीज वितरण और सिंचाई पर प्रस्तावित राजसहायता को वहन करने के लिए 44.905 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय से वर्ष 1996-97 से 2001-2002 के दौरान विशेष ग्रीष्म उत्पादन कार्यक्रम चलाने के लिए सितम्बर, 1996 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव में शामिल हैं:- प्रति हैक्टेयर 200/-रु. की दर से डिजिल पर राजसहायता तथा बीजों पर राजसहायता बढ़ाने का प्रावधान। चूंकि एन.पी.डी.पी. की स्कीम में डिजिल पर राजसहायता की परिकल्पना नहीं की गई है तथा बीजों पर राजसहायता 300/- रु. प्रति क्विंटल तक सीमित है। अतः राज्य सरकार को तदनुसार अपने प्रस्ताव को संशोधित करने का अनुरोध किया गया है। संशोधित प्रस्ताव राज्य सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

टेलीफोन उपकरणों की आपूर्ति

2878. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग द्वारा ग्राहकों को उनके आवास पर टेलीफोन उपकरण और फैक्स मशीन सहित, उपकरणों की आपूर्ति न करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) दूरसंचार विभाग ने ग्राहकों को उनके आवास पर टेलीफोन उपकरण और फैक्स मशीनों सहित उपकरणों की आपूर्ति न करने का निर्णय नहीं लिया है।

तथापि, उपभोक्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन संस्थापित करते समय अपना टेलीफोन उपकरण और भीतरी तार, स्वीकार्य छूट पर, प्रदान करने की स्वतंत्रता है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

छोटी जोतों के लिए योजना

2879. श्री रामपाल उपाध्याय :
श्री प्रदीप कुमार यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार छोटी जोतों को लाभप्रद बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) अब तक किए गए उपायों के क्या परिणाम रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) बागवानी, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को शामिल करते हुए फसलोत्पादन को और अधिक आय देने वाले समवर्गी कार्यकलापों में विविधीकरण सरकार द्वारा चलाए जाने वाले विकासात्मक कार्यक्रम का अभिवृद्धि क्षेत्र रहा है। अवसंरचना, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों को शामिल करते हुए संभाव्य ग्रामीण और उप-नगरीय क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण और विपणन शामिल है, का विकास करके उपर्युक्त प्रयासों में सहायता करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

जापान के साथ राजनीतिक वार्ता

2880. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या करीब तीन महीने के कूटनीतिक मन-मुटाव के बाद भारत और जापान ने राजनीतिक वार्ता पुन: आरंभ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों पक्षों के विदेश सचिवों ने हाल ही में भेंट की है;

(ग) इस बैठक के निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) जापान के साथ संबंध सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद जापान द्वारा रोकी गई सहायता कब तक बहाल किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) 1999 की प्रथम तिमाही के दौरान दोनों पक्षों के बीच विदेश सचिवों के स्तर की बैठक सहित विभिन्न बैठकों का कार्यक्रम तय करने के लिए राजनयिक माध्यमों से सम्पर्क बना हुआ है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जुलाई, 1998 में ए.आर.एफ.पी.एम.सी. की बैठक के दौरान मनीला में जापान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ योजना आयोग के अध्यक्ष श्री जसवंत सिंह की बैठक के बाद दोनों पक्ष द्विपक्षीय वार्ता को पुन: प्रारंभ करने और निजी क्षेत्र तथा लोगों से लोगों के बीच सम्पर्क जारी रखने पर सहमत हुए हैं। उसके बाद 26 अक्तूबर को लोक सभा अध्यक्ष ने मार्गस्थ ठहराव के दौरान अपने जापानी समकक्ष के साथ टोक्यो में मुलाकात की। विदेशी मामलों से संबद्ध स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री इंद्र कुमार गुजराल ने जापान के प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री के साथ (29 अक्तूबर) को और वित्त मंत्री से (27 अक्तूबर) को टोक्यो में मुलाकात की। उद्योग मंत्री श्री सिकंदर बख्त ने टोक्यो में जापान के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उद्योग मंत्री से (2 नवम्बर) को मुलाकात की। उद्योग मंत्री श्री सिंकदर बख्त ने टोक्यो में जापान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उद्योग मंत्री से (2 नवम्बर) को मुलाकात की, उपाध्यक्ष के नेतृत्व में जापान के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 23-25 नवम्बर को भारत की यात्रा की, भारत-जापान व्यापार सहयोग समिति की बैठक नई दिल्ली में (30 नवम्बर से 1 दिसम्बर) को सम्पन्न हुई।

हम अपनी ओर से जापान के साथ परस्पर समझबूझ और सम्मान पर आधारित मैत्रीपूर्ण, सहयोगात्मक और परस्पर लाभकारी संबंधों के चहुंमुखी विकास की कामना करते हैं। हम परस्पर हित के विविध मसलों पर विचारों के आदान-प्रदान का संवर्धन करने के लिए बातचीत के पक्षधर हैं। हम राजनीतिक, आधिकारिक, व्यापारिक और लोगों से लोगों के स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर बेहतर सम्पर्कों का स्वागत करते हैं।

(ङ) जापानी पक्ष ने हमें सूचित किया है कि उनके आर्थिक प्रतिबंधों की कोई समीक्षा अभी विचाराधीन नहीं है।

ई-मेल सुविधाएं

2881. श्री बलराम सिंह यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन शहरों के नाम क्या हैं जहां ई-मेल सुविधा राज्य-वार प्रदान की गई है; और

(ख) किन-किन शहरों में वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान इस तरह की सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) ई-मेल सेवा प्रदाता तथा इन्टरनेट सेवा प्रदाता, दोनों ही अपने-अपने नोडों से ई-मेल सुविधा प्रदान कर सकते हैं। देश में जिन-जिन शहरों में ई-मेल सुविधा सुलभ है, उनके नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) 1998-2000 के दौरान 16 और शहरों में ई-मेल सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। इनमें वे शहर भी शामिल हैं, जहां निजी इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं तथा दूरसंचार विभाग द्वारा इन्टरनेट नोड स्थापित किए जाएंगे।

1998-2000 के दौरान जिन शहरों में उक्त सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है, उनकी सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

ऐसे शहरों/कस्बों के नाम जहां ई-मेल सुविधा उपलब्ध है

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहर/कस्बा
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
		विशाखापट्टनम
		विजयवाड़ा
		गुंटूर
		काकीनाडा
2.	असम	गुवाहाटी
		सिलचर
3.	बिहार	पटना
		जमशेदपुर
		धनबाद
		गया
		रांची
		मुजफ्फरपुर
4.	महाराष्ट्र	मुंबई
		पुणे
		औरंगाबाद
		नागपुर
		नासिक
		पंजिम
		कोल्हापुर
		अहमदनगर
		कल्याण
		शोलापुर
5.	केरल	त्रिवेन्द्रम
		एर्नाकुलम

1	2	3
		कोट्टायम
		कालीकट
		कोचीन
		कोल्लम
		पालघाट
		त्रिचूर
		पालघाट
6.	तमिलनाडु	चेन्नई
		कोयम्बटूर
		त्रिची
		त्रिप्पूर
		मदुरई
		कांचीपुरम
		सलेम
		टुटीकोरिन
		इरोडे
		ऊट्टी
	[illegible]	तिरूनेलवेल्ली
	[illegible]	होसर

1	2	3
7.	कर्नाटक	बंगलूर
		मैसूर
		हुबली
		मंगलोर
		बेलगाम
8.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
		देहरादून
		कानपुर
		आगरा
		इलाहाबाद
		वाराणसी
		गोरखपुर
		गाजियाबाद
		नोएडा
		मेरठ
		अलीगढ़
		मथुरा
		मुरादाबाद

1	2	3
9.	गुजरात	अहमदाबाद
		सूरत
		बड़ौदा
		राजकोट
		भावनगर
		जामनगर
		गांधीनगर
10.	पंजाब	जालंधर
		लुधियाना
		पटियाला
		अमृतसर
		पठानकोट
11.	हरियाणा	अम्बाला
		गुड़गांव
		रोहतक
		करनाल
		फरीदाबाद
12.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
		कटक
		सम्बलपुर
		राउरकेला
13.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता
		सिलीगुड़ी
		दुर्गापुर
		हल्दिया
14.	राजस्थान	जयपुर
		उदयपुर
		अजमेर
		कोटा
		जोधपुर
		बीकानेर
15.	मध्य प्रदेश	इंदौर
		ग्वालियर
		भोपाल
		जबलपुर

1	2	3
		भिलाई
		रायपुर
		उज्जैन
16.	गोवा	गोवा
17.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
18.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू
19.	मेघालय	शिलांग
20.	चंडीगढ़	चंडीगढ़
21.	पांडिचेरी	पांडिचेरी

विवरण-II

वर्ष 1998-2000 के दौरान जिन शहरों में ई-मेल सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है उनके नाम

1. श्रीनगर
2. राजामुन्द्री
3. अगरतला
4. भिवानी
5. कन्नानौर
6. फिरोजपुर
7. जलगांव
8. जौनपुर
9. खड़गपुर
10. नाडियाड
11. नांदेड़
12. पोर्ट ब्लेयर
13. तंजौर
14. तिरूपति
15. सतारा
16. बरेली

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

2882. श्री ब्रजमोहन राम :
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
डा. चिन्ता मोहन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित की गई सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं योजनावधि के दौरान इनमें से कितनी परियोजनाएं राज्य-वार और वर्ष-वार पूरी की गई तथा इनकी निर्माण लागत और इन पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक परियोजनाएं अभी भी निर्माणाधीन हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा कार्य पूरा होने में विलम्ब के कारण क्या हैं;

(ङ) इन परियोजनाओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है और इनके कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(च) तथा सिंचाई की क्षमता के विकास के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और प्रत्येक योजनावधि के अंत में राज्य-वार क्या उपलब्धि रही?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) वर्ष 1992 से 1998 की अवधि के दौरान अनुमोदित सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। अभी तक कोई भी परियोजना पूरी नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) चल रही वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, उनकी अद्यतन अनुमानित लागत, अब तक किया गया व्यय और उनके पूरा होने की संभावित कार्यक्रम का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। किसी परियोजना के पूरा होने की अवधि विभिन्न बातों पर निर्भर करती है। जैसे- इनका आकार, भूमि की उपलब्धता, विभिन्न मूल्यांकन अभिकरणों से स्वीकृति, भू वैज्ञानिक स्थितियां आदि। साथ ही राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं को आबंटित निधियां तथा मूल परियोजना के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

(च) वार्षिक योजना 1990-92 तक सृजित सिंचाई क्षमता, आठवीं योजना के दौरान लक्ष्य तथा आठवीं योजना के अंत तक सृजित क्षमता का राज्यवार विवरण संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	परियोजना का नाम वृहद/मध्यम	अनुमानित लागत	लाख हजार हैक्टेयर में	योजना आयोग द्वारा अनुमोदन की तारीख
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश				
1.	याराकालवा जलाशय परियोजना (मध्यम)	46.52	9.996	26.2.93
2.	मादीलोर परियोजना (मध्यम)	28.56	5.213	26.2.93
3,	कोलासनाला (संशोध) परियोजना (मध्यम)	20.49	4.131	26.2.93
4.	बुग्गावंका (मध्यम)	25.96	5.20	29.7.93
5.	चेलमेला वागु सिंचाई परियोजना (मध्यम)	22.99	2.632	2.5.94
6.	के.सी. नहर का आधुनिकीकरण	674.29	110.482	16.4.98

1	2	3	4	5
	असम			
7.	यमुना सिंचाई नहर परियोजना का आधुनिकीकरण	60.27	28.286	17.12.97
	बिहार			
8.	केशो जलाशय स्कीम	16.14	3.561	21.4.92
9.	सोन आधुनिकीकरण फेज-1	235.93	48.60	7.7.98
	गुजरात			
10.	उबेन जलाशय सिंचाई परियोजना	12.49	2.198	20.1.93
11.	मुक्तेश्वर मध्यम सिंचाई परियोजना	19.37	6.186	20.4.93
12.	वानकबोरी वीयर पर हाइड्रोप्लस फूसगेट प्रदान करना	8.58		7.2.94
13.	ठकई ककरापर का आधुनिकीकरण	60.12	49.468	9.3.94
14.	करजन वृहद सिंचाई परियोजना	186.37	77.546	23.3.96
15.	गोमा सिंचाई परियोजना (मध्यम)	47.59	7.039	30.12.97
	हरियाणा			
16.	हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना	1442.12	113.00	22.12.95
	हिमाचल प्रदेश			
17.	शाहनहर सिंचाई परियोजना	143.32	24.76	21.2.97

1	2	3	4	5
	जम्मू तथा कश्मीर			
18.	रणबीर नहर का आधुनिकीकरण	84.40	49.418	21.5.98
	कर्नाटक			
19.	करंजा सिंचाई परियोजना (वृहद)	98.00	48.958	3.8.92
20.	बेनीथोरा सिंचाई परियोजना (वृहद)	73.25	21.854	23.2.93
	मध्य प्रदेश			
21.	मान सिंचाई परियोजना	44.10	17.70	5.6.92
22.	सिन्ध फेज-II	510.94	162.100	17.3.98
23.	अपर बेदा	89.51	13.365	10.9.98
24.	बारगी डायवरशन परियोजना	1101.23	376.514	6.7.98
	महाराष्ट्र			
25.	दिओगाद परियोजना (मध्यम)	24.64	8.347	16.11.92
26.	कारवा वृहद सिंचाई परियोजना	27.00	10.320	13.7.95
27.	तम्भापुर मध्यम सिंचाई परियोजना	18.09	4.78	13.7.95
28.	शिवनाटाकली मध्यम सिंचाई परियोजना	34.76	6.60	13.7.95
29.	गोसीखुर्द (इन्दिरा सागर)	461.19	250.00	2.11.95

1	2	3	4	5
30.	वोरदाहेगांव मध्यम सिंचाई परियोजना	16.27	2.22	6.11.96
31.	वान सिंचाई परियोजना (वृहद)	46.85	19.197	15.4.97
32.	अपर माहर मध्यम सिंचाई परियोजना	26.18	8.280	15.4.97
33.	बेनेतुरा सिंचाई परियोजना (मध्यम)	12.12	2.293	25.2.97
मणिपुर				
34.	दोलेथाबी बैराज परियोजना	18.86	7.545	11.6.92
उड़ीसा				
35.	वीरपुरा गांगुती सिंचाई परियोजना	11.46	3.869	29.3.94
36.	देव सिंचाई परियोजना (मध्यम)	52.23	9.90	29.6.92
37.	नाराज बैराज परियोजना (वृहद)	128.74	293.319	6.8.93
38.	तितलागढ़ सिंचाई परियोजना (मध्यम)	21.12	2.95	21.10.93
39.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	977.00	329.48	27.9.95
40.	बाघ बैराज सिंचाई परियोजना (मध्यम)	44.71	9.660	2.12.95
41.	सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना	790.92	137.462	28.12.95
42.	बाघा लाली सिंचाई परियोजना	45.44	6.050	21.5.96
43.	रेंगाली सिंचाई वायां तट नहर (II) (वृहद)	705.15	177.652	14.7.97

1	2	3	4	5
पंजाब				
44.	पंजाब की नहर प्रणाली में नहर नियमित संरचना का पुनर्वास और सुधार	34.49	305.00	19.4.94
45.	पंजाब सिंचाई परियोजना फेज-II जल मार्गों को पक्का करना	117.47	509.000	18.1.94
राजस्थान				
46.	नर्मदा नहर परियोजना	467.53	73.000	23.1.96
47.	सुकली सिंचाई परियोजना (मध्यम)	18.698	3.89	10.12.97
48.	सेन्दी सेन्द्रा सिंचाई परियोजना (मध्यम)	13.04	4.09	10.12.97
49.	बिसालपुर पेय जल एवं सिंचाई परियोजना	309.07	49.89	16.12.97
50.	गम्भीरी सिंचाई परियोजना (मध्यम) का आधुनिकीकरण	11.73	9.60	16.12.97
तमिलनाडु				
51.	अनाईमाधुवू जलाशय परियोजना	11.45	1.947	19.11.92
52.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	807.49		19.5.95

1	2	3	4	5
	उत्तर प्रदेश			
53.	ग्यानपुर पम्प नहर (नई)	110.51	65.415	24.92
54.	पाथराई बांध	12.54	2.800	21.7.92
55.	अपर गंगा नहर फेज-1 (पहला भाग)	467.76	36.688	30.7.95
56.	मादोटांडा सिंचाई परियोजना	4.09	3.200	23.12.93
57.	हिण्डन कृष्णा दोआब में खरीफ नहर	11.83	3.000	6.7.95
58.	जमानिया पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना	39.81	41.700	2.9.96
59.	जरालो पम्प नहर (वृहद)	47.92	39.748	23.3.98
60.	देंवकालीपम्प नहर (संशोधन) (वृहद)	35.24	51.741	27.8.92
61.	रोहिणी बांध परियोजना	3.32		28.2.93
62.	धेनकुवा बन्ध	3.00	3.015	24.4.93
	पश्चिम बंगाल			
63.	सुवर्ण रेखा बैराज परियोजना	215.61	114.198	15.3.95

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य	आठवीं योजना के दौरान चल रही वृहद् परि-योजनाओं की संख्या	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	आठवीं योजना के अंत तक संचित व्यय (करोड़ रुपये में) (अनुमानित)	नौवीं योजना के दौरान पूरी होने वाली संभावित वृहद् परि-योजनाओं की सं.	नौवीं योजना के बाद पूरी होने वाली संभावित वृहद् परियोजना
1	2	3	4	5	6	7
वृहद् परियोजना						
1.	आंध्र प्रदेश	12	10130.44	4754.95	4	8
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–
3.	असम	4		211.48	–	4
4.	बिहार	5(-1)*	7365.5.	2105.27	(-)1*	14
5.	गोवा	2(-1)*	678.59	258.65	–	2(-1)
6,	गुजरात	9	23300.92	6522.47	7	2
7.	हरियाणा	5	1013.51	725.67	2	3
8.	हिमाचल प्रदेश	1	150.78	7.47	–	1
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1	151.18	122.84	1	–
10.	कर्नाटक	14	11190.19	5131.64	2	12

1	2	3	4	5	6	7
11.	केरल	7	1879.50	942.41	4	3
12.	मध्य प्रदेश	25(-2)*	10729.55	3131.15	12	13(-2)*
13.	महराष्ट्र	36	12958.17	5374.45	21	15
14.	मणिपुर	2	491.65	225.85	1	1
15.	मेघालय	शून्य	–	–	–	–
16.	मिजोरम	शून्य	–	–	–	–
17.	नागालैंड	1	111.02	2.95	–	1
18.	उड़ीसा	6(-1)*	4953.85	1156.55	1	5(-1)*
19.	पंजाब	1(-1)*	3379.53	2700.93	–	(-1)*
20.	राजस्थान	8(-2)*	4692.81	2346.01	4(-1)*	4(-1)*
	सिक्किम	शून्य	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	शून्य	–	–	–	–
23.	त्रिपुरा	शून्य	–	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	19(-1)*	7539.44	3339.74	10(-1)*	9
25.	पश्चिम बंगाल	4(-1)*	2037.41	938.83	3	1(-1)*
	-10*	172	103186.89	39003.29		
		162				

आई.एस. परियोजनाओं की गणना।

*एक से अधिक बार गणना की गई अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं के लिए कटौती।

क्र.सं.	राज्य	आठवीं योजना के दौरान चल रही वृहद् परि-योजनाओं की संख्या	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	आठवीं योजना के अंत तक संचित व्यय (करोड़ रुपये में) (अनुमानित)	नौवीं योजना के दौरान पूरी होने वाली संभावित वृहद् परि-योजनाओं की सं.	नौवीं योजना के बाद पूरी होने वाली संभावित वृहद् परियोजनाएं	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
मध्यम परियोजना							
1.	आंध्र प्रदेश	20	623.34	323.51	9	11	
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	
3.	असम	9	155.92	99.72	8	1	
4.	बिहार	29	1065.18	429.37	7	22	
5.	गोवा	1	40.00	2.40	–	1	
6.	गुजरात	9	337.53	260.02	8	1	
7.	हरियाणा	शून्य	–	–	–	–	
8.	हिमाचल प्रदेश	1	11.30	11.26	1	–	
9.	जम्मू एवं कश्मीर	9	223.55	55.88	–	9	
10.	कर्नाटक	15	943.67	510.72	7	8	
11.	केरल	5	478.93	150.56	1	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मध्य प्रदेश	32	1012.09	733.15	24	8	
13.	महाराष्ट्र	66	2076.06	1021.98	22	44	
14.	मणिपुर	2	66.58	56.50	2	–	
15.	मेघालय	1	17.81	8.14	1	–	
16.	मिजोरम	शून्य	–	–	–	–	
17.	नागालैंड	शून्य	–	–	–	–	
18.	उड़ीसा	10	499.95	410.24	7	3	
19.	पंजाब	1	88.49	0.20	–	1	
20.	राजस्थान	6	240.24	12.22	2	4	
21.	सिक्किम	शून्य	–	–	–	–	
22.	तमिलनाडु	2	103.75	29.53	2	–	
23.	त्रिपुरा	3	154.00	92.96	2	1	
24.	उत्तर प्रदेश	2	54.81	39.99	1	1	
25.	पश्चिम बंगाल	17	90.42	60.78	17	–	
	कुल	240.00	8283.62	4424.12			

विवरण-III

क्र.सं.	राज्य	वार्षिक योजना 1990-92 तक उपलब्धि (हजार हैक्टेयर में)	आठवीं योजना तक लक्ष्य (हजार हैक्टे.) (संचित)	आठवीं योजना तक सृजित क्षमता (हजार हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2999.00	3418.00	3045.10
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–
3.	असम	176.00	296.00	196.67
4.	बिहार	2766.00	3081.00	2802.50
5.	गोवा	13.00	49.00	13.02
6.	गुजरात	1246.00	1694.00	1350.00
7.	हरियाणा	2035.00	2331.00	2078.79
8.	हिमाचल प्रदेश	8.00	11.00	10.55
9.	जम्मू और कश्मीर	158.00	179.00	173.70
10.	कर्नाटक	1377.00	1778.00	1666.02
11.	केरल	416.00	564.00	513.31
12.	मध्य प्रदेश	1962.00	2412.00	2178.30

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र	2030.00	2430.00	2313.00
14.	मणिपुर	59.00	113.00	63.00
15.	मेघालय	–	4.00	–
16.	मिजोरम	–	–	–
17.	नागालैंड	–	–	–
18.	उड़ीसा	1409.00	1743.00	1557.75
19.	पंजाब	2367.00	2543.00	2512.85
20.	राजस्थान	1999.00	2288.00	2273.88
21.	सिक्किम	–	–	–
22.	तमिलनाडु	1545.00	1555.00	1545.51
23.	त्रिपुरा	2.00	15.00	2.30
24.	उत्तर प्रदेश	6806.00	7782.00	7059.00
25.	पश्चिम बंगाल	1353.00	1524.00	1444.00
	कुल	30726.00	35810.00	32799.32

गैर-सरकारी क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

2883. श्री अजीत जोगी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या इन एक्सचेंजों द्वारा सरकारी एक्सचेंजों से बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन नए एक्सचेंजों की खोले जाने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) निजी क्षेत्र में 3 एक्सचेंज लगाए गए हैं।

(ख) ये एक्सचेंज, दूरसंचार विभाग के नेटवर्क में लगे एक्सचेंजों की प्रौद्योगिकी की कोटि के हैं। सेवा की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए इन निजी एक्सचेंजों का उपभोक्ता-आधार व सेवा-काल काफी कम है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में एस.टी.डी. सुविधा

2884. श्री अशोक प्रधान :
श्रीमती कमल रानी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं और यह किस प्रकार के हैं एवं इनकी क्षमता कितनी हैं;

(ख) क्या राज्य में सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में एस.टी.डी. की सुविधा उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) 1998-99 के दौरान राज्य में एस.टी.डी. सुविधा वाले कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार को राज्य में क्रासबार प्रणाली के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) ब्यौरा इस प्रकार है:-

टाइप	एक्सचेंजों की सं	क्षमता
(1) इलेक्ट्रानिक	2127	1815612
(2) इलेक्ट्रो-मैकेनिकल	1	5000

(ख) जी, नहीं।

(ग) राज्य में एस.टी.डी. सुविधायुक्त टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या 1431 है।

(घ) वर्ष 1998-99 (इसमें मौजूदा तथा नए प्रस्तावित एक्सचेंज शामिल हैं) के दौरान 566 टेलीफोन एक्सचेंजों में एस.टी.डी. सुविधा दिए जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में दूरदर्शन केन्द्र

2885. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :
श्री सोम मरांडी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय बिहार में कितने दूरदर्शन केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) राज्य के विभिन्न शहरों में कितने दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को राज्य में विशेषकर पाकुड़ तथा साहेबगंज में और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) पटना, रांची, डाल्टन गंज और मुजफ्फरपुर स्थित 4 दूरदर्शन केन्द्र इस समय बिहार में कार्य कर रहे हैं।

(ख) इस राज्य में और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

डाकघर के लिए भवनों का निर्माण

2886. श्री चिन्मयानंद स्वामी :
डा. राम विलास वेदान्ती :
श्री एच.पी. सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में कई डाकघरों, उप-डाकघरों के पास अपने भवन नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में कुल कितना किराया दिया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन राज्यों में उक्त डाकघरों के लिए भवनों का निर्माण करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश तथा बिहार में जितने डाकघरों के अपने भवन नहीं हैं, उनकी संख्या क्रमश: 2600 और 1226 है।

(ग) उत्तर प्रदेश और बिहार में सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में अदा किया गया कुल किराया क्रमश: 4,17,68,232.03 (चार करोड़ सत्रह लाख अड़सठ हजार दो सौ बत्तीस रु. और तीन पैसे केवल) तथा 1,70,31,240/- रु. (एक करोड़ सत्तर लाख इक्तीस हजार दो सौ चालीस रु. केवल) है।

(घ) जी हां, एक चरणबद्ध रूप में बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध रहे।

(ङ) उत्तर प्रदेश और बिहार में चालू परियोजनाओं तथा हाल में अनुमोदित की गई नई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण पर देखा जा सकता है।

(च) उत्तर उपर्युक्त (ङ) के अनुसार।

विवरण

उत्तर प्रदेश सर्किल

I. चालू परियोजनाएं

1. रामनगर में डाकघर
2. तिलोकपुर में डाकघर
3. देहरादून प्रधान डाकघर (उर्ध्वाकार विस्तार)
4. गौरा प्रतापगढ़ डाकघर
5. मारदाह में डाकघर
6. किदवईनगर में डाकघर
7. जरवाल डाकघर
8. कवि नगर डाकघर
9. सिरौली गौसपुर में डाकघर
10. संजय पैलेस आगरा

II. नई अनुमोदित परियोजनाएं

1. जोशीमठ डाकघर

2. कोटाबाग डाकघर

3. जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र डाकघर

4. पट्टी डाकघर

5. इंदिरा नगर डाकघर

बिहार सर्किल

I. चालू परियोजनाएं

1. मांझी में डाकघर

2. लौरिया में डाकघर

3. बरहारा में डाकघर

4. रघुनाथपुर में डाकघर

5. धनबाद प्रधान डाकघर

6. चकई में डाकघर

7. दाउद नगर में डाकघर

8. मोतीहारी आर.एम.एस. (डिपाजिट कार्य)

नई अनुमोदित परियोजनाएं

1. पाटलीपुत्र पटना में डाकघर

2. गुलजार बाग में डाकघर

3. चईबासा डाकघर

[अनुवाद]

लाइसेंस ढांचे के संबंध में विशेषज्ञ ग्रुप की रिपोर्ट

2887. श्री डी.एस. अहिरे :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 नवंबर, 1998 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में "एक्सपर्ट-ग्रुप सेट अप टू शार्ट आउट नॉटी टेलीकाम प्राब्लम्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें रिपोर्ट की गई मामले के क्या तथ्य हैं;

(ग) ग्रुप के सदस्यों के क्या नाम हैं तथा उनकी संख्या कितनी है; और

(घ) विशेषज्ञ ग्रुप द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने 20 नवम्बर, 1998 को योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में निम्नलिखित पर सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक दल गठित किया है:-

(1) प्रस्तावित नई दूरसंचार नीति;

(2) बुनियादी और सैल्यूलर सेवाओं के मौजूदा लाइसेंसों से संबंधित मामले और नई दूरसंचार नीति की संरचना के अन्दर उपयुक्त उपचारात्मक उपाय सुझाना;

(3) टी.आर.ए.आई. से संबंधित मामले।

नई दूरसंचार नीति (ऊपर मद सं. 1) पर सिफारिशें करते समय इस दल को उद्योग और व्यापार तथा साथ ही दूरसंचार क्षेत्र के सरकारी और गैर-सरकारी सुविज्ञ व्यक्तियों के साथ व्यापक चर्चा और संपर्क स्थापित करना होगा।

(ग) अध्यक्ष तथा दल के सदस्यों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) दल से कहा गया है कि शीघ्रातिशीघ्र अपनी सिफारिशें प्रधान मंत्री को प्रस्तुत करे।

विवरण

दूरसंचार पर दल (जी.ओ.टी.) के सदस्यों के नाम

1. श्री जसवन्त सिंह, अध्यक्ष
   उपाध्यक्ष, योजना आयोग

2. श्री एम.एस. आलुवालिया, सदस्य
   सदस्य (दूरसंचार), योजना आयोग

3. डा. विजय केलकर, सदस्य
   सचिव, वित्त मंत्रालय

4. श्री आर.एल. मीना, सदस्य
   सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय

5. श्री अनिल कुमार, सदस्य
   सचिव, दूरसंचार विभाग

6. श्री पी.एस. शरण, सदस्य
   सदस्य, (सेवाएं), दूरसंचार आयोग

7. श्री आर.आर.एन. प्रसाद सदस्य
   सदस्य (उत्पादन), दूरसंचार आयोग

8. श्री एन. शेषगिरि, सदस्य
   महानिदेशक, राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र

9. डा. रोधम, नरसिंहन सदस्य
   निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्स्ड स्टडीज, आई.आई.एस., कौम्पलैक्स, बंगलूर

10. डा. एस. रंगराजन, सदस्य
    निदेशक, उपग्रह संचार,
    अंतरिक्ष विभाग, बंगलूर

11. श्री सुधीन्द्र कुलकर्णी, सदस्य
    निदेशक (संचार एवं अनुसंधान)
    प्रधान मंत्री कार्यालय

12. श्री एन.के. सिंह सदस्य सचिव
    प्रधान मंत्री के सचिव

डाक सेवाएं

2888. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रों में लोगों द्वारा डाक संबंधी कितनी शिकायतें दर्ज की गईं;

(ख) उक्त वर्षों में कितनी शिकायतों की सुनवाई की गई; और

(ग) उक्त क्षेत्र में डाक सेवाओं में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्व में जितनी डाक शिकायतें दर्ज की गई और जितनी डाक शिकायतों का निपटान किया गया उनकी कुल संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	अग्रेनीत	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतें
1995-96	2424	21128	20885	2667
1996-97	2667	21971	22635	2003
1997-98	2003	26895	25535	3363

(ग) उत्तर-पूर्व में डाक सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयोजन से इस क्षेत्र में विकास परक कार्यक्रमों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, इसके लिए योजना कार्यकलापों के लिए विभाग की बजटीय सहायता का 10% भाग इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकासपरक कार्यकलापों को तीन व्यापक योजनाओं अर्थात् डाक-

नेटवर्क का विस्तार, डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण तथा डाक भवनों और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण पर केंद्रित रखा गया था। वर्ष 1998-99 के वार्षिक योजना कार्यक्रम में इन कार्यकलापों को आगे जारी रखने के साथ-साथ लोक शिकायतों की निपटान प्रणाली के आधुनिकीकरण, डाक की ढुलाई को बेहतर बनाने तथा प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन विकास के कार्यक्रमों को लिया गया है।

चावल की किस्म विकसित किया जाना

2889. **श्री विजय कुमार "विजय" :**
श्री राम पाल सिंह :
डा. अशोक पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि वैज्ञानिकों द्वारा चावल/धान की एक ऐसी किस्म तैयार की गई है जो 60 दिन के अंदर तैयार हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो देश में राज्य-वार उक्त धान के बीज किसानों को कब तक उपलब्ध हो जायेंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं। भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने अभी तक चावल की कोई ऐसी किस्म विकसित नहीं की है जो 60 दिनों में तैयार हो जाए लेकिन ऐसी किस्में उपलब्ध हैं जो 65 से 70 दिनों में पक जाती हैं।

(ख) पैंसठ से सत्तर दिनों में पकने वाली किस्मों का विवरण निम्नलिखित है।

सत्तारी	यह 65 दिनों में परिपक्व हो जाती है और इसकी औसत पैदावार 2 टन/है. है। यह किस्म वर्ष 1983 में जारी की गई थी।
हीरा	यह 68 दिनों में परिपक्व होती है और इसकी औसत पैदावार 3 टन/है. है। यह किस्म वर्ष 1988 में उड़ीसा में आम कृषि के लिए जारी की गई थी।
कल्याणी-II	यह 70 दिनों में परिपक्व होती है और इसकी औसत पैदावार 3 टन/है. है। यह किस्म वर्ष 1998 में उड़ीसा में आम कृषि के लिए जारी की गई थी।
तुरंता धान	यह 70 दिनों में परिपक्व होती है और इसकी औसत पैदावार 3 टन/है. है। यह किस्म वर्ष 1997 में बिहार में आम कृषि के लिए जारी की गई है।

(ग) हीरा की उड़ीसा में, सत्तारी की उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में और तुरंता धान की बिहार में खेती के लिए सिफारिश की जाती है; और इन किस्मों की खेती पहले से ही की जा रही है। हीरा और सत्तारी का प्रजनक बीज केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक और तुरंता धान का प्रजनक बीज राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा द्वारा तैयार किया जा रहा है। ये प्रजनक बीज विभिन्न बीज उत्पादक अभिकरणों को और आगे बीज संवर्धन के लिए दिए जाते हैं - और उन अभिकरणों से बीज लेकर किसान इनका आम कृषि के लिए उपभोग करते हैं।

ग्रामीण युवाओं के लिए स्व-रोजगार

2890. **श्री प्रसाद जावूराव तनपुरे :**
श्री एस.एस. ओवेसी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कृषि उपज जैसे खाद्यान्न, दालें, फल, वनस्पति तेल बीजों आदि पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दे रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का कृषि उत्पादों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े औद्योगिक घरानों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को और अधिक रियायतें देने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग की वृद्धि, विकास और संवर्धन के

लिए मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत आसान शर्तों पर ऋण या सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। ग्रामीण युवक स्वरोजगार के लिए इन स्कीमों का लाभ उठा सकते हैं।

(घ) और (ङ) जी नहीं।

(च) और (छ) लघु क्षेत्र के लिए सामान्य रियायतें इस क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक यूनिटों के लिए भी उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम

2891. श्री अमरपाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान सरकार से प्राप्त विभिन्न परियोजनाओं संबंधी प्रस्तावों का विवरण क्या है;

(ख) ये प्रस्ताव किस स्तर पर लंबित हैं; और

(ग) इन पर राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सोयाबीन की खेती

2892. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सोयाबीन की खेती बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या कदम उठाए गए थे;

(ग) क्या सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए नौवीं योजना में कोई नई रणनीति अपनाए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजनावधि के दौरान कितनी हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर खेती करने तथा अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) सोयाबीन सहित तिलहन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के कार्यान्वयन पर 464 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई थी।

(ग) और (घ) नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 374 चयनित जिलों को शामिल करते हुए 23 राज्यों में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम को जारी रखा जा रहा है ताकि सोयाबीन समेत तिलहन उत्पादन में वृद्धि की जा सके। नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित नई कार्यनीतियों में बीज उत्पादन कार्यक्रम तथा स्प्रिंकलर प्रणाली जैसी सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार किया जाना शामिल है। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत क्षेत्र विस्तार के लिए अपनाई जाने वाली कार्यनीतियों में से एक है - क्रमिल, फसलन, अंतर फसलन, कम आय वाली फसलों के स्थान पर दूसरी फसलें उगाना तथा समस्याग्रस्त क्षेत्र/स्थिति में प्रतिस्थापित फसलें उगाना। न तो क्षेत्र विस्तार के लिए और न ही सोयाबीन के उत्पादन के लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। किन्तु, नवीं योजना के अंतिम वर्ष तल के लिए 30 मिलियन टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

ऑक्सीटोसिन के प्रयोग पर प्रतिबंध

2893. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कुछ क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय-भैंसों को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को उक्त इंजेक्शन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए निदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त इंजेक्शन का प्रयोग करने वाले लोगों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने दुधारू पशुओं पर ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के उपयोग को सीमित करने के लिए राज्य औषधि नियंत्रकों तथा अन्य संबंधित प्राधिकारियों को अनेक परिपत्र जारी किए हैं।

(घ) उल्लंघन की कोई रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

2894. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य और ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(ख) गुजरात सहित उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाना है;

(ग) उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त क्षेत्र में परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए किए गए आबंटन का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) का मुख्य उद्देश्य, सीमा के पास स्थित दूरदराज व दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे लोगों की विशेष जरूरतों को पूरा करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति, सामाजिक आधार संरचना के सुदृढ़ीकरण, सड़क नेटवर्क आदि में गंभीर अंतरालों को भरने जैसी समस्याओं को सुलझाने वाली स्कीमों को प्रारम्भ किया जा सकता है। बी.ए.डी.पी. शत-प्रतिशत केन्द्रीय रूप से वित्त पोषित क्षेत्र कार्यक्रम है।

(ख) यह कार्यक्रम उन राज्यों के सीमा ब्लाकों में चल रहा है जिनकी सीमाएं पाकिस्तान, बंगलादेश व म्यांमार से लगती हैं, ये हैं:- अरूणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल।

(ग) प्रत्येक राज्य में आरम्भ की जाने वाली स्कीमों/परियोजनाओं के संबंध में निर्णय, राज्य स्तरीय छानबीन समितियों द्वारा लिये जाते हैं। उत्तर-पश्चिमी राज्यों, अर्थात् राजस्थान व गुजरात में चलाई गयी स्कीमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, सड़क व सुरक्षा आदि से संबंधित हैं।

(घ) चालू वर्ष में बी.ए.डी.पी. कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात व राजस्थान सरकारों को क्रमश: 8.88 करोड़ व 26.52 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार को, इंदिरा गांधी नहर परियोजना हेतु 30 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

फसल का खराब होना

2895. श्री वासवराज पाटील सेडाम :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री संदीपान थोरात :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री रामानन्द सिंह :
डा. उल्लास वासुदेव पाटील :
श्री विजय गोयल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्य फसलों के खराब होने के कारण गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्य फसलों के खराब होने से प्रभावित हैं;

(ग) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान विशेषकर रबी और खरीफ फसलों के खराब होने के कारण कृषि क्षेत्र को कुल कितनी धनराशि की हानि हुई;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने फसलों के खराब होने से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्र सरकार से तत्काल सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार ने राज्यवार क्या निर्णय किया है; और

(च) राज्यों को अनुदान की स्वीकृति तथा धनराशि को जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्लूटोनियम का उत्पादन

2896. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 19 नवम्बर, 1998 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित समाचार "पाकिस्तान द्वारा प्लूटोनियम का उत्पादन आरम्भ" की ओर सरकार का ध्यान गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इससे पाकिस्तान भविष्य में हाइड्रोजन, प्लूटोनियम तथा न्यूट्रॉन बम बनाने में सक्षम हो जायेगा, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस कार्यवाही का सामना सरकार किस प्रकार करेगी?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार पाकिस्तान की नाभिकीय क्षमता पर कड़ी नजर रखते हुए है तथा उसका लगातार जायजा ले रही है भारत की विकासात्मक और सुरक्षात्मक चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत के पास एक वृहद, विविधतापूर्ण एवं उन्नत नाभिकीय कार्यक्रम है। सरकार अपने राष्ट्रीय सुरक्षा आंकलनों के आधार पर देश की सुरक्षा की कारगर रक्षा करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है।

भूमिगत ज

2897. श्री के.एच. मुनियप्पा :
प्रो. अजित कुमार मेहता :
श्री विठ्ठल तुपे :
श्री देवेन्द्र बहादुर राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों में भूमिगत जलस्तर में तीव्र गिरावट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय जल आयोग द्वारा हाल ही में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार पता चला है कि मेट्रोपालिटन शहरों में भूमिगत जल बहुत प्रदूषित और पीने के लिए असुरक्षित है; और

(घ) यदि हां, तो देश में जल की कमी वाले क्षेत्रों में भूमिगत जल के शुद्धीकरण हेतु केन्द्रीय जल आयोग द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं/प्रस्तावित हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) केन्द्रीय भू जल बोर्ड द्वारा किए गए दीर्घावधि प्रेक्षणों में देश के विभिन्न भागों में भू जल के स्तर में चढ़ाव एवं उतार दोनों ही स्थिति देखने को मिली हैं। कुछ पाकेटों में जहां 4 मीटर से अधिक गिरावट पायी गई है उन जिलों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। भू जल के स्तर में इस गिरावट का मुख्य कारण वार्षिक पुनर्भरण से अधिक निकासी, वर्षा की मात्रा और उसके वितरण में भिन्नता, बढ़े हुए शहरीकरण, वनों की कटाई और किसानों द्वारा अधिक जल खपत वाली फसल पद्धति को अपनाने के कारण भू जल के पुनर्भरण में कमी आयी है।

(ग) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा भू जल का कोई प्रेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहायता से केन्द्रीय भू जल बोर्ड द्वारा केवल दिल्ली में भू जल की गुणवत्ता का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन से दिल्ली के कुछ पाकेटों के भू जल में निर्धारित मानकों से अधिक कुछ रसायनों एवं भारी धातुओं की विद्यमानता का पता चलता है।

(घ) देश के विभिन्न भागों में भू जल का पुनर्भरण करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में ये शामिल हैं:-

(1) केन्द्रीय भू जल बोर्ड द्वारा महाराष्ट्र, कर्नाटक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के कुछ भागों में भू जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययन पर केन्द्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन किया जाता है। इन राज्यों में अध्ययनों के सकारात्मक परिणामों के आधार पर, सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ अन्य राज्यों के कुछ "अतिदोहित", "डार्क और ग्रे" ब्लाकों को शामिल करने के लिए ऊपर उल्लिखित योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है।

(2) केन्द्रीय भू जल बोर्ड ने भू जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी नियम पुस्तक को तैयार किया है और उन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा है ताकि वे क्षेत्र विशिष्ट पुनर्भरण योजनाओं को तैयार कर सकें।

(3) केन्द्रीय भू जल बोर्ड ने भू जल के कृत्रिम पुनर्भरण में राज्यों को सहायता देने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना तैयार की है। इस योजना पर परामर्श चल रहा है।

विवरण

दीर्घावधि आधार पर भू-जल स्तरों में चार मीटर से अधिक जिलेवार गिरावट (1980-1998)

(पूर्व मानसून मई)

क्र.सं.	राज्य	जिले
1	2	3
1.	हरियाणा	भिवानी, रोहतक, जीन्द, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, करनाल, कैथल, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत।
2.	पंजाब	अमृतसर, जालन्धर, फिरोजपुर, फरीदकोट, लुधियाना, फतेहगढ़, पटियाला, संगरूर, भटिण्डा।
3.	राजस्थान	अलवर, बीकानेर, चुरू, झुन्झुनू, भरतपुर, धोलपुर, दोसा, जयपुर, सीकर, नागौर, जैसलमेर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमन्द, उदयपुर, कोटा, मन्दसौर, चित्तौड़गढ़, बूंदी।
4.	गुजरात	भुज, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, सुरेन्द्रनगर, बनासकांठा।
5.	उत्तर प्रदेश	नैनीताल, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, बरेली, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, गोण्डा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, फिरोजाबाद, ललितपुर, गाजियाबाद, फतेहगढ़, सहारनपुर, मेरठ, जौनपुर, झांसी, बनारस, बलिया।
6.	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया
7.	असम	गोलाघाट, सोनितपुर, लखीमपुर, कछार।
8.	मध्य प्रदेश	गुना, पन्ना, सतारा, शाहजापुर, सागर, अम्बिकापुर, उज्जैन, देवास, धार, इन्दौर, खड़गांव, छिन्दवाड़ा, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर, मुरैना, पुर्वी नीमर, राजनन्दगांव, दुर्ग, रतलाम।
9.	कर्नाटक	बंगलौर, बेलगांव, बेलारी, बीजापुर, धारवाड़, कोलार, मंडिया, उत्तर कनाडा, शिमोगा, गुलबर्गा, मैसूर।
10.	तमिलनाडु	दक्षिण आर्कोट, सेलम, कोयम्बटूर, पुडुकोट्टाई, मदुरै, त्रुनगर, कामराजार, थिरूनलवेली, तिरूचिरापल्ली, थंजावुर।
11.	बिहार	पूर्वी सिंहभूम, रांची।
12.	महाराष्ट्र	जलगांव।
13.	आन्ध्र प्रदेश	मेदक, रंगारेड्डी, महबूबनगर, नालगोंडा, कुडप्पा, चित्तूर।
14.	उड़ीसा	कोरापुट, मयूरभंज।

दूरदर्शन के लिए वाणिज्यिक धारावाहिकों को मंजूरी

2098. श्री अभय सिंह एस. भोंसले :
श्री विट्ठल तुपे :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कमीशन आधार पर मंजूर किए गए वाणिज्यिक और टेली धारावाहिकों की संख्या कितनी है;

(ख) इन धारावाहिकों के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ग) दूरदर्शन में मंजूरी हेतु लंबित पड़े धारावाहिकों की संख्या कितनी है; और

(घ) धारावाहिकों को मंजूरी देने में होने वाले विलम्ब के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 672 टेली-धारावाहिकों को कमीशंड किया गया था और इन धारावाहिकों के लिए दूरदर्शन द्वारा 6296.92 लाख रु. की राशि स्वीकृत की गई थी।

(ग) 499 प्रस्ताव, श्रीमन्।

(घ) कमिशनिंग स्कीम के अंतर्गत धारावाहिकों को मंजूरी देना निजी निर्माताओं द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने निधि की उपलब्धता और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तावों पर कार्यवाही करने में दूरदर्शन द्वारा लिए जाने वाले समय पर निर्भर करता है।

डाक तथा तार विभाग के अधिकारियों की सेवा संबंधी शर्तें

2899. श्री अर्जुन सेठी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2 दिसम्बर, 1998 को अखिल भारतीय डाक तथा तार विभाग के लेखा अधिकारियों ने अपनी खराब सेवा संबंधी शर्तों को उजागर करते हुए मौन जलूस निकाला था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फास्ट ट्रेक कमेटी द्वारा सिफारिश करने और उसे मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित करने के बावजूद भी उनकी सेवा संबंधी शर्तों में कोई सुधार नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कपीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, उक्त एसोसिएशन द्वारा 2 दिसम्बर, 1998 को एक मौन जुलूस निकाला गया था।

(ख) से (घ) उनकी मांगों में मुख्य रूप से कनिष्ठ लेखा अधिकारियों/सहायक लेखा-अधिकारियों/लेखा अधिकारियों/वरिष्ठ लेखा अधिकारियों/मुख्य लेखा अधिकारियों को उच्चतर वेतनमान प्रदान करना; लेखा अधिकारियों/ए.सी.ए.ओ. की नई पदोन्नति सूची जारी करना; टी.आर. कम्प्यूटरीकरण के लिए लेखा पदों के सृजन के लिए तदर्थ मानदंडों का निर्धारण; कनिष्ठ लेखा अधिकारियों को विभागीय परीक्षा का नियमित आधार पर आयोजन, तथा भारतीय डाक-तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" का वर्टिकल बाइफ्रकेशन आदि शामिल हैं। ये जटिल मुद्दे हैं और इनके लिए अंतर्मंत्रालयी परामर्श की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

2900. श्री जयसिंहजी चौहान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन स्रोतों का ब्यौरा क्या है जिनसे प्रत्येक राज्य विशेषरूप से गुजरात में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ख) देश में सिंचाई क्षमता की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) देश में विशेषरूप से गुजरात में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) गुजरात सहित देश के राज्यों में सिंचाई के स्रोतों का विवरण इस प्रकार है:

स्रोत	निवल सिंचित क्षेत्र (हजार हैक्टेयर में)	
	समस्त भारत	गुजरात
सरकारी नहरें	16582	593
निजी नहरें	560	–
तालाब	3111	35
नलकूप	17937	724
अन्य कुएं	11860	1642
अन्य स्रोत	3460	8
कुल	53510	3002

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना (अर्थात् 1996-97) के अन्त तक देश में सृजित तथा उपयोग की गई सिंचाई क्षमता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) चल रही वृहद एवं मध्यम सिंचाई तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कर देश में अधिक सिंचाई सुविधाओं के सृजन की दृष्टि से भारत सरकार ने 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) प्रारम्भ किया। इस कार्यक्रम के तहत चल रही उन चुनिन्दा वृहद एवं मध्यम सिंचाई तथा बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण सहायता (सी.एल.ए.) उपलब्ध कराई जा रही है जो या तो राज्य सरकारों की संसाधन क्षमता से परे हैं या निर्माण के अंतिम चरण में है और उन्हें थोड़ी-सी आर्थिक सहायता प्रदान कर पूरा किया जा सकता है। वर्ष 1996-97 तक इस कार्यक्रम के तहत जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता (करोड़ रुपये में)	
वर्ष	सम्पूर्ण भारत	गुजरात
1996-97	500.00	74.77
1997-98	952.19	196.90
1998-99	434.73	112.71

इसके अतिरिक्त गुजरात सरकार ने राज्य में सिंचाई सुविधाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) पुरानी नहर प्रणालियों में जो नहरें पक्की नहीं हैं उन्हें पक्का करना।

(2) पुरानी नहर प्रणालियों का विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण।

(3) स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाना।

(4) सिंचाई जल का किफायती और इष्टतम उपयोग।

(5) पुनर्भरण कुएं, परकोलेशन टैंक, गांव के कुएं, स्प्रीडिंग चैनल्स एवं लघु स्कीमों के साथ-साथ चैक बांधों जैसे विभिन्न पुनर्भरण कार्यों का कार्यान्वयन।

(6) संपर्क नहरों एवं तालाब प्रणाली को जोड़कर अधिक जल वाले क्षेत्र से कम जल वाले क्षेत्र में सिंचाई के उद्देश्य के लिए जल का स्थानान्तरण करना।

(7) मध्यम एवं लघु सिंचाई स्कीमों के माध्यम से जल संसाधनों का उपयोग करना।

(8) चल रही वृहद एवं मध्यम परियोजना को शीघ्र पूरा करना।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना, 1996-97 (अनन्तिम) के अंत तक वृहद एवं मध्यम/लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा सृजित तथा उपयोग की गई सिंचाई क्षमता

(हजार हैक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सृजित क्षमता			उपयोग की गई क्षमता		
		वृहद एवं मध्यम	लघु	कुल	वृहद एवं मध्यम	लघु	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	3047.10	2901.87	5948.97	2883.80	2687.16	5570.96
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	83.42	83.42	0.00	65.54	65.54

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	196.97	592.76	789.43	138.17	484.45	622.62
4.	बिहार	2802.50	5108.24	7910.74	2324.20	4573.70	6897.90
5.	गोवा	13.02	20.52	33.54	12.07	17.77	29.84
6.	गुजरात	1350.00	1935.30	3285.30	1200.00	1839.62	3039.62
7.	हरियाणा	2078.79	1576.77	3655.56	1833.62	1531.62	3365.24
8.	हिमाचल प्रदेश	10.55	150.38	160.93	5.59	128.42	134.01
9.	जम्मू और कश्मीर	173.70	378.68	552.38	147.57	364.64	512.21
10.	कर्नाटक	1666.02	1531.01	3197.03	1471.70	1488.71	2960.41
11.	केरल	513.31	573.12	1086.43	464.31	537.49	1001.80
12.	मध्य प्रदेश	2178.30	2657.52	4835.82	1551.30	2422.02	3973.32
13.	महाराष्ट्र	2313.00	2619.20	4932.20	1287.70	2341.10	3628.80
14.	मणिपुर	63.00	60.39	123.39	52.00	51.19	103.19
15.	मेघालय	0.00	46.64	46.64	0.00	40.33	40.33
16.	मिजोरम	0.00	12.71	12.71	0.00	11.20	11.20
17.	नागालैंड	0.00	67.24	67.24	0.00	57.93	57.93
18.	उड़ीसा	1557.75	1357.47	2915.22	1442.66	1227.05	2669.71

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	पंजाब	2512.85	3354.17	5867.02	2452.34	3296.12	5748.46
20.	राजस्थान	2285.57	2421.24	4706.81	2086.31	2336.78	4423.09
21.	सिक्किम	0.00	26.23	26.23	0.00	20.59	20.59
22.	तमिलनाडु	1545.51	2115.22	3660.73	1545.49	2111.36	3656.85
23.	त्रिपुरा	2.30	92.58	94.88	2.30	84.03	86.33
24.	उत्तर प्रदेश	7059.00	23595.00	30654.00	6126.00	21923.00	28049.00
25.	पश्चिम बंगाल	1444.08	3217.37	4661.45	1332.52	2576.90	3909.42
	कुल राज्य	32813.02	56495.05	89308.07	28359.65	52218.72	80578.37
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	18.22	112.15	130.37	9.00	104.32	113.32
	कुल योग	32831.24	56607.20	89438.44	28368.65	52323.04	80691.69

बिहार में रेडियो स्टेशन की स्थापना

2901. प्रो. रीता वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के धनबाद जिला में रेडियो स्टेशन की स्थापना का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या धनबाद में रेडियो स्टेशन की स्थापना के लिए बिहार सरकार एवं सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से भूमि की मांग की गई थी;

(घ) यदि हां, तो क्या अब तक भूमि अधिगृहीत की जा चुकी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) से (ङ) धनबाद (बिहार) में 6 किलोवाट एफ.एम. ट्रांसमीटर सहित एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के प्रस्ताव को 8वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। बिहार सरकार से उपयुक्त स्थल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। मैसर्स भारत कूकिंग कोल लिमिटेड (बी.सी.सी.एल.) ने वर्ष 1993 में इस प्रस्ताव हेतु एक भू-खण्ड देने का प्रस्ताव किया था तथा कोयला मंत्रालय से उक्त भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी देने का अनुरोध किया गया था। इसी बीच, भारत कूकिंग कोल लिमिटेड ने भू-खण्ड देने संबंधी प्रस्ताव वापस ले लिया और इसलिए उक्त भू-खण्ड को अधिग्रहीत नहीं किया जा सका। संसाधनों की कमी के कारण, इस परियोजना को 9वीं योजना में शामिल नहीं किया है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक टेलीफोन सुविधाएं

2902. श्री जंगबहादुर सिंह पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए पी.सी.ओ. की संख्या अपर्याप्त है और उन्हें फोन करने के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो देश में कितने पी.सी.ओ. हैं;

(ग) क्या इनकी संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पी.सी.ओ. की मंजूरी के लिए कितने आवेदन-पत्र लंबित हैं, वे कब से लंबित पड़े हैं और उन पर कार्रवाई न करने के क्या कारण हैं;

(च) क्या पी.सी.ओ. ऑपरेटर ग्राहकों से अधिक पैसा वसूल रहे हैं और जनता के पास पी.सी.ओ. आपरेटरों से निपटने के लिए त्रुटिरहित उपाय उपलब्ध नहीं हैं; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) देश में 4,68,833 पी.सी.ओ. कार्यरत हैं।

(ग) और (घ) जी हां। 1998-99 के दौरान पी.सी.ओ. का लक्ष्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(च) और (छ) एस.टी.डी., पी.सी.ओ. फ्रैंचाइजियों द्वारा ओवर (अधिक) चार्जिंग से संबंधित कुछ शिकायतें मिली हैं। फ्रैंचाइजियों द्वारा ओवर चार्जिंग की जांच करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा अनुमोदित कॉल चार्ज संकेतक, जो एकातिक रूप से टेलीफोन एक्सचेंज से 16 के.एच.जैड मीटरिंग पल्सिज पर कार्य कर रहे हैं, के प्रयोग की अनुमति दी गई है। उपभोक्ता अपनी ओर से कॉल का ब्यौरा दर्शाने वाली रसीद मांग सकता है और फिर उसकी तुलना उन निर्धारित दरों के साथ कर सकता है, जो फ्रैंचाइजी द्वारा प्रदर्शित की जानी अपेक्षित हैं।

विवरण

1998-99 के लिए सार्वजनिक टेलीफोनों का लक्ष्य

क्र.सं.	सर्किल/जिला का नाम	स्थानीय तथा स्थानीय एवं ट्रंक पी.सी.ओ.	एस.टी.डी./ आई.एस.डी. पी.सी.ओ.	कुल
1	2	3	4	5
1.	अंडमान, निकोबार	15	35	50
2.	आंध्र प्रदेश	2000	6000	8000
3.	असम	500	1500	2000
4.	बिहार	2000	6000	8000

1	2	3	4	5
5.	गुजरात	1500	4500	6000
6.	हरियाणा	535	1715	2250
7.	हिमाचल प्रदेश	250	750	1000
8.	जम्मू, कश्मीर	250	750	1000
9.	कर्नाटक	2000	6000	8000
10.	केरल	750	2250	3000
11.	मध्य प्रदेश	2000	6000	8000
12.	महाराष्ट्र	2500	7500	10000
13.	उत्तर पूर्वी	250	750	1000
14.	उड़ीसा	300	900	1200
15.	पंजाब	1000	3000	4000
16.	राजस्थान	1500	4500	6000
17.	तमिलनाडु	2500	7500	10000
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	2500	7500	10000
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	1500	4500	6000

1	2	3	4	5
20.	पश्चिम बंगाल	1500	4500	6000
21.	मुम्बई	1500	4500	6000
22.	कलकत्ता	2000	5500	7500
23.	दिल्ली	1500	4500	6000
24.	चेन्नई	1000	3000	4000
	जोड़	31350	93650	125000

विश्व बैंक द्वारा सहायता

2903. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक ने पिछले दो वर्षों के दौरान आज तक गुजरात को राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजनाओं के अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में लगाए गए प्रतिबंधों के कारण इन परियोजनाओं पर पड़े प्रभाव की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) गुजरात में राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना को मार्च, 1993 में बंद कर दिया गया था। अतः, विगत दो वर्षों के दौरान कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग

2904. प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में वाणिज्यिक तथा आर्थिक विभाग है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कार्य हैं तथा इन विभागों में कितने व्यक्ति कार्यरत हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय निर्यातकर्ताओं को ब्रिटिश बाजार में अपने व्यापार संवर्द्धन में सहायता प्रदान करने के संबंध में इसकी सफलता तथा उपयोगिता के संबंध में कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां। भारतीय उच्चायोग, लन्दन में आर्थिक और वाणिज्यिक स्कंध है।

(ख) (1) भारतीय उच्चायोग लन्दन के आर्थिक और वाणिज्यिक स्कंध का प्रमुख कार्य युनाइटेड किंगडम में भारत के आर्थिक और वाणिज्यिक हितों को संवर्धित करना है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ ब्रिटिश बाजार में भारतीय निर्यात का संवर्धन, युनाईटिड किंगडम से निवेशों को प्रोत्साहन और भारत एवं ब्रिटेन के वाणिज्यिक संगठनों के बीच औद्योगिक और तकनीकी सहयोग सुकर बनाना शामिल है। इसके अतिरिक्त आर्थिक और वाणिज्यिक स्कंध देश और विशिष्ट उत्पादों दोनों की दृष्टि से इंडिया ब्रांड इक्विटी बनाने तथा उसे संवर्धित करने की दिशा में भी प्रयत्नशील है।

(2) आर्थिक और वाणिज्यिक स्कंध में एक कौंसलर, एक प्रथम सचिव, एक द्वितीय सचिव तथा सहायक कर्मचारियों सहित 9 कार्मिक हैं।

(ग) जी हां।

(घ) आर्थिक और वाणिज्यिक स्कंध ने निगरानी सुविधाएं, संगत सूचना उपलब्ध कराकर, विभिन्न व्यापार संवर्धन कार्यों को आयोजित करके, व्यापार मेलों में भाग लेने की सुविधाएं उपलब्ध कराकर तथा व्यापारिक विवादों को निबटाने में सहायता देकर भारतीय निर्यातकों को उपयोगी सहायता प्रदान की है। यह ब्रिटिश व्यापार और उद्योग को भारत में उपलब्ध व्यापार एवं निवेश के अवसरों के संबंध में सूचना प्रदान कराने में भी सक्रिय रहा है। आर्थिक और वाणिज्यिक स्कंध के प्रयासों से अन्य बातों के साथ-साथ युनाइटेड किंगडम को भारतीय निर्यात 1990-91 में 2121 करोड़ रुपए से 250% बढ़कर 1997-98 में 7578 करोड़ रुपए हो गया। इसी अवधि में भारत को ब्रिटिश निर्यात 2963 करोड़ रुपए से 190% बढ़कर 8696 करोड़ रुपए हो गया।

(ङ) सरकार भारतीय उच्चायोग लन्दन के आर्थिक और वाणिज्यिक स्कंध के कार्यों पर निरन्तर ध्यान रखते हुए यह सुनिश्चित करती हैं कि यह अपने कार्य पर्याप्त रूप से पूरा करे तथा यह कि इस स्कंध के पास इसके विभिन्न क्रिया-कलापों के लिए पर्याप्त संसाधन हों।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

2905. श्री पी.सी. थॉमस : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार विभाग में "ऑम्बूड्जमैन" की नियुक्ति किए जाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गलत बिल आने, खराब दूरसंचार सेवाओं और टेलीफोन की खराबियों से संबंधित शिकायतों को दूर करने के बारे में उपभोक्ताओं के पास पहले से कौन-कौन से उपाय उपलब्ध हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) ने सेवा की गुणवत्ता पर एक परामर्श-पत्र निकाला है। अन्य सुझावों के साथ परामर्श-पत्र में, एक ओम्बुड्समैन संस्था की स्थापना हेतु प्रस्ताव शामिल है, जो किसी प्रचालक द्वारा टी.आर.ए.आई. द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता संबंधी मानकों का पालन न किए जाने से उत्पन्न होने वाले ग्राहकों के विवादों/शिकायतों का समाधान करने में विशिष्ट ज्ञान को प्रयोग में ला सकता है। टी.आर.ए.आई. के प्रस्ताव के अनुसार इस योजना में एक ठोस कार्यविधि की व्यवस्था है, जो व्यक्तिगत शिकायतों अथवा प्रचालनात्मक अथवा सेवा-संबंधी दिन-प्रतिदिन के विवादों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करेगी।

(ग) सामान्य सरकारी चैनलों के अतिरिक्त, उपभोक्ता अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए जन-शिकायत प्रकोष्ठ, टेलीफोन अदालत, ओपन हाउस-सेशन तथा कन्ज्यूमर रीड्रेसल-फोरम से संपर्क कर सकते हैं।

देश में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर/कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर

2906. श्री संदीपान थोरात : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत उच्च शक्ति वाले/कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रशासन द्वारा अनुमोदित कुछ उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर/कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर अभी भी अधूरे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) लंबित/अधूरे उच्च शक्ति वाले/कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) वर्तमान वर्ष के दौरान क्रियान्वयन हेतु अनुमोदित नए उच्च शक्ति वाले/कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए राज्य-वार किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है; और

(च) महाराष्ट्र में चल रही परियोजना की वर्तमान प्रगति की स्थिति क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) विवरण-I संलग्न है।

(ख) से (घ) इस समय 288 टेलीविजन ट्रांसमीटर परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। अल्प शक्ति ट्रांसमीटर/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाओं के पूरा होने में लगभग 2 वर्ष का समय लगता है और उच्च शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाओं के मामले में लगभग 3 वर्ष लगते हैं जोकि समय पर भवन एवं टावरों के निर्माण, अपेक्षित संसाधनों अन्य आधारभूत सुविधाओं जन शक्ति की उपलब्धता तथा सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, रामपुर (100 वा. से 300 वा. में उन्नयन) को स्वीकृत एवं चालू करने के साथ-साथ गुजरात में वडोदरा में 1 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर तथा हिमाचल प्रदेश में मण्डी में 1 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (डी.डी.-2) स्थापित करने संबंधी स्कीमें स्वीकृत की गई हैं जिनके लिए वर्ष 1998-99 के बजट में क्रमशः 2 लाख रुपये और 20 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं।

(च) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में खोपोली, महाद, मनगांव, सतना, तुमसर एवं उमरखेड़ में 6 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और कोरेगांव तथा मालवा में 2 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर चालू किए गए हैं। राज्य में इस समय 28 टेलीविजन ट्रांसमीटर परियोजनाएं (उ.श.ट्रां.-4, अ.श.ट्रां.-14 तथा अ.अ.श.ट्रां.-10) कार्यान्वयनाधीन हैं जिनमें से सभी 24 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों तथा नागपुर में उ.श.ट्रां. (डी.डा.-2) को चरणबद्ध रूप से वर्ष 1999-2000 तक पूरा किए जाने की संभावना है जो कि संसाधनों, आधारभूत सुविधाओं, अपेक्षित जन शक्ति की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

विवरण-I

दूरदर्शन नेटवर्क (30.11.98 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	टी.वी. ट्रांसमीटर (प्राइमरी चैनल)						टी.वी. ट्रांसमीटर (प्राइमरी चैनल के अलावा)			
		का.नि.के.	उ.श.ट्रा.	अ.श.ट्रा.	अ.अ.श.ट्रा.	ट्रांसपोंडर	कुल	उ.श.ट्रा.	अ.श.ट्रा.	अ.अ.श.ट्रा.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	असम	3	3	19	1	1	24	0	3	0	3
2.	आन्ध्र प्रदेश	1	8	61	6	1	76	1	0	0	1
3.	अरूणाचल प्रदेश	1	1	3	32	0	36	0	1	0	1
4.	बिहार	4	5	44	1	1	51	0	1	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	गोवा	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1
6.	गुजरात	2	4	51	3	0	58	1	1	0	2
7.	हरियाणा	0	0	9	0	0	9	0	1	0	1
8.	हिमाचल प्रदेश	1	2	8	29	2	41	0	1	0	1
9.	जम्मू और कश्मीर	2	4	5	31	1	41	0	4*	0	4
10.	केरल	1	3	18	2	0	23	0	4	0	4
11.	कर्नाटक	2	4	42	2	0	48	1	0	0	1
12.	मध्य प्रदेश	2	6	69	10	0	85	0	1	0	1
13.	मेघालय	2	2	2	2	0	6	0	2	0	2
14.	महाराष्ट्र	2	5	68	9	1	83	1	1	0	2
15.	मणिपुर	1	1	1	3	0	5	0	1	0	1
16.	मिजोरम	1	2	0	2	0	4	0	2	0	2
17.	नागालैण्ड	1	2	2	4	1	9	0	1	0	1
18.	उड़ीसा	2	4	57	9	1	71	1	4	2	7
19.	पंजाब	1	4	5	0	1	0	0	1	0	1
20.	राजस्थान	1	4	58	13	2	77	0	2	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	सिक्किम	0	1	0	5	0	6	0	1	0	1
22.	तमिलनाडु	1	3	36	3	2	44	1	0	0	1
23.	त्रिपुरा	1	1	2	1	1	5	0	2	0	2
24.	उत्तर प्रदेश	6	9	63	25	3	100	0	5	0	5
25.	पश्चिम बंगाल	3	4	19	2	0	25	1	1	0	2
26.	दिल्ली	1	1	0	0	0	1	1	2**	0	3
27.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0	2	10	0	12	0	1	0	1
28.	दमन और दीव	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
29.	पांडिचेरी	1	0	2	2	0	4	0	1	0	1
30.	लक्षद्वीप	0	0	1	8	0	9	0	0	1	1
31.	चण्डीगढ़	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1
32.	दादरा और नागर हवेली	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	कुल	45	84	651	215	18	968	8	46	3	57

कुल ट्रांसमीटर – 1025

*कश्मीर चैनल के लिए एक अ.श.ट्रा.

**संसद कवरेज के लिए अ.श.ट्रा.

विवरण-II

दूरदर्शन परियोजनाएं
(30.11.98 की स्थिति के अनुसार)

(कार्यान्वयनाधीन)

संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उ.श.ट्रां.	अ.श.ट्रां.	अ.अ.श.ट्रां.	ट्रांसपोजर	कुल ट्रांसपोजर
1	2	3	4	5	6	7
1.	असम	0+2	1	0	1	4
2.	आंध्र प्रदेश	2	16	3	0	21
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	11	1	12
4.	बिहार	1+1	4	1	0	7
5.	गोवा	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	3	8	0	0	11
7.	हरियाणा	0	5	0	0	5
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0+1	10	0	11
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1+1	2	6	0	10
10.	केरल	2+2	3	2	0	9
11.	कर्नाटक	4	13	2	0	19
12.	मध्य प्रदेश	3+4	12	2	0	21
13.	मेघालय	0+1	0	0	1	2

1	2	3	4	5	6	7
14.	महाराष्ट्र	3+1	14	10	0	28
15.	मणिपुर	1	0	2	0	3
16.	मिजोरम	0	1	0	1	2
17.	नागालैण्ड	0	0+1	2	1	4
18.	उड़ीसा	2+1	11	9	2	25
19.	पंजाब	1	0	0	0	1
20.	राजस्थान	3+2	17	4	0	26
21.	सिक्किम	0	0	1	0	1
22.	तमिलनाडु	1	11	2	0	14
23.	त्रिपुरा	0+1	3	0	0	4
24.	उत्तर प्रदेश	2+5	13	16	0+1	37
25.	पश्चिम बंगाल	4+2	3	1	0	10
26.	दिल्ली	0	0	0	0	0
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
28.	दमण एवं दीव	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
29.	पांडिचेरी	1	0	0	0	1
30.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	0	0	0	0	0
31.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
32.	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0
	जोड़	34+23	137+2	84	7+1	288

टिप्पणी : जोड़े गए आंकड़े डी डी-2 सेवा हेतु ट्रांसमीटरों को दर्शाते हैं।

[हिन्दी]

भारतीय प्रसारण नेटवर्क

2907. श्री अरविंद कांबले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रसारण नेटवर्क में प्रगति आशा के विपरीत बहुत ही निराशाजनक रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी प्रसारण सेवा की अपेक्षा विदेशी और निजी प्रसारण सेवाओं ने अधिक प्रगति की है;

(ग) क्या दूरदर्शन को इस कारण हानि उठानी पड़ रही है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या इस स्थिति का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं। सकल बिल निम्न अनुसार है:-

वर्ष	(करोड़ रु. में)
1995-96	466.70
1996-97	614.77
1997-98	640.00

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों के लिए धनराशि

2908. श्री वेंकटेश नायक :
श्री विट्ठल तुपे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष में कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र द्वारा केन्द्र सरकार से मांगी गई धनराशि संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वर्ष में अब तक इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार ने वास्तव में कितनी धनराशि जारी की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) कर्नाटक और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने जैसा कि योजना आयोग और इन दो राज्यों के बीच सहमति हुई थी, चालू वर्ष के दौरान योजना-आकार की समग्र सीमा के भीतर कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए क्रमश: 173.57 करोड़ रु. तथा 330.66 करोड़ रु. की राशि आबंटित की है। राज्यों को योजना के लिए ब्लाक-अनुदान अथवा ऋण पूर्णत: गाडगिल फार्मूले के आधार पर उपलब्ध कराए जाते हैं तथा योजना आयोग द्वारा कोई क्षेत्रकीय राशियां जारी नहीं की जातीं।

कम्प्यूटरों पर संस्कृत में कार्य

2909. **श्री रामानन्द सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कम्प्यूटरों पर संस्कृत में कार्य किए जाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) सरकार कम्प्यूटरों पर देवनागरी के प्रयोग के लिए पहले ही प्रशिक्षण उपलब्ध करा रही है। कार्यस्थल पर प्रशिक्षण के अलावा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सरकार तथा सरकारी निकायों के कर्मचारियों के लिए बारह नियमित पाठ्यक्रम चला रहा है। इससे कम्प्यूटरों पर संस्कृत सहित देवनागरी-आधारित भाषाओं के प्रयोग हेतु मदद मिलेगी तथा कई संगठनों ने पहले ही ऐसे डाटाबेस का निर्माण कर लिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नदियों का जोड़ा जाना

2910. **श्री अशोक नामदेवराव मोहोल**
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालय से निकलने वाली उन नदियों का ब्यौरा क्या है जिनको जोड़ने के संबंध में व्यावहार्यता-पूर्व रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार कर ली गई है;

(ख) नदियों को जोड़े जाने संबंधी कार्य का ब्यौरा क्या है जिसके लिए व्यावहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है;

(ग) क्या राज्य सरकारों के साथ इस संबंध में कोई बैठक आयोजित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.ए.) द्वारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र में 17 संपर्कों की तथा हिमालयी क्षेत्र में 14 संपर्कों की पूर्व संभाव्यता रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं।

(ख) तीन संपर्कों की संभाव्यता रिपोर्टें भी पूरी की जा चुकी हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण से संबंधित प्रशासनिक, वित्तीय तथा तकनीकी मामलों के संबंध में सभी निर्णय राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सोसाइटी, शासी निकाय तथा तकनीकी सलाहकार समिति की बैठकों में लिए जाते हैं जिनमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि भाग लेते हैं।

तीस्ता बैराज

2911. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तीस्ता बैराज परियोजना को पूरा करने पर अब तक केंद्र सरकार द्वारा जारी और खर्च की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने प्रतिशत काम पूरा हो चुका है तथा आज तक कुल कितनी भूमि में सिंचाई हो रही है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) इस समय तीस्ता बैराज परियोजना के फेज-1 चरण-1 के प्रथम उप चरण का कार्यान्वयन किया जा रहा है। योजना आयोग ने

वर्ष 1983-84 में 5 करोड़ रु. की विशेष केन्द्रीय सहायता, वर्ष 1986-87 में 10 करोड़ रु. तथा वर्ष 1987-88 के दौरान 10 करोड़ रु. की योजना अग्रिम सहायता जारी की है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गयी थी। जल संसाधन मंत्रालय के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत वर्ष 1996-97 के दौरान 5 करोड़ रु. तथा वर्ष 1997-98 के दौरान 15 करोड़ रु. जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत वर्ष 1998-99 के दौरान 20 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गयी जिसमें से 10 करोड़ रु. पहले ही जारी कर दिया गया है। इस परियोजना पर मार्च, 1997 तक 673.11 करोड़ व्यय कर दिया गया है।

(ख) दिनांक 1.1.98 तक इस परियोजना के विभिन्न घटकों के पूरा होने का प्रतिशत इस प्रकार है:-

तीस्ता बैराज	100%
महानन्दा बैराज	100%
दौक नगर बैराज	65%
तीस्ता महानंदा संपर्क नहर	100%
महानंदा मुख्य नहर	100%
दौक नगर मुख्य नहर	100%
नगर तांगान मुख्य नहर	प्रारंभ किया जाना है।
तीस्ता जलढाका मुख्य नहर	55%
वितरण प्रणाली	25%

इस परियोजना द्वारा मार्च, 1997 के अंत तक सृजित क्षमता 91.31 हजार हैक्टेयर है तथा वर्ष 1997-98 के दौरान 21 हजार हैक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता सृजित होने की संभावना है?

(ग) परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा इसको प्रदान की गयी प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

सरदार सरोवर बांध

2912. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरदार सरोवर निगम ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में वैज्ञानिक जल प्रबंधन के लिए कोई मास्टर योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए संसाधन जुटाने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं। पूर्ण रूप से गुजरात सरकार के स्वामित्वाधीन सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, को नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार भागीदार राज्यों अर्थात् गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को लाभ पहुंचाने के लिए नर्मदा जल का उपयोग करने के वास्ते गुजरात राज्य को सरदार सरोवर परियोजना का कार्यान्वयन सौंपा गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादन

2913. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फसलवार और मदवार वर्ष 1999-2000 के लिए कृषि जिन्सों के उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) कृषि उत्पादन में वर्ष 1998-99 के उत्पादन की अपेक्षा कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) वर्ष 1999-2000 के लिए खाद्यान्न के लक्ष्यों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

पासपोर्ट आवेदन

2914. श्री एच.जी. रामुलू : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सितम्बर, 1987 के अन्त में बंगलौर के पासपोर्ट कार्यालय में कितने पासपोर्ट आवेदन लम्बित पड़े थे;

(ख) उक्त कार्यालय द्वारा पासपोर्ट जारी करने के लिए औसतन कितना समय लिया जाता है; और

(ग) क्या सरकार का कर्नाटक के उत्तरी भाग के लोगों को शीघ्र पासपोर्ट बनवाने की सुविधा देने के लिए हुबली में पासपोर्ट का अतिरिक्त कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) 30-9-98 को बंगलौर स्थित पासपोर्ट कार्यालय में लम्बित आवेदन-पत्रों की संख्या 24,156 थी।

(ख) 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार किसी नए पासपोर्ट को जारी करने में औसतन 80 दिन का समय लिया गया।

(ग) जी नहीं। हुबली तथा उसके आसपास के जिलों से प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या को देखते हुए फिलहाल हुबली में एक अतिरिक्त पासपोर्ट कार्यालय खोलने का कोई औचित्य नहीं है।

[हिन्दी]

पशु चिकित्सा महाविद्यालय

2915. श्री मित्रसेन यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के संबंध में "नरेन्द्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)" से कोई प्रस्ताव/आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद को उक्त पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करने के संबंध में कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) क्या पशु चिकित्सा महाविद्यालय, यदि खोला गया तो, के लिये कोई धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) यह धनराशि कब तक जारी की जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) केन्द्रीय सरकार को नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ.प्र.) से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना/प्रारंभ राज्य सरकार के उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 के अंतर्गत आता है तथा इसके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने कालेज की स्थापना की स्वीकृति दे दी है।

(ख) और (ग) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा पाठ्यक्रम का विनियम 1993 राजपत्र के असाधारण राजपत्र सं. 57 दिनांक 7 फरवरी, 1994 के अंतर्गत पहले ही निर्धारण कर लिया जाता है। यह पशु-चिकित्सा महाविद्यालय की उपाधि (डिग्री) की मान्यता के लिए अनिवार्य है। यह विश्वविद्यालय उस विनियम का पालन कर रहा है।

(घ) और (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1986 से 1997 के दौरान कालेज के भवन निर्माण, छात्रावास, कर्मचारियों के आवास, उपकरणों की खरीद और कर्मचारियों के वेतन के लिए रु. 2141.87 की स्वीकृति प्रदान की है।

[अनुवाद]

फिल्म संग्रहालय

2916. श्री दिनशा पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फिल्म संग्रहालय स्थापित करने में कुल कितनी लागत आएगी तथा इस पर कितना वार्षिक खर्च होगा;

(ख) क्या सरकार का विचार इसे वहन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संग्रहालय भारत के फिल्म उद्योग को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) से (ङ) यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स मंच नामक संघ ने राष्ट्रीय चलचित्र संग्रहालय स्थापित करने का प्रारंभिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उक्त मंच से प्रस्तावित संग्रहालय के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

इनसैट-2 का उपयोग

2917. श्री रवि सीताराम नायक : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नागरिकों पर विदेशी प्रसारण के प्रभाव की जांच के संबंध में कोई आंकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विदेशी टेलीविजन की चुनौती का सामना करने हेतु 'इनसैट-2' के उपयोग का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) जहां तक व्यावसायिक विज्ञापनों का प्रश्न है, सरकार का 'इनसैट-2ए' के 'एस-बैण्ड' और 'सी-बैण्ड' ट्रांसपोंडरों का उपयोग करने की क्या योजना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इनसैट-2 उपग्रहों का उपयोग दूरदर्शन के राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय सेवाओं के लिए किया जाता है तथा दूरदर्शन स्वस्थ मनोरंजन सहित उच्च सामाजिक मूल्यों वाले कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए प्रयासरत रहता है।

(घ) इनसैट-2-ए उपग्रह टी.वी. अनुप्रयोगों हेतु अनुपयोगी हो गया है।

उड़ीसा में जनसंचार संस्थान खोला जाना

2918. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेष रूप से उड़ीसा में जनसंचार संस्थान खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक खोल दिया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) भारतीय जन संचार संस्थान की एक शाखा अगस्त, 1993 से धेनकनाल में पहले से ही कार्य कर रही है। उड़ीसा में भारतीय जन संचार संस्थान की कोई और शाखा खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का गठन

2919. श्री शांतिलाल पुरूषोत्तमदास पटेल : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड में कौन-कौन से सदस्य हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो बोर्ड का गठन कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का पुनर्गठन 9.10.98 को हो गया है। सुश्री आशा पारिख, अध्यक्ष के अलावा, बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य हैं:-

1. सुश्री सरोजा देवी
2. सुश्री जयन्ती
3. डा. ए.आर. श्रीधर
4. सुश्री अरूंधती मुखर्जी
5. श्री तपस पाल
6. सुश्री जानकी शावाकर्ण
7. श्री आर. शौरीराजन
8. श्रीमती सबिथा राधाकृष्ण

9. श्री आर.एस. मनोहर

10. सुश्री बीनापाणि मोहंती

11. डा. अनन्त मोहपात्रा

12. श्री हैमेन दास

13. सुश्री जी. सरला कुमारी

14. सुश्री एस. जानकी

15. श्री सीताराम शास्त्री

16. श्री के.वाई.एन. पातांजलि

17. सुश्री नमिता शंकर

18. सुश्री शुलभ देशपांडे

19. सुश्री स्नेहलता देशमुख

20. श्री विनोद शर्मा

21. श्री अरविन्द त्रिवेदी

22. श्रीमती चित्रा मुदगिल

23. श्री रमाकांत गोस्वामी

24. सुश्री लीला लतीफ

25. श्री रोसकोटे कृष्णा पिल्लै

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्याज उत्पादकों को सहायता

2920. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 नवम्बर, 1998 के ''इंडियन एक्सप्रेस'' में ''औनियन फार्मर ऑन रोड टू-डेस्ट्रक्शन'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा प्याज का उत्पादन करने वाले किसानों को सहायता प्रदान करने हेतु कोई कदम उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी हां। यह उल्लेख किया गया है कि महाराष्ट्र में बेमौसम की बरसात के कारण खरीफ प्याज में 30-40% हानि हुई है तथा प्याज के बीज की कीमत 1000/- रु. प्रति कि.ग्रा. तक जा पहुंची है।

(ग) से (ङ) चालू वर्ष के दौरान प्याज के बीज तथा प्याज का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. महाराष्ट्र राज्य में फसल को कीटों तथा रोगों के आक्रमण से बचाने तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नैफेड द्वारा राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास फाउंडेशन के माध्यम से किसानों के खेतों में बड़े स्तर पर छिड़काव अभियान शुरू किया गया है।

2. भारत सरकार सब्जियों के बीज के उत्पादन व आपूर्ति संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है जिसके अंतर्गत किसानों को अधिक राजसहायता वाली सब्जियों के बीज तथा मिनिकिट वितरित किए जा रहे हैं। इन मिनिकिटों में, महाराष्ट्र के प्रभावित क्षेत्रों को कवर करते हुए, प्याज के बीज भी शामिल हैं।

दालों का उत्पादन

2921. डा. संजय सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों से दालों का वार्षिक उत्पादन लगभग 120-140 लाख टन पर रुका हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान आयात की गई दालों की मात्रा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में दलहन का वार्षिक उत्पादन निम्नवत् है:-

1995-96	123.10 लाख मी. टन
1996-97	144.60 लाख मी. टन
1997-98	133.50 लाख मी. टन

(ख) दलहन उत्पादन में वृद्धि कम होने के कारण निम्नलिखित हैं:-

1. गेहूं, चावल और तिलहन अथवा अन्य वाणिज्यिक फसलों के मुकाबले दलहन की खेती कम लाभप्रद है अत: किसान अपनी अच्छी भूमि और संसाधनों को दलहन के बजाय दूसरी फसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं।

2. दलहन सीमांत और उपसीमांत भूमियों पर वर्षा सिंचित स्थितियों में उगाई जाती है जिसकी उर्वरता कम है।

3. फिलहाल उपलब्ध किस्में मूंग, उड़द, और लोबिया में मोजक तथा पाउडर के समान फफूंदी, अरहर में बंध्यता मोजक जैसे कई रोगों के प्रति संवेद्य है, जो उपज को कम करते हैं। वे दीमक और कृमिवों के प्रति भी संवेद्य हैं।

4. दलहन उत्पादन प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। अधिक उपज देने वाले जर्मप्लाज्म में सुधार आया है। दलहन में विकसित किस्मों में कम अनुकूलनशीलता है और अत: किसानों को विभिन्न मौसमों और कृषि जलवायु स्थितियों के लिए किस्मों के सीमित दायरे में प्रबंध करना पड़ता है।

5. मौसम समाप्त होने अर्थात ग्रीष्म/रबी में दालों का उत्पादन अवारा पशुओं और नीलगाय से प्रभावित होता है, जो अरहर, मूंग और उड़द जैसी दलहन फसलों को अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक नुकसान पहुंचाते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित दलहनों की मात्रा इस प्रकार है:-

1995-96	4.91 लाख मी. टन
1996-97	6.54 लाख मी. टन
1997-98	6.59 लाख मी. टन

(घ) देश में दलहन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 26 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम में प्रमाणित बीजों, बीज मिनिकिटों, राइजोबियम कल्चर, सूक्ष्म पोषक तत्वों, स्प्रिंकलर सैट, उन्नत फार्म उपस्करों, पादप रक्षण उपस्कर आदि के उत्पादन और वितरण के लिए सहायता देने पर विचार किया गया है। इसके अलावा खेतों पर प्रदर्शन और कृषक प्रशिक्षण भी आयोजित किए जा रहे हैं ताकि उन्नत दलहन उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रभावी अंतरण किया जा सके।

भारत-श्रीलंका समझौता

2922. श्री रंजीव बिस्वाल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भारत-श्रीलंका समझौते की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस पर श्रीलंका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

तमिलनाडु में एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ.

2923. श्री के. कृष्णमूर्ति : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में वर्तमान समय में जिलेवार कितने एस.टी.डी./आई.एस.डी./सार्वजनिक टेलीफोन बूथ कार्य कर रहे हैं;

(ख) राज्य में उक्त बूथों के आवंटन हेतु कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े हुए हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कचीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) 30 जून, 1998 की स्थिति के अनुसार जानकारी विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) लंबित आवेदनों की संख्या 56044 है।

(ग) जहां-जहां एक्सचेंज क्षमता उपलब्ध है वहां एस.टी.डी./पी.सी.ओ. के आबंटन को अंतिम रूप देने के लिए एस.टी.डी./पी.सी.ओ. आबंटन समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

विवरण

30.6.98 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में स्थायी टेलीफोन बूथों/एस.टी.डी. बूथों के ब्यौरे (तमिलनाडु)

क्र.सं.	एस.एस.ए. का नाम	चालू स्थानीय टेलीफोन बूथ	चालू एस.टी.डी. टेलीफोन बूथ
1	2	3	4
1.	चेंगलपेट	623	434
2.	कोयम्बटूर	1557	1872
3.	कूड्डालौर	1346	363
4.	धरमपुरी	529	293
5.	ईरोड	955	766
6.	करैईकुडी	810	326
7.	कूम्बाकोनम (कावेरी नदी डेल्टा क्षेत्र)	285	177
8.	मदुरै	1731	783

1	2	3	4
9.	नागेरकोइल	532	487
10.	नीलगिरि	293	101
11.	पाण्डीचेरी	511	119
12.	सलेम	1861	850
13.	त्रिची	2129	731
14.	तंजावूर	922	193
15.	तिरूनेलवेली	802	807
16.	टूटीकोरिन	519	427
17.	वेल्लोर	1860	583
18.	विरूधूनगर	177	282
19.	चेन्नई	14938	6479

कीटनाशकों का पंजीकरण

2924. श्रीमती शीला गौतम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कीटनाशक विधेयक की धारा 9(3ख) के अंतर्गत पंजीकरण समिति द्वारा अस्थाई रूप से पंजीकृत कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों, फफूंदनाशकों आदि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पंजीकृत समिति ने विशेष फसलों के लिए इस प्रकार के कीटनाशकों के आयात की सिफारिश की है, तथा उसकी अनुमति प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो कितनी मात्रा में तथा इसके लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) "नीम" और जैव कीटनाशकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें कीटनाशक अधिनियम की धारा 9(3ख) और 9(4) के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) पंजीकरण समिति ने राष्ट्रीय हित में विशेष फसलों के लिए नीचे दी गई मात्रा के अनुसार निम्न कृमिनाशियों

के आयात की अनुमति दी है:-

कृमिनाशी		मात्रा	फसल
इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एस.एल.		100 के.एल.	कपास
-वही-	70% डब्ल्यू.एस.	15 मी. टन	
फ्लूफेनोजूरोज	10% डी.सी.	10 के.एल.	बागवानी/ पुष्पकृषि
डेजीमेंट टेक. ग्रे. 94%		40 मी. टन	
एबामेक्टिन 1.9% ई.सी.		5 के.एल.	
पाक्लोबुट्राजोल 23% एस.सी.		15 के.एल.	
वीरोजोफोप प्रोपाईनिल	15% डब्ल्यू.पी.	145.3 मी. टन	गेहूं
ट्राल्कोजाइडिन 10% ई.सी.		4 के.एल.	
केनोक्साप्रोप-पी-इथाईल	10% ई.सी.	361 के.एल.	
सल्फोसल्फुरोन	75% डब्ल्यू.जी.	11.1 मी. टन	

इनके अतिरिक्त, फेरोमोन एवं जैवनाशी आधारित बैसिलस के आयात को समेकित कृमि प्रबंध के प्रोत्साहन के लिए पूर्ण व्यावसायीकरण की अनुमति दी गई है।

(घ) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के धारा 9(3बी) एवं 9(4) के अंतर्गत पंजीकृत नीम एवं जैन-कृमिनाशियों का ब्यौरा क्रमश: विवरण-II और III में दिया गया है।

विवरण-I

धारा 9(3-ख) के अंतर्गत पंजीकृत कृमिनाशियों की सूची

1.	नीम बीज गिरि आधारित ई.सी. न्यूनतम 3% डब्ल्यू./डब्ल्यू. आजादैरैक्टीन युक्त	मैसर्स फाइटोकेम (आई.) लि., हैदराबाद
2.	-तदैव-	मैसर्स फारच्यून बायो-टेक लि., सिकन्दराबाद-500 015
3.	नीम बीज गिरि आधारित ई.सी. न्यूनतम 1% डब्ल्यू./डब्ल्यू. आजादैरैक्टीन युक्त	मैसर्स ई.आई.डी. पैरी (आई.) लि., मद्रास

4.	नीम बीज गिरि आधारित ई.सी. न्यूनतम 0.15% डब्ल्यू./डब्ल्यू. आजादरैक्टीन युक्त	मैसर्स सेरमपोर बायोवीजन एग्रो (पी.) लि., कलकत्ता-1
5.	नीम बीज गिरि सांद्र निष्कर्षण न्यूनतम 10% डब्ल्यू./डब्ल्यू. आजादरैक्टीन युक्त	मैसर्स फारच्यून बायोटेक लि., सिकन्दराबाद-500 015
6.	नीम बीज गिरि आधारित ई.सी. न्यूनतम 0.15% डब्ल्यू/डब्ल्यू आजादरैक्टीन युक्त	मैसर्स महाराष्ट्र इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल लैब, वर्धा (महाराष्ट्र)
7.	-तदैव-	मैसर्स ओसिएन एग्रो (आई) लि., नन्देसारी-391 340
8.	-तदैव-	मैसर्स जनरल एक्सपोर्ट एण्ड क्रेडिट्स लि., दिल्ली-1
9.	-तदैव-	मैसर्स अजय फार्म केमिकल प्राईवेट लि., पुणे-411 004
10.	-तदैव-	मैसर्स अजय बायोटेक (आई) लि., पुणे
11.	-तदैव-	मैसर्स रैमसन एग्रोटेक प्रा. लि., हैदराबाद
12.	नीम बीज गिरि आधारित ई.सी. न्यूनतम 1.0% डब्ल्यू./डब्ल्यू. आजादरैक्टीन युक्त	मैसर्स मुरकुम्बी मैनुफैक्चरिंग, बेलगाम
13.	पाल्कोब्यूट्राजोल 23% एस.सी. डब्ल्यू./डब्ल्यू.	मैसर्स जेनेका आई.सी.आई. एग्रोकेमिकल्स लि., मद्रास
14.	बैसिलस थुरिनजीएनसीस वार इजराईलेनसिस स्ट्रेन 164 स्टीरियोटाइप एच-14 टेक.	मैसर्स बायोटेक इंटरनेशनल लि., नई दिल्ली
15.	बैसिलस थुरिंगीएनसिस वार इजराइलेनसिस डब्ल्यू.पी. फारमुलेशन	-तदैव-

16.	फेरोमोन जेड.जेड./जेड.ई.-7, 11-हैक्साडेकाडाइन-लाइल टेक. आयात के लिए	मैसर्स न्यू केमिकल्स इंडस्ट्रीज लि., मुम्बई-21
17.	डोजोमेट (बासामिड) टेक आयात के लिए	मैसर्स बी.ए.एस.एफ., इंडिया लि., मुम्बई
18.	पाईरोक्सोफॉप प्रोपीनाइल (क्लाडिनाफोप प्रोपेजिल) टेक. आयात के लिए	मैसर्स नोवार्तिस इंडिया लि. मुम्बई-20
19.	पाइरोक्सोफोप प्रोपीनाइल (क्लाडिनाफोप प्रोपेरजिल) 15% डब्ल्यू.पी.	-तदैव-
20.	ट्रेलकोक्सीडिम टेक्नीकल	मैसर्स जेनेका आई.सी.आई., एग्रोकेमिकल्स लि. मद्रास
21.	ट्रेंलकोक्सीडिम 10% ई.सी.	-तदैव-
22.	फेनोक्साप्रॉप-पी-इथाइल टेक. आयात के लिए	मैसर्स होचेस्ट शेरिंग एग्रईवी लि., मुम्बई-93
23.	फेनास्काप्रोप-पी. इथाइल 10% ई.सी.	मैसर्स होचेस्ट शेरिंग एग्रोइ.वी.ओ. लि. मुम्बई-93
24.	फलूफेनोक्सोरीन टेक. आयात के लिए	मैसर्स ए.सी.सी.ओ. इंडस्ट्रीज प्रा. लि., मुम्बई
25.	फ्लूफेनास्सोरोन 10% डी.सी.	-तदैव-
26.	सल्फोसल्फ्यूरोन टेक आयात के लिए	मैसर्स मोंसान्टो इंटरप्रोइजेज प्रा. लि. मुम्बई-400 051
27.	सल्फोसल्फ्यूरोन 75% डब्ल्यू.जी.	-तदैव-
28.	ग्लूफोसीनेट अमोनियम 13.5% 13.5% एस.एल.	मैसर्स होचेस्ट शेरिंग एग्रो ई.वी.ओ. लि. मुम्बई-93

29.	ग्लूफोसीनेट अमोनियम टेक. आयात के लिए	मैसर्स होचेस्ट शेरिंग एग्रो ई.वी.ओ. लि. मुम्बई-93
30.	इमिडाइक्लोप्रीड टेक. आयात के लिए	मैसर्स बेयर (आई.) लि., मुम्बई
31.	इमिडाक्लोप्रीड 70% डब्ल्यू.एस.	-तदैव-
32.	इमिडाक्लोप्रीड 17.8% एस.एल.	-तदैव-
33.	हाइड्रोजन साइनामाइड टेक.	मैसर्स पी.एन.पी. एसोसिएट्स फरीदाबाद
34.	हाइड्रोजन साइनामाइड 50% एस.एल. आयात के लिए	मैसर्स राहुल पेस्टकेम इंड. लि., मुम्बई-440 005
35.	-तदैव-	मैसर्स कृषि रासायन एक्सपोर्ट प्रा.लि., कलकत्ता-20
36.	-तदैव-	मैसर्स होण्डा पेस्टीसाइड प्रा. लि., औरंगाबाद-431 001
37.	अबामैक्टीन 1.9% ई.सी.	मैसर्स नोवार्तित इंडिया लि., मुम्बई
38.	बैसिलस थुरिंगीएनसिस वार ईजराइलेनसिस सेरोटाइप एच-14	मैसर्स होचेस्ट शेरिंग एग्रो ई.वी.ओ. लि. मुम्बई
39.	बैसिलस थुरिंगीएनसिस वार इजराइलेनसिस, सेरोटाईप एच-14 टेक.	मैसर्स तूतिकोरिन अलकली केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लि., चेन्नई
40.	बैसिलस थुरिंगीएनसिस वार इजराइलेनसिस, सेरोटाइप एच-14 फारमुलेशन	-तदैव-

विवरण-I

धारा 9(3ख) के अंतर्गत पंजीकृत नीम एवं जैव-कृमिनाशियों की सूची

क. नीम

1.	नीम बीज गिरी आधारित ई.सी. जिसमें एजारेकटिन 3.0% डब्ल्यू./ डब्ल्यू. न्यूनतम है।	मै. फाइटोकेम (आई.) लि., हैदराबाद
2.	-वही-	मै. फारचून बायोटेक लि., सिकन्द्राबाद-500015
3.	नीम बीज गिरी आधारित ई.सी. जिसमें एजारेक्टीन 1% डब्ल्यू/ डब्ल्यू न्यूनतम है।	मै. ई.आई.डी. पैरी इंडिया लि., मद्रास
4.	नीम बीज गिरी आधारित ई.सी. जिसमें एजारेक्टीन 0.15% डब्ल्यू/ डब्ल्यू न्यूनतम है।	मै. सेरामपुर बायोविजन एग्रो प्रा. लि., कलकत्ता-1
5.	नीम बीज गिरी एक्सट्रेट कंसनट्रेट जिसमें एजारिक्टिन 10% डब्ल्यू/ डब्ल्यू न्यूनतम है।	मै. फारचून बायोटेक लि., सिकन्द्राबाद-500015
6.	नीम बीज गिरी आधारित ई.सी. जिसमें एजाडीरेक्टीन 0.15% डब्ल्यू/ डब्ल्यू न्यूनतम है।	मै. महाराष्ट्र एण्टीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल लैब, वार्धा (महाराष्ट्र)
7.	-वही-	मै. ओसीयन एग्रो इंडिया लि., नन्देसारी-391340
8.	-वही-	मै. जेनरल एक्सपोर्टस एंड क्रेडिट्स लि., दिल्ली-1
9.	-वही-	मै. अजय फार्मकेम प्रा. लि., पुणे-411004
10.	-वही-	मै. अजय बायो-टेक (आई.) लि., पुणे

ख. बायो-पेस्टीसाइड

1.	बौसिलस थुरिंगीएनसिस वार इजराइलेनसिस, स्ट्रेन 164, सेरोटाईप एच-14 टेक.	मैसर्स बायोटेक इंटरनेशनल लि., नई दिल्ली-48
2.	बैसिलस थुरिंगीएनसिस वार इजराइलेनसिस डब्ल्यू.पी. फारमुलेशन	-तदैव-
3.	बैसिलस थुरिंगीएनसिस वार इजराइलेनसिस, सेरोटाइप एच-14 फारमुलेशन	मैसर्स होचेस्ट शरिंग एग्रो ई.वी.ओ. लि. मुम्बई
4.	बैसिलस थुरिंगीएनसिस वार इजराइलेनसिस, सेरोटाइप, एच-14 टेक.	मैसर्स तूतिकोरिन एल्कली केमिल्स एंड फर्टिलाइजर लि., चेन्नई
5.	बैसिलस थुरिंगीएनसिस वार एजराइलेनसिस, सेरोटाइप एच-14 फोरमुलेशन	-तदैव-

---

विवरण-III

धारा 9 (4) के अंतर्गत पंजीकृत नीम एवं जैव-कृमिनाशियों की सूची

क. नीम

1. नीम तेल आधारित ई.सी. जिमसें एजाडीरेक्टीन 0.03% डब्ल्यू./डब्ल्यू. न्यूनतम 196 संस्थायें पंजीकृत हैं।

(2) नीम बीज गिरी आधारित ई.सी. जिसमें एजारीरेक्टीन 0.15% डब्ल्यू./डब्ल्यू. न्यूनतम हैं।

1. मेसर्स सेफ बायोटेक लि., बड़ोदरा
2. मेसर्स मेक्टार बायोटेक, चेन्नई
3. मेसर्स किसर कृषि उत्पाद लि., सेलम (तमिलनाडु)
4. मेसर्स टी स्टेन्स एंड कंपनी लि., कोयंबटूर
5. मेसर्स पायोनियर पेस्टीसाइड प्रा. लि., चंडीगढ़
6. मेसर्स सदर्न पेस्ट्रो केमिकल्स इंड. कार्पो. लि., चेन्नई

ख. जैव-कृमिनाशी

I. ओरियो कंजीम सेल्यूशन 46.15% डब्ल्यू./डब्ल्यू.

1. मैसर्स इंडस्ट्रीयल मिनीरलस एंड केमिकल्स कंपनी प्रा. लि., बाम्बे
2. मैसर्स भारत पलवराइजिंग मिल्स लि., बाम्बे
3. मैसर्स बी.डी. खेतान एंड कंपनी सिकन्द्राबाद (आंध्र प्रदेश)
4. मैसर्स कृषि रसायन, उड़ीसा

II. वालिडामाइसिन टेक्निकल

1. मेसर्स धानुका पेस्टीसाइड लि., नई दिल्ली

III. वालिडमाइसिन 3% एल

1. मेसर्स धानुका पेस्टीसाइड लि., नई दिल्ली

IV. स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट + टेट्रासाईक्लिन हैडरोक्लोराइड 9:1 एस.पी.

1. मेसर्स भारत पेस्टीसाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दिल्ली
2. मेसर्स पोषक लि., बड़ौदा
3. मेसर्स सोलर सिंडिकेट, बाम्बे
4. मेसर्स देवीदयाल सेल्स प्रा. लि., बाम्बे
5. मेसर्स सक्लासपुर आर्गेनिस्क प्रा. लि., बंगलौर
6. मेसर्स श्री वेंकटेश्वर केमिकल्स इंड. कर्नूल (आं.प्र.)
7. मेसर्स ई.सी.आई. एग्रोकेम प्रा. लि., पश्चिम बंगाल
8. मेसर्स तारापुर केमिकल्स एंड पेस्टीसाइड, बोइसोर (एम.एस.)
9. मेसर्स समिक एग्रो. लि., कलकत्ता
10. मेसर्स नेशनल फार्म केमिकल्स सिकन्द्राबाद
11. मेसर्स भास्कर एग्रोकेमिकल्स प्रा.लि., हैदराबाद
12. मेसर्स सेनचुरी एग्रोटेक, मुर्शिदाबाद
13. मेसर्स बीण्ड स्ट्रार केमिकल्स एंड बायोटिक्स, वारंगल (आं.प्र.)
14. मेसर्स अम्बा केम इंड., बड़ौदा
15. मेसर्स डेल्टा एंसेक्टीसाइड प्रा. लि., दिल्ली
16. मेसर्स भारत पुलवेरीसिंग मिल्स लि., बम्बई
17. मेसर्स सुपर एग्रो-इंडिया प्रा. लि., कलकत्ता
19. मेसर्स श्री रामचीडस केमिकल्स, मद्रास
20. मेसर्स प्लान एग्रो मार्केटिंग एंड कंपनी, हैदराबाद
21. मेसर्स अनुप्रोडक्टस लि., फरीदाबाद
22. मेसर्स कर्नाटका एण्टीबायोटिक्स एंड फार्मेटिकल्स लि., बंगलौर
23. मेसर्स सेनबायोटिक्स लि., बड़ौदा
24. मेसर्स मित्रा केमिकल्स, कलकत्ता
25. मेसर्स महाराष्ट्रा एग्रो केमिकल्स, सतारा
26. मेसर्स पेस्टोचेम इंडिया लि., नई दिल्ली
27. मेसर्स बीस एग्रो केमिकल्स, खरगोन
28. मेसर्स त्रोपिकल एग्रोसिस्टम (आई) लि., नई दिल्ली
29. मेसर्स डारीक इन्स्टीसाइडस लि., नई दिल्ली
30. मेसर्स क्राप हेल्थ प्रोडक्टस लि., गाजियाबाद
31. मेसर्स तरामा इंडस्ट्रीज, पश्चिम बंगाल
32. मेसर्स कृषि रसायन एक्सपोर्ट लि., कलकत्ता
33. मेसर्स पायनियर पेस्टीसाइडस प्रा. लि., चंडीगढ़

[हिन्दी]

कपास में "लीफ-कर्ल" बीमारी

2925. श्री रामपाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि प्रति वर्ष "लीफ कर्ल" बीमारी के कारण करोड़ों रुपये के मूल्य की कपास की फसल नष्ट हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने "लीफ कपास की फसल को बचाने के लि

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) लीफ कर्ल वायरस नामक बीमारी का उत्तरी भारत के हरियाणा, पंजाब, एवं राजस्थान जैसे कपास उत्पादक राज्यों में कपास की फसल पर प्रभाव पड़ा है। तथापि केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा किसानों द्वारा विभिन्न उपाय किए जाने के कारण, रोग की तीव्रता कम हो रही है।

(ख) से (घ) सरकार संबद्ध राज्यों को गहन कपास विकास कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत कपास का उत्पादन/उत्पादकता बढ़ाने के लिए सहायता दे रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, कपास लीफ कर्ल वायरस सहित बीमारियों एवं कृमियों के नियंत्रण के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, रोग के नियंत्रण के लिए केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें भी निम्नलिखित उपाय कर रही हैं:-

1. राज्य सरकारों के प्रयास

(1) राज्य कृषि विभागों ने रोग के नियंत्रण के लिए किसानों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न विस्तार उपाय किए हैं।

(2) परपोषी खर-पतवार वृक्षों की पहचान कर उन्हें समाप्त करने के लिए किसानों को विशिष्ट सलाह दी जाती है।

(3) व्हाईट क्लाई (रोग वाहक) के समेकित नियंत्रण को कपास उत्पादकों के बीच लोकप्रिय बनाया गया है।

(4) बीमारी से नवजात एवं नाजुक पौधों को बचाने के लिए हाल ही में शुरू किए गए रसायन (इमिडाक्लोस्प्रिड) से बीजों के उपचार को एक बड़े क्षेत्र में प्रदर्शित किया गया है।

(5) लीफ कर्ल वायरस के विस्तार पर कड़ी निगरानी के लिए एवं उपयुक्त नियंत्रण उपायों पर किसानों को तत्काल सलाह देने के लिए निगरानी दलों का गठन किया गया है।

(6) किसानों को कपास की लीफ़ कर्ल वायरस प्रतिरोधी किस्में, यानि आर.जी. 8, आर.एस. 875, आई.आर.ए. 5156, अंगोली, एल.एच.एल.-144, एल.डी.-491, एल.डी. 327, एल.डी. 230, डी.एस.-1 एवं जी-27 उगाने की सलाह दी गई है।

2. केन्द्रीय सरकार के प्रयास

(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने लीफ कर्ल वायरस बीमारी प्रबन्ध पर आदान उपलब्ध कराने के लिए सघन प्रयास किए हैं जिनमें रोग प्रतिरोधी किस्मों की पहचान, नीम आधारित उत्पादों एवं सबसे प्रभावी कृमिनाशी के उपयोग द्वारा रोगवाहक प्रबन्ध, कपास की स्वच्छ खेती की सलाह देना आदि शामिल है।

(2) हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान में केन्द्रीय समेकित कृमि प्रबन्ध केन्द्रों ने कपास के लीफ कर्ल वायरस रोग की रोकथाम के लिए विभिन्न समेकित कार्यनीतियों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया है।

[अनुवाद]

भारत के हितों की सुरक्षा

2926. डा. सुशील इन्दौरा :
डा. चिन्ता मोहन :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने अपने हितों की सुरक्षा तथा संवर्द्धन के लिए अमेरिका में कुछ फर्मों को अपने पक्ष में माहौल बनाने का कार्य सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो वे फर्म कौन-कौन से है तथा उन्हें इस कार्य के लिए प्रतिवर्ष कितना धन दिया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी ही व्यवस्था अन्य देशों में भी की है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन देशों में ऐसी व्यवस्था की गई तथा उन पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) वाशिंगटन स्थित भारत का राजदूतावास 1993 से ही भारत के हितों को सुरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के संबंध में लाबी की व्यवस्था करता है। अमरीका में यह एक स्वीकृत परम्परा है। अपनी आवश्यकताओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के पश्चात् लाबी करने वाली फर्मों को आवधिक आधार पर नियुक्त किया जाता है।

(ख) इस समय, राजदूतावास के लाबीकरण में सहायता करने के लिए वर्नर लिपफर्ट (वी.एल.) को 50,000 अमरीकी डालर प्रतिमाह और एपको को 25,000 अमरीकी डालर की राशि का भुगतान उनकी सेवाओं के एवज में किया जा रहा है। इन फर्मों के साथ संविदाएं दिसम्बर, 1998 तक जारी रहेंगी।

(ग) अन्य देशों में हमने इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर रखी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वर्षा सिंचित कृषि के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

2927. श्री सी.पी. राधाकृष्णन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल अन्तरराष्ट्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत केन्द्र द्वारा प्रायोजित वर्षा सिंचित कृषि योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो पहले चयन किए जाने वाले संभावित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) अन्तर-राष्ट्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत ऐसी कोई स्कीम नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कृषि उत्पादों हेतु बोर्ड/समिति

2928. श्री राम टहल चौधरी :
श्री रामपाल उपाध्याय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारण हेतु कोई बोर्ड अथवा समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त बोर्ड अथवा समिति में किसानों के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उनकी संख्या कितनी थी; और

(घ) कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने हेतु क्या मानदण्ड हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां। सरकार ने 1965 में कृषि मूल्य आयोग नामक एक आयोग का गठन किया था जिसका कार्य कृषि उत्पादन को बढ़ाने और उपभोक्ताओं को राहत दिलाये जाने की आवश्यकता के संदर्भ में कृषि मूल्य नीति और मूल्य संरचना के बारे में सतत् आधार पर सलाह देना है। सरकार द्वारा दिनांक 18.3.1985 के एक संकल्प द्वारा इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया।

(ख) जी, हां। प्रमुख किसानों को इस आयोग में गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है।

(ग) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग में गैर-सरकारी सदस्यों के तीन पद हैं जिन्हें 3 वर्ष की आनुबन्धिक अवधि के लिए प्रमुख किसानों से भरा जाता है। विगत तीन वर्षों में 5 गैर-सरकारी सदस्य काम कर चुके हैं।

(घ) कृषि मूल्य नीति के बारे में अपनी सिफारिशें तैयार करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग विभिन्न महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है यथा-उत्पादन की लागत, आदानों के मूल्यों में परिवर्तन, आदान/उत्पादन मूल्य समानता, बाजार मूल्यों का रूख, मांग और पूर्ति, अन्त: फसल मूल्य समानता, औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, जीवन निर्वाह व्यय पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य की स्थिति, अदा किये जाने वाले मूल्यों और प्राप्त मूल्यों (व्यापार की शर्तें) में समानता।

फ्रांस के साथ वार्ता

2929. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :
श्री बलराम सिंह यादव :
श्री मगन्ती बाबू :
श्री विट्ठल तुपे :
श्री अभय सिंह एस. भोंसले :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान वहां के नेताओं के साथ चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो फ्रांसीसी नेताओं के साथ किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई;

(ग) क्या आगे चर्चा के लिए फ्रांस के एक शिष्टमंडल ने भी भारत की यात्रा की; और

(घ) भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए और रक्षा प्रयोजनार्थ प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण हेतु कितनी सहायता मिलेगी?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 29 और 30 सितम्बर, 1998 की अपनी पेरिस यात्रा के दौरान, प्रधान मंत्री ने परस्पर हित के मामलों पर फ्रांसीसी नेताओं के साथ विस्तृत और व्यापक बातचीत की। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय घटनाक्रम, नाभिकीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार शामिल है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत और फ्रांस परस्पर लाभदायक आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग संवर्धित करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए हैं। फ्रांसीसी पक्ष ने नागर विमानन, विद्युत उत्पादन, विद्युत ट्रांसमिशन, दूर संचार और रेलवे सहित ढांचागत विकास के कतिपय क्षेत्रों में सहभागिता करने में रुचि की इच्छा व्यक्त की है। रक्षा क्षेत्र सहित प्रौद्योगिकी अन्तरण के विभिन्न प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं।

दूरसंचार विभाग के अन्तर्गत मोबाइल सैल्यूलर सेवाएं

2930. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी दूरसंचार एजेंसियां दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) के नेटवर्क का अवैध रूप से इस्तेमाल कर रही हैं तथा मुनाफा कमा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दूरसंचार विभाग के अन्तर्गत मोबाइल सेल्यूलर सेवाएं आरंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, नहीं। निजी दूरसंचार प्रचालक, दूरसंचार विभाग की लाइनें वैध रूप से पट्टे पर दे रहे हैं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) और (घ) दूरसंचार विभाग द्वारा मोबाइल सैल्यूलर सेवा शुरू किए जाने के मामले की सरकार द्वारा जांच की जा रही है। इस संबंध में अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

विदेशों से समझौते

2931. श्री राम शकल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1997-98 के दौरान दूरसंचार के क्षेत्र में विदेशों से समझौते किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कौन से लाभ मिलने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान, निम्नलिखित देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं:-

(1) जर्मन संघीय गणराज्य - 2.9.97 को हस्ताक्षर किए गए।

(2) बेलारूस गणराज्य - 27.9.97 को हस्ताक्षर किए गए।

(3) फ्रांस गणराज्य - 21.1.98 को हस्ताक्षर किए गए।

(4) कनाडा सरकार - 30.3.98 को हस्ताक्षर किए गए।

कनाडा सरकार के साथ दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए; एक आधारभूत परियोजना पर और दूसरी प्रचालन परियोजना पर।

(ग) इन समझौतों से निम्नानुसार लाभ प्राप्त होने की संभावना है:

(1) दूरसंचार क्षेत्र में विशेषज्ञता की भागीदारी और प्रशिक्षण संसाधनों की भागीदारी

(2) दूरसंचार के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास

(3) इन देशों में दूरसंचार उपस्कर के निर्यात और सेवाओं की संभावना

(4) इन देशों से दूरसंचार सेक्टर में निवेश

(5) इन देशों में परामर्शी सेवाएं तथा टर्न-की परियोजनाएं प्राप्त करने की संभावना।

[अनुवाद]

केरल में टेलीफोन सुविधा में सुधार

2932. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल के पर्वतीय जिला वायनाड में दूरसंचार संबंधी विकास कार्य अत्यन्त ही धीमा है तथा यह केरल के उत्तरी वायनाड जिले में लगभग ठप्प पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या वायनाड जिले में लगाए गए टेलीफोन एक्सचेंज और विशेषकर उएल्लामुन्डा टेलीफोन एक्सचेंज काम नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इनमें सुधार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी नहीं। दूरसंचार नेटवर्क की मौजूदा स्थिति और वायनाड जिले की विकास योजना निम्नानुसार है:-

मौजूदा स्थिति

टेलीफोन एक्सचेंज	22
संयुक्त सज्जित क्षमता	18738
कार्यरत टेलीफोन कनैक्शन	17355
प्रतीक्षा सूची	13687

विकास योजना

वर्ष	विस्तार किए जाने हेतु प्रस्तावित एक्सचेंज	जोड़े जाने हेतु प्रस्तावित निवल क्षमता
1998-99	15	8184
1999-2000	7	12016

1998-99 और 1999-2000 के दौरान प्रस्तावित विस्तार से वर्तमान प्रतीक्षा सूची का पूर्णत: निबटान हो जाएगा।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी नहीं। उएल्लामुन्डा टेलीफोन एक्सचेंज सहित वायनाड जिले में संस्थापित सभी टेलीफोन एक्सचेंजों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक है।

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र

2933. डा. विजय सोमकर शास्त्री :
श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश के अनुसार, संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का उत्तर 15 दिन के अंदर दिया जाना होता है तथा जहां देरी की संभावना होती है वहां यह दर्शाते हुए कि अंतिम उत्तर कब तक भेजा जाएगा, अंतरिम उत्तर भेज दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार द्वारा अधिकांश मामलों में दिशानिर्देश का पालन नहीं किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय भंडार/सुपर बाजार/एन.सी.सी.एफ. के संबंध में संसद सदस्यों से प्राप्त कितने उत्तर/पावती हेतु लंबित पड़े हैं;

(ङ) यदि हां, तो दिशानिर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है; और

(च) क्या 1998 के दौरान ऐसे पत्रों का उत्तर नहीं देने के कारण किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अधिकांश मामलों में दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है।

(घ) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सभी अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर कार्यालय पद्धति नियम-पुस्तिका में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शीघ्र भेजा जाए। ऐसी कोई केन्द्रीयकृत प्रणाली नहीं है जिसके अनुसार सभी सरकारी विभागों से प्रत्येक माह ऐसे लंबित संदर्भों को मंगाया जाए जहां निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया गया है। तथापि, केन्द्रीय भण्डार को, जो कि इस मंत्रालय के प्रभार के अधीन है, संसद सदस्यों से 15 पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 13 पत्रों का उत्तर दिया जा चुका है और शेष दो पत्रों का उत्तर आवश्यक सूचना प्राप्त होने पर भेज दिया जाएगा।

(ङ) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सभी अधिकारियों से केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम-पुस्तिका के पैरा 57 और 60 में निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। मौजूदा दिशा-निर्देश सभी सरकारी कार्यालयों को समय-समय पर दोहराये जाते हैं। मंत्रिमंडल सचिव ने भारत सरकार के सभी सचिवों को इस संबंध में निदेश जारी किये हैं। कार्यालय पद्धति के किसी भी उल्लंघन के मामले में वर्तमान अनुशासनिक कार्य-विधि के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(च) इस संबंध में आंकड़े रखने की कोई केन्द्रीयकृत प्रणाली नहीं है।

[हिन्दी]

केबल टेलीविजन आपरेटर को इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना

2934. श्री आनन्द रत्न मौर्य :
डा. अशोक पटेल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केबल टेलीविजन आपरेटरों को इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने दिनांक 25 जुलाई, 1998 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 160 द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी संबंधी राष्ट्रीय कृत्यक बल की सिफारिशों को पहले ही अधिसूचित कर दिया है इस कृत्यक बल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की थी कि अधिकृत केबल टी.वी. के जरिए इन्टरनेट तक पहुंच की अनुमति किसी भी सेवा प्रबंध को लागू केबल कानून के अधीन अतिरिक्त लाइसेंसिंग के बिना दी जाएगी। दूरसंचार विभाग द्वारा इन्टरनेट सेवा प्रबंधकों के संबंध में विस्तृत मार्ग-निर्देश तथा सामान्य जानकारी भी जारी कर दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डाक सामग्री की चोरी

2935. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रेस में छपने वाले डाक टिकट, रसीदी टिकट, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र और अन्य सामग्री की अन्य केन्द्रों में भेजने के दौरान चोरी हुई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान हुई चोरी से कितने रुपए का नुकसान हुआ; और

(ग) सरकार द्वारा इस सामग्री के लाने-ले-जाने के दौरान चोरी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी हां। गत तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक से विभिन्न केन्द्रों को भेजी गई डाक शुल्क टिकटों, किसान विकास पत्रों, इंदिरा विकास पत्रों की बीच राह में

चोरी के कुछ मामलों की सूचना मिली है। चूंकि राजस्व टिकटें सर्वसाधारण को बिक्री के लिए डाकघरों द्वारा जिला खजानों से प्राप्त की जाती हैं, अत: यह मामला राज्य सरकारों से संबंधित है और इस संबंध में विभाग के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) वर्ष 1995-98 के दौरान डाक टिकटों (जिसमें डाक लेखन सामग्री भी शामिल है) के संबंध में डाक विभाग को हुई हानि की राशि 4,22,70,655.35 रु. थी और इस अवधि के दौरान किसान विकास पत्रों/इंदिरा विकास पत्रों आदि को कपट पूर्ण ढंग से भुनाने के कारण विभाग को 1.34 करोड़ रु. की हानि हुई।

(ग) सुरक्षित और त्वरित ढुलाई के लिए इस मामले को रेल मंत्रालय के साथ उठाया गया है। भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक तथा आर्थिक कार्य विभाग को परामर्श दिया गया है कि सिक्योरिटी गार्डों के साथ सड़क मार्ग से ढुलाई की व्यवस्था शुरू की जाए ताकि मार्ग में होने वाली डाक टिकटों व डाक स्टेशनरी की हानि को रोका जा सके। इस मामले के लंबित होने के कारण विभाग ने कुछ निवारक कार्रवाई की है जिसके परिणामस्वरूप मार्ग में होने वाली हानि को लगभग समाप्त कर दिया गया है। 1997-98 के दौरान मार्ग में होने वाली हानि केवल 42,904.30 रु. की थी।

सहकारिता क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

2936. डा. उल्हास वासुदेव पाटील : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सहकारिता क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो दी जाने वाली सहायता के स्वरूप का ब्यौरा क्या है तथा इसकी सीमा क्या है;

(ग) क्या सरकार को केला प्रसंस्करण उद्योग को वित्तीय सहायता के लिए महाराष्ट्र राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) मंत्रालय की योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र तथा गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहकारी क्षेत्र को भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

योजना सहायता के प्रणीद क्षेत्र हैं:

1. फसलोत्तर बुनियादी सुविधा विशेषकर कोल्ड चेन सुविधाओं की स्थापना।
2. खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक सम्पदा/पार्कों की स्थापना।
3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण।
4. अनुसंधान एवं विकास।
5. मानव संसाधन विकास।

सहायता आसान शर्तों पर ऋण या सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है और सहायता की मात्रा भिन्न-भिन्न स्कीमों में अलग-अलग होती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दूर-संचार विभाग के क्षेत्राधिकार का विस्तार

2937. प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड को दूरसंचार विभाग के अंतर्गत लाने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय कर लिया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) यथोचित विचार करने के बाद दूरसंचार विभाग ने भारी उद्योग विभाग को यह सूचित किया है कि कंपनी (एच.सी.एल.) कतिपय बुनियादी समस्याओं, जैसे अत्यधिक कार्य-बल, प्रबन्धन समस्याएं, धन की कमी, इत्यादि का सामना कर रही है और इसके लिए कुछ सुधारात्मक उपाय जैसे वित्तीय पुनर्संरचना, स्टाफ की संख्या को अनुकूल स्तर तक कम करना, वित्तीय नियंत्रण बनाए रखना, तथा साथ ही उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में विपथन करने की आवश्यकता है। इस यूनिट को दूरसंचार विभाग में स्थानान्तरित कर देने मात्र से इन बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

उपक्रम का एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में स्थानान्तरण करना, इसका निदान नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त "क" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

फिल्मों और वृत्तचित्रों का आयात

2938. श्री राजवीर सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान कितनी फिल्मों, वृत्तचित्रों दूरदर्शन धारावाहिक और ऐनिमेशन फिल्मों का आयात किया गया तथा उसका ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा वर्ष 1996 और 1997 के दौरान प्रमाणित विदेशी फीचर फिल्मों तथा लघु फिल्मों की संख्या संबंधी ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	विदेशी फीचर फिल्में	
	सेल्युलायड	वीडियो
1996	139	82
1997	191	78
	विदेशी लघु फिल्में	
	सेल्युलायड	वीडियो
1996	209	410
1997	272	329

[अनुवाद]

रिक्त पड़े तकनीकी पद

2939. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री 10 जून, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2182 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पशुपालन और डेयरी विकास में कई तकनीकी पद लम्बे समय से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

खाड़ी युद्ध के बाद स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों को आर्थिक आश्वासन

2940. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन भारतीय नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में कोई घोषणा की है जो 1990 के खाड़ी युद्ध के बाद भारत आए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन नागरिकों को अभी तक क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) और (ख) भारत सरकार ने इराक/कुवैत में असहाय भारतीयों को हवाई जहाज और समुद्री मार्ग से भारत वापस लाने के लिए व्यापक प्रबंध किये थे। उनके भारत पहुंचने पर सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों को खाना, चिकित्सा सेवाएं और अन्य राहत सहायता भी दी। वापस आने वाले भारतीयों को उनके पैतृक नगरों और गांवों को भेजने के लिए रेल और सड़क मार्ग से नि:शुल्क व्यवस्था की गई।

(ग) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने 1992 में अपने 1991 के संकल्प सं. 692 के जरिए जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग का गठन किया। इस संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग का अधिदेश 1990 के खाड़ी युद्ध से बुरी तरह प्रभावित सभी देशों के लोगों के मुआवजों पर विचार करना, कार्रवाई करना और मुआवजा देना है। अब तक 132329 भारतीय राष्ट्रिक मुआवजे

के लिए पात्र पाए गए हैं। भविष्य में कुछ और भारतीय मुआवजे के पात्र होंगे। चूंकि संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग को वित्तीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, इसको किस्तों में मुआवजे का भुगतान करवाना है। अब तक संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग ने आंशिक भुगतान के रूप में 72107 भारतीय नागरिकों के अनुमोदित दावों के लगभग 180 मिलियन अमरीकी डालर प्राप्त हुए हैं। यह राशि दावेदारों को बांटी जा रही है। अन्य जिनके मामले अनुमोदित हुए हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग के पास निधि की उपलब्धता पर बाद में मुआवजा प्राप्त होने की उम्मीद है।

[अनुवाद]

कपास उत्पादकों की समस्याएं

2941. श्री मोइनुल हसन अहमद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कपास उत्पादकों की समस्या के संबंध में प्रवर समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) राज्य सभा समिति द्वारा 12.8.97 को प्रस्तुत कपास उत्पादकों की समस्याओं से संबंधित रिपोर्ट को विभिन्न कपास उत्पादक राज्यों तथा संबंधित मंत्रालयों को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

समेकित कृमि प्रबंधन पर अधिक ध्यान, बीजों की उपलब्धता, उत्पादन में वृद्धि के लिए नवीनतम उत्पादन प्रौद्योगिकी के लिए किसानों को शिक्षित करने, उपलब्ध सिंचाई जल का कुशल उपयोग, विपणन के बुनियादी ढांचे में सुधार और ओटाई/प्रेसिंग फैक्टरियों के आधुनिकीकरण द्वारा कपास के रेशे की गुणवत्ता सुधारना समिति की मुख्य सिफारिशों में हैं।

संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों को उनसे संबंधित सिफारिश पर उचित कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया है। कृषि मंत्रालय ने नौवीं पंचवर्षीय योजना की कपास विकास स्कीम में उपर्युक्त सिफारिशों को शामिल कर लिया है।

विभागीय परीक्षाएं

2942. श्री आर.एस. गवई : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुसूचित जातियों के अनुभाग अधिकारियों के लिए वर्ष 1986 तक विभागीय परीक्षा आयोजित की जा रही थी ताकि केन्द्रीय सचिवालय सेवा में उन्हें ग्रेड-1 में पदोन्नति देकर इस श्रेणी में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो 1986 में आयोजित किए गए अंतिम विभागीय परीक्षा तक अनुसूचित जातियों के अवर सचिवों की कुल संख्या कितनी थी?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) संबद्ध नियमों में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) के ग्रेड-1 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा भरी जाने वाली ऐसी रिक्तियां, जिन्हें भरे जाने हेतु पात्र अधिकारी उपलब्ध नहीं हों, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों तथा केन्द्रीय सचिवालय-आशुलिपिक-सेवा के आशुलिपिक (ग्रेड "क" तथा "ख") हेतु आयोजित खुली सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है। ऐसी परीक्षाएं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित भरी नहीं जा सकीं रिक्तियां भरे जाने हेतु, वर्ष 1986 का ग्रेड-1 (अवर सचिव) संबंधी पैनल बन जाने तक संचालित की गई।

(ख) 139 ।

अपराह्न 12.05 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

(एक) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा, इत्यादि

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य

मंत्री (श्री राम नाईक): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1870/98]

(2) योजना आयोग की वर्ष 1997-98 की वार्षिक योजना की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1871/98]

(दो) टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1872/98]

(ख) (एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1873/98]

(ग) (एक) आई.टी.आई. लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आई.टी.आई. लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1874/98]

(तीन) केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, तिरूवनन्तपुरम् का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, तिरूवनन्तपुरम का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1883/98]

(ख) (एक) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1884/98]

(ग) (एक) पंजाब कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1885/98]

(घ) (एक) तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1886/98]

(ङ) (एक) गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1887/98]

(च) (एक) गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1888/98]

(छ) (एक) गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1889/98]

(ज) (एक) मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1890/98]*

(झ) (एक) राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) के (क) से (ज) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले आठ विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1891/98]

(3) (एक) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1892/98]

(4) (एक) राष्ट्रीय श्रमिक सहकारी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय श्रमिक सहकारी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1893/98]

(5) (एक) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 14 और 16 की उपधारा (4) के अन्तर्गत राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड गुड़गांव के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1894/98]

(6) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1895/98]

(7) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाईटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाईटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन आफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाईटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1896/98]

(8) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1897/98]

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1898/98]

(9) अंतरराज्यिक जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 6क की उपधारा (7) के अंतर्गत कावेरी जल (अधिकरण के 1991 के आदेश और पश्चातवर्ती संबंधित सभी आदेशों का कार्यान्वयन) योजना 1998 जो 11 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 675(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1899/98]

(10) वाटर एण्ड पावर कन्सलटेंसी सर्विस (I), लिमिटेड और जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1900/98]

(चार) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के अंतर्गत अधिसूचनाएं, आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : महोदय, श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:-

(1) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1998 जो 4 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 471 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1998 जो 4 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 472 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1901/98]

(तीन) पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1998 जो 4 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 473 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1998 जो 27 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 528 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1998 जो 8 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 564 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1998 जो 8 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 565 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1902/98]

(2) (एक) साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्कस् ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्कस् ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1903/98]

(3) (एक) सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च (समीर) मुम्बई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च (समीर) मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1904/98]

(4) (एक) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1905/98]

(5) (एक) सेंटर फॉर लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1906/98]

(6) (एक) सेंटर फॉर मैटीरियल फॉर दि इलेक्ट्रानिक्स टेक्नालोजी (सी-मेट), पूना के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर मैटीरियल फॉर दि इलेक्ट्रानिक्स टेक्नालाजी (सी-मेट), पूना के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1907/98]

(7) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (सी-डैक), पूना के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (सी-डैक), पूना के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1908/98]

(8) (एक) सेंटर फॉर इलेक्ट्रानिक्स डिजाइन एण्ड टेक्नालॉजी आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंटर फॉर इलेक्ट्रानिक्स डिजाइन एण्ड टेक्नालाजी आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1909/98]

(9) (एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1910/98]

(10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सी.एम.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सी.एम.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1911/98]

(11) सी.एम.सी. लिमिटेड और इलेक्ट्रोनिकी विभाग के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 1912/98]

अपराह्न 12.07 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:-

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 15 दिसम्बर, 1998 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 2 दिसम्बर, 1998 को पारित किये गये भारतीय निर्यात-आयात बैंक (संशोधन) विधेयक, 1998 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 12.08 बजे

रेल अभिसमय समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट) : महोदय, मैं "नौवीं योजना परिप्रेक्ष्य-भारतीय रेलवे की बुनियादी मांग" पर रेल अभिसमय समिति (1996) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर रेल अभिसमय समिति का पहला प्रतिवेदन और तत्संबंधी कार्यवाही सारांश, (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रीवलेज का मामला है। क्वैश्चन ऑवर के पश्चात् अन्य विषय लिये जाने से पहले इसे लेना चाहिये ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, श्री लालू यादव की गिरफ्तारी के मामले को सदन में सूचित नहीं किया गया है। यह प्रीवलेज का सवाल है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैंने नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बलराम जाखड़।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि किसी भी माननीय सदस्य की गिरफ्तारी होती है तो उसकी सूचना सदन को दी जाती है, ऐसा नियम है लेकिन इस मामले में अंधेर किया गया है....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास 45 सदस्यों की सूची है। मैं सभी सदस्यों का नाम बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री लालू यादव न केवल इस माननीय सदन के सदस्य हैं बल्कि संसदीय पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनकी गिरफ्तारी 30 अक्तूबर को हुई लेकिन अभी तक इस सदन को सूचित नहीं किया गया है। हमने इस संबंध में आपसे एक दिसम्बर को प्रार्थना और आग्रह किया था। आपने कृपापूर्वक जांच-पड़ताल कराई। सदन के सचिवालय से जानकारी हुई कि उनकी गिरफ्तारी की सूचना ही नहीं हुई है। इसलिये यह क्लीयरकट विशेषाधिकार का मामला बनता है। हमने पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर-कौल एंड शकधर और नियमावली के तमाम नियम छान डाले हैं, विवरणिका तथा संसदीय समाचार छपते हैं, सब को छान डाला है लेकिन कहीं भी इस गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी गई है। अध्यक्ष महोदय, इतना भारी अंधेर हो गया है। यह क्लीयरकट विशेषाधिकार का मामला बनता है क्योंकि सदन को सूचित नहीं किया गया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री रघुवंश प्रसाद सिंह को बोलने की अनुमति दे दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : श्री लालू प्रसाद केवल एक संसद सदस्य् ही नहीं, बल्कि एक संसदीय पार्टी के नेता एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। कथित आरोपों में उन्हें 30 अक्तूबर, 1998 को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा गया था और बी.एम.पी. के गेस्ट हाउस में कैम्प जेल बनाकर रखा गया। फिर उन्हें कैम्प जेल से स्थानांतरित कर बेवूर जेल में रखा गया, लेकिन मुझे खेद है कि उनकी गिरफ्तारी की सूचना और जेल के स्थान परिवर्तन की सूचना सदन को नहीं दी गई। नियमानुसार यह स्पष्ट विशेषाधिकार का मामला बनता है। सी.बी.आई. उनके साथ बार-बार निष्पक्ष एवं न्यायसंगत कार्रवाई नहीं कर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है। वह नियमों का घोर उल्लंघन कर रही है। मैं आग्रह करता हूं कि गिरफ्तारी की सूचना और स्थान परिवर्तन की सूचना न देने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का मामला लिया जाए। *...(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रिविलेज कमेटी को मामला दिया जाए क्योंकि किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना सदन को होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद जी, कृपया मेरी बात सुनिए। आपने नोटिस दिया है और यह मामला गृह मंत्रालय को भेजा गया है। यह मेरे विचाराधीन है।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : यह नियमों का घोर उल्लंघन हो रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह : सी.बी.आई. सदन की अवहेलना कर रही है। यह विशेषाधिकार हनन का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रिविलेज का मामला है। आप क्या-क्या बोलेंगे?

[अनुवाद]

मुझे नोटिस मिल गया है और मामले पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए इसे गृह मंत्रालय में भेज दिया गया है। यह मेरे विचाराधीन है।

...(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट (दौसा) : स्थाई अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है। *...(व्यवधान)* हमें अखबारों के माध्यम से जानकारी मिलती हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी].

अध्यक्ष महोदय : राजेश पायलट जी, आप बैठिये। मैंने इनफॉर्मेशन के लिए होम मिनिस्टर को इंटीमेशन दी है। मैं इस पर विचार कर रहा हूं। यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : मेरा सविनय निवेदन यह है कि गलत परिपाटी अपनाई जा रही है। हम अखबारों में संसद सदस्य के बारे में पढ़ते है। सरकार इसकी सूचना सभा को नहीं देती है। हम यह गलत परिपाटी अपना रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे सूचना के लिए गृह मंत्रालय को भेजा गया था। यह एक महत्वपूर्ण मामला है और यह मेरे विचाराधीन है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष जी, मैं पायलट जी से सहमत हूं। आप जो कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। ज्यों ही मुझे मालूम पड़ा और मैंने जो मालूमात की, वह यह है कि लालू जी ने कोर्ट में सरेण्डर किया है और कोर्ट ने सीधे उनको जेल भेज दिया। इसलिए यह बिहार सरकार या जेल अथॉरिटीज का फर्ज़ बनता है कि यहां इनफॉर्मेशन दे। *...(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : यह विशेषाधिकार हनन का स्पष्ट मामला बनता है। मंत्री जी विशेषाधिकार के मामले को दबा रहे हैं। *...(व्यवधान)* संसदीय कार्य मंत्री बिना नियमों को जाने बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : मंत्री जी आपको 48 घंटों के अंदर संसद को सूचित करना होगा। आपकी सरकार ने इसका अनुपालन नहीं किया है। *...(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैं आपसे सहमत हूं। मैं मानता हूं कि यह विशेषाधिकार का मामला है। आप मुझे कहने दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह कहा है कि यह मेरे विचाराधीन है। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी को' अपना भाषण पूरा कर लेने दीजिए। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल : मेरा नियम 229 के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : उनके बाद, कृपया बैठ जाइए, श्री रूपचंद पाल जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि जो मुद्दा उठा कि कोई भी सदस्य जब गिरफ्तार होता है तो उसकी सूचना स्पीकर को मिलनी चाहिए, जिसकी सूचना सदन को भी मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मामला बहुत गंभीर है, मैं मानता हूं। मुझे यह अभी मालूम पड़ा, पहले मैंने समझा कि यह गृह सचिव का मामला है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यह सी.बी.आई. का मामला है। चूंकि सी.बी.आई. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंडर आती है, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के सेक्रेटरी से बात की। उन्होंने कहा कि वे मुझे सारी इंफॉर्मेशन देंगे, मुझे अभी सूचना मिली है उनका यही कहना है कि स्टेट *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह सूचना दे रहे हैं। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, अभी यह लिखकर आया है कि श्री लालू प्रसाद जी ने स्वयं कोर्ट में सरेंडर किया था। इस मामले में सी.बी.आई. ने फॉर्मल अरेस्ट नहीं किया, इसलिए सी.बी.आई. के लिए इस समय ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह : मामला सी.बी.आई. की कोर्ट में है ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : आप मुझे पूरी बात तो कहने दीजिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि यह मेरे विचाराधीन है। कृपया स्थिति को समझिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सी.बी.आई. की तरफ से यही आया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं आज शाम तक या कल तक पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगा कि यह किसकी जिम्मेदारी है। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह विशेषाधिकार का मामला है ...*(व्यवधान)*

श्री दिग्विजय सिंह (बांका): इसमें डी.एम. के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसने सूचित नहीं किया ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है।

...(व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री रूपचंद पाल : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें इस सभा के माननीय सदस्यों का विशेषाधिकार शामिल है। दूसरा, नियम 229 में स्पष्ट लिखा है कि जैसे ही गिरफ्तारी होती है इसे माननीय अध्यक्ष महोदय के कार्यालय में एक विशेष तरीके से सूचित किया जाएगा और अगर संसद का सत्र चल रहा होगा तो इसे तुरंत परिचालित किया जाएगा; अन्यथा, अगर सत्र नहीं चल रहा होगा तो इसे बुलेटिन के रूप में परिचालित किया जाना चाहिए। उसकी गिरफ्तारी की सूचना देना इस सरकार के संसदीय कार्य मंत्री का काम था क्योंकि यह गिरफ्तारी सी.बी.आई. ने की थी। यह सरकार की जिम्मेवारी है पर उन्होंने जानबूझकर सदन को सूचित नहीं किया था। इसलिए, यह सदन के विशेषाधिकार का मामला है क्योंकि यह इस सदन के एक माननीय सदस्य से संबंधित मामला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि यह मेरे विचाराधीन है। कृपया स्थिति को समझिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : यह मामला पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर के पास नहीं है, यह मामला स्पीकर साहब के पास है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं यह रूलिंग दे चुका हूं कि यह मेरे विचाराधीन है।

...(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, यह कोई समाधान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार हनन का नोटिस मेरे विचाराधीन है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : आप कब तक कंसीडर करेंगे, यह प्राइमा-फेसी केस है, इस पर क्या कंसीडर करना है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : महोदय, यह न केवल विशेषाधिकार का मामला है बल्कि यह सदन के सम्मान का भी प्रश्न है। हम यह नहीं कह रहे कि किसकी गलती है। हम इससे सहमत हैं कि यह मामला आपके विचाराधीन है परन्तु यह कोई समाधान नहीं है। इस प्रक्रिया का व्यवस्था ने उल्लंघन किया है। किसी भी हालत में, गिरफ्तारी के बारे में गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर ही अध्यक्ष महोदय के कार्यालय में सूचित करना चाहिए। वे ऐसा करने में असफल रहे। हम नहीं जानते कि क्या राज्य सरकार को इस मामले के संबंध में सूचना देनी चाहिए। परन्तु इस प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं और मैं भी नियम 229 को उद्धृत कर रहा हूं। कृपया मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय नियम 229 में कहा गया है:

> ''जब कोई सदस्य किसी आपराधिक आरोप या किसी दंडापराध के लिए बंदी किया जाएगा उसे किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया जाए या किसी कार्यपालिका के आदेश के अन्तर्गत निरुद्ध किया जाए तो, यथास्थिति, दंड देने वाला न्यायाधीश या दंडाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी ऐसे तथ्य की सूचना तुरन्त अध्यक्ष को देगा....''

अब दंड देनेवाला न्यायाधीश, दंडाधिकारी भी बिहार के हैं और कार्यपालिका प्राधिकारी भी बिहार के हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। श्री राम विलास पासवान।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री खारबेल स्वाईं : यह नियम 229 है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। मैं अपनी रूलिंग दे चुका हूं। अब, श्री प्रभुनाथ सिंह।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, हम आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं कि सारा देश जानता है कि बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री 950 करोड़ रुपए के पशुचारा घोटाले में अभियुक्त हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.21 बजे

इस समय श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए। अब, श्री राम विलास पासवान जी।

...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैं कैसे बोल सकता हूं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अपने-अपने स्थानों पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

अपराह्न 12.22 बजे

इस समय श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री राम विलास पासवान जी को बुला चुका हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राम विलास पासवान के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह जी आपको पहले नियम पता होने चाहिए। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब श्री राम विलास पासवान जी।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह जी, बहुत हो गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी, कृपया बैठ जाइए। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राम विलास पासवान जी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह जी, यह क्या हो रहा है? यह सदन है। आपको यह पता होना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए। माननीय सदस्यों, मैं चेतावनी दे रहा हूं। हद हो गई।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप हमेशा सभा में हस्तक्षेप करते हैं। यह क्या हो रहा है? अब श्री राम विलास पासवान जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री राम विलास पासवान के अलावा किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं दूसरे प्रिवलेज मोशन का सवाल उठा रहा हूं। मैंने मानव संसाधन विकास मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश करने की अनुमति हेतु आपको नोटिस दिया है। आपको मालूम है कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संबंध में कहा कि हड़ताल समाप्त हो गई है। लड़के वापस जा रहे हैं और जो विद्यार्थी अनशन पर बैठे हुए थे वे सब लोग अपने-अपने घर चले गए हैं। मैंने आपसे भी आपके चैम्बर में मुलाकात की और आपने भी एसरटेन किया। महोदय, आज 16वां दिन चल रहा है, फोर्स्ड फीडिंग हो रहा है। आज से चार दिन पहले एक लड़का और एक लड़की, दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अनशन पर बैठे हुए हैं और हालत बहुत गंभीर है। मैं पिछले 10 दिन से लगातार इस सवाल को उठा रहा हूं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो प्रिवलेज मोशन मैंने दिया है, उसका क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, आपका नोटिस भी मेरे एक्टिव कंसीडरेशन में है।

श्री राम विलास पासवान : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : आप मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब और स्पष्टीकरण नहीं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा. जाखड़ के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया अभी नहीं। कृपया बैठ जाइए। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले कालिंग अटैंशन *...(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष जी, एक मिनट बोलने दीजिए। *...(व्यवधान)* मैं सिर्फ समर्थन कर रहा हूं। *...(व्यवधान)* आप सिर्फ मेरा समर्थन नोट करवा लीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमने नोट कर लिया है।

श्री बलराम जाखड़ : कुछ दिन पहले आपको एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया गया था लेकिन उससे पहले कृषि मंत्री ने खाद की कमी के बारे में एक वक्तव्य दिया। प्रधान मंत्री जी सार्वजनिक तौर पर कहते रहे हैं कि फर्टिलाइजर संकट से उन्हें पूर्णतया जानकारी है। दो दिन पहले फर्टिलाइजर मंत्री की जगह कृषि मंत्री ने वक्तव्य दिया। उसमें उन्होंने कहा कि देश में बहुत खाद है। हमने प्रबन्ध कर लिया है। यह सरकार जागरूक है, वह समझती है कि हम इस बात को जानते हैं कि खाद की कमी होगी तो इसमें किसानों का नुकसान होगा। क्या यह सिर्फ घरियाली आंसू है, इसके बारे में मैं क्या कहूं? *...(व्यवधान)* एक सवाल का जवाब भी आपने दिया है। आठ तारीख को एक क्वेश्चन पूछा गया, उसका है। इसमें कहा गया है कि खाद अधिक है। हमारे पास जरूरत से ज्यादा खाद मौजूद है, तो फिर कमी किस बात की है। अगर कमी नहीं है तो फिर झगड़ा किस बात का है? क्या आपको ज्ञान नहीं है या जो आंकड़े दिये गये हैं, उनके बारे में आपको पता नहीं है। यह किसा कुसूर है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, फर्टिलाइजर मिनिस्टर की बजाए कृषि मंत्री ने यहां पर वक्तव्य दिया। यह काम तो फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री का है और मांगने वाले कृषि मंत्री हैं, मैं भी हूं और किसान भी है। हम तो मांगने वाले हैं। कृषि मंत्री भी खाद मांगता है क्योंकि उनको अपना टारगेट पूरा करने के लिए खाद चाहिए। सवाल यह है कि इस सारे मसले का क्या हो रहा है और किस तरीके से होता है। कृषि मंत्री ने कहा कि मैं किसान हूं और मेरे ख्याल से बरनाला जी भी कहेंगे कि मैं भी किसान हूं। उन्हों खेती की है या नहीं, इसके बारे में मुझे पता नहीं। खेती करने वाले को पता होता है कि 'जिस तन लागे, सो ही तन जाने' कि खेती क्या होती है और किस तरीके से होती है। किस वक्त खाद मिलती है या नहीं मिलती। खाद मिलने के बाद खेती का क्या रंग होता है और क्या नतीजा निकलता है? किसान को लक्ष्य की प्राप्ति होती है या नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. जाखड़, 45 सदस्य ऐसे हैं जो शून्य काल के दौरान बोलना चाहते हैं। मैं सभी को समय देना चाहता हूं।

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, आपने मुझे यह समय दिया है कि मैं कुछ बातें स्पष्ट कर सकूं। मैं बहुत ही परेशान हूं। मैं एक सवाल और उठाना चाहता हूं लेकिन मैं इसे आज नहीं उठाऊंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप जरा टाइम का ध्यान रखिये।

श्री बलराम जाखड़ : मैं तो बहुत कम समय लेता हूं। कल आपने देखा कि रूल्स एंड रेगुलेशन की धज्जियां उड़ा दी गई। उसके बाद भी मैंने झगड़ा नहीं किया क्योंकि मैं जानता हूं कि झगड़ा करना अच्छा नहीं है। यह गलत बात होती है। यह हमारा अधिकार है। एक बात और बताऊं। डिफेंस की जो बात है, वह मैं आज नहीं कहूंगा लेकिन एक बात डिफेंस के साथ यह भी है कि पेट में खाने के लिए कुछ नहीं है।

न कुछ देखा नेम धर्म में,
न कुछ देखा पोथी में,
कहे कबीर सुनो भाई साधो,
जो कुछ देखा सो रोटी में।

लेकिन कल क्या होगा? अगर रोटी नहीं होगी तो कल क्या होगा। रोटी होगी तब जब किसान बोयेगा और बोयेगा तब जब उसके पास खाद होगी। यह सारा सिलसिला क्या है और समय पर नहीं होगा तब बात क्या होगी? जब खाद वक्त पर नहीं मिलेगी और जो कुछ बोया है, तो उसमें कहां से उत्पादन होगा, किस तरीके से होगा, इस सारी स्थिति को समझने के लिए पूरा अनुमान होता है। कम से कम कृषि मंत्री और फर्टिलाइजर मंत्री को अनुमान होना चाहिए। पहले तो नुकसान यही है कि हमने भी फर्टिलाइजर

और एग्रीकल्चर को अलग करने की गलती की और इस सरकार ने भी यही गलती की। हमने जो गलती की, वह तो ठीक है लेकिन आप तो इस गलती को सुधार लेते। आपको पता होना चाहिए कि फ़र्टिलाईजर मिनिस्ट्री की जरूरत कृषि मंत्री को है और उनको यह पता होना चाहिए कि किस तरह से कहां खाद जानी चाहिए, कितनी खाद जानी चाहिए और यह सब किस वक्त होना चाहिए। मैं फर्टिलाईजर मिनिस्टर को दिखाना चाहता हूं, मैंने सारी कटिंग्स इकट्ठी कर रखी हैं। किसान के साथ क्या हुआ, किस तरह हुआ, किसान को क्या मिला और क्या आगे मिलने वाला है। आपने एक काम और करवा दिया, नकली बीज दिए, किसान की छुट्टी हो गई, किसान मर गया, सैंकड़ों नहीं हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली। मैं स्वयं जाकर आया हूं, यदि आप भी जाते तो पता लगता कि किसान ने किस तरह 'एड़ियां रगड़-रगड़कर जान दी है। क्यों दी है? *...(व्यवधान)* हमारे वक्त में किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की, बिल्कुल नहीं हुई। *...(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : आत्महत्या किस समय हुई? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : आप बैठिए, मैं गिनती करवा सकता हूं, मैं मंत्री जी से बात कर रहा हूं। आपकी बड़ी पुरानी आदत है। *...(व्यवधान)* सवाल यह है कि इसे किस तरह से निपटाना है और क्या करना है। इनको यह पता नहीं है कि क्या, किस समय हो रहा है। आज मजाक उड़ाते हैं। कल आपकी एक बात पर पिटाई हुई और आज दूसरी बात पर फिर होने वाली है। मैं आपके भले की बात कर रहा हूं कि वक्त से उठो, जागो, सोओ मत, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसे जीने दो।

मेरे पास भी आंकड़े हैं। मैं समझता हूं कि पोटाश की कमी हुई। आप फार्वर्ड प्राईसिंग करना चाहते थे, आपने कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट भी आई है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, कर लेते तो पहले हो जाता। पोटाश नहीं आई। केरल के लोग फलों की खेती करते हैं। उनके लिए भी आपने नहीं किया। खाद नहीं गई। *...(व्यवधान)* खाद है और दिन-दहाड़े ब्लैक हो रही है – 'डी.ए.पी. की काला बाजारी हो रही है।'

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। वे आपका उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : मैं कहना चाहता हूं कि यह मिली-भगत है। आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मैंने कल आपसे ओमान के बारे में प्रश्न किया था। आपने कहा कि हम इन्क्वारी करवाएंगे लेकिन इसके बाद भी इन्क्वारी नहीं हुई और आज आप यह काम करने जा रहे हैं। खाद ब्लैक मार्किट में बिकती है, यह क्या सिलसिला है। मैं सारी बातें इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि हम मेरी आपकी नहीं, किसान की बात करना चाहते हैं। इसलिए आप इसे सोचिए और देखिए कि किस तरह से बंदोबस्त करना चाहते हैं।

स्पीकर साहब चाहते हैं कि मैं बात खत्म करूं। इसका क्या इलाज है। कल भी हमारी पिटाई हुई और आज भी होने जा रही है, इसका कोई इलाज नहीं है। फर्टिलाईजर मिनिस्टर, आप जरा इस सीरियस ईशू पर ध्यान दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अन्य माननीय सदस्य अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं। आपको यह बात समझनी चाहिए। प्रत्येक माननीय सदस्य अपना मुद्दा उठाने का इच्छुक है।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : ये शुगर इम्पोर्ट कर रहे हैं और शुगर इंडस्ट्री का भट्टा बिठा रहे हैं, किसान को मारने जा रहे हैं। कल क्या होने जा रहा है, इसे भी आप सोचिए। प्रधानमंत्री जी नहीं हैं, वे कहते हैं कि मैं इस बात से अवगत हूं। खुराना जी, आप जरा अवगत करवा दीजिए कि किसान मरेगा क्योंकि उसका गन्ना नहीं बिकेगा और आपकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। *...(व्यवधान)* एक समय था जब हमने बाहर भेजी थी और आज आप इम्पोर्ट कर रहे हैं। यह भी एक सिलसिला है। कहने को बहुत कुछ है, यदि मैं सारा पोथा पढ़कर बताऊं तो आपको पता लगेगा कि क्या हो रहा है। *...(व्यवधान)* जरा सोचिए और बताइए कि खाद का घपला क्यों हुआ, खाद ब्लैक में क्यों बिकी, क्यों नहीं वक्त पर पहुंची? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मोतीलाल वोरा जी, आप उनका साथ दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : माननीय मंत्री यहां उपस्थित हैं। उन्हें कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करने दें ...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका नाम बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मोतीलाल वोरा जी, आप उनका साथ दे सकते हैं क्योंकि आपने अपना दिया है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : जाखड़ साहब का पेपर हम लोगों के ज्ञान-वर्धन के लिए टेबल पर रख दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : महोदय, मैं डा. बलराम जाखड़ का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यह मामला इस सभा में उठाया है। मैं इस संबंध में एक संक्षिप्त विवरण देना चाहता हूं।

जहां तक यूरिया का संबंध है, केवल इसी उर्वरक का मूल्य वितरण और लेन-देन भारत सरकार के नियंत्रण में है। वर्ष 1998 की खरीफ की फसल या चालू वर्ष की रबी फसल के दौरान अब तक यूरिया की कमी की कोई सूचना नहीं मिली है। इसकी देश में पर्याप्त उपलब्धता है। 110 लाख मीट्रिक टन की निर्धारित मांग की तुलना में अनुमानित उपलब्धता 126 लाख मीट्रिक टन होगी ...*(व्यवधान)* उपलब्धता के बारे में ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : अभी यूरिया की क्या जरूरत है, अभी डी.ए.पी. की जरूरत है, वह बताइये। ...*(व्यवधान)*

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : मैंने यूरिया की बात की है, अब डी.ए.पी. की बात करता हूं। अब डी.ए.पी. की बात सुनिये। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह : यूरिया की जरूरत 15 दिन बाद है।

अध्यक्ष महोदय : पहले उनको पूरा करने दो।

...*(व्यवधान)*

श्री बलराम जाखड़ : पहले बोते समय डी.ए.पी. चाहिए, तब फसल होती है, लेकिन उसके बारे में तो आपने कहा नहीं। ...*(व्यवधान)*

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : डी.ए.पी. की बात कर रहा हूं, आप सुनिये।

श्री बलराम जाखड़ : आपके साथ थी, मैं तो यह पूछ रहा हूं कि वक्त पर दी क्यों नहीं, मूवमेंट क्यों नहीं हुआ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि ब्लैक मार्केटिंग क्यों हुई? ...*(व्यवधान)*

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : मैं वह भी बताऊंगा कि क्यों नहीं दी। ...*(व्यवधान)*

श्री रामनारायण मीणा (कोटा) : डी.ए.पी. के एक कट्टे के साथ 10-10, 15-15 यूरिया के कट्टे दिये जा रहे हैं, किसानों को लूटा जा रहा है, मनमाने भाव पर खाद दी जा रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह बात अच्छी नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा : काश्तकार के खेत खाली पड़े हैं, उसके बारे में आपको क्या कहना है? किसान के खाद पर ब्लैक मार्केटिंग इतनी हावी है कि उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री कृष्ण कुमार चौधरी (गया) : डी.ए.पी. 600 रुपये में एक कट्टा खुले बाजार में बिक रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामनारायण मीणा : किसानों को जो 10-10, 15-15 कट्टे यूरिया के लगाये जा रहे हैं, उन ब्लैक मार्केटियर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा नहीं है। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, यह क्या है?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : डी.ए.पी. भी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या यह उचित तरीका है? मंत्री जी उत्तर दे रहे है। आप इस पर आपत्ति कर रहे है। माननीय मंत्री उत्तर दे रहे है। यह क्या है? येह अच्छा नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. प्रभा ठाकुर (अजमेर) : रबी की फसल खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही है। खाद होते हुए भी किसी को मिलनी मुश्किल हो रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को उत्तर पूरा करने दो। यह क्या है? पहले आप स्थिति को समझें। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : जैसा मैंने उल्लेख किया है ड्री.ए.पी. भी एक विनियंत्रित उर्वरक है और एम.ओ.पी. की तरह इसकी उपलब्धता भी बाजार शक्तियों पर निर्भर करती है। डी.ए.पी.का आयात भी विनियंत्रित कर दिया गया है और इसका आयात निजी व्यापार लेखा में किया जाता है। वर्ष 1998-99 के दौरान नवम्बर 1998 तक देश में डी.ए.पी. का उत्पादन (जो मांग के 70 प्रतिशत भाग की पूर्ति करता है) 26.63 लाख मीट्रिक टन रहा है। यह नवम्बर, 1998 तक 25.57 लाख मीट्रिक टन के उत्पादन से अधिक था जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 14.6 लाख मीट्रिक टन के आयात सहित 2 लाख मीट्रिक टन अधिक था। वर्ष. 1998 के खरीफ के मौसम के दौरान डी.ए.पी. की बिक्री के लिए 28 लाख मीट्रिक टन डी.ए.पी. की उपलब्धता पर्याप्त थी। रबी, 1998-99 के लिए डी.ए.पी. की अनुमानित उपलब्धता 25 लाख मीट्रिक टन है जो राज्यों द्वारा अनुमानित 31 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। तथापि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों से कमी की खबरें आई हैं। इस कमी के मुख्य कारण निम्नलिखित है ...*(व्यवधान)*

श्री बलराम जाखड़ : मुझे खेद है कि मैं बीच में बोल रहा हूं।

[हिन्दी]

मेरा प्रश्न इतना है, मैं जानता हूं, आपके पास मेरे सवाल का जवाब है कि सिवा पोटाश के आपके पास सारा सरप्लस था। पोटाश को आपने इम्पोर्ट नहीं करवाया, उससे कमी हुई, लेकिन आपके पास होते हुए मूवमेंट क्यों नहीं हुआ, ब्लैक में कैसे बिका और मिक्सचर खराब क्यों हुआ, उसका जवाब दीजिए? ...*(व्यवधान)*

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : बोलने देंगे, तभी जवाब दूंगा। कमी के निम्नलिखित कारण थे ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : किसानों को डी.ए.पी. नहीं मिल रहा है ...*(व्यवधान)* उसकी लूट हो रही है, उसकी बुवाई रूकी हुई है और आप यूरिया की बात कर रहे हैं, जबकि इस समय डी.ए.पी. की जरूरत है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जोगी, आप हमेशा सभा में व्यवधान करते हैं।

...*(व्यवधान)*

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : कमी के निम्नलिखित कारण थे: (एक) अक्तूबर-नवम्बर, 1998 के दौरान विभिन्न कंपनियों द्वारा लाए गए लगभग 7.5 लाख मीट्रिक टन के आयात की 'वंचिंग' हो गई। फलस्वरूप, आयातकों द्वारा डी.ए.पी. की अपेक्षित आवश्यकता का अनुमान न लगाया जा सका। इसलिए एक साथ आयात किया गया। यह पहला कारण है, (दो) लगभग 5 लाख मीट्रिक टन का आयात जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास और विजाग दो पत्तनों से किया गया। जिसके परिणामस्वरूप इन पत्तनों पर भीड़-भाड़ हो गई और इन पत्तनों से डी.ए.पी. के संचालन में विलम्ब हुआ। तूफान के कारण विजाग पत्तन पर स्थिति और भी जटिल हो गई जिसने रैक्स की आवाजाही को लगभग 20 दिनों तक प्रभावित किया। (तीन) गेहूं की फसल के क्षेत्र में वृद्धि के कारण डी.ए.पी. की मांग में काफी वृद्धि हुई। पिछले वर्ष गेहूं की फसल 3 मिलियन हेक्टेयर में बोई गई थी जबकि इस वर्ष 23.11.1998 की स्थिति के अनुसार 4.6 मिलियन हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हुई। इस वृद्धि का कारण अक्तूबर, 1998 में बेमौसमी वर्षा का होना है। यकायक मांग बढ़ गई।

जैसा मैंने पहले स्पष्ट किया है कि डी.ए.पी. विनियंत्रित उर्वरक है और इसकी उपलब्धता मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। किंतु हमने मांग को पूरा करने का प्रयास किया है और उसके लिए हमने ...*(व्यवधान)*, तथापि, भारत सरकार ने राज्यों को स्थानीय कमी को पूरा करने में सहायता करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(क) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास और विजाग में डी.ए.पी. यानों को लंगर डालने के लिए प्राथमिकता दी गई है।

(ख) रेल द्वारा संयंत्रों और पत्तनों से डी.ए.पी. की ढुलाई को प्राथमिकता दी गई है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास से लगभग 1.50 लाख मीट्रिक टन की ढुलाई पहले ही की जा चुकी है। विजाग पत्तन से भी 1.47 लाख मीट्रिक टन की ढुलाई के लिए भी ऐसे ही प्रयास किए जा रहे हैं। 9 दिसम्बर, 1998 तक विजाग से भी 1.03 लाख मीट्रिक टन की ढुलाई की जा चुकी है।

(ग) जॉर्डन से 55,000 मीट्रिक टन डी.ए.पी. के आयात के विशेष करार किया गया है। 25,000 मीट्रिक टन की पहली खेप कल जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास पर पहुंच गई है।

इसलिए, उसे भी अब राज्यों को भेजा जा रहा है। अब तक कमी की कोई खबर नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : महोदय, आपको हमारी मदद करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री विजय गोयल का नाम पुकारा है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष जी, मेरा विषय तो लाटरी है, लेकिन मैं सदन का ध्यान आज के विशेष दिवस की ओर दिला रहा हूं, जो कि शौर्य दिवस के रूप में जाना जाता है। आज के दिन यानी 16 दिसम्बर, 1971 को हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान की सेना पर विजय प्राप्त की थी। 16 दिसम्बर, 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने भारत और बंगला देश की सेनाओं की संयुक्त कमांड के सामने आत्मसमर्पण किया था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय गोयल आपने लाटरी पर प्रतिबंध लगाने के बारे में सूचना दी है। आपने जिस बात का उल्लेख सूचना में किया आपको उसके बारे में कहना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : यह एक महत्वपूर्ण मामला है जो मैं सदन के सामने रख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात नहीं है।

श्री विजय गोयल : पाकिस्तान की ओर से लेफ्टीनेंट जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री विजय गोयल का नाम पुकारा है।

..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को शौर्य दिवस की याद दिला रहा हूं और सारा सदन इस पर सहमत होगा।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, 16 दिसम्बर को इस सभा में ''शौर्य दिवस'' के रूप में मनाया गया था। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसका सम्मान किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा था।

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : उचित होता कि यह प्रस्ताव सरकार की ओर से आता। यह एक महत्वपूर्ण दिन है। किंतु लगता है सरकार इस दिन को याद नहीं करना चाहती है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : मेरा विषय लॉटरी के ऊपर है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अजीत जोगी सभा में व्यवधान कर रहे है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बार-बार ऊपर देख रहे हैं। ऊपर क्या है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अनेक माननीय सदस्य सभा में व्यवधान डाल रहे हैं। बार-बार ऊपर देख रहे हैं। ऊपर क्या है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष जी, पिछली लोक सभा और इस लोक सभा में मैंने एक विशेष बात देखी है और वह यह है कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा लॉटरी का पिछले सदन में आया था जिस पर सभी राजनैतिक दलों ने एक स्वर में इस बात का समर्थन किया था कि देश के अंदर एक अंक की लॉटरी पर नहीं बल्कि समस्त प्रकार की लॉटरियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और मैं सरकार और सभी राजनैतिक दलों का आभारी हूं जिन्होंने पिछले सदन में एक अंक की लॉटरी पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। तत्कालीन गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बात करके सदन में दूसरा बिल लाएंगे जिससे समस्त प्रकार की लॉटरियों पर पूरे देश में प्रतिबंध लग जाएगा। वह बिल अभी तक नहीं आया। सरकार उस बिल को लेकर आए और पुन: उसी तरीके से सभी राजनैतिक दल इस बात का समर्थन करें कि सारी लॉटरियों पर प्रतिबंध लगे। गोहाटी हाई कोर्ट के एक ऑर्डर से दुबारा से लॉटरीज पर स्टे दे दिया गया है और देश के अंदर जगह-जगह पर एक अंक की लॉटरी शुरू कर दी गई है। मैं सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं कि हर प्रदेश में किसी न किसी पार्टी की सरकार है, अपनी-अपनी पार्टी की सरकार से इस बात की गुहार करें कि स्वत: ही लॉटरीज पर प्रतिबंध लग जाए और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यदि खुराना जी इस बात पर वक्तव्य देना चाहते हैं तो वह वक्तव्य दें कि वह बिल कब लेकर आ रहे हैं ताकि जिस लॉटरी के कारण लाखों घर बर्बाद हो रहे हैं और जिस पर सदन ने एक मत होकर, एक ध्वनि से यह कहा था कि न केवल एक अंक की लॉटरी बल्कि समस्त प्रकार की लॉटरीज बंद की जानी चाहिए। वह बिल इस सदन के इसी सत्र में लाया जाए जिससे देश में सभी प्रकार की लॉटरीज पर प्रतिबंध लग जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : तो आप इसका समर्थन कर रहे हैं। ठीक है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, जहां तक लॉटरी का सवाल है, इस सरकार का पूरी तरह से यह मत है कि सभी अंकों की लॉटरीज पूरी तरह से सारे देश में बंद होनी चाहिए और उसी तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं।

श्री राजेश पायलट : दूसरा बिल कब ला रहे हैं? *...(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : अभी देश में लॉटरी बंद नहीं हुई हैं। कोर्ट के किसी आदेश के अनुसार दोबारा लॉटरी देश में बिक रही हैं, इसलिए मेरा कहना है कि उस लीगल पाइंट को देखकर हम बहुत जल्दी यह बिल लाने वाले हैं। *...(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : उसमें देरी क्यों कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : यह मिलीभगत है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अवज्ञा का दोषी ठहराऊंगा। कृपया समझें।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा) : मुझे गंभीर परिणामों वाले एक बहुत महत्वपूर्ण मामले को उठाने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, पिछली बार भी मैंने आपको कहा है कि आप इसे 'शून्य काल' में नहीं पढ़ सकती हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रो. प्रेमाजम को कहा है। कृपया अपने स्थान पर बैठिए। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : जब देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश करने तथा बजट घाटा को कम करने की नीति अपनाई जा रही है तो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जापानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और इन कंपनियों से निकाले गए कर्मचारियों को कर छूट देने में विचार कर रहा है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : मैं इस सभा के ध्यान में लाना चाहती हूं कि इस छूट योजना के अधीन प्रस्तावित कतिपय महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रस्ताव है। 30.11.98 को जापान के वाणिज्य व उद्योग चेम्बर को लिखे पत्र और जापान दूतावास द्वारा वित्त मंत्रालय और प्रधान मंत्री कार्यालय को लिखे पत्रों से स्पष्ट है कि इस सरकार पर जापानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कर राहत व छूट देने के लिए काफी दबाव है। इस संदर्भ में यहां मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना चाहती हूं जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। क्या सरकार पोखरण परीक्षणों और हमारे देश पर लगाए गए प्रतिबंधों को मद्देनजर जापानी सरकार के दबाव के समक्ष झुक रही है? यह तो समस्या का अंश मात्र है। इस देश की ओर से दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या यह सरकार ऐसी छूट और माफी उन अन्य लोगों, अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा उनके निकाले गए कर्मचारियों को देने पर विचार कर रही है? इस संबंध में सरकार को न केवल इस सभा में अपितु संपूर्ण देश के समक्ष स्पष्टीकरण देना होगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप पहले से उनके साथ हैं।

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : मैं सभा का समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं। मैं खड़ा नहीं हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कह दिया है कि आप भी उनके साथ जुड़े हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी बोलने का अवसर दूंगा। ऐसे आपको हाउस को डिसटर्ब नहीं करना चाहिए। आपको भी बाद में बुलाऊंगा।

श्री कोनिजेटी रोसैया (नरसारावपेट) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको सभा में पिछली सीटों पर बैठने वालों को बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। जैसा आप जानते हैं मेरा निर्वाचन क्षेत्र नरसारावपेट आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। वहां पर 181 एजेंसी गांव है जिनमें पेयजल, बिजली, सड़क, चिकित्सा सहायता आदि न्यूनतम सुविधाएं विद्यमान है। हम सभ्य समाज से कोसों दूर हैं। विगत पचास वर्षों से भारत सरकार व आंध्र प्रदेश सरकार एजेंसी क्षेत्रों के विकास पर भारी धनराशि खर्च कर रही है किंतु अभी भी एक निर्वाचन क्षेत्र में 181 ऐसी बस्तियां है जिनमें इन न्यूनतम सुविधाओं का अभाव है। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि वह यह देखने के लिए एक अधिकारी को तैनात करे कि इन एजेंसी क्षेत्रों के लोग किन हालातों में रह रहे है। भारत सरकार को उन लोगों को सामान्य जीवन की सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए या एक विशेष पैकेज बनाना चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बालु, आपको भी बुलाया जाएगा।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री एच.पी. सिंह (आरा) : अध्यक्ष महोदय, हमने आरा से भोजपुरी में एक चिट्ठी लिखी है कि सारे हिन्दुस्तान में सरकार की हंसी हो रही है। 62 जिले भोजपुरी भाषा के उत्तर प्रदेश और बिहार में आधे-आधे आते हैं, मैं यहां के किसानों के बारे में कहना चाहता हूं। जौनपुर क्षेत्र कृषि से संबंध रखता है। फर्टिलाइजर और राशन, दोनों विभाग की जिम्मेदारी यहां मंत्री जी की है, लेकिन ये इतने ढीले चल रहे हैं ...

अध्यक्ष महोदय : आपने ब्रिज के बारे में नोटिस दिया है।

श्री एच.पी. सिंह : हम माफी चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं।

श्री एच.पी. सिंह : महोदय, फर्टिलाइजर बहुत महत्वपूर्ण है। प्याज और आलू के दाम बढ़ रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको ब्रिज नहीं चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री एच.पी. सिंह : जब किसान ब्लैक में खरीदेगा तो ऐसी हालत में कैसे देश का किसान अपनी खेती की उपज बढ़ाएगा। *...(व्यवधान)* जब वह महंगी खाद लेगा और पानी महंगा होगा तो ऐसी हालत में किसान कैसे उपज बढ़ाएगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने पहले ही जवाब दे दिया है ...

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : महोदय, यह भोजपुरी में बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री एच.पी. सिंह : महोदय, जब कृषि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो देश की हालत बराबर खराब होती रहेगी। *...(व्यवधान)* मंत्री जी, जब तक किसानों को पूरा फर्टिलाइजर नहीं पहुंचेगा तो कैसे किसान अपनी उपज को बढ़ाएगा। *...(व्यवधान)* खाने-पीने की चीजें किसान और मजदूर पर ही निर्भर करती हैं। यदि इन दोनों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे हिन्दुस्तान की हालत क्या होगी, यह आप स्वयं समझ सकते हैं। *...(व्यवधान)* जो कालाबाजारी करने वाले हैं उन्होंने देश की हालत खराब कर दी है इसलिए इसे रोकने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद) : आप कृपा कर मेरी बात को सुन लीजिए। महोदय, एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है, उसके बारे में आप सुन लें। पिछले रविवार को बिहार में एक लोमहर्षक घटना घटी। वहां के करीब दो दर्जन आदिवासी संथालों को घेर कर मारा गया, उन पर गोलियां चलाई गई। उनके छोटे-छोटे बच्चों को कुल्हाड़ी से काट डाला गया और उसके बाद करीब-करीब 100 घरों में आग लगा दी गई। उसमें करीब दो दर्जन मासूम आदिवासी संथाल जिन्दा जला दिए गए, मैं उस लोमहर्षक घटना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। *...(व्यवधान)*

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : महोदय, 45 नम्बर वाला पहले बोल गया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है।

[अनुवाद]

कृपया समझिए कि यह अध्यक्षपीठ का विशेषाधिकार है। आप अध्यक्षपीठ को निर्देश नहीं दे सकते। हर बात के लिए आप अध्यक्षपीठ को निर्देश देना चाहते हैं...

...(व्यवधान)

प्रो. रीता वर्मा : महोदय, पूर्णिया जिले के डगरवा आउट पोस्ट के आदिवासियों को जिन्दा जला दिया गया। *...(व्यवधान)*

आदिवासियों को जिन्दा जलाया गया, आप इस पर ध्यान दीजिए। वहां डगरवा पुलिस आउट पोस्ट के नखरेला गांव में भूमि का झगड़ा था। सरकारी जमीने थीं जिन पर संथाल खेती करते थे। उन संथालों को जमीन से बेदखल करने के लिए एक विशेष समुदाय द्वारा वहां आतंक का राज रविवार को किया गया। वहां अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और बच्चों को कुल्हाड़ी से काट डाला गया, उन्हें आग में डाल कर मारा गया। इस नरसंहार से बिहार में फिर से जंगल राज होने का प्रमाण प्रस्तुत हुआ है। लालू, राबड़ी राज में हमेशा हरिजन आदिवासियों की बात की जाती है लेकिन आदिवासियों के साथ वहां कैसा बर्ताव हो रहा है, इसे आप देखें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, आपने पहले ही यह निर्णय दे दिया है कि 'हरिजन' शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए *...(व्यवधान)*। अध्यक्षपीठ ने पहले ही वह निर्णय दे दिया है।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : उनके कातिलों को भी सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। पुलिस ने आग लगाते हुए देखा लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस को सुबह नौ बजे खबर कर दी गई थी लेकिन पुलिस उस गांव में दिन के एक बजे तक नहीं पहुंची। उन लोगों को घेर कर मारा गया और आग लगा दी गई। मारे गए लोगों में ज्यादातर वही लोग हैं जिनके मसीहा होने का दावा लालू और राबड़ी किया करते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कांस्टीट्यूशनल वर्ड है, संवैधानिक शब्द है 'अनुसूचित जाति तथा अनुसचित जनजाति' न कि 'हरिजन'।

...(व्यवधान)

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष महोदय, बिहार में रोज औसतन 18 लोगों की हत्याएं हो रही हैं और वहां की सरकार चुप है। वहां सब लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। मैं आपसे मांग करती हूं कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे कि वहां गरीब आदिवासियों और हरिजनों की सुरक्षा का समुचित प्रबंध हो और जमीन के विवाद के कारण हरिजनों और आदिवासियों की जान न ली जाए। मैं उनके लिए पूरी सुरक्षा मांगती हूं और जो पुलिस खबर करने पर भी उन्हें बचाने के लिए नहीं गई बल्कि जब आग लगा दी गई उसके बाद पहुंची, उनको दंड दिया जाए।

महोदय, मैं पुन: मांग करती हूं कि बिहार की ऐसी जालिम सरकार को बर्खास्त किया जाए, बिहार से जंगल राज समाप्त किया जाए। *...(व्यवधान)* इस जंगल राज को समाप्त किए बिना बिहार में हरिजनों और आदिवासियों का कल्याण नहीं हो सकता। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, आपको यह बात बतानी चाहिए कि 'हरिजन' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा *...(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

अध्यक्ष महोदय : महोदया, संविधान के अनुसार आपको हरिजन शब्द की बजाय 'अनुसूचित जाति' तथा 'अनुसूचित जनजाति' शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू (दक्षिण मद्रास) : महोदय, दक्षिण भारतीय नाडार समुदाय, जिससे स्वर्गीय के. कामराज संबंध रखते थे, का इस शताब्दी के दौरान सामाजिक विकास हुआ है और पिछले 7 वर्षों के दौरान तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक नाम की बैंकिंग संस्था इनके नियंत्रण में थी *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ श्री बालू बोल रहे हैं, उसके अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा....

*...(व्यवधान)**

श्री टी.आर. बालू : तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक के परिसंघ के नियमानुसार बैंक को गरीबी दूर करने के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में नाडार समुदाय के लोगों की मदद करनी चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बालू के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 1.02 बजे

[श्री वसुदेव आचार्य *पीठासीन* हुए]

श्री टी.आर. बालू : महोदय शेयर बाजार में हुए हेर-फेर के दौरान, इस बैंक का प्रबंधन उनके नियंत्रण में नहीं रहा और किसी बाहरी व्यक्ति के पास चला गया, अब वह फिर से तमिलाडु मर्केन्टाइल बैंक का प्रबंध अपने हाथ में लेना चाहते हैं। डा.

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कालागर करूणानिधि और हमारी पार्टी इस समुदाय की इस मांग का पूर्णत: समर्थन करती है। श्री बी. रामचन्द्र आदित्यन की अध्यक्षता में नाडार महाजन बैंक शेयर निवेशक' संघ ने चेन्नई में एक विशाल रैली आयोजित की और नए पदस्थ व्यक्ति को शेयर अन्तरित न करने के लिए यह मामला भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा कि यह समुदाय शेयरों को खरीदने और प्रबंध का कार्यभार उठाने के लिए तैयार है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया स्थान ग्रहण करें ...

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री बालू के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री टी.आर. बालू : तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक का मुख्यालय, बैंकिंग राजस्व तथा बीमा मंत्री श्री जनार्दनन के निर्वाचन क्षेत्र में स्थित हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में इस बात का वचन दिया था और यह आश्वासन दिया था कि वह तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक का प्रबंध बाहर के लोगों से वापस लेंगे और उस समुदाय को सौंप देंगे जिससे वह संबंधित है। उनके आश्वासन का क्या हुआ? इस बात में क्या रहस्य है कि वह ऐसा नहीं कर रहे हैं? यदि वह अपने वचन को पूरा नहीं कर सकते हैं तो उन्हें इस्तीफा देकर इस मंत्रालय से बाहर हो जाना चाहिए।

श्री जनार्दनन ने न केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को धोखा दिया है बल्कि अपने समुदाय के लोगों को भी धोखा दिया है। मैं इस सरकार विशेषकर कि माननीय प्रधान मंत्री से मांग करता हूं कि वह मामले की मध्यस्थता करें और देखें कि यथास्थिति बहाल हो ताकि तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक के मामले में नाडार समुदाय की भावनाओं को समर्थन मिले।

डा. उल्हास वासुदेव पाटील (जलगांव) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया। यह सभा दलितों पर अत्याचारों के संबंध में चर्चा कर रही है लेकिन महाराष्ट्र में मेरे जिले जलगांव में एक अप्रिय घटना घटी है। पिछले सप्ताह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पुलिस ने दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों पर अंधाधुंध गोली चलाई। भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर कुछ लोगों ने उनके चित्र और बोर्ड को हानि पहुंचाने की कोशिश की। मेरे जिले में इसी तहसील में इसी तरह की घटनाएं हुई। दुर्भाग्यवश पुलिस ने दलित समुदाय पर अंधाधुंध गोली चलाई जो कि उस क्षेत्र में मौन प्रदर्शन कर रहे थे। इस घटना में, अनेक महिलाएं और दलित लोगों को सिविल अस्पताल, जलगांव में दाखिल किया गया था। मैं सरकार से और माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर ध्यान दे और सभा के सम्मुख एक वक्तव्य प्रस्तुत करें।

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : सभापति महोदय, उत्तर बिहार के मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी जिलों में सड़कों का निर्माण और नवीकरण रक्षा मंत्रालय की बॉर्डर रोड संस्था से करवाया जाए। चीन ने नेपाल के बहुत अन्दर तक भारत नेपाल सीमा पर सड़क बना दी है। हमारे रक्षा मंत्री पहले ही कह चुके हैं और आज से तीन-चार दिन पहले शहरी विकास मंत्री का भी बयान आया है कि भारत को सबसे ज्यादा खतरा चीन से है। भारत की सुरक्षा की दृष्टि से मधुबनी की सड़कें, जो भारत नेपाल सीमा पर स्थित हैं, उनको बनाया जाना नितांत आवश्यक है। मेरी मांग है कि रक्षा मंत्रालय की बॉर्डर रोड संस्था से मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी की सड़कों को बनाया जाए। दरभंगा में वायु सेना का भी हवाई अड्डा है। सुरक्षा की दृष्टि से वहां आवागमन होना नितान्त आवश्यक है। मेरी मांग है कि बॉर्डर रोड संस्था से इन सड़कों का निर्माण करवाया जाए।

श्री रामनारायण मीणा : सभापति महोदय, इस सदन में हर समय किसानों के हित की बात होती है। किसानों के हित की बात कहने वाली यह सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। पिछले दिनों डी.ए.पी. खाद के बारे में विचार हुआ था। मैं पिछले हफ्ते की घटना बताना चाहता हूं। राजस्थान के कोटा संभाग में जिसे हाड़ोती कहते हैं, बूंदी झालावाड़ में डी.ए.पी. खाद की कमी से किसान परेशान हैं। लाइन में लगे किसानों पर पुलिस ने ज्यादती की। एक-एक कट्टे डी.ए.पी. खाद के पीछे 15-15 कट्टे यूरिया देने की जो बात हो रही है, उसमें कालाबाजारी हो रही है। वहां अभी भी खाद उपलब्ध नहीं है। कृषि मंत्री ने इस बारे में स्टेटमेंट दिया था। राजस्थान में डी.ए.पी. खाद की कमी है। सरकार की अदूरदर्शिता के कारण यह कमी हर साल होती है। इस बारे में नीति न बनाना, सबसिडी देने के बारे में नीति निधारित न करना और पांच-पांच दिन में अनुदान देने की नीति को बदला जाना यह सरकार की नीयत को दर्शाता है। किसानों के हित की बात कहने वाली सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हमारे यहां नहरें सूख गई हैं। चम्बल कमांड की नहरें जर्जर हालत में हैं। कोटा सम्भाग के हाड़ोती क्षेत्र में बहुत बुरी हालत है। वह केशोराम पाटन और लाखेरी का एरिया हो या चम्बल कमांड का एरिया हो, सब जगह हालत खराब है। वहां किसानों को खाद नहीं मिल रही है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस बारे में एक सुनिश्चित नीति बनाए और इसका समुचित प्रबन्ध करें।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं त्रिवेन्द्रम में स्थित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संबंध में बोल रहा हूं। भारतीय विमान-पत्तन प्राधिकरण द्वारा इसकी पूर्णत: उपेक्षा की जा रही है। यह सभी जानते है कि मध्य-पूर्व अर्थात् खाड़ी देशों से हजारों लोग त्रिवेन्द्रम हवाई-अड्डे पर आते हैं। केन्द्र सरकार को भी इससे राजस्व तथा विदेशी मुद्रा की पर्याप्त धनराशि प्राप्त हो रही है। इस स्थिति में हवाई-अड्डे की उपेक्षा करना बिल्कुल असंगत है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह तत्काल मामले की मध्यस्थता करें ताकि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डों का दर्जा बढ़ाया जा सके। वहां यात्रियों के लिए बहुत कम सुविधायें उपलब्ध हैं। यात्रियों के लिए सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए और प्रस्तावित विकास संबंधी गतिविधियों को अविलम्ब आरम्भ करना चाहिए। हवाई अड्डे पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है।

अत: मैं नागर-विमानन मंत्री से दृढ़ता से अनुरोध करता हूं कि वह मामले की मध्यस्थता करें और देखें कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ न्याय हो जो कि भारत में एक अलग तरह का हवाई अड्डा है।

सभापति महोदय : श्री आर.एल.पी. वर्मा।

...(व्यवधान)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : महोदय, मैं भी इस विचार का समर्थन करता हूं। यह पूर्णत: उपेक्षित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जब श्री वी.पी. सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया। तब से, कुछ नहीं किया गया। यह हवाई अड्डा केरल के लिए महत्वपूर्ण है।
...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री आर.एल.पी. वर्मा।

[हिन्दी]

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, बिहार के कोडरमा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कोडरमा, गांवा एवं तिसरी प्रखंडों के सुदूर जंगली ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया का भीषण प्रकोप पिछले 2 महीनों से हो रहा है। बिहार सरकार बिलकुल सुप्त है। न डाक्टर की व्यवस्था है और न दवा उपलब्ध है। इस अव्यवस्था के कारण अब तक 350 लोग मर चुके हैं। इस संबंध में मैंने बिहार सरकार को लिखित रूप में दिया है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कोडरमा प्रखंड के ढाब पंचायत में 200 लोग मर चुके हैं। ढाब से चरकी जाने के लिये 10 किलोमीटर रोड नहीं बना जिससे रोगियों को अस्पताल ले जाना संभव नहीं होता। सारा रास्ता जंगल का है, इसलिये डाक्टर की गाड़ी नहीं जा सकती। इसी प्रकार तिसरी प्रखंड के कई गांवों में मलेरिया का प्रकोप हुआ है। इसी प्रकार गांवा प्रखंड में 105 लोग मरे हैं और करीब 3-4 सौ लोग बीमारी से प्रभावित हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कोडरमा जिला के इन मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में डाक्टर और दवा भिजवाने की व्यवस्था करें।

श्री चमन लाल गुप्त : सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर में जम्मू और हिमाचल प्रदेश में लगभग एक करोड़ डोगरी लोग रहते हैं जो डोगरी भाषा का उपयोग करते हैं। डोगरी अपने आप में एक सम्पूर्ण भाषा है। इस सदन में बहस करते संविधान में संशोधन करके 18 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखे जाने का प्रावधान किया है। हम लोग बड़े जोर से इस सदन में मांग कर चुके हैं कि डोगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा जाये। जिस तरह बाकी भाषाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है, उसी तरह से डोगरी भाषा को प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

सभापति महोदय, डोगरी लोगों ने हमेशा देश की आजादी के लिये बहुत बड़ा योगदान दिया है। इतना ही नहीं स्वतंत्रता के बाद देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुये 17 लोग शहीद हो चुके हैं। श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनमें से एक थे। उन डोगरी लोगों ने हमेशा राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखा है। इस बात को देखते हुये डोगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा जाये। साथ ही यह मांग भी करता हूं कि जिस तरह दूरदर्शन पर अन्य भाषाओं के न्यूज बुलेटिन होते हैं, डोगरी भाषा में भी न्यूज बुलेटिन प्रसारित किया जाये।

[अनुवाद]

श्री तपन सिकदर (दमदम) : महोदय, मैं इस सभा के माननीय सदस्यों का ध्यान इस माह की 15 तारीख को कलकत्ता के एक समाचार-पत्र में प्रकाशित एक समाचार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता में अपराधियों को मार गिराया। सभा को उत्तर प्रदेश पुलिस के साहस और निष्ठा की प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही मैं इस बारे में चिंतित हूं कि अब पश्चिम बंगाल अपराधियों आतंकवादियों और माफिया के लिए सुरक्षित स्थान बन गया है। मेरी यह मांग है कि केन्द्रीय गृह मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार को समर्थन दें ताकि भविष्य में इस तरह की गतिविधियां न हों।

सभापति महोदय : 'शून्य-काल' के दौरान अनेक सदस्यों ने बोलने के लिए नोटिस दिए हैं। यदि हम 'शून्य काल' का समय बढ़ा दें तो हम दोपहर के भोजन के लिए अवकाश नहीं देंगे। अत: मैं इस विषय के संबंध में सभा की राय जानना चाहता हूं।

श्री अजीत जोगी : महोदय, हमें कोई आपत्ति नहीं है और हम दोपहर के भोजनावकाश के बिना रह सकते हैं।

सभापति महोदय : यदि कोई दोपहर का भोजन करना चाहते हैं, तो वे जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से दामोदर नदी में सी.सी.एल. और बी.सी.सी.एल. की वॉशरीज और थर्मल पावर स्टेशन के द्वारा प्रदूषण फैलाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, सी.सी.एल. जो कोल इंडिया की इकाई है, उनकी वाशरीज से जितना भी डंप है वह सारा दामोदर नदी को पॉल्यूटेड कर रहा है। इसके पूर्व भी हमने यहां पर इस मुद्दे को उठाया था लेकिन गोल-मटोल जवाब आया है। आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस पर कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

***श्री के.पी. मोहन** (धर्मपुरी) : माननीय सभापति महोदय, तमिलनाडु में लाम्बाडी जनजातीय लोगों को अभी तक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया है। वर्ष 1989 में, इस संबंध में तमिलनाडु विधान सभा में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया गया था। तब तत्काल केन्द्र सरकार को तमिलनाडु के लाम्बाडी जनजातीय लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के अनुरोध के साथ संकल्प भेजा गया था। लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसके साथ ही अन्य राज्यों में लाम्बाडी इस अधिसूचना और अनुसूचित जनजातियों को दी जाने वाली सम्बन्धित आरक्षण सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

***श्री एम.टी. थणमुगम** (वेल्लोर) : महोदय, पुणे और मुम्बई के बीच ई.एम.यू. के रूप में उपनगरीय रेलगाड़ियां चलाई जाती हैं। दूरवर्ती स्थानों पर रहने वाले यात्रियों को इससे काफी लाभ होता है। इससे पुणे में रहने वाले लोग मुम्बई में कार्य कर सकते हैं। वह प्रतिदिन अपने कार्य स्थलों पर जाते हैं। इसी तरह से विद्युत रेलगाड़ियां—ई.एम.यू. चेन्नई और काटपाडी के बीच भी चलाई जानी चाहिएं। इससे वेल्लोर और काटपाडी नगरों और पड़ोसी ग्रामीण इलाकों के अधिकांश ग्रामीणों को लाभ होगा। चेन्नई और अराकोनम के बीच लगभग आधे घंटे से एक घंटे के अन्तराल में 20 रेलगाड़ियां चलती हैं। उन रेलगाड़ियों को काटपाडी तक कर देना चाहिए।

मैं रेल मंत्रालय से यह भी अनुरोध करता हूं कि चेन्नई-मैसूर और चेन्नई-कोयम्बटूर शताब्दी एक्सप्रैस रेलगाड़ियों के लिए काटपाडी में ठहराव की व्यवस्था प्रदान की जाए। अराकोनम-काटपाडी संभाग में सिगनलों को स्वचालित सिगनल प्रणाली में बदलने के लिए भी कदम उठाने चाहिएं। चेन्नई से चलने वाली ई.एम.यू. रेलगाड़ियों को काटपाडी तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। ऐसे संबद्ध कार्यों के लिए 22 करोड़ रु. निर्धारित किए गए हैं। लेकिन अब तक केवल 6 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसलिए, मैं रेल मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह चालू कार्य को समाप्त करने के लिए शेष धनराशि शीघ्रातिशीघ्र जारी करें।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति जी, एक मिनट बोलने का मौका दीजिए।

सभापति महोदय : बाद में देंगे।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : फिर मंत्री जी चले जाएंगे।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सभापति महोदय : मंत्री जी आपके लिए रहेंगे। अभी पुन्नू लाल मोहले जी को बुलाया है।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : माननीय सभापति जी, मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि 18 दिसंबर को संत बाबा गुरू घासीदास जी की जयन्ती पर्व के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश वर्षों से घोषित किया जा चुका है। इस अवसर पर सन्त गुरू घासीदास जी के डाक-टिकट भी जारी किये जा चुके हैं। संत गुरू घासीदास जी का विश्वविद्यालय भी बिलासपुर में स्थापित है। मेरा निवेदन है कि सतनामी समाज और उनके उपासक मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों और संपूर्ण भारत में कोने-कोने में करोड़ों की संख्या में फैले हुए हैं। वे अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं।

संत बाबा घासीदास जी का जन्म 18 दिसंबर को ग्राम गिरौदपुरी, जिला रायपुर, मध्य प्रदेश में हुआ था। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार ने जिस तरह अन्य समुदायों के महापुरुषों की पुण्य तिथि पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, उसी तरह करोड़ों सतनामी समाज एवं संत बाबा गुरु घासीदास जी की उपासना करने वालों की भावना का आदर करते हुए 18 दिसंबर को बाबा गुरू घासीदास जी की जयन्ती पर्व पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने की कृपा करें।

श्री अजीत जोगी : जो मांग इन्होंने की है, हम लोग भी उसका समर्थन करते हैं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मुझे एक मिनट बोलने दिया जाए। यह सारे सदस्यों का मामला है।

सभापति महोदय : हमने सुदीप बंधोपाध्याय जी को बुलाया है। आप बाद में बोलियेगा।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : यह सारे माननीय सदस्यों का मामला है।

सभापति महोदय : हम समझते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सर, मुझे बोलने का मौका कब मिलेगा?

सभापति महोदय : आपको बाद मे मौका मिलेगा।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : महोदय, यहां श्री राम नाइक जी बैठे हैं, वे बाद में चले जायेंगे। यह उनके तथा सबके हित की बात है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने श्री सुदीप बंधोपाध्याय को पुकारा है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सर, यह बहुत सीरियस मामला है, हम इसे जीरो ऑवर में नहीं उठायेंगे तो कब उठायेंगे। श्री राम नाईक जी चले जायेंगे, वे हमारे मंत्री हैं और इस मामले में वे हमारे लीडर भी है।

सभापति महोदय : फातमी जी, आप बैठिये। हम भी जानते हैं कि यह सबका मामला है।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : सभापति महोदय, हम अधिक रुपये चाहते हैं तो सब लोग बोलने नहीं देते हैं, इनको बोलने दीजिए, यह सबके हित की बात है *...(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति महोदय, मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमैंट फंड में हम लोगों को एक करोड़ रुपया लगातार मिल रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने यहां घोषणा की थी कि इस साल से उसे बढ़ाकर दो करोड़ कर दिया जायेगा।

सभापति महोदय : फातमी जी, आप बैठिये, मैंने श्री सुदीप बंधोपाध्याय को बुलाया है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सर, यह सारे सांसदों का मामला है। सरकार ने वायदा किया है सदन के बाहर पब्लिक हमें पकड़कर पूछ रही है कि दो करोड़ रुपये कहां गये। अपने एरिया के डेवलपमैंट के लिए अवाम हमें खोज रही है। कांस्टीटुएंसी में हम लोगों की पिटाई हो रही है। यदि आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। आज मंत्री जी यहां मौजूद हैं। यह किसी एक सदस्य या पार्टी का मामला नहीं है, यह सदन के सारे सांसदों का मामला है। श्री राम नाइक जी, मंत्री है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि यह इन्हीं की लीडरशिप में हुआ है। श्री राम नाइक जी, आज जब आप मंत्री हो गये तो इतने कमजोर कैसे हो गये। जब आप अपोजीशन में थे तब तो आपने एक करोड़ करवा लिया था। आज आप सरकार में है और आपने अनाउंस भी किया है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। माननीय प्रधान मंत्री

जी ने यहां कहा है कि इस साल से इसको बढ़ाकर दो करोड़ रुपये कर दिया जायेगा। फिर क्या बात है, यह एक करोड़ से दो करोड़ क्यों नहीं हो पा रहा है? आज हम लोग इलाके में जाते हैं तो लोग हमसे सवाल करते हैं कि पैसा कहां गया? अगर नहीं करना है तो यहां अनाउंसमैंट कर दीजिए कि हम इसे दो करोड़ नहीं कर रहे हैं, वरना यहां बताने का काम कीजिए कि आप इसे दो करोड़ कब कर रहे हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति जी, यह सारे सांसदों का प्रश्न हैं और अखबार में इसके बारे में छप जाने से सभी जगहों पर कार्यक्रम बन गये हैं। लोग हमसे पूछ रहे हैं। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, वे इस बारे में कुछ तो बतायें। पिछले सत्र में माननीय प्रधान मंत्री जी ने सदन में ऐलान किया था कि हम इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। यह बात प्रधान मंत्री जी ने जुलाई में कही थी और आज इतने महीने बीत जाने के बाद भी प्रधान मंत्री जी की गंभीरता से विचार करने वाली बात का क्या हुआ?

श्री अजीत जोगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, कृपया वे सदन को सूचित करें कि इस बारे में क्या स्थिति है। आप इस बारे में कई बार बोल चुके हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया इस बारे में रीएक्ट करें।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सर, मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री अजीत जोगी : सर, आप मंत्री जी को बोलने के लिए कहें।

सभापति महोदय : हम मंत्री जी को डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। यदि वह बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं।

श्री राम नाईक : सभापति जी, यह विषय माननीय सदस्य बार-बार उठा रहे हैं और स्वाभाविक है यह एक चिंता का विषय है, हर एक को लगता है कि यह जल्दी होना चाहिए। जब लोक सभा अध्यक्ष के साथ सभी पार्टियों के नेताओं की बैठक हुई थी तब उसमें इस पर विचार हुआ था। उसके बाद राज्य सभा के अध्यक्ष के साथ सभी पार्टियों के नेताओं की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई और सामान्यत: दोनों मीटिंग्स में यह तय हुआ कि एक करोड़ रुपये को बढ़ाकर दो करोड़ कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा इस प्रकार की सिफारिश भेजी गई है।

सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जो इंटरेस्ट (ब्याज) है उसका उपयोग कैसे करें क्योंकि उसके बारे में अब तक कोई स्पष्ट गाइड लाइन नहीं हैं। इस प्रकार से ऐसे दो विषयों पर चर्चा हुई है। इसमें से मोटे तौर पर इस प्रकार का विचार बन गया है कि धनराशि पर जो ब्याज बनेगा उसका उपयोग गाइड लाइन के अनुसार विकास कार्यों के लिए करना चाहिए, ऐसी एक सहमति दोनों तरफ हुई है और ऐसी सहमति होने के बाद यह मामला एक नोट के रूप में प्रधान मंत्री जी के पास भेजा गया है। मैंने गत सप्ताह भी कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री इस संबंध में तत्परता से विचार-विमर्श कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति महोदय, मात्र तीन महीने बचे हैं।

श्री राम नाईक : जो स्थिति है वह मैं बता रहा हूं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मंत्री जी, कुछ दिनों बाद तो हम दूसरी सदी में चले जाएंगे।

सभापति महोदय : फातमी जी, बैठिए। कृपया मंत्री जी को बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : सरकार इस पर विचार कर रही है और जल्द से जल्द निर्णय ले लिया जाएगा ...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : यहां तक कि पहले से आबंटित धनराशि को भी सम्बन्धित जिला कलैक्टर को नहीं दिया गया है। जो धनराशि आपने आबंटित की है, वह उनको प्राप्त नहीं हुई है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : इस समय मैं यहां सभी सदस्यों के समक्ष यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री मोतीलाल वोरा : मंत्री महोदय, दूसरी किस्त अभी तक जारी नहीं हुई है। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.27 बजे

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

श्री राम नाईक : मैं 1998-99 के बारे में आपको बता दूं कि यदि कोई ऐसे सदस्य हों जिन्होंने पहले के अमाउंट के संबंध में प्रोजैक्ट दे दिए हैं और सैंक्शन हो गए हैं या अनसैंक्शन्ड प्रोजैक्ट भी हों, लेकिन उनकी धनराशि 50 लाख से नीचे आ गई है, तो उन्हें दूसरी किस्त देने की व्यवस्था की है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे स्थान हैं जहां के कलैक्टर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इस प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं भेज रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : हां, आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं। महाराजगंज के कलैक्टर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेज रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : सभापति महोदय, मैं फिर सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने क्षेत्र के कलैक्टरों से इस प्रकार के सर्टिफिकेट भिजवाएं कि धनराशि 50 लाख रुपए से नीचे आ गई है या सर्टिफिकेट लाने की कृपा करें। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा सर्टिफिकेट आने के 8-10 दिन के अंदर जो आपकी दूसरी किस्त है वह भेज दी जाएगी।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंधोपाध्याय (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री का ध्यान महिलाओं से छेड़-छाड़ के बहुत ही गंभीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। आज हमारे देश में महिलाओं से छेड़-छाड़ एक सामाजिक बुराई बन गई है जो धीरे-धीरे हमारे देश के हर शहर में बढ़ रही है। पिछले ही हफ्ते, एक राष्ट्रीय बास्केट बाल खिलाड़ी रेखा चौधरी पर कलकत्ता में कार पर सवार गुंडों ने गंभीर हमला किया, उस बेचारी को घसीटा, ठोकरें मारी और घसीटकर शहर से बाहर ले जाने का प्रयास किया। सौभाग्यवश उसके मित्रों ने उस स्थान पर जाकर बहादुरी से राष्ट्र प्रसिद्ध बास्केटबाल खिलाड़ी रेखा चौधरी को बचा लिया।

कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में भी एक कालेज की छात्रा पर इसी तरह कुछ गुंडों ने हमला किया था और वह घायल होकर मर गई ।

महोदय, महिलाओं से छेड़खानी की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जिससे हमारी स्कूली और कालेजी युवा लड़कियों का जीवन काफी दयनीय हो गया है। एक सामाजिक बुराई के रूप में उभरती जा रही छेड़खानी की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए तुरंत भरसक प्रयास किए जाने चाहिए। भारत सरकार को, इस मामले को इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिये और इसके समाधन को सर्वोच्च वरीयता देनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक लोक महत्व के सवाल की तरफ खींचना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि धीरे-धीरे उद्योग धंधे बन्द करने का एक सिलसिला बन गया है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने अभी 51 फैक्ट्रियों को लखनऊ में बन्द कर दिया। आज से पहले पांच चीनी मिलों को भी बंद कर दिया गया। भारत सरकार के नियंत्रण में चलने वाली चार चीनी मिलों में से गौरी बाजार, पडरौना और कदकुइयां को भी बंद कर दिया गया है। ठीक इसी तरह से चुर सीमेंट फैक्ट्री को भी बंद करने का काम किया गया जिसके सवाल को लेकर मजदूरों ने विधान सभा के सामने सत्याग्रह किया जिसमें एक मजदूर की मृत्यु विधान सभा के सामने हो गयी। आज ऑप्ट्रान कारखाने के मजदूर और अन्य मिलों में काम करने वाले मजदूर सड़कों पर आ गये हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जो उद्योग धंधे चलाये जा रहे हैं, उनको धीरे-धीरे समाप्त करने की प्रक्रिया की जा रही है। आप उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देकर इस कार्य को बंद कराये और जो बंद मिले हैं, उन्हें पुनः चालू कराने का काम करें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय सभापति जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को उठाने की मुझे इजाजत दी। सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वह हर नागरिक की जान-माल और इज्जत की हिफाजत सुनिश्चित करें। खास तौर से ऐसे लोग जिनके ऊपर किसी संवैधानिक दायित्व को पकड़ने की जिम्मेदारी है या वह खास राजनीतिक मत रखते हैं या उनका कोई खास दृष्टिकोण है। उनको उत्पन्न होने वाले खतरों से बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। पिछले लगभग दो-तीन महीने से बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इस सदन में बहुजन समाजवदी पार्टी के पार्लियामैंट ग्रुप की नेता सुश्री मायावती को धमकियां मिल रही हैं। इस संबंध में माननीय प्रधान मंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी से हम न केवल मिले हैं बल्कि उन्हें पत्र भी लिखे हैं। सम्मानित अध्यक्ष महोदय को भी हमने पत्र दिया। *...(व्यवधान)* मेरे बाद अगर वीरेन्द्र सिंह जी बोलें तो बहुत मेहरबानी होगी। *...(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति जी, आरिफ साहब जिस चिन्ता को कह रहे हैं, सुश्री मायावती जी कल्याण सिंह वगैरह सबको धमकियां देती है, उनको कौन धमकियां देगा?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इस तरह से बात नहीं होती। हमने सम्मानित अध्यक्ष महोदय को इस सिलसिले में ज्ञापन भी दिया। उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री जी को पांच अगस्त को पत्र लिखा। माननीय गृह मंत्री को लिखा लेकिन आपको यह जानकर खेद होगा कि पांच अगस्त की एक्नॉलेजमैंट दस अगस्त को आई लेकिन उसके बाद इस सिलसिले में क्या कार्यवाही हुई, वह कुछ नहीं बताया। अभी लखनऊ में मायावती जी हैं। लखनऊ में कुछ घटनाएं हुई हैं। उन्होंने इसी महीने की दस तारीख को महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा। मैं उनके पत्र से यह उद्धरण दे रहा हूं। उन्होंने लिखा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पत्र का उद्धरण देने की जरूरत नहीं है। आपने जिक्र कर दिया, वही बहुत है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : चूंकि बी.एस.पी. के विधायकों का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष उनके साथ रंजिश मानते हैं, ऐसा मायावती जी ने पत्र में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मेरी जान को भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल से खतरा है क्योंकि मैंने काशी, मथुरा और वाराणसी के मामले में उनके दबाव को मानने से इंकार कर दिया और किसी भी नयी परम्परा को ...*(व्यवधान)* इसी के साथ ...*(व्यवधान)* यह बाद में बोलें तो अच्छा होगा। मैं आपकी आज्ञा से बोल रहा हूं ...*(व्यवधान)* मुझे पूरा कर लेने दीजिए।

सभापति महोदय : अब आप आसन ग्रहण करिये।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेरा एक मामला और भी है। वह भी इतना ही महत्वपूर्ण है। ...*(व्यवधान)* आप मेरे दूसरे नोटिस को दखिये। ...*(व्यवधान)* मैंने लिखा है कि चेयरमैन माइनौरिटीज कॉमन डा. ताहिर मोहम्मद ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : दूसरा विषय नहीं चलेगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह सिक्योरिटी का मामला है। आप नोटिस देख लें।

सभापति महोदय : सिर्फ एक ही विषय लिया जायेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आप नोटिस देख लें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप मामले को डायलूट क्यों करना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सुश्री मायावती जी माननीय सदस्या हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उन्होंने मुझे अनुमति दी है। ...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद : महोदय, मुझे केवल एक मिनट चाहिए। मुझे आपकी अनुमति चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मुझे उन्होंने आज्ञा दी है, आप मालूम तो करिए, दोनों मामले उठाने की आज्ञा दी है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सुश्री मायावती जी के संबंध में आपका नोटिस था और आपने सवाल उठाया। सदस्यों की सुरक्षा का मामला जरूर गंभीर होता है और आप माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय अध्यक्ष महोदय से भी गुहार कर चुके हैं। आसन से सरकार को कहा जाता है कि हर सदस्य की सुरक्षा का ख्याल तो रखना ही है लेकिन माननीय नेता सुश्री मायावती जी का ख्याल ज्यादा करना है और सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला : शांति, मेरा भी नोटिस है, मुझे भी इस मामले में इजाजत दी जाए। ...*(व्यवधान)*

شری جی ایم بنات والا (پوننانی) : میرا بھی نوٹس ہے، مجھے بھی اس معاملے میں بولنے کی اجازت دی جائے۔...(مداخلت)

सभापति महोदय : मैं आपको मौका दूंगा, समय नष्ट न कीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन, डा. ताहिर मोहम्मद को दी गई सुरक्षा हटा ली गई है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैं सबको मौका दूंगा, कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला : जल्दी मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)* यह जिंदगी और मौत का सवाल है। ...*(व्यवधान)*

शरद जी एम बनात वाला (पोननानी) : جلدی موقع دیجئے۔...(مداخلت) یہ زندگی اور موت کا سوال ہے۔...(مداخلت)

सभापति महोदय : मैं मौका दूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, मैं एक ऐसी समस्या और ऐसे सवाल पर इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो सरकार से संबंधित है। वह आदिवासी भाइयों की समस्या है। उत्तर प्रदेश और मुख्य रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर में एक कोल आदिवासी जाति रहती है और उनकी संख्या लगभग 65,000 है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि कोल जाति के रहने वाले लोग मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में झांसी से बिहार के बार्डर चकिया तक उनका इलाका है। चिन्ता का विषय यह है कि कोल आदिवासी और प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आती हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में वह अनुसूचित जनजाति में नहीं आती। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोल आदिवासी जाति के लोगों के अनुसचित जनजाति में न आने के कारण उनको अनुसूचित जनजाति की जो सुविधा मिलनी चाहिए, वे उससे वंचित रह जाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि उत्तर प्रदेश में जो कोल आदिवासी भाई रहते हैं, उनको भी अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया जाए जिससे वे उन सुविधाओं से वंचित न रह सकें। यहां संबंधित संसदीय कार्य मंत्री उपस्थित हैं, उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का कोई आश्वासन दें। ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : यह वाजिब मांग है, इसे पूरा किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : सभापति जी, कुछ जातियां एक प्रदेश में अनुसूचित होती हैं, वही जाति अन्य प्रदेश में ओ.बी.सी. होती है, इस प्रकार की स्थिति है जैसे उदाहरण के लिए मैं राम नाईक हूं, नाईक लोग शैडयूल्ड कास्ट्स में हैं, शैडयूल्ड ट्राईब्स में हैं, ओ.बी.सी. में हैं, ब्राह्मणों में हैं, मराठा में हैं, सब जातियों में हैं और अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग होते हैं। इस बात के लिए पहले माननीय सदस्य के अपने प्रदेश की ओर से यह सिफारिश आनी चाहिए कि इस प्रकार का परिवर्तन करना है। ...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह : मेरे प्रदेश से इसकी अनुशंसा केन्द्र सरकार को आ चुकी है। ...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : आप सुनिए, मैं आपकी समस्या सुलझा रहा हूं। इस प्रकार की रिकमैंडेशन जब प्रदेश सरकार से आएगी तो इस बात को मिनिस्टर के सामने रखकर उसके बारे में उचित फैसला करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह : वह आ चुकी है।

सभापति महोदय, वह अनुशंसा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आ चुकी है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें कहीं कोई कल्पना की जरूरत नहीं है, उसमें सीधे सरकार के आदेश की जरूरत है।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला : सभापति महोदय, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन की स्थिति काफी असुरक्षित है। उन्हें पूरी सुरक्षा दिये जाने की आवश्यकता है। इसके विपरीत यह जानकर और भी दुख होता है कि जो [illegible] सुरक्षा अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डा. ताहिर महमूद साहिब को दी गई थी वह भी बिना नोटिस के यकायक हटा दी गई। यह बहुत दुखदायी और नासमझी भरी कार्रवाई है जो बिना गंभीर खतरे का विचार किये की गई है जो अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन के सामने पेश है। जो न्यूनतम सुरक्षा प्रदान की गई थी वह भी अचानक ही 12 दिसम्बर को हटा ली गई थी।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था को पुन: बहाल किया जाए, अन्यथा अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन की जान को काफी खतरा हो जाएगा। न केवल सुरक्षा व्यवस्था बहाल की जाए बल्कि इसे मजबूत भी किया जाए। यह महसूस किया जाना चाहिए कि यह मामला बहुत महत्व का है और इस पर तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

हमें यह भी जानना चाहिए कि ऐसे बिना कोई नोटिस दिये और बिना विचारे इस तरीके से लिये गये निर्णय के लिए कौन जिम्मेवार है। मैं सरकार पर यह आरोप भी लगाता हूं कि सरकार अल्पसंख्यकों के मामले में तथा अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन की सुरक्षा के संबंध में लापरवाह है। यह लापरवाही असह्य है, खासकर जबकि यह सभा अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचारों के बारे में चर्चा कर रही है। ऐसी स्थिति में, बिना किसी नोटिस के न्यूनतम सुरक्षा भी हटा ली गई।

महोदय, सरकार द्वारा तुरंत कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। सरकार को इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। मैं कुमारी मायावती की सुरक्षा की भी बात करना चाहता हूं। यह मामला पहले भी उठाया जा चुका है।

श्री ई. अहमद : सरकार को इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : उसमें क्या है? वह हो गया।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला : एक ओर जहां सभा अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की चर्चा कर रही है, वहीं दूसरी ओर चेयरमैन की सुरक्षा हटा ली गई है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब आपने सवाल उठा दिया।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : हम यह जानना चाहेंगे कि यह क्यों हटा ली गई है। *...(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला : मैं सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। *...(व्यवधान)* आपको सरकार को निदेश देना होगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इस मामले में आसन से सरकार को निदेश नहीं दिया जा सकता। सरकार के मंत्री चाहें तो उठकर बोल सकते हैं। कृपा कर आसन ग्रहण करें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला : आप निदेश दें *...(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद : हम यह जानना चाहते हैं कि यह क्यों किया गया है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपने सवाल उठा दिया, हो गया।

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, आपको निदेश अवश्य देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, आप सरकार को सुरक्षा व्यवस्था बहाल करने का निदेश दें। *...(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद : हमें यह पता होना चाहिए कि यह क्यों किया गया है। *...(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : मैं माननीय सदस्यों की संवेदनाओं को गृह मंत्री जी तक पहुंचा दूंगा। *...(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला : भावनाओं को पहुंचाने से ही काम नहीं चलेगा। मैं सुरक्षा व्यवस्था बहाल किए जाने की मांग करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। श्री बनातवाला, कृपा कर आसन ग्रहण करें।

[अनुवाद]

श्री सुगुण कुमारी चलामेला (पेद्दापल्ली) : धन्यवाद सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहती हूं। मैं इस पवित्र सदन को नेपाल द्वारा बिहार की भूमि का अतिक्रमण किये जाने के मामले से अवगत करवाना चाहती हूं। नेपाल ने बिहार की 5,839.94 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है। यह गरीब विकासशील देश इतनी मूल्यवान भूमि का नुकसान नहीं उठा सकता।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि इस बारे में आवश्यक उपचारात्मक उपाय करें और इसका समाधान शांतिपूर्ण ढंग से आपसी बातचीत से किया जा सके।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगी कि मंत्रालय को समुचित उपचारात्मक उपाय करने का निदेश दें।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : सभापति जी, उत्तरांचल राज्य का गठन करने वाले विधेयक को संसद के इसी सत्र में प्रस्तुत किया जाए, इस आशय का नोटिस मैंने दिया है। मेरा निवेदन करना यह है कि उत्तरांचल आंदोलन में 1 सितम्बर, 1994 को पहली शहादत ऊधमसिंह नगर के खटीमा नामक स्थान पर सरदार परमजीत सिंह द्वारा दी गई। उसके बाद कम से कम 40 लोग इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। समाचार पत्रों में यह समाचार आया था कि इस सत्र में यह विधेयक नहीं आ पाएगा। इस कारण उत्तरांचल में भारी जनआंदोलन फिर से खड़ा हो गया है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और वनांचल राज्यों के सम्बन्ध में मूल रूप से विधेयक प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया जा रहा है, उसी तरीके से उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में जो ड्राफ्ट बिल उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया था उसको मूल रूप से प्रस्तुत किया जाए और संशोधनों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाए। यदि यह विधेयक इस सत्र में नहीं लाया गया तो पुन: हमारे क्षेत्र में व्यापक जनआंदोलन हो सकता है। इसलिए जनहित, राष्ट्रीय एजेंडा और सरकार द्वारा किए गए कमिटमेंट को देखते हुए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सत्र के केवल छ: दिन बचे हैं इसलिए इस दौरान इस विधेयक को निश्चित रूप से लाया जाए।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामले की तरफ इस सभा और जल संसाधन मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एन.पी.सी.सी. के कर्मचारी 14 दिसम्बर से धरने पर बैठे है क्योंकि उन्हें पिछले सत्तरह से बीस महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। कुप्रबंधन, व्यापक भ्रष्टाचार और क्रयादेश न मिलने के कारण 1990 से कम्पनी की हालत बिगड़ती चली गई है। कम्पनी की हालत इस हद तक बिगड़ गई है कि सुदूर क्षेत्रों में कार्यरत लगभग 2000 कर्मचारियों को उनका वाजिब मासिक वेतन तक नहीं दिया गया और 1994-95, 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के लिए बोनस और अनुग्रह राशि जैसे अन्य सांविधिक देय राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। एन.पी.सी.सी. और सी.पी.एल. की बकाया राशि 9 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपका हो गया, आपने सवाल उठा दिया, इस पर बहस नहीं हो सकती।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुनील खां : महोदय, मोजरा थर्मल पावर स्टेशनों पर एन.पी.सी.सी. द्वारा किया जा रहा काम प्रबंधन द्वारा रोक दिया गया था और इसके लिये निजी क्षेत्र को नया आर्डर दे दिया गया था। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह सी.बी.आई. से इस बात की जांच करवाये कि एन.पी.सी.सी. द्वारा पहले ही शुरू किया काम क्यों रोक लिया गया था और इसे निजी क्षेत्र को क्यों दे दिया गया। क्या उसके किसी अनुग्रह के बदले में ऐसा किया गया है।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : सभापति महोदय, इस महान सदन में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। नवनिर्मित नमक्कल जिला मुख्यालय के अन्दर और आसपास लगभग नब्बे से पचानवे लाख अंडों का उत्पादन हो रहा है। वहां लगभग 15,000 पोल्ट्री फार्म हैं। इन पोल्ट्री फार्मों में तथा अन्य अनुषंगी उद्योगों में तीन से पांच लाख ग्रामीण मजदूर कार्यरत हैं। इस संबंध में मेरा सरकार से अनुरोध है कि न केवल भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बल्कि पोल्ट्री उत्पाद के निर्यात के लिए भी तुरंत प्रशीतन गृह खोले जाएं। प्रशीतन पूर्व सुविधाएं भी स्थापित की जानी चाहिए जिसके लिए नमक्कल जिले में पशुचिकित्सा कालेज परिसर में भूमि उपलब्ध है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस संबंध में तुरन्त कार्रवाई की जाए।

[हिन्दी]

वैद्य विष्णु दत्त : जम्मू-कश्मीर में ट्यूरिज्म सबसे बड़ा उद्योग है। जम्मू-कश्मीर में प्रतिवर्ष 60 से 70 लाख के करीब यात्री आते हैं, उनमें से 55 लाख के करीब यात्री वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं। इन सब यात्रियों की इच्छा रहती है कि वे वापसी में हरिद्वार होकर जाएं। मैंने इतनी बार प्रार्थना की है कि जम्मू से लेकर हरिद्वार तक एक सीधी रेलगाड़ी प्रारम्भ की जाए जो यात्रियों की इस मंशा को पूरी कर सके। इसके

अलावा मेरी प्रार्थना है कि जालंधर से लेकर जम्मू तक रेलवे लाइन को दोहरी रेलवे लाइन बनाया जाए ताकि वहां जो रेलें लेट पहुंचती हैं, वे समय पर पहुंच सकें।

श्री मोतीलाल वोरा : सभापति जी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में सभी प्रांतों में डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. खाद की भारी कमी है। माननीय मंत्री महोदय का मैंने अनेकों बार ध्यान आकर्षित किया लेकिन खाद की कमी को पूरी करने में सरकार असफल रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. खाद की सप्लाई करे अन्यथा वही हाल होगा जैसे प्याज और आलू के कारण इनकी सरकारें गई थीं। अब खाद की कमी के कारण देश के अन्य प्रांतों में इनकी सरकारें जाएंगी।

[अनुवाद]

श्री बी.एम. मेनसिंकाई (धारवाड़ दक्षिण) : हावेरी रेलवे स्टेशन पर उस समय एक अंडर-ब्रिज का निर्माण किया गया था जब छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदला जा रहा था। लोग उस पुल से आना जाना नहीं कर रहे हैं। यह पुल राज्य राजमार्ग पर स्थित है। इसका डिजाइन गलत बना था जिसके परिणामस्वरूप लोगों को काफी तकलीफ उठानी पड़ रही है। महोदय, आपके माध्यम से मैं रेल मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि इस पुल का डिजाइन और निर्माण फिर से करवाया जाये।

डा. एस. वेणुगोपालाचारी (अदिलाबाद) : महोदय, मैं इस महान सभा तथा माननीय उद्योग मंत्री का ध्यान सीमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया की आदिलाबाद शाखा, जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, के कर्मचारियों को वेतन की अदायगी न किए जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बावजूद इसके कि सी.सी.आई. द्वारा सीमेंट का उत्पादन किया जा रहा है और मुम्बई तथा अन्य स्थानों को भेजा जा रहा है। सभी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सी.सी.आई. की अदिलाबाद शाखा में उत्पादित सीमेंट की बिक्री से अधिकारियों को तो आय मिल रही है किंतु श्रमिकों को उनकी मजदूरी की अदायगी भी नहीं की जा रही है। मैं माननीय उद्योग मंत्री तथा भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सी.सी.आई. की आदिलाबाद शाखा के प्रबंधकों को तत्काल निर्देश दें कि वह श्रमिकों को उनके वेतन का शीघ्र भुगतान करें।

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) (उ.प्र.) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर जनपद में किसानों को खेती के लिए पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। इस समय जो गेहूं और मटर की फसलें बोई जा चुकी हैं, उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। जो फसलें नहीं बोई गई हैं, उनके खेतों की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां के बांधों में भारी सिल्टिंग आ गई है। लैटूरा बांध ...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : बिहार वालों को क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? ...*(व्यवधान)* आसन बिहार से इतना नाराज क्यों है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम सभी लोगों को बोलने देते हैं।

श्री गंगा चरण राजपूत : लैटूरा बांध में भारी सिल्टिंग आ गई है। उसकी कैपेसिटी कम हो गई हैं। इस कारण नहरों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विराट सागर बांध परियोजना केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं। केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि विराट सागर बांध परियोजना को विश्व बैंक से स्वीकृति प्रदान कराई जाए और 350 करोड़ रुपए उसे दिए जाएं जिससे बांध बनने से किसानों को पानी मिल सके।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र रांची के अन्तर्गत हमरू हेतु और खराताड़, गड़ातौली, पीपरतौली, वहां पर मिलिट्री छावनी हैं। सेना के जवानों द्वारा गांव के गरीब, हरिजन, आदिवासी तथा पिछड़े वर्गों के जो किसान हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। इसकी सूचना बराबर सरकार को दी गई है। उनका अपना घर टूटता है तो वे उन्हें मरम्मत करने नहीं देते हैं। वे उसे अपना घर नहीं बनाने देते हैं। तालाब में महिलाओं के साथ छेड़खानी, धर्मस्थल में हस्तक्षेप और मुर्दाघाट में मुर्दों को गाढ़ने में भी आपत्ति करते हैं। इस प्रकार वहां के लोग काफी भयभीत हैं। वहां कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। इसकी जानकारी समय-समय पर सरकार को दी गई है कि वे लोग इनको कई वर्षों से परेशान कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इसकी जांच तुरन्त कराई जाए और दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए तथा इन परेशान लोगों को राहत प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात सभा के ध्यान में लाना चाहूंगी कि मानव अधिकार दिवस पर दिल्ली की सड़कों पर दो प्रदर्शन हुए थे, एक अखिल भारतीय हुर्रियत सम्मेलन द्वारा और दूसरा जम्मू और कश्मीर के पंडितों द्वारा आयोजित किया गया था। दोनों तरफ के लोगों ने यह आरोप लगाया कि कश्मीर में भारतीय प्राधिकरणों द्वारा मानवाधिकार

हनन के संबंध में कुछ गंभीर चूक की जा रही हैं। हमने बार-बार इस सभा में आश्वासन दिए हैं कि विशेषरूप से चुनावों के बाद और नई सरकार के गठन के बाद कश्मीर की स्थिति में सुधार हो रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि वहां की सुरक्षा स्थिति दिन-प्रति-दिन खराब होती जा रही है और कश्मीर के लोगों को उसी तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जैसा कि वह वर्षों से करते आ रहे हैं। मैं सरकार से जानना चाहूंगी कि वह इस जातीय और राजनीतिक दलों से सम्बद्धता को दरकिनार रख, कश्मीरी लोगों के मानवाधिकार के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाने जा रही है।

श्री एम.के. प्रेमचन्द्रन : माननीय सभापति महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान भारत के एक प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम एच.एम.टी. में व्याप्त संकट की ओर दिलाना चाहूंगा। एक बार पंडित नेहरू ने एच.एम.टी. का उल्लेख राष्ट्र के एक हीरे के रूप में किया था। आजकल कार्यशील पूंजी की कमी के कारण यह गंभीर संकट का सामना कर रहा हैं। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह कम से कम आसान शर्तों पर ऋण के रूप में ही सही एच.एम.टी. को बजटीय सहायता प्रदान करे या किसी और तरह सहायता प्रदान करे।

महोदय, हमारे पास आधुनिकतम तकनीकें है। लेकिन और तो और रेलवे और रक्षा विभाग भी अपने आर्डर एच.एम.टी. को नहीं दे रहे हैं। जहां तक कि भविष्य निधि में अंशदान का संबंध है, इसकी ओर वर्ष 1992 से बकाया है। भारत सरकार द्वारा निर्देश दिए जाने के बावजूद अन्तरिम राहत की राशि अभी तक प्रदान नहीं की गई है।

महोदय, पुरानी मशीनों के आयात के कारण भी एच.एम.टी. जैसे भारतीय उद्योग प्रभावित हुए हैं। अत: भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि वह इन सभी मुद्दों पर विचार करे ताकि एच.एम.टी. जैसे एक प्रमुख भारतीय सार्वजनिक उपक्रम को बचाया जा सके।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में घघर नदी बहती है, जो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से बहकर आती है। इस नदी के कारण हर वर्ष फसलों को बहुत नुकसान होता है। इस संबंध में पंजाब सरकार की ओर से पटियाला डिस्ट्रिक्ट के लिए बजट बनाकर केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने अभी तक कोई राशि राज्य सरकार को नहीं भेजी है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार संबंधित राशि राज्य सरकार को भेजे, जिससे जो हर वर्ष नुकसान होता है, उसको बचाया जा सके और वहां के लोगों को राहत मिले।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) (बिहार) : सभापति महोदय, मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर इस सदन का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं। विषय यह है कि बिहार के पुर्णिया जिले में नखरैला आदिवासियों के गांव को जलाकर राख कर दिया गया है। आठ आदिवासियों को आग में जिन्दा जला दिया गया है। इनमें तीन बच्चे, दो महिलायें और तीन पुरुष हैं। बिहार में इस तरह का यह अकेला गांव नहीं है। इसी जिले के बगल में सहरसा जिला है, यहां युवा ईमानदार पुलिस अधिकारी (डी.एस.पी.), श्री सत्यपाल, की हत्या आतताइयों से मुठभेड़ में हो गई है।

अपराह्न 2.00 बजे

जिस व्यक्ति के यहां अपराधी ठहरे थे वह व्यक्ति राजद की युवा इकाई का अध्यक्ष था, उसके घर अपराधी ठहरे थे। ...*(व्यवधान)* पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। ...*(व्यवधान)* महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्होंने सवाल उठा दिया, अब आप क्यों खड़े हो गए?

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम आपकी परमिशन लेकर खड़े हो रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका नोटिस नहीं है। उन्होंने जब ठोस ढंग से, जानदार ढंग से सवाल उठा दिया तो आप फिर क्यों खड़े हो रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, हम यह कहना चाहते हैं कि बिहार के एक थाने में दरोगा की हत्या हुई। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको बोलने की इजाजत नहीं है, आपका नोटिस नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: वहां दारोगा की हत्या कर दी गई। *...(व्यवधान)* इस तरह पूरे बिहार में हत्याएं की जा रही हैं। *...(व्यवधान)* महोदय, मेरा यह कहना है कि पूरे बिहार में हत्याएं की जा रही हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जब एक माननीय सदस्य ने सवाल उठा दिया तो सभी उस विषय पर नहीं बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, यह मामला बहुत गंभीर है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब जो यह बोलेंगे वह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री लाल मुनि चौबे (बक्सर) : महोदय, एक आदिवासी का घर जलाया गया, जिसमें आठ बच्चे मारे गए। *...(व्यवधान)* एक नौजवान पुलिसकर्मी की हत्या की गई। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने सूचना नहीं दी इसलिए आपका रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री राम नाईक : सभापति जी, माननीय सदस्यों ने जो कहा है वह एक गंभीर घटना दिखती है इसलिए मैं आश्वासन देता हूं कि इसमें दखल देने के लिए मैं आपकी ओर से गृह मंत्री जी को तुरंत जानकारी दे दूंगा।

[अनुवाद]

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : महोदय, बीड़ी के लिए तेंदू पत्ता मुख्य कच्चा माल है। तेंदू पत्तों को एकत्रित करने में लगभग 20 से 25 लाख लोग लगे हुए हैं। अधिकतर जनजातीय लोग तेंदू के पत्ते एकत्रित करके ही अपनी रोजी कमा रहे हैं। बीड़ी संगठन में लगभग 70 प्रतिशत महिलाएं बीड़ी बनाने के कार्य में लगी हुई हैं। सरकार को बीड़ी क्षेत्र से लगभग 6,000-7,000 करोड़ रुपये की आय होती है।

महोदय, बीड़ी कारखाना मालिक काफी लाभ कमा रहे हैं जबकि जो लोग वास्तव में बीड़ियां बना रहे है, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, यहां तक कि मजदूरी देने में भी पुरुष तथा महिला कारीगरों में अन्तर किया जाता है। पुरुष कामगारों को 20 रु. से 25 रु. तक, और कभी-कभी 50 रु. से 60 रु. प्रतिदिन तक मजदूरी दी जाती है जबकि महिला कामगारों को प्रति हजार बीड़ी केवल 15 रु. से 20 रु. प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है। सरकार ने बीड़ी कारीगरों को कुछ सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए है। अब, वह पहचान-पत्र की मांग कर रहे हैं। उन्हें भविष्य निधि तथा ई.एस.आई. जैसी सुविधायें भी दी गई हैं। लेकिन समस्या यह है कि इन सुविधाओं को देने से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है। अत:, मेरी मांग यह है कि सरकार को इस बारे में आवश्यक कदम उठाने चाहिए ताकि उन्हें सभी सुविधायें उचित रूप से प्रदान की जायें और कामगार उनका लाभ उठा सकें *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ठीक है, अब आप समाप्त करें। अब नियम 377 के अधीन मामले लिए जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल : मेरे नोटिस का क्या हुआ?

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह दिलीप कुमार वाला पाइंट तो काफी बार उठ चुका है। अब आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल : महोदय, मेरा भिन्न मुद्दा है।

श्री आर. मुथैया (पेरियाकुलम) : महोदय, मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर नोटिस दिया है। मेरा नाम 53वें नम्बर पर है। मैंने स्वयं जाकर संसदीय नोटिस कार्यालय में नोटिस दिया था *...(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल : महोदय, कृपया कौल तथा शकधर की संसदीय प्रक्रिया तथा कार्य संचालन का पृष्ठ 954 देखिए जिसमें मंत्रालयी जिम्मेवारी से सम्बन्धित नियमों का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि मंत्रालय पर संसदीय नियंत्रण इस बात पर निर्भर करता है कि कोई भी सदस्य मंत्रालय की किसी भी

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कार्यवाही पर प्रश्न कर सकता है। मंत्रालयी जिम्मेवारी का यही सिद्धांत है।

महोदय, कल गृह मंत्री, श्री एल.के. आडवाणी ने श्री दिलीप कुमार के घर में तोड़-फोड़, अश्लील प्रदर्शन और अन्य कलाकारों को परेशान किए जाने के विरोध में वक्तव्य दिया था। मेरा मुद्दा बिल्कुल भिन्न है। इस सरकार के माननीय मंत्री महोदय बार-बार इन कलाकारों को डरा रहे हैं और तोड़-फोड़, अश्लील प्रदर्शनों और ऐसी सभी वारदातों में लगे लोगों को समर्थन दे रहे हैं। केवल इतना ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक बार सेंसर बोर्ड द्वारा पारित एक ऐसी फिल्म को, जिसे कम से कम 14 अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हों, प्रदर्शन की अनुमति न दी गई हो। मैं इस फिल्म के बारे में विस्तार में नहीं जा रहा हूं लेकिन विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता संकट में पड़ गई है। कलाकार यह महसूस कर रहे हैं कि इस सांस्कृतिक आपातकाल की घोषणा किसी संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा नहीं बल्कि अन्य तत्वों द्वारा की जा रही है। मेरा मुद्दा भिन्न है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपने अपना सवाल उठा दिया आपका पाइंट हो गया। अब आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल : कोई मंत्री ऐसा कैसे कह सकता है? जो कुछ उन्होंने कहा है, उसे वापस नहीं लिया है। उन्हें सभा में आकर यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने इस तरह के कार्य को समर्थन क्यों दिया है। मैं चाहता हूं कि अध्यक्षपीठ इस संबंध में निर्देश दें। माननीय गृहमंत्री द्वारा वक्तव्य दिए जाने के बाद कोई भी राज्य मंत्री इस तरह से कैसे कह सकता है? *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : इस फिल्म के निर्माता तथा फिल्म का प्रदर्शन करने वालों को कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है *...(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल : मंत्री महोदय को इस बारे में स्पष्टीकरण चाहिए। हम उनसे स्पष्टीकरण चाहते हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ठीक है, आपने सवाल उठा दिया और मिनिस्टर ने भी सुन लिया, अब आप बैठ जाइये।

श्री रूपचंद पाल : हम संतुष्ट नहीं है। यह सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार दो तरफा बात नहीं कर सकती है। एक मंत्री एक वक्तव्य दे रहे हैं और अन्य मंत्री अलग वक्तव्य दे रहे हैं। हम अध्यक्षपीठ से निर्णय सुनना चाहते हैं। सरकार दोहरी नीति कैसे अपना सकती है?

श्री बसुदेव आचार्य : मंत्रिमंडल के एक सदस्य के भिन्न विचार कैसे हो सकते हैं जबकि सामूहिक जिम्मेवारी होती है? *...(व्यवधान)* सामूहिक जिम्मेदारी कहां है? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपने सवाल उठा दिया। अब आप बैठ जाइए।

श्री रूपचंद पाल : उन्हें सभा में आकर इस बात की व्याख्या करनी चाहिए। मैं मंत्रालयी जिम्मेदारी के सिद्धांत के संबंध में कौल और शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 954 का हवाला दे रहा हूं. *...(व्यवधान)* जब किसी सदस्य ने प्रश्न उठाया है तो उन्हें आकर उसका जवाब देना चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब इसमें बहस बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है *...(व्यवधान)*

श्री एन.एस. कृष्णदास : चूंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, हम सरकार से स्पष्टीकरण चाहते हैं *...(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल : सरकार दोहरी नीति नहीं अपना सकती है। सरकार दो तरफा बात कैसे कह सकती है? गृह मंत्री एक वक्तव्य दे रहे हैं और अन्य मंत्री अलग बात कह रहे हैं जो कि यहां दिये गये वक्तव्य की भावना के पूर्णत: प्रतिकूल है *...(व्यवधान)* मुझे जवाब जानने का अधिकार है। माननीय मंत्री महोदय को आकर अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है, क्यों कहा है और क्या वह माननीय गृह मंत्री के वक्तव्य से सहमत हैं अथवा नहीं *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : कल माननीय गृह मंत्री ने मुम्बई में हुई घटना की भर्त्सना की थी। लेकिन दूसरे मंत्री ने शिव सैनिकों द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन किया है। सेंसर बोर्ड द्वारा पारित किसी भी फिल्म को वापस सेंसर बोर्ड कैसे भेजा जा सकता है? *...(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल : हम आपका संरक्षण चाहते है। यह सदस्यों का विशेषाधिकार है। मैं कौल तथा शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 954 का हवाला दे रहा हूं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ठीक बात है। आपने मजबूती से सवाल उठाया। अब कार्यवाही को आगे बढ़ाने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आपको हमें संरक्षण प्रदान करना चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल : हम अध्यक्षपीठ का निर्णय चाहते हैं *...(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास : चूंकि यह एक गंभीर मामला है, इसलिए हम इस संबंध में अध्यक्षपीठ का निर्णय सुनना चाहते हैं *...(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल : जैसा कि मैंने पहले कहा है, गृह मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है। दूसरे मंत्री वक्तव्य से सहमत नहीं हैं। वह मंत्री पद पर नहीं रह सकते? उन्हें सरकार से निकाल देना चाहिए। गृह मंत्री जी का विचार कुछ और है और अन्य मंत्री का विचार कुछ और है।

श्री बसुदेव आचार्य : सामूहिक उत्तरदायित्व होना चाहिए। गृह मंत्री कुछ कह रहे हैं तथा एक अन्य मंत्री कुछ और कह रहे हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : एक ही बात को बार-बार कहने से क्या लाभ है? आपने सवाल उठा दिया और सरकार ने सुन लिया है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : हम चाहते हैं कि इस संबंध में विनिर्णय दिया जाए *...(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, आप यह कहते हुए निर्देश दे सकते है कि उन्हें सभा में आना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि वे गृह मंत्री जी द्वारा अपनाए गए रूख से अलग रूख क्यों अपना रहे हैं। वे गृह मंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य का विरोध कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री अजय मुखोपाध्याय : आपका विनिर्णय क्या है?

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप पहले बैठ जाइए। मैं इसके बाद रूलिंग दूंगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आसन ग्रहण करिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आपको विनिर्णय देना चाहिए। हम चाहते हैं कि अध्यक्षपीठ अपना विनिर्णय दे। आप पहले रूलिंग दीजिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री संबंधित मंत्रियों को सूचित कर देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या सूचित करेंगे? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने जो सवाल उठाया।

श्री बसुदेव आचार्य : आप सवाल भी बता दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : महोदय, वे आपके विनिर्णय को चुनौती दे रहे है। वे वैसा कैसे कर सकते हैं *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : मैं इसे चुनौती नहीं दे रहा हूं।

अपराह्न 2.12 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) गुजरात के जामनगर जिले में टेलीफोन का उचित ढंग से कार्य करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर) : सभापति महोदय, गुजरात के जामनगर जिले में 8-9 जून, 1998 को एक भयंकर आंधी, तूफान और बारिश आई थी जिससे करोड़ों रुपए के जान-माल का नुकसान हुआ। उसमें टेलीफोन लाइन, माइक्रोवेव टावर एवं अन्य कई टेक्निकल नुकसान हुए लेकिन आज तक जामनगर जिले के टेलीफोन कार्य पूरी नहीं हुए - जैसे कि ओवरहैड लाइन, अंडर ग्राउंड केबल लाइनें, ऑप्टीकल फाइबर केबल लाइनें एवं टावर। इस कारण टेलीफोन विभाग उपभोक्ताओं को समुचित सुविधाएं नहीं दे रहा है। ज्यादातर गांवों के टेलीफोन बंद हैं और काम नहीं कर रहे हैं। हमने केन्द्रीय मंत्रियों से लेकर प्रदेश के जनरल मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट जनरल मैनेजर वगैरह बहुत से अधिकारियों को दरख्वास्तें दीं लेकिन जरूरी कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रश्न पर तुरन्त उपभोक्ताओं को न्याय नहीं मिला तो जन आन्दोलन उग्र रूप ले सकता है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि ऐसे कदम शीघ्र उठाए जाएं जिससे जामनगर जिले की टेलीफोन व्यवस्था दुरुस्त हो सके।

(दो) वाराणसी में गंगा कार्य योजना चरण-दो के लिए संबंधित संगठनों की पूर्ण सहमति प्राप्त हो जाने तक धनराशि जारी किए जाने को स्थगित किए जाने की आवश्यकता

श्री आनन्द रत्न मौर्य (चन्दौली): महोदय, गंगा ऐक्शन प्लान के अंदर वाराणसी में सीवेज के पानी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लान के द्वारा शोधित कर जल को गंगा में बहाने का प्लान बना है जिसके अंदर सभी ने माना है कि फेज-1 का प्लान फॉल्टी है जिसके कारण उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है और ऐसे ही गंगा ऐक्शन प्लान के अंदर फेज-2 के नाम से जल निगम ने शोधन की योजना सरकार को प्रेषित की है जिसमें 52 करोड़ रुपये सरकार को देना है। गौरतलब है कि फेज-1 की तरह फेज-2 भी अपूर्ण है जिसका हश्र वही होगा जो फेज-1 का हुआ है।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि सच्चे विचार से गंगा को निर्मल करने के उद्देश्य को लेकर गंगा निर्मलीकरण योजना के अंदर द्वितीय चरण के कार्य की मंजूरी को तब तक लंबित रखा जाए और राशि का भुगतान न किया जाए जब तक कि इस मामले पर संबंधित बाकी संगठनों से विचार-विमर्श न कर लिया जाए।

(तीन) चंबल सिंचाई क्षेत्र की नहरों का उचित रखरखाव और आधुनिकीकरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री रामनारायण मीणा (कोटा) : महोदय, सिंचित क्षेत्र विकास के लिए भारत सरकार राज्य सरकार तथा देश विदेश की विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त हो रही राशि का दूरदर्शितापूर्ण व्यय न होने के कारण क्षेत्रों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाने से जनसमस्याओं में भारी बढ़ोत्तरी हो गई है। समयबद्ध तरीके से बारी के अनुसार कृषि भूमि की सिंचाई के लिए बाराबंदी प्रणाली से पानी पहुंचाने के नाम पर भारत सरकार से प्राप्त 2 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय करने के उपरान्त भी चम्बल सिंचित क्षेत्र में बाराबंदी लागू नहीं है। खत्म हो गई बाराबंदी प्रणाली प्रभावी रूप से लागू किया जाना आवश्यक है। इस समय मरम्मत एवं निर्माण कार्य घटिया स्तर के हो रहे हैं। नहरी क्षेत्र के अंतिम छोर के ग्रामों में विकास कार्यों की आवश्यकता अधिक है। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की कृषि भूमि को सिंचित करने वाली चंबल की नहरों की जर्जर स्थिति हो जाने तथा अंतिम छोर के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए समय पर पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाने से हजारों बीघा में खड़ी फसलें प्रतिवर्ष बरबाद हो जाती हैं। तीन पानी से पकने वाली गेहूं की फसल को मात्र एक या दो पानी मिल पाता है। फिर भी पिलाई शुल्क पूरा लिया जाता है। जिस क्षेत्र में पूरा पानी नहीं पहुंच सके, उस भूमि की पिलाई राशि खारिज की जानी चाहिए। नहरों की मरम्मत एवं आधुनिकीकरण से समस्या का समाधान हो सकता है। इस वर्ष टैल क्षेत्र के विभिन्न 100 ग्रामों की एक लाख बीघा कृषि भूमि में रेलवे का पानी नहीं पहुंचने से फसलें नहीं बोई जा सकी हैं तथा इन ग्रामों में भयंकर अकाल पड़ गया है।

अत: मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में भारत सरकार द्वारा चंबल सिंचित क्षेत्र विकास वाली नहरों का सही रख-रखाव एवं आधुनिकीकरण किया जाये तथा अंतिम छोर के ग्रामों में पानी पहुंचाया जाए।

(चार) हिन्दू समुदाय की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समान व्यवसायों से जुड़े हुए मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : महोदय, भारत के संविधान के अनुसार इस देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रावधान है। समाज के पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए उनकी आर्थिक स्थिति तथा कार्य के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है। संविधान में यह भी कहा गया है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा, परंतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग में जो हिन्दू समाज के लोग हैं, उन्हें तो आरक्षण एवं अन्य लाभ मिलते हैं, परंतु उसी नाम की जातियां जो मुस्लिम समाज में हैं, उन्हें अनुसूचित जाति या जनजाति नहीं माना जाता है। जैसे हिन्दू समाज में मेहतर जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा है, मगर मुस्लिम मेहतर को यह सुविधा नहीं है। वैसे ही हिन्दू धोबी तथा मुस्लिम धोबी तथा अन्य जातियों का भी मामला है।

अत: केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस विसंगति को दूर करे।

[अनुवाद]

(पांच) पश्चिम बंगाल में रानाघाट-गैडे और रानाघाट-बोंगांव सेक्शनों के रेल मार्गों के विद्युतीकरण के कार्य को तेज किए जाने की आवश्यकता

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्नगर): महोदय, पूर्व रेलवे का स्यालदाह डिवीजन सबसे पुराने रेलवे डिवीजनों में से एक है। तथापि, काफी प्रयासों के बाद रानाघाट-गेडे और रानाघाट—बोंगांव सेक्शनों के विद्युतीकरण की मांग को पूरा किया गया और दोनों को रेल बजट में चालू परियोजनाओं के रूप में शामिल किया गया था। किंतु इन परियोजनाओं में कार्य प्रगति या तो न के बराबर है या है ही नहीं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के दो महत्वपूर्ण सीमावर्ती जिलों नादिया और मुर्शीदाबाद में उपलब्ध रेल सुविधाएं अत्यधिक खराब हैं। देश की स्वाधीनता के पचास वर्ष बाद भी रेल सुविधाओं के अभाव से जनता का मन उद्वेलित है और उनका रोष दिनों-दिन बढ़ रहा है।

इन परिस्थितियों में समय की तत्काल मांग है कि रानाघाट-गेडे और रानाघाट-बोंगांव सेक्शनों के विद्युतीकरण की चालू परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाई जाए और कालीनारायणपुर जंक्शन से कृष्नगर तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण, कृष्नगर और लालगोला के बीच रेलवे लाइन का विद्युतीकरण और कृष्नगर बारास्ता करीमपुर बरहामपुर तक एक नई रेललाइन के निर्माण को भी शुरू किया जाए।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जनता की इन मांगों को तत्काल पूरा किया जाए।

(छह) महाराष्ट्र सरकार को रायगढ़ जिले में तूफान से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामशेठ ठाकुर (कुलाबा) : सभापति महोदय, महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के पनवेल, उरण, पेठा तहसील क्षेत्रों में नवम्बर, 1998 मे आए चक्रवात, तूफान के कारण किसानों को भारी नुकसान सहन करना पड़ा। साथ-साथ इन इलाकों के नागरिकों के मकानों का तथा स्कूल और सार्वजनिक सुविधा केन्द्रों का भारी नुकसान हुआ है। साथ ही रायगढ़ जिले के अन्य क्षेत्रों में भारी अनियतकालीन वर्षा के कारण चावल और सब्जी की खेती का सर्वनाश हो गया है और इस चावल और सब्जी की खेती पर सभी किसानों की आमदनी निर्भर होती है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन आपदग्रस्त किसानों को और नागरिकों को पुन: बसाने एवं मुआवजा देने हेतु तुरन्त राज्य सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान करें।

(सात) बिहार के समस्तीपुर जिले में विद्यापति नगर रेलवे स्टेशन के नाम को बदल कर "विद्यापति धाम" किए जाने की आवश्यकता

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले के अन्तर्गत विद्यापति नगर हाजीपुर-बरौनी खंड पर रेलवे का एक छोटा सा स्टेशन है। मिथिलाकोकिल महाकवि विद्यापति को यही निर्वाण प्राप्त हुआ था। इससे इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व हैं। किवदन्ती है कि पतितपावनी गंगा को भी मृत्यु शैय्या पर पड़े विद्यापति को गंगा लाभ देने के लिए आना पड़ा था। मऊ-बाजिदपुर-दरभंगा रेलवे लाइन भारत में बनी सबसे पुरानी दूसरी लाइन है। महाकवि की यादगार में एक शिवालय भी बना है। कुछ दिनों पहले बाजिदपुर का नाम बदल कर विद्यापति नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया, किन्तु लोगों की मांग है कि इसका नाम "विद्यापति धाम" होना चाहिए। इस संबंध में

पहले काफी लिखा-पढ़ी हो चुकी है। रेलवे का जवाब है कि इस प्रकार का प्रस्ताव बिहार सरकार से आना चाहिए। यदि रेलवे बिहार सरकार के मंत्रियों की अनुशंसा से सन्तुष्ट नहीं है, तो वह प्रस्ताव बिहार सरकार के पास टिप्पणी के लिए भेज दे। मेरी मांग है कि बिहार सरकार का मन्तव्य लेकर शीघ्र इस स्टेशन का नाम विद्यापति नगर से बदल कर विद्यापति धाम कर दिया जाए।

(आठ) मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में मैसाझार और अरपा सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने और इस प्रयोजनार्थ समुचित धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : सभापति जी, वर्ष 1997-98 में मध्य प्रदेश राज्य के बिलासपुर जिला में मैसाझार एवं अरपा परियोजना की सर्वे हो चुकी है जिसमें कर्मचारियों एवं कालोनियों का निर्माण भी हो गया है तथा प्राक्कलन तैयार स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है। जिसकी अभी तक स्वीकृति नहीं की गई है। उक्त क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं है जिससे आये दिन अकाल पड़ता है। जिस कारण किसानों की फसल सूखकर बर्बाद हो जाती है। इससे किसानों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की। इसके बावजूद सरकार द्वारा अभी तक ध्यान नहीं दिया गया जिससे लाखों किसान सिंचाई सुविधा से वंचित हैं।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बिलासपुर जिले के मैसाझार एवं अरपा परियोजना को स्वीकृत कर निर्माण कार्य हेतु राशि उपलब्ध कराई जाये जिससे किसानों को सिंचाई सुविधा मिल सके।

(नौ) बिहार में बेगूसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को तेजी से लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : सभापति जी, बिहार राज्य के मेरे बेगूसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाएं पूरी तरह ठप्प पड़ी है। इस क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से इन योजनाओं पर नगण्य कार्य हुआ है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कैन्दी (हलसी प्रखंड) में तथा शेखपुरा में दो पावर सब स्टेशन कई वर्षों से बन रहे हैं और उनसे विद्युत उत्पादन का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाएं इन दोनों सब स्टेशनों के कार्य प्रारंभ न करने की वजह से ही ठप्प पड़ी हैं। सरकार को ग्राम कैन्दी तथा शेखपुरा दोनों जगहों पर बनने वाले सब स्टेशनों का कार्य शीघ्र पूरा करके उस क्षेत्र की ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाओं को तेजी से लागू करना चाहिए।

[अनुवाद]

(दस) उड़ीसा में पुरी को बी-2 श्रेणी का शहर घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, तीर्थयात्रियों की आवाजाही और पर्यटकों की भीड़भाड़ के आधार पर वर्ष 1989 से उड़ीसा में पुरी को बी-2 श्रेणी का शहर घोषित करने के मुद्दे को अनेक बार भारत सरकार के ध्यान में लाया गया है। पांचवें वेतन आयोग ने भी जनसंख्या संबंधी शर्त में संशोधन किया है। तदनुसार, जनगणना आंकड़ों में पर्यटक स्थलों और तीर्थस्थलों में जिस अस्थिर जनसंख्या को ध्यान में नहीं रखा गया, उसे नगर क्षतिपूर्ति भत्ता के भुगतान के लिए किसी शहर को बी-2 श्रेणी का शहर घोषित करने में ध्यान में रखा जाएगा। अत: हिन्दुओं के चार धामों में से एक धाम होने और देश का एक सर्वोत्तम तीर्थस्थल होने के कारण पुरी में प्रति वर्ष भारी संख्या में पर्यटक आते हैं जो शहर की अस्थिर जनसंख्या का हिस्सा है, इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि पुरी को भी आगरा, वाराणसी और मदुरै की तरह बी-2 श्रेणी के शहर के रूप में घोषित किया जाए।

अपराह्न 2.28 बजे

कॉफी (संशोधन) विधेयक – *जारी*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब विधायी कार्य शुरू किया जाता है।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : आप बिना कॉफी के ही शुरू कर रहे हैं।

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : सभापति महोदय, क्या मुझे कुछ शब्द कहने की अनुमति है? यह कॉफी अधिनियम, 1942 में संशोधन करने के कारणों और उद्देश्यों के बारे में संक्षिप्त वक्तव्य है।

[श्री सोमपाल]

कॉफी अधिनियम, 1942 द्वारा कॉफी उत्पादकों के लिए अपने उत्पाद को (पूल) एकत्रित करने व उसे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित कॉफी बोर्ड के सपुर्द करना अनिवार्य बना दिया गया था। उसके बाद कॉफी बोर्ड इसका निपटान करेगा और बिक्री कर उत्पादकों को भुगतान करेगा। किंतु इस दशक के आरंभ से उत्पादकों द्वारा निरन्तर यह मांग की जा रही है कि इस अनिवार्य पूलिंग व्यवस्था को समाप्त किया जाए। और इस मांग को उचित पाने पर सरकार ने पहली बार कॉफी मौसम 1992 में निर्णय किया था कि उत्पादकों द्वारा कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत आन्तरिक बिक्री कोटा के रूप में रखने की अनुमति दी जाए जिसे उन्हें आन्तरिक बाजार में बेचने की अनुमति दी गई थी, जनवरी, 1994 में कॉफी अधिनियम में संशोधन किया गया था जिसमें काफी उत्पादकों को अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत कॉफी बोर्ड के पूल में जमा करने और शेष 50 प्रतिशत को आन्तरिक बाजार में बिक्री या अन्य देशों के निर्यात करने की अनुमति देने का प्रावधान किया गया था। इस कोटा को और कम किया गया और सरकार ने उन सब किसानों को शत प्रतिशत खुली बिक्री की अनुमति दी जिनके पास दस हेक्टेयर से कम भूमि है। जिन किसानों के पास दस हेक्टेयर से अधिक भूमि है उनके लिए यह कोटा और कम कर 30 प्रतिशत कर दिया गया। सितम्बर, 1996 में यह कोटा प्रणाली पूरी तरह समाप्त कर दी गई। इसलिए कॉफी अधिनियम 1942 में संशोधन करना और कॉफी को पूलिंग करने को शासित करने वाले कतिपय प्रावधानों का लोप करना आवश्यक हो गया है।

सरकार ने इस अवसर का लाभ अन्य प्रावधानों जैसे कॉफी अधिनियम के कतिपय प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड को युक्तिसंगत बनाने और कहुआ पर सीमाशुल्क की सीमा बढ़ाने आदि का निर्णय लेने में उठाया है। इस प्रकार अर्जित धन का उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ कहुआ के उत्पादन व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान, विकास और विस्तार कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा।

सभापति महोदय, तदनुसार सरकार ने मंत्रीमंडल की स्वीकृति से कॉफी (संशोधन) विधेयक, 1997 को फरवरी, 1997 में लोक सभा में पुर:स्थापित किया। उसके बाद लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति के बीच चर्चा के पश्चात और स्थायी समितियों के नियमों के अनुसार इस विधेयक को वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को सौंप दिया गया था। स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं और उन सिफारिशों पर भी विचार किया गया है।

अब इस विधेयक को यहां उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लाया जा रहा है। इसलिए यह विधेयक इस सम्मानीय सभा के समक्ष है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, वाद-विवाद आरंभ करते हुए मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए बाध्य हूं।

सामान्य स्थिति में मैं इस विधेयक का समर्थन कर देता किंतु हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण भारत में कॉफी उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए 1942 में मूल अधिनियम पारित किया गया था। कॉफी बोर्ड के गठन का वह मुख्य कारण था। कॉफी बोर्ड का दायित्व ,विशेषरूप से पांच-छह हेक्टेयर या दस हेक्टेयर से कम भूमि पर खेती करने वाले निर्धन व छोटे किसानों के हितों की रक्षा करना था। मुख्यतया उनके हितों की सुरक्षा करनी होगी और इस उद्देश्य के लिए कॉफी बोर्ड का गठन किया गया था।

सरकार ने कॉफी बोर्ड को अनुदान व राजसहायता भी प्रदान की जो कॉफी उत्पादकों अर्थात् छोटे कॉफी उत्पादकों को रियायती दरों पर खाद उपलब्ध करा रहा है, और वह बागान श्रमिकों के हितों की सुरक्षा भी करता है जो बड़ी कहुवा बागानों में कार्य कर रहे हैं।

अब वे बागान फैल गए हैं। केरल में वायानार जिले में और उसके पड़ौसी राज्य कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अनेक काफी उत्पादक है और बड़े कहुआ बागान हैं।

अब मैं सुझाव देना चाहता हूं कि छोटे कॉफी उत्पादकों के व्यापक हित में उनके हितों की रक्षा के लिए एक सांविधिक निकाय होना चाहिए। समय के साथ ये निर्धन लोग बड़े कॉफी उत्पादकों की दया पर निर्भर हो गए है जो हजारों हेक्टेयर क्षेत्र पर कॉफी का उत्पादन कर रहे हैं। यदि सभी प्रतिबंधों या पूलिंग प्रक्रिया को समाप्त किया जाए तो मुझे विश्वास है कि ये गरीब कॉफी उत्पादक बड़े कहुआ उत्पादकों अर्थात् कहुआ बागान मालिकों की दया पर छूट जाएंगे। सम्पूर्ण बाजार अर्थात् आन्तरिक या घरेलू बाजार व अन्तर्राष्ट्रीय बाजार पर उनका नियंत्रण होगा। वे संपूर्ण बाजार पर नियंत्रण कर सकते है और निर्धन या छोटे कॉफी उत्पादक उनकी दया पर निर्भर हो जाएंगे। इस संशोधन विधेयक का विरोध करने का यह मुख्य कारण है।

आज हम अन्तर्राष्ट्रीय काफी बाजार पर नियंत्रण करने की स्थिति में नहीं हैं। हम सभी जानते हैं कि काफी को अन्तर्राष्ट्रीय

पेय के रूप में सर्वत्र स्वीकार किया गया है और इस सदन के माननीय सदस्यों को भी पूरी तरह पता है कि जब कभी भी आप अपने देश के बाहर जाते हैं तो आप एक कप काफी लेंगे जिसके बिना आपका दिन पूरा नहीं होगा। अत: यह पूरे विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वादिष्ट पेय के रूप में स्वीकार की गई है और गरीब उत्पादकों अथवा गरीब किसानों को व्यापक पैमाने पर पैदा करने वाले उत्पादकों के एकाधिपत्य की रहमोकरम पर रख दिया गया हैं।

पहले शत-प्रतिशत काफी का संग्रहण किया जाता था। किसी को भी प्रत्यक्ष रूप से काफी बेचने की अनुमति नहीं थी। कॉफी बोर्ड सारे उत्पादन का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत था और संग्रहण खर्चों को घटाने के बाद इसकी बिक्री करता था और प्राप्त राशि का वितरण करता था। यह प्रक्रिया 1942 से चल रही थी। इस दशक के आरम्भ के दौरान यह सोचा गया अथवा आवश्यक पाया गया कि इस प्रणाली में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसलिए, आरम्भ में, 30 प्रतिशत उत्पादन को देश के भीतर बेचने की अनुमति दी गई और बकाया 70 प्रतिशत सरकार द्वारा संग्रहित किया गया। यह प्रक्रिया बहुत अच्छी थी लेकिन यह लम्बे समय तक नहीं चली इसके बाद, सरकार ने पुन: अपने निर्णय में तबदीली की और उत्पादकों को अपने उत्पाद का 50 प्रतिशत देश के भीतर अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने की अनुमति दी और बकाया 50 प्रतिशत का संग्रहण कॉफी बोर्ड द्वारा किये जाने की स्वीकृति दी; यदि उस व्यवस्था को ज्यादा लम्बे समय अथवा गरीब उत्पादकों के वृहत हित में जारी रखने की अनुमति दी जाती तो यह अत्यन्त उपयोगी होगा।

लेकिन अब बड़े उत्पादकों द्वारा दवाब डाला गया है कि पूरी की पूरी संग्रहण व्यवस्था को छोड़ दिया जाए। वे चाहते हैं कि कॉफी बोर्ड के माध्यम से सरकार द्वारा सभी प्रकार के प्रतिबन्धों और हस्तक्षेप को हटा लिया जाए और वह कॉफी बोर्ड के कार्यकरण में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। हालांकि कॉफी बोर्ड प्रभावशाली रूप से कार्य नहीं कर रहा है मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन यह कॉफी बोर्ड का नियंत्रण करने वाले लोगों की नौकरशाही प्रवृत्ति के कारण है। वे सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर रहे हैं और वे किसानों की जब और जैसी आवश्यकता हो, सहायता करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। वह नहीं हो रहा है। अत: कॉफी बोर्ड के कार्यकरण के सम्बन्ध में काफी आलोचना की जा रही है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन वह कॉफी बोर्ड के कार्यकरण को समाप्त करने का आधार नहीं होना चाहिए। कॉफी बोर्ड के कार्यकरण में कई कमियां हैं और सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रबंध करके इसे सुधारा जाना चाहिए। मैं समझता हूं इसमें सुधार किया जा सकेगा। सरकार का बिना इसे किये कॉफी बोर्ड को समाप्त करने का विचार है। वह व्यापक पैमाने पर उत्पादन करने वालों के लिए अनियंत्रित कार्यकरण चाहते है।

अब इन गरीब कॉफी उत्पादकों को अपनी जोत इन उत्पादन करने वाले लोगों, बहुत अमीर लोगों को जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का नियंत्रण करते हैं को बेचना पड़ेगा। और वह उनके रहमोकरम पर छोड़ दिया गया है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि कॉफी बोर्ड समय पर आवश्यकता होने पर इन लोगों की मदद नहीं करता है। यहां तक कि खाद भी गरीब कॉफी उत्पादकों को सस्ती दरों पर नहीं दिया जाता है। जैसाकि मैंने पहले ही कहा है कि कॉफी बोर्ड की काफी आलोचना की गई है।

अब मैं सुझाव दूंगा कि वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने की अनुमति दी जाए ताकि आने वाले समय में भारत सरकार अथवा भारत में कोई अन्य व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी बाजार को नियंत्रित कर सके क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अभी भी प्रतिस्पर्द्धा है और इन गरीब कॉफी उत्पादकों को उनके रहमोकरम पर छोड़ दिया जाएगा। कॉफी का कारोबार करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां शर्तें लगाएंगी और वे मूल्य निर्धारित करेंगी और इसके दक्षिण भारत विशेषकर कर्नाटक और केरल के वायानार जिले के गरीब कॉफी उत्पादकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अत: मैं सरकार और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर पुन: विचार करें।

यदि बाजार पर हमारा पूरा नियंत्रण होता तब तो ठीक था। लेकिन हमारा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार पर कोई नियंत्रण नहीं है। काफी बाजार कारोबार करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। वे शर्तें थोपेंगी और उन्हें अपना पूरा उत्पाद उनके मनमाने दामों के अनुसार बेचने के लिए मजबूर होना होगा। अन्य मामलों में कॉफी बोर्ड का एकाधिकार है। वे कॉफी तभी बेचेंगे जब आवश्यकता होगी और परिस्थितियां अनुकूल होंगी। कॉफी बेचने के मामले में बाहर से कोई आदेश नहीं होगा। अब पूरे उत्पाद को कॉफी बोर्ड के बजाय सरकारी उपक्रम द्वारा एकत्र किया जाएगा। निजी एजेन्सियां पूरे कॉफी उत्पाद को इकट्ठा करेंगी और वे ही शर्तें तय करेंगी। वे मूल्य निर्धारित करेगी और गरीब उत्पादक उनके रहमोकरम पर छोड़ दिये जाएंगे। इतना ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी, प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होंगी और उसमें, जहां तक कॉफी उद्योग का सम्बन्ध है, अन्यन्त विकट परिस्थिति उत्पन्न होंगी।

हमारा कोई नियंत्रण नहीं है मलेशिया जैसे अन्य देश हमारे साथ मुकाबला करेंगे। हम उनके उत्पाद के साथ मुकाबला नहीं

[श्री वारकला राधाकृष्णन]

कर सकते। इसलिए पूरा खुला बाजार पर छोड़ देने में अर्थव्यवस्था विनाश की ओर बढ़ेगी। अत:, मैं सुझाव देता हूं कि कुछ नियंत्रण होना चाहिए। संग्रहण अवश्य होना चाहिए अथवा यह किसानों के हित के विरुद्ध होगा।

इस आधार पर मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं अत: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह या तो ऐसा तरीका सुझाए जिससे कॉफी बोर्ड द्वारा संग्रहण किया जाए अथवा वह देश में काफी उद्योग के व्यापक हित में इस विधेयक को वापस लाने की उदारता दिखाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुन: उनसे इस विधेयक को वापस लेने की अपील करता हूं यदि वह इस संशोधन को किसी भी तरह पास कराना चाहते हैं तो मैं जोरदार शब्दों में इसका विरोध करता हूं।

श्री वी. धनन्जय कुमार (मंगलौर) : महोदय, मैं कॉफी अधिनियम 1942 को संशोधित करने वाले विधेयक का समर्थन करता हूं।

कॉफी अधिनियम 1942 स्वतंत्रता से पहले पास हुआ था अंग्रेजों ने हमारे देश में आगमन के पश्चात् उन्होंने भारतीय कॉफी को चखा और वे चाहते थे कि कुछ कॉफी उनके उपयोग (खपत) के लिए रखी जाए। इस प्रकार संग्रहण की व्यवस्था विकसित हुई। कॉफी अधिनियम 1942 का मुख्य आशय यह सुनिश्चित करना था कि गरीब किसानों द्वारा पैदा की गई कॉफी को जबरदस्ती एक जगह इकट्ठा किया जाए और इसे देश से बाहर ले जाया जाए। मैं कॉफी के निर्यात किये जाने के विरुद्ध नहीं हूं।

भारत विश्व में कॉफी का उत्पादन करने वाले देशों में से एक है। भारतीय कॉफी दुनिया की सर्वोत्तम कॉफी मानी जाती है। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारा हिस्सा बहुत कम है अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारा हिस्सा केवल 3 प्रतिशत है। हम अपने देश में लगभग 2 से 2.5 लाख टन कॉफी की पैदा करते हैं जबकि ऐसे देश भी है जो 30 लाख टन से भी अधिक कॉफी पैदा करते हैं। चूंकि भारतीय कॉफी का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सही प्रचार नहीं किया जा सका और कॉफी बोर्ड जोरदार प्रचार करने में असमर्थ था, इसलिए हम भारतीय कॉफी का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में समुचित मूल्य प्राप्त नहीं कर पाए। इस प्रकार से, कॉफी उत्पादक अच्छे मूल्य प्राप्त कर सकते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अन्यथा उपलब्ध हो सकते हैं। अब कुछ समय से कॉफी पैदा करने वाले किसान मांग कर रहे हैं कि संग्रहण व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए और किसान को स्वयं बाजार में जाने की अनुमति दी जाए।

मैं नहीं जानता कि वरिष्ठ कामरेड राधाकृष्णन वर्तमान विधेयक का जोरदार विरोध क्यों कर रहे हैं और जो कुछ अंग्रेजों द्वारा किया गया था उसकी पुष्टि करना चाहते है। मैं नहीं जानता क्यों। वह तर्क दे रहे हैं और संग्रहण व्यवस्था को जारी रखने के लिए जोरदार तरीके से अनुरोध कर रहे हैं। मैं नहीं जानता क्या उन्हें इन बातों का ज्ञान है।

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैंने छोटे किसानों के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं मानता हूं कि बड़े पैमाने पर खेती करने वाले लोग पूलिंग को समाप्त करने के पक्ष में थे। परन्तु अगर यह पूलिंग प्रणाली हटा ली जाती है तो किसान उनकी दया के पात्र हो जाएंगे। मैं हमेशा गरीब किसानों के साथ रहता हूं जिनकी संख्या ज्यादा है। मैं हमेशा उनका पक्ष लेता हूं। मैं यह नहीं करना चाहता कि पूलिंग प्रणाली होनी ही नहीं चाहिए। कुछ प्रतिबंध होना चाहिए।

श्री सी.पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : आप चाहते थे कि वे काफी बोर्ड में आएं। आप हमेशा यही चाहते हैं कि गरीब किसान कॉफी बोर्ड में हमेशा लाइन में रहें।

श्री वारकला राधाकृष्णन : गरीब किसानों के हित में कुछ प्रतिबंध होने चाहिएं।

श्री वी. धनंजय कुमार : मैं कामरेड राधाकृष्णन की याद को ताजा करना चाहता हूं कि विशेषकर वायनाड के छोटे किसान भी पूलिंग को पूरी तरह हटाना चाहते थे और अब उन्हें बहुत अच्छा मूल्य मिल रहा है।

श्री वारकला राधाकृष्णन : ऐसा केवल इसी स्तर पर हो रहा है।

श्री वी. धनंजय कुमार : हमारे कामरेडों के लिए यही सबसे बड़ी कठिनाई है। वे तर्क के लिए कभी सहमत नहीं होंगे। मैं उसका बुरा नहीं मानता ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : आज आपके सामने एक अधिकार संपन्न सभापति है।

श्री वी. धनंजय कुमार : अन्य समस्या यह है कि अगर वास्तव में हमारे देश में कॉफी की खपत सही ढंग से हो तो इसका उत्पादन बढ़ाने की काफी गुंजाइश हो सकती है। कॉफी एक उत्तेजक पेय है जिसे ठंडे स्थानों, विशेषकर उत्तरी भारत में पिया जाता है।

श्री वारकला राधाकृष्णन : कुछ इच्छुक व्यक्तियों ने यह प्रचार किया था कि कॉफी पीने से दिल की बीमारी होती है।

[हिन्दी]

श्री वी. धनंजय कुमार : सभापति महोदय, आप भी अच्छी कॉफी पीना चाहेंगे लेकिन यहां पर अच्छी कॉफी नहीं मिलती है।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन : कुछ स्वार्थी तत्वों ने यह प्रचार किया था कि जैसे नारियल से बीमारी पैदा होती है उसी तरह कॉफी पीने से दिल की बीमारी होती है। कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जो हमारे कॉफी उद्योग को ठप्प करना चाहते हैं, यह प्रचार कर रहे हैं कि अगर कोई कॉफी पीएगा तो उससे दिल की बीमारी हो जाएगी। यह इसका सबसे खराब प्रचार है।

श्री वी. धनंजय कुमार : मैं अपने विद्वान मित्र के माध्यम से अपने सभी माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि तरल कॉफी तैयार करना एक कला है। दुर्भाग्यवश हमारे लोग तरल कॉफी तैयार करने की कला नहीं सीख पाए। इसीलिए घरेलू बाजार में कॉफी उतनी मात्रा में नहीं बिकती जितनी यह बिकनी चाहिए थी। यह मांग रही है कि सरकार को सेना कर्मियों में कॉफी को लोकप्रिय बनाना चाहिए। सैनिक भी ठंडे स्थानों में काम करते हैं और इसलिए वे काफी तेज कॉफी पीना चाहेंगे। परन्तु दुर्भाग्यवश, हम उन क्षेत्रों में कॉफी को लोकप्रिय नहीं बना पाए। इसीलिए मैं कामरेड राधाकृष्णन की इस बात से सहमत हूं कि अगर हम विशेषकर उत्तरी भारत के भागों में अच्छी कॉफी पीने की आदत डाल सकें तो हमें भारत में पैदा की जा रही कॉफी का निर्यात करने की कोई जरूरत नहीं होगी। समस्या यह है कि तरल कॉफी तैयार करने की कला लोगों को नहीं सिखायी जा सकी, वरना वे लोग कॉफी पीना पसंद करते।

महोदय, ऐसी स्थिति में कॉफी उत्पादकों के पास अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा इस प्रकार कॉफी का निर्यात आरम्भ हुआ। कॉफी का मूल्य विशेषकर लंदन बाजार की मांग के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जब कॉफी बोर्ड कॉफी को इस पूलिंग प्रणाली के अंतर्गत बेचा करता था तब इसके रख-रखाव का खर्च बहुत अधिक होता था। चाहे भारतीय कॉफी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अच्छे मूल्य पर बिकती थी फिर भी इसके उत्पादकों को उतना अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता था। रखरखाव के खर्चे आशा से कहीं अधिक होते थे इसीलिए उत्पादकों को नुकसान हो रहा था और वे इस तरह की खुला बाजार प्रणाली लाना चाहते थे।

आज, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस देश के सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाले क्षेत्र, कोडागु का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां सबसे अच्छी किस्म की कॉफी पैदा हो रही है। मैं उसका प्रतिनिधित्व करता हूं। इस देश में दो प्रकार की कॉफी का उत्पादन हो रहा है। पहली अरेबिका और दूसरी रोबास्टा किस्म। रोबास्टा किस्म काफी तेज और उत्तेजक किस्म की कॉफी है। इसका उत्पादन मुख्यत: कोडागु में तथा चिकमगलूर में भी हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसकी पैदावार वायनाड क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी हो रही है।

आज जरूरत इसकी है। कॉफी बोर्ड से पूलिंग प्रणाली के अंतर्गत कॉफी संग्रह करने और फिर इस प्रकार संग्रह की गई कॉफी का विपणन करने का अधिकार छीन लिए जाने के बाद उन्हें अनुसंधान और विकास का काम करना होगा। कॉफी पैदावार बढ़ाने की देश में पर्याप्त गुंजाइश है। इस समय हमारे देश में औसतन लगभग 800 किलो प्रति एकड़ कॉफी की पैदावार होती है जबकि अन्य विकसित देशों में प्रति एकड़ कॉफी की पैदावार पांच टन से कम नहीं होती। इसलिए, कॉफी बोर्ड को व्यापक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करना होगा। इसके साथ ही उन्हें इसके विकास में भी सहायता करनी चाहिए। निस्संदेह, कीट नियंत्रण भी कॉफी बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में होगा।

कॉफी बोर्ड का काम 'निर्यात-शुल्क' लगाकर मिलने वाले धन में से चलाया जाएगा। अब, कॉफी का निर्यात करके इसके उत्पादक अच्छी कीमत पा सकेंगे। साथ ही, कॉफी बोर्ड के कार्यों को निर्यात-शुल्क के धन से कायम रखा जाएगा। इस धन को पुन: कॉफी उद्योग में अनुसंधान और विकासात्मक कार्यों में लगाया जाएगा।

हाल ही में बंगलौर में एक सम्मेलन हुआ था। इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के कॉफी के कई निर्यातकों और कुछ किसानों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में इस विषय पर व्यापक चर्चा हुई थी कि हमारे देश में कॉफी उद्योग की सहायता कैसे की जाए और उसे बढ़ावा किस तरह दिया जाए। यह बहुत ही खुशी की बात है कि कई वर्षों से पिछले तीन या चार वर्षों से जब यह पूलिंग प्रणाली समाप्त कर दी गई थी तबसे काफी उत्पादकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार की तरह ही अच्छी कीमत मिलती रही है।

एक सुझाव देकर मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि कोई ऐसी पद्धति बनाएं जिसके द्वारा मार्का वाली कॉफी को अंतराष्ट्रीय बाजार में बेचा जा सके। हमारे यहां कई किस्म की कॉफी हैं। विभिन्न प्रकार की कॉफियों को एक विशेष अनुपात पर इस प्रकार मिलाया जाता है

[श्री धनंजय कुमार]

कि आपको एक अलग किस्म का स्वाद मिल सके। और अगर आप उस काफी पाउडर से तरल कॉफी बना सकते हों तो उसका तो मुकाबला ही नहीं। वह कॉफी उन देशों में विशेषकर पसंद की जाती है जहां का मौसम काफी ठंडा रहता है। वे ऐसी कॉफी पीना पसंद करेंगे।

परन्तु दुर्भाग्यवश, सर्वोत्तम भारतीय कॉफी अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारे देश के ब्रान्ड नाम से नहीं बेची जा रही है। हम यहां तक भी कह सकते हैं कि क्षेत्रों के नामों पर नए ब्रांडों का भी विकास किया जा सकता है। जैसा कि ठीक ही कहा गया है हमारे कुछ क्षेत्रों, जैसे चिकमगलूर और कोडागु का बहुत अच्छा रखरखाव होता है और वहां अच्छी कॉफी का उत्पादन हो रहा है। वहां कुछ प्रयास किए गए थे और उन्हें 'कावेरी' नाम से तैयार की गई कॉफी का विपणन करने की कोशिश की। महोदय, मैं आपको बताता हूं कि इस कॉफी को अच्छी कीमत मिली। इसलिए कॉफी बोर्ड को इस दिशा में काफी प्रयास करने होंगे जिससे पूरे कॉफी उद्योग का विकास हो सके और कॉफी उत्पादकों को अच्छी कीमत मिल सके।

मैं कामरेड राधाकृष्णन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि इस विधेयक के प्रावधान के अंतर्गत, कॉफी बोर्ड से कॉफी की पूलिंग का अधिकार पूरी तरह छीन नहीं लिया गया है। वह प्रावधान अब भी है। ...*(व्यवधान)* मान लो भविष्य में कभी इस उद्योग में मंदी आ जाती है तो निश्चय ही कॉफी बोर्ड कभी भी हस्तक्षेप कर सकता है और वे पूलिंग प्रणाली से फिर कॉफी जमा करना शुरू कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)* वे शक्तियां अभी बरकरार हैं।

अब शत-प्रतिशत खुली बिक्री की परिकल्पना की गई है अर्थात्, जितनी भी कॉफी पैदा की जाती है, वह किसानों द्वारा सीधे ही बेची जा सकती है और वे इसका निर्यात तक करने के लिए स्वतंत्र हैं।

मैं इस पहलू पर पुनः जोर देना चाहूंगा कि कॉफी बोर्ड को कॉफी को घरेलू बाजार में लोकप्रिय बनाने के लिए प्रभावी उपाय करने होंगे। हमारी सरकार को यह ठीक ही सलाह दी गई है कि कॉफी को सैनिकों में लोकप्रिय किया जाए जिससे हमारे देश में पैदा हो रही कॉफी की देश में अच्छी खपत हो सके और हम अपनी पैदावार बढ़ा सकें तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धा कर सकें। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब तक आप अच्छे खिलाड़ी नहीं बनते तब तक आपको अपने सामान की अच्छी कीमत नहीं मिल सकती। इसलिए मुझे आशा है कि कॉफी अधिनियम में संशोधन करके हम काफी की पैदावार काफी बढ़ा सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने कॉफी उत्पादकों को प्रतिस्पर्द्धात्मक बना सकते हैं जिससे हम पर्याप्त विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं तथा किसान उसी तरह अच्छा बाजार मूल्य ले सकते हैं जैसा अंतरराष्ट्रीय बाजार में मिल रहा है।

मेरे मित्र को यह जानकर खुशी होगी कि भारत में कॉफी बहुत सस्ती बिक रही है। यहां संसद में एक कप कॉफी की कीमत पैंसठ पैसे है पर पंच तारा होटलों तक में एक कप कॉफी की अधिकतम कीमत 10 से 15 रुपये तक है। परन्तु जैसा कि आप जानते ही हैं अमेरिका में एक कप काफी की कीमत दो से ढाई डालर तक है जो 90 रुपये के बराबर है। इसलिए हमारे किसानों को भी वैसी ही कीमत मिलनी चाहिए और उसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए तथा हमें सरकार के प्रयासों को मजबूत करना चाहिए।

इसलिए, मैं इस संशोधन का पूरी तरह समर्थन करता हूं जो पूरे कॉफी उद्योग, विशेषकर किसानों, जिसमें छोटे किसान भी शामिल हैं, के हित में होगा।

श्री पी.सी. चाको (इदुक्की) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं किंतु मैं इसका समर्थन कुछ संशोधन के साथ करूंगा। वाणिज्य मंत्री की ओर से माननीय कृषि मंत्री द्वारा पेश किया गया। यह विधेयक इस दृष्टि से ऐतिहासिक है कि भारत में कॉफी पूल की व्यवस्था एक विशिष्ट प्रकार की पद्धति या कॉफी उत्पादकों के लिए संरक्षण है। यह व्यवस्था विगत साठ वर्षों से अधिक समय से प्रचलित है। इस देश में 1942 से कॉफी पूल व्यवस्था जारी है जिसने इस उद्योग और सामान्य तौर पर कॉफी उत्पादकों का भला किया है।

अपराह्न 3.00 बजे

आज हम इस व्यवस्था के विनियंत्रण के बारे में सोच रहे हैं। हम पूल व्यवस्था के माध्यम से स्थापित विनियमन को समाप्त करने की सोच रहे है। पूल व्यवस्था दीर्घकाल से प्रचलित है। ऐसा नहीं कि पूल व्यवस्था खराब है। पूल व्यवस्था अनुकूल या कॉफी उत्पादकों के लिए अलाभकारी नहीं हैं किंतु सत्य यह है कि अब हम एक परिवर्तित वातावरण में रह रहे है। संपूर्ण विश्व में बाजार की शक्तियां वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भारत में भी एक समय सरकार ने किसानों को संरक्षण प्रदान किया था भारत में कॉफी उत्पादक प्रकृति की दया पर निर्भर रहते है। उन्हें प्राकृतिक आपदाओं और कीटों के प्रकोप का सामना करना पड़ता है जो अक्सर उनकी फसल नष्ट कर देते हैं, कॉफी की उत्पादकता की दृष्टि से भारत विश्व में पहले स्थान पर नहीं

है। यदि पूल व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए तो भारतीय काफी उत्पादकों का क्या होगा।

ब्राजील और ग्वाटेमाला जैसे देश कॉफी उत्पादक हैं और उनका विश्व बाजार पर नियंत्रण है। इस स्थिति में भारतीय किसानों का क्या होगा? जैसा कि कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया है यह प्रयोग 1992 में शुरू किया गया था। पहली बार 30 प्रतिशत फिर 50 प्रतिशत कॉफी पूल के लिये खरीद लिया जाता था और तदन्तर संपूर्ण उत्पादन को खुले बाजार में खुली बिक्री की अनुमति दी गई। इस प्रकार की स्थिति में सरकार काफी उत्पादकों के बचाव के लिए नहीं आने वाली है। अब पुल व्यवस्था को पूर्णत: समाप्त कर दिया जाएगा तो कॉफी उत्पादकों का क्या होगा? जब विश्व व्यापार संगठन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे तो इस सभा में अनेक वायदे किए गये और कहा गया था कि भारत के व्यापार में वृद्धि होगी किंतु हमारा अनुभव इसके विपरीत है। इसलिए यदि काफी उत्पादक देश अपने उत्पादों को भारतीय बाजार में भर दें, यदि भारतीय कॉफी उत्पादक संकट में हों और सरकार कॉफी उत्पादकों के बचाव में आगे न आए तो उनका क्या होगा? अब पूल व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है।

मैं पहले कॉफी बोर्ड का सदस्य था। हम जानते हैं कि छोटे और बड़े किसान अपनी उपज को काफी पूल में देते थे और उन्हें अपने कठिन श्रम का पारितोषित एक निश्चित मियाद में किश्तों में मिलता था। उन्हें 10 प्रतिशत भी मिल सकता है और 25 या 35 प्रतिशत भी मिल सकता है। उनकी उपज का मूल्य उन्हें एक समयावधि में मिलता था। इससे किसानों को अनेक कठिनाइयां होती थी और मैंने यह सब देखा है। अनेक बार हमने सिफारिश की कि किसानों को उनके लाभ तब मिलने चाहिए जब बाजार दशाएं अनुकूल हों। मैं उससे पूर्ण सहमत हूं किंतु फिर सरकार की क्या भूमिका है? माननीय कृषि मंत्री अपना उत्तर देते समय इस बात को स्पष्ट करें। वे हमें किसानों के लिये किये जाने वाले सुरक्षोपायों के बारे में विश्वास दिलाएं।

कॉफी बोर्ड ने किसानों के हितों के संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है। आज हमने लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि अगले दस वर्षों या आगामी दशकों में भारत में काफी का कितना उत्पादन होगा? जैसाकि मैं कह चुका हूं भारतीय काफी बागानों की उत्पादकता अच्छी नहीं है। जब हम देश में प्रति हेक्टेयर कॉफी उपज की तुलना ब्राजील और अन्य कॉफी उत्पादक देशों से करते है तो हम पाते हैं कि यह काफी कम है। इस तरह की स्थिति में हम सुधार कैसे कर सकते हैं? यदि हम कॉफी उत्पादन में वृद्धि नहीं करते तो हमारे किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिलने वाले। आज कॉफी का अच्छा मूल्य मिल रहा है और किसान मोटे तौर पर खुश हैं। यदि पूल व्यवस्था को पूर्णत: समाप्त कर दिया गया तो किसान अपनी उपज को बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे और उन्हें अच्छा मूल्य मिलेगा। किंतु अक्सर यह हो रहा है कि कॉफी बाजार में मूल्यों में उतार-चढ़ाव आ रहा है। विगत 10 या 15 वर्षों में हमें कॉफी बाजार में कम से कम छह बार उतार व छह बार चढ़ाव देखने को मिला और इस प्रकार कॉफी बाजार में अत्यधिक उतार-चढ़ाव आता रहा है। कभी-कभी मूल्य अच्छे रहेंगे किंतु अगले ही वर्ष मूल्यों में काफी गिरावट आ जाती है। इस प्रकार की स्थिति में किसानों के लिए न्यूनतम संरक्षण होना चाहिए। क्या सरकार ने भविष्य में कॉफी बोर्ड की भूमिका पर विचार किया है? इस विधेयक में यह स्पष्ट नहीं किया गया है। कॉफी बोर्ड ऐसा संगठन है जो पूल व्यवस्था के संचालन का प्रभारी रहा है।

देश का पूरा कॉफी उत्पादन कॉफी बोर्ड द्वारा पूल व्यवस्था में एकत्र किया जाता है उसकी नीलामी द्वारा बिक्री की जाती है और उससे प्राप्त पैसे को कॉफी बोर्ड रख लेता है। इस पैसे को किश्तों में किसानों में बांटा जाता है। कॉफी बोर्ड का कार्य यही है। किंतु कल जब पूल व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त किया जा रहा है तो कॉफी बोर्ड की क्या भूमिका रहेगी?

भारत में गैर-पारम्परिक क्षेत्र हैं जहां पर कॉफी बागान लगाये जा सकते हैं। विभिन्न आंकड़ों और रिपोर्टों को देखने से यह पता चला है कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफी उत्पादन के लिये अनुकूल परिस्थितियां हैं किंतु क्या हमने गैर-पारम्परिक क्षेत्रों में कॉफी बागान लगाने की योजना बनाई है? पारम्परिक कॉफी क्षेत्रों के बारे में भी जानना चाहता हूं कि क्या वहां कॉफी का उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे है?

अनुसंधान और विकास संपूर्ण काफी उत्पादन प्रक्रिया का अपरिहार्य अंग है। भारत में व्यापक पैमाने में कॉफी अनुसंधान और विकास कार्य किये जाते हैं। भारत जैसे विशाल देश में, जहां कॉफी की खेती में कई गुणा वृद्धि की जा सकती है, अनुसंधान और विकास कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए जब कॉफी का निर्यात किया जाता है तो इसके लिए प्रति टन उपकर लिया जाता है। इस विधेयक का आशय यह है कि उपकर से संग्रहित धन कॉफी बोर्ड के पास जाता है और कॉफी बोर्ड इस धन को अनुसंधान व विकास कार्यों पर लगाता है।

इस संदर्भ में, मैं रबड़ बोर्ड का उदाहरण देना चाहता हूं। जब रबड़ बोर्ड की स्थापना की गई थी तो रबड़ बोर्ड का सर्वोच्च व मुख्य दायित्व संपूर्ण भारत में रबड़ बागानों का विस्तार करना था। तब भारत में रबड़ उत्पादन में सैकड़ों गुणा वृद्धि हुई थी। इस प्रकार रबड़ बोर्ड द्वारा रबड़ की खेती का विस्तार, किसानों को

[श्री पी.सी. चाक्को]

इसकी खेती के लाभ के बारे में अवगत कराने और रबड़ की खेती के क्षेत्र में विस्तार व उत्पादकता बढ़ाने के कार्यों को प्रभावी ढंग से किया गया था। इसी तरह कॉफी बोर्ड को भी ये कार्य करने चाहिए। सरकार को यह नहीं समझना चाहिए कि कॉफी बोर्ड का कार्य केवल कॉफी को पूल व्यवस्था की तहत संग्रहित करना भर है और अब वह कार्य समाप्त हो गया है अत:, कॉफी बोर्ड निष्क्रिय हो गया है अत: इसे विघटित किया जा सकता है।

मैंने हाल ही में यू.पी.ए.एस.आई. की एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें लिखा था कि कॉफी बोर्ड को जारी रखना आवश्यक नहीं है क्योंकि उसका कार्य समाप्त हो गया है और शायद कॉफी बोर्ड को विघटित किया जा सकता है। सरकार का यह रवैया नहीं होना चाहिए। सभा कॉफी की पूल व्यवस्था को विनियंत्रित करने को स्वीकृति दे रही है किंतु साथ ही सरकार को अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। कॉफी बोर्ड के भावी उद्देश्यों के बारे में अस्पष्टता नहीं रहनी चाहिए।

अनुसंधान और विकास कार्यों को बड़े पैमाने पर चलाया जाना चाहिए। परम्परागत कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में नाशीकीट प्रकोप बड़े विचित्र व अप्रत्याशित रूप से हुआ है। कीट कॉफी के पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, कॉफी की फसल को नष्ट करते है। एक मौसम में इन्होंने पूरी फसल चौपट कर दी है। विश्व में अनेक अन्य देशों में भी होता है। जब ऐसा प्रकोप आता है तो क्या हमारे पास कॉफी उद्योग में इस संकटपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त अनुसंधान विशेषज्ञता है? यदि कॉफी उद्योग कीट प्रकोप का शिकार है तो क्या इस प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सुरक्षोपाय हैं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या कॉफी बोर्ड में अनुसंधान व विकास स्कन्ध भी होगा जो बढ़ते कीट प्रकोप को रोके और उत्पादकता बढ़ाए।

कुछ अन्य आशंकाएं भी हैं। मैं उनके बारे में संक्षेप में कहूंगा। वस्तुत: जब विनियंत्रण प्रक्रिया का कार्यान्वयन शुरू किया गया था और फिर जब 1992-93 में यह कार्यान्वित की गई थी तो जिन किसानों के दस एकड़ से कम क्षेत्र में काफी बागान थे, उन्हें विनियंत्रण की श्रेणी में शामिल किया गया था। तब बड़े बागान भी नियंत्रण में थे। बाद में चरणबद्ध ढंग से सभी कहुआ बागान नियंत्रण मुक्त कर दिये गये। इस क्षेत्र को विनियंत्रित किया जा रहा है, किंतु यह कार्य पहले ही किया जा चुका है। अब हम केवल कानूनी स्वीकृति पर चर्चा कर रहे हैं। इस स्थिति में यह मध्यम व छोटे किसानों को किस प्रकार प्रभावित करेगा? बाजार में केवल मांग और पूर्ति के कारक सक्रिय होते हैं। यदि देश में कॉफी बागानों के भाग्य का फैसला केवल बाजार की शक्तियां करेंगे? तो फिर उसके लिए सुरक्षोपाय क्या हैं?

हम सभी जानते हैं कि दुनिया बहुत विषम व क्रूर है, इसलिए जब इस क्षेत्र की अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियां बड़े किसानों के माध्यम से कार्य कर रही हैं तो क्या छोटे किसानों के लिए संरक्षण प्राप्त है? ऐसे किसान भी हैं जिनके पास तीन से दस एकड़ तक भूमि है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में काफी संख्या में ऐसे कॉफी बागान हैं। मैं ऐसे क्षेत्र से आया हूं। वहां पर एक या दो एकड़ के छोटे बागान हैं। छोटे किसानों को आज कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। मंत्री जी आप इसे समग्र रूप में नहीं ले सकते हैं क्योंकि बड़े बागान भी हैं। बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद उनका अस्तित्व बना रह सकता है। किंतु छोटे किसानों की आय का यह एकमात्र साधन है। वे समस्याओं का सामना नहीं कर सकते या बाजार के उतार-चढ़ावों के बीच अपना अस्तित्व नहीं बचा सकते हैं। इसलिए छोटे किसानों को पर्याप्त संरक्षण दिया जाना चाहिए।

मेरे मित्र श्री धनंजय कुमार आन्तरिक, घरेलू बाजार के बारे में बोल रहे थे। यह सरकार का दायित्व है कि वह कॉफी की आन्तरिक खपत को अधिक बढ़ावा दे। चाय बोर्ड और कॉफी बोर्ड इस देश मे प्रभावी ढंग से और इस उद्योग के आदर्श संस्थानों के रूप में कार्य कर रहे हैं। तथ्य यह है कि भारत का घरेलू बाजार इतना विशाल है कि जो कुछ भी हम यहां उत्पादन कर रहे हैं उसकी खपत भारतीय बाजार में ही हो सकती है। भारतीय घरेलू बाजार के विस्तार के लिए विज्ञापन या अन्य प्रकार से ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। कॉफी अथवा चाय पूलिंग व्यवस्था में हमें इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने का अवसर मिलता है कि क्या देश के घरेलू बाजार का विस्तार किया जा सकता है अथवा क्या कॉफी उत्पादकों को लाभकर मूल्य दिए जा सकते हैं? मेरी सोच यह नहीं है कि लाभकर मूल्यों के नाम पर कॉफी का प्रति कप मूल्य 2 डॉलर हो अथवा तदनुरूप भारतीय मूल्य हो अथवा जितने अधिक से अधिक मूल्य पर भारतीय बाजार में बिक सकता है अथवा जो जितने भी अधिक मूल्य पर भारतीय उपभोक्ता दे सकता है, वह होना चाहिए और किसी भी कृषक को इसके इतने ऊंचे मूल्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो कि अवास्तविक हो लेकिन लम्बे समय तक न मिल सके। हम स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते हैं।

विनियंत्रण किया जा रहा है। मैं इस बात से सहमत हूं कि लघु कृषक तथा बड़े कृषकों दोनों की ओर से काफी लम्बे समय से यह मांग की जा रही थी। पिछले अनेक वर्षों से हम विनियंत्रण की बात करते आ रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से विनियंत्रण किया जा रहा है और यह बहुत प्रभावी पाया गया है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत में, भारत के बाहर तथा विश्व भर में कॉफी का

उत्पादन बहुत अच्छा रहा था। इसलिए, सभी खुश हैं। जब स्थिति कुछ बदलती है और जब कुछ विभिन्न अन्य कारणों से मूल्यों में गिरावट आती है, जैसा कि हमने विगत में देखा है, क्या सरकार कॉपी उत्पादकों के बचाव के लिए आगे आएगी? तब वह कहेंगे कि अधिनियम बदल गया है और हम जिम्मेवार नहीं हैं, कोई पूलिंग नहीं होगी और कॉफी बोर्ड केवल एक संवर्द्धनकर्ता अभिकरण है। इस तरह की स्थिति आ सकती है। क्योंकि बड़े कृषकों के साथ प्रतिस्पर्द्धा के कारण छोटे कृषक कॉफी बोर्ड छोड़ना चाहते हैं। उस स्थिति में, कोई नियंत्रण नहीं है। बाजार में खुली प्रतिस्पर्द्धा में शायद छोटे कृपक न टिक पायें। यह समस्याएं हैं और सरकार को कृपकों विशेषकर कि लघु कृषकों की संतुष्टि के अनुरूप समस्याओं का उत्तर देने के लिए विचार करना है।

भारतीय कॉफी की दो किस्में हैं अरेबिका और रोबेस्टा। उत्पादकता की दृष्टि से जब केरल में कॉफी के उत्पादन पर विचार करते हैं, तो यह देखने में आता है कि उनमें से अधिकतर के पास पट्टेदारी में भूमि हैं और अब वह वन अधिनियम में शामिल हो गई हैं। अपनी फसल को बेहतर बनाने के लिए वह पैटर्न नहीं बदल सकते हैं। यदि अरेबिका की फसल लगाई जाती है तो रोबेस्टा की नई फसल को लगाने का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि अरेबिका और रोबेस्टा की नई किस्में आ गई हैं। अनुकूल जलवायुगत परिस्थितियों के अनुसार ही नई किस्म को लगाने का प्रयोग करना होगा लेकिन वन अधिनियम कृषकों को इसकी मनाही करता है क्योंकि अनेक कॉफी उत्पादकों को पक्का भूस्वामित्व नहीं मिला हुआ है। कॉफी उत्पादकों को केवल पट्टेदारी पर भूस्वामित्व प्राप्त है और बागान मालिक इसका लाभ उठा रहे हैं। विशेपकर केरल के इदुक्की जिले में बागान की भूमि पट्टेदारी पर है। वहां वन अधिनियम के चलते कृषकों को प्रयोगस्वरूप नई किस्म की काफी के बागान लगाने की अनुमति भी नहीं दी गई है क्योंकि बड़े प्रयोगों को करने के लिए छोटे तथा बड़े उत्पादकों द्वारा फसल क्रम में परिवर्तन रोकने के संबंध में लगाए गए प्रतिबंध बहुत बड़ी रुकावट आ रहा है। चाहे वह इलायची हो अथवा कॉफी अथवा चाय अथवा कोई अन्य जिंस हो, उत्पादकता ही मुख्य बात है।

यदि भारतीय कृषक श्रीलंका अथवा ग्वाटेमाला अथवा ब्राजील जैसे देशों की कम से कम 75 प्रतिशत उत्पादकता प्राप्त नहीं कर सकता तो हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में टिक नहीं सकते। विश्व एक बाजार है। हम अपना उत्पाद विश्व बाजार में बेचने जा रहे हैं। यदि हम केवल 100 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर का उत्पादन करते हैं और कोई अन्य देश 200 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर उत्पादन करता है और उत्पादन की लागत एक ही है तो आप अपना उत्पादन कहां बेचेंगे? अन्ततः इस उद्योग का बने रहना उत्पादकता पर ही निर्भर करता है। जहां तक कृषकों का संबंध है यदि यही एक निर्णयकारी मुद्दा है तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या सहायता दी जाएगी? कानूनी प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए हैं। मंत्री महोदय इस सभा को आश्वासन दे रहे हैं कि यह कृषकों की मांग थी, हमने ऐसा कर दिया है और हम संतुष्ट हैं। सरकार का रवैया यह नहीं होना चाहिए। हमारा अनुरोध है कि सरकार को इस खेल में वहां अम्पायर बने रहना चाहिए, अथवा कृषक इस क्षेत्र में बने नहीं रह सकेंगे।

कृषकों को विश्व में कहीं भी अपने प्रतिद्वंद्वियों से प्रतिस्पर्द्धा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि इस तरह की स्थिति की कल्पना की जाए तो इससे निपटने के लिये पर्याप्त योजनाएं भी बनाई जानी चाहिए और कॉफी बोर्ड को इस तरह का दायित्व सौंपा जाना चाहिएं। यदि उन्हें इन उद्देश्यों के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की जाए, तो सरकार को यह महसूस नहीं करना चाहिए कि अब कर लगाया गया है, यह काफी बोर्ड की धनराशि होगी और इसलिए हमें कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। हर समय इन बोर्डों को दी जाने वाली बजटीय सहायता को घटाया जाता रहा है। सभी वित्त मंत्री, चाहे वह किसी भी दल के हों यह सोचते हैं कि बाजार शक्तियां ही सब तय करेंगी और यह उनका दायित्व नहीं है। नहीं, सरकार का रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार पर संवर्द्धन का दायित्व है। इसलिए कॉफी बोर्ड को बजट से पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिए। इसलिए, जैसा कि मैंने पहले कहा है, जो कारण मैंने अभी बताये हैं, उनके कारण प्रतिबंधों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, चूंकि माननीय मंत्री, श्री सोमपाल जैसे बहुत ही सज्जन व्यक्ति इस विधेयक को पेश कर रहे हैं इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करने का बहुत इच्छुक हूं। लेकिन जहां तक श्री सोमपाल जी द्वारा लाये गये इस विधेयक का संबंध है हम सरकार की ओर से कुछ आश्वासन और गारंटी चाहते हैं। आज वह वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनको इस संबध में आश्वासन देने चाहिए कि भविष्य में कृषकों को कोई समस्याएं नहीं होगी और विश्व बाजार में जो नई प्रतिस्पर्द्धा है, उससे कृषकों के मूल हित प्रभावित नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है कि वह हमें संतुष्ट कर पायेंगे। इस उत्कट आशा के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : माननीय सभापति महोदय, मैं तहे-दिल से कॉफी (संशोधन) विधेयक, 1998 का समर्थन करता हूं क्योंकि इस विधेयक में उत्पादकों तथा श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखा गया है जो कि कॉफी बागानों के विकास में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं।

[श्री विक्रम केशरी देव]

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, कॉफी से इस देश को काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अत:, माननीय मंत्री महोदय द्वारा पेश किया गया यह कानून कॉफी उत्पादकों को कॉफी पूल में भेजे बिना ही काफी बेचने की प्रक्रिया को आसान बना देगा। पहले यह परम्परा थी कि प्रत्येक उत्पादक को अपनी कॉफी कॉफी पूल में भेजनी होती थी जहां कॉफी उत्पादकों को प्वाइंट दिए जाते थे। यह बहुत धीमी और लम्बी प्रक्रिया थी और जब तक कृषक को अपनी 60 प्रतिशत राशि मिलती है, उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

महोदय, कॉफी बागान पर काफी निवेश और श्रम की आवश्यकता होती है। पर्यावरण में गिरावट के कारण कॉफी बागान लगाना बहुत महंगा हो गया है। इसलिए, एक छोटे कृषक के लिए अपने कॉफी बागानों को कायम रखना और अपनी धनराशि प्राप्त करने के लिए कॉफी बोर्ड के पास जाना एक लम्बी प्रक्रिया है। इसलिए कम से कम इस विधान के माध्यम से कॉफी उत्पादक को अदायगी की प्रक्रिया सरल कर दी गई है। अब वह खुले बाजार में अपना उत्पाद बेच सकता है और इसके लिए अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त कर सकता है।

महोदय, मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि कॉफी बोर्ड को अनुसंधान और विकास का दायित्व सौंपा जाएगा। इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास से कॉफी का उत्पादन बढ़ाने और तीन लाख मीट्रिक टन कॉफी के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी जिसे उन्होंने वर्ष 1999 तक प्राप्त करने का निर्णय लिया है। इसलिए, मेरे विचार में इस विधेयक का विरोध करने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि यह विधेयक छोटे उत्पादकों और कॉफी उत्पादन में लगे अन्य मज़दूरों की मदद करने के लिए बनाया गया है जो कि इस पर पूर्णत: निर्भर हैं।

महोदय, पहले जब कॉफी अधिनियम, 1942 प्रचालित था — जो कि एक सामान्यवादी अधिनियम था और जिसे अब समाप्त करने की योजना बनाई जा रही है — इसने कॉफी उत्पादकों के हितों का संरक्षण किया है जो कि मुख्यत: ब्रिटिश, विदेशी थे और वह लोग थे जिन्होंने कर्नाटक, केरल और अन्य दक्षिण के राज्यों के इन जनजातीय क्षेत्रों में कॉफी के बागान लगाने आरम्भ किए थे। अब, जैसा कि आप जानते हैं महोदय, हमारे देश के उड़ीसा और उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे स्थानों में भी कॉफी का उत्पादन किया जा सकता है जिन्हें गैर-परम्परागत क्षेत्र कहा जा सकता है, कालाहान्डी, कोरापुट फुलबनी जिले कॉफी के बागान लगाने के लिए बहुत अच्छे हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि गैर-परम्परागत क्षेत्रों को भी कॉफी उत्पादन और संवर्द्धन का कार्य सौंपा जाए क्योंकि कॉफी उत्पादन के कार्य में यह समझा और देखा गया है कि एक एकड़ कॉफी बागान में एक कार्य दिवस लग जाता है।

इसका अर्थ है, यदि कॉफी बागानों के लिए 500 हेक्टेयर भूमि है तो प्रतिदिन लगभग 500 कार्य दिवसों की आवश्यकता होगी। 500×365 अथवा 240 अर्थात् एक जनजातीय क्षेत्र में 1000 कार्य दिवस चाहिएं। यह दबाव केवल जनजातीय क्षेत्रों पर डालना चाहिए जहां पर्यावरण में गिरावट आई है क्योंकि कॉफी बागान इस तरह की पर्यावरण में आई गिरावट को रोकते हैं। यह एक ऐसा पौधा है जो कि मृदा के भूक्षरण को रोकता है। ऐसी फसलों को सही तरीके से जलग्रहण क्षेत्र तथा बांध के आस-पास के क्षेत्रों में लगाना चाहिए।

यह एक नकदी फसल है। यह पर्यावरण को बचा सकती है। इसके अतिरिक्त इससे हमें काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसलिए, आप देखेंगे कि आज देश से कॉफी का निर्यात बढ़कर 41 प्रतिशत हो गया है। यह धनराशि कहां जाती है? यह पैसा निर्धन लोगों और दलितों के पास जाता है जो कि कॉफी बागानों में घोर परिश्रम कर रहे हैं। इसलिए कॉफी बागानों की पूल व्यवस्था से मुक्त रखने का विचार निश्चय ही जनजातीय क्षेत्रों, जहां की जीवन शैली पूर्णत: कॉफी बागानों पर निर्भर करती है, में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में लाभकर होगा। इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

अपराह्न 3.21 बजे

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति जी, काफी अमेंडमैंट बिल अपने आप में कुछ ऐसा नहीं है जिसका विरोध किया जाये। पुरानी सरकार ने इसको वहां के किसानों की मांग के ऊपर ही इस तरह के संशोधन करने का सुझाव दिया था। हमारे देश में जब अंग्रेजी सरकार थी, तो उसने पहले किसान की नील की खेती के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया। फिर उसका रूझान चाय और काफी के ऊपर गया। इस तरह एक सिलसिला हमारे देश में उन्होंने शुरू किया कि जो जमीन से उपज की चीजें हैं, उन पर नियंत्रण स्थापित कर अपनी मनमानी कीमत वसूलना और जो उसके मजदूर और किसान थे, उनका शोषण करना। धीरे-धीरे किसानों ने इससे एक मुक्ति का संग्राम शुरू किया और उससे मुक्ति के एक सिलसिले की शुरूआत हुई। अब दुनिया बदल गई और हम एक नई आर्थिक नीति के तहत अपने देश को चाहे अनचाहे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ऐसी बात है तो ऐसी किसी भी चीज के ऊपर नियंत्रण जिसकी उपज किसान के द्वारा

जमीन के ऊपर की जाती है, मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार की ओर से इस पर नियंत्रण स्थापित करना एक गलत परिपाटी और गलत पद्धति है।

1942 से ही एक पूलिंग सिस्टम काफी के उत्पादन के ऊपर लागू था और किसानों की मांग पर धीरे-धीरे उसमें कुछ छूट की शुरूआत की। 10 हैक्टेयर तक के किसानों को इस कानून के तहत पूलिंग सिस्टम से पूरी तरह छूट देने का प्रावधान है और 10 हैक्टेयर से ऊपर के जो किसान हैं, उनको भी 30 परसेंट तक अपनी उपज को बाहर बाजार में बेचने की छूट है। बाकी के ऊपर पूलिंग की पद्धति है। जब हम इस देश के किसान को खुशहाल बनाना चाहते हैं, उसके उत्पादक को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो उनको दुनिया के व्यापारिक क्षेत्र में कूदने का और अपनी उत्पादित वस्तु को अपनी कीमत के आधार पर बेचने का अधिकार होना चाहिए। उसी मंशा से यह विधेयक इस सदन के सामने आया है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जैसे हमारे कुछ माननीय साथियों की यह इच्छा है, उनको यह उत्सुकता है कि इस तरह के नियंत्रण को समाप्त करने से जो उत्पादन के कार्य में लगे हुए मजदूर हैं, उनके हितों का संरक्षण नहीं होगा और अंततः कम से कम बोर्ड की ओर से जो उत्पादक हैं, उनको कुछ न कुछ कीमत मिलती थी, इस तरह की गारंटी थी। मैं ऐसा समझता हूं कि भारत सरकार को इसके बारे में पहल करनी चाहिए कि किसान, उत्पादक और उसमें लगे हुए मजदूर हैं, उनके हितों का बलिदान न हो सके। काफी दुनिया के बाजार में हमारे देश की विश्व व्यापार के क्षेत्र में और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहयोग हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने सम्पूर्ण विधेयक में इस बात की पूरी गुंजाइश रखी है कि जो काफी बोर्ड है, उसका एक उद्देश्य काफी के क्षेत्र में नये-नये अविष्कार, नये-नये शोध और जो उत्पादक हैं, उनको उचित कीमत देने में सहयोगी होगा। मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार इस पर ध्यान देगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री वी.वी. राघवन (त्रिचूर) : सभापति महोदय, जब हम बाजार अर्थव्यवस्था के अनुसार नए विधानों और अपनी अर्थ-व्यवस्था के पुनर्गठन के बारे में सोचते हैं तो हम निम्न वर्ग के लोगों के हितों की उपेक्षा करते हैं।

मैं पूलिंग प्रणाली के पक्ष में वाद-विवाद नहीं कर रहा हूं। पूलिंग प्रणाली में कई त्रुटियां थीं और किसानों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यह प्रणाली नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं। परन्तु जब हम कॉफी की सौ प्रतिशत खुली बिक्री करते हैं तो मुझे आशंका है कि इससे छोटे किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा।

सभापति महोदय, यह एक सच्चाई है कि हमारे देश में व्यापारी और बड़े बागानों के मालिक बाजार और मूल्यों में हेरा-फेरी कर सकते हैं। उनके पास जमा करने के संसाधन हैं और वे अपने हित में हेरा-फेरी कर सकते हैं जबकि छोटे किसानों को धनाभाव के कारण अपने उत्पाद को सस्ते में बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अधिकतर छोटे किसानों को, जो भी मिले, उस मूल्य के लिए बाजार में जाना पड़ता है। वे बेहतर मूल्य को प्राप्त करने के लिए अपने उत्पाद को जमा करके नहीं रख सकते। यह बात देश में होने वाली प्रत्येक उपज के लिए सही है। क्या माननीय मंत्री इस बात से इंकार कर सकते हैं? इन सभी किसानों में से छोटे उत्पादकों को इन व्यापारियों और बड़े आदमियों की इच्छानुसार अपने उत्पाद को बेचना पड़ता है।

जब कॉफी को सौ प्रतिशत खुली बिक्री के लिए खोला जा रहा है तो मेरा मानना है कि मूल्यों में हेरा-फेरी की जाएगी, बाजार में हेराफेरी की जाएगी और छोटे किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि छोटे किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने की प्रत्याभूति देने की कोई प्रणाली होनी चाहिए। मुझे सम्पन्न लोगों की चिन्ता नहीं है। इस देश में वे किसी तरह काम चला सकते हैं परन्तु छोटे किसानों को तकलीफ उठानी पड़ती है।

एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि काफी के उपभोक्ता मूल्य और किसानों को उसमें से मिलने वाले अंश में कितना अन्तर है। क्या माननीय मंत्री ने कभी इसका हिसाब लगाया है? जैसाकि हम सुबह देख चुके है न केवल काफी अपितु प्रत्येक कृषि उत्पाद के लिए उन्हें बाजार मूल्य का 30 प्रतिशत से कम भाग मिलता है। बिचौलियों और व्यापारियों को ज्यादा हिस्सा मिलता है। यही बात कॉफी के मामले में भी सही है। इसीलिए, छोटे स्तर के किसानों को लाभकारी मूल्य की गारन्टी देना सरकार का कर्त्तव्य है।

मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि सरकार द्वारा यह जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं किया जा रहा है। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। हम, केरल में, नकदी फसलें उगाते हैं और हमारी कृषि मुख्य रूप से नकदी फसलों पर निर्भर है। भारत सरकार ने 1990 में वादा किया था कि नारियल के लिए प्रति वर्ष हमें समर्थन मूल्य दिया जाएगा।

[श्री वी.वी. राघवन]

प्रश्न यह नहीं है कि कौन सी सरकार सत्ता में है। सरकार चल रही है। 1990 में, लिखित आदेश जारी किए गए थे; उपज की कटाई के पहले, भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य की घोषणा की जाएगी। नियमित रूप से यह घोषणा नहीं की जाती। हम सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं। सरकार द्वारा अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किए जाने के कारण, वादा पूरा न करने के कारण केरल में तीस लाख नारियल उत्पादकों की स्थिति अत्यंत दयनीय है।

आप रबड़ का उदाहरण लीजिए। केरल में रबड़ उत्पादकों की क्या स्थिति है? रबड़ उत्पादक अपने सदसद् विवेक के कारण आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। अन्यथा केरल में रबड़ की कृषि में सैकड़ों आत्महत्याएं हो चुकी होती। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि औद्योगिक रबड़ उत्पादों का मूल्य आसमान छू रहा है। उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य का भुगतान करना पड़ता है। स्कूटर और मोटर वाहनों के मालिकों को भुगतान करना पड़ता है। टायर की कीमत क्या है? औद्योगिक रबड़ उत्पाद की कीमत क्या है? रबड़ उत्पादकों को मिलने वाला लाभकारी मूल्य कितना है? इनमें भारी अन्तर है। आप चुपचाप कैसे बैठ सकते हैं?

उत्पादकों के साथ न्याय करने के लिए भारत सरकार को हस्तक्षेप करना होगा। यहीं पर हम असफल हो गए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के रुग्ण होने का एक कारण यह भी है। बाजार अर्थव्यवस्था और वृद्धि दर के बारे में आप चाहे जो भी दावा करें परन्तु हमारी भारतीय जनता की क्या स्थिति है? क्या आपको भारत के सभी उत्पादों के छोटे किसानों की स्थिति नहीं दिखाई देती है? हमें सजग होकर देखना चाहिए कि उत्पादकों और किसानों की क्या स्थिति है। उनकी अत्यधिक खराब हालत है; आत्महत्या करने की स्थिति हो रही है और वे दिन में एक बार भोजन करके जीवन-यापन कर रहे हैं। इसीलिए आपको उनके बारे में सोचना चाहिए। आपको उनकी स्थिति में सुधार लाना होगा। अपने पुनर्गठन, अपनी बाजार अर्थव्यवस्था के बीच आप उनको भूल रहे हैं।

भारतीय जनसंख्या विशेषकर भारतीय कृषि क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हमारी योजना, पुनर्गठन और विधान को अपनाया जाना चाहिए। इसीलिए, इस सन्दर्भ में मैं सरकार से छोटे किसानों को लाभकारी मूल्य की गारन्टी चाहता हूं। यदि आप इस कॉफी (संशोधन) विधेयक के साथ ऐसा संशोधन लाते हैं तो बेहतर होता। जब आप सौ प्रतिशत खुली बिक्री की अनुमति देते हैं तो कम भूमि के मालिक कॉफी उत्पादकों को न्यूनतम मूल्य की गारन्टी का प्रावधान होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : सभापति जी बड़ी शान्ति से बैठे हैं।

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासमुन्द) : आपको स्थाई सभापति बनाना चाहिए।

श्री सोमपाल : शान्ति का सर्ग दोपहर के पूर्व समाप्त हो जाता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : सभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कॉफी (संशोधन) विधेयक 1998 के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने में गहरी रुचि ली है। मैं संक्षेप में माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गयी सभी बातों का, जहां तक सम्भव होगा, उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

श्री राधाकृष्णन ने कहा कि उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखा जाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखा गया है और यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है। उत्पादकों द्वारा निरन्तर मांग की गई थी। श्री चाक्को और श्री धनंजय कुमार, जो कॉफी पैदा करने के कार्य और कॉफी बोर्ड के कार्यकरण के साथ स्वयं घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, ने स्वयं कहा है कि किसानों विशेषकर छोटे किसानों को उनके भुगतानों की अदायगी में विलम्ब होने से बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इसलिए इस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए और उत्पादकों द्वारा निरन्तर मांग करने के पश्चात् संग्रहण व्यवस्था को समाप्त किया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्रमिकों के हित के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और अन्य चीजें काफी पर्याप्त हैं और इन सम्बद्ध राज्यों द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं विशेषकर केरल और कर्नाटक राज्य में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और अन्य कानून श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं और इसका सरकार को पूरी तरह पता है और वह श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी है।

यह आशंका है कि बड़े उत्पादक सारे उत्पादों को हथिया लेंगे और एकछत्र अधिकार हो जाएगा। मूल्यों में हाल की वृद्धि और प्रवृत्ति जिसे इन दो वर्षों के दौरान देखा गया, हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं हो रहा है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य में कमी आई है। लेकिन अब वह बढ़े हैं। अत: यह आशंका कि इस व्यापार को बड़े उत्पादकों द्वारा एकत्र किया जाएगा और व्यापारियों द्वारा एकछत्र अधिकार किया जाएगा, सही नहीं है और अब इस समय मूल्य उचित है और उत्पादकों को अच्छे मूल्य प्राप्त हो रहे हैं।

श्री धनंजय कुमार ने बहुत उपयोगी सुझाव दिया है कि कॉफी बोर्ड को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी विशेषकर कॉफी के कुछ विशेष ब्रांडों और वलंडेड (समिश्रण) कॉफी का प्रोत्साहन देने और बेचने के लिए कहा जाए। महोदय, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन और सदस्यों को बताना चाहता हूं कि कॉफी बोर्ड पहले से ही यह काम कर रहा है और भारतीय कॉफी की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी मांग है और हमें बहुत अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। अब पश्चिमी देशों विशेषकर अमरीका में भारतीय कॉफी की मांग बढ़ रही है और भारतीय कॉफी को उनके द्वारा उचित मान दिया जा रहा है।

जहां तक उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान, विकास और अच्छी तकनीक का विस्तार किये जाने का सम्बन्ध है यह तो पहले से ही है। 105 करोड़ रुपये की धनराशि नौवीं योजना के दौरान खर्च की जाएगी ताकि बागानों को उन्नत बनाने प्रति हैक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि करने, उत्पादन मिश्रित गुणवत्ता तथा अन्य पहलुओं को सुधारने बीमारी नियंत्रण और कीट नियंत्रण किया जा सके। यह कॉफी बोर्ड का आदेश है और संशोधित अधिनियम के कुछ उपबंधों का उल्लंघन करने पर वैध जुर्मानों के बजाय बढ़े हुए जुर्मानों में मिलने वाली धनराशि का उपयोग अनुसंधान और विकास कार्य, पर्याप्त आदान प्रदान करने, अच्छे बीज अच्छी पौध सामग्री और ऋण आदि भी प्रदान करने के लिए किया जाएगा। परम्परागत और गैर-परम्परागत दोनों क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष योजनाएं हैं।

श्री बी.के. सिंह देव चले गए हैं। उन्होंने उड़ीसा के बारे में पूछा था। उड़ीसा की पहचान कॉफी उत्पादन में वृद्धि करने वाले और बागान के अन्तर्गत कुछ भूमि लाने वाले गैर-पारम्परिक क्षेत्रों में से एक के रूप में भी गई है। कॉफी बोर्ड उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि लाने और राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों बाजार में भारतीय कॉफी के संवर्द्धन को भी देख रहा है।

श्री चाक्को काफी बोर्ड के सदस्य हैं और उस राज्य से सम्बद्ध हैं जो कॉफी पैदा करने वाला महत्वपूर्ण राज्य है और इसीलिए वे इस व्यापार से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। उन्होंने संग्रहण न करने और उत्पादकों को स्वतंत्र छोड़ने की आवश्यकता को उचित रूप से पहचाना है। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि उत्पाद में बहुलता होने पर मूल्य विशेष स्तर तक गिर जाते हैं और उत्पादक उस लागत पर देने पर समर्थ नहीं होता। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अधिनियम की धारा 26(1) से कॉफी बोर्ड को अधिकार है कि ऐसे मामले में वह बाजार हस्तक्षेप संचालन को आरम्भ कर सकती है और धारा 16 के अन्तर्गत यह प्रावधान भी है कि कॉफी बोर्ड को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ मूल्य निर्धारित करने का अधिकार है।

अत: यह पहले ही उपलब्ध हैं। यह अधिनियम इस सम्बन्ध में भी पर्याप्त है।

परम्परागत और गैर-परम्परागत क्षेत्रों के सम्बन्ध में मैं श्री चाक्को को बताना चाहूंगा कि भारत सरकार की एक योजना है और कुछ क्षेत्रों को बागानों और कॉफी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए गैर-परम्परागत क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है और इस योजना में राजसहायता भी दी जाती है जिसे भारत सरकार कई राज्यों को दे रही है।

एक महत्वपूर्ण गतिविधि जिसे कॉफी बोर्ड कर रहा है वह पुराने बागानों को बदलना। जैसाकि उन्होंने ठीक ही कहा है कि चाय और कॉफी दोनों के मामले में कुछ बागान 50 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं और इसीलिए वह उत्पादन अत्यन्त कम होता है। यह चाय के साथ कॉफी के बारे में भी सही है। बागानों को नए बागानों में बदलने की पर्याप्त योजना जिससे उत्पादन और उत्पादकता निश्चित रूप से बढ़ेगी और उत्पादन नया और अच्छी गुणवत्ता का प्राप्त होगा ताकि वे बेहतर मूल्य भी प्राप्त कर सकेंगे।

उनके द्वारा बताई गई समस्या पट्टे पर दी गई वन भूमि है जो पुनर्वास पर रोक लगाने अथवा बागान को क्षति पहुंचाने की है; यह मामला राज्यों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। लेकिन केन्द्र सरकार इसे सम्बद्ध राज्यों के साथ उठा सकती है और उन निषेध कार्यों को हटा सकती है और मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि हम राज्य सरकारों के साथ इसे उठाएंगे।

कॉफी बोर्ड को सहायता दिये जाने के बारे में, मैंने पहले ही कहा है कि 105 करोड़ रुपये नौवीं योजना के दौरान खर्च किये जाएंगे और आठवीं योजना में भी पर्याप्त राशि इस कार्यक्रम पर खर्च की गई है।

[श्री सोमपाल]

[हिन्दी]

मोहन सिंह जी ने बहुत ठीक बात कही कि अंग्रेजों के शासन काल में उनकी सरकार की जो जानीमानी नीति थी कि कुछ एकाधिकारवादी सरकारी नियंत्रण में परिषद् और दूसरी चीजें बनाकर भारतीय उत्पादकों से कम से कम दाम में लेकर विदेशों में उसे महंगे दाम में बेचना, यहां लगे हुए अपने उद्योगों में काम कर रहे कर्मचारियों को सस्ता खाद उपलब्ध कराना और सस्ता कच्चा माल देना उनकी जानीमानी नीति थी। यह बात सही है कि कृषकों को जो स्वतंत्रता होनी चाहिए थी, वह न होकर कुछ इस प्रकार की विरासतें और विकृतियां चलती रहीं, इस संशोधन के साथ उनकी समाप्ति की जा रही है, आपने जो समर्थन किया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री राघवन ने फिर छोटे किसानों के लिए चिन्ता व्यक्त की है जिसका मैं उत्तर दे चुका हूं और मैं यह दोहराना चाहूंगा कि अधिनियम की धारा 16 कॉफी बोर्ड को कुछ न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का अधिकार देती है जिसके द्वारा जब भी आवश्यक होगा तभी छोटे किसानों और अन्य किसानों को संरक्षण दिया जा सकता है।

श्री राधाकृष्णन ने यह मुद्दा उठाया था कि आंशिक पूलिंग होनी चाहिए। परन्तु मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि जब नवम्बर, 1997 में विभागों से संबंधित स्थायी समिति के नियमों के अनुसार पूरे विचार-विमर्श के बाद लोक सभा में यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया था तब अध्यक्षता करने वाले दोनों अधिकारियों, माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय सभापति महोदय ने इसे वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति को सौंपने का निर्णय लिया था तथा समिति ने सभी पक्षों की जांच की थी जिसमें श्री राधाकृष्णन जी द्वारा उठाए मुद्दे भी शामिल थे, तथा उन्होंने कुछ सिफारिशें की थी। उनमें वह महत्वपूर्ण सिफारिशें थीं सिवाय एक के जिस पर वह विभिन्न किस्मों पर अलग-अलग शुल्क लगाना चाहते थे। इस सिफारिश के अलावा, जो व्यावहारिक नहीं थी, अन्य सभी सिफारिशें मान ली गईं और मैं माननीय राधाकृष्णन जी तथा अन्य सभी माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यह सर्वसम्मत रिपोर्ट और सिफारिशें थीं जो काफी उगाने वाले राज्यों की तरफ से थी, जिसमें हमारे कुछ कम्युनिस्ट साथी भी थे जो स्थायी समिति के सदस्य थे। इसलिए यह आशंका सही नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर, सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने काफी रुचि दिखाई और अधिनियम के विभिन्न पहलुओं जिन पर अधिनियम में पहले ही ध्यान दिया गया है पर बहुत मूल्यवान सुझाव दिए थे तथा अब मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाए और इसे पारित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : सभापति महोदय, हमने अपनी समस्यायें नहीं खड़ी की हैं।

श्री सोमपाल : महोदय, जो सदस्य नहीं बोले हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि कॉफी अधिनियम, 1942 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब यह सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 25 इस विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 25 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री सोमपाल : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : सभापति महोदय, अब मंत्री जी सबको कॉफी पिलायें।

[अनुवाद]

श्री सोमपाल : मैं इसे स्वीकार करता हूं। जब भी उन्हें समय मिलेगा, मैं उन्हें एक कप कॉफी पिलाऊंगा।

अपराह्न 3.48 बजे

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक*

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री एम. तम्बीदुरई) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 में और संशोधन वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

जैसा कि आप जानते ही हैं जब राज्य विधायी सेवा का कोई अधिकारी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होता है तो उसका अर्द्ध वेतन का खाता उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। तदनुसार, एक न्यायाधीश 240 दिनों तक ही छुट्टियां जमा कर सकता है। तथापि वह अपनी विधायी सेवा में अपनी अर्द्ध वेतन अवकाश जमा करने का हकदार नहीं होता।

अपराह्न 3.49 बजे

[श्री खगपति प्रधानी *पीठासीन हुए*]

उच्च न्यायालय अधिनियम में यह प्रावधान किये जाने के लिए भी कुछ न्यायाधीशों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उन्हें अर्द्ध वेतन अवकाश जमा करने का अधिकार दिया जाए। अर्द्ध वेतन अवकाश जमा करने का अधिकार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को दिया जाता है। उसे देखते हुए यह प्रस्ताव किया जाता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वैसा ही प्रावधान करने के लिए उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम में समुचित संशोधन किया जाए। इसी प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा 240 दिनों के अर्द्धवेतन अवकाश की सीमा को समाप्त करके उन्हें पूरे भत्ते दिए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए जो न्यायाधीश उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत होते हैं। उनका अनुरोध मान लिए जाने का प्रस्ताव है और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 के अनुच्छेद 4(2)क(iii) के प्रावधान के अन्तर्गत 240 दिनों की सीमा को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है।

उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किराए के भुगतान के बिना सरकारी आवास में रहने का हकदार है। अगर कोई न्यायाधीश ऐसे आवास में नहीं रहता तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने पर 2,500 रुपये प्रतिमाह और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने पर 3000 रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया जाता है। यद्यपि मकानों के किराये की दरों में काफी वृद्धि हुई है फिर भी सरकारी आवास के बदले न्यायाधीशों को दिया जाने वाला भत्ता 1986 से उतना ही है। यह न्यायाधीशों को अपना सरकारी आवास छोड़कर आवास भत्ता लेने के लिए हतोत्साहित करता है। कुछ राज्य सरकारों को न्यायाधीशों को काफी अधिक लागत पर उचित आवास उपलब्ध करवाना होता है। तदनुसार, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 10,000 रुपये प्रतिमाह की समान दर से मकान भाड़ा भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव है। कई राज्य सरकारों ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मकान वेतन भत्ते के 10,000 रुपये प्रतिमाह तक बढ़ाने का समर्थन किया है।

उच्च न्यायालय उच्चतम और न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन दरें 1 नवंबर 1986 से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1986 द्वारा अंतिम बार बढ़ाई गई थी। पांचवें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री एम. तम्बीदुरई]

के साथ-साथ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पेंशन लाभों में संशोधन करने की सिफारिश की थी। संशोधित पेंशन नियम पहली जनवरी 1996 से लागू हुए थे। इसे देखते हुए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, अतिरिक्त पेंशन और अधिकतम पेंशन में वृद्धि करने की आवश्यकता महसूस की गई। सेवा निवृत्त न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन की संशोधित दर 3.25 गुणा किए गए हैं जो 1.1.1996 से लागू हुए।

यह भी प्रस्ताव किया गया है कि पारिवारिक पेंशन को ऐसे न्यायाधीश की पैंसठ वर्ष की आयु तक देय पेंशन का पचास से साठ प्रतिशत, अगर वह जीवित है या उसकी मृत्यु के पहले सात वर्षों तक, जो भी पहले हो, और उसके बाद उसकी पेंशन का पचीस से तीस प्रतिशत तक, जिसका न्यूनतम कम से कम 1275 रुपए प्रतिमाह होगा, यह पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया गया था।

अगर कोई न्यायाधीश बार से पदोन्नत किया गया है तो मृत्यु और सेवानिवृत्ति ग्रेचुटी निकालने के लिए वर्तमान उपबंध में, सेवा में प्रत्येक पूरे किए गए वर्ष के लिए बीस दिनों के वेतन के बराबर प्रावधान किया गया है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मामले में लागू अर्धवर्ष के आधार की तरह नहीं होती। पूरी की गई प्रत्येक डेढ़ वर्ष की सेवा के लिए दस दिनों का वेतन ग्रेचुटी के रूप में देने का प्रस्ताव किया गया है। न्यायाधीश एम.एल. जैन बनाम केन्द्र सरकार के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 20 जनवरी, 1991 के आदेश के अनुरूप प्रतिवर्ष 8000 रुपए की सीमा को हटाने का भी प्रस्ताव किया गया है।

मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक को सभा का पूरा समर्थन मिलेगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 में और संशोधन वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : माननीय सभापति जी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 1998 को मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। मुख्य रूप से इस संशोधन विधेयक में धारा 4 का संशोधन है, नई धारा 4क का अन्त:स्थापन है और धारा 17क का संशोधन है तथा इसके साथ-साथ धारा 16क का संशोधन है।

महोदय, मंत्री जी ने जिस धारा के संशोधन के बारे में कहा है उसमें यह स्पष्ट है कि राज्य सेवा के किसी भी अधिकारी की जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होती है तो वह अपने 240 दिन के अवकाश को अपनी छुट्टी में शामिल कराता है, अब उसके स्थान पर वह अर्द्ध-वेतनिक अवकाश पाने का हकदार होगा।

महोदय, जब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत होता है तो वर्तमान प्रावधानों के अनुसार वह अधिकतम 240 दिन की छुट्टियों के पाने का हकदार होता है।

अब इस प्रावधान को हटाया जा रहा है और 240 दिन की सीमा समाप्त की जा रही है। जहां तक मकान के किराये का सवाल है, उसे 2500-3000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमास किया जा रहा है। चौथा संशोधन जो बताया गया है वह यह है कि किसी न्यायाधीश की मृत्यु के बाद उसके परिवार की पेंशन 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत और न्यूनतम 1275 रुपये प्रतिमाह करने का प्रावधान किया है। जो न्यायाधीश बाहर से लिये जाते हैं उनके वेतनमान मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति के उपादान के वर्ष में 20 दिन के स्थान पर 6 माह में 10 दिन का प्रावधान किया गया है।

अंत में माननीय न्यायाधीश एम.एस. जैन बनाम भारत संघ वाले मामले में यह भी प्रस्ताव किया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के 20 जनवरी 1991 के आदेश के अनुपालन में विशेष अतिरिक्त पेंशन के रूप में 8 हजार रुपये की अधिकतम सीमा हटा दी जाए।

माननीय सभापति जी, ये जो संशोधन आए हैं उनसे मैं पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन एक बात न्यायाधीशों के बारे में कहना चाहता हूं, चाहे वे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हों या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों। वे अपने अधिकारों के बारे में तो निरंतर अपनी बात प्रस्तुत करते रहते हैं और शासन उनकी मंजूरी भी देता है, लेकिन उनके पास करीब 3 करोड़ मामले देश के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं, उन पर तो कार्रवाई नहीं होती है। कहा यह जाता है कि न्यायाधीशों की कमी के कारण इन मामलों का निराकरण नहीं हो पाता है। सभापति जी, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि हरेक राज्य में लाखों मामले लम्बित पड़े हैं। कोई भी आदमी चाहे कितनी ही दूर से आया हो, ऐसे कई कारण ढूंढ़ लिए जाते हैं जिसके कारण उसकी उस दिन की

पेशी बढ़ा दी जाती है। मैं एक मामला प्रस्तुत करना चाहता हूं। बस्तर जिला मध्य प्रदेश में सबसे आखिर में है। वहां जबलपुर उच्च न्यायालय की बैंच है।

[अनुवाद]

वह व्यक्ति सीधे बस्तर से आता है। उसे 600 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है और जब वह जबलपुर में उच्च न्यायालय पहुंचता है तो पाता है कि मामला स्थगित हो चुका है। मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री जी को इसकी जांच करनी चाहिए। स्थगन का आदेश युक्तिसंगत आधारों पर दिया जाना चाहिए न कि हल्के आधारों पर। यह देखा जाना चाहिए कि क्या न्यायाधीश उपस्थित है या नहीं और अगर वह उपलब्ध नहीं होगा तो उसे तारीख नहीं देना चाहिए। इसकी गंभीरता से जांच की जानी चाहिए क्योंकि इसी कारण, तीन करोड़ मामले लंबित हैं। माननीय मंत्री महोदय इस बात से सहमत होंगे कि कई मामले लंबित पड़े हैं और उन पर न्यायाधीशों के सम्मेलन में भी हमेशा चर्चा होती रही है परंतु उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आप पाएंगे कि निचली अदालतों में भी कई मामले लंबित पड़े हैं। हमेशा यही दलील दी जाती है कि उनमें न्यायाधीशों की कमी है। मैं माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि हम उनके वेतन और भत्ते बढ़ाने के विरुद्ध नहीं हैं और हमें इस बारे में कोई शिकायत नहीं है। परंतु उन्हें यह देखना चाहिए कि उनका पहला कर्त्तव्य न्याय देना है और देर से दिया गया न्याय, न्याय न देने के बराबर है। हम सभी यह जानते हैं और हम हमेशा यह कहते रहते हैं।

इसलिए क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है हालांकि यह विधेयक न्यायाधीशों के कर्त्तव्यों से संबंधित नहीं है? यह एक सामान्य विधेयक है जिसमें केवल उनके वेतन और भत्तों को बढ़ाने की बात है। इसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं। परन्तु जब हम इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं तो हमें इस पवित्र सदन में न्यायाधीशों के कर्त्तव्यों के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। कई बार कई मामलों में वे असफल हो जाते हैं। हाल ही में एल.पी.जी. के कूपन देने के मामले में ऐसा ही हुआ है।

[हिन्दी]

जो माननीय सांसदों को गैस-कूपन दिए जाते हैं वे कोई महत्व नहीं रखते हैं लेकिन केरल हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने एक आदेश कर दिया और दो-ढाई महीने तक उसे रोक कर रखा। उसके बाद भी जिस प्रकार के प्रतिबंध लगाये गये हैं उनकी पूर्ति करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक बार लोक सभा में इसका निर्णय हो जाना चाहिए।

अपराह्न 4.00 बजे

इसके बाद माननीय न्यायाधीशों को क्या अधिकार है कि वह इस प्रकार का बंधन हम पर लगाएं। लोक सभा सुप्रीम बॉडी होती है। एक निर्णय कर लिया।

[अनुवाद]

उन्हें उसका पालन करना चाहिए। उन्हें यह पता होना चाहिए कि लोक सभा ने एक संकल्प पारित किया है और इस मामले में एक निर्णय लिया है। उन्हें अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि यह पाया गया है कि वे हर बात में हस्तक्षेप करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि वे अपना कर्त्तव्य सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं। परंतु न्यायालयों में करोड़ों मामले लंबित पड़े हैं। हमें उनसे न्याय मिलना चाहिए। हमें इस विधेयक द्वारा उनके वेतन और भत्ते बढ़ाने से कोई शिकायत नहीं है।

इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस मामले की जांच करें और न्यायाधीशों को किसी समुचित मंच से या कहें कि वे अपने कर्त्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : गृह मंत्री महोदय।

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे पांच मिनट का समय दिया है। मैं अध्यक्षपीठ के निर्देशों का अवश्य पालन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैं केवल पांच मिनट ही लूंगा।

सभापति महोदय : अब, वैद्य विष्णु दत्त बोलेंगे।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है? अपराह्न चार बजे, हमें नियम 193 के अधीन चर्चा करनी है।

सभापति महोदय : उसी के अनुसार ही मैंने गृह मंत्री जी का नाम पुकारा है।

...(व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन : माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे पांच मिनट के लिए बोलने की अनुमति दी थी। मेरा नाम कल भी था। कल की सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को अवसर दिया गया। सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दिया गया था। मुझे अनुमति नहीं दी गई थी। इसीलिए मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया था और माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि मुझे गृहमंत्री के उत्तर के पहले पांच मिनट का समय दिया जाएगा *...(व्यवधान)*

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : महोदय, जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी है तो कृपया उन्हें बोलने का अवसर प्रदान कीजिए। माननीय गृह मंत्री को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आप उन्हें अनुमति दे सकते हैं *...(व्यवधान)*

अपराह्न 4.03 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, सबसे पहले, मैं कहना चाहूंगा कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। परन्तु मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस सभा में चले वाद-विवाद को सुनने के बाद मुझे अत्यधिक खेद का अनुभव हुआ क्योंकि दोनों ओर से चर्चा का रुझान इस प्रकार बनाया गया जैसाकि वे सभा को बांटने का प्रयास कर रहे हों। यह ठीक बात नहीं है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।

मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों में वृद्धि हुई है। यह एक सच्चाई है और इसे सरकार ने भी नकारा नहीं है। असहिष्णुता का वातावरण बन गया है। मैं मानता हूं कि यह भी सही है। परन्तु यह समुदायों या धर्मों को विभाजित करने का कारण नहीं बनना चाहिए। हमें इसका मूल कारण खोजना होगा और उसको दूर करने के उपाय ढूंढ़ना चाहिए। इसका सीधा सा कारण है। मैं इसे बेहिचक कहूंगा। एक छोटे समूह द्वारा हिन्दू विचारधारा और सिद्धांतों की गलत व्याख्या की जा रही है जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। हम वेदों में और उपनिषदों में 'वसुधैव कुटुम्बकम' के बारे में पढ़ते हैं। इसका अर्थ है कि पूरा विश्व एक कुटुम्ब है। भगवद्गीता में हम पढ़ते हैं कि जिस प्रकार सभी नदियां समुद्र में समा जाती हैं उसी प्रकार सभी विश्वास परम सत्य परमात्मा में समाहित हो जाते हैं। हमारे पास मनुष्य की परम सत्य की खोज का उत्तर 'अहम् ब्रह्मास्मि' और 'तत्वमसि' में उपलब्ध है। यदि हिन्दू धर्म के यह सिद्धान्त हैं तो फिर व्यक्तियों का एक छोटा समूह किस प्रकार से इसकी गलत व्याख्या कर सकता है और असहिष्णुता का वातावरण फैला सकता है।

मेरा कहना है कि हिन्दू धर्म में असहिष्णुता का कोई स्थान नहीं है। मैं स्वयं ईसाई हूं परन्तु मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि दुनिया के अत्यधिक सहिष्णु धर्मों में से एक हिन्दू धर्म भी है। मैं बिना झिझक यह कह सकता हूं।

यदि आप इस समय कोचीन जाते हैं तो आपको वहां पर जुविश सयनागोग दिखाई देगा। ईसाई के सौ वर्ष पूर्व यहूदी भारत आए थे। कुछ वर्षों पहले तक उन्होंने शांति और सौहार्दपूर्वक जीवन यापन किया। आज भी वहां पर लगभग सात यहूदी परिवार रह रहे हैं। ईसा मसीह की मृत्यु के बाद की पहली शताब्दी में सन्त थामस, ईसा के शिष्य केरल आए। उनका स्वागत हिन्दू शासक द्वारा किया गया था। केरल में ईसाइयत पहली शताब्दी से है। हमें स्वतंत्रता मिलने तक ईसाइयों को संरक्षण मिला हुआ था - मैं संरक्षण शब्द पर जोर देता हूं - जोकि हिन्दू शासकों द्वारा प्रदान किया गया था। मेरे गांव के पास कल्लूपदम नाम का एक स्थान है। मेरे मित्र इस बात को जानते होंगे। वहां पर एक चर्च है जो मन्दिर से केवल एक दीवार द्वारा अलग किया हुआ है। यह चर्च 500 वर्ष पुराना है।

हिन्दू शासक ने देखा कि एक ईसाई के मृत शरीर को मणि माला नदी के पार सुदूर स्थान को ले जाया जा रहा था। यह देखने पर कि मृत शरीर को सुदूर ले जाया जा रहा है, हिन्दू शासक ने उस परिवार को बुलाया और पूछा: "आप लोग इस मृत शरीर को कहां ले जा रहे हैं?" उस परिवार ने उत्तर दिया, "दफनाने के लिए सुदूर स्थान की ओर ले जा रहे हैं।" इस पर शासक ने कहा, "यहीं पर एक चर्च बनाईए, वहीं कब्रिस्तान भी बनाइए।" 500 वर्ष पुराना चर्च आज भी केवल एक छोटी दीवार द्वारा मन्दिर से अलग किया हुआ है। यह मेरे निवास स्थान से मात्र सात किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उस जगह का नाम कल्लूपदम है। इस देश की यह महान परम्परा रही है। क्या हिन्दू विचारधारा या सिद्धान्तों या सहिष्णुता की महान परम्परा का कोई स्थान नहीं है? यह तो हुई पहली बात।

दूसरे यह कि यह असहिष्णुता क्यों उत्पन्न हुई? यह मूल प्रश्न है। एक छोटा समूह, सत्ताधारी दल का अग्रणी संगठन, हिन्दुत्व की अवधारणा को गलत ढंग से ग्रहण करता है और असहिष्णुता

फैलता है तो यह स्वाभाविक है कि दूसरी ओर से भी इसकी प्रतिक्रिया होगी। इसीलिए इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं।

आज हम इसे अनावश्यक रूप से तूल दे रहे हैं। हमें रचनात्मक उपायों को खोजना चाहिए। मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। केरल में, मैं कहूंगा, दो-तीन जिलों में, वे सैकड़ों वर्षों से सौहार्दपूर्ण जीवन-यापन कर रहे हैं। कोई भी नहीं कहेगा कि वहां का कोई मुसलमान देशभक्त नहीं है। कोई भी नहीं कहेगा कि कोई ईसाई देशभक्त नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई आरोप नहीं है कि कोई किसी ईसाई या किसी मुसलमान को देशद्रोही या राष्ट्र-विरोधी कह रहा है। हमारे पास ऐसा कोई आरोप नहीं है। यहां पर यह मुद्दा नहीं है। मूल मुद्दा यह है कि अल्पसंख्यकों के कुछ समुदायों पर वास्तव में अत्याचार किए गए हैं। इसका समाधान क्या है? मेरे पास एक हल है।

माननीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि उनकी सरकार कदम उठाएगी। आपकी सरकार कब कदम उठाएगी? क्या अत्याचार होने के बाद कदम उठाएगी? आज जिस बात की आवश्यकता है वह यह है कि अत्याचारों को नहीं होने दिया जायें। क्या आप इसे रोक सकते हैं? इसे केवल राजनीतिक निर्णय द्वारा रोका जा सकता है। मैं माननीय गृह मंत्री, श्री आडवाणी से यह सुनिश्चित कराना चाहता हूं कि भाजपा के अग्रणी संगठन देश में असहिष्णुता को बढ़ावा न दें।

अपराह्न 04.10 बजे

[*अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए*]

इसके साथ-साथ यदि वे सरकारी कार्रवाई करें तो इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। मैं नहीं समझता कि इसे केवल सरकारी कार्रवाई द्वारा रोका जा सकता है। इसीलिए, मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया इसके राजनीतिक पहलू को भी देखें और यह सुनिश्चित करें कि सत्ताधारी दल और इसके अग्रणी संगठन इस प्रकार का अभियान न चलाएं जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों को बढ़ावा दें, उन्हें यह विश्वास भी दिलाना होगा कि वर्तमान सरकार इन अत्याचारों क[illegible] करने में उनकी सहायता कर रही है। मैं आशा करता हू कि वे इस सम्बन्ध में सभा को आश्वासन देंगे।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : मान्यवर अध्यक्ष जी, श्री आरिफ मोहम्मद खां ने पिछले सप्ताह जिस बहस का आरंभ किया, उसमें अनेक सदस्यों ने भाग लिया और कुल मिलाकर जो चर्चा हुई है, वह बहुत सार्थक हुई है। मैं सभी वक्ताओं के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर सदन का ध्यान दिलाया है। उस समस्या के विषय में हमारी जो कमी है, उसको भी उन्होंने सदन के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। मैं सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए विशेष रूप से प्रोफेसर कुरियन के प्रति आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस चर्चा के दौरान कभी-कभी ऐसा लगता था जैसे मानो हम सदन को भी विभाजित कर रहे हैं और देश को भी सम्प्रदायों के आधार पर विभाजित कर रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए था। इसलिए उन्होंने उस पर खेद व्यक्त करते हुए यह कहा कि किसी सम्प्रदाय के लिए राष्ट्रविरोधी आदि कहना, अगर कोई कहता है तो गलत है लेकिन शायद कहा भी नहीं है।

मैं 1970 में पहली बार संसद में आया था जब मैं राज्य सभा मे निर्वाचित हुआ था। तब से लेकर आज तक दो वर्ष बीच के छोड़कर, जब 1996 में मैंने चुनाव नहीं लड़ा, उन दो वर्षों को छोड़कर बाकी शेष समय अर्थात् 26 साल मैं संसद में रहा हूं। इन 26 शालों में प्राय: हर वर्ष यह चर्चा होती रही। कोई वर्ष ही नहीं बीतता था जब साम्प्रदायिक तनाव, साम्प्रदायिक हिंसा और साम्प्रदायिक दंगों आदि पर चर्चा न हो। जैसे उस दिन नक्वी जी कह रहे थे कि पूरी चर्चा लाशों की गिनती पर होती थी कि किस दंगे में कितने लोग कहां मरे, कितने हिन्दू मरे, कितने मुसलमान मरे, प्राय: यही चर्चा होती थी। उसमें किसका दोष है, यह सरकारें बदलती रहीं। अधिकांश समय इन 28 सालों में कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। मैंने तब भी यही भाषा सुनी कि जो अल्पसंख्यक हैं, वह अपने को इस शासन में असुरक्षित अनुभव करते हैं। ऐसा बोलने वाले सब लोग होते थे। उधर जो बैठे हुए लोग थे, जो इधर होते थे, वह भी यही बोलते थे। उस समय यहां जो बैठे हुए लोग थे, वही रहते थे जो नहीं बोलते थे। वे कहते थे कि बहुत सुरक्षित हैं। किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं है। मैं इस नाते इस बार की चर्चा को एक अभूतपूर्व चर्चा मानता हूं, सर्वथा अपूर्व चर्चा मानता हूं, यूनीक चर्चा मानता हूं जिसमें गुणात्मक परिवर्तन है। साम्प्रदायिक मुद्दों पर हो रही चर्चा में गुणात्मक परिवर्तन आया है। साम्प्रदायिक विषय पर चर्चा का इस बार, दो घंटे की चर्चा शायद दस घंटे चली है, ...*(व्यवधान)* बारह घंटे चली होगी, लेकिन बारह घंटे की चर्चा में भी पूरी देर इस बात पर फोकस रहा कि अमुक व्यक्ति ने यह वक्तव्य क्यों दिया, कैसे दिया। संगमा साहब जो इस सदन के सम्माननीय सदस्य हैं, ने अपना पूरा बयान इस बात पर केन्द्रित किया कि आपकी विचारधारा समस्या है। उन्होंने हमारे मैनीफैस्टो से कोट करके कहा, आपका

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

यह कथन कि हिन्दुस्तान में एक राष्ट्र, एक जन, एक संस्कृति है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कल्पना आज की समस्या का मूल है। वैसे मुझे बहुत खुशी हुई कि उनमें तो वक्तव्य नहीं थे, किसी एक-आध वक्तव्य का उल्लेख किया होगा, लेकिन घटनाओं का तो उन्होंने उल्लेख किया ही नहीं जिसे एट्रॉसिटीज कहा जाए क्योंकि एट्रॉसिटीज एक बहुत बड़ा शब्द है। मैं मानता हूं कि इन दिनों इधर-उधर से जो सूचनाएं मिलीं उनको ज्यादतियां कहा जा सकता है। इन्हें कहीं-कहीं अन्याय भी कहा जा सकता है। सरकार का कर्तव्य है कि यदि कहीं पर ज्यादती होती है, कहीं पर अन्याय होता है, बेइन्साफी होती है तो उसके बारे में कदम उठाए और जो सरकार बेइन्साफी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, ज्यादती के खिलाफ कदम नहीं उठाती वह निश्चित रूप से लोगों में असुरक्षा का भाव पैदा करेगी, और फिर जो बात बनातवाला जी ने कही कि अल्पसंख्यक असुरक्षित अनुभव करते हैं, उसमें वजन आ जाएगा। लेकिन यदि कदम उठाए तो फिर असुरक्षा की चर्चा नहीं होनी चाहिए, यह मैं अनुरोध करूंगा क्योंकि यदि हिन्दुस्तान के अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की मानसिकता पैदा होगी तो निश्चित रूप से देश को नुकसान होगा। अगर मेरी सरकार इस असुरक्षा की मानसिकता का निराकरण नहीं कर सकती तो हम शासन का कार्य चलाने में सफल नहीं हो सकेंगे क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि अच्छा शासन, जिसे हमने कहा कि हम पचास साल पहले प्राप्त स्वराज्य को सुराज में बदलना चाहते हैं, तो सुराज का पहला लक्षण सुरक्षा है। अगर कोई भी नागरिक अपने को असुरक्षित अनुभव करे तो इसका मतलब है शासन में कमी है। लेकिन मैं अपने सभी सदस्यों, सभी पार्टियों से अनुरोध करता हूं कि यदि हमारी ओर से ज्यादती को रोकने की कोशिश न की गई होती तो आप दोष निकालते। मैं मानता हूं कि आजकल फायर फिल्म को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। मैंने वह फिल्म देखी नहीं है लेकिन जब मैं उसका वर्णन पढ़ता हूं तो मन में ग्लानी होती है कि ऐसी फिल्में क्यों बनती हैं। अमरीका के लिए ठीक होगा, पश्चिम के लिए इस प्रकार की चीजें ठीक होंगी कि लैसबियनिज्म पर पूरी फिल्म बनाओ, लेकिन हिन्दुस्तान के सारे वातावरण में क्या वह सूट करती है। फिर भी जब मुझे पता लगा कि किसी ने सिनेमा हाल में जाकर तोड़-फोड़ की, यह कर दिया, वह कर दिया, तो मैंने स्वयं पुलिस कमिश्नर से कहा कि यह नहीं चलेगा, वे चाहे मेरे सहयोगी दल के मैम्बर होंगे, लेकिन आपको उचित कार्यवाही करनी चाहिए। मुझे पता लगा कि मुम्बई में इस प्रकार का प्रदर्शन हुआ। जिसमें एक पार्टी के लोग कपड़े निकालकर, केवल कच्छा पहनकर वहां गए और प्रदर्शन किया, नारे लगाए। मुझे भले ही वह फिल्म पसंद न आए लेकिन मैंने कहा कि इस प्रकार का प्रदर्शन जिसमें वैंडलिज्म हो या एनडीसैंसी हो, लोकतंत्र में नहीं चलेगा। शासन का कर्तव्य हो जाता है कि अपना काम करे। असुरक्षा का भाव किसी में पैदा नहीं होना चाहिए, असहिष्णुता का भाव बढ़ना नहीं चाहिए, चाहे कल हमारे शिव सेना के नेता, वे इस समय हैं नहीं, लेकिन उन्होंने अध्यापकों के किसी प्रदर्शन का जिक्र किया कि किस प्रकार के अध्यापक आये थे, वे कम्पीट कर सकते हैं इस प्रकार की बात में, लेकिन मैं दोनों को गलत मानता हूं, किसी भी प्रकार के प्रदर्शन को। लोकतंत्र में सौम्यता, शिष्टाचार का भी एक स्थान है। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, संतोष है कि 10 घंटे की इस चर्चा में हत्या और हिंसा की चर्चा नहीं हुई, उपद्रवों और उत्पात की चर्चा नहीं हुई। चर्चा है तो यह बयान क्यों दिया, चर्चा है तो हमारे घोषणा-पत्र में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चर्चा क्यों की है, एक संस्कृति की बात क्यों आती है।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, क्या माननीय गृह मंत्री महोदय मुझे बोलने देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। कोई भी किसी फिल्म विशेष के गुणदोषों की चर्चा कर सकता है लेकिन माननीय गृह मंत्री का प्रत्येक प्रश्न को हिन्दू-मुस्लिम मुद्दा बनाने की प्रवृत्ति पर क्या दृष्टिकोण है? इसका ही अनिवार्य परिणाम है क्या पाकिस्तान जैसे देश से सम्मान प्राप्त करना जिसे .... कहा गया है ....*(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मुझे क्षमा कीजिए, मैं इस मामले में पड़ना नहीं चाहता हूं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : क्या माननीय गृह मंत्री महोदय को याद है कि श्री मोरारजी देसाई को भी यही एवार्ड दिया गया था?

श्री लालकृष्ण आडवाणी : क्षमा करें, यह सार्थक हस्तक्षेप नहीं है। मैं विषय को छोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं न तो 'फायर' की चर्चा कर रहा हूं न ही 'दिलीप कुमार' की चर्चा कर रहा हूं। मेरे पास उन पर बोलने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। ये लोग जो कह रहे हैं उनकी कई बातों से मैं सहमत हो सकता हूं। परन्तु वे यदि इसे केवल कह रहे हैं तो मैं उनकी बात को काटूंगा नहीं। परन्तु जब वे कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, गुण्डागर्दी करते हैं या अभद्र व्यवहार करते हैं तो मेरा भी कुछ कर्त्तव्य बनता है। इसीलिए मैंने ऐसा किया है। मैं फिल्म या इसमें काम करने वाले कलाकारों या जो इसका समर्थन कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मैं चर्चा कर रहा हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कृपया मेरी बात सुनें, आपने स्वयं को दूसरे ही विषय में उलझा लिया है। इस समय हम इस बात से चिन्तित हैं कि देश का कोई भी नागरिक - चाहे वह अल्पसंख्यक समुदाय का हो या बहुसंख्यक समुदाय का, इस अल्पसंख्यक समुदाय का हो या उस अल्पसंख्यक समुदाय का - स्वयं को असुरक्षित नहीं समझना चाहिए।

महोदय, मैं इतिहास की बात करता हूं। विभाजन का क्या आधार था? मुस्लिम लीग को इसलिए सफलता मिली क्योंकि उन्होंने मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा की भावना को जगाया और कहा कि "यदि भारत का विभाजन नहीं होता है, भारत अविभाजित रहता है जैसाकि कांग्रेस चाहती है तो इसका परिणाम होगा कि आपको हिन्दू बहुसंख्यक के अधीन रहना पड़ेगा।"

मैं गांधीजी पर हुए हमलों के ब्यौरे में नहीं जा रहा हूं। गांधी जी ही थे जो रामराज्य के बारे में बात करते थे।

[हिन्दी]

राम राज्य की चर्चा मैंने नहीं की। पहली बार अगर किसी ने राम राज्य की चर्चा की, एक नौजवान ने, एक विद्यार्थी ने गांधी जी से पूछा कि आप हमको कहते हैं कि स्वराज के लिए त्याग करिये तो आपकी स्वराज की क्या कल्पना है, हमको बताइये। उन्होंने कहा कि इस समय मैं भाषण तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर एक शब्द में तुमको बताऊं तो मैं कहूंगा कि स्वराज होगा, राम राज्य।

[अनुवाद]

अब यहां भारत में, रामराज्य की अवधारणा एक आदर्श राज्य की रही है। यह कल्पना बहुत पुरानी है ...*(व्यवधान)* कृपया क्षमा करें, हम लोगों के बीच में इस प्रकार का वार्तालाप नहीं हो सकता ...*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : गांधी जी की रामराज्य की अवधारणा और इनकी रामराज्य की अवधारणा में बहुत अन्तर है ...*(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मैं आपको मौका नहीं दे रहा ...*(व्यवधान)* मुझे किसी का समर्थन नहीं चाहिए, कृपया ...*(व्यवधान)*

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : गांधी जी की अवधारणा भिन्न थी।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मुझे पता है।

[हिन्दी]

आप धीरे-धीरे कहेंगे, जैसे आरिफ साहब ने पहले-पहले ही उसका जिक्र किया, अयोध्या का जिक्र तो कई लोगों ने किया, लेकिन आरिफ साहब ने अपना भाषण देते हुए शुरू-शुरू में ही कहा कि क्योंकि अभी छः दिसम्बर बीता है, आज 16 तारीख है, छः दिसम्बर को 2-3 टेलीविजन के कोरेस्पोंडेंट्स मेरे पास आये। उन्होंने आकर कहा कि आज 6 दिसम्बर है, आज से छः साल पहले 6 दिसम्बर को जो हुआ था उस पर हम आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। साधारणतः मैं इस विषय पर पिछले सात-आठ महीनों में कुछ नहीं बोला। उस दिन चूंकि 6 दिसम्बर था, उन्होंने सवाल पूछा और मैं कहता कि मुझे कुछ नहीं कहना तो शायद वे कुछ गलत अर्थ समझते। मैंने कहा कि वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, नहीं होनी चाहिए थी। उस घटना के कारण मेरी पार्टी को मेरे कॉज को धक्का लगा, मुझे व्यक्तिगत रूप से भी धक्का लगा। उसके बाद आरिफ साहब ने अपनी बात में उसको कहा और स्वागत किया। साथ ही यह भी कहा कि अगर आडवाणी जी ने छः साल पहले यह बात कही होती तो हो सकता है उस घटना के बाद जो बातें हुईं, वे न होती।

[अनुवाद]

आरिफ मोहम्मद ने यही कहा है। क्या मैं सही कह रहा हूं?

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : हां।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं यह चीज इसी रामराज्य के सन्दर्भ में कहता हूं। आप जब कहते हैं कि गांधी जी की कल्पना रामराज्य की अलग थी, आपकी कल्पना अलग है। यह परज्यूम करने वाले भी इस बात की भी कोशिश नहीं करते कि मैंने जो कहा है तो क्या कहा है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से 6 दिसम्बर के बारे में अभी मैंने बात कही तो किसी ने सम्पादकीय लिखा, एट लास्ट, आखिर आडवाणी जी ने माना कि 6 दिसम्बर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी।

श्री वसुदेव आचार्य : छः साल बाद माना।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं अभी उस पर आता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : कभी नहीं से देर भली ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कभी नहीं से देर भली। यह सत्य है। मैंने भी यही कहा है। हम आप आदर्श नहीं हैं। अक्सर कहा जाता है कि सामान्य लोग जो हैं उनकी अल्प स्मृति होती है।

[हिन्दी]

उनको कुछ याद नहीं रहता, इसीलिए पुरानी बात वे भूल जाते हैं। राजनीति में जो प्रमुख हैं, मैं मानता हूं जो लोक सभा का सदस्य बनता है और लाखों लोगों का प्रतिनिधि बनता है, वह निश्चितरूप से प्रमुख है। सांसदों को इस प्रकार की सलेक्टिव मैमोरी नहीं रखनी चाहिए। सलेक्टिव अमीनिशिया का आरोप मुझ पर लग सकता है। लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि मैंने अभी जो एक शब्द का प्रयोग किया 'दुर्भाग्यपूर्ण', मैंने इतना ही कहा. मैं उसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानता हूं। लेकिन जब 6 तारीख की घटना हुई तब उस दिन जिन लोगों ने मुझे देखा था, उनका वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन 27 दिसम्बर, 1992 को मैंने कोई छोटा-मोटा वक्तव्य या एक छोटी टिप्पणी नहीं की थी, पूरा लेख लिखा, वह फुल पेज आर्टिकल 'इंडियन एक्सप्रेस' के पहले पेज पर छापा। कलकत्ता का जो 'टेलीग्राफ' है, उसने तीन आर्टिकल्स को मिलाकर पूरा पेज छापा। उसका एक पैराग्राफ मैं पढ़ूंगा। 'अनफार्च्यूनेट' की तुलना करने के लिए कि मेरी प्रतिक्रिया उस समय जो थी, वह क्या थी। मैंने कहा–

[अनुवाद]

> "इसे वर्ष 6 दिसम्बर को अयोध्या में कार सेवा दिवस मेरे जीवन का एक सर्वाधिक विषादपूर्ण दिन था। निश्चित तौर पर अन्य अनेक लोग आनन्दविभोर थे जिसमें मैं शामिल नहीं हो सकता हूं। मैं उस दिन से अधिक उदास व खिन्न कभी नहीं रहा।"

[हिन्दी]

केवल इसलिए क्योंकि मैं मानता हूं और मैंने साथ-साथ यह भी विस्तार से लिखा कि मेरा दुःख किस कारण से था। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं कि जो कहते हैं कि गांधी जी की हत्या के बाद यह हो गया और वह हो गया। मैंने कहा कि मैं इस प्रकार की कल्पना नहीं करता हूं, उसका मैंने वर्णन किया है। आज का संदर्भ मैं नहीं मानता हूं लेकिन मैं यह जरूरी मानता हूं कि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी था क्योंकि कल्याण दूसरी थी। मुझे अयोध्या के आंदोलन के बारे में गर्व है। बहुत जबर्दस्त आन्दोलन था लेकिन मेरी दृष्टि से मैं उसको वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ आंदोलन मानता था। मैं इस पर विस्तार से कह सकता हूं लेकिन आज परंतु नहीं है। इस समय इतना ही कहूंगा।

[अनुवाद]

श्री जयपाल रेड्डी, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे से सहमत हों। मुझे यह अपेक्षा नहीं है। मेरा कहना है कि हम किसी के प्रति पक्षपातपूर्ण न हों। इसलिए कुरियन जी ने जो कुछ कहा:

> अतः मैंने पहले के भाषण में कम से कम एक नया बदलाव पाया, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे सहमत हूं।

[हिन्दी]

बड़ा अनर्थ हो गया और बहुत घटनाएं हुई हैं, बहुत अत्याचार हुए हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्योंकि घटनाएं लगातार होती रही हैं। यह मेरे पास पूरे दस साल का चिट्ठा है। ...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : हमें आंकड़े नहीं सुनाइए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राजो सिंह आप सदैव सभा में व्यवधान करते हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं दस साल के आंकड़े नहीं सुनाऊंगा। यह दस साल के आंकड़े हैं। हर साल 1989 से लेकर 1998 तक साम्प्रदायिक हिंसा में कितने लोगों की मृत्यु हुई है और उसमें मैं देखता हूं कि इन दस सालों में लोएस्ट फिगर्स अगर कोई हैं तो वे 1998 की हैं, इसलिए मेरे मन में संतोष है कि अगर मैंने कहा कि हमारी सरकार आएगी क्योंकि आखिर में कैम्पेन के दौरान जनवरी में, देश भर में मैं गया था और ऐसे स्थान थे जहां के मैंने भाषण सुने और वहां के मुखर मंत्रियों ने कहा कि

वाजपेयी जी की सरकार अगर नई दिल्ली में आ जाएगी तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी, दंगे हो जाएंगे। मैं यहां पर किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन मैंने सुना और उस समय मैंने जवाब भी दिया और मैं एक्चुअली देखता हूं। आंकड़े अलग-अलग हो सकते हैं और 1000 से 2000 तक लोग मरे थे। यह हमारे इस साल के अक्तूबर के 31 तारीख तक 162 लोग थे। वे कई प्रकार के होंगे। जहां तक हिन्दू मुसलमान का सवाल है, अभी-अभी किसी ने कहा है कि आप पिछले साल और इस साल का भी कम्पेरीजन करके बताइए। कोई जरूरत नहीं है। मैं पिछले साल मरने वाले लोगों की संख्या के बारे में भी तुलना नहीं करना चाहता हूं जब श्री जयपाल रेड्डी सत्ता में थे। मैं उसकी जरूरत नहीं समझता क्योंकि अगर कम मरे या ज्यादा मरें, मेरा कहना है कि मरने ही नहीं चाहिए। हिंसा नहीं होनी चाहिए, साम्प्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा का भाव एक-एक को मिलना चाहिए और मेरा फर्ज बनता है क्योंकि मुझे सरकार में आते हुए भी अगर सबसे बड़ी कठिनाई कोई लगती थी तो वह चारों ओर वातावरण फैला हुआ था कि इनकी सरकार आएगी तो दंगे हो जाएंगे, माइनॉरिटीज असुरक्षित हो जाएंगी, इसलिए मैं आउट ऑफ दि वे जाकर केशू भाई पटेल जी से बात करता हूं क्योंकि जो भी करता है, जहां कर करता है। मैं सबसे ज्यादा चिंतित हुआ जब मध्य प्रदेश की झाबुआ की बात मैंने सुनी। क्योंकि मैं संत्रस्त था, मैं पूर्णत: खिन्न था। कोई जाकर नन्स के ऊपर इस प्रकार बलात्कार करे या किसी स्थान पर जैन साध्वियों पर किया। यह उसी प्रकार की घटना है। जिन्होंने स्वयं को धर्म के प्रति समर्पित कर दिया है।

जीवन भर वे इस प्रकार से कमजोरी से युक्त रहेंगे, उनके ऊपर जाकर जो बलात्कार करें, वे दैत्य हैं, वे जघन्य अपराध करते हैं और जैसे ही मुझे पता लगा तो मैंने मध्य प्रदेश की सरकार से जानकारी प्राप्त की और जानकारी प्राप्त करने के बाद वहां से किसी ने फोन किया वहां पर हिन्दू और क्रिश्चियन का मामला बन रहा है जो सही नहीं है। मैंने मध्य प्रदेश की सरकार को ही कहा कि आप बताइए कि किस-किस धर्म के लोग हैं क्योंकि आपने बताया कि ये सब के सब ट्राइबल्स हैं। मैं इससे संबंधित नहीं हूं कि उनका राजनीतिक झुकाव क्या है, इसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। लोगों ने मुझसे कहा कि आप इस मामले को उठाइए। मैंने कहा कि मैं नहीं उठाऊंगा। मुझे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन आप इसको जरूर बताइए और जैसे ही उन्होंने मुझ को फीगर्स भेजे और कल किसी सदस्य ने खड़े होकर कहा कि आडवाणी जी गलत बोले। मैंने कहा - देखो, अगर गलत बोला हूं, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो बताया, मैं वही बोला हूं। मैंने कुछ और नहीं बोला है। मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि और कोई सोर्स नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार ने मुझको पत्र लिखकर दिया कि 24 लोग हैं और उनको नाम भेजे। इन 24 लोगों में से ये 12 ईसाई हैं और 12 हिन्दू हैं। यह मुझे भेजा है और मैंने वही बताया। यह बात मैंने इसलिए नहीं की कि वे ईसाई हैं, लेकिन इसलिए कही कि मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को, इस प्रकार की हत्याओं को कोई भी साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश न करे। लेकिन दुर्भाग्य से हुआ है। झाबुआ की घटना के कारण हिन्दुस्तान भर में हजारों स्कूलों के अनेक बच्चे बाहर निकल कर आए और उन्होंने प्रोसैशन निकाले। मैं समझता हूं कि यह हमारा कर्त्तव्य था कि हम इस बात का तुरन्त प्रतिवाद करते। मेरे पास एक विदेश के राजदूत आए और कहने लगे कि यह क्या घटना हुई है? मैंने बताया और वे सुनकर चुप हो गए। उनके पास कहने को कुछ नहीं था। यह बात सुनने के बाद सारी बातें बेकार हो गईं। अलबत्ता मैं मानता हूं, जिस विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यकर्ता ने यह बयान दिया, वह सरासर गलत दिया। गलत ही नहीं दिया, मैंने उनके जो सबसे बड़े अधिकारी थे, उनसे कहलवाया और सबसे बड़े अधिकारी ने तुरन्त बयान दिया। घटना की निन्दा की, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि यहां पर बैठे हुए इतने लोगों ने झाबुआ का जिक्र नहीं किया। हरेक वी.एल. सिंघल का जिक्र करता रहा। एक बार पुन: बयानों के मामले में भी चयनात्मकता अपनाई गई है। यह क्या हमको आगे बढ़ाएगा? यह क्या अच्छा करेगा, भला करेगा? हम श्री के.एल. शर्मा को उद्धृत करते हैं। हम श्री अशोक सिंघल को उद्धृत करने से इंकार करते हैं जो उनके सबसे बड़े नेता हैं। उनके जो सबसे बड़े नेता हैं, उनका जिक्र नहीं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि इस चर्चा में अगर संदर्भ यह होता कि घटना नहीं होनी चाहिए, तो मैं उसको स्वीकार कर लेता। मैं तुरन्त कहूंगा कि मेरा कर्तव्य आपसे भी ज्यादा है कि हिन्दुस्तान भर में, खासकर जहां हमारा शासन है, वहां पर किसी भी व्यक्ति में असुरक्षा की भावना न हो और यह हमारा कर्त्तव्य है।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं मुत्तफिक हूं कि हर बात को कॉम्युनल रंग नहीं देना चाहिए। यह अच्छी चीज है। आपने कहा कि उसमें क्रिश्चियन्स भी इन्वाल्वड थे। लेकिन जो कहा गया है, उससे लोगों में फिर कन्फ्यूजन पैदा हुआ

[श्री जी.एम. बनातवाला]

है। कुछ एसोसिएशन्स की तरफ से कहा गया कि उसमें कोई भी क्रिश्चियन्स नहीं हैं। जितने गिरफ्तार हुए हैं, उनमें भी नहीं हैं और जो गिरफ्तारी से बचे हैं, उनमें भी नहीं हैं। इस तरह से एक अलग बात आ चुकी है कि आपका बयान सही नहीं है। इसलिए लोगों में संतोष और इतमिनान पैदा करने के लिए, क्या आप इसकी मजीद छानबीन करके और अपनी छानबीन सी.बी.आई. या किसी भी तरीके से करवाकर, इस बात को भी खुले तौर पर आवाम के सामने पेश करेंगे?

شری جی ایم بنات والا (پوننانی) : جناب، میں شکر ہوں کہ ہر بات کو کیوں رنگ نہیں دینا چاہئے۔ یہ اچھی چیز ہے۔ آپ نے کہا کہ اس میں کرسچن بھی شامل تھے۔ لیکن جو کہا گیا ہے، اس سے لوگوں میں پھر کنفیوزن پیدا ہوا ہے۔ کچھ ایسوسی ایشنس کی طرف سے کہا گیا کہ اس میں کوئی بھی کرسچن نہیں ہے۔ جتنے گرفتار ہوئے ہیں، ان میں بھی نہیں ہیں اور جو گرفتاری سے بچے ہوئے ہیں، ان میں بھی نہیں ہیں۔ اس طرح سے ایک الگ بات چل گئی ہے کہ آپ کا بیان صحیح نہیں ہے۔ اسلئے لوگوں میں سکون اور اطمینان پیدا کرنے کے لئے، کیا آپ مزید چھان بین کر کے اور اپنی چھان بین سی۔بی۔آئی۔ یا کسی بھی طریقے سے کروا کر، اس بات کو بھی کھلے طور پر عوام کے سامنے پیش کریں گے؟

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जिन्होंने उसका प्रतिवाद किया, उसमें एक भी तथ्य का उल्लेख नहीं था, लेकिन उस प्रतिवाद के बाद गृह मंत्रालय की ओर से जो अधिकृत सूचना मध्य प्रदेश की सरकार ने हमको दी थी, उसको ज्यों-की-त्यों हमने प्रैस को रिलीज किया। सब नाम दिए हैं कि कौन उनमें ईसाई है, कौन उनमें हिन्दू है। इसका विवरण हमने प्रैस को दिया है। आप चाहेंगे, तो मैं सदन को भी उसको दे सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना ही मानता हूं, उनको भी शायद धक्का लगा होगा कि हमने इतने दिन इस आधार पर कैम्पेन किया उस कैम्पेन का धरातल निकल गया। मैं किसी को दोष नहीं देता हूं, लेकिन उन्होंने सहज रूप में प्रतिवाद कर डाला कि नहीं गलत है। जब प्रतिवाद कर डाला, तो मैंने गृह मंत्रालय से कहा कि आप केवल यह मत कहिए कि उनमें से कुछ क्रिश्चियन्स थे। आप सबके नाम दे दीजिए और तारीख भी बता दीजिए। जिस दिन मध्य प्रदेश की सरकार और उनके अधिकारी ने पत्र लिखा है, वह आफिशियली दे दीजिए और उन्होंने दे दिया। मैं समझता हूं कि इसमें और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। वैसे संगमा जी ने जो विचारधारा की बात उठाई थी, उसका काफी अच्छा उत्तर उमा जी ने दे दिया है; उमा जी ने यह भी बताया कि मैं अगर इस मामले में सैक्युलर हूं, तो मैं इसलिए नहीं हूं कि मैं कोई ईसाई स्कूल में पढ़ा हुआ हूं। वह किसी ईसाई स्कूल में नहीं पढ़ी हैं, वह गांव के किसी स्कूल में पांचवीं कक्षा तक पढ़ी हैं। उनके पूजा घर में जहां कृष्ण भगवान की मूर्ति है वहीं ईसामसीह की भी मूर्ति है, क्योंकि हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इसलिए आश्चर्य हुआ क्योंकि जब कल संगमा जी इस बात पर आपत्ति उठा रहे थे कि आडवाणी जी तो बौद्धों को भी हिन्दुओं का हिस्सा मानते हैं, जो बुद्ध है वह विष्णु के अवतार थे, उन्होंने कल यहां यही बात कही।

महोदय, पिछले महीने सारनाथ में एक बुद्ध सम्मेलन था, जहां विश्व भर से लोग आए थे। वहां अनेक बौद्ध भी थे। वहां मैंने यह बात जरूर कही थी:-

[अनुवाद]

> "बुद्ध ने किसी नए धर्म का प्रवर्तन नहीं किया। वह केवल हिन्दू-आर्य सभ्यता के प्राचीन आदर्शों पर नए सिरे से बल दे रहे थे। उन्होंने उस समय प्रचलित विश्वास और परम्पराओं की बुराइयों को दूर किया और धर्म के बुनियादी आदर्शों पर बल दिया। बौद्ध धर्म और भारत के बीच अभिन्न संबंध है और इस अभिन्नता को सभी को समझना चाहिए। भारत में बुद्ध पैदा हुए थे और भारत में बुद्ध की विरासत फली फूली है।

फिर मैंने कहा:-

> "अधिकतर भारतीयों के लिए बुद्ध अवतार हैं और उन्हें हिन्दू समाज के सभी पंथ व उपपंथ आदर देते हैं।"

[हिन्दी]

मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो बुद्धिज्म को कम करने के लिए हो। हमारे यहां जो दशावतार की कल्पना है उसमें बुद्ध भी एक अवतार हैं। हम में से बहुत से लोगों ने अनेक बार भारत नाट्यम का दशावतार, कत्थक का दशावतार देखा होगा, उन सब में एक अवतार बुद्ध जरूर हैं। बुद्ध ट्रेडिशनल सेंस में आस्तिक नहीं थे, वह ईश्वर के विश्वासी नहीं थे। इसके बावजूद मैंने उसी में कोट किया, मैंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ईश्वर के बड़े भक्त थे, वह आस्तिक थे। उन्होंने बुद्ध और ईश्वर के लिए क्या कहा--

[अनुवाद]

"बुद्ध का जीवन दर्शाता है कि जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करता है जिसका कोई सिद्धान्त नहीं है जिसका कोई पंथ नहीं है जो गिरजाघर या मंदिर में नहीं जाता है वह भी निर्वाण प्राप्त कर सकता है। मैं कामना करता हूं कि मुझमें भी बुद्ध का सूक्ष्म अंश हो। हो सकता है बुद्ध ईश्वर में विश्वास करते हों और हो सकता है नहीं करते हों। मेरे लिए वह महत्वपूर्ण नहीं है। वे पूर्णता की उसी स्थिति तक पहुंचे जिस तक अन्य लोग भक्ति या ईश्वर प्रेम या योग या ध्यान से पहुंचे हैं। सम्पूर्णता विश्वास या आस्था से प्राप्त नहीं होती है। बातों का कोई महत्व नहीं है। तोता भी वह कर सकता है। सम्पूर्णता नि:स्वार्थ कर्म से प्राप्त होती है।"

[हिन्दी]

उसमें मैंने डिसइंटरस्टेड पर्फोरमेंस ऑफ एक्शन जरूर जोड़ा है। जिसका अर्थ वही गीता का पाठ है, गीता का ज्ञान है। उसमें उन्होंने कहा कि निष्काम योग एवं निष्काम कर्म करो, उसी पर मैंने कहा। कल हमारे संगमा जी आपत्ति कर रहे थे कि इन्होंने भगवतद् गीता कैसे कहा।

[अनुवाद]

श्री आर.एस. गवई (अमरावती) : क्या आप एक मिनट रुक सकते हैं। महोदय, मैं आपकी भावना का आदर करता हूं कि सारनाथ में बौद्ध सम्मेलन में आपने कहा कि भगवान बुद्ध अवतार हैं। यह बात काठमांडू में विश्व बौद्ध सम्मेलन में भी सामने आई थी जहां मैंने कहा था कि वह माननीय मंत्री जी का अपना विश्वास है क्योंकि मैं काठमांडू में था न कि भारत में किंतु बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि वह ईश्वर हैं। न ही उन्होंने कभी कहा कि वह ईश्वर के पुत्र या दूत हैं।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री आर.एस. गवई : उन्होंने कहा, "मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं।" *...(व्यवधान)* मैं स्पष्ट कर रहा हूं। व्यक्ति और व्यक्ति के संबंधों में विश्वास करते थे, और एक बार जब अपने शिष्य आनन्द को अंतिम बार उपदेश दे रहे थे तो उसने पूछा, "भगवन मुझे आशा है कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी।" बुद्ध ने कहा, "आनन्द, मैं स्वर्ग, नरक या अवतार में विश्वास नहीं करता हूं।" यह आपके विचार हो सकते हैं किंतु हम पर इस बात को न थोपें कि हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि बुद्ध अवतार हैं। यह विश्वास योग्य नहीं है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपका आदर करता हूं और मैं यह कहता हूं कि आपने जो अभी बात कही उसके कारण बुद्ध हमारी नजर में और ऊंचे उठ जाते हैं। उन्होंने कभी भी ईश्वर होने का दावा नहीं किया, उन्होंने कभी भी ईश्वर का दूत होने का दावा नहीं किया। मैंने कहा कि हिन्दू समाज उन्हें दशावतार मानता है।

[अनुवाद]

श्री आर.एस. गवई : मैं चुनौती देना नहीं चाहता हूं किंतु मेरा कहना है कि हम पर किसी बात को न थोंपे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सही पढ़ा। मैंने कहा — अधिकतर भारतीयों के लिए बुद्ध एक अवतार हैं और न केवल बौद्ध धर्मावलम्बियों अपितु हिन्दू समाज के सभी पंथों व उपपंथों द्वारा उनका आदर किया जाता है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, अब मैं मैनीफैस्टो पर आऊंगा क्योंकि उन्होंने हमारे मैनीफेस्टो को उद्धृत किया और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चर्चा करते हुए उस पर आपत्ति की और कहा कि हम वन कल्चर की बात क्यों करते हैं। उमा जी ने उन्हें कहा कि आप वन नेशन में तो विश्वास करते होंगे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तब उमा जी ने कहा कि आप वन पीपल में भी विश्वास करते होंगे, लेकिन आपकी आपत्ति शायद वन कल्चर पर होगी। वैसे कुछ सदस्य हमारे यहां बैठे हैं जिनको वन नेशन पर भी आपत्ति हो सकती है। कम से कम एक-आध पार्टी ऐसी है जो हिन्दुस्तान को वन नेशन की कल्पना नहीं मानती है। वे कहते हैं कि भारत एक बहुराष्ट्रिक देश है *...(व्यवधान)* उनकी यह कल्पना है, उसका जिक्र मैं बाद में करूंगा, नहीं तो वह भी जरूरी नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : अध्यक्ष महोदय, *...(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूं।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, हमने हमेशा कहा है कि भारत एक राष्ट्र है केवल यहां की संस्कृति बहुलवादी है। मैं नहीं समझता कि कोई यहां कहे कि यह बहुराष्ट्रिक राज्य है। इस पक्ष से किसी ने भी यह नहीं कहा है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यदि आप चाहते हैं तो मैं भाकपा(मा) द्वारा सरकारिया आयोग को दिए गए ज्ञापन से उद्धृत कर सकता हूं। किंतु इसे अभी नहीं करना चाहता हूं यह उचित अवसर नहीं है। किंतु उन्होंने उस ज्ञापन में ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : उसकी गलत व्याख्या मत कीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : उसमें विभिन्न भाषाई गुटों का उल्लेख किया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : गलत व्याख्या मत कीजिए। राष्ट्रीयता का प्रश्न भिन्न है। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : श्री बसुदेव आचार्य अपने आप में सही हैं। आप सब क्यों चिल्ला रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना आसन ग्रहण कीजिए। उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। वे नहीं मान रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, वे गलत व्याख्या कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : श्री बसुदेव आचार्य आप उसे भूल जाओ। मैंने केवल कहा कि जब कुमारी उमा भारती ने श्री संगमा का उल्लेख किया तो उन्होंने कहा, ''एक राष्ट्र के बारे में आपकी आपत्ति नहीं हो सकती। एक जन के बारे में आपकी आपत्ति नहीं हो सकती। आपकी आपत्ति एक संस्कृति की अवधारणा के बारे में है, ''जिसके बारे में अभी प्रो. कुरियन ने कहा कि यह एक बहुलवादी संस्कृति है। इस पर कोई आपत्ति नहीं है। यह एक संस्कृति है। प्रत्येक विशाल व प्राचीन देश में संस्कृति बहुलवादी, मिली-जुली, विविधतापूर्ण अवश्य होगी। वहां एकरूपता नहीं हो सकती है। यह अपरिहार्य है, किंतु बात यह है कि यह एक संस्कृति है ...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिवशंकर (तेनाली) : उचित अभिव्यक्ति ''विभिन्न स्वरूप'' हो सकती है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे पता है। मैं जानता हूं विभिन्न स्वरूप हैं। किंतु जब मैंने 'एक संस्कृति' कहा तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

[हिन्दी]

हम 1947 में आजाद हुए थे और आज वर्ष 1998 है। मैं नहीं जानता कि कब यहां लोक सभा ने बैठना शुरू किया क्योंकि कांस्टीटूएंट असेम्बली तो वहां बैठती थी, लोक सभा शायद यहां बैठती हो। लोक सभा में ''धर्म-चक्र-प्रवर्तनाय'' कब लिखा गया, इसका मुझे पता नहीं है। शायद 1947-48 में लिखा गया होगा। आज अगर हम बैठते और स्पीकर साहब या प्राइम-मिनिस्टर साहब कहते कि यहां पर ''धर्म-चक्र-प्रवर्तनाय'' लिखवाओ तो उसी प्रकार का विरोध होता जैसा विरोध आज संस्कृत का हुआ है, वंदे-मातरम् का हुआ है। मुझे जब पता लगा कि वहां इसे कम्पलसरी किया जा रहा है तो मैंने वहां के मुख्यमंत्री को कहा कि इसे कम्पलसरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि वंदे-मातरम् कहीं होगा तो कोई उसका विरोध करेगा और कहेगा कि मैं स्कूल से अपने बच्चों को हटा लूंगा। आज सदन में 'वंदे मातरम्' गाया जाता है। हर सैशन 'जन गण मन' से शुरू होता है और हर सैशन 'वंदे मातरम्' से समाप्त होता है। क्या इसके विरोध में सदस्य निकल कर चले जाएंगे? इन दोनों बातों में अन्तर समझिए। कम्पलशन करना एक चीज है और इसके बारे में मैंने अपनी राय बतायी है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला) : विरोध अलग चीज है लेकिन आप इसे कम्पलसरी नहीं कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

پروفیسر سیف الدین سوز (بارہ مولا) : مخالفت الگ چیز ہے لیکن آپ اسے کمپلسری نہیں کر سکتے...(مداخلت)

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे याद है कि इस विषय पर संविधान सभा में विस्तृत रूप से विचार किया गया था।

[हिन्दी]

'वन्दे मातरम्' के इस्यू के बारे में काफी डिसकशन हुआ। उस समय भी कुछ लोगों ने कहा था कि 'वंदे मातरम्' नहीं होना चाहिए। सब से चर्चा करने के बाद तय हुआ कि नेशनल ऐंथम 'जन गण मन' को करते हैं। यह दोनों के बीच था।

[अनुवाद]

मैं संविधान सभा के वाद-विवाद से उद्धृत करूंगा। मैं उस बात को उद्धृत करता हूं जो डा. राजेन्द्र प्रसाद ने 24 जनवरी, 1950 को कही थी।

[हिन्दी]

26 जनवरी को फार्मली संविधान इम्प्लीमैंट हो गया।

[अनुवाद]

सत्र का अंतिम दिन था और हर बात तय हो गई थी। उन्होंने कहा:-

> "एक मामला चर्चा के लिए लम्बित पड़ा है और वह राष्ट्र गान का प्रश्न है। एक बार यह सोचा गया था कि उस मामले को सभा के समक्ष लाया जाए और एक संकल्प के माध्यम से निर्णय लिया जाए।"

लेकिन सब से चर्चा करके वह जिस नतीजे पर पहुंचे, उसका जिक्र किया।

> "किंतु यह महसूस किया गया कि संकल्प के माध्यम से औपचारिक निर्णय करने, जिसका तात्पर्य मत विभाजन और मतदान होगा, के बजाए यह बेहतर होगा कि मैं राष्ट्रगान के बारे में सभा की आम सहमति को व्यक्त करने वाला वक्तव्य दूं।" मैं यह नहीं कह रहा हूं किंतु इसका तात्पर्य वह है।

"तदनुसार मैं वक्तव्य देता हूं।"

उन्होंने कहा:

> "जन गण मन शब्दों और संगीत से मिलकर बनी रचना सरकार द्वारा शब्दों में अवसर के अनुसार यथा प्राधिकृत ऐसे बदलाव के अध्यधीन भारत का राष्ट्रगान है और वंदे मातरम्, गान जिसने भारत के स्वाधीनता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है; उसे भी जन गण मन के समान ही आदर दिया जाएगा और इसका दर्जा भी उसी के समान होगा।"

इस निर्णय की घोषणा संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में संपूर्ण सभा की ओर से राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने की थी और सारी सभा ने इसका स्वागत किया था।

[हिन्दी]

इसलिए बहुत सालों तक यहां 'जन गण मन' नहीं होता था। जब शिवराज पाटील इस सदन के अध्यक्ष थे, उन्होंने जनरल परपसेज कमेटी की एक मीटिंग बुलायी थी। उसमें यह प्रस्ताव रखा। शायद महाराष्ट्र विधान सभा में होता होगा। वह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ। वह निर्णय सर्कुलेट हो गया। उसके बाद कुछ लोगों ने पत्र लिख कर आपत्ति की। मैं भी उनसे मिला। मैंने 'वंदे मातरम्' करने के लिए कभी आग्रह नहीं किया। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मत निर्णय हुआ है, अगर कोई उसका विरोध करेगा तो वह ठीक और उचित बात नहीं होगी। हमारी पार्टी के उस समय 119 मैम्बर थे। हमने कहा कि हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। 119 मैम्बर खड़े होकर 'वंदे मातरम्' गाएं, यह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है, वह कार्यान्वित होगा। उन्होंने वह निर्णय कार्यान्वित किया। उनको और इस हाउस को इस बात का अभिनन्दन है कि उन्होंने महत्वपूर्ण बात की। जो चीज सचमुच 1947 के तुरन्त बाद होनी चाहिए थी, वह उस समय हुई।

मुझे याद है, पहले सिनेमा घरों में 'जन गण मन' होता था लेकिन हिन्दुस्तान साफ्ट स्टेट है। उस समय कुछ लोग उसका अनादर करते हुए चले जाते थे इसलिए सरकार ने निर्णय किया कि इसे सिनेमा घरों में दिखाना बंद किया जाए। दुनिया के सभी देशों में अगर कोई राष्ट्रगान का अनादर करता है तो सरकार को चिंता होती है कि इस अनादर को रोका जाए, उसके सामने झुका न जाए। हमारे यहां यह प्रवृत्ति है कि कोई अनादर करता है तो कहा जाता है कि इतना बड़ा देश है, इतने लोगों को कैसे रोक सकते हैं? मैं मानता हूं कि इन पचास सालों में यहां राष्ट्रीय सम्मान के चिह्नों के प्रति जो रवैया रहा वह देश की कमजोरी के कारण हुआ। यह भी एक कारण था कि हमने साफ्ट स्टेट बनना शुरू कर दिया। मैं विनम्रता से सभी से अनुरोध करूंगा कि राष्ट्र के सम्मान चिह्नों के बारे में बहस मत खड़ी करिये। कहीं-कहीं पर थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो उस गलती को ठीक करने के लिए आप बताइए कि यह ठीक नहीं है, ऐसा करो, वैसा करो। इन मुद्दों को आप वाद-विवाद का विषय मत बनाओ। अगर आप पब्लिक डिबेट के इश्यू बनाएंगे तो निश्चित रूप से जिनको यह बात ज्यादा तीव्र लगती है, उनको मैं कहूंगा कि इसमें 'जन गण मन' के लिए कोई शब्द प्रयोग नहीं किया है। अगर राजेन्द्र बाबू ने किसी के लिए प्रयोग किया है तो 'वन्दे मातरम्' के लिए किया है, जिसमें कहा है कि — "ऐसा इसलिए कि इसने भारत के

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

स्वाधीनता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है'', मैं आपसे सहमत नहीं हूं। नहीं तो महात्मा गांधी के वक्तव्य निकालूंगा तो ऐसे-ऐसे वक्तव्य हैं इसके बारे में कि जिनकी तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि उस समय के लोग समझते थे कि 'वन्दे मातरम्' का क्या स्थान है और आज 'वन्दे मातरम्' के लिए कोई फतवा निकाले और उसकी भी जय-जयकार हो कि बहुत अच्छा किया, ठीक किया और उन्होंने अगर कहा कि स्कूलों के बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाएं 'वन्दे मातरम्' होता है तो उसकी प्रशंसा करना मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगता है। आप इस तरह वकालत कैसे कर सकते हैं। आप उसे नहीं कर सकते हैं। और इसलिए मैं निवेदन करूंगा सभी से कि अट्रॉसिटीज ऑन माइनॉरिटीज ...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला : यह जरा गलत समझ लिया गया है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। ...*(व्यवधान)* जरा गलतफहमी है। मैं मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहता था। अगर आप मिसअंडरस्टैण्डिंग दूर करने की इजाज़त न दें तो यह आपकी मर्जी है।

شری جی ایم بنات والا (پوننانی) : یہ ذرا غلط سمجھ لیا گیا ہے۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا تھا۔...(مداخلت) ذرا غلط فہمی ہے۔ میں مس انڈراسٹینڈنگ دور کرنا چاہتا تھا۔ اگر آپ مس انڈراسٹینڈنگ دور کرنے کی اجازت نہ دیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं हर गलतफहमी को दूर करने की इजाज़त दे रहा हूं।

श्री जी.एम. बनातवाला : मैं इतना ही कहना चाहता था कि जिस कदर मुझे मालूम है और अखबारात पढ़कर मुझे मालूम है, वह यह है कि मौलाना अली मियां ने जो कहा वह फतवा नहीं है क्योंकि फतवा कोई जारी नहीं करता। उन्होंने ऐडवाइस दी कि अगर मुसलमान बच्चों को कंपलसरी किया जाए और इस बात पर मजबूर कर दिया जाए कि वह पढ़ें तो फिर बेहतर यह होगा कि वह इन स्कूलों को छोड़ दें। मजबूरी की बात थी कि अगर कोई कहे कि तुम्हें सरस्वती वन्दना पढ़नी ही पड़ेगी तो बात अलहदा है और वह शिर्क हो जाती है। उसकी बात उन्होंने कहीं थी। वही बात जो आपने पहले कंपल्शन के बारे में कही थी, वही कंपल्शन की बात है कि जो शिर्क पर जाकर पहुंचती थी, उन्होंने की थी जहां तक मैं समझता हूं उनकी बात को।

شری جی ایم بنات والا (پوننانی) : میں اتنا ہی کہنا چاہتا تھا کہ جس قدر مجھے معلوم ہے اور اخبارات پڑھ کر مجھے معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ مولانا علی میاں نے جو کہا وہ فتویٰ نہیں ہے فتویٰ کوئی جاری نہیں کرتا۔ انہوں نے ایڈوائس دی کہ اگر مسلمان بچوں کو کمپلسری کیا جائے اور اس بات پر مجبور کر دیا جائے کہ وہ پڑھیں تو پھر بہتر یہ ہوگا کہ وہ ان اسکولوں کو چھوڑ دیں۔ مجبوری کی بات تھی کہ اگر کوئی کہے کہ تمہیں سرسوتی وندنا پڑھنی ہی پڑیگی تو بات علیحدہ ہے اور وہ شرک ہو جاتی ہے۔ اسکی بات انہوں نے کہی تھی۔ وہی بات جو آپ نے پہلے کمپلشن کے بارے میں کہی تھی وہی کمپلشن کی بات ہے کہ جو شرک پر جاکر پہنچتی تھی، انہوں نے کی تھی جہاں تک میں سمجھتا ہوں اسی بات کو۔

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि मुझे और कुछ विशेष नहीं कहना, सिवाय इस बात को फिर से दोहराने के कि जहां तक इस सरकार का सवाल है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अबुल हसनत खां (जंगीपुर) : एक संस्कृति के बारे में क्या कहना है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं एक संस्कृति विषय पर भी आऊंगा, मैं आपका आभारी हूं—

[हिन्दी]

क्योंकि मैं उसका जिक्र करना चाहता था।

मेरे मित्र सामने बैठे हुए हैं। 1961 में ए.आई.सी.सी. का सेशन मदुरई में हुआ था। मैंने पिछले दिनों पब्लिकेशन्स डिविजन का एक ऑफिशियल पब्लिकेशन नेहरू जी के भाषणों पर पढ़ते हुए देखा कि ए.आई.सी.सी. के सेशन के अवसर पर पंडित नेहरू ने एक बहुत ही मार्मिक बात कही। मदुरई दक्षिण के उन नगरों में से एक है जो एक प्रकार से देवालयों का नगर है। वहां का मीनाक्षी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और वहां पर उन्होंने कहा —

[अनुवाद]

"भारत युगों से तीर्थस्थलों का देश है। संपूर्ण देश में हिमाच्छादित हिमालय में बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक आप इन प्राचीन स्थलों को पाएंगे। दक्षिण से उत्तर तक और उत्तर से दक्षिण तक इन महान तीर्थस्थलों में किस बात ने हमारे लोगों को आकर्षित किया है?"

उन्होंने एक प्रश्न किया और फिर वे उत्तर देते हैं।

"यह एक देश और एक संस्कृति की भावना है और इस भावना ने हमें एक साथ जोड़ रखा है।"

यह मेरी पसंद नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की राय हो सकती है किंतु हमारी नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हो सकता है, किंतु मैं उन्हें मौका नहीं दे रहा। *...(व्यवधान)* पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दें *...(व्यवधान)* हां, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू से असहमत हो सकते हैं। किंतु मुझे विश्वास है कि विपक्ष में बैठे हमारे मित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू से असहमत नहीं हो सकते हैं *...(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : भाषा के मुद्दे पर दिए गए आश्वासन के बारे में कहना है *...(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह इसलिए क्योंकि श्री संगमा कांग्रेस से संबंधित हैं। *...(व्यवधान)* मैं उन्हें मौका नहीं दे रहा हूं *...(व्यवधान)*

अपराह्न 5.00 बजे

एक महान राष्ट्र के रूप में भारत की संकल्पना, जिसे लोग पवित्र भूमि मानते हैं, ने सदियों से हमें एक सूत्र में पिरोया हुआ है। हालांकि हमारे विभिन्न राजनीतिक राज्य हैं और जबकि हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, इस नरम बन्धन ने हमें अभी भी अनेक तरीकों से एक साथ रखा हुआ है।

प्रो. पी.जे. कुरियन : पंडितजी ने भी कहा था कि एकता में अनेकता है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जी हां, एकता में अनेकता। लेकिन यह एकता है और यह वह नरम बन्धन है जिसने एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है। इसलिए, मैं जितना सम्मान सिन्धी अथवा हिन्दी अथवा मराठी का करता हूं उतना ही तमिल का सम्मान करता हूं। मैं देश के विभिन्न धर्मों का सम्मान करता हूं।

आपने बहुत सही कहा कि हिन्दुत्व में असहनशीलता के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं इससे आगे यह कहूंगा कि इस देश की संस्कृति में असहनशीलता का कोई स्थान नहीं है। इसका स्थान किसी अन्य देश की संस्कृति में होगा। इसका भी महत्व है।

[हिन्दी]

उस दिन हमारे कुछ मित्रों ने जब 85 परसेंट की बात कही तो आपकी जो प्रतिक्रिया हुई, वह मैं समझ गया क्योंकि उसमें से भाव यही निकलता था जैसे मानो 85 परसेंट के कारण 15 परसेंट को मानना पड़ा है, यह गलत बात है। मैं मानता हूं कि 15 परसेंट जो यहां हैं, उनका कल्चर भी वही है। उनका धर्म भले ही दूसरा रहा हो, मजहब दूसरा रहा हो लेकिन टालरैंस बेसिक है। सब में है। किसी में अगर कोई फर्क आया है तो पोलिटिक्स के कारण आया है, संस्कृति के कारण नहीं आया है।

[अनुवाद]

श्री शिवशंकर, मुझे पिछले वर्ष बहुत अच्छा अनुभव हुआ था।

[हिन्दी]

लास्ट ईयर मैं हैदराबाद गया। हैदराबाद में मुझे वहां के आर्च बिशप आल्लपा मिले। उन्होंने कहा कि– मैं आपकी सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की संकल्पना से पूर्णत: सहमत हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से कहूंगा,– "मैं धर्म से ईसाई हूं लेकिन संस्कृति से हिन्दू हूं। उन्होंने ऐसा कहा था।" जब उन्होंने यह कहा था, वह हिन्दुत्व की किसी संकीर्ण धारणा का उल्लेख नहीं कर रहे थे।

[हिन्दी]

जब हिन्दू की कोई बात कही जाती है। इसलिए अगर किसी ने कहा कि यह देश सेक्युलर है, 1947 में हम सेक्युलर हुए किस आधार पर हुए कि हिन्दुओं का बहुमत कहां है, मुसलमानों का बहुमत कहां है। कितना रक्तपात हुआ, कितने लाखों-करोड़ों लोग इधर से उधर गये। पाकिस्तान ने अपने को इस्लामिक राज्य घोषित किया। इस्लामिक राज्य की घोषणा का अर्थ है कि वहां इस्लाम को मानने वाले पहले दर्जे के नागरिक हैं। अन्य दूसरे दर्जे के

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

नागरिक हैं। इस्लाम के ही अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें वहां कोई स्थान नहीं है। दूसरी तरफ हिन्दुस्तान की कांस्टीटुएंट असेम्बली की सारी डिबेट्स देख लीजिए, उसके सारे पेजों को देख लीजिए। किसी ने भी नहीं कहा कि हिन्दुस्तान को हिन्दू राष्ट्र घोषित किया जाये। इस बारे में सर्वसम्मति थी।

इस देश में मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इस देश में सेक्युलरवाद का अर्थ यही है कि मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, सभी को बराबरी की गारंटी, सभी को सुरक्षा की गारंटी, तो मैं मानता हूं कि यह देन कांस्टीच्यूएंट असेम्बली की इतनी नहीं है जितनी हिन्दुस्तान की प्राचीन संस्कृति की देन है। संस्कृति और परम्परा के कारण यह देश सेक्युलर है और उस परम्परा को आप भारतीय कहें, हिन्दू कहें, इंडियन कहें, शब्दों के बारे में मेरा कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि हिन्दुओं की बात मत करो क्योंकि फिर उनको कहा जाएगा कि यह धर्म चक्र कहां से आ गया। "धर्म चक्र प्रवर्तनाय" यहां से निकालो। कितनी बार पंडित नेहरू जी विदेशों में गये। श्रीमती इंदिरा गांधी जी विदेशों में जाती थीं। यूनाइटेड नैशन्स में जब भी भाषण देती थी तो वह आरंभ ऋग्वेद की रचना से करती थी या किसी उपनिषद के श्लोक से शुरू करती थी। उस पर कोई आपत्ति नहीं उठाता था कि आप सेक्युलर देश की हैं, आप ऋग्वेद और उपनिषद की क्यों चर्चा करती हैं। लेकिन आज का वातावरण जो हम पैदा कर रहे हैं उसमें यह बात बढ़ रही है और धीरे-धीरे कोई संस्कृति की बात करता है तो मानो उसने अनर्थ कर दिया। कोई अगर सरस्वती वंदना का जिक्र करता है तो पता नहीं उसने क्या कर डाला, ऐसा लगने लगता है। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के भाव मत लाइए। यह देश एक है, इस देश में मजहब अलग-अलग हो सकते हैं, भाषाएं अलग-अलग हो सकती हैं लेकिन इस देश की मूल संस्कृति को कम्पोजिट कहिए, वेरीड कहिए लेकिन उसकी मूल यूनिटी वही है, जिसे उन्होंने सिल्कन बॉड कहा है, रेशमी रेखा कहा है, उसे मानिए। मुझे विश्वास है कि जहां तक सरकार की बात है, वह अपने दायित्व में कभी नहीं चूकेगी। यदि किसी के साथ भी अन्याय होगा तो हम बीच में आएंगे, उस सरकार को भी कहेंगे, हम भी हस्तक्षेप करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कार्य सूची में मद संख्या 12 पर सूचीबद्ध विधेयक पर आगे चर्चा करेगी।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि मद संख्या 18 पर कल चर्चा की जाए।

अध्यक्ष महोदय : हम कार्यसूची में मद संख्या 12 पर सूचीबद्ध विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं न कि मद संख्या 18 पर। वैद्य विष्णु दत्त।

अपराह्न 5.11 बजे

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक—*जारी*

[हिन्दी]

वैद्य विष्णु दत्त (जम्मू) : सभापति महोदय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन बिल के समर्थन में मुझे जो बोलने का अवसर मिला है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद केन्द्रीय कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के वेतन में जो वृद्धि हुई है, उस वेतन वृद्धि में हमारी और वेतन आयोग की पांच रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। पांचवीं रिपोर्ट के बाद सेवा कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों की जो वेतन वृद्धि हुई है, उसके कारण क्योंकि पिछले पचास वर्षों में न्यायालयों के न्यायाधीशों की, चाहे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों, वेतन वृद्धि एक ही बार हुई और यह दूसरी बार संशोधन हुआ। असल में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन वृद्धि और जो अन्य सुविधाएं हैं, वे सारी संविधान की धारा 125, धारा 221 और शैडयूल सैकिंड की उपधारा (डी) के अनुसार नियंत्रित हैं। जब संविधान लागू हुआ, उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन 5,000 रुपये था और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 4,000 रुपये मासिक था। चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का वेतन 4,000 रुपये था और दूसरे जजों का वेतन 4,500 रुपये था। 1986 में जब दोबारा संविधान में संशोधन हुआ, क्योंकि बाकी कर्मचारियों के साथ और आयोग की सिफारिशों के बाद तुरन्त न्यायाधीशों की वेतन-वृद्धि नहीं होती, उसके लिए हमें संविधान का परिशोधन करना पड़ता है। इसलिए जब पांचवें पे कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसके बाद न्याय डिपार्टमेंट ने एक नोट तैयार किया और 06.10.1997 को वह प्रस्ताव रखा। बाद में चूंकि संविधान में संशोधन करना पड़ता है, इसलिए पहले उसको कैबिनेट में जाना जरूरी है और कैबिनेट में भी जब वह पास हो गया तो उसके बाद वह आर्डिनेंस के लिए माननीय राष्ट्रपति जी को भेज दिया गया। जब पहली बार वह माननीय राष्ट्रपति जी के पास गया तो किन्हीं अपरिहार्य कारणों के कारण राष्ट्रपति जी उस आर्डिनेंस को जारी नहीं कर सके। 11वीं लोक सभा जब भंग हुई और उसके

बाद दूसरी सरकार बनी तो उसने तुरन्त इसमें कार्रवाई करना आरम्भ किया। बाद में 16.04.1998 को यह विचार मंत्रिमंडल में होकर 24.04.1998 को आर्डिनेंस जारी हो गया। इस तरह से अब जो वेतन-वृद्धि की सिफारिश हुई है, उसमें चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के लिए 33,000 रुपये मासिक, सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेज़ के लिए 30,000 रुपये मासिक, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के लिए 30,000 रुपये मासिक और हाई कोर्ट के दूसरे जजेज के लिए 26,000 रुपये मासिक है।

इसमें जो असंगति थी कि सिविल सर्वेंट्स की तो वेतन-वृद्धि हुई, लेकिन जजेज़ की नहीं हुई थी, इस परिशोधन से उस असंगति को दूर करने का प्रयास किया है। फिर भी एक बार यह बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि न्यायाधीशों के पद संवैधानिक पद हैं, इसलिए इनकी उत्कृष्टता बनी रही, सिविल सर्वेंट्स की जो वेतन-वृद्धि है, उनमें और कोर्ट के जजेज़ के वेतन में अन्तर रखना चाहिए था, इनकी उत्कृष्टता को बनाये रखना बड़ा जरूरी था, हमारे केन्द्रीय सरकार के मंत्री से मैं कहना चाहूंगा कि उनका मासिक वेतन 26,000 रुपये है और कैबिनेट सचिव का वेतन 30,000 रुपये मासिक है, इसलिए उनसे चीफ जस्टिस की तनख्वाह कुछ ज्यादा रखकर मैं समझता हूं कि उनके साथ न्याय किया है।

इसके अतिरिक्त हालत यह है कि कोर्टों में करोड़ों की संख्या में न्याय की इन्तजार में लोगों के केसेज़ पड़े हैं और उनका निपटारा नहीं हो पा रहा है। मैं समझता हूं कि कोर्ट्स को बाकी साधनों से भी सम्पन्न किया जाये, आज जो सारा इलैक्ट्रानिक साजो-सामान है, कोर्ट्स को इन साधनों से सम्पन्न करके न्याय को सस्ता, सुलभ और जल्दी मिलने वाला बनाना चाहिए। कोर्ट्स को सरकार को साधन सम्पन्न करना आवश्यक है।

दूसरी बात, न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि का समर्थन करने के साथ-साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि 2-3 बातें बड़ी आवश्यक हैं। यह रिपोर्ट है कि कोर्ट्स में बहुत से जजों की आसंदियां खाली पड़ी हैं और उसके कारण भी न्याय को जो गति पकड़नी चाहिए थी, वह गति नहीं मिल सकी और केसेज़ का निपटारा जल्दी नहीं हो पाया, इसलिए मैं कहता हूं कि उन आसंदियों को जल्दी पूरा किया जाये। खाली आसंदियों को भरा जाए ताकि केसेज जल्दी खत्म हो और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके। जल्दी न्याय मिलने से मुल्क और समाज की व्यवस्था बनी रहती है। जब समय पर न्याय नहीं मिलता तो समाज में नाराजगी और उच्छृंखलता पनपती है।

दूसरी बात यह है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीन हमारे लोकतंत्र के आधार हैं। इनके कार्यों की पद्धतियां और सीमाएं निर्धारित हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं पिछले दिनों हमने देखा कि न्यायपालिका ने अपनी सक्रियता को थोड़ा बढ़ा दिया। ऐसा दिखाई देने लगा कि वह विधायिका के काम में दखल दे रही है। इस तरह की सक्रियता का सामंजस्यता से निपटारा किया जाए और न्यायपालिका तथा विधायिका में टकराव की सम्भावना न हो। इसलिए सरकार को बातचीत करके और मिल-बैठकर समाधान करना चाहिए।

आजकल जनहित याचिकाएं निचली अदालतों में बड़ी तादाद में दायर हो रही हैं। जिसके कारण केसेज की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। इनका निपटारा भी जल्दी नहीं होता। कई मामलों में लोग स्टे ले आते हैं और न्याय में अनावश्यक बाधाएं पैदा होती है। इसलिए इस पर भी कोई प्रतिबंध लगना चाहिए, कोई सीमा होनी चाहिए। बड़ी अदालतों में इन पर शीघ्र फैसला होना चाहिए, क्योंकि निचली अदालतें जो स्टेट्स के अधीन होती हैं, उनमें बहुत समय लग जाता है।

हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट एक ही है और उसका मुख्यालय दिल्ली में है। अगर कश्मीर के किसी व्यक्ति को, असम, कलकत्ता, कन्याकुमारी या गुजरात के किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो उसे यहां आना पड़ता है। इससे बहुत ज्यादा खर्च होता है और न्याय बिना कारण महंगा हो जाता है। न्याय आसानी से मिल सके, उस तक आम आदमी की एप्रोच हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की एक ब्रांच दक्षिण भारत में कहीं पर, एक ब्रांच उत्तर भारत में और एक नार्थ-ईस्ट में कहीं होनी चाहिए। जिससे लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक एप्रोच करने में आसानी हो। जो छोटे कोर्ट्स हैं उनका कंट्रोल राज्य करते हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों के वेतन में वृद्धि हम करने जा रहे हैं और उनकी सुविधाओं पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो छोटी कोर्ट्स के जज हैं उनके भी वेतन और सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। जिससे उनके वेतन में वृद्धि उनके पद के अनुकूल हो, ताकि जनता को ठीक से न्याय मिल सके और जज भी रुचि ले सकें। आज हालत यह है कि कोई अच्छा वकील या न्यायविद जज बनना स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसकी आमदनी जज से ज्यादा होती है। इसलिए इस तरह भी हमें ध्यान देना चाहिए ताकि समझदार और युक्तियुक्त आदमी इस पोस्ट पर सुशोभित हों।

जजेज ठीक मिलें और योग्य मिलें, उनकी शिक्षा ठीक हो और स्तर के व्यक्ति हों, उसके लिए जैसे आई.ए.एस. की परीक्षा होती है, उसी तरह अखिल भारतीय स्तर पर जजेज की परीक्षा होनी चाहिए। यह भी एक ऑरगनाइजेशन बननी चाहिए ताकि जजेज की परीक्षा हो सके और बिल्कुल ठीक जजेज आएं जो लोगों को न्याय दे सकें और यह जो रुका हुआ काम है, उसे

[वैद्य विष्णु दत्त]

भी निभाया जा सके। इससे भी आगे एक न्याय संहिता हो और न्याय तुरंत हो। यह बात सही है कि न्याय मिलने में भी बाधा होती है। यह ठीक है कि कहीं कोर्ट्स की कार्रवाई में विलम्ब होता है, नोटिस सर्व नहीं होते हैं। कहीं नोटिस सर्व होने में कई महीने लग जाते हैं और उसमें विलम्ब होता है लेकिन एक बात और है कि हमारे वकील लोग भी न्याय जल्दी होने में बाधक होते हैं। वे अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, अपने क्लाइंट को लाभ पहुंचाने के लिए बिना कारण भी कोर्ट्स का एडजर्नमेंट करवाते हैं तथा विलम्ब डालते हैं। तारीख पर तारीख डलवाते हैं, इसलिए मेरा कहना है कि जो हमारी बार एसोसिएशन है, उनको भी विश्वास में लेकर मानवता के नाम पर, क्लाइंट चाहे गरीब हैं या पैसे वाले भी हैं लेकिन न्याय उनको ठीक मिले, जल्दी और सुलभ हो, इसके लिए बार एसोसिएशन भी स्वत: नियंत्रण करे तथा अनुशासन लागू किया जाए तो लाभ ज्यादा होगा और न्याय समय से मिल सकेगा।

मैं इतना ही कहने के बाद प्रार्थना करूंगा कि यह जो बिल है, उसका मैं समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि यह बिल पास हो जाए।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : महोदयया, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक जो कि माननीय मंत्री जी द्वारा पेश किया गया है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सुविधाएं, वेतन, पेंशन और अन्य मदें बढ़ाने के संबंध में है। हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं हैं क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सम्बन्धित राज्यों के न्यायतंत्र के उच्चतम पद पर आसीन होते हैं और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी हमारे देश के उच्चतम न्यायतंत्र के पद पर आसीन होते हैं।

महोदया, चूंकि हम इस सदन में इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं इसलिए मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान हमारे देश की न्यायिक प्रणाली की गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें कोई शंका नहीं है कि न्यायाधीश और न्यायालय हमारे संविधान के संरक्षक हैं। कभी-कभी वह आम आदमी के अधिकारों का संरक्षण करते हैं, कभी-कभी वह कार्यपालिका तथा पुलिस प्राधिकरण द्वारा किए गए मनमाने कृत्यों से आम आदमी की रक्षा करते हैं। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि अब न्यायाधीशों के मस्तिष्क में एक तरह की प्रवृत्ति जन्म ले चुकी है, वह अक्सर देश की सर्वोच्च प्रभुसत्ता सम्पन्न संस्था के कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं। कभी-कभी वह संसद के कार्यों की निन्दा करना चाहते हैं और कभी-कभी वह संसद के कार्यकरण में हस्तक्षेप करते हैं और वह हमारे देश की सर्वोच्च प्रभुसत्ता संपन्न संस्था के अधिकारों को चुनौती भी देते हैं। अत: मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के दिमाग में एक धारणा बन गई है। वह हमारी निन्दा करना चाहते हैं।

हम न्यायाधीशों को सबसे अधिक सम्मान दे रहे हैं और उन्हें भी हमारी प्रभुसत्ता संपन्न संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए।

एक अन्य समस्या यह है कि विभिन्न न्यायालयों में निचली अदालत से लेकर उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में काफी पद रिक्त हैं। जबकि हमारे देश की प्रति मिलियन जनसंख्या के लिए न्यायधीशों का अनुपात विश्व में सबसे कम है इसलिए सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह आगे आए और इन रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल कुछ कदम उठाये।

श्री मोतीलाल वोरा तथा अन्य माननीय सदस्यों ने काफी लम्बे समय से मामलों के लम्बित पड़े होने के संबंध में उल्लेख किया है। विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लाखों मामले लम्बित पड़े हैं। यदि आप अपना मामला सुलझाने के लिए न्यायालय के समक्ष जाते हैं तो आपको अगली पीढ़ी तक इन्तजार करना पड़ेगा। कोई नहीं जानता कि उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालयों के न्यायधीशों द्वारा यह मामले कब निपटाए जायेंगे।

माननीय राष्ट्रपति जी ने भी उच्चतम न्यायालयों के वकीलों द्वारा आयोजित 'न्यायिक सुधार' पर हुए सेमिनार का उद्घाटन करते हुए इस संबंध में गहरी चिंता व्यक्त की है। जहां तक मुझे याद है, हमारे माननीय मंत्री महोदय, हमारे देश के अग्रणीय वकील, श्री राम जेठमलानी भी उस सेमिनार में उपस्थित थे।

महोदया, आपकी अनुमति से मैं हमारे माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा दी गई टिप्पणियों के कुछ संबद्ध अंशों को उद्धृत करना चाहूंगा:-

> "उन्होंने देश भर में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित 30 मिलियन मामलों के संबंध में भी गहरी चिन्ता व्यक्त की और कहा कि बकाया मामलों को निपटाने के उद्देश्य से कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को गंभीरता से विचार करना चाहिए। राष्ट्रपति जी ने कहा कि यह 30 मिलियन बकाया लोगों को न्याय मिलने में विलम्ब और न्याय न मिलने का चित्र प्रस्तुत करता है।"

हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा यह टिप्पणी दी गई थी। लाखों मामले निपटाने के लिए लम्बित पड़े हैं और लोग यह भी सोचते हैं कि अब न्यायिक व्यवस्था परेशान तथा दुखी करने वाला तंत्र है।

पिछले रविवार को मैंने अंग्रेजी समाचार-पत्र पढ़ा। वह 'स्टेट्समैन' अथवा 'टेलीग्राफ' अथवा 'इण्डियन एक्सप्रैस' होगा। उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार दिए गए थे। उन्होंने यह टिप्पणी दी कि लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उठता जा रहा है। जब किसी मुकदमे का फैसला निर्धन और धनी के बीच होना होता है तो किसी धनी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमें का फैसला होना कठिन होता है क्योंकि धनी व्यक्ति बॉर काउन्सिल में उपलब्ध सबसे उत्तम वकील का खर्च वहन कर सकता है। एक निर्धन व्यक्ति के लिए अपना मुकदमा लड़ने के लिए किसी अच्छे वकील का खर्च वहन करना कठिन होता है क्योंकि दिन प्रतिदिन वकीलों के शुल्क बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए निर्धन व्यक्ति के लिए अपना मामला लड़ने के लिए एक अच्छा वकील करना कठिन होता है। उसे अपना मुकदमा मुनसिफ न्यायालय में दायर करना होता है फिर यह निचली अदालत में आता है और फिर यह उच्चतम न्यायालय में जाने से पहले उच्च न्यायालय में आता है। इसलिए, एक निर्धन व्यक्ति के लिए अपना मुकदमा लड़ना संभव नहीं है। इसलिए सरकार को कुछ हल अवश्य निकालना चाहिए। विभिन्न न्यायालयों में कुछ सरकारी वकील होने चाहिए। हालांकि, मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि कुछ वकील कुशल हैं लेकिन पैनल के अधिकतर वकील अकुशल भी हैं।

वह मामलों का संचालन करने के इच्छुक नहीं हैं और उन मामलों के संचालन में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहे हैं। कभी-कभी वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी नहीं होते हैं। सरकारी वकीलों के पैनल में जो वकील हैं उनकी यह स्थिति है। मैंने भी नोट किया है और उनके बारे में कुछ रिपोर्टें भी देखी हैं। मैंने दिल्ली विकास प्राधिकरण के वकीलों के संबंध में भी समाचार-पत्र में एक रिपोर्ट पढ़ी है।

हमारे माननीय मंत्री श्री राम जेठमलानी ने भी पैनल के वकीलों के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए थे – और वह दिल्ली तथा मैट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के संबंध में क्या कर रहे हैं।

यह स्थिति है। सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए और कोई तरीका निकालना चाहिए ताकि निर्धन लोग न्यायालय में जा सकें और अच्छे वकील लगाकर न्याय प्राप्त कर सकें।

जहां तक भ्रष्टाचार का संबंध है, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि न्यायालय जितना ऊंचा है उसमें उतना ही अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है। यदि कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय के गलियारे में जाता है तो वहां उसे कुछ फुसफुसाहट सुनाई देती है कि यदि कोई व्यक्ति कोई रूल, कोई इंजेक्शन या इंटरलेक्युटरी आदेश प्राप्त करना चाहता है तो उसे खास वकील को नियुक्त करना पड़ेगा जिसकी किसी न्यायाधीश के पास अच्छी पैठ हो। यदि वह उस न्यायाधीश के न्यायालय में उपस्थित होता है तो उसे वह रूल, इंटरलेक्युटरी आदेश अथवा जो कुछ भी उसे चाहिए, मिल जाता है। वहां इस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है। न्यायाधीशों के लड़के, भतीजे उसी न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं जहां उनके पिता, चाचा या मामा किसी खास मामले में वर्तमान न्यायाधीश हैं। यही स्थिति है।

यदि कोई केस स्थानान्तरित कराना चाहता है तो उसे बेंच क्लर्क जो केस स्थानान्तरित कर रहा है, को कुछ धनराशि देनी पड़ती है। यदि कोई केस जीतना चाहता है तो उसे विशेष वकील चुनना होगा और उसे कहना होगा कि केस को किसी विशेष न्यायाधीश की अदालत में स्थानान्तरित करा लिया जाये। उसे उस व्यक्ति को काफी धन देना पड़ता जो केस को स्थानान्तरित कर रहा है।

विभिन्न अदालतों में यह स्थिति है। यदि कोई प्रमाणित प्रति प्राप्त करना चाहता है तो उसे विधि के अनुसार अपेक्षित धनराशि से अधिक राशि अदा करनी पड़ती है। ये भ्रष्ट प्रक्रियाएं अदालतों में विद्यमान हैं और उच्च न्यायालयों में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। मैं नहीं जानता कि सरकार इस समस्या का हल किस प्रकार करेगी। यह हमारे देश में चिरकालिक समस्या है। यदि किसी को किसी अदालत में जाना पड़ता है तो उसे अदालत में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ देना ही पड़ता है।

दूसरी बात जिस पर मैं माननीय सदन और विशेषकर सम्बन्धित मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यह है कि निचली अदालतों की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। यह हमारे देश की न्याय प्रणाली की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन निचली अदालतों की स्थिति अत्यन्त अनिश्चित है। न्यायाधीश, जिलाधीश विशेष न्यायधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 302, 304 और 376 के अन्तर्गत मामलों पर फैसला सुनाते हैं, लेकिन उन्हें आवास सुविधा नहीं दी गई है। उन्हें परिवहन सुविधा भी नहीं दी गई है। न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश जो धारा 376 के अन्तर्गत अभियुक्त पर बलात्कार के मामलों में निर्णय देते हैं अपने कार्यालय में काम समाप्त करने के पश्चात् उसी बस, उसी रेलगाड़ी, उसी डिब्बे में अभियुक्त के साथ यात्रा करते हैं। यह निचली अदालतों की स्थिति है। वहां लाइब्रेरी भी नहीं है। यदि

[श्री अजय चक्रवर्ती]

न्यायाधीश किसी पुस्तक को केस के संबंध में देखना चाहता है तो निचली अदालतों में पुस्तकों की सुविधा नहीं है। वहां कोई अन्य सुविधाएं भी नहीं हैं और उनके अदालतों के कमरे गौशाला की तरह के हैं।

बार-बार बिजली चली जाती है और धारा 302 आदि के अंतर्गत केसों की जांच कराने के लिए कोई जनरेटर नहीं हैं। उन्हें अभियुक्त को मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास प्रदान करने का कानूनी अधिकार है लेकिन जहां पर केस की सुनवाई हो रही होती है वहां अदालत में बिजली नहीं होती है। वहां जनरेटर की व्यवस्था भी नहीं है। कभी-कभी वे मोमबत्ती की रोशनी में अथवा हेरीकैन लैम्प में ही निर्णय देते हैं अथवा कार्यवाही चलाते हैं। हमारी न्यायिक प्रणाली की स्थिति इस प्रकार है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे आगे आएं और विस्तार से चर्चा करें ताकि हम न्यायिक प्रणाली के उच्च मानदण्ड को प्राप्त कर सकें और सारी कठिनाईयां दूर कर सकें। महोदय, मैं सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता क्योंकि कई माननीय सदस्य इस पर अपने विचार रखना चाहते हैं। अत: मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मेरा माननीय मंत्री जी और सदन से विनम्र निवेदन है कि वे कुछ तरीकों की खोज करें और इस निर्णय पर पहुंचें ताकि हमारे गरीब लोगों को न्याय मिल सके। इसके अलावा लम्बे काल से लम्बित पड़े मामलों को जल्दी से निपटाएं और भ्रष्टाचार को यथाशीघ्र समाप्त करें।

सभा पटल पर रखे गए पत्र – *जारी*

(पांच) नेशनल रिमोट सेंसिग एजेंसी, हैदराबाद का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी. 1875/98]

(2) (एक) नेशनल एसएसटी राडार फैसिलिटी, गदांकी के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एसएसटी राडार फैसिलिटी, गदांकी के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी. 1876/98]

(3) (एक) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी. 1877/98]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) अंतरिक्ष निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंतरिक्ष निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी. 1878/98]

(ख) (एक) इंडियर रेयर अर्थस् लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बार में विवरण।

(दो) इंडियन रेयर अर्थस् लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी. 1879/98]

(ग) (एक) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, जदुगुडा के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, जदुगुडा का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी. 1880/98]

(5) (एक) इंस्टिट्यूट आफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंस्टिट्यूट आफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंस्टिट्यूट आफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी. 1881/98]

(6) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 1998, जो 8 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 605(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी. 1882/98]

अपराह्न 5.36 बजे

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक – *जारी*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, इस बिल के समर्थन में पूरा सदन है और मैं भी हूं। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस देश में न्याय-प्रक्रिया का निचले स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक जो ढंग हो चुका है उससे उचित न्याय पाने में कठिनाई होती है और न्याय महंगा भी होता जा रहा है। आज न्याय अन्न और सब्जी से महंगा होता जा रहा है और उसके बावजूद भी गरीब आदमी को उचित न्याय नहीं मिलता है।

आज न्यायपालिका अपनी असली भूमिका को छोड़ रही है और जिन मामलों में न्यायपालिका को हाथ नहीं लगाना चाहिए उन मामलों में न्यायपालिका हाथ भी लगा रही है। यहां तक कि संसदीय मामलों में, जिनमें उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वह हस्तक्षेप कर रही है। इस बिल के द्वारा पैसा बढ़ाना है तो वह पिछले सत्र में भी बढ़ा था, इस सत्र में भी बढ़ रहा है, अगले सत्र में भी बढ़ा दीजिए, सारा हिंदुस्तान न्यायपालिका के लोगों को दे दीजिए - हमें उसमें क्या आपत्ति हो सकती है, जब पूरा सदन सहमत है।

मैं चाहता हूं कि एक उच्च-स्तरीय बैठक हो जिसमें सदन के अध्यक्ष रहें, प्रधान मंत्री रहें, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहें और उस बैठक में न्यायपालिका की भूमिका तय होनी चाहिए। मैं निचले स्तर से उच्च स्तर तक की बात कम समय में आपको बताना चाहता हूं। जब कोई घटना गांव में घटती है और पुलिस का बयान दर्ज होता है तो उसमें आधी सत्य और आधी गलत बातें लिखवाई जाती हैं। जांच एजेंसी का काम राज्य की पुलिस

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

का होता है और जांच का महत्व साक्ष्यों को दिया जाता है। इस बात के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि गांव में किसी भी घटना के पक्ष और विपक्ष में लोग होते हैं। सभी जानते हैं कि पुलिस का नैतिक पतन हो चुका है। नैतिकता को गंवा कर पुलिस जांच करती है और प्रथम-दृष्टया आरोप प्रमाणित करती है तथा आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल करती है। इसके बाद मामले की सुनवाई होती है। अदालत में सारे लोग बेईमान होते हैं, मैं यह नहीं मानता, लेकिन इतना कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं कि निचली अदालत में पैसा और पैरवी दोनों चलते हैं। मैं बड़ी हिम्मत के साथ यह बात कह रहा हूं क्योंकि सही अपराधी को दंड नहीं मिलता है। अपराधियों के सामने सही साक्ष्य नहीं आ पाते हैं। अपराधी खुले बाजार में घूमते हैं, पुलिस के साथ बैठते हैं जिसके कारण उनका मनोबल बढ़ता है। यही कारण है कि अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। गांव के कमजोर और निर्दोष लोग झगड़ा नहीं करते हैं लेकिन उनके खिलाफ गवाह मिलने में कठिनाई नहीं होती है। इसलिए न्यायपालिका को मजबूत करने और पैसा बढ़ाने की बात चलती है तो हम यह कहना चाहते हैं कि सी.आर.पी.सी. और आई.पी.सी. पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। उसमें यह प्रावधान करने की आवश्यकता है कि अगर कोई गलत साक्ष्य देता है और वह प्रमाणित हो जाता है तो उसके लिए दंड निर्धारित होना चाहिए। जांच पदाधिकारी गलत प्रथम दृष्टि आरोप पत्र बनाते हैं और अगर न्यायालय अभियुक्त को दोषमुक्त करता है तो उस पदाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए ताकि सही बात लिखने और गवाही देने के लिए न्यायपालिका के सामने लोग आ सकें।

आज जन हित याचिकाओं की भरमार है जो कि उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में लगी हैं। खासतौर से बिहार में जो जन हित याचिका दायर होती है उसमें परीक्षा लेने का काम उच्च न्यायालय अपने जजों के माध्यम से करवा रहा है। रोड़ तुड़वाना, घर तुड़वाना, रोड की सफाई और नाले बनाना ये काम न्यायालय कर रहे हैं। ऐसे हजारों मामले लम्बित हैं। राज्य सरकार इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। इसलिए न्यायालय को यह काम करवाने पड़ रहे हैं। इस बारे में एक उच्च स्तरीय बैठक होनी चाहिए कि वह किस मामले में किस हद तक बढ़ सकते हैं? हमारे अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को गैस और टेलीफोन के कूपन दिए थे। वह बड़ी चीज नहीं थी। इस मामले में उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। इसी तरह संसद सदस्यों की अनुशंसा पर सेंट्रल स्कूल में दाखिले के लिए दो नाम दिए जा सकते थे लेकिन उच्च न्यायालय ने उसे भी रद्द कर दिया। उच्च और सर्वोच्चम न्यायालय को कोई काम नहीं रह गया है। अखबारों में उनका नाम छपे, टी.वी. में चेहरा दिखाया जाए इसलिए वे ये सब करते हैं। ईनाम के रूप में उनका पैसा बढ़ाया जाता है। इस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए। जन हित याचिका किस स्तर की हो, उसमें कौन सी याचिका दायर की जाए इस पर चिंतन करके और उच्च स्तरीय बैठक करके विचार होना चाहिए।

जहां तक सस्ते न्याय का सवाल है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जिस की किस्मत खराब होती है, वह जाते है। हम भुक्तभोगी है। यहां जेठमलानी जी बैठे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कोई न्यायपालिका में न्याय प्राप्त कर सकता है? कोई मुकदमा कर दीजिए, जमानत के लिए ही कई-कई तारीखें पड़ती हैं। एक-एक वकील की फीस एक लाख और डेढ़ लाख रुपए है। वकील हर डेट पर पैसा लेते हैं। जिसके पास 10-15 लाख रुपए होंगे वह जेल से निकलने की बात सोच सकता है। निर्दोष लोगों को भी पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वकीलों की फीस कितनी होनी चाहिए, इसके लिए भी कानून बनाना चाहिए। यदि यह व्यवस्था नहीं की गई तो देश में सस्ते न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपने उनका वेतन तो बढ़ाना ही है और वह बढ़ेगा। मंत्री जी भाषण देंगे और पैसा स्वीकृत हो जाएगा। इस देश में न्याय महंगा होता जा रहा है और उचित न्याय भी नहीं मिलता है। दोषी लोगों को दंड नहीं मिल रहा है। कुछ अंश तक न्यायपालिका का भी राजनीतिकरण होता जा रहा है। जज रिटायर होने के बाद बड़े-बड़े पदों पर आसीन हो जाते हैं। यदि किसी बड़े राजनेता से उनका सम्बन्ध नहीं होता तो उन्हें बड़ा पद कैसे प्राप्त हो जाता? यदि योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति होती है तो उसका क्या आधार है? यह बात आज तक मुझे समझ में नहीं आई। इस पर गम्भीरता से चिंतन होना चाहिए। आप उनका वेतन तो बढ़ा दीजिए। हमारे मन में न्यायपालिका के प्रति दुख हो रहा है कि वह अपनी भूमिका का उचित निर्वाह नहीं कर रही है। इस वजह से अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। यह मानकर चलता हूं कि इस बिल का समर्थन नहीं करूंगा और यदि पैसा बढ़ाना ही है तो मैं ऐसा करने नहीं जा रहा हूं। इस बिल का समर्थन कर रहा हूं। इतनी बात कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री हीरा लाल राय (छपरा) : सभापति महोदय, आज इस सदन में जजेज के बारे में बिल आया है जिस पर चर्चा की जा रही है। श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने सही ढंग से आगे बढ़कर न्यायपालिका की स्थिति के बारे में प्रकाश डालने की कोशिश की है। पहले न्यायपालिका का यह काम होता था कि वह सही कामों की जांच करती थी लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। यहां बताया गया कि कोर्टों में 3 करोड़ केसेज पेंडिंग हैं जिस पर न्यायपालिका विचार न करके दूसरी बातों पर जा

रही है। यह देखा जा रहा है कि जो उनके अपने काम हैं, उनमें ज्यादा दिलचस्पी न लेकर दूसरे कामों में हो रही है। आज एक लड़के की परीक्षा लेने के लिये न्यायपालिका का जज खड़ा किया जा रहा है, कहीं पर उनका भरोसा और विश्वास नहीं है। आज देश में जिस तरह से न्याय की हालत है, उसमें राजनीति में रहने वाले लोग मंत्री तथा दूसरे लोग गलत कामों के लिये पैनलाइज हो रहे हैं लेकिन लोअर कोर्ट में जायें तो उसने 2 रुपये से 10 रुपया और 10 रुपया से 20 रुपया लेना शुरू कर दिया है। इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी बताया गया कि जितने कोड बने हुये हैं, उनके औचित्य का हनन हो रहा है। उस पर ध्यान जाना जरूरी है।

सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं लेकिन एक बात यह कहना चाहता हूं कि जैसे क्लर्क की बहाली होती है तो उसके लिये परीक्षा और इंटरव्यू लिया जाता है तब उसका सिलेक्शन करते हैं लेकिन जजेज की बहाली कैसे होती है। लोअर कोर्ट में 10 साल तक वकालत करने वाले को या हाई कोर्ट में दस साल तक वकालत करने वाले को सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया जाता है लेकिन उसकी मैरिट का टैस्ट कभी नहीं होता। यहां पालिटिकली 100 परसेंट नहीं तो 50 परसेंट उसी तरह से जजेज बनाये जाते हैं। इस सिलेक्शन में उनकी मैरिट या कैपेसिटी जज नहीं की जाती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि यहां भी वही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये।

सभापति महोदय, मैंने देखा है कि हाई कोर्ट के जजेज की बहाली सुप्रीम कोर्ट के जज करेंगे, यह अच्छी बात नहीं है। जैसे आई.ए.एस. या आई.पी.एस. के लिये कोई कोड बनाया गया है तो उसी तरह से आपको जजेज के लिये कोई न कोई कोड बनाना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि ऐसे ही जजेज की बहाली कर दें। इससे नुकसान की बात हो सकती है और हो रही है। आज देखा जा रहा है कि न्यायपालिका अपनी सीमा को लांघकर काम कर रही है। यह सदन सार्वभौम है; इस सदन को भी अपने पेंच में ले लेती है, यह अच्छी बात नहीं है। इसलिये इस संदर्भ में हमें निर्णय लेते समय विचार करने की जरूरत है और माननीय लॉ मिनिस्टर को इस पर विचार करना चाहिये।

सभापति महोदय, आज देश में न्याय प्रणाली जिस तरह से महंगी होती जा रही है, यह देश के लिए चिन्ता का विषय है। आज गरीब आदमी न्यायालय में जाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उनके पास जाने के लिये पैसा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आपने छोटे न्यायालयों में लीगल सैल बनाये हैं जो गरीब लोगों की सहायता करते हैं लेकिन उन लोगों से फिर भी पैसा लिया जाता है, तब वे उन केसेज की पैरवी करते हैं। इस कारण उसके दायित्व का निर्वहन सही ढंग से नहीं होता है। उसके बाद अगर कोर्ट में मैनेज करने की बात होती है, जमानत से पहले आप कहते हैं कि कोर्ट मैनेज हुआ या नहीं या किस कोर्ट में है और यदि एक जज जमानत देने वाला है, एक या तीन महीने के बाद उसकी कोर्ट में केस आने वाला है तो अपराधी या दूसरे लोगों ने जमानत लेनी है, वे बैठे रहते हैं। जब उनकी बारी आती है तब मूव करते हैं और ऐसा देखा जाता है कि कभी-कभी कोर्ट मैनेज करके भी धांधली की जाती है। इस तरह करप्शन से हम परे नहीं हैं ज्यूडीशियरी के मामले में। इसलिए ज्यूडीशियरी को साफ-सुथरा नहीं बनाएंगे तो चैक एंड बैलेन्स का काम नहीं हो सकेगा। जिस ढंग से ज्यूडीशियरी तमाम जगहों में अपनी छाप और रिफ्लेक्शन बढ़ा रही है, वह देश के चेक एंड बैलेन्स के लिए घातक है और उस पर आज अंकुश लगाने की जरूरत है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द) : सभापति महोदया, आज जो बिल प्रस्तुत हुआ है, वास्तव में इसकी आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी। मैं इस बिल के तहे-दिल से समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री साहू जी, मैं केवल एक मिनट लूंगा। उसके बाद आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।

चूंकि इस समय सभा में उपस्थित सभापति के पैनल से कोई सदस्य नहीं है, इसलिए अगर यह सभा सहमत हो तो मैं श्री मोतीलाल वोरा को सभा की अध्यक्षता करने के लिए बुलाऊं। क्या आप सभी इससे सहमत हैं?

विभिन्न माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : श्री मोतीलाल वोरा जी, क्या आप कृपया सभा की अध्यक्षता करेंगे?

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : जी, हां।

अपराह्न 5.51 बजे

[श्री मोतीलाल वोरा *पीठासीन हुए।*]

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था बृहत् अरण्य उपनिषद् के उस श्लोक के संबंध में जिसमें कानून, शासन और फिर न्यायाधीश का जिक्र हुआ है।

"तदतं क्षत्रस्य क्षत्रं यो धर्म:
अथ: अबलियान बलियाम सांस्कृते
धर्मेन् यथा राजा यथाङ्ग।"

कानून शासक का शासक है और न्यायाधीश उसका संरक्षक है।

माननीय सभापति महोदय, यदि पुराने ज्यूरिस्प्रुडेन्स को देखें तो उस समय जो विधि शास्त्र रहा है, उस समय जो न्याय की परंपराएं रही हैं, वह वास्तव में किसी भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी कमजोर और कहीं का भी रहने वाला हो, उसके साथ अन्याय न हो, इस दर्शन को लेकर पूरा भारतीय ज्यूरिस्प्रुडेन्स रचित हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, इस बिल में जो उद्देश्यों और कारणों पर प्रकाश डाला गया है, वह पूरी तरह जस्टिफाइड है कि 1986 के न्यायाधीशों को जो सरकारी आवास संदाय होना था, वह लंबित है, उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। 1986 में जो वृद्धि की गई थी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश सेवा शर्त संशोधन अधिनियम में, उसके बाद पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें भी इस पर जो लागू होनी थीं, मेरे ख्याल से वह एनेक्टमेंट नहीं हो पाया। माननीय सभापति महोदय, इसमें जो प्रावधान है, उस पर कहीं किसी को असहमति नहीं है। लेकिन मैं आगे जाना चाहता हूं आपके ज्यूडीशियल रिफॉर्म्स पर। अभी एक माननीय सदस्य अजय मुखर्जी जी ज्यूडीशियल रिफॉर्म्स पर चर्चा कर रहे थे विधायी सुधार जरूरी है। लोकतंत्र के बचाव के लिए विधायी सुधार जरूरी है। यदि हम ज्यूडीशियल रिफॉर्म्स नहीं कर सके तो यह डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा अवरोध उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए एक लेखक श्री सरीन ने लिखा है कि– विधायिका का यह नैतिक कर्त्तव्य है कि कानून को स्पष्ट और समझने योग्य बनाए। आज अवसर है, इसके माध्यम से मैं कुछ बातों को सदन के सामने रखना चाहता हूं। जो लॉ कमीशन है, उस लॉ कमीशन ने माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में स्पष्ट कहा है कि ऐक्टिव पोलिटिक्स या पार्टी में सम्मिलित होने की उसकी बाध्यता नहीं है और पात्रता भी नहीं है। अंत में उन्होंने अपनी रेकमंडेशन में साफ कहा है कि जिसको आप देख लें ताकि हम यह तय कर लें कि कोई उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश यदि ऐक्टिव पोलिटिक्स में आना चाहता है तो उसके लिए हमारे संविधान की मर्यादा क्या कहती है, हमारा संविधान क्या कहता है।

हमारा संविधान क्या कहता है, लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया है–

[अनुवाद]

स्पष्ट रूप से यह बात समझ में आती है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अपनी सेवा निवृत्ति के बाद किसी अन्य सरकारी पद की उम्मीद में रहना चाहिए। सरकार सर्वोच्चम न्यायालय में कई मामलों में पार्टी होती है और एक औसत नागरिक की यही धारणा हो सकती है कि जो न्यायाधीश अपनी सेवा निवृत्ति के बाद सरकार द्वारा नियोजित किए जाने की उम्मीद में है वह निष्पक्षता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाता। इस बारे में हमारा स्पष्टतया यह दृष्टिकोण है कि इस प्रक्रम में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता प्रभावित करने की प्रवृत्ति अन्तर्निहित है इसलिए इसे रोका जाना चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, भारतीय संविधान के आर्टीकल 124 की ओर मैं आपके माध्यम से सदन तथा हमारे विद्वान मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आर्टीकल 124 के सैक्शन सात में लिखा है–

[अनुवाद]

"कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, भारत के भीतर किसी न्यायालय में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा।"

[हिन्दी]

भारत के मुख्य न्यायाधीश से लेकर कोई भी माननीय न्यायाधीश यदि किसी एक्टिव पॉलीटिक्स में आना चाहता है, अथॉरिटी के रूप में कहीं पर एपियर करना चाहता है तो वह परिमिसिबल नहीं है। उड़ीसा में ऐसा हुआ है। वहां माननीय श्री रंगनाथ मिश्र जी

का प्रकरण है, मैंने उनके नाम का जिक्र यहां किया है, इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और क्षमा के साथ कहना चाहूंगा कि यह बात उसके बाद उठी है और इसीलिए प्रेसीडेन्ट ऑफ इंडिया के सामने इसी सदन के बहुत सारे माननीय सदस्यों तथा राज्य सभा के मानीय सदस्यों ने इस बात को उद्धृत किया है कि यह डिस्कस होना चाहिए कि भारत के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पॉलीटिक्स में एन्टर करने का अधिकार है या नहीं। चूंकि अनुच्छेद 124 कह रहा है कि उनको इसका अधिकार नहीं है और इसलिए यह डिफाइन होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान केरल हाई कोर्ट के एक जजमैंट की ओर दिलाना चाहता हूं। केरल हाई कोर्ट ने 9 सितम्बर, 1998 को रिटायर्ड जजों के बारे में कहा है–

[अनुवाद]

न्यायिक आचार और न्यायिक मर्यादा में रहने वाले और सेवा निवृत्ति के बाद लाभ के किसी पद पर नियोजित होने वाले या सक्रिय राजनीति में कूदने वाले न्यायाधीशों के बारे में न्यायमूर्ति के. नारायण कुरूप ने आज यह टिप्पणी की कि सेवा निवृत्त न्यायाधीशों द्वारा लाभ के पदों को स्वीकार करने से न्यायपालिका में जनता का विश्वास निश्चित रूप से कम हो जाएगा कोई भी व्यक्ति सेवा निवृत्ति के बाद भी सक्रिय राजनीति में शामिल हुए बिना समाज को अपना समुचित और सकारात्मक योगदान दे सकता है।

[हिन्दी]

इससे क्लियर है कि चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य कोई माननीय न्यायाधीश हो, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद एक्टिव पॉलीटिक्स की परमीशन नहीं है।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सूर्या फाउंडेशन ने न्याय के बारे में एक बहुत बड़ी गोष्ठी आयोजित की थी और उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं, जो लागू होनी चाहिए और जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी एलाइज पार्टीज की गठबंधन की सरकार के नेशनल एजेंडा में है कि हम भारत के विधान की समीक्षा करेंगे और एक ऐसे विधान की बात करेंगे जिसमें कि हो सकता है कि लोगों को सस्ता और समय पर न्याय सुलभ हो सकें, हम इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। उसके आगे उन्होंने नियुक्ति के बारे में कहा है, इसमें साफ लिखा है–

[अनुवाद]

> "उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल तीन वर्ष किया जाए। चुने गए न्यायाधीश चरित्र और गरिमा वाले हों।"

[हिन्दी]

यह कॉमन बात हैं, लेकिन तीन साल कम से कम न्यायाधीश को कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए। यह हमारी इस गोष्ठी की रिकमेंडेशंस में साफ लिखा है। उसके आगे यह लिखा है कि आपके जो कार्य दिवस हैं, उनमें लम्बी छुट्टियों की व्यवस्था है। यदि कोई न्याय पाना चाहता है तो न्यायाधीशों के लम्बी छुट्टी पर जाने की वजह से और कोर्ट बंद होने की वजह से उसको न्याय नहीं मिलता है।

अपराह्न 6.00 बजे

कई ऐसे लिटीगेशन के मामले हैं जिसका निर्णय राष्ट्र हित, देश हित और समाज हित के लिए अत्यंत अनिवार्य होता है लेकिन लम्बी छुट्टियों की वजह से वे नहीं हो पाते। मैं निवेदन करूंगा कि 188 दिनों की जो कार्य अवधि है उसको बढ़ाकर 220 दिन किया जाये। दिल्ली के बारे में जो बातें कही गयी हैं, मैं उसको उद्धरित नहीं कर रहा हूं लेकिन मेरा कहना है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हैं।

सभापति महोदय : छह बज गये हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : सभापति जी, मेरा निवेदन है कि सदन का समय बढ़ा दिया जाये और इस बिल को पास कर दिया जाये।

सभापति महोदय : कितने समय के लिए बढ़ाया जाये?

श्री मदन लाल खुराना : जब तक बिल पास नहीं होता तब तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

सभापति महोदय : जब तक बिल पास नहीं होता है तब तक के लिए सदन की अवधि बढ़ाई जाती है।

श्री चन्द्रशेखर साहू : सभापति जी, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके पार्ट 13 के बारे में मेरा कहना है कि यदि सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की कहीं सेवायें ली जा सकती हैं तो मुख्य जिला न्यायाधीश द्वारा लंबित मुकदमें हैं, उसका फिर से रिवीजन

[श्री चन्द्रशेखर साहू]

करने के लिए कोड में प्रावधान है, उसके साथ उनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए।

सभापति जी, और भी कई ऐसे सुझाव हैं जो मैं मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। रूरल लिटीगेशन है। ग्रामीण विकास में जो मुकदमेबाजी है, वह भी गरीबी का एक कारण है। हजारों लोगों के बहुत सारे मुकदमें फंसे हुए हैं। सालों तक उनका फैसला नहीं होता है। कोई सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, कोई हाई कोर्ट में आ रहा है तो कोई सैशन जज के पास आ रहा है। उनके मुकदमों की कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए हम मंत्री जी के सामने वैकल्पिक न्यायिक फोरम की बात रखना चाहते हैं। इसी तरीके से आर्बिट्रेशन है। उसमें भी रूरल सैक्टर के जितने मुकदमे हैं, उसके लिए एक पंच बनाने की, किसी सीनियर वकील को जिसे कम से कम 20 साल का अनुभव हो, उसको आर्बिट्रेटर बनाने की प्रक्रिया चालू होनी चाहिए। ऐसा मेरा मंत्री जी से निवेदन है।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करिये।

श्री चंद्रशेखर साहू : अंत में मैं आपके और सदन के सामने इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए एक बार फिर कहूंगा कि ज्यूडिशियल रिफार्म, लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन, माननीय विद्वान सदस्यों के सुझाव के साथ अमल किये जायें। मैं यह भी कहूंगा कि राष्ट्रीय एजेंडे में जो बिन्दू हैं, उसको पूरी ताकत के साथ लागू करें। इसके लिए पूरा सदन आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। आप एक बार आगे बढ़ें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हमारे न्यायाधीशों को, चाहे वे उच्चतम न्यायालय में हों या उच्च न्यायालयों में या छोटे न्यायालयों में, अच्छा वेतन दिया जाना चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है और अगर न्यायाधीशों को अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं रह सकती है और न्यायाधीशों को सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमारे न्यायाधीशों को अच्छा वेतन दिया जाना चाहिए। इसलिए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मेरी पार्टी भी विधेयक का समर्थन करती है।

महोदय, इस विधेयक में केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात की गई है। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार निचले न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में क्या करेगी, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत खराब है। मैं नहीं जानता कि सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करेगी। परंतु मैं चाहता हूं कि सरकार निचले न्यायालयों के जजों के वेतन और भत्तों में भी समान रूप से वृद्धि करने की पहल करे।

महोदय, मुझे लगता है कि हमारी न्यायिक प्रणाली की संपूर्ण समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। मैं ऐसा इस प्रणाली की आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूं बल्कि इस तथ्य पर जोर देने के लिए कह रहा हूं कि हमारे देश के विभिन्न न्यायालयों में हजारों मामले लंबित पड़े हैं।

एक कहावत है: "देर से दिया गया न्याय, न्याय से वंचित करने के समान है। श्री राम जेठमलानी हमारे देश में एक वरिष्ठ वकील हैं। मैं आशा करता हूं कि वे मेरी इस बात से सहमत होंगे कि कई मामलों में न्याय केवल इसलिए नहीं होता क्योंकि आखिरी फैसला देने में काफी विलंब हो जाता है। इसके बारे में कुछ करना होगा। मैं बार से संबंधित नहीं हूं। मैं कोई वकील नहीं हूं। मैं नहीं जानता कि क्या किया जाए। परंतु मैं इस संबंध में लोगों की कठिनाइयां जानता हूं। इसलिए, मैं आशा करता हूं कि यह सरकार इस बारे में कुछ करेगी।

न्यायालयों में कई रिक्त पद भरे जाने बाकी हैं और सरकार इसमें विभिन्न कारणों से देर कर रही है। इस समय मैं उस बात की चर्चा नहीं कर रहा हूं। परंतु मैं उसके बारे में जानता हूं। ऐसा लगता है कि कुछ मामलों में सरकार की कुछ और ही मंशा है अथवा सरकार और न्यायपालिका के उच्चाधिकारियों में कुछ मतभेद हो सकता है। इसलिए इसमें विलंब हो रहा है। कारण चाहे कुछ भी हो, कृपया इसका पता लगाइए और न्यायाधीशों को नियुक्त कीजिए।

आप जानते हैं कि अंतिम न्याय, उच्चतम न्यायालय में ही मिलता है। अगर कोई फैसला निम्न अदालत से पार्टी के विरुद्ध है और वह इससे असंतुष्ट है तो वह उच्च न्यायालय और अंत में, उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। कृपया सोचिए कि केरल या तमिलनाडु या कर्नाटक या पश्चिम बंगाल या पूर्वोत्तर का कोई असंतुष्ट व्यक्ति दिल्ली कैसे आ सकता है। इस पर कितना खर्च होगा? किसी गरीब आदमी द्वारा न्याय के लिए उच्चतम न्यायालय में आने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसका कारण यही है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में ही स्थित है। और उच्चतम न्यायालय की कोई भी पीठ दक्षिण या पूर्व या पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित नहीं

है। जिसके कारण इस देश के अधिकांश नागरिकों को अंतिम न्याय नहीं मिलता। दिल्ली कौन आ सकता है? इसका उल्लेख यहां किया गया था। अगर आप उच्चतम न्यायालय में कोई वकील करना चाहते हैं तो आपको अधिक फीस देनी होगी।

उच्चतम न्यायालय में वकील का शुल्क कितना है? श्री राम जेठमलानी जैसे अच्छे वकील करने के लिए हमें कितना भुगतान करना होगा? वह इस बात को जानते हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। वे इस देश के सबसे अच्छे वकीलों में से हैं। मैं उनकी तारीफ करता हूं। परंतु हमें तदनुसार भुगतान करना होता है।

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : महोदय, माननीय मंत्री की जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि मेरी 90 प्रतिशत प्रैक्टिस मुफ्त प्रैक्टिस होती है।

प्रो. पी.जे. कुरियन : ओह, धन्यवाद। मुझे खुशी है। मेरी इच्छा है कि आप जैसे कुछ और वकील हों।

इसलिए अब सवाल यह है कि सरकार को दो बातों पर विचार करना होगा। पहला यह कि देश के विभिन्न भागों में उच्चतम न्यायालय के और पीठ स्थापित किए जाएं। एक दक्षिण में बंगलौर या चेन्नई में हो। आप यह काम चेन्नई में कर सकते हैं। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। एक पूर्वोत्तर में हो सकता है और एक मुंबई में। कृपया कम से कम तीन और पीठ स्थापित करने पर विचार करें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रतिलाल कालिदास वर्मा (धंधुका) : आप एक पीठ गुजरात में भी स्थापित कर सकते हैं।

प्रो. पी.जे. कुरियन : उच्च न्यायालयों के संबंध में उत्तर प्रदेश पर गौर करें। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की कोई पीठ है या नहीं। यह एक बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश भी एक बड़ा राज्य है। इनमें और पीठ होने चाहिए। और अधिक न्यायाधीश होने चाहिए। केरल में भी हमारा उच्च न्यायालय कोचीन में है। परंतु त्रिवेंद्रम या कालीकट में रहने वाले गरीब आदमी के लिए उच्च न्यायालय तक पहुंचना भी बहुत महंगा सौदा है। कृपया इस बारे में कुछ करें।

न्याय पालिका पर टिप्पणी करने वाला मैं कोई नहीं हूं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। परंतु एक आम आदमी की तरह, मेरे मन में यह धारणा है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के लिए अलग-अलग क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। इन तीनों अंगों में एक निश्चित विभाजन किया गया है। मुझे उस समय बहुत दुःख होता है जब मैं देखता हूं कि वे एक दूसरे में हस्तक्षेप करते हैं।

कभी-कभी न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के अधिकारों में हस्तक्षेप करती है। वास्तव में न्यायपालिका का काम प्रशासन या शासन करना नहीं है। उनका काम विधान या कानून बनाना नहीं है। इन सबके कार्यों का एक निश्चित विभाजन किया गया है। परंतु इस विभाजनों का पालन नहीं किया जाता और इनका अधिकतर उल्लंघन ही होता है।

मैं नहीं जानता कि इसका समाधान क्या है। परंतु मैं चाहता हूं कि सरकार इसका समाधान ढूंढे। मैं मानता हूं कि राजनैतिक नेतृत्व में गिरावट आई है परंतु ऐसा केवल राजनैतिक नेतृत्व में ही नहीं है। राजनैतिक नेतृत्व में गिरावट, समाज में गिरावट की मात्र झलक है। ऐसा कार्यपालिका में भी है, ऐसा न्यायपालिका में भी है।

जब कोई राजनेता कोई गलत काम करता है तो इसको बहुत अधिक उजागर किया जाता है क्योंकि सभी की आंखें और कान उसकी ओर लगे होते हैं। परंतु जब वही गलती कार्यपालिका द्वारा की जाती है तो उसे उजागर नहीं किया जाता। और अगर यह न्यायपालिका द्वारा की जाती है तो इसे कभी भी उजागर नहीं किया जाता तथा इस पर पर्दा डाल दिया जाता है जिससे किसी को इसका पता न चल सके। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी राजनेता या संसद सदस्य बुरे हैं और उनकी निंदा की जा सकती है। इसी प्रकार हम न्यायपालिका की भी निंदा नहीं कर सकते।

इसमें पूर्ण ह्रास हुआ है। इसलिए इस संस्था को बचाने के लिए इस संस्था की विश्वसनीयता को कायम रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे संविधान का प्रत्येक भाग — न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका — अपनी सीमा में रहे और लोकतांत्रिक संस्थाओं के सुचारू काम-काज के लिए एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें।

महोदय, अब मैं जनहित के कानून की बात करता हूं। वास्तव में, अगर मुझे सही राह हो तो यह केरल में स्वर्गीय न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम पोत्ती जिनका हाल ही में निधन हो गया है, द्वारा शुरू किया गया था। मैं इसका स्वागत करता हूं, यद्यपि इस पर विवाद है, क्योंकि इससे हमारी कई समस्याओं का समाधान करने में मदद मिली है।

[प्रो. पी.जे. कुरियन]

न्यायिक सक्रियता के संबंध में मैं यही कहूंगा कि जब राजनैतिक नेतृत्व कमजोर हो जाता है, उस समय न्यायिक सक्रियता सक्रिय हो जाती है। परंतु यह स्थाई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। यह अपवाद के तौर पर होना चाहिए। कभी-कभी यह उपयोगी हो सकता है, यह मददगार हो सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि निचले न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय का हर न्यायाधीश यह सोचे कि वह अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जा सकता है। यह इस प्रणाली के लिए ठीक नहीं है। मैं नहीं जानता कि सरकार इसके बारे क्या करना चाहती है। परंतु मैं यह कहना चाहूंगा कि इन्हें दो अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित करने की बजाय इस पर भारत के न्यायमूर्ति के साथ चर्चा की जा सकती है। सरकार निश्चय ही भारत के न्यायमूर्ति के साथ वार्ता कर सकती है और उसी तरह, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के साथ भी, जिससे कोई ऐसी प्रणाली विकसित होगी, जिसके द्वारा आप हमारे समाज में फैली इन विसंगतियों से छुटकारा पा सकेंगे।

मैं आशा करता हूं कि मैंने जो मुद्दे उठाए हैं सरकार उन सभी बातों पर गंभीरता से विचार करेगी और मेरा माननीय मंत्री से विशेष अनुरोध है कि मैं उनसे यह उत्तर चाहता हूं कि दक्षिण में उच्चतम न्यायालय की एक पीठ स्थापित की जाए। अगर वे इसे चेन्नई या बंगलौर में भी स्थापित करते हैं तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। परंतु, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उच्चतम न्यायालय की एक पीठ जिससे जो लोग उच्चतम न्यायालय में जाना चाहते हैं वे कम से कम खर्च पर अपने मामले दायर कर सकें। इसी प्रकार ऐसी ही एक पीठ पूर्वोत्तर क्षेत्र और एक गुजरात या अन्य कहीं स्थापित किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

इसलिए मैं इस देश के लोगों को अच्छा न्याय सुनिश्चित कराने के लिए मैं उच्चतम न्यायालय की तीन पीठ स्थापित करने का अनुरोध कर रहा हूं।

इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : सभापति महोदय, उच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए विद्वान कानून मंत्री डा. थम्बी दुरई जी ने यह संशोधन विधेयक, 1998 प्रस्तुत किया है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के सम्माननीय न्यायाधीशों के वेतन, सेवा शर्तों और पेंशन बढ़ाने के बारे में किसी का विरोध नहीं है। उनको वे सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, जिनसे न्याय व्यवस्था को बलशाली बनाने के लिए जजेज को अच्छा मौका मिले।

मैं इस बिल के बहाने कुछ बातें सदन के सामने और कानून मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। जिस तरह से देश में महंगाई दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, उसी तरह इन्साफ भी महंगा होता चला जा रहा है। गांव-देहात में रहने वाला आम आदमी इन अदालतों के चक्करों में परेशान हो रहा है, सताया जा रहा है। परसों मैं अपने क्षेत्र में गया था। मेरे क्षेत्र में एक छोटी सी तहसील में एक कोर्ट है। वहां मैंने देखा कि फटेहाल व्यक्ति, जिनकी धोती-कुर्ता फटा हुआ है, पैर में चप्पल नहीं है, वहां पर आते हैं, अगली तारीख मिल जाती है और चले जाते हैं। इस तरह कई बरस तक मुकदमें चलते रहते हैं। इस तरह से लोअर कोर्ट्स से लेकर सुप्रीम कोर्ट में हजारों की तादाद में मुकदमे लम्बित पड़े हैं। जिस कारण न्याय मिलने में देरी होती है।

हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड', अगर यह बात चलती रहेगी तो मेरे ख्याल से आम आदमी का जो न्यायालयों पर भरोसा है, वह उठ जाने की सम्भावना है। आज हमारे देश में न्याय संस्था एक ऐसी संस्था है जिस पर आम आदमी का विश्वास है, यह विश्वास अटूट रखने की सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए न्याय मिलने में जो देरी होती है, उसे कैसे कम कर सकें, इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए।

न्यायपालिका में जो दोष या त्रुटियां आ गई हैं, उनको दूर करने के लिए कोशिश करना निहायत जरूरी है। आज भ्रष्टाचार की बात सारे देश में की जाती है। भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाने का नारा दिया गया था। यह नारा सत्ता पक्ष के लोगों ने चुनाव के समय दिया था। इसे सुनकर सबको बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन न तो भय दूर हुआ, न भूख दूर हुई और न ही भ्रष्टाचार खत्म हुआ। आज हालत यह हो गई है कि अदालतों के बारे में दुर्भाग्य से कहा जाता है कि कोई ऐसी पर्चियां या तख्तियां न लग जाएं कि यहां इन्साफ बेचा जाता है। इस प्रकार की तख्तियां हमारे देश में न लग जाएं, इसलिए इस न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाना निहायत जरूरी है। हमारे जितने भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हों या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, उनको ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं, और जो भी सुविधाएं चाहे पेंशन हो या कुछ और सुविधाएं हों, लेकिन इस देश के आम लोगों को इंसाफ सही तरीके से मिले, यह भी देखना हमारा फर्ज हो जाता है। आज यह सब बातें कहते हुए एक बात आपके सामने लाना चाहता हूं कि लीगल एड सेंटर हमारे आम आदमी

को पहले वह दिया है, न्याय व्यवस्था में न्याय मिलना बहुत खर्चीला काम हो गया है। इसे कम कैसे करें? कुछ ही इने-गिने लोग होते हैं, अपवाद होते हैं, राम जेठमलानी जी जैसे गिने-चुने वकील होते हैं जिन्होंने गरीबों के कैसेज मुफ्त में लड़े हैं। हमने अपनी आंखों से उन्हें गरीबों के केसेज मुफ्त में लड़ते हुए देखा है। कई केसेज हमने इनके पास भेजे हैं। इन्होंने एक पैसा नहीं लिया लेकिन आज अदालतों में जाने पर स्टैंप ड्यूटी लगानी पड़ती है। हमारे किसानों के पास, गरीबों के पास स्टैम्प ड्यूटी लगाने के लिए पैसे नहीं होते, वकील की फीस देने तक के लिए पैसे नहीं होते और गांव से अदालतों तक बस से जाने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लीगल एड सेंटर बनाए जाने चाहिए। आम आदमी के लिए फ्री लीगल एड की व्वस्था कर दी है लेकिन लीगल एड सेंटर की तरफ से जो कानूनी सलाह उन्हें मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलती, यह भी हमारे लिए अफसोस की बात है।

न्यायपालिका, कार्यपालिका और कानून बनाने के लिए हमारी जो व्यवस्था है, इसमें भी एक मर्यादा होनी चाहिए। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशियरी जब एक-दूसरे की मर्यादाओं को तोड़ देंगे, अपने दायरे में नहीं रहेंगे तो यहां पर बहुत अंधाधुंधी होने की नौबत आ सकती है। इस अंधाधुंधी से बचने के लिए और जो एक-दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करने की कोशिशें हो रही हैं, उनको रोकना निहायत जरूरी है। अत: मैं कानून मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि इस बात की ओर गंभीरतापूर्वक धयान दिया जाना चाहिए।

हमारे केरल के आदमी को सर्वोच्च न्यायालय में न्याय पाने के लिए दिल्ली आना पड़ता है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के आदमी को सुप्रीम कोर्ट से न्याय पाने के लिए दिल्ली आना पड़ता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की एक बैंच अगर नागपुर, देश के मध्यवर्ती जैसे शहर में खोल दी जाए तो दक्षिण भारत के तमाम लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। नागपुर के साथ-साथ जैसे हमारे भाई ने कहा कि अगर चेन्नई या बैंगलोर या गुजरात में एक बैंच बनाई जाती है या महाराष्ट्र, गोआ, नागपुर, औरंगाबाद में जैसे हाई कोर्ट की बैंच है, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की बैंच क्यों नहीं बनाई जा सकती? इसलिए हमारे आम लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इन बैंचों की व्यवस्था कर दी जाए तो आम लोगों के लिए न्याय दिलाने की दिशा में यह एक अच्छा कदम होगा। यह इंसाफ जो दिन-प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है, इसे रोकिए। महंगाई को तो आप रोक नहीं सके, कम से कम इसे तो रोकिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और बिल का समर्थन करता हूं।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : सभापति महोदय, मैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और शर्त) संशोधन विधेयक, 1998 का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ मंत्री महोदय से कुछ निवेदन भी करूंगा कि यह बहुत अच्छी बात है कि न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि की जाए, उनके परिवारों के पेंशन में वृद्धि की जाए, उनकी सुख-सुविधाओं में वृद्धि की जाए। निश्चित रूप से इस प्रकार की सुख-सुविधाओं में वृद्धि होने के कारण निष्पक्ष न्याय और ठीक से न्याय करने में न्यायाधीशों को मदद मिलेगी। किन्तु वर्तमान में जो न्याय की स्थिति है, वह बड़ी चिन्तनीय है। चिन्ता का कारण है कि आम लोगों में इस प्रकार की धारणा बनने लगी है कि एक हाथ में मुंडी लेकर जाओ और दूसरे हाथ में हुंडी लेकर जाओ, वापिस घर चले जाओ, अर्थात्, किसी ने खून कर दिया और उसका खून करके उसकी मुंडी हाथ में ले जाए और दूसरे हाथ में करन्सी की थैली लेकर जाए, तो वह बरी होकर आ जाए। इस प्रकार की धारणा ही नहीं बन गई है, बल्कि निश्चित रूप से इस धारणा के पीछे लोगों का अपना अनुभव है। आज आप और हम सब इस बात का अनुभव करते हैं कि इस देश में न तो सस्ता न्याय है, न न्याय शीघ्र मिल रहा है और न आसानी से मिल रहा है। न्याय बहुत महंगा होता जा रहा है। न्याय जो महंगा होता जा रहा है, उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। न्याय सिद्धान्त यह कहता है कि भले ही अनेक अपराधी सजा मिलने से छूट जायें, लेकिन कोई निरपराध व्यक्ति जेल न चला जाए, अर्थात् उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। किन्तु आज यह देखा जा रहा है कि अपराधी तो छूटते जा रहे हैं और निरपराध लोगों को सजा होती जा रही है। इसमें भी कहीं-न-कहीं किसी-न-किसी प्रकार की निष्पक्षता में गड़बड़ी है। यह स्थिति प्रक्रिया के कारण हो सकती है, क्योंकि न्याय मिलने में पुलिस से लेकर सरकारी वकील, प्राइवेट वकील और फिर न्यायाधीश आदि जो प्रक्रियायें हैं, उन प्रक्रियाओं में भी कई प्रकार की खामियां हैं और उन प्रक्रियाओं में भी सुधार करने की आवश्यकता है। हमने देखा है कि सरकारी वकील की नियुक्तियां भी राजनीतिकरण की ओर अग्रसर होती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में या सैशन कोर्ट में जब भी न्यायाधीशों की नियुक्तियां होती हैं, या सरकारी वकीलों की नियुक्तियां होती हैं, उनमें पैनल मांगा जाता है और पैनल सामान्यतया जिसकी सत्ता होती है, उस सत्ता पक्ष के प्रभाव के आधार पर ही बनकर जाता है। ऐसे लोग जो राजनीति में रुचि रखते हैं, जिनकी राजनीति में कहीं-न-कहीं पकड़ होती है, उनके नाम वहां चले जाते हैं। जब एक्टिव पोलिटिकलमैन कहीं जज बन जाएगा, तो निश्चित रूप से न्याय की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। इस दृष्टि से भी इसमें सुधार होना चाहिए।

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

महोदय, वर्तमान में न्यायालयों की संख्या कम है। जितने न्यायालय हैं, उनमें रिक्त स्थान भी बहुत हैं। लोअर कोर्ट से लेकर सैशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्ट तक यही स्थिति है। वास्तव में देखा जाए तो न्यायालयों के परिसर भी ठीक नहीं हैं। न्यायालय परिसरों में लाइट की व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं, कई बार स्टेशनरी की भी कमी देखी गई है। स्टेशनरी न्यायालयों में न होने के कारण जो अभियुक्त हैं या मुवक्किल हैं, उनके द्वारा स्टेशनरी मंगाने का काम भी अनेक न्यायालयों में देखने को मिला है। इसलिए न्यायालयों को भी सुदृढ़ किया जाना चाहिए। न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में वृद्धि की जा रही है, वह स्वागत योग्य कदम हैं, परन्तु न्यायालयों को भी सुदृढ़ करना चाहिए। इतना ही नहीं, आज न्यायाधीशों में भी असुरक्षा हो गई है। आप और हम सभी अनेक बार अखबारों में पढ़ते हैं और सुनते हैं कि न्यायालयों के परिसर में एक अपराधी ने दूसरे अपराधी को मार दिया, न्यायालय परिसर में ही नहीं न्यायाधीश के चैम्बर में, जहां सुनवाई होती है, वहां भी अपराधी लोग घुसकर दबाव से न्याय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे आदमी को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मैं कह सकता हूं कि धनबल और बाहुबल न्यायालयों को प्रभावित करने लगे हैं। इस दिशा में भी सरकार को और हमारे मंत्री जी को कुछ उपाय करना चाहिए।

जहां तक न्याय की धाराओं का प्रश्न है, बहुत सारी धारायें ऐसी हैं, जिनमें सजा का प्रावधान बहुत कम है। अपराध बहुत बड़े-बड़े होते हैं, लेकिन सजा नाममात्र की होती है। आर्म्स एक्ट बना हुआ है, लेकिन अवैध रूप से हथियार रखने वाले को जेल नहीं भेजा जाता है। ऐसे केसज में सजा का प्रावधान है, लेकिन जुर्माना होता है। इस प्रकार के कृत्य होने वाले लोगों को कट्टर सजा देने का प्रावधान होना चाहिए। अवैध हथियार, देसी कट्टा, तमंचा और विदेशी पिस्तौल रखा है। पिस्तौल रखने का आशय यही है कि वह अपराध करेगा और इस प्रकार का अपराध करेगी जो सामने वाले के जीवन को नष्ट कर देगा। अगर आप उसमें कहीं न कहीं कठोरता नहीं लाएंगे तो अवैध हथियारों का बोलबाला जो सारे देश में बढ़ता जा रहा है, वह बढ़ता ही जाएगा। इसके कारण अपराध भी बढ़ रहे हैं और उसके शिकार निरपराध एवं निर्दोष लोग होते जा रहे हैं।

महोदय, मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस प्रकार की अनेक धाराएं हैं जिनमें सजा का प्रावधान बहुत कम है, उनमें कहीं न कहीं कठोरता लाने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि अपराधी अपराध करने से पहले दस बार सोचे कि मैं इस प्रकार की गड़बड़ी न करूं या न करूं। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी ठीक करें। मेरे पूर्व वक्ता ने इस बारे में विस्तार से बताया कि न्यायालय परिसर और न्यायालय के अंतर्गत जो लाइब्रेरी होती है उनको भी ठीक किया जाए। न्यायाधीशों के पास कानून की किताबें हो नहीं हैं, नार एसोसिएशन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं रहता है। शासन की ओर से कुछ ऐसी पुस्तकें न्यायाधीशों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे ठीक से न्याय कर सकें। मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और अनुरोध करना चाहता हूं कि मैंने जो सुझाव दिए हैं उन पर भी गैर करें और भविष्य में न्याय व्यवस्था को ठीक करने की कृपा करें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : महोदय, मैं इस विधेयक, जिसका आशय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलने वाली सुविधाओं में वृद्धि करना है, का समर्थन करता हूं। हमारे देश की सामाजिक प्रगति के लिए न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। इसीलिए न्यायाधीशों को मिलने वाली सुविधाएं, वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं उनकी प्रतिष्ठा और कार्य के अनुरूप होने चाहिए। मैं यह बात उठाना चाहता हूं कि जहां तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का सम्बन्ध है, उन्हें बेहतर सुविधाएं और लाभ मिल रहे हैं। परन्तु जब उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से मुफसिल कोर्टों, विशेष रूप से मुंसिफ कोर्टों के कार्य की परिस्थितियों से तुलना करते हैं तो इनकी स्थिति बहुत खराब है। इन दो वर्गों में बहुत ज्यादा अन्तर है। परन्तु जहां तक कार्यभार का सम्बन्ध है अन्य न्यायालयों की तुलना में मुन्सिफ कोर्टों पर अत्यधिक कार्य भार है। परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार, इन मुन्सिफों के पास गैर-ओ.वाय.टी. (एस.एस.) वर्ग के टेलीफोन भी नहीं हैं। उन्हें अभी तक गैर-ओ.वाय.टी. (एस.एस.) वर्ग में नहीं माना जाता है इसका कारण यह है कि उन्हें बिना बारी के शीघ्र टेलीफोन मिल सकता है।

जैसाकि श्री भंजय चक्रवर्ती ने पहले ही कहा है, यह पूरी तरह सत्य है कि ये मुफासिल कोर्ट भारतीय न्यायपालिका की रीढ़ की हड्डी हैं। परन्तु जहां तक सेवा शर्तें और अन्य बातें हैं उनकी पूरी तरह अपेक्षा की जा रही है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि वे राज्य सरकारों की सेवा शर्तों के अधीन कार्य करते हैं। फिर भी जब हम देश में न्यायिक सुधारों की बात करते हैं तो हमें निचले स्तर की न्यायपालिका विशेष रूप से मुंसिफ से लेकर जिला स्तर तक के न्यायाधीशों पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

जहां तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को मिलने वाली सुख सुविधाओं सम्बन्ध है हम उन्हें समय-समय पर बढ़ाते रहे हैं। ये सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं और उन्हें काफी शक्तियां विशेषकर, स्वविवेकाधीन अधिकार मिले हुए हैं। उन्हें इनका लाभ मिलता है। यह बहुत ज्यादा है। यह असीमित है।

दूसरी बात मैं विधि सिद्धान्त की बुनियादी कहावत जो कि विलम्ब से मिलने वाले न्याय के बारे में है, के बारे में कहना चाहता हूं। मामलों के अनिर्णीत रहने के कारण विलम्ब होता है। मैं उस सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा करने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि न्यायिक सुधारों पर चर्चा करने का यह एकदम सही समय है। अभी इस पर चर्चा नहीं हुई है।

पिछले पांच या दस वर्षों से हम न्यायिक सक्रियता के बारे में सुन रहे हैं। मैं इस न्यायिक सक्रियता का समर्थन करता हूं। एक अर्थ में न्यायिक सक्रियता का अर्थ है, न्यायपालिका सक्रिय है। इसका यह अर्थ भी निकलता है कि कार्यपालिका और विधायिका सक्रिय नहीं है।

यदि कार्यपालिका को सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन उचित ढंग से होता है तो न्यायपालिका द्वारा विधायिका या कार्यपालिका के अधिकार छीने नहीं जाएंगे। इसलिए, मेरे अनुसार न्यायिक सक्रियता का अर्थ है न्यायपालिका का सक्रिय होना। जनहित संबंधी मुकदमों की अवधारणा की जबसे शुरूआत हुई है तबसे न्यायपालिका ने अपना कार्य क्षेत्र बढ़ा लिया है और अपनी शक्तियां भी बढ़ा ली हैं जिससे कि हमारे देश के गरीब, आम आदमी और नौकरी पेशा वर्ग को न्याय मिल सके। हम सब जानते है कि भारत में इस समय न्याय पाने की कीमत क्या है। भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में गरीब और आम आदमी के लिए न्याय पाना एक महंगा सौदा है। इस प्रकार जब हम न्यायिक सक्रियता की बात करते हैं, जब हम भारत के संविधान में उपबंधित शक्तियों के विभाजन के बारे में बात करते हैं तो हम सांसद भी अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए, देश में उत्पन्न शून्य को भरने के लिए सरकार के दूसरे पक्ष को क्रियाशील होना पड़ रहा है, हमें पहले प्रयास करने चाहिए और फिर हमें न्यायपालिका के विरुद्ध दोषारोपण करना चाहिए। मैं मानता हूं कि न्यायपालिका भी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रही है। मैं केरल उच्च न्यायालय के हाल ही के दो निर्णयों का उदाहरण देना चाहता हूं। मैं पेट्रोल, गैस और ऐसी सारी बातों में नहीं जाना चाहता हूं। एक विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिए गए पहले निर्णय में कहा गया है कि कोचीन नगर निगम को दो महीनों के भीतर सभी मच्छरों को समाप्त करना होगा। यह न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय है। एक अन्य निर्णय में कहा गया है कि रामजी पुल को एक विशेष समयावधि के भीतर बना दिया जाये। अब इस निर्णय का क्या परिणाम होगा? क्या न्यायालय धन के भुगतान के लिए समर्थ है। क्या वह सामग्री की आपूर्ति करने में सक्षम है जिससे कि ठेकेदार कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा कर सके?

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : ठीक है, महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

इसलिए मेरा सुझाव है कि न्यायिक सुधारों पर विस्तार में चर्चा होनी चाहिए और यह सही समय है जब न्यायिक सुधार किए जाएं जिससे कि न्याय मिलने में होने वाली देरी को कम किया जा सके।

मेरे विचार से लोक अदालत और निशुल्क कानूनी सहायता केन्द्रों का खोला जाना अच्छी बात है। परन्तु आजकल यह देखा जा रहा है कि निपटाए जाने वाले लगभग सभी मामले एम.ए.सी.टी. मामले होते हैं! यह बात ठीक है, एम.ए.सी.टी. मामलों में भी, यह उन व्यक्तियों के लिए लाभदायक है जिनके साथ मोटर दुर्घटना होती है। उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णयों में कहा गया है कि किसी को भी शुरूआत में 5,000 रुपयों से ज्यादा का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। यदि वे अधिक धन चाहते हैं तो उन्हें एक शपथपत्र दाखिल करना होगा और साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा कि वे धन की मांग करते हैं। जहां तक लाभग्राही का सम्बन्ध है यह भी ज्यादती है क्योंकि दुर्घटना का शिकार बनने के बाद और भारी नुकसान उठाने के बाद जब कोर्ट द्वारा मुआवजे का भुगतान किया जाता है तो वे मुआवजे को ग्रहण करने के हकदार नहीं होंगे। यह स्थिति है। मैं पूरे ब्यौरे में नहीं जा रहा हूं।

जहां तक न्यायिक प्रणाली के विकेन्द्रीकरण का सम्बन्ध है, मैं केरल का प्रतिनिधित्व करता हूं इस राज्य की राजधानी त्रिवेन्द्रम है। केरल उच्च न्यायालय जो कि कोचीन में स्थित है में लाखों मामले दर्ज कराए जाते है। यह राज्य की राजधानी से 250 किलोमीटर दूर है जबकि यह केरल राज्य में ही स्थित है। मेरे विचार से मध्य प्रदेश की राजधानी में भी उच्च न्यायालय की खण्डपीठ नहीं है। एक वरिष्ठ अधिकारी को त्रिवेन्द्रम से कोचीन तक जाकर कागजात दाखिल करने और सरकार के सम्बद्ध अधिवक्ता को मामला समझाने और वापस आने में एक सप्ताह का समय लगता है। होने वाले खर्च को ध्यान में रखकर राज्य की राजधानी में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित की जानी चाहिए। यदि हमें राज्य की राजधानी में उच्च न्यायालय नहीं दिया जाता है तो कम से कम

[श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन]

एक खण्डपीठ को गठित किया जाना चाहिए। भारत सरकार को राज्य की राजधानी में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ को स्थापित करने के लिए पहल करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली सुविधाओं में बढ़ौत्तरी करने वाले विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।

श्री कोनिजेटी रोसैया (नरसारावपेट) : महोदय, सरकार द्वारा लाए गए इस विधेयक का समर्थन करते हुए मुझे कुछ कहना है। मुझसे पहले बोल चुके सदस्यों ने पहले ही कई बातों का उल्लेख किया है मैं अब जो कहूंगा वह दुहराव हो सकता है।

पहली बात यह है कि पूरे देश में उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में भी काफी पद रिक्त हैं। साल दर साल, समय बीतता जा रहा है, उच्चतम न्यायालय भी कुछ प्रयास कर रहा होगा परन्तु वह भी रिक्तियों को नहीं भर पाया है।

महोदय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया सभी को पता है और वह इस प्रकार की है। उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश और चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर सम्बद्ध उच्च न्यायालयों द्वारा भेजी गई सिफारिशों पर विचार करते हैं और न्यायधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए नामों को अन्तिम रूप देते हैं। उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश और चार वरिष्ठ न्यायाधीश प्रस्तावित अभ्यर्थियों के बारे में अधिक जानकारी नहीं भी हो सकता हैं। वे कुछ कागजों का अध्ययन करते हैं और उस सूचना के आधार पर वे नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों के नामों को तय करते हैं। कई मामलों में मैं कह सकता हूं कि अत्यधिक योग्य व्यक्तियों पर विचार नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्रों में सक्रिय रहते हैं परन्तु अधिवक्ता का कार्य नहीं कर रहे होते हैं उनको भी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए मैं सरकार से स्थायी विधि आयोग गठित किए जाने पर विचार करने की अपील करता हूं। वे अभ्यर्थियों के बारे में आवश्यक सूचना और विभिन्न उच्च न्यायालयों से आने वाली सिफारिशों को एकत्रित कर न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश कर सकते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि यह पक्का और त्रुटिहीन प्रणाली है परन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि यह नियुक्तियों की वर्तमान प्रणाली से बेहतर होगी।

इसी तरह कई सदस्यों ने लम्बित मामलों के बारे में बात की है। यदि आप किसी भी उच्च न्यायालय में मामलों के लम्बित रहने की स्थिति को देखेंगे तो यह अत्यधिक भयावह है। मामलों को निपटाने की कोई समय-सीमा नहीं है। हम जानते हैं कि कई लोग जिन्होंने उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में अपील की है वह अपने जीवन काल में दिए गए निर्णय को देख नहीं पाते हैं। ऐसे याचिकाकर्त्ता की मृत्यु के पश्चात् निर्णय दिए जाते हैं। यद्यपि भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्र विचार रखने का श्रेय दिया जाता है और कई मामलों में अच्छे निर्णय दिए गए हैं फिर भी लम्बित मामलों के निपटारे की स्थिति बेहतर नहीं है।

मामलों के निपटारे के लिए मैं तदर्थ आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति का सुझाव रखता हूं। विशेष अवधि के लिए नियुक्तियां की जा सकती हैं और उन्हें कुछ निश्चित मामले दिए जा सकते हैं जिससे कि देश के लाखों लम्बित पड़े मामलों को निश्चित समय में निपटाया जा सके। अन्यथा लंबित मामलों की संख्या कम होने के स्थान पर दिन प्रति दिन बढ़ती चली जाएगी।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जैसाकि पहले कहा जा चुका है कि तीन महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हैं जिनके कारण देश में लोकतंत्र अस्तित्वमान है जोकि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है। ये तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। भारतीय संविधान ने उनके कर्त्तव्यों का निर्धारण किया है और इन तीन प्रमुख अंगों के कार्यों पर ध्यान दिया है। परन्तु कई बार एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती रही है। न्यायपालिका के बारे में कहा जाता है कि वह विधायिका के कार्यों में अतिक्रमण कर रही है। मैं विशेष मामलों का उल्लेख नहीं करता हूं परन्तु अत्यधिक सम्माननीय मंत्री महोदय और वरिष्ठ वकील यह बेहतर जानते हैं कि अतिक्रमण हुआ है या नहीं और इसे कैसे रोका जा सकता है। यदि ऐसा होने दिया जाता है तो हमारे लोकतंत्र के चलने में कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। यदि कार्यपालिका, विधायिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करती है या यदि विधायिका न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करती है या न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्र को अपने हाथ में लेती है तो भारतीय लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए समस्याएं उत्पन्न होंगी। ऐसा ही नहीं है। कानून की व्याख्या करने के नाम पर कभी-कभी न्यायालय स्वयं कानून बना देते हैं। हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि न्यायालयों को कानून की व्याख्या करनी होती है, कानूनों को परिभाषित करना होता है और हमें यह बताना होता है कि क्या कानूनों के कार्यान्वयन में कोई खामी है। किंतु ऐसा करने के बजाए अनेक बार वे अपने कानून बना देते हैं।

अंतिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में जाना एक महंगा सौदा बन गया है। तेलुगू में एक कहावत है कि जो व्यक्ति मुकदमा जीतता है वह न्यायालय के बाहर शोर करेगा और जो व्यक्ति मुकदमा हारता है वह

न्यायालय में ही गिर पड़ेगा। सारे देश में यह असर पैदा हो रहा है। यह एक महंगा सौदा भी बन गया है, साथ ही हम देख रहे हैं कि कुछ न्यायालयों में जनहित याचिकाएं दाखिल की गई है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिकाएं दाखिल कर सकता है और न्यायालय ऐसी जनहाति याचिकाओं की सुनवाई भी कर रहे हैं। इसके लिए भी कुछ प्रक्रिया और याचिकाकर्ता की कुछ जिम्मेदारी भी निश्चित की जानी चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि हर कोई ऐरा-गैरा किसी भी पदासीन व्यक्ति के विरुद्ध या अन्यथा जनहित याचिका दाखिल कर सकता है और यदि वह हार भी जाता है तो वह मुक्त विचरण करता है। उसकी कोई जिम्मेदारी नियत नहीं की गई है। कुछ न्यायालयों ने खुलेआम यह कहा है आज कुछ सदस्यों ने कहा है कि न्यायालयों में जाना एक निरोधात्मक बात बन गई है। यह बहुत महंगा हो गया है। साथ ही साथ न्यायालयों की अनेक घोषणाएं सुनते हैं जिनमें कहा गया है कि एक पोस्ट कार्ड ही पर्याप्त है। इसे एक याचिका के रूप में लिया जाएगा वे उसकी जांच करेंगे और अपना निर्णय देंगे। ये दोनों बातें साथ-साथ नहीं चल सकती हैं।

अन्त में मैं यह बताना चाहता हूं कि आज भी न्यायाधीशों के लिए संहिता है। कई मामलों में वे दिशानिर्देशों और संहिता का पालन करते हैं। किंतु हाल के दिनों में कभी-कभार हम यह पाते हैं कि न्यायाधीश निर्बाध रूप से लगभग सभी सार्वजनिक समारोहों में जाते हैं। ...*(व्यवधान)* मैंने देखा है कि वे किसी शो-रूम का उद्घाटन करते हैं। हमने न्यायाधीशों को आधारशिला रखने के समारोहों में भी देखा है। न्यायाधीश पुरस्कार वितरण समारोहों और अन्यत्र भी देखे जाते हैं। इसलिए मैं सरकार से इन सभी पहलुओं पर विचार करने की अपील करता हूं और यदि आवश्यक हो तो कुछ और दिशानिर्देश निर्धारित करें ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सके और इस देश के लोग न्यायपालिका के महत्व को समझें।

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : सभापति महोदय मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

वस्तुत: न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों में पहले ही वृद्धि की जा चुकी है और उनकी पेंशन आदि में भी वृद्धि की गई है। मेरा मानना है कि यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में मतभेद नहीं हो सकता है। समाज के सभी वर्ग, विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्त्ता इस बात से सहमत हैं कि न्यायाधीशों का वेतन उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप हो। न्यायाधीश किसी सरकार के कर्मचारी नहीं है। वे किसी प्राधिकारी के कर्मचारी नहीं है। भारत के संविधान के अंतर्गत उनकी एक प्रतिष्ठा है। वे संवैधानिक प्राधिकारी हैं। उन्हें भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और यहां तक कि भारत सरकार के विरुद्ध भी मामलों का निर्णय करना होता है। इसलिए उनका वेतन ऐसा होना चाहिए कि वे अपनी पद प्रतिष्ठा के अनुरूप व्यवहार करें और यह उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार हो।

महोदय, न्यायाधीश भारत के संविधान में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि उच्चतम और उच्च न्यायालयों की तरह हमें निचले न्यायालयों पर भी ध्यान देना चाहिए।

कुछ सदस्यों ने सरकार का समर्थन किया है और उन्होंने मांग की है कि निचले न्यायालयों, न्यायिक मजिस्ट्रेटों, जिला न्यायाधीशों और अतिरिक्त न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन व अन्य सेवा शर्तों में भी संशोधन किया जाना चाहिए क्योंकि वे अच्छा और उतना ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के कर्त्तव्यों की तुलना नहीं कर सकते हैं, दोनों अपने-अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं। इसलिए उनके वेतन में भी संशोधन किया जाना चाहिए।

स्थानान्तरण नीति के बारे में भी भारत सरकार और न्यायालयों ने कुछ वर्ष पूर्व एक स्थानान्तरण नीति अपनाई है। अब इस स्थानान्तरण नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। विगत पांच वर्षों के दौरान कई बातें प्रकाश में आई हैं। इस स्थानान्तरण नीति ने समस्याओं का समाधान करने से अधिक समस्याएं पैदा की हैं। संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था इस स्थानान्तरण नीति की समीक्षा की मांग कर रही है। हमें उन लोगों को उसमें शामिल करना चाहिए और स्थानान्तरण नीति में संशोधन के बारे में ठोस निर्णय लेना चाहिए ताकि न्यायाधीश अपने को पूर्ण स्वतंत्र महसूस कर सकें।

न्यायाधीशों के पदों की रिक्ति के बारे में मैं अपने उन साथियों से पूर्ण सहमत हूं जिन्होंने कहा कि इन रिक्तियों को यथासंभव शीघ्र भरा जाना चाहिए। एक न्यायिक आयोग होना चाहिए जो उसी दिन न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में निर्णय करे जिस दिन कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त होता है। दूसरे न्यायाधीश की नियुक्ति किसी न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने से पहले की जानी चाहिए ताकि अगले दिन नया न्यायाधीश प्रभार संभाल सके। इन रिक्तियों के बारे में मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब उच्चतम न्यायालय ने यह विवाद हल कर दिया है। दुर्भाग्यवश, इस देश में एक ऐसा विवाद भी था जिसमें न्यायाधीश भी संलिप्त थे। न्यायाधीशों के विरुद्ध न्यायाधीशों की ही शिकायतें थी, मैं न्यायपालिका के विरुद्ध न्यायपालिका से बाहर के लोगों की शिकायत

[श्री सत्यपाल जैन]

की बात नहीं कर रहा हूं। लोग उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखते हैं। मेरा मानना है कि यह उचित समय है जब न्यायपालिका को भी कुछ आत्मावलोकन करना चाहिए और यह आत्मावलोकन स्वयं न्यायपालिका द्वारा किया जाना चाहिए ताकि वे न्यायिक प्रक्रिया द्वारा स्वयं के बारे में सभी शंकाओं को दूर करने की स्थिति में हों।

न्यायाधीशों की संख्या के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उनकी संख्या में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय के 27 या 26 न्यायाधीश 100 करोड़ लोगों के मामलों का निर्णय नहीं कर सकते हैं। यही स्थिति विभिन्न उच्च न्यायालयों की भी है जहां पर 30 या 38 या 40 न्यायाधीश हैं। मेरा मानना है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कम से कम दुगुनी की जानी चाहिए ताकि वे मामलों का तेजी से निर्णय कर सकें।

कुछ माननीय सदस्यों ने खंडपीठों की स्थापना के बारे में उल्लेख किया है। दक्षिण भारत में भी उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ होनी चाहिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ होनी चाहिए क्योंकि जब मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के दौरे पर गया था शायद आप भी उस शिष्टमंडल के सदस्य हों, अनेक लोगों ने हमसे शिकायत की कि यदि कोई व्यक्ति अगरतला से दिल्ली किसी मामले को दाखिल करने आता है तो उसे दिल्ली पहुंचने में तीन-चार दिन लग जाते हैं। इसलिए उन स्थानों पर भी खंडपीठें होनी चाहिए ताकि लोग वहीं अपने मामले दाखिल कर सकें।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका या न्यायपालिका और विधायिका के बीच कोई टकराव न हो। तीनों अपने क्षेत्रों में स्वायत्त हैं। हमें अपने निर्धारित कर्त्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। न्यायपालिका अपना कार्य करे। विधायिका विधान बनाए और न्यायपालिका निर्णयों का कार्यान्वयन करे। न्यायपालिका निर्णय करे और व्याख्या करे। तीनों के बीच कोई टकराव न हो। टकराव के बजाए तीनों को संयम बरतना चाहिए। न्यायाधीश विधायिका पर अनावश्यक आक्षेप न करें साथ ही विधायिका न्यायाधीशों को प्रत्येक विवाद में न घसीटें।

इन शब्दों के साथ मुझे आशा है कि सरकार शीघ्र ही निचले न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में संशोधन के बारे में निर्णय लेगी।

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : सभापति महोदय, मैं इस उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 1998 का स्वागत करता हूं।

मैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से अनुरोध और प्रार्थना करता हूं कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें किसी राजनीतिक मंच में शामिल नहीं होना चाहिए या किसी तरह की सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। न्यायाधीश के रूप में अपने सेवाकाल के अन्तिम दिनों में वे जो भी निर्णय देते हैं उसका निश्चित तौर पर राजनीतिक रंग होगा।

इसलिए ऐसी टिप्पणियों से बचने के लिए मैं सभी न्यायाधीशों से अनुरोध करता हूं कि अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वे सक्रिय राजनीति में शामिल न हों।

महोदय, कभी-कभी न्यायाधीश घोषणा करते हैं कि निर्णय सुरक्षित रखा गया है। किंतु उस सुरक्षित निर्णय की घोषणा करने में महीनों नहीं लगने चाहिए। इसलिए, मेरा निवेदन है कि निर्णयों की घोषणा के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। साथ ही मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि किसी न्यायाधीश का उस समय स्थानान्तरण न किया जाए जब वह किसी मामले की सुनवाई कर रहा हो क्योंकि न्यायाधीश के स्थानान्तरण से निर्णय में विलम्ब होता है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि 'न्याय मिलने में विलम्ब न्याय से वंचित करना है।' न्यायाधीशों की नियुक्ति से ऐसा नहीं होना चाहिए।

जहां तक उच्च पदासीन व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की सुनवाई करने के लिए अतिरिक्त न्यायालयों के गठन का संबंध है इन न्यायालयों में मामलों के निपटान में अत्यधिक विलम्ब होता है विशेष रूप से मैडम जयललिता से संबंधित मामलों में अत्यधिक विलम्ब हुआ है। खंडपीठ मामले की सुनवाई करती है ...*(व्यवधान)*

श्री सी. गोपाल (अर्कोनम) : सभापति महोदय, ये मामले न्यायालय के समक्ष हैं। यह मामला न्यायाधीन है। अतः वे इनके बारे में यहां नहीं बोल सकते हैं।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, मैं इन मामलों के विस्तार में नहीं जा रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री सी. गोपाल : जब न्यायालय में मामले विचाराधीन हैं तो वह यहां सभा में उनके बारे में नहीं बोल सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू, कृपया विधेयक के संबंध में बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : महोदय, मैं मामलों की गहराई में नहीं जा रहा हूं।

श्री सी. गोपाल : महोदय, वह यहां उनके बारे में बोलने के हकदार नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : महोदय, विशेष न्यायालयों के विधान के संबंध में, न्यायालय ने मामले की सुनवाई की और मामले की सुनवाई के बाद निर्णय अपने पास सुरक्षित रखा।

सभापति महोदय : श्री बालू, आपको केवल विधेयक के संबंध में बोलना है।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति श्री राजू ने मामले की सुनवाई की लेकिन निर्णय देने से पहले ही न्यायमूर्ति राजू को स्थानान्तरित कर दिया गया था। जब उन्होंने फैसला सुरक्षित कर लिया था तो उन्हें स्थानान्तरित क्यों किया गया? ...*(व्यवधान)* यहां, इस मामले में न्यायमूर्ति ने न्याय करने से इंकार नहीं किया था। उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई की और यह निर्णय लिया कि विशेष अदालतों के गठन के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा लिया गया निर्णय वैध है।

अब,* .....भारत सरकार के कार्मिक विभाग के अवर सचिव अपनी पहली बात से मुकर गए हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू, हर जगह अनेक मामले लम्बित हैं। आप केवल एक मामले की बात क्यों कर रहे हैं? कृपया विधेयक के संबंध में बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : महोदय, उन्होंने पहले कहा था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, यह राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है कि अधिसूचना के उद्देश्य से मामलों को इकट्ठा करें और यह कि राज्य सरकार राज्य की आवश्यकताओं और तात्कालिक जरूरतों को बेहतर समझ सकती है।...*(व्यवधान)*

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : सभापति महोदय, यह सही नहीं है। कुछ टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तांत से निकालने की आवश्यकता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उन्हें कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दें।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, मद्रास उच्च न्यायालय में यह अवर-सचिव द्वारा कहा गया था। अब, उच्चतम न्यायालय में वह कहते हैं कि केवल केन्द्र सरकार से परामर्श करना है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू, कृपया केवल विधेयक के संबंध में बोलिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जो बातें आपत्तिजनक हैं, उन्हें कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल देना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : महोदय, चूंकि जयललिता मैडम की पार्टी अन्नाद्रमुक इस सरकार की सहयोगी पार्टी है, इसीलिए विशेष रूप से कानून मंत्री के निर्देशों के तहत सरकार ने इस तरह से शपथ पत्र दायर किया है। ...*(व्यवधान)* मैं जानना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय में शपथपत्र दाखिल करने में अलग मानदण्ड क्यों अपनाया गया ...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया : माननीय सभापति महोदय, उन्हें केवल विधेयक के संबंध में बोलना चाहिए।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, मुझे उम्मीद है कि कानून मंत्री तथा प्रधान मंत्री निश्चय ही इस शपथ-पत्र को वापस ले लेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अपराह्न 7.00 बजे

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदय, अब 7.00 बजे हैं।

सभापति महोदय : जब तक विधेयक पारित नहीं होता, सभा ने तब तक बैठने की अपनी स्वीकृति दी है।

श्री मनोरंजन भक्त : कब?

सभापति महोदय : समय पहले ही बढ़ाया जा चुका है।

श्री मनोरंजन भक्त : सात बजे तक बढ़ाया गया था।

सभापति महोदय : नहीं। यह कहा गया था: "उस समय तब जब तक कि विधेयक पारित नहीं होता।" अब केवल 15 मिनट लगेंगे। पहले ही निर्णय लिया जा चुका है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अभी कितने वक्ता हैं?

सभापति महोदय : केवल चार सदस्यों को और बोलना है।

श्री मदन लाल खुराना : हमारी समस्या यह है कि 7 बजे मंत्रिमंडल की बैठक है।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, बेहतर है, आप सभा को स्थगित कर दीजिए।

सभापति महोदय : जैसा आप चाहें।

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : माननीय सभापति महोदय, जब हम कार्यालय आते हैं और शून्यकाल के लिए नोटिस देते हैं तो हमारी बारी कभी नहीं आती है। जब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए नोटिस देते हैं, तब भी हमारी बारी नहीं आती है। हमें बहुत थोड़ा समय दिया जाता है।

यदि हमें समय नहीं दिया जाता तो हमें सदन में आने का कोई लाभ नहीं है। मेरा माननीय सभापति महोदय से अनुरोध है कि वह यह देखें कि सभी को बोलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए ताकि वह अपनी शिकायतों को सबके सामने रख सकें। हम यहां पर चुप रहने और अपने घरों को वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। हमें एक अवसर दिया जाना चाहिए। सबको अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री मेनसिंकाई अपना भाषण दे सकते हैं।

श्री मदन लाल खुराना : कल के लिए ठीक रहेगा।

***श्री बी.एम. मेनसिंकाई** (धारवाड़ दक्षिण) : माननीय सभापति महोदय, मैं तहेदिल से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 1998 का समर्थन करता हूं।

आरम्भ में ही मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत के राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय प्रधानमंत्री तथा विपक्षी दल से स्वीकृति ले सकते हैं। न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाते समय वैसा नहीं करना चाहिए जैसा कि यूनियनों के कर्मचारियों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों के मामले में किया जाता है। जिन्हें 'हड़ताल' और 'बंद' इत्यादि द्वारा कुछ प्राप्त करने की आदत हो गई है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के वेतन बढ़ाए जाने चाहिएं।

सत्र न्यायालयों, मैजिस्ट्रेट न्यायालयों और अन्य मोफस्सिल न्यायालयों के न्यायाधीशों को यातायात सुविधाएं नहीं दी गई हैं। तहसीलदारों, सहायक आयुक्तों और यहां तक कि ताल्लुक स्तर पर अन्य अधिकारियों को भी यातायात की सुविधाएं दी गई हैं। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि सभी न्यायाधीशों को कुछ विशेष यातायात सुविधायें प्रदान की जानी चाहिएं।

कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में केवल एक उच्च न्यायालय है। इससे पूरे राज्य की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। इसलिए मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह हुबली-धारवाड़ में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक बैंच स्थापित करें। मेरे एक माननीय साथी ने कहा था कि सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों को न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा-निवृत्ति के बाद कोई अन्य कार्य नहीं करना चाहिए। इस संबंध में मैं भारत सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा कि इन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करना चाहिए। इन न्यायाधीशों के पास संविधान का संरक्षण करने की योग्यता तथा क्षमता होती है। इसलिए उन्हें राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री बी.एम. मेनसिंकाई : ठीक है, महोदय, इंग्लैंड में न्यायालयों के अंदर मामलों को शीघ्र निपटाया जाता है। वहां इसके लिए विशेष कानून है। यहां, हमारे देश में न्यायालय उस विशेष कानून को लागू करके शीघ्र मामले निपटा सकते हैं जो कि इंग्लैंड में प्रचलन में हैं। हमारे न्यायालयों की वर्तमान प्रक्रिया बहुत लम्बी है। इस संबंध में मामलों के निपटान में होने वाले अनावश्यक विलम्ब से बचने के लिए संसद में एक संशोधन पारित किया जा सकता है।

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सभापति महोदय : अब आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री बी.एम. मेनसिंकाई : जी हां, महोदय। मैं एक बार फिर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 1998 का समर्थन करता हूं जिसमें न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाने की मांग की गई है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति जी, उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों की सुख-सुविधा को बढ़ाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, समय हो गया है। हम कल चर्चा जारी रखेंगे *...(व्यवधान)*

डा. एम. तम्बी दुरई : महोदय, मुझे मंत्रिमंडल की बैठक में जाना है।

सभापति महोदय : ठीक है, प्रो. मेहता आप कल अपना भाषण जारी रखेंगे।

सभा कल 17 दिसम्बर, 1998 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 17 दिसम्बर, 1998/ 26 अग्रहायण, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।